

गांधीजी के जीवन-प्रसंग



गांधी जी के जीवन-प्रसंग

[देश-विदेश के तिरपन लेखको की कलम से]

संपादक

चंद्रशंकर शुक्ल

। अनुवादक

यशवन्त तेंडुलकर



चीरा एण्ड कंपनी पब्लिशर्स लिमिटेड, बम्बई २
सस्ता साहित्य मंडल, कनाट सर्कस, नई दिल्ली

प्रथम संस्करण : १९५०

मूल्य छः रुपया

(माननीय श्री सी. राजगोपालाचारी द्वारा प्राप्त पत्र)

प्रिय चंद्रशंकर,

मैंने 'इनसिडेंट्स ऑफ गांधीजीज लाइफ' नामक आपकी उत्कृष्ट पुस्तक के दो लेख, प्रूफ रूप में, अभी अभी पढ़े, और कुठेक पन्नों पर भी सरसरी निगाह डाली। इससे आपके कल्पना-सौंदर्य का पता तो चला ही; साथ ही, चल्चित्र क्षेत्र की भाषा में कहा जाय तो, मैंने देखा कि इसका दिग्दर्शन भी आप बड़े सफल ढंग में कर सके हैं। यह छपकर तैयार होने पर एक उत्तम पुस्तक गिनी जायगी, और आधुनिक आंग्ल-भारतीय साहित्य के लिए एक अनुपम देन।

हरेक चीज़ के अपने दो रूप होते हैं। याने एक तो वास्तविक; और दूसरा वह, जो कि लोगो को उसका दिखाई पड़ता है। अब इन दो रूपों में से—अर्थात् गांधीजी, जैसे कि वस्तुतः वे रहे, और गांधीजी, जैसे कि दूसरों को समय समय पर वे दिखाई दिये, कौनसा अधिक वास्तविक, या अधिक महत्त्व का है, यह तो एक परमात्मा ही जाने। अलबत्ता दूसरी कोटि के लेख-संग्रह की दृष्टि से आपकी पुस्तक काफी रोचक बनेगी।

आपने इन संस्मरणों के भीतर का अहंवादी अंश कुशलता के साथ हटाकर वस्तुतः उचित ही कार्य किया है, हालाँकि ऐसे लेखन-कार्य में इस दोष का न्यूनाधिक भागी बनना अपरिहार्य ही है। फिर भी इन संस्मरणों के लेखकों में जो ऊँचे दर्जे के लेखक हैं उन्होंने बड़ी सावधानी से काम लेकर उक्त दोष से अपने आप को बचाया है, और यही इस विस्म के काम की खूबी होती है।

ऐसी रचनाओं को भी, जो कि निरी अहंवादी हैं, प्रस्तुत पुस्तक में कतई स्थान न दिया जाना मुझे सर्वथा उचित जान पड़ा। क्योंकि आचरण-शून्य लेखकों की कलम से उतरी हुई रचनाएँ गांधीजी के गुणगान से शराबोर होनेपर भी वे पढ़ते समय जी तो ऊँचेगी ही। ऐसे लेखकों से आपने अपना पिंड छुड़ाया है यह देख कर मुझे प्रसन्नता हुई। मंद है कि २४ अक्टूबर को आपके द्वारा कृपापूर्वक दी गई प्रूफ-सामग्री का इसमें अधिक अंश वायतक में पढ़ नहीं पाया। फिर भी सोचा, कि पहली ही टफा इसे पढ़नेपर जो राय बनी वह धुंधली होने में पूरे ही आपको विन्य है।

ग्यालियर,

२५ अक्टूबर, १९८८

आपका,

सी. राजगोपालाचारी

प्रस्तावना

प्रस्तुत पुस्तक में गांधीजी के जीवन-प्रसंगों पर प्रकाश डालने वाले ऐसे लेखों का सफल किया गया है जो कि देश-विदेश के उनके विभिन्न स्नेहियों और सहयोगियों द्वारा लिखे गये हैं। इन लेखों में वर्णित घटनाएँ ये महानुभाव अपनी आँखों देख चुके हैं, और साथ ही उन्होंने इन घटनाओं को अतर्मुख वृत्ति से उपस्थित करने की भरसक चेष्टा की है। ऐसे स्मृति चित्र धुँधले होते, या काल के गाल में समाते जा रहे हैं। सारास, बहुमूल्य चरित्र-सामग्री इस प्रकार नष्ट होती जा रही है कि जिसकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती। अतः इसको यथासंभव रक्षा करने का यत्न तो होना ही चाहिये। क्योंकि इस प्रकार सकलित की गई सामग्री कभी न कभी प्रकाशित की जा सकती है। किंतु, यदि समय रहते ऐसे सस्मरण सकलित नहीं किये गये तो वे सदा के लिए लुप्त ही जायेंगे। इसी भावना से प्रेरित होकर मैंने यह काम उठाया, और संभवतः इसी भावना ने लेखकों को इस कार्य में कृपापूर्वक योगदान करने की प्रेरणा दी है।

लगभग तीन वर्ष पूर्व इस पुस्तक के लिए लेख सकलित करने का काम शुरू किया गया था। किन्तु इस बीच देश में घटना-चक्र इतनी तीव्र गति से चला, कि जिससे इस कार्य में व्याघात पहुँचा। राजनीतिक परिस्थिति में हुई उथल-पुथल और दंगा-फिसाद आदि के कारण भी इसमें बिलय होता गया। और स्वयं में भी और अधिक लेख, खास तौर से उन लोगों के जिनका अभाव सटकने की आशंका थी, इकट्ठा करने की आशा से इसका प्रकाशन बार-बार स्थगित करता गया। उस समय किसी ने भी यह बात, कि निवृत्त भविष्यमें हमारे देश का ही एक गुमराह व्यक्ति राष्ट्रपिता की हत्या का पाप मान लेने जा रहा है, सपने में भी भौंकी न होगी। खैर, गांधीजी की मृत्यु के कारण ऐसे सस्मरणों का सारलन-नार्थ और ही अधिक आवश्यक एवं अपरिहार्य बन गया।

निश्चय ही इस प्रकार के बहुमूल्य सस्मरणों का कभी अंत ही नहीं आता। तुर्किस्तान की सुप्रसिद्ध महिला हलिदे एदिव १९३५ की अपनी भारत-यात्रा के बाद लिखती हैं, "मैं मन ही मन बोली, कि गांधीजी बीसवीं सदी के इतने महान् व्यक्ति हैं कि उनके बारे में कुछ भी लिखते समय यथासंभव अधिक से अधिक सचाई और सावधानी बरती जानी चाहिये।"

इसकी जब योजना बनी तब, जैसा कि मैं ऊपर कह चुका हूँ, गांधीजी जीवित थे। इसके लिए उनके आशीर्वाद भी प्राप्त हो चुके थे। इसके दो कारण थे। एक तो इस प्रकार के लेखन की ओर अतर्मुख होकर देखने की उनकी वृत्ति; और दूसरा, यह विश्वास, कि इसमें अपना निरा महिमाख्यानही न होगा। स्मरण रहे कि इसी भौति उस समय तब प्राप्त हुए सस्मरण, उनमें वर्णित बातों की सचाई जाँचने के हेतु, कृपापूर्वक पढ़ने का कष्ट भी उन्होंने उठाया।

उन ग्यातनाम लेखकों के प्रति, जिनके शुभाशीप, सहयोग और सहायता के बिना इस कार्य में मैं कदापि सफल नहीं हो सकता था, उचित शब्दों में वृत्तज्ञता ज्ञापन करने में मैं अपने आप को असमर्थ पा रहा हूँ। इस बीच इनमें से दो लेखकों का स्वर्गवास हो चुका है। एक है, डा. रूपम् एम्. जोन्स, जो कि गत जून में चल बसे। इन्होंने काफी लंबी उम्र पायी, शिक्षा के क्षेत्र में ठोस कार्य किया, एक धार्मिक और दार्शनिक विषयों पर पचास से अधिक पुस्तकें भी लिखी हैं। दूसरे सज्जन हैं श्री तात्यासाहव केलकर, जिनसे मैंने खुद भेंट कर स्मृति-लेख की प्रार्थनापूर्वक माँग की थी। तुरत वे बोले, कि राजनीतिक क्षेत्र में गांधीजी से अपना मतभेद होने पर भी उनके न्यक्तित्व के प्रति अपने मन में बहुतही आदरभाव रहा है। इसके बाद उन्होंने १९२५ तक के गांधीजी के साथ के अपने संबंधों पर प्रकाश डाला। बोले, कि उम्र में गांधीजी में तीन ही बरस छोटे होने के कारण अपनी मृत्यु भी उनके गुजर जाने पर ही होगी। उन्होंने प्रस्तुत पुस्तक की योजना का स्वागत किया, और इसके लिए अपना लेख भेजने का भी वचन दिया,

जो कि शीघ्र ही प्राप्त हुआ । इस प्रकार एक महान् देशभक्त ने, जिसके जीवन और लेखन-कार्य ने बहुतों को प्रेरणा प्रदान की है, अपने आचरण द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में सहनशीलता और सद्भाव का जो उदाहरण उपस्थित किया है उसका आज हम सब अपने व्यक्तिगत हित और अगीकृत कार्य की सिद्धि की दृष्टि से अवश्य अनुसरण करें ।

प्रस्तुत पुस्तक की योजना बनाते समय ही यह तय किया गया था, कि इसमें गांधीजी के कौरे गुणगाना या प्रशस्तिपूर्ण लेखों को कतई स्थान न दिया जाएगा । सस्मरण-लेखका ने यह मर्यादा मान ली, जिससे, आशा है, कि पुस्तक की उपादेयता बढ़ ही गई होगी । विपरीत इसके यदि कोई प्रशस्ति के पंरे में पड़ता तो वस्तुतः वह दुस्साहस ही माना जाता । क्योंकि, जैसा कि भारतके प्रधान मंत्री ने गांधीजी की मृत्यु के बाद कहा है,—“हम उनकी प्रशस्ति कैसे कर सकते हैं ? हम सब, न्यूनाधिक मात्रा में उनकी आत्मिक सतान होने, एवं अपने ही रक्त-मौस की उनकी सतान की अपेक्षा सम्भवतः उनके अधिक सन्निकट होनेपर भी, इस योग्य क्यों ? उनके अपूर्ण कार्य को सविनय और सेवाभाव से पूरा करने का गुरतर भार हमारे कंधापर आ पड़ है । कवि . हेनरी डेविड थोमस के शब्दों में—

*'Tis sweet to hear of heroes dead,
To know them still alive,
But sweeter if we earn their bread,
And in us they survive*

बड़ोदा,
२६-१०-१९६८ }

च० गु०

विषय सूची

१	गाधीजी के कुछ सस्मरण	श्रीमन्नारायण अग्रवाल	१७
२	महात्मा गाधी और मूक प्रार्थना ...	होरेस जी. अलेक्जेंडर	२०
३	शिक्षक गाधीजी	राजकुमारी अमृत कौर	२४
४	महात्मा गाधी के सस्मरण	डा. भगवानदास	३५
५	गाधीजी . १९४०—१९४५	घनश्यामदास विडला	४३
६	मेरे व्यक्तिगत सस्मरण	फेन्नर ब्राकवे	५८
७	शिमला का वार्तालाप	जार्ज बंटलिन	६१
८	महात्मा गाधी के सस्मरण	सी एम्. डोक	६४
९	मो क गाधी के सस्मरण	आलिव सी. डोक	६७
१०	मतभेद होते हुए भी	वाडा डिनोवस्का (उमादेवी)	७१
११	आप शोक न करे	लायोनेल फिल्डेन	७६
१२	देवदूत गाधीजी	वैल्थी होर्नासिगर फिशर	७८
१३	रोगियों के आरोग्यदाता—बापू	एस. के. जार्ज	८६
१४	छोटी बातों में भी बड़े	रिचर्ड बी. ग्रेग	८८
१५	कुछ सस्मरण	एगाथा हैरिसन	९१
१६	मो क. गाधी	कार्ल हीथ	१०२
१७	जब महात्माजी चपारन पधारे	जे. जेड् होज्ज	११०
१८	वह झिलमिल मुस्कान	जे एफ् होरैबिन	११७
१९	अक्टूबर १९३१	जान एस् हाइलैण्ड	१२०
२०	जब प्रभु ने उनकी परीक्षा ली... ..	जयरामदास दौलतराम	१२४
२१	महात्मा गाधी से मेरी भेंट	रूपस एम्. जोन्स	१२८
२२	कुम्हार . कलश की दृष्टि में	वी डी. कालेलकर	१२९
२३	महात्मा गाधी से मेरा सपर्क... ..	एन् सी केलकर	१३८
२४	जैसा कि मैं उन्हें जानता हूँ	पी. कोदड राव	१४७
२५	प्रथम दर्शन	जे. बी. कृपलानी	१५६
२६	महान् प्रयोगी	भारतन् कुमारप्पा	१६३
२७	उनके जीवन की शिक्षाएँ	जे सी कुमारप्पा	१७३

२८	गांधीजी १९२६-३९ ई.	म्युरीएत्र लेस्टर	१८६
२९	आक्सफर्ड में गांधीजी	लार्ड लिडमे आफ वर्कर	१९३
३०	सतति-नियमन सदधी दो सभापण... ..	एन्. आर. मलवानी	१९६
३१	गांधीजी की एक झलक	गुरुदयाल मल्लिक	२०५
३२	गांधीजी में मेरी मुलाकाते	सर रस्तम मसानी	२०७
३३	कुछ व्यक्तिगत सस्मरण	जी. वी. मावलकर	२०१
३४	गांधीजी से भेट	गगनविहारी मेहता	२२९
३५	उनका दैनदिन जीवन	मीराबेन	२३५
३६	गांधीजी मेरी नज़रो में	प्यारेलाल नय्यर	२३७
३७	धूप-छाह	सुशीला नय्यर	२४५
३८	गांधीजी और महिलाए	रामेग्वरी नेहृ	२५५
३९	दाडी-बूच और पश्चात्	एम्. एम्. पबवासा	२६१
४०	गांधीजी के चरणो में	बी. पट्टाभी सीतारामय्या	२६३
४१	दक्षिण अफ्रीका के कुछ सस्मरण	हेन्री एस्. एल्. फोलेव	२७१
४२	जहाज पर गांधीजी के साथ... ..	एडमंड प्रिवंट	२८८
४३	सस्मरण	सर पुरपोत्तमदास ठाकुरदास	२९३
४४	जब से मैं पढ रहा था	टी. एस्. एस्. राजन्	२९७
४५	जब वे चपारन आये	राजेन्द्र प्रसाद	३०२
४६	बापू के पत्र	रेजिनाल्ड रेनाल्डस्	३१७
४७	उनके दक्षिण अफ्रीका के दिन	एल्. डब्ल्यू. रिच	३२९
४८	गांधी-रोलैंड भेट के कुछ सस्मरण... ..	मादेलीन रोलैंड	३३४
४९	जब गांधीजी बंगाल पधारे	नलिनी रजन सरकार	३४१
५०	उनके कतिपय निर्णयोकी पृष्ठभूमि	चन्द्रशंकर शुक्ल	३४८
५१	मत-परिवर्तन करानेवा उनका मार्ग	पी. मुद्गारायन	३६२
५२	गांधीजी और औपधि	जी. आर्. नल्ललकर	३६४
५३	हमारी पहली मुलाकात	तान युनु-यान	३६७

लेखक-परिचय

श्री श्रीमध्वारायण अग्रवाल—(ज. १९१२), आचार्य, गोविंदराम सेवसरिया कालेज आव् कामर्स, वर्धा; गांधीवादी लेखक ।

श्री होरेस अलेक्जेंडर—(ज १८८९), २० से अधिक वर्ष तक वूडब्रुक, वर्मिगहैम, में प्रोफेसर; १९२७-२८, '३०, '४२ और पुनः १९४६ में भारत-यात्रा की; 'द इंडियन फॉर्मेट' 'इंडिया सिन्स न्निप्स' आदि ग्रंथों के लेखक ।

मा. राजकुमारी अमृत कौर—(ज. १८८९) १९३० से अ. भा. महिला-परिषद् की एक प्रमुख कार्यकर्त्री; १९४७ से भारत सरकार की स्वास्थ्य-मन्त्रिणी ।

डा भगवानदास—(ज. १८६९); एम्. ए., डी लिट्., १९२१ से काशी विद्यापीठ के कुलपति; १९३४ से ३९ तक केन्द्रीय धारासभा के कांग्रेसी सदस्य, दर्शनशास्त्र विषयक अनेक अगरेजी ग्रंथोंके लेखक ।

श्री घनश्यामदास बिडला—(ज १८९१); सुप्रसिद्ध उद्योगपति, फेडरेशन आव् इंडियन चेम्बर आव् कामर्स के भूतपूर्व सभापति (१९२९); दूसरी गोलमेज-परिषद् (१९३१) के एक प्रतिनिधि, १९३२ से अ भा. हरिजन सेवक सघ के सभापति, ग्रंथ.—बापू, डायरी के पन्ने, बिखरे विचार ।

श्री फेन्नर ब्राक्वे—(ज. १८८८) पत्रकार; 'न्यू लीडर' (लदन) के भू पू संपादक, १९२१ तक निकलनेवाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश शाखा के 'इंडिया' नामक मुखपत्र के अंतिम सयुक्त संपादक ।

डा. जार्ज कैटलिन—(ज. १८९६), एम्. ए., पी-एच. डी., १९२४ से १९३५ तक कानॉल विश्वविद्यालय में राज्यशास्त्र के अध्यापक, मास्को, स्पेन, दिमित्रोव और न्यूरेम्बर्ग ट्रायल, एव १९४५ की शिमला-परिषद् में वैदेशिक सवाददाता, सप्रति लदन स्कूल आव् इक्नामिक्स एण्ड पोलिटिक्स साइंस में अध्यापक ।

डा. सी एम्. डोक—(ज. १८९१), बी ए., डी लिट्., गांधीजी के सर्वप्रथम अगरेजी चरित्रकार स्व. रेवरेंड जे. जे डोक के सुपुत्र ।

कुमारी आलिब डोक—स्व जे जे डोक की सुपुत्री, उत्तरी रोडेसिया मे गत ३२ वर्षों से मिशनरी कार्यकर्त्री ।

श्रीमती बंडा डिनो-सका (उमादेवी) —पोलैंड की एक सामाजिक कार्यकर्त्री, गीता के पोलिश भाषा के सस्करण की अनुवादिका ।

डा वेल्थी होर्नसिंगर फिशर—(ज १८८०), ए एम्, डी लिट अपने पति स्व विशप फ्रेड्रिक फिशर के साथ कई वर्ष तक भारत मे रही, अमेरिका की उच्च कोटिकी प्रथम पाच व्याख्यात्रियों में से एक ।

श्री एस के जार्ज—(ज १९००), गाधीजी से प्रभावित एक भारतीय ईसाई, १९३२ के सत्याग्रह आंदोलन के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करने के कारण इन्हे कलकत्ता के विशप कालेज के अपने अध्यापक पद से हाथ धोना पडा । ईसा और गाधीजी के अगरेजी भाषा के चरित्र लेखक ।

श्री रिचार्ड वी ग्रेग—गाधीजी के अमरीकी स्नेही और सहयोगी, १९२५ से २७ तक, और पुन १९३० मे भारत मे रहे ।

कुमारी एगाथा हैरिसन—प्रथम विश्वयुद्ध के समय स्वदेश के कल-कारखानो मे सेवाकार्य करती रही, 'रायल कमिशन आन लेबर' के साथ १९२९ मे भारत पधारी, तब से कई बार भारत-यात्रा कर चुकी हैं ।

श्री कार्ल हीथ—(ज १८६९), ससार-प्रसिद्ध शांतिवादी, ग्रय एम् के गाधी, पैसिफिज्म इन टाइम आफ वार, आदि ।

रेवरड डा जे जेड् होज्ज—१९१७ मे चंपारन में गाधीजी से पहले पहल मिले । भारत मे कई वर्षतक काम करने के बाद अबकाश ग्रहण कर स्वदेश लौट गये । ग्रय . सैल्युट टु इंडिया ।

श्री जे एफ होरैबिन—(ज १८८४) पत्रकार और नक्शानविस, १९११ से लंदन के 'न्यूज आनिबल' के संपादकीय विभाग में ।

श्री जान एस् हाइलैंड—सोलह साल तक भारत में रहे नागपुर के हिस्लाप कॉलेज मे व पश्चात् वर्मिगहैम के बुडब्रूक कॉलेज में प्रोफेसर ।

माननीय श्री जयरामदास दौलतराम—(ज १८९२), १९१७ से अ भा कांग्रेस कमेटी के सदस्य, १९३१ से ३४ तक अ भा कांग्रेस कमेटी के महामंत्री, बिहार के गवर्नर १९४७, पश्चात् मई १५० तय भारत सरकार के खाद्य-मंत्री । अब आसामके गवर्नर ।

डा. रूपस एम्. जोन्स, ए. एम्, एल-एल. डी.- (१८६३-१९४८)
हेवफोर्ड कॉलेज (अमे.) में १९०१ से ३४ तक दर्शन-शास्त्र के अध्यापक ।

डा. वी. डी. कालेलकर, बी. ई. (बं.), एम्. एस्-सी. (मैसा.),
पी-एच. डी. (कानॉल)-(ज. १९११), श्री काकासाहब कालेलकर के
कनिष्ठ पुत्र; कानॉल में युनिवर्सिटी फेलोशिप प्राप्त करनेवाले,
एव कानॉल के इजिनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर के पद पर नियुक्त किये
जानेवाले सर्वप्रथम भारतीय ।

श्री एन्. सी. केलकर, बी. ए., एलएल. बी.- (१८७२-१९४७),
लोकमान्य तिलक के सर्वोत्तम शिष्य और सहयोगी; मराठी के ख्यातनाम
साहित्यकार; अंगरेजी में भी कई पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें लोकमान्य का
चरित्र विशेष रूप से प्रसिद्ध है ।

श्री पी. कोदंडराव, एम्. ए.- (ज. १८८९), पूना के भारत
सेवक समाज के सुप्रसिद्ध कार्यकर्ता ।

आचार्य जे. वी. कृपलानी, एम् ए.-१९३४ से ४६ तक काँग्रेस के
महामंत्री; १९४७ में राष्ट्रपति निर्वाचित; ग्रथ: दि गाधियन वे, दि
लेटेस्ट फंड, फेटफुल इअर, आदि ।

डा. भारतन् कुमारप्पा, एम्. ए (मद्रास), बी. डी., (हार्टफोर्ड)
पी-एच् डी. (एडिंबरो और लंदन)-वर्धा स्थित अ. भा. ग्रामोद्योग सघ
के सहायक मंत्री ।

श्री जे सी. कुमारप्पा, बी. एस्-सी. (लंदन), एम्. ए.,
(कोलविया)-अहमदाबाद के गुजरात विद्यापीठ में प्रोफेसर, १९३१ में
काँग्रेस द्वारा नियुक्त ' डेट इन्व्वायरी कमीटी ' के सदस्य और मंत्री;
१९३४ से अ. भा. ग्रामोद्योग सघ के मंत्री । अर्थशास्त्र विषयक कई अंगरेजी
पुस्तकों के लेखक ।

कुमारी म्युरीएल लेस्टर—लंदन के सुप्रसिद्ध किंग्सली हाल की
सस्थापिका, १९३१ की अपनी लंदन-यात्रा के समय गांधीजी यहीं ठहरे
थे । १९२६ के बाद कई बार भारत-यात्रा, और साथ ही विश्व-भ्रमण
कर चुकी हैं । ग्रथ : माइ होस्ट दि हिंदू, एटरटेनिंग गांधी, आदि ।

लार्ड लिडसे आर् वर्कर, एल्-एल् डी-(ज. १८७९), १९२४ से आक्सफर्ड के एक कालेज में अध्यापक, १९३५ से १९३८ तक आक्सफर्ड विश्वविद्यालय के उपकुलपति।

श्री एन्. आर. मलवानी, एम् ए, एल्-एल् बी-(ज. १८९०,) १९२० में असहयोग आंदोलन में सम्मिलित, पश्चान् सात साल तक अहमदाबाद के गुजरात विद्यापीठ में उप आचार्य, अ भा हरिजन सेवक सघ के सात साल तक संयुक्त मंत्री, चार बार जेल हो आये हैं; १९४८ में भारत की ओर में पाकिस्तान में डिप्टी हाई कमिश्नर नियुक्त।

श्री गुरुदयाल मल्लिक-(ज १८९६), शुरू में कराची के सारदा मठिर में अध्यापक रहे। गत कई वर्षों से गुरुदेव के शाति-निवेदन में कार्य कर रहे हैं।

सर सततम मसानी, नाइट, एम् ए.-गुजराती 'गणसप' के १८९७ में संयुक्त संपादक, वर्ड म्यूनिसिपैलिटी के कमिश्नर पद को प्राप्त करनेवाले सर्वप्रथम भारतीय, १९३९ से ४२ तक वर्ड विश्व-विद्यालय के वाइस चैंसलर।

माननीय श्री जी. वी. मावलकर, वी ए, एल्-एल् बी.-सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेकर चार बार जेल हो आये हैं। १९३७ से ४५ तक वर्ड की धारा-मभा के स्पीकर; १९४६-४७ में केन्द्रीय धारा-मभा के स्पीकर, १९४७-४८ से भारतीय पार्लमेंट के स्पीकर।

श्री गगनबिहारी मेहता, एम् ए-(ज. १९००), १९४२-४३ में फेडरेशन आर् इंडियन चेंसर्स आर् कामर्स के अध्यक्ष, सरकार द्वारा समय पर नियुक्त कई कमीटियों के सदस्य, भारत सरकार द्वारा नियुक्त इंडिया टूरिज्म बोर्ड के १९४७ में मनापति।

श्रीमती मीरा बहन (मिग मंडेलिन रेट्टे)-एडमिरल सर एडमंड रेट्टे की सुपुत्री। १९२५ में यूरोप में भारत आकर गांधीजी के आश्रम में रहने लगीं, मनाग्रह आंदोलन में भाग लेकर एव में अधिन बार जेल हो आईं हैं। आन्ध्र प्रदेश के दूषिकेस नामक स्थान पर वसु-मार्ग के जंगु एव विनायक आश्रम का मन्थन कर रही हैं।

श्री ज्यारेलाल नय्यर, बी ए-१९२० में कालेज छोड़कर असह-योग आंदोलन में शामिल, तब से १९४८ तक गांधीजी के सेक्रेटरी; १९४६ और ४८ के बीच अंगरेजी 'हरिजन' एव विभिन्न भाषाओं में निकलने वाले उसके मस्करणों के संपादक ।

डा. सुशीला नय्यर, एम् डी. (दिल्ली)-गांधीजी के साथ उनके चिकित्सक के नाते १९३९ से १९४८ तक काम करती रही ।

श्रीमती रामेश्वरी नेहरू-अ. भा. महिला परिषद् की अध्यक्ष (१९४०), १९३५ से अ. भा. हरिजन सेवक संघ की उपाध्यक्षा ।

माननीय श्री एम्. एम्. पक्वासा, बी ए, एल्-एल्. बी- (ज १८८२), बम्बई में तीस साल तक सालीसिटर । १९३७ से ४७ तक बम्बई की लेजिस्लेटिव कौन्सिल के अध्यक्ष; १९४७ से मध्यप्रदेश और वरार के गवर्नर ।

डा वी पट्टाभी सीतारामय्या, बी ए, एम् बी, एल्-एल्- (ज १८८०), १९०६ से १६ तक डाक्टर करती रहे । १९१६ से अपना सारा समय राजनीतिक कामों में ही लगा रहे हैं । १९४८ में बहुमत से राष्ट्रपति निर्वाचित हुए ।

श्री हेनरी एस् एल् पोलैक-गांधीजी के दक्षिण अफ्रीका स्थित निकटवर्ती सहयोगी; गांधीजी द्वारा स्थापित 'इंडियन ओपीनिअन' नामक पत्र के कई वर्ष तक संपादक, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेकर जेल हो आये, १९१७ से लंदन में सालिसिटर ।

डा. एडमंड प्रिवेंट-स्विट्सर्लैण्ड के एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर । सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास, नाइट-(ज १८७९), रिजर्व बैंक आफ इंडिया के डाइरेक्टर, १९३०-३३ की लंदन की गोलमेज-परिषद् के एक प्रतिनिधि, बम्बई की ईस्ट इंडिया काउन्सिल एसोसिएशन के अध्यक्ष ।

माननीय डा टी. एस् एस्. राजन, एम् आर सी. एस्., एल्. आर. सी पी. (लंदन)-(ज. १८८०), १९१४ से कांग्रेस के कामों में भाग लेने लगे । १९२२ में कांग्रेस के महामंत्री, १९३४-३५ में वेद्रीय धारा-सभा के सदस्य निर्वाचित, १९३७-३९ में, और पुनः १९४७ से मद्रास के मंत्रिमंडल में सम्मिलित ।

डा. राजेन्द्र प्रसाद, एम्. ए, एम् एल्—(ज १८८४), कई वर्षतक अ. भा. काँग्रेस कमिटी और काँग्रेस की कार्यकारिणी के सदस्य, तीन बार राष्ट्रपति निर्वाचित, १९४७ में केन्द्रीय मन्त्रिमंडल में सम्मिलित, १९४६ से १९५० तक भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष; १९५० में भारतीय प्रजातंत्र के सर्वप्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित। ग्रंथ : आत्मचरित्र, द्विखंड भारत आदि।

श्री रेजिनाल्ड रेनाल्डस्—(१९०५) इंग्लैण्ड के एक सामाजिक कार्यकर्ता; १९२९-३० में भारत पधारे। फरवरी १९३० में आप ही लार्ड ईविन के पास गांधीजी का पत्र ले गये थे।

मादेलीन रोला—स्वर्गीय रोमा रोला की बहन।

मा० नलिनी रजन सरकार—१९३४-३५ में बलकते के मेयर, १९३७-४१ में, और पुन १९४७ से बंगाल के एक मंत्री, १९४१-४३ में वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य।

श्री चंद्रशंकर शुक्ल—(ज १९०१), १९२० में कालेज छोड़कर असहयोग आंदोलन में सम्मिलित, पश्चात् अहमदाबाद के गुजरात विद्यापीठ में अध्यापन; १९२१-२३ में 'यंग इंडिया' और 'नवजीवन' के संपादकीय विभाग में, १९२४-२७ में सावरमती आश्रम में और १९२८-३० में गुजरात विद्यापीठ में अध्यापन, १९३३-३४ में गांधीजी के सेक्रेटरी, १९३५ से ४० तक 'हरिजन' के सहायक, १९४३ में भारतीय विद्यामवन के पीठस्यविर; १९४८ में गुजराती दैनिक हिंदुस्तान (बर्दई) के संपादक, प्रस्तुत एक इसी प्रकार की अन्य कई पुस्तकों के संपादक।

डा. पी. सुब्रह्मण्यन, एम्. ए (आयजन), वी गी एल (आ०), एल्-एल्. डी. (इंजिन) एल्-एल्. वी (लदन)—१९२६-३० में मद्रास के प्रथम मंत्री, १९३७-३८ और १९४७-४८ में मद्रास के एक मंत्री; १९५० में इटोनेगिया में भारतीय राजदूत नियुक्त।

डा जी जार तन्वळकर, एम्. एम्. एण्ड एस् (ब), टी. डी. डी (वेतन)—बर्दई के एक गजाननाम डाक्टर।

श्री गान गुन गान—(ज १९००), गुर्देप टागोर में निमंत्रण पर १९२८ में ३१ तक भारत में रहकर आत्म विद्वान्मार्ता का चीन-हिंद विभाग संपादन किया। १९४७ से भारत में ही निवास।

गांधीजी के कुछ संस्मरण

श्रीमन्नारायण अग्रवाल

१

अप्रैल १९३६ में पहली बार गांधीजी से भगनवाडी (वर्धा) में मिलने पर तब मैंने तीव्र भ्रम-निरसन अनुभव किया। अवश्य ही निराशा के वशीभूत होने के कारण नहीं, अपितु जो कल्याण गांधीजी के बारे में मैंने कर रक्खी थी उससे वे बिल्कुल भिन्न नजर आने से मुझे ऐसा लगा। दूसरे बहुत से लोगो की भांति मेरी भी यही धारणा बन गयी थी कि महात्मा तो पूर्णतया अतर्मुख और अचल गभीर मनोवृत्ति के व्यक्ति होंगे। किन्तु कितने अचम्भे की बात है कि उनके इस प्रथम परिचय के कुछ ही क्षणों में मुझे वे ऐसे विशुद्ध मानव दिखाई दिये कि जिसके भीतर से प्रेरक प्रतिभा और मन प्रसन्न करने-वाली विनोदप्रियता की धारा अविरल रूप से बह रही थी।

“मेरे लिए यहाँ क्या काम करना तुम पसंद करोगे ?” गांधीजी ने पूछा।

“मैं तो आपकी सेवा में हाजिर हूँ, बापूजी। कृपया आप ही फरमाइये।”

‘यह तो मैं जानता हूँ कि तुम हाल ही में विलायत से लौटे हो, और खासा साहित्यिक कार्य कर सकते हो। लेकिन वह तो मैं तुम्हें सौपूंगा नहीं। क्या तुम चरखे का शास्त्र जानते हो ? देखो, मेरा यह चरखा नादुरुस्त होकर पड़ा है। क्या इसे तुम ठीक कर सकोगे ?’

“चरखे के बारे में मैं बिल्कुल ही कोरा हूँ। अतः मुझे पहले उसका शास्त्र जान लेना होगा।”

“तब क्या तुम्हारा सारा पढ़ना-लिखना बेकार ही साबित नहीं होता ? अपनी एक कहावत के अनुसार तुमने तो पढ़-लिख कर खाक ही छानी ऐसा कहना पड़ेगा।” अट्टहास के साथ गांधीजी ने टिप्पणी की।

“बिल्कुल कबूल, बापूजी !” मुस्कराते हुए मैंने कहा।

“अच्छा, तब यथार्थ में वही खाक छानने का काम मैं तुमको दूंगा। यहाँ खाई खोद कर बनाये गये शौचकूपों के लिए साफ़ मिट्टी छानने के काम में ज़रा श्री एम. एस्. की मदद करो ना ?”

“बड़ी खुशी के साथ यह काम कर सकता हूँ।” मैंने झट जवाब दिया; और कहा, “बागवानी के काम का खूब अनुभव होने से यह काम मुझे नया न मालूम पड़ेगा।”

“ठीक है !” हसकर गांधीजी बोले। और इसके बाद कुछ महीनों तक हर इतवार को यह काम मैं करता रहा।

२

बहुत करके सन् ३७ के मार्च महीने की ही बात होगी। स्व० जमनालाल जी बजाज के सभापतित्व में आयोजित अ. भा. हिन्दी साहित्य-सम्मेलन के अधिवेशन के लिए गांधीजी मद्रास जा रहे थे। गांधीजी की रेल-यात्रा में उनके आकर्षण से स्टेशन-स्टेशन पर लोग हज़ारों की तादाद में जमा तो होते ही हैं। उन दिनों प्रान्तों में कांग्रेस पद-ग्रहण करेगी या नहीं इस बात से देशभर के लोगों का दिमाग़ परेशान था। ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस, जिससे कि गांधीजी सफर कर रहे थे, मुंबई के चक्कर बेजवाडा पहुँचा। स्टेशन पर महात्माजी के दर्शन के लिए बड़ी भीड़ उमड़ पड़ी थी। किसी तरह इस अपार भीड़ को चीरता हुआ, पसीने से तर-बतर, एक पत्र-प्रतिनिधी गांधीजी के पास पहुँच कर सहसा उनसे पूछ बैठा, “बापूजी, क्या कांग्रेस मंत्रीपद ग्रहण करेगी ?”

यह तो स्पष्ट ही है कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न का जो भी जवाब गांधीजी देते उसको काफी प्रसिद्धि मिल जाती। इतना ही नहीं बल्कि इस विषयक उनके मौन का भी अस्तर-वाले अर्थपूर्ण उपयोग किये बिना न रहते। किन्तु उनसे अपना विण्ट छुड़ाने की कला में गांधी जी अत्यन्त निपुण जो हैं !

“क्यों, क्या आप मंत्री बनना चाहते हैं ?” मुस्कराते हुए अभिजात विनोदवर्ति से गांधी जी ने पूछा ।

इस पर सारी भीड़ खिलखिला पड़ी और बेचारे पत्र-प्रतिनिधि को अपनासा मुह लेकर तेजी से रास्ता नापने के मिबाय कोई चारा ही नहीं रहा ।

३

गत वर्ष वर्धा की मेरी कुटिया में दो बार ठहरने की गांधी जी ने कृपा की । सन् १९४४ के दिसम्बर में जब पहली बार वे पधारे तब रात के वक्त तीन तकिये इस्तेमाल करते थे । सन् '४५ के फरवरी में उनके दुबारा पधारने पर मैंने देखा कि तकिये का प्रयोग उन्होंने कतई तज दिया है ।

“बापूजी, आजकल आप तकिये क्यों इस्तेमाल नहीं करते ?” कुछ दुविधा से मैंने जिज्ञासा की ।

“मैंने कही पढा है कि श्वासन से गाढ नीद आती है । सो उसका प्रयोग मैं कर रहा हू ।” गांधी जी ने जवाब दिया ।

“बापू जी, आपकी पूरी जिन्दगी प्रयोगों से भरी पडी है । अब इस ढलती उम्र में आपको दूसरों पर प्रयोग करने चाहिए । क्योंकि ऐसे प्रयोगों के लिए आपका ताजुक और कीमती स्वास्थ्य बहुत महंगा पड़ेगा ।”

“नहीं जी ! मेरी जिन्दगी ही खुद एक प्रयोग है । और मेरे ये प्रयोग केवल मेरी मौत के साथ ही बन्द हो जायेंगे ।” सस्मित गांधी जी ने कहा ।

४

गत वर्ष जब गांधी जी बंगाल के दौरे पर रवाना होने वाले थे, तब उनके और उनके साथ के लोगों के लिए तीसरे दर्जे के दो डिब्बे रिजर्व कराये गये । उन्होंने देखा कि दो डिब्बों की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ एक ही डिब्बे में अपनी पाटी का आसानी से गुजरे हो सकता है । अतः उन्होंने कन्सु गांधी को बुलाकर दो में से एक डिब्बा खाली कर देने के लिए कहा ।

“लेकिन दोनों ही अपने लिए रिजर्व किया गया है, बापू जी । रेल-अधिकारियों को इनका किराया भी चुकता किया गया है ।”

“फिर भी कुछ दर्ज नहीं ! हम लोगो को, जो लामो श्रुधा पीडित गरीबों की सेवा के लिए बगाल जा रहे हैं, आगमदेह सफर करना शोभा नहीं देता ।

अलावा इसके ब्या तुम्हें तीसरे दर्जे के और और डिब्बो के भीतर की दम घोटनेवाली भीड़ दिखाई नहीं देती ? ऐसी स्थिति में हमें निहायत जरूरत से ज्यादा जगह घेरनी न चाहिए । इन दिनों में तीसरे दर्जे में इतनी अधिक जगह रिजर्व करा कर सफर करना कूर मजाक माना जायगा । ” प्रत्युत्तर में गांधी जी बोले ।

अब अधिक बहस की गुजाइश ही नहीं थी । सारी पार्टी ने दो में से एक डिब्बा दूसरे मुसाफिरी के लिए खाली कर दिया ।

और तभी गांधी जी सुख की नीद सो गये ।

वर्धा,

१-६-१९४६.

महात्मा गांधी और मूक-प्रार्थना

होरेस जी. अल्लेक्जेण्डर

सन् १९३१ के शरत्काल में, जब लन्दन में दूसरी गोलमेज-परिषद् हो रही थी तब, वहाँ की सोसाइटी आफ फ्रेंड्स ने व्यक्तिगत रूप से परिचित परिषद् के बर्ड सदस्या को फ्रेंड्स-हाउस में हर सप्ताह नियमपूर्वक होनेवाली आराधना और मूक प्रार्थना-सभाओं में से एक में भाग लेने के लिए निमन्त्रण दिया था । आशा यह की जाती थी कि मूक सत्संग के ये क्षण शान्ति और एकता का प्रादुर्भाव करने के साथ ही, सम्भवतः उन प्रतिनिधियों व अन्य लोगों को, जो परिषद् की सफलता के लिए सचेष्ट थे, परिषद् से संबंधित सवालों की ओर बहस-महावम के बीच पैदा होनेवाली पक्षपाती भावना की अपेक्षा स्थायी मूर्त्यों के प्रकाश में देखने की दृष्टि भी प्रदान कर सकेंगे ।

इस प्रकार की चिंतवृत्त शुरु की एक प्रार्थना-सभा में गांधी जी, लार्ड सेन्टी और डा. एम के दत्त जैसे परिषद् के कुछ अन्य सदस्य उपस्थित थे । एक दूसरे मौके पर श्री श्रीनिवास शास्त्री, और एक बार मौलाना शीवान अली भी कपारे थे ऐसा मेरा ख्याल है । इस आयोजन में गांधीजी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने पुनः आने की इच्छा प्रकट की । लेकिन महीनाभर से भी अधिक समय तक अनगिनत मुलाकातों के भार से दबे रहने के कारण वे ऐसा कर न सके । परिषद् के अन्तिम सप्ताह में होने वाली प्रार्थना-सभा में उपस्थित रहने का

उन्होंने निश्चय कर रक्खा था, किन्तु उन्हें जोर का जुकाम हो गया, जिससे हम लोगो ने ही उस दिन घर पर रहकर अपने जुकाम का इलाज करने के लिए उनकी अनुनय विनय की।

उपरात परिपद् कुछ दिनों के लिए बढ़ा दी गई, जिससे और एक मौका हाथ लगा। लेकिन इस वार की प्रार्थना-सभा के दिन ही उनका जुकाम बढ़ गया और उन्हें खासी भी काफी आने लगी। दरअसल मे वह मामूली तौर पर होनेवाली सर्दी नहीं थी, जिससे कि सर-दर्द करता है। वह तो परिपद् के कार्य की प्रगति के साथ साथ जिस असह्य एकान्त की ओर वे ढकेले जा रहे थे उससे उनपर पडनेवाले भारी तनाव का नतीजाभर था। एक दिन वे खुद होकर मुझे बोले, “कडुए घटो का यह प्याला मुझे तलछट सहित खाली करना पड रहा है।” इन सभी बातों से उनके स्वास्थ्य को आघात पहुंचा था। उनका मनोवैय और मन शान्ति विलक्षण थी, लेकिन उनका शारीरिक स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। जुकाम से वे बुरी तरह परेशान हैं यह देखकर हमने उनसे अनुरोध किया कि प्रार्थना में न आवे। किन्तु वे बोले, “ना, मैं चल रहा हू। आना तो मुझे पिछले सप्ताह ही चाहिए था। अब और एक मौका मुझे दिया जा रहा है। इसे खोना न चाहिए।” हम जान गये कि वे निश्चय कर चक है और अब उससे फिर नहीं सकते।

उस दिन की प्रार्थना-सभा दिसंबर के प्रथम सप्ताह में होने के कारण, जब कि इंग्लैण्ड के विभिन्न भागों के क्वेकर्स अपनी कमेटियों की बैठकों के लिए लन्दन में इकट्ठा हुआ करते हैं, क्वेकर्स और दूसरे लोग बड़ी सख्या में उसमें उपस्थित थे। शान्त प्रार्थना में हम एकाग्र चित्त हो ही रहे थे कि इतने में गाथी जी को खासी का जबरदस्त दौर आया। उनकी हालत का म्याल कर मुझे, और निस्सन्देह अन्य उपस्थित लोगो को भी, बड़ी बेचैनी हुई। लेकिन मैंने महसूस किया कि ऐसे समय कुछ भी कर सकने में हम असमथ हैं, बल्कि हमारे लिए यही बेहतर होगा कि हम उस सर्वशक्तिमान की शरण में जाय जिसकी अभ्यर्थना के लिए एकत्रित हुए थे। इस दिचार के साथ अपनी मनो-कामना प्रभु में समर्पित करते ही मेरे मस्तिष्क में तीव्र शूल उठा, जो कुछ देर तक रह कर उतर गया। तब मैंने पुन मन स्वास्थ्य और आत्म विश्वास प्राप्त किया और शेष आध घंटा गभीर नीरव वातावरण की प्रार्थना में बीता।

प्रार्थना समाप्त होने पर मुझे ऐसा लगा कि 'मित्र गध' के कुछ सदस्य, जो पहले कभी गाधी जी से मिल न पाये हैं या उन्हें देखभर भी न सके हैं, उनसे अपनी मुलाकात हो जाने की उम्मीद करते हाग। वे सब आदरपूर्वक उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। 'क्या अब हम चले ?' ऐसा या कुछ इसी तरह की बात गाधी जी ने धीरे से पूछी। 'हां, अगर थोड़ा रुककर इनमें से किसी के साथ आपको बात करनी न हो तो फिर चल,' मैंने जवाब दिया। "तब तो चढ़े ही," वे बोले, और तुरंत मोटर में बैठकर हम नाइट्स निज स्थित उनके दफ्तर को टाँट आये। ज्योंही हम वहाँ पहुँचे डा० दत्त मेरे पास आकर बोले, "गाधी जी को दूरी तरह से सदा हुई है, और उसमें जरा भी सुधार नहा दीखता। मेरे विचार से वे किसी डाक्टर की मार्फत आपन स्वास्थ्य की जांच करावे, या कम से कम खुद ही कोई उचित उपचार कर अपने काम का बोझ अवश्य हलवा कर दें।" मैंने कहा, "आपकी बात से मैं पूरी तौर से महमत हूँ, किंतु चर्चा आप डाक्टर हँ मल्लिण आप ही उनको मनावे।" अतः हम दोनों दोतल्ले पर के उनके दफ्तर में जा पहुँचे, जहाँ डाक्टर महोदय ने बड़ी गभीरतापूर्वक उनकी खासी के बारे में चर्चा छेडी। फौरन गाधी जी ने अपनी प्रसन्न किन्तु उपहासात्मक हसीम, जिसमें कि उनके मित्र चिर-परिचित हैं और जिसके द्वारा वे अपने सामने प्रायः छेडी जानेवाली गभीर किन्तु अनावश्यक बातों को उड़ा देने हैं, डाक्टर महोदय को भी टोका। "क्या ?" वे चारे डा० दत्त की दिलगी उडते हुए उन्होंने पूछा, "मुझपर अपनी डाक्टरगी का आप प्रयोग करना चाहते हैं ? बिल्कुल बकार !" और फिर बोले, "मेरी खासी फ्रैण्ग्-हाउस की प्रार्थना-सभा में ही गायब हो गई।" दरअसल मे बात भी ऐसी ही थी। उसकी कारण-मीमांग कुछ भी कथो न हो, इतना तो सही ही है कि प्रार्थना-सभा में, वे स्वस्थ होकर लौटे थे। मैंने हेतुपुर मर ही सभी-स्थान की सारी बातों का विस्तार में बणन बिण है, कम से कम उभत घटना के लगभग पन्द्रह वर्ष बाद उन मरधी अपने अनुभवों का मुझे जहाँ तब स्मरण है, मैंने निवेदन कर दिया है। उक्त सभा में मेरा भी कोई महत्पूर्ण भाग नहा यह जताने का तो हममें कोई उद्देश्य है ही नहीं, यद्यपि मेरी यह भावना है कि यदि उनकी खासी से मैं अधिक अवश्य हो जाता तो उसमें गन्धनिवारण शक्ति के कार्यों में अवश्य बाधा पहुँचती। निम्नान्द्रेह अपने आध्यात्मिक बल के कारण ही ध्या और ध्याधि में व मुक्त हुए थे, किन्तु इसमें भी उनमें निवटरण मह-उपागकों की

सम्मिलित प्रार्थना का कुछ हाथ तो रहा ही होगा। शरीर और मन की व्यथाओं का शमन करने की आत्मैक्य में कितनी शक्ति भरी रहती है इस विषय में हम अल्पज्ञ हैं। फिर भी कदाचित् बाह्य उपायनाओं की अपेक्षा उनका आंतरिक प्रभाव ही बलवत्तर हो।

इस घटना का एक उत्तर भाग है। सन १९३१ के अन्त में हिंदुस्तान लौटने के कुछ ही दिन बाद गांधी जी और उनके साथी गिरफ्तार कर लिये गये। सन् '३२ के ग्रीष्म में यरवदा जेल से मेरे नाम उनका एक पत्र आया, जिसका आशय (वह ज्यों का त्यों उद्धृत करने के लिए इस समय मेरे पास नहीं है) कुछ ऐसा ही है — “कुछ दिन पूर्व सावरमती से मेरे नाम जो पत्र आये हैं उनसे ऐसा झलकता है कि आश्रमवासियों के सामने कुछ कठिनाइयाँ पैदा हुई हैं, और इसमें वे मुझसे मार्गदर्शन की अपेक्षा रखते हैं। लन्दन की अपनी मक-प्रार्थनाओं का स्मरण कर मैंने उन्हें सुझाया है कि वे प्रतिदिन की प्रार्थना के बाद चन्द्र मिनट मौन धारण करें। उन्होंने इसका अवलंब किया है, और आश्रम के जीवन पर इसका अच्छा ही प्रभाव पड़ रहा है ऐसा उनका अनुभव है।”

शिक्षक गांधीजी राजकुमारी अमृत कौर

स्वर्गीय गोखले जी मेरे पिता जी के प्रतिष्ठित मित्रों में से एक थे और अक्सर हमारे घर ठहरा करते थे। मैं कह सकती हूँ कि भारत को विदेशी शासन से मुक्त देखने की तीव्र लालसा उस छोटी उम्र में मेरे भीतर उनके ही सम्पर्क से मुलग उठी। एक बार मुझ से वे बोले, “आशा है कि शीघ्रही एक दिन एक ऐसे व्यक्ति के तुम्हें दर्शन होंगे कि जिसके भाग्य में भारत की बहुत बड़ी सेवाये करना बदा है।” इसी विचार के साथ गांधी जी से परिचय प्राप्त करने का जो सब से पहला मौका मिला उससे मैंने लाभ उठाया। सन् १९१५ में लार्ड सिन्हा के सभापतित्व में आयोजित बंबई-कांग्रेस के समय की यह बात है। कांग्रेस के अधिवेशन में उपस्थित रहने का यह पहला ही सुअवसर मुझे मिल रहा था। हिन्दुस्तान के उस समय के राजनीतिक जीवन में गांधी जी की हस्ती नहीं के बराबर थी। अदमान से अभी अभी लौटे हुए लोकमान्य तिलक के लिए ही तब स्वागत के नारे बुलन्द होते थे। दक्षिण अफ्रीका के प्रवासी भारतीयों के बारे में गांधी जी ने चन्द बातें कही। उस जमाने में लाउड-स्पीक्स-न होने से उनका भाषण मंच पर बैठे हुए या श्रोताओं की अगली कतारों में उपस्थित लोगों के सिवाय किसी को भी साफ सुनाई न पडा। परन्तु उनमें जो त्रि शब्द सामर्थ्य, जो लगन और गहरी विनयशीलता थी वह मेरे युवा हृदय को दरबस लू गई। मैं समझती हूँ कि तभी से उनके ध्यनितत्व एवं जीवन विषयक उनके सिद्धान्तों के प्रति मेरी निष्ठा बनी रही, हालांकि प्रतिकूल परिस्थिति के कारण एक लंबे अरसे तक मैं उनके साथ अपना सीधा मर्क स्थापित कर न सकी।

जलियावाला-हत्याकांड के बाद वे जलन्धर पधारे। उस समय तक तो वे जनता के आराध्य-देवता बन चुके थे। चुनावों लोगों की बेबाबू भीड़ दर्शनार्थ उन पर टूट पडी। इससे शाम के ६ बजे उन्हें तेज दुखार चढ आया और भीडम दुरी तरह बूचले गये उनके पैर में भी दर्द होने लगा। मेरे डाक्टर-भाई ने, जो वहा के सिविल सर्जन थे, उनसे अनुनय किया कि चौबीस घंटे के लिए वे अपना सफर रोक दें। “लेकिन उन बहूतसारे लोगों को, जो जगह जगह मेरी राह जोहने हाने, मैं कैसे निराश कर सकता हूँ ?” अबिलब उत्तर मिला। और पुन

बोले, "आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सुबह के १० बजे तक, जो कि मेरी ट्रेन के छूटने का वक़्त है, मैं ज्वर-मुक्त हो जाऊँगा।" मैंने गर्म जल से भरी एक बोतल उनके लिए भेज दी और उनसे प्रार्थना की कि सफर में उसे साथ रखे। दूसरे दिन सुबह उक्त बोतल मुझे लौटा दी गई, जिसके साथ महादेव भाई के हाथ का लिखा हुआ धन्यवाद का यह पुर्जा था — "आपको जानकर खुशी होगी कि जलन्धर छोड़ने के पूर्व ही उनका बुखार रफूचककर हो गया, जिससे वाद में बोतल की कोई गरज ही नहीं रही।"

उसी साल दुबारा जलन्धर पधारने पर मेरी बीमारी की खबर पाकर वे मुझसे मिलने आये। बोले, "अपनी यह वेशकीमती विलायती पोशाक उसकी होली जलाने के लिए मुझे दे डालो और तुम खादीधारी बनो।" अपने पास बहुत ज्यादा विलायती वस्त्र होने की बात से जोरदार इन्कार करते हुए मैंने कहा, कि अब तो मैं सिर्फ 'स्वदेशी' ही खरीदती हूँ। "वह भी तो वेशकीमती ही है।" उनका उत्तर रहा। दलील करते हुए मैंने कहा कि होली का यह तरीका सरासर ग़लत है। प्रत्युत्तर में उन्होंने पूछा, "क्या ये सारी की सारी चीज़ें हमारी दासता की श्रृंखलास्वरूप होने पर भी जलायी न जाय? खैर, अगर तुम इन्हें जलाना चाहती ही नहीं तो कम से कम मुझे दे डालो, ताकि अफ़्रीका-निवासी गरीब भारतीयों के पास ये भेज दूँ। और अब से तुम कातने व खादी पहनने लगे।"

खेद ! उनके इतना कह देने के बावजूद भी उस समय मेरे कानों पर जू न रेगी। खादीधारी बनने की कोशिश तो मैंने की, किन्तु मेरी दुराराव्य रचि को वह बहुत ही घटिया मालूम हुई। उन दिनों आजकल की तरह आन्ध्र और बिहार की महीन खादी मिलती न थी। फिर भी गांधी जी के प्रभावशाली शब्दों के कारण मैं कातना सीख गई, और अपना काता हुआ सूत असहाय वच्चे या स्त्री के कपड़े के लिए बुनवा लेने लगी। शाड़न, तौलिये या इसी तरह की रोजमर्रा की घरेलू ज़रूरतों के लिए खादी खरीदना मैंने शुरू किया। आगे चलकर गांधी जी मुझे बोले, "बई लोगो ने पायदाज के तौर पर खादी का उपयोग किया है, लेकिन वे यह महसूस नहीं करते कि उनके इस प्रचार के व्यवहार के कारण खादी के प्रति, और साथ ही साथ जिन बातों की वह निशानी है उनके प्रति भी, कितना अन्याय

हुआ है ।” खादी में किन बातों का अभिप्राय है इसका जब कालान्तर में मुझे ज्ञान हुआ, तब वही गांधी जी के इस ग्रन्थ का भावार्थ, कि खादी के अलावा बाकी किसी भी किस्म का कपड़ा हमें गुलाम बनाये रखने में अघत कारणभूत होता है, मेरी समझ में आया । वर्षों बाद जब मैं मगनवाडी में उनके साथ रहने आई तब उन्होंने ऐसा देखा, या शायद अनुभव किया, कि अपने निरापद जीवन में जिन सुख सुविधाओं की मैं आदी हो गई हूँ उनमें से कुछेकसे छुटकारा पाना मेरे लिए सहज नहीं है । उस समय मेरी वास्तविकितनी समझदारी से काम लिया उन्होंने । शुरू शुरू में वे जमीन पर मुझे सोने न देते थे । अपने ही वर्तन वगैरह भी मुझे माजने न दिये जाते थे । हालांकि मैं सब कुछ करने की इच्छुक थी, और उनसे, इसकी इजाजत पाने के लिए, दलील भी किया करती थी । लेकिन गांधी जी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की जैसी स्पृहणीय क्षमता रखते हैं, उससे बड़ी अधिक क्षमता उनमें उन्होंने लोगों को अपने सहयोगी बनाकर रखने की भी तो है । नाजुक मौकों पर नरमाई से काम लेने की खुद की इस प्रवृत्ति के कारण ही वे छोटे-बड़े सभी के मन में अपने प्रति एकसी निष्ठा निर्माण कर सके हैं ।

यह तो एक विरकूल स्वाभाविक सी बात हो गई है कि ससार के हर कोने में हरेक किस्म की घटनाय गांधी जी तक पहुँच ही जाती है । किसी साधु-हृदय पुरुषके पास अन्धे, लूले, लगडे आदि सबकोई आश्रयार्थ आते थे ऐसी जो एक पुरानी कथा है वह गांधी जी पर ठीक ठीक चरितार्थ होती है । क्योंकि जिस प्रकार मैंने उन्हें अपनी कोमल हथेली से ज्वर-पीडित मस्तकों को सहलाते, कोढियों के कष्टप्रद घावों को आनन्दपूर्वक धोते और दूसरे मरीजों की सेवा-शुश्रूषा करने देखा व अनुभव किया है, ठीक उसी प्रकार अपने प्यारभरे एक महानुभूतिपूर्ण शब्दों द्वारा दुखी दिलों को सात्वना पट्टाते हुए भी देग लिया है । किन्तु उनके निवृत्त सपनों में रहनेवाले लोग यह भी भली भाँति जानते हैं कि काम लेने में वे सब में बढकर बढोर हैं । हम में में ऐसा कौन है जो उनकी न्यायनिष्ठता ताडना से बचा हो ? इस प्रकार के प्रसंगों पर आगू उन्हें विचलित नहीं कर सकते । एक बार वे मुझमें बोले, “जो पढताया दरअसल में पुष्ट होना चाहिए उसके परिचायक में आगू हो नहीं सकते । वे तो तुम्हारे आनर्गि अहंकार और प्रीय के प्रतीक मात्र हैं । अपरिमित धनधनता, जो कि अहिंसा के सर्वप्रथम सिद्धान्त मर्म है, तुम जानती ही नहीं ।”

दैनन्दिन जीवन की साधारण घटनाओं के द्वारा ही गांधी जी वड़े वड़े सबक सिखा देते हैं। मेरा थरमस टूट गया था। हम लोग दिल्ली में वर्धा जा रहे थे, और गांधी जी ने मुझे कह रक्खा था कि वे शाम का भोजन ट्रेन में ही करना चाहते हैं। उनके लिए मुझे गर्म दूध और गर्म जल भी साथ ले चलना था। किन्तु अपने पास बचे हुए एक ही थरमस में ये दोनों काम निकालना कठिन था। मेरी यह कठिनाई देखकर श्री घनश्यामदास जी विड़ला ने अपना विल्कूल नया थरमस, जिसे वे एक ही दिन पहले खरीद लाये थे, मुझे दे डाला। मैंने भी वह सहर्ष स्वीकार किया। जब ट्रेन में इस थरमस में मैंने दूध उड़ोला तब गांधी जी ने अपनी पैनी नजर से झट भाप लिया कि यह तो कोई नई चीज है। “क्या यह तुम खरीद लाई ?” वे पूछ बैठे। मैंने सारा किस्सा यह सुनाया। जिस तन्परता के साथ उक्त भेट मैंने स्वीकार की उसको सुन कर मेरे प्रति उन्हें तीव्र निराशा हुई। बोले,—“क्या तुम इतनी अकिंचन हो कि अपने लिए तुम्हें दूसरों का पैसा खर्च कराना पड़े ? यह तो कोई बात ही नहीं हुई कि जिस बन्धु ने तुम्हें यह चीज दी वह ऐसा करने में समर्थ है। तुम्हें जरा ज्यादा सभ्रकारी से काम लेना चाहिए था। ईश्वर-कृपा से जिन्हें घन मिला है वे उसे पवित्र धरोहर माने, और उसमें की एक कीड़ी भी बिना ज़रूरत किसी के लिए, या किसी गैरजरूरी चीज़-वस्तु पर खर्च न करे।”

महादेव भाई से, जो अगले स्टेशन से दिल्ली लौट जाने वाले थे, उक्त थरमस वापस करने के लिए कह दिया गया। बाद में वह महादेव भाई की ही वस्तु हो गई। कितनी ही बार उनके दर्शन होने पर पन्द्रह मिनट का वह बोधप्रद पाठ मुझे स्मरण हो आया है।

“जो कार्य सुद मुझे पसंद है और जो दूसरों के लिए भी आनन्दप्रद है, उनमें मुझे विमुख करने की कभी चेष्टा न करना।” मेवाग्राम के शुभ के दिनों में एक दर्जन में भी अधिक आश्रमवासियों की रमोर्ट बनाने में उनके द्वारा दी जानेवाली सहायता मुझे अन्वरण पर उक्त शब्द उन्होंने कहे थे। अब पहले की तरह रमोर्ट बनाने, उसे परोमाने, या कम में कम आश्रमवासियों के साथ सहभोजन करने में भी स्वयं भाग न ले सपने की बात में वे दुःखी हैं। कहते हैं, “अपनी मर्यादाओं का भी तो मुझे ध्यान रखना चाहिये !”

“पागल आश्रमवासियों की व्यक्तिगत बातों के पीछे आप अपना इतना वक्त क्यों बर्बाद करते हैं ?” बारम्बार दुहराये जानेवाले इस प्रश्न का अबिलंब उत्तर मिलता है, “मेरा आश्रम एक पागलखाना है और इन पागलों का मैं सिरताज हूँ यह तो मुझे भी मालूम है। लेकिन जो लोग इन पागलों के भीतर की अच्छाई देख नहीं पाते वे निर्ये अन्धे हैं।” मनुष्यमात्र के प्रति गांधी जी के इस प्रकार के व्यवहार को देखकर मुझे नाशारेष के उस महान् सन्त का पुनः पुनः स्मरण हो आता है, जो दूसरों की सेवा करने, न कि दूसरों से सेवाये लेने के लिए, अवतरित हुआ था। वह कहता था, “चिकित्सक की आवश्यकता तो रोगी को होती है, न कि निरोगी को।”

“आत्मीयों के प्रति आप बड़े ही निठुर हैं। क्योंकि जब हिन्दू विरुद्ध-मुसलमान का प्रश्न उपस्थित होता है तब आप सदैव ही मुसलमानों की तरफ़दारी करते हैं, यदि यही हरिजनो का सवाल हो तो आप हरिजनो की ओर हो जाते हैं, और स्त्रियों के तो आप सदैव ही पक्षपाती रहेंगे।” एक जाने माने सहयोगी द्वारा परिहास के तौर पर की गई, किन्तु साथ ही सच्चाई से पूर्ण इस फ़त्ती पर गांधी जी क्या ही खिलखिला कर हस पड़े हैं।

बच्चों के प्रति गांधी जी को एक अजीब आकर्षण है। उनके बीच वे भी बालक बन जाते हैं। “छोटा बान्हा कहानिया बहने के लिए मेरे पीछे ढककर इस क्लास में मुझे निपुण बताता जा रहा है। बच्चों को हर तरह की शिक्षा देने का यह एक अद्भुत तरीका है। खुद के बच्चों को भी जो कुछ शिक्षा-दीक्षा मैं दे सका हूँ वह सब फिनिक्स से दर्बान तक के अपने पर्यटनों के दरमियाँ ही। इसके लिए और कोई बक्त मुझे मिलता ही न था। मैंने उन्हें स्कूल नहीं भेजा, और गायद वे मेरे खिलाफ़ यह शिकायत कर सकते हैं कि इगतहान पास करने एवं तथाकथित उच्च शिक्षा से विभूषित होने का मौका मैंने उन्हें नहीं दिया। फिर भी मेरी तो यही धारणा है कि मैंने उन्हें स्कूल या कालिजी में मिलने वाली शिक्षा से कहीं अधिक शिक्षा दी है।” इसी कारण गांधी जी बुनियादी तालीम की अपनी योजना में शिक्षकों की योग्यता पर अधिक जोर देते हैं। वे कहते हैं, “यदि शिक्षक ज्ञान का भंडार हो, और जैसा कि उसे होना ही चाहिए, तो पाठ्य-पुस्तकों की वस्तुतः कोई आवश्यकता ही नहीं रहती।”

आम तौर से यह कहा जाता है कि पुरपो की अपेक्षा स्त्रिया अधिक वातूनी होती हैं। सो सही-गलत जो भी हो, वे गपशप बहुत करती हैं इसमें तो कोई सदेह ही नहीं। हम में इसकी अति होते देखकर एक दिन वे मुझे बोले, 'मौन स्वर्णतुल्य हैं' इस आशय की अंग्रेजी की एक कहावत तुम जरूर जानती होगी। क्या इस सत्य के तह तक तुम कभी पहुँची हो? यदि हा, तो मुझे घेरे रहने वाली इन युवतियों के सामने इसकी मिसाल पेश करने की कोशिश तुम्हें करनी चाहिए। दीर्घ काल से मैंने यह जान रखा है कि मनुष्य को आवश्यकता से अधिक एक शब्द भी नहीं बोलना चाहिए। मेरे हास परिहास (और इसका उनके पास अशेष भंडार है) के पीछे भी कोई न कोई सवक सिखाने का ही उद्देश्य रहता है। कोई भी व्यक्ति जिस क्षण आवश्यकता से अधिक बोलता है उसी क्षण सत्य से विमुख हो जाता है। और तुम तो जानती ही हो कि असत्य और हिंसा जुड़वा बहने हैं। सप्ताह में चौबीस घंटे मौन धारण करने की मेरी आदत अपनी जिम्हा को अनुशासन में रखने की इच्छा के साथ ही साथ खुद को आराम पहुँचाने एवं अपने ऊपर आ पड़नेवाले कामों को शीघ्रता से निपटाने के लिए अधिक समय पाने की इच्छा के कारण भी डाली गई है।" हाल ही में उन्होंने मुझे कहा, "अपने विचारों की विशुद्धता के लिए मैं कितना सचेष्ट हूँ यह तुम नहीं जानती। मेरा ऐसा विश्वास है कि वाणी की अपेक्षा विचार अधिक श्रेष्ठ है। इसकी पूर्ति के लिए मुझे सत्य रूपी अथाह जलाशय में निरंतर गोते लगाने ही पड़ेंगे। और अपने मनोविकारों को धो डालने का भी यही एकमात्र उपाय है।" उस दिन प्रातः काल हमारी एक सहेलीने उन्हें चिढ़ाने जैसा कुछ कह दिया। इस पर वे बोले, "अवश्य ही उसकी गलती तो मुझे सुधारनी चाहिये थी, लेकिन उस पर नाराज तो किसी भी प्रकार नहीं होना चाहिये था, जैसा कि मैं हो गया।"

'महात्मा' सबोधन से बढ़कर तापदायक बात उनके लिए और कोई हो ही नहीं सकती। "यदि मेरा विकास रुक गया हो तो मुझे सत्यशोधक बनने का कोई हक ही नहीं रहता," वे कहते हैं। अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यों के सबन्ध में रात ही रात में निर्णय कर पूर्ण साहस और श्रद्धा के साथ वे उन्हें पार उतारते हैं। सेवाग्राम जा कर रहने का निश्चय उन्होंने ऐसे ही यकायक कर डाला। कुटी बनी हो न हो, वर्षा होती हो न हो, रास्ता हो न हो, जून महीने में वे

सेवाग्राम जाकर बसे। गांव में प्राकृतिक चिकित्सालय चालू करने एवं बड़े शहरों में जाने पर वहां की हरिजन-वस्तियों में मुकाम करने सबधी हाल ही के उनके निर्णय इसी तरह यथायक किये गये हैं। किसी भी बात का जब एक वार के निर्णय कर चुके हों तब अनुनय-विनय द्वारा भी उन्हें उससे विचलित नहीं किया जा सकता। और चकि सत्य एवं अहिंसा की उपासना द्वारा ही ऐसे निर्णयों पर वे पट्टचते हैं इसलिए वे मूलतः मही ही होते हैं।

अभी हाल ही में उरली में स्त्री-पुरुष, गरीब-अमीर आदि सभी श्रेणियों के लोगों के लिए खुद उन्हीं के द्वारा प्रारंभ की गई सर्वप्रसिद्ध प्राकृतिक-चिकित्सा के काम में उन्हें मगन देखना एक उत्साहवर्धक पाठ है। अधिकांश लोग एक रास उम्र गुजर जाने के बाद किसी नये काम को उठाने में हिचकत है, लेकिन इस दृष्टी उम्र में भी जवानों जैसे जोश और उत्साह में गांधी जी नया काम शुरू कर देते हैं। उनका उत्साह दुर्निवार्य है। और जब कभी मैं अपनी आंखों से उनकी योग-निवारक शक्तियों में उगली के इन स्त्री-पुरुषों का विशुद्ध विश्वास देखती हूँ तब मुझे आश्चर्य होता है कि हमारी समस्त प्रचार की व्याधियों, चाहे वे मानसिक या शारीरिक, की चिकित्सा स्वल्प गांधी जी की बनाई हुई 'रामनाम' की रामदाण औषधि में हममें से अधिकांश लोगों को क्यों विश्वास नहीं होता ?

सूझबूझ की कमी के लिए उनका रोपपात्र बनना पड़ा है। क्योंकि काम में कौशल की कमी, अथवा अविवेकपूर्ण भाषण, लेखन या वर्तन वह सहन नहीं कर सकते। एक बार किसी सभा में मैं उनके साथ गई थी तब वहाँ उन्होंने मुझे एक पुरजा...को देने के लिए दिया। आज्ञानुसार मैंने किया, और उक्त विशिष्ट सज्जन ने पुरजा पढकर गांधीजी से तत्संबंधी बातचीत भी कर ली। पर जब हम सेवाग्राम वापस आये तब गांधीजी ने उक्त पुरजे की बाबत मुझसे जवाब तलब किया। मैं बोली, “सो तो मैंने...को दिया, जिसे पढकर उन्हें जो कुछ कहना था उन्होंने कह दिया, और मैं समझती हूँ कि उक्त पुरजा फिर या तो उन्होंने ही रख लिया, या मुझे वापस कर दिया होगा। चुनावों में समझी कि उक्त पुरजा...को देने के बाद अपनी जिम्मेवारी खत्म हुई।”

दूसरे दिन सुबह मुझे निम्न पत्र प्राप्त हुआ—

“चि० अमृत, आदर्श सेन्ट्रेटरी जहाँ अपना चीफ पथग्रहण होता हो वहाँ उम्मे सावधान कर सही रास्ता दिखाती है। उसके चारों ओर वह मडराती रहती है, उसकी हर हलचल पर निगरानी रखती है, और उसके द्वारा फाडकर फेंके गये कागज के टुकड़े तक उठा लेती है,—इस लिए कि कहीं भूल से उसने महत्वपूर्ण कागज-पत्र ही फाड न डाले हो। इसीलिए वह उसके पीछे प्रस्थान करती है, और उससे जो जो चीजवस्तु छूटी हो उसको दूध निकालती है; और यदि उस पर दूसरा कोई अपना हक जताता न हो तो उस वस्तु को भी उठा लेती है। बल तुमको मेरा झिडकना था तो सयुक्तिक, लेकिन जो निराशा और चिडचिडापन मैंने दिखाया वह सरासर गलत था। खैर, गलती भूल जा और गुण ग्रहण कर। जो कुछ मैंने वहाँ है वह सावधान भर कर देने के लिए ही। प्रस्तुत पत्र का भावार्थ ग्रहण कर तदनुसार आचरण करो, जिससे तुम एक आदर्श सेन्ट्रेटरी बन जाओगी।

“बरसगाठ के दिन तुम्हारे लिए यही मेरी भेंट है, और इसी में मेरी समस्त शुभकामनाएँ सन्निविष्ट हैं। बापूका प्यार।”

जन्मदिन का ऐसा जतन योग्य और अद्वितीय उपहार अन्य किसी के सग्रह में होगा या नहीं इसमें मुझे सन्देह है।

गांधी जी के प्रारम्भिक जीवन से संबंधित इंग्लैण्ड और दक्षिण अफ्रीका की घटनाओं या वर्णन खुद उन्हीं के मुँह से सुनने में बड़ा मजा आता है। दायद उनकी आत्मव्या में ये सारी बातें आ गई हैं। हँसी के फव्वारोंके बीच वे स्वतः

के विरुद्ध कितनी ही कहानियां कहते हैं। विस्तृत वर्णनद्वारा वे अतीत की इन कहानियों को सजीव रूप में उपस्थित कर देते हैं। व्यावहारिक उदाहरण के तौर पर, और साथ ही सबधित विषय पर प्रकाश डालने के हेतु, वे ऐसी कहानियां निवेदन करते हैं। वे कहते हैं, "मेरे जीवन का यह एक नियम है कि कभी भी किसी को ऐसी बात करने के लिए न कहा जाय जो कि स्वतः द्वारा आचरित न की गयी हो।"

जिस समय श्री छोटेलाल की आत्महत्या की दुःखद वार्ता उनके कानों में पड़ी उस समय में उनके पास ही थी। हिंसात्मक बातों पर से अपना विश्वास हटाकर इतने वर्षों तक सचाई के साथ सेवामय जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति द्वारा हिंसक मार्ग से अपने जीवन का अन्त कर डालना एक बहुत ही निष्ठुर प्रहार था। गांधीजी अपने आसू तो रोके रहे, किन्तु उनके हृदय में गहरा धाव हो गया, और कुछ देर तक वे निःस्तब्ध बैठकर विचारमग्न हो गये। क्या उनके अन्तर्हृदय में यह विचार-मथन चल रहा था कि छोटेलाल जी को हिंसा से परावृत्त करने में वे असमर्थ क्यों रहे? कई बार उन्होंने कहा है, "छोटेलाल को मैं कभी भूल नहीं सकता"। जमनालाल जी का देहावसान हुआ तब भी मैं उनके साथ थी। उक्त दुःखद प्रसंग के कुछ ही क्षण बाद हम घटनास्थल पर उपस्थित हो गये। उनके परिवारवाले स्वाभाविक रूप से शोकाकुल हो रहे थे। यह आघात था भी अकारिभक्त, और इस क्षति की पूर्ति होना तो असंभवनीय था। फिर भी गांधीजी के पधारते ही सारे शोकाविह्वल परिवार में असीम शान्ति छा गई।

"जब हम जानते हैं कि मृत्यु का अर्थ नवजीवन में प्रवेश करना मात्र है, तब फिर शोक किस बात का?" यद्यपि ऐसे प्रसंगों पर शोकाकुल न बनने के वे स्वयं अभ्यस्त हो गये हैं, तथापि आत्मस्नेह व संवेदना द्वारा दूसरों के दुःख में सहभागी बनकर उनका दुःखभार हलका करने के लिए वे उन्हें बल देते हैं। सेवाश्रम-आश्रम की उस दिन की सान्ध्य-प्रार्थना में अपने इस प्यारे सहयोगी के विषय में वे बोले। उन्होंने कहा कि आज वे एक ऐसे राषी को सो बैठे हैं, जो कि उन्हें वर्षों ले आया और जूरुस्त श्री हर चीज के लिए जिसका मुँह वे सानेते रहे। और बोले, "आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो मेरा दाहिना हाथ ही बट गया हो!"

फिर भी वास्तविक बात यह है कि अपने निकटवर्ती सहयोगियों के रहते, और उनके न रहने पर भी, अपना काम निबटाने की गांधीजी में पूरी क्षमता है। हाल ही में जब उन्होंने किसी भी सहयोगी को साथ लिये बिना अकेले शिमला जाने का यकायक फैसला कर डाला तब हममें से हरेक को उपरोक्त कथन की पूरी प्रचीति आई। वे बोले, "मैं परमात्मा के सान्निध्य में, जो कि मेरा एकमात्र आधार है, अकेले विचरना चाहता हूँ। एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य के लिए मैं प्रस्थान कर रहा हूँ। मैं लोगों से सदा यही कहता आया हूँ कि एकमात्र राम हमारे सहायक हैं। उनकी व्याधियों के इलाजस्वरूप भी मैं उन्हें औपधियों की अपेक्षा रामनाम पर अवलंबित रहने की सदा सलाह देता हूँ। अतः अपनी इस श्रद्धा को मुझे बसौटी पर कसनाही चाहिए। और आप भी चिन्ता क्यों करते हैं? आखिर वहा भी तो ऐसे कई सहयोगी हैं जो मेरी जरूरतों को समझकर तदनुसार मेरी देखभाल का काम कर सकते हैं।" कल मसूरी से दिल्ली जाते समय उन्होंने ठीक इसी तरह का फैसला किया। श्री घनश्यामदास जी विडलाने जिस आरामदेह कार से उन्हें मसूरी पहुंचाया था उसी से वापस लौटने के बजाय बससे सफर करने का उन्होंने फैसला किया। बस की अपेक्षा कार से जाने से कम कष्ट होंगे, और दिल्ली में जिस गरमी एवं कार्यभार का सामना करना है उसका ख्याल करते हुए आपको आराम की आवश्यकता है आदि हमारी सारी दलील को उन्होंने यह कहकर थप्पड़ लगाई कि अपने निर्णय का वास्तविक अर्थ किसी की भी समझ में नहीं आया है। गांधीजी का जीवन मानो अधिकाधिक उत्तुंग शैलशिखरों की आरोहण-यात्रा है। प्रत्येक महान् ध्येयवाद की अन्तिम अवस्था, अर्थात् आत्मसाक्षात्कार, की ओर उत्तरोत्तर बढ़ते जाने वाले सच्चे यात्री की मुझे इससे पुनः पुनः याद हो आती है।

अगीष्टत कार्य जितना ही अधिक कठिन होता है गांधीजी का स्वरूप उतना ही अधिक निसर पड़ता है। सम्माननीय एवं समुचित समझौता उनके जीवन की रीढ़-स्वरूप होने पर भी उनकी सिद्धान्तनिष्ठा अटूट होती है। "अहिंसा में आस्था रखनेवाला व्यक्ति भावी परिणामों की आसका से बढापि विचलित नहीं होता, क्योंकि अहिंसा कभी पराजित होना जानती ही नहीं," वे कहते हैं। कभी कभी मद्योगियों को अपना दृष्टिबोध समझा न पाने पर वे योत्रे हैं, "जिम बाप की मचाई में अपना विरवास जम गया है उममें हटने

की अपेक्षा उस राह से अकेले चलते रहने में मुझे सतोप मानना चाहिए ।” मुझे अच्छी तरह याद है कि १९३९ ई० में, लडाई के छिड़ने पर आयोजित, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में भाग लेकर सेवाग्राम की कुटिया को लौटते समय महादेव भाई को उक्त शब्द उन्होंने कहे थे । फिर भी जब जब वे अपना दृष्टिकोण दूसरी ओर समझा नहीं पाते तब तब हृदय-मथन करते हैं । कहते हैं, “मेरे विचारों से असहमत होनेवालों का इसमें कोई दोष नहीं, अपितु अहिंसा विषयक विचारों को उपस्थित करने की मेरी पद्धति में ही कहीं न कहीं त्रुटि है ।”

“साम्प्रत की इस गरमी और कार्याधिक्य के बावजूद आपका स्वास्थ्य वंसा है ?” किसीने पूछा।

“आप देना ही रहे हैं कि मैं विन्वुल चगा हूँ । यहाँ तक कि इसके लिए हर कोई मुझसे ईर्ष्या करता है । लेकिन वास्तव में मेरा स्वास्थ्य जितना मैं चाहता हूँ उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं शीघ्र उत्तेजित हो जाता हूँ, और यह अस्वास्थ्य का लक्षण है । प्रायः उत्तेजित होने के कारण ही मेरा रक्तचाप बढ़ जाता है, उनका उत्तर रहा ।”

मातृत्वना और मलाई पाने के लिए आने वाले हजारों लोगों की बातें गांधी जी उनकी मनोभूमिका में समरस होकर सुनते हैं । इनके स्पष्टीकरण स्वरूप वे कहते हैं, “यदि मुझे मनेही, सहयोगी और सत्योपासक व्यक्तियों का मार्गदर्शन बनना हो तो अपनी श्रवणवृत्ति विवर्धित करनी ही चाहिये ।”

जिस महति आशा से सारा ससार उसकी ओर ताक रहा है वह रामराज्य का अपना स्वप्न साकार करने में सहायता पहुचाने की इच्छा से भी मैं दीर्घ आयु की कामना करता हूँ, " वे कहते हैं । ईश्वर करे उनकी यह इच्छा पूरी हो ।

नई दिल्ली,

मई-जून, १९४६.

महात्मा गांधीके संस्मरण

डा. भगवानदास

महात्माजी से सर्वप्रथम मैं कब मिला ? जरा सोच लूँ । अस्सी बरस की उम्र हो जाने के कारण अब याददास्त मेरी कमजोर, चंचल एव दगाबाज हो गई है । सो सोचना ही पड़ेगा । याद पड़ता है कि फरवरी १९१६ के प्रथम सप्ताह में पहलेपहल उनसे मिला । उस दिन, अर्थात् फरवरी की चौथी तारीख को, लार्ड हार्डिज के करकमलो द्वारा काशी विश्वविद्यालय का शिलान्यास-समारोह हुआ था । महात्मा जी उस उत्सव में उपस्थित थे । ना, सो तो नहीं । कम से कम उस भव्य समारोह में, जिसका लार्ड हार्डिज ने 'यह तो छोटा सा दिल्लीदरवार ही है' इन शब्दों में वर्णन किया था, उनकी उपस्थिति का मुझे स्मरण नहीं आता । लेकिन उसी मास की आठवी तारीख को, जब कि उन्होंने राजा-महाराजाओं और बड़े बड़े अफसरों में भगदड़ मचा दी थी, उनको निश्चित रूप में मैंने देख लिया था । श्रीमती एनी बेसेट एव मुझे जैसे उनके सहयोगियों द्वारा स्थापित मेट्रोल हिन्दू कालेज को काशी विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने के लिए मालवीय जी धन-संग्रह में व्यस्त थे । इसी हेतु उन्होंने तत्कालीन काशी-नरेश श्री प्रभुनारायण सिंह द्वारा मेट्रोल हिन्दू कालेज के लिए प्रदत्त शानदार स्थान पर सर्वमाधारण की एक बैठक बुलवायी थी । इत्तफाक की बात है कि चौथी फरवरी को, अर्थात् वसंत पंचमी के दिन हवा जितनी गर्म थी उतनी ही आठ तारीख को वह बड़े दिना जैसी ठंड थी । अल्वर, नाभा, चीकानेर, बनारस, दरभंगा आदि रियासतों के नरेश, बनारस के कमिश्नर, महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री एव अन्यान्य महानुभाव उक्त अवसर पर उपस्थित थे । मालवीय जी ने एक के बाद एक लक्ष्यप्रतिष्ठित वक्ता से मंच पर

आकर वक्तुता देने एव विश्वविद्यालय के लिए धन की याचना करने की प्रार्थना की। अपने दुर्भाग्य से उन्होंने गांधी जी से भी ऐसी ही प्रार्थना की। गांधी जी खड़े हुए और उन्होंने अन्य बातों के सिलसिले में राजा-महाराजाओं, करोड़पति जमींदारों एव तत्कालीन ब्रिटिश भारत-सरकार की गुजरात के उन बदरों की टोली से तुलना कर डाली जो खड़ी फसल पर धावा बोल देती हैं, और बोले, फिर ग्रामीण किसान व उनके कुटुम्बी,—मर्द, औरतें और बच्चे, जिस प्रकार अपने घर के बर्तन, घासलेट के बन्दस्त आदि जो भी हाथ लगे वह बजाते हुए खेतों में इकट्ठा होकर उन बन्दरों को भगाना शुरू करते हैं ठीक उसी प्रकार का कार्य उन्होंने (गांधी जी ने) एव उनके दूसरे सहयोगियों ने प्रारंभ किया है। और सबकुछमें राजा-महाराजाओं की टोली में भगदड़ मच गई। “आप क्या कह रहे हैं?” मालवीय जी ने चिल्लाकर गांधी जी से पूछा। उत्तर में गांधी जी बोले, “क्यों, क्या कहा मैंने? क्या मैंने सच्ची बातें ही नहीं कही हैं? क्या आप और आपके बापेसी अनुयायी ठीक यही बातें जरा अधिक सभ्यतापूर्वक नहीं कहते?” इस पर मेरे पास ही बैठा हुआ बनारस का अंग्रेज कमिश्नर जोर से गुराया, “इस आदमी की यह बकवाद हमें बन्द कर देनी चाहिए।” और बेचारे मालवीय जी रूष्ट राजा-महाराजाओं के पीछे दौड़कर पुकारने लगे “श्रीमानो! श्रीमानो! बृषया लौट चले! हमने उन्हें चुप कर दिया है,” आदि। लेकिन सभी महानुभाव इस बदर भयप्रस्त हो गये थे कि किसी ने भी लौटने का नाम न लिया। मालवीय जी उदारमना, देशभक्त श्री शिवप्रसाद जी गुप्त की मोटर में बैठ गये और अपने साथ मुझे भी घसीट कर उन्होंने ड्राइवर को वासी-नरेस के मिट-हाउस, जहाँ महाराजा अलवर ठहरे हुए थे, चलने का हुक्म दिया। सौभाग्य में उन्होंने मुझे मोटर में ही बैठा रखा; अन्यथा मैं जाहें में टिठुरकर मर ही जाता। अधिक सौभाग्य की बात यह हुई कि शिवप्रसाद जी ने अपना भारीभरकम ऊनी ओवरकोट, तथा मालवीयजी ने उम राग की कटबडानी गर्दी में अपनी मयानाकिन रक्षा करने के लिए लाये हुए गुद के कपड़े मोटर में ही छोड़ दिये थे, जिसमें अनायास ही मेरा लाम हुआ। स्वयं शिवप्रसाद जी की जाहें में रक्ष्य करने के लिए उनकी मोट्टी चर्वी ही काफी थी। गेट है कि उम प्रमत्तवदन पुण्य को बनाम, और उनकी मोट्टि चर्वताओं को माग दस आज गो बैठा है। ममाचार-पत्रों, ममा-मोगाट्टिया

एवं अदालतो द्वारा हिन्दी का प्रचार-प्रसार करने की कल्पना के उत्साही जनक वे थे, न कि गांधी जी या नागरी-प्रचारिणी सभा । भव्योत्त भारत-माता, मंदिर की कल्पना के भी वे ही प्रणेता थे । इस मंदिर के भीतर ३१ वर्ग-फीट आकार में सफेद सगमर्मर का भारत का मानचित्र तैयार कर बिठाया गया है, जिस में हिमालय की चोटी की ऊंचाई से लेकर समुद्र की गहराई तक सप्रमाण दिखाई गई है । यह काम बनारस के दुर्गाप्रसाद की देखरेख में पूरा हुआ है । यह कलाकार, जो आदरणीय क्रिचटन के समान ही देशभक्त था, शिल्पी चित्रकार, संगीतज्ञ एवं ज्योतिर्विद भी रहा । सिवाय इसके घड़ीसाजी, हूबहू नैसर्गिक आकार-प्रकार की गानेवाली चिड़िया तैयार करना, डाक के टिकटो का सग्रह करना और हड़प्पा तथा मोहनजोदारो में प्राप्त प्राचीन सिक्को व शिलालेखो को पढ़ना आदि पुरातत्व सबधी कार्य में भी यह शिल्पी बहुत ही निपुण था । उसके बनाये हुए उक्त मंदिर का, जो सभी सप्रदायो के लिए खुला है, १९३६ ई० के अक्टूबर में महात्मा जी के करकमलो द्वारा उद्घाटन हुआ । उस अवसर पर खान अब्दुल गफ्फार खा, डा० विधनचंद्र राय, प. जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तमदास टंडन एवं सभी प्रान्तो और वर्गो के स्त्री-पुरुष प्रतिनिधि उपस्थित थे । अस्तु ।

महात्मा गांधी से दुबारा मैं कब मिला ? १९२० ई०में ? ना, -१९१६ के दिसंबर में लखनऊ में आयोजित कांग्रेस-सप्ताह में । वहा भी मैं शिवप्रसाद जी गुप्त के साथ उनकी रावटी में ठहरा हुआ था । तब जाड़ाकडाके का पड़ रहा था । सुबह के वक्त रावटी के पृष्ठभाग पर की ओस जम जाती थी । सुरेन्द्रनाथ बनर्जी और लोकमान्य तिलक, जिन्हे मैंने पहली बार यही देखा ऐसा मेरा ख्याल है, उक्त कांग्रेस में बोले । यही पर हिंदू-मुसलमानो के बीच प्रान्तीय धारासभाओ के प्रतिनिधित्व सबधी वह दुर्भाग्यपूर्ण समझौता, जो 'लखनऊ-पैक्ट' के नाम से प्रसिद्ध है और जिसके द्वारा शनै शनै द्विपडभारत की योजना के बीज बोये गये, सपन्न हुआ । इस प्रकार भारत-हितैषी बननेवाले किन्तु वपटपूर्ण वामनमूर्ति वायसराय मिटो की 'फूट डालो और शासन करो, की चाल सफल हुई । अस्तु । एक दिन प्रात काल इसी रावटी में मैंने महात्मा जी के दर्शन किये । मैंने शाक कर देस लिया कि वे सरकारी गजट की एक वड़ी जिन्द पढ़ रहे हैं । मैं तब तक चुपचाप बैठा रहा जब तक कि वे नीची निगाह किये

कांग्रेस में उपस्थित रहने के उद्देश्य से, वह इस वर्ष बनारस के बदले लखनऊ में आयोजित की थी। तेजी से घटनेवाली अनगिनत घटनाओं के बीच नई पीढ़ी को इस बात का विस्मरण हो गया है कि भारत को निःशस्त्र प्रतिकार और सविनय अवज्ञा-आन्दोलन का पाठ सर्वप्रथम गांधी जी ने नहीं अपितु एनी बेसेन्ट ने पढ़ाया है। उन्होंने ही स्वराज्य-आन्दोलन की इस देश में नींव डाली। और राष्ट्रीय झंडा बगलेपर फहराने के कारण वे, वी. पी. वाडिया और बर्बई हाईकोर्ट के ख्यातनाम जज एव लो० तिलक के समान सस्कृत व अंग्रेजी के प्रकांड पंडित श्री काशीनाथ तेलग के सुपुत्र स्वर्गीय पढ़गीनाथ काशीनाथ तेलग जेल गये। आगे चलकर तीन मास बाद विभिन्न कारणों से तीनों रिहा कर दिये गये।

इसके बाद नवंबर १९२० में मैंने महात्मा जी को देखा। इसके कुछ ही दिन पूर्व उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों को असहयोग करने का उपदेश दिया था। इस पर उक्त यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने उनसे कहा था कि वे पहले स्वधर्मी काशी विश्वविद्यालय वालों को जाकर यह सलाह दे। फलतः वे शीघ्र ही बनारस पहुंच गये। अवश्य ही मालवीय जी ने विश्वविद्यालय के या सेट्रल हिंदू कालेज के मैदान में उन्हें भाषण करने की अनुमति देने से साफ़ इन्कार किया। क्योंकि कुछ दिन पूर्व फरवरी में अ. भा. कांग्रेस कमेटी के सदस्यों को भी बैठक के लिए ये दोनों स्थान देना उन्होंने अस्वीकार किया था। चनाचे विद्यार्थियों और कुछ अध्यापकों ने मिलकर सेट्रल हिन्दू कालेज के त्रीडागण के बिल्कुल बगलवाले मैदान में शीघ्रता से गांधी जी की सभा का प्रवचन कर लिया। सभा में मुख्यतया विद्यार्थी और कुछेक सौ नागरिक उपस्थित थे। मैं मंच पर मोतीलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद आदि नेताओं के पीछे एक कोने में बैठा था। गांधी जी इस आशय का कुछ बोले, "कोई यह न सोचे कि मैं आप लोगों को आपकी इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक पथभ्रष्ट कर रहा हूँ। मेरे भी चार पुत्र हैं, पुत्र-हित को मैं भली भाँति समझता हूँ और आप-सुख मुझे अपने पुत्रों के समान ही है," आदि। इसी समय आचार्य वृपलानी, जो अब काफी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, लगभग ३० छात्रों के साथ असहयोग कर विश्वविद्यालय छोड़ आये। मैंने भी अस्सी घाट पर किराये के एक मकान में असहयोगी छात्रों और कुछ अध्यापकों के साथ अपना अड्डा जमाया, यहीं

गाधीजी के जीवन-प्रसंग

पर फरवरी १९२१ में काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई। इसके लिए श्री शिवप्रसाद जी गुप्त ने दस लाख का दान देकर एक ट्रस्ट बनवाया। अस्तु, मोतीलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद आदि की उपस्थिति में गाधीजी के कर-कमलो द्वारा काशी विद्यापीठ का विधिवत् उद्घाटन हुआ। उपरोक्त सभा में काफ़ी तादाद में लोग उपस्थित थे। सभा बिल्कुल खानगी जगह में होने पर भी शहर-कोत-वालने जिला मजिस्ट्रेट के हुकम से बनारस में पहली ही बार सभा-स्थान के बाहर गिरफ्तारिया की। फिर भी हमारे चारों ओर बढ़ती जानेवाली जनता की भीड़ कहीं खुद की बोटी बोटी काट न डाले इस आशका से बेचारा कोतवाल नख-शिखान्त थर्रा रहा था। बड़ी कठिनाई से गाधी जी तथा अन्य नेतागण मोटर द्वारा अपने अपने डेरे पर पहुँचाये गये। उसी शाम को टाउन हाल के मैदान में एक दूसरी सभा का आयोजन किया गया, जिसके लिए उक्त हाल के राजभवन चैअरमैन से बड़ी मुश्किल से इजाजत मिली थी। इस बार तो सभा के लिए और ही अधिक भीड़ उमड़ पड़ी और शोरगुल तथा हलचल भी काफ़ी रही। भारी डीलडौल वाले हमारे शिवप्रसाद जी भीड़ को शान्त करने गये, लेकिन अपने गलत तरीके के कारण शोरगुल और ही अधिक बढ़ा बैठे। किसी बंदर पन्द्रह मिनट बाद शांति स्थापित हुई। तब गाधी जी ने छोटा सा भाषण दिया, जिसके बाद तुरंत उन्हें सुबह की अपेक्षा और अधिक होशियारी से हटाया गया। मोटर में मैं उनका अग्ररक्षक था। भीड़ बेहद होने से मोटर बहुत ही धीमी चाल से आगे बढ़ पा रही थी। लोगो के उत्साह को कोई सीमा न थी, और बैबल 'की जय' के नारे बलन्द करने भर से मत्पुष्ट न होकर वे गाधी जी को स्पर्श करने पर उतारू थे। किन्तु ऐसा करने में स्वतः को असमर्थ पाने पर वे बास की अपनी लम्बी लम्बी लाठियाँ उनके और साथ ही मेरे माथे की ओर इस तरह बढ़ा देते थे कि खोपड़ी फट ही जाती। अगर हाथ या पैर से स्पर्श नहीं कर सकते तो लाठी की नोक में ही सही, यह है हम हिंदुओं की अन्धभक्ति और अनुशासन-हीनता। क्या कांग्रेस ने इससे सुधार का कोई उपाय दूढ़ निकाला है? तब वे साथ बहना पड़ता है कि, "यदि कुछ विषय भी हों तो वह नगण्य हैं।" और हमने दिसम्बर १९२० की सण्ठुर-कांग्रेस में कांग्रेस के अध्यक्ष से 'ओरिजिनियल स्पिरिट' की ध्याय्या हटाकर एव जनता को बैबल सारहीन 'स्वराज्य' शब्द मिगाकर परिम्यिनि और भी अधिक विषम बना दी।

अस्तु। अनन्तर जून १९२१ में अ. भा. कांग्रेस कमेटी की बंबई की बैठक में, उक्त कमेटी के सदस्य के रूप में, मैंने महात्मा जी के दर्शन किये। लोकमान्य तब गुजर चुके थे। मुझे उनका दर्शन बंबई के सरदारगृह में स्थापित उनके ही कद की सजीववत् संगमरमर की मूर्ति के रूप में हुआ। यही शिवप्रसाद जी गुप्त के साथ में ठहरा था। वृद्ध विजयराघवाचार्य जी के सभापतित्व में आयोजित उस दिन की बैठक के बाद जब नाश्ता बांटा जा रहा था, तब लम्बे कद और स्थूल शरीरवाले शीकतअली बोले, "आज जितना अधिक इन उमदा चीजों को हम खा सके, खा ले; क्योंकि अब कई साल तक हम ऐसा मौका पा न सकेगे।" कराची की आगामी लम्बी जेल-यात्रा का उन्हें मानो पहले ही से आभास मिल गया था।

दोपहर को चौपाटी पर सभा के लिए जनता की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। चित्तरजन दास, मोतीलाल नेहरू, एम. आर. जयकर तथा अन्य नेता, एवं स्वयं महात्मा जी पाच-पाच दस-दस मिनट तक बोले। महात्मा जी ने तो सदा की भाँति सक्षेप में और सीधीसादी पद्धति से भाषण दिया। न जरूरत से ज्यादा एक शब्द, न अलंकारिक या आडंबरपूर्ण वक्तृता, न प्रभाव जमाने की कोशिश। अपना हेतुभर विशद करने के लिए जितना आवश्यक था उतना ही वे बोले। विदेशी वस्त्रों की होली जलाने का निश्चय किया गया, और तदनुसार दूसरे दिन मिल-क्षेत्र में प्रचंड होली जली। अगले ही दिन एक सुन्दर भवन की तीसरी मजिल पर के उस कमरे में मैं गया जहाँ महात्मा गांधी ठहरे थे। अ. भा. कांग्रेस कमेटी के कई सदस्य भी वहाँ उपस्थित थे। मैंने पूछा, "महात्मा जी, औपनिवेशिक स्वायत्तशासन शब्द कुछ माने रखते थे; किन्तु केवल 'स्वराज्य' शब्द के कुछ भी माने नहीं होते। जिसके जी में जो आय सो ही इसके माने लगा ले। इससे हिन्दू हिन्दूराज्य की, मुसलमान मुस्लिम-राज्य की, जमींदार जमींदारी-राज्य की, पूजापति पूजावादी-राज्य की, श्रमजीवी श्रमिक-राज्य की और इसी तरह अन्यान्य वर्ग अपने मनोनुकूल राज्य की कल्पना कर बैठते हैं। इस सब का नतीजा यह होगा कि आप जिस एकता का प्रचार करना चाहते हैं उसके स्थान पर भयानक स्वरूप का वर्गयुद्ध और गृह-युद्ध होकर रहेगा।" जवाब में उन्होंने बतलाया, "यदि कोई आपसे 'स्वराज्य' का अर्थ पूछ बैठे तो उसे 'राम-राज्य' कह दो।" इस पर मैंने पुनः कहा, "यह स्पष्टीकरण

समझना तो और भी अधिक दुस्तर हो जायगा । और यदि आप यह सोचते हो कि राम-राज्य में हर कोई सुखी था व कोई भी गरीब न था, तो यह बड़ी भारी भूल होगी ।” उदाहरण के तौर पर मैंने उन्हें वाल्मीकि रामायण की कुछ चौपाइया सुना दी । विस्तारभय के कारण वे यहाँ उद्धृत नहीं की जा सकती । फिर वे अन्य सदस्यों की ओर मुड़े और मैंने उनसे विदा ली ।

इसके बाद १९३१ ई० में मैंने उनके दर्शन किये ऐसा ख्याल पडता है । बनारस और अन्यत्र के भयानक स्वरूप के सांप्रदायिक दंगे अभी अभी खत्म हुए थे । गांधी-द्विविन समझौते की हाल ही में घोषणा होकर तदनुसार गांधी जी ने सत्याग्रह-आन्दोलन स्थगित किया था । इसके कुछ ही दिन पश्चात् अ. भा. कांग्रेस कमेटी की बैठक बुलायी गई । उक्त कमेटी के सभी सदस्यों के रहने आदि का प्रबंध काशी विद्यापीठ में किया गया था । सदा की भाँति अब की बार भी उदारमना शिवप्रसाद जी ने सबका आतिथ्य किया । सिर्फ अबुल कलाम आजाद किसी होटल में जाकर ठहरे । उस साल आम की खासी अच्छी फसल आई थी । महात्मा जी ने सत्य का और एक प्रयोग शुरू किया था । यहाँ सत्य से आहार का आशय है । इस प्रकार के प्रयोग कभी कभी असफल रहते हैं । यद्यपि आयुर्वेद के अनुसार चालीस दिन तक शुद्ध और पतले अमरस का सेवन कायाकल्प औषधी के समान माना गया है, फिर भी दुर्भाग्य से उस रात को गांधी जी को अनिहार की शिकायत हो गई । भोर तक मैंने बनारस के सारे श्रेष्ठ एव ज्येष्ठ डाक्टर बुला लिये । अवश्य ही किसी प्रकार की फीस लिये बिना केवल सेवा-भाव से वे सब उपस्थित हुए थे । बड़े आदर के साथ उन्होंने गांधी जी की स्वास्थ्य-परीक्षा कर यह निर्णय दिया कि वास्तव में उन्हें कोई शिकायत नहीं है । और तपस्वी के सदृश्य उनकी रहनसहन के कारण बीमारी कभी की रफूचककर हो गई थी । डाक्टरों की उपस्थिति में सहज ही मेरे मुँह से ये शब्द निकले,— “महात्मा जी कुपथ्य करते हैं ।” इससे उन्हें कुछ गलतफहमी हुई और वे बोले, “आप ऐसा कहते हैं ।” खुलासा करते हुए मैंने कहा, “साधारण कुपथ्य नहीं, अपितु अर्धरात्रि तक आप की मुलाकाते जो चलती रहती है और फिर दो ही घंटे पूर्व सोये हुए अपने मेमेटेरियों की नींद हराम कर आप उनसे लम्बे लम्बे खत भी लिगावाते हैं । मेरा मतलब इसी ‘कुपथ्य’ में है ।” सुनकर उनके उद्विग्न चेहरे पर हँसी झलक गई, और तब हम सभी ने सनोप की सास ली ।

बनारस,

५-४-१९४८.

गांधीजी : १९४०-१९४५

घनश्यामदास बिड़ला

मई १९४० की बात है। गांधी जी वायसराय लार्ड लिनलिथगो से मिलने शिमला जा रहे थे। शिमला-यात्रा के लिए ट्रेन पर मवार होने के पूर्व स्नान और सैर कर लेने के उद्देश्य से वे चन्द्र घटे दिल्ली रके। साधारणतः दिल्ली में मई का मौसिम गर्म रहता है, किंतु राते ठंडी होती है। विशेषतया उस रात को हल्की वर्षा होने के कारण वातावरण प्रसन्न बना रहा। गांधी जी प्रायः कहा करते हैं कि वे बिना भोजन के तो रह सकते हैं, किन्तु नित्य की प्रार्थना और सैर के बिना उन्हें चैन पड नहीं सकता। सो हम मजे में घूमने निकले।

लडाई अभी गजगति से चल रही थी। मामला मुकाबिले पर आया न था। किन्तु सभवतः शिमला के महारथी भावी घटनाओं का दुःस्वप्न देख चुके थे। शुरु में हिटलर की शक्ति का सही अन्दाजा कोई लगा न सका। किन्तु अब आगामी ग्रीष्म कालीन भीषण चढाई की घटाय धिरती नजर आ रही थी।

भारत में बाह्यतः तो शांति विराजमान थी, किन्तु उसके भीतर ही भीतर जो अग्नि धधक रही थी वह किसी भी क्षण प्रज्वलित होकर सारे देश का दाह कर सकती थी। इसी से वायसराय गांधी जी के मन की बातें जान लेना चाहते थे।

उस चादनी रात में हम साथ साथ घूम रहे थे। आगामी शिमला-वार्तालाप के सबध में आशापूर्ण था। सोचता था कि जिस ब्रिटेन को फासिस्ट और नाजी जैसे अ-देवताओं को प्रसन्न रखने में जरा भी हिचकिचाहट मालूम न हुई वही ब्रिटेन आज की विपन्न परिस्थिति में भारत को प्रसन्न रखने में आनाकानी करने की मूर्खता कैसे कर सकता है? लेकिन इस विषयक भावी वार्तालाप के सबध में गांधी जी के मन में शायद ही कोई गभीर विचार उठा हो। इसके प्रति वे तो पूर्णतः उदासीन थे। वायसराय क्या कहेंगे इससे उन्हें कुछ भी प्रयोजन नहीं था। किसी भी परिस्थिति में खुद को क्या कहना है इतना वे अवश्य जानते थे।

ऐसे ही अन्य अनेक महत्वपूर्ण प्रसंगों पर गांधी जी की इस विशिष्ट मनो-रचना के मुझे दर्शन हो चुके हैं। युयुत्सु का उस्ताद खिलाडी कभी भी खुद होकर प्रतिपक्षी पर आश्रमण नहीं करता। वह तो अपने प्रतिपक्षी के ही आश्रमण

योजनाये हजारो वर्षों के लिए होती है। अवश्य ही इसका यह अर्थ नहीं कि शताब्दियों के लिए योजनाएँ गढ़ते समय वे तात्कालिक आवश्यकताओं की ओर ध्यान नहीं देते। और सत्य, अहिंसा एवं तत्सम व्यापक सिद्धान्तों में जिसका विश्वास है ऐसे व्यक्ति को, चाहे आज के लिए योजना बनानी हो चाहे आज से सैकड़ों वर्ष आगे के लिए, किसी भी हालत में अपनी मनोभूमिका में विशेष परिवर्तन करना नहीं पड़ता। इस दृष्टि से देखा जाय तो उन्हें सकुचित अर्थ से 'राजनीतिज्ञ' कहने की अपेक्षा 'द्रष्टा' कहना अधिक सयुक्तिक होगा।

इस प्रकार की मनोरचना के कारण ही उन्हें नित नई शक्ति प्राप्त होती रहती है। अटकलबाजी, चिंता, व्यग्रता, उत्तेजना आदि से वे मुक्त रहते हैं, जब कि उनके विरोधक उनकी विचित्रताओं को देखकर अक्सर अममजस में पड़ जाते हैं। यही वजह है कि गांधी जी के पास वायसराय से निवेदन करने योग्य पहले से सोची हुई कोई योजना तैयार न थी।

“ऐसी परिस्थितियों में ब्रिटिश लोग उचित बातों की कैसे उपेक्षा कर सकते हैं? परिस्थिति कदम उठाने के लिए उन्हें बाध्य करेगी। एक प्रकार से प्रस्तुत युद्ध अनेक अन्यायों का अंत कर देगा, और भारत का, जो कि एक पीड़ित राष्ट्र है, इस युद्ध से लाभान्वित होना तो अवश्यभावी है,” मैंने कहा।

“क्या किसी बुराई के भीतर से कोई भली बात पैदा हो सकेगी ऐसा आप मानते हैं? अतत युद्ध तो अमंगल ही है। फिर अमंगल से मंगल भला कैसे निपज सकता है? और हर हालत में, किसी की सकटपूर्ण स्थिति से लाभ उठाने की प्रवृत्ति पापमूलक ही मानी जायगी। अतः प्रतिपक्षी की कमजोरियों की अपेक्षा अपने कार्य और व्यवहार के औचित्य पर ही हम निर्भर रहे।”

खासा सवक मिला मुझे।

पुन दिल्ली का ही प्रसंग। १९४२ का वर्ष। युद्ध अपनी चरम सीमा पर था। जर्मनी भयानक ज्वार की तरह सारे पश्चिमी यूरोप पर कब्जा कर विगत वर्ष मास्को के दरवाजे तक असफलता पूर्वक खटखटा चुका था। यद्यपि मास्को में वह घुस न सका, फिर भी किसी कदर उसका जोश भी घटा नहीं। बेल्जियम और फ्रांस की तरह जो देश विशेष सामना किये बिना शत्रु की शरण में आये वे नष्ट होने से बचे रहे, जबकि शत्रु का मुकाबला करनेवाले इस सरीखे देशों पर हमले ही ही रहे थे। फलतः तीन पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा की गई इस की सारी सुदूर निर्मिति अक्षरशः खाक में मिल रही थी।

इस प्रकार न केवल यूरोप की ही परिस्थिति विपम बन गई थी, बल्कि एशिया की भी परिस्थिति वैसी ही थी। भाप के अजम्ब 'रोलर' की तरह जापान समस्त प्रतिकार को रौंदता हुआ आश्चर्यजनक गति से आगे बढ़ रहा था। जापानी आक्रमण के फलस्वरूप एक के बाद एक दुर्ग ताश के घर की भांति ढह रहे थे। अजेय सिगापुर का पतन हो चुकने के कारण सारा ससार भयभ्रस्त था। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है यह जानने के लिए सभी आतुर थे।

प्रत्येक सधन व्यक्त ने रेडियो खरीद लिया था और उसके द्वारा दिन-रात में कई वार ससार के प्रमुख रेडियो-स्टेशनों से आनेवाली खबरे सुनी जाती थी। निश्चय ही वह अशुभ खबरे उगलता था।

जब मार्शल च्याग-वाई-शोक अकस्मात् वायुमार्ग से भारत पधारे, तब उनके आगमन के उद्दिष्ट के सबध में लोगो में तर्कवितर्क होने लगे। मार्शल आश्रयार्थ तो भारत भाग आये नहीं हैं? उन सकटापन्न दिनों में कुछ इसी तरह की कानाफूसी सुनने में आती थी।

इसके ठीक बाद सर स्टेफोर्ड क्रिप्स भारत पधारे। भारत के इतिहास में यह एक महत्त्वपूर्ण घटना थी। क्रिप्स-मिशन के अंतिम परिणाम के सबध में हर कोई उत्कटापूर्वक अलग अलग अनुमान लगा रहा था।

गांधी जी दिल्ली बुलाये गये। क्रिप्स-प्रस्ताव के बारे में उनके अपने अलग विचार थे। उनका यह स्वभाव है कि वे साधारण बातों पर से ही बड़ी बातों की बाबत फँसला करते हैं। इसीलिए देश की प्रति दिन की घटनाओं का उनकी दृष्टि में जो महत्व था, वह क्रिप्स-प्रस्ताव का न था। और उससे उन्हें किसी प्रकार की आशा भी न थी।

जैसा कि सभी जानते हैं, उन दिनों सरकार सर्वथा उद्धत एवं जनमत के प्रति पूर्णतः उदासीन थी। छोटी छोटी बातों के सबध में भी वायसराय स्वयं निर्णय करने थे। महत्त्वहीन पदों पर भी अप्रेजों को नियुक्त कर भारतीयों की भावनाओं का वे मुल्लमामुल्ला पददलन कर रहे थे।

"इस प्रस्ताव के आधार पर मैं निश्चय ही रचनात्मक कार्य कर सकता हूँ, किन्तु मुझमें इसके लिए कतई उत्साह नहीं रहा है," चर्चा चलते हुए गांधी जी बोले।

“यदि ऐसी बात है तो क्यों प्रयत्न न किया जाय ? और आपमें इतना निरस्तसाह भी क्यों, और क्यों यह मौका गवाया जाय ?” मैंने पूछा की ।

“बात तो ठीक है, किन्तु मुझे इसमें ईमानदारी नहीं दीखती । यदि सम्राट की सरकार सचमुच में हिंदुस्तान को आजादी देना चाहती है तो फिर देश में रोज-ब-रोज घटनेवाली बातों का उसके साथ कैसे तालमेल बैठाया जाय ? अमेरिका के कुछ अखबारों में छपा है कि ट्रिप्स-प्रस्ताव को मैंने ‘दिवालिया बैंक पर का अगली तारीख का चेक’ संबोधित किया है । अवश्य ही ऐसी कोई बात तो मैंने नहीं कही । फिर भी यदि सारी बातें परख कर देखी जाय तो उक्त वर्णन यथार्थ प्रतीत होता है । चर्चिल दलील करते हुए स्पष्ट ही कहते हैं कि यदि स्वेच्छा से भारत का त्याग ही करना हो तो फिर लड़ने और उसमें विजयी होने से लाभ ही क्या ? दरअसल मैं यदि भारत और अन्य एशियायी राष्ट्र स्वाधीन हो जाते तो विश्व-युद्ध की कोई सभावना ही नहीं रहती । किन्तु चर्चिल संभवतः ऐसा सोचते हैं कि स्वेच्छा से भारत को त्यागने की अपेक्षा लड़ झगड़ कर उससे हाथ धो बैठना कहीं बेहतर है । जहाँ इस प्रकार की नीयत हो वहाँ प्रामाणिक व्यवहार असंभव ही है । उनका सारा दृष्टिकोण ही,— अर्थात् वर्तमान और भूतकाल की गलतियों का प्रक्षालन करने संबंधी अनिच्छा एवं भविष्य के विषय में दुराग्रह,—किसी को भी निरस्तसाही बनाने के लिए काफी है । फिर भी कौन जाने इसमें से भी कुछ न कुछ अच्छी बात निकल आ सकती है । जवाहर सारा मामला देख ही रहा है । मैं भी इसके प्रति एक निरपेक्ष दृष्टिकोण रखता हूँ ।” इतना कहकर वे अनासक्त भाव में शांति में लीन हो गये ।

किन्तु तुरंत ही एक ऐसा नया विषय उपस्थित हो गया कि जिसने उनका ध्यान आकर्षित कर लिया । चुनावों अपनी ध्यानावस्था से वे जग पड़े । आश्रम-गंधी कुछ घण्टों बात थी । उनकी चर्चा छिड़ते ही गांधी जी उनमें इस प्रकार तन्मय हो गये कि उनके सामने महान् प्रश्नों का जैसे कुछ अस्तित्वही नहीं रहा । आश्रम की क्षुद्र बातों के प्रति उनका यह उत्साह ट्रिप्स-प्रस्ताव के प्रति उनके निरस्तसाह के साथ स्पष्टतया विरोध प्रदर्शित करने वाला था । किन्तु क्या गांधी जी ने अनेक बार यह कहा नहीं है कि ‘जो पिंड में यही ग्रहाण्ड में ?’

गांधी जी की दृष्टि में महान् मित्राण्डों या मूर्खों की अपेक्षा छोटी बातों का, साध्य की अपेक्षा साधनों का, अधिक महत्त्व रहता है ।

फलत लगभग दो घंटे से भी अधिक समय तक बहुत ही एकाग्रता के साथ उक्त चर्चा चलती रही। जब चर्चा पूरी हुई तब गांधी जी थके हुए नजर आये। इतने में युद्ध विषयक और अधिक अशुभ समाचार आ पहुँचे। सुनकर गांधीजी ने एक गहरी आह भरी।

और बोले, “ऐसे समय में, जब कि एक विशाल साम्राज्य धराशायी होने जा रहा है, क्षुद्र विषयों की चर्चा में हम उलझे रहे यह कौसी विचित्र बात है।”

“क्या आप इस बात से दुखी हैं?”

“जहर।”

“किंतु साम्राज्य के प्रति आपको इतना प्रेम है इसका मझे तो बिल्कुल पता ही न था।”

“साम्राज्य के प्रति प्रेम मुझे कभी भी नहीं था। किंतु सायही वर्षों के परिश्रम से निर्मित सस्था का इस प्रकार अंत हो जाय यह बात भी मुझे रचती नहीं। मैं उसके भीतर की बुराईया मिटाना चाहता हूँ। मैं उसका नव-निर्माण करना चाहता हूँ। किंतु यहा तो प्रस्तुत साम्राज्य शायद अपनेसे भी बदतर साम्राज्य के भार के नीचे नष्ट होता दिखाई पड़ता है। मैं चीजों को नष्ट होने देने की अपेक्षा यथासंभव उन्हें सुधार लेने के पक्ष में हूँ।”

मन् १९४२ भारत के इतिहास में सरमणीय बन चका है। इसी वर्ष जापान ने सारे पूर्वी एशिया में विजय प्राप्त की। त्रिप्स अपनी सुप्रसिद्ध योजनाओं को लेकर आये और निराश होकर, यहा तब कि भारत की आशाओं पर पानी फेर कर, चले गये। किन्तु राष्ट्र के जीवन में एक घटनापूर्ण नये अध्याय का आरम्भ अभी होनेवाला था।

त्रिप्स वार्तालाप की असफलता के बाद भारतभर में कटुता फैली।

यद्ध के शुरू के दिनों में इंग्लैंड के प्रति भारत की वैरवृत्ति घटती जा रही थी। १९३७ ई० में वर्ड प्रांतों में कांग्रेस द्वारा पदग्रहण किया जाने के फलस्वरूप विच्छिन्न वृत्ता शान्त शान्त मिटती जा रही थी। यद्यपि कांग्रेसी मंत्रिमंडल और गवर्नरों के बीच प्रायः सदैव ही भाषांतरण मतभेद एवं संघर्ष हो जाता करता था, फिर भी सर्वोपरि देखा जाय तो कांग्रेस द्वारा पदग्रहण किया जाने के बाद में गणतंत्र म्यर मति में चानू था।

ता० ७ अगस्त के प्रातः काल की बात है। कांग्रेस की कार्यकारिणी ने सुप्रसिद्ध अगस्त-प्रस्ताव पास किया था और अब अ. भा. कांग्रेस कमेटी द्वारा वह स्वीकृत किया जाना बाकी था। सारे वातावरण में एक प्रकार की सतत उत्तेजना फैली हुई थी। लोगों का ऐसा ख्याल था कि अ. भा. कांग्रेस कमेटी द्वारा उक्त प्रस्ताव स्वीकृत होते ही बहुत बड़ी घटनाये घटेगी। मेरा मन भी कुछ अस्वस्थ था। भावी परिणामों की आशंका से मन में भली बुरी बातें उठ रही थीं।

किंतु गांधी जी शांत मुद्रा धारण किये हुए थे। उनके चेहरे से किसी भी प्रकार की अस्वाभाविकता या उत्तेजना का आभास न मिलता था।

सैर के समय मैंने उनसे पूछा, “अगला कदम क्या होगा? क्या अ. भा. कांग्रेस कमेटी द्वारा अगस्त प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद कांग्रेस किसी बड़े आन्दोलन का श्रीगणेश करेगी?”

“ना, घतई नहीं। हम कोई भी कदम उठाने में जल्दबाजी करना नहीं चाहते। अभी वायसराय से मुझे मिलना है। वे मेरे मित्र हैं, और प्रस्ताव की व्याख्या करने में वे जल्दबाजी से काम नहीं लेंगे। बिना हार्दिक आत्मोत्साह के भारत विदेशी आक्रमण से अपनी रक्षा कर नहीं सकता। वह उत्साह केवल प्रस्तुत युद्ध को लोकयुद्ध में परिवर्तित कर देने से ही निर्माण किया जा सकता है। और जब तक भारत स्वदेश का स्वामी बन नहीं जाता तब तक विदेशी आक्रमण का प्रतिवार करने के लिए आवश्यक उत्साह उसमें उत्पन्न हो ही नहीं सकता। इसलिए यदि जापानी आक्रमणका प्रतिवार करने के विषय में दोनों की भूमिका एकसमान रही तो कांग्रेस द्वारा उठाया गया यह कदम स्नेहपूर्ण माना जा सकता है। वायसराय को अपना यह दृष्टिकोण समझाने का मैं प्रयत्न करूंगा।”

“लेकिन मान लीजिये कि अगर वे अपनी ही बात पर अड़े रहे और टस से मस न हुए तो फिर क्या करेंगे?”

“तब तो फिर किसी न किसी प्रकार के सविनय अवज्ञा-आन्दोलन का अवलंब करना ही पड़ेगा। अब तब इस संघर्ष में मैंने कोई विचार नहीं किया है। इगोरे लिए न तो मेरे पास कोई योजनाएँ हैं, न पहले से ऐसी योजनाएँ बनाकर

तैयार रखने की मेरी आदत ही है। मेरे लिए अगला कदम ही काफी है, और वह है वायसराय से भेंट करना। यदि उन्हें कायल करने में मैं असमर्थ रहा, तो हो सकता है कि नमक-सत्याग्रह की तरह का कोई आन्दोलन हम आरम्भ कर दें। मैं आहिस्ता कदम चलना चाहता हूँ। सकट में फसे हुए को और अधिक सकट में ढकेलने में कोई मजा नहीं।”

सुनकर मैं दग रह गया। जब आन्दोलन छेड़ने की बात चल रही हो तब भी ‘सकटापन्न’ प्रतिपक्षी के लिए इतनी चिंता? लेकिन यही तो गांधी जी की विशेषता है!

क्षणभर मैं चुप रहा। अवश्य ही मन मेरा शात हो नहीं रहा था। सोचता था, क्या वायसराय गांधी जी की इस मनोभूमिका की उचित कद्र कर सकेंगे? अगस्त-प्रस्ताव का यह कर्ता-धर्ता वायसराय से मिलने, आहिस्ता कदम चलने एवं सकट में फसे हुए को अधिक सकट में न ढकेलने की बातें कर रहा था, जब कि दिल्ली में सरकार सभवतः सारे नेताओं को बदिस्थ करने की शीघ्रता के साथ तैयारियाँ कर रही थी।

अपनी मनोभूमिका के प्रति इस तरह गलत दृष्टिकोण रखा जा रहा है इसकी गांधी जी को कोई कल्पना नहीं थी ऐसा मेरा ख्याल है।

“क्या आप अपने उद्दिष्टों से वायसराय को भली भाँति अवगत न करावेंगे? अन्यथा वस्तुस्थिति से पूर्णतया परिचित न होने के कारण जल्दबाजी में सरकार गलत कदम भी उठा सकती है।”

“ऐसी उम्मीद तो नहीं है। आखिर वे मुझे जानते ही हैं। मैं भी उन्हें जानता हूँ। अतः मुझसे मिले बिना वे कोई भी कदम नहीं उठावेंगे। हर हालत में बहुधा कल ही उन्हें लिखूंगा। उसकी रूपरेखा बना लेने में ही मेरा मन उलझा हुआ है। अभी उचित शब्दप्रयोग की कमी है। प्रस्ताव पास हो जाने के बाद इसका विचार करने के लिए मुझे काफी वक्त मिल जायगा।”

मुझे विश्वास तो हुआ, किंतु केवल तात्कालिक।

• प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। पर मैं पूरी तौर से निर्दिष्ट हो न सका। बेचैनी के साथ मैं विस्तर पर लेट गया। अर्धरात्रि तक सारे प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिये जायेंगे इस आशका से मैं अस्वस्थ हो गया। क्योंकि इसके पूर्व कई बार, वल्कि हर बार, गांधी जी अर्ध रात्रि में ही गिरफ्तार कर लिये गये थे।

यदि गांधी जी गिरफ्तार कर लिये गये तो क्या होगा ? पहले भी कई बार वे जेल-यात्राय कर चुके हैं । किंतु उस समय उनकी उम्र तिहत्तर वर्ष की न थी । अब वे सर्वथा स्वस्थ होने पर भी पहले की तरह सशक्त नहीं रहे हैं । उनकी गिरफ्तारी के दुष्परिणाम भारत और इंग्लैंड दोनों को भोगने पड़ेंगे । इसकी प्रतित्रिया-स्वरूप दोनों के बीच और अधिक कटुता फैलेगी एव नई नई उलझने पैदा होंगी । मैं भगवान से प्रार्थना करने लगा कि गांधी-वायसराय मुलाकात का सुयोग लावे ।

फिर भी मेरी आशका बनी रही । कोई दुर्घटना तो नहीं हुई है यह देखने के लिए ग्यारह बजे मैं उठा । सर्वत्र शांति विराजमान थी । पुलिस भी नजर न आई । पुन तड़के दो बजे मैंने अपनी खिडकी से झाक कर देखा । फिर भी वही शांति । चार बजे पुन उठा । किंतु कोई परिवर्तन नजर न आया । मैंने सतोष की सास ली । सोचने लगा कि जब चार बजे तक पुलिस नहीं आई तब इसका यही अर्थ होता है कि सकट टल गया है । अब दोनों की मुलाकात हो सकेगी और समस्या के निराकरण का कोई न कोई उपाय जरूर ही निकल आवेगा ।

पूरी तौर से निश्चक होकर मैं पुन बिस्तर पर लेट गया । लेकिन एक क्षपकी भी ले न पाया था कि इतने में मुझे जगाया गया । बापू को गिरफ्तार कर लेने के लिए पुलिस आ धमकी थी । देखकर मैं दग रह गया । यह बापू की गिरफ्तारी नहीं थी, यह गिरफ्तारी भारतवर्ष की आत्मा की थी । मैंने मन में सोचा, थाकी लोग तो कभी के गिरफ्तार किये जा चुके होंगे । मैंने ब्रिटिश राष्ट्र की उसकी मूर्खता के लिए, वायसराय की उसकी उद्दृढता के लिए एव भारतीय सलाहकारों की उनकी आलस्यपूर्ण उदासीनता के लिए तीव्र भर्त्सना की । विषण्ण चित्त से मैं गांधी जी के कमरे में गया ।

सरकार का यह कपटपूर्ण दाव गांधी जी के लिए सर्वथा अनपेक्षित था । अ भा कांग्रेस कमेटी की बैठक में भाषण करते हुए उन्होंने वायसराय के साथ वे अपने स्नेहसंबंध पर प्रकाश डाला था । और यह भी घोषित किया था कि वे वायसराय से मिलने की कोशिश करेंगे । इस सपूर्ण पूर्वतिहास को मद्देनजर रखने पर वायसराय द्वारा की गई सामूहिक गिरफ्तारियां या यही अर्थ लगाना पडता है कि सरकार समस्त प्रतिवार और आलोचनाओं को दबा देने पर तुली हुई थी ।

कांग्रेस द्वारा उठाया गया कदम सही है या गलत इसका सरकार के सामने कोई सवाल ही न था। वह तो युद्धकार्य में बाधा पहुँचानेवाले एक वर्ग को अपने रास्ते से हटा देना चाहती थी। और यही उसने किया भी।

गिरफ्तारी की खबर का गांधी जी ने धीरगभीर वृत्ति से स्वागत किया।

“हमें कब चलना होगा?” पुलिस कमिश्नर से, जो उन्हें गिरफ्तार करने आया था और इस कटु कर्तव्य का भार अपने ऊपर आ पड़ने के कारण चंचल दिखाई दे रहा था, गांधी जी ने पूछा।

“छ वजे।”

“ओह तब तो काफी वक्त है।”

गांधी जी ने नित्य के नियमानुसार गर्म जल और शहद प्राशन किया, प्रार्थना की, अपना बास का पतला डडा व असबाब लिया, और महादेव भाई के साथ कमरे के बाहर निकल आये।

“आशा है मैं समय का पावद हूँ,” मुस्कराते हुए गांधी जी बोले।

“अवश्य।” कमिश्नर ने कहा।

उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति का अभ्यंतर सिहर उठा। सीढियों के पास बिड़ला-भवन की महिलाओं न उनके ललाट पर शुभसूचक कुकुम तिलक लगाया। गांधी जी बिदा हुए।

आगा खा महल की बात है। एक नाटा, अत्यंत दुर्बल, क्षीण काय, साफ हजामत किया हुआ व्यक्ति गरम चद्दर ओढकर जैसे-तैसे विस्तर पर लेटा हुआ था। यह गांधी जी थे। उनके उपवास का आज उन्नीसवा दिन था। उपवास की समाप्ति के लिए अभी और दो दिन बाकी थे। किंतु अब किसी को भी उनके स्वास्थ्य के सबध में चिंता न थी।

उपवास के लगभग दसवे दिन ही उनकी हालत बहुत चिंताजनक बन गई। इससे सारे देश के वातावरण में विषण्णता छा गई। नैराश्य, उत्तेजना एवं रोष ने इसका साथ दिया। प्रत्येक दल का नेता, और निर्दल नेता भी, दिल्ली दौड़ गया। सब की सभा हुई। गांधी जी की रिहाई की माग करते हुए भाषण दिये गये। किन्तु इस सबध में वायसराय से मिलने की किसी की भी इच्छा नहीं थी। सबने उसको हृदयहीन, कल्पनाशून्य और निर्वृद्ध व्यक्ति मान कर उसका

नाम तक लेना छोड़ दिया था। गांधी जी की रिहाई की माग अनसुनी कर दी गई। शासको को डिगाने में यह माग असमर्थ रही।

शय्याग्रस्त गांधी जी को उनके निकटस्थ चन्द्र व्यक्ति घेरे बैठे थे। वे बहुत ही दुर्बल हो गये थे और केवल पास से ही उनकी आवाज सुनी जा सकती थी। किंतु सदा की भांति वे प्रसन्नचित्त और हसमुख थे। मैंने झुककर उनकी चरण-धूली ली। उन्होंने आशीर्वाद दिये।

मैंने उनके स्वास्थ्य के सबध में पूछताछ की। बोले, "अजी, बिल्कुल चंगा हूँ।" किंतु उन्हें स्वतः के स्वास्थ्य की अपेक्षा दूसरों के स्वास्थ्य की अधिक चिंता थी। मेरे परिवार के अमुक व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा है, कौन कहा है आदि सब कुछ उन्होंने पूछ लिया। यह शिष्टाचार के तौर पर की गई साधारण पूछताछ न थी। वे सारी बातें विस्तार के साथ जानना चाहते थे। अपने अस्वास्थ्य की उन्हें कतई परवाह न थी। बहुत ही धीमी आवाज में बोल पाने पर भी राजनीति छोड़कर शेष सब बानों में वे खूब रचि ले रहे थे।

सदैव की भांति उनका दृष्टिकोण विशाल था। सुदृढ़ नींव पर आधारित दीर्घकालीन योजनापर उनकी नजर लगी हुई थी। प्रति दिन की क्षुद्र घटनाएँ उनके लिए कोई महत्व न रखती थी। उनके मतानुसार सरल और दीर्घ मार्ग ही निकटतम मार्ग था।

"स्वतः के विचारों और वायों द्वारा प्रत्येक मानव-हृदय में मंत्रीभाव प्रतिध्वनित करनेवाले आप जैसे अहिंसा के अग्रदूत के प्रति आपके विरोधियों के मन में भय, मदेह व विद्वेष का प्रादुर्भाव होना क्या विस्मयप्रद प्रतीत नहीं होता? क्या आपके सिद्धान्तों में वही श्रुतियाँ रह गई हैं, या उनका प्रयोगशास्त्र ही दोषपूर्ण है?" मैंने जिज्ञासा प्रकट की।

"मैं अविश्वसनीय बन गया हूँ यह क्या मैं जानता नहीं? किन्तु फिर भी मेरे सिद्धान्तों में कोई दोष नहीं है। वह निर्दोष है। और यद्यत् तो जरूरी है ही नहीं कि अहिंसा का फल तत्काल मिले। वरत् तो कालान्तर में ही मिलेगा। किन्तु उसका मिलना गनिश्चित है। इसके लिए आप व्यग्र न हों। वे सभी लोग, जो सप्रति मेरे शत्रु कहे जाते हैं, मेरी मृत्यु के पूर्व मेरे अभिन्न-हृदय मित्र बन जायेंगे। और यदि मेरे जीवनकाल में ऐसा संभव न हो सके तो कम से कम मेरी मृत्यु के बाद तो यह होकर ही रहेगा। किंतु स्मरण रहे कि, यदि मेरी मृत्यु के बाद

भी मेरे ये विरोधक मुझे अपना शत्रु समझते रहे तो, आप जान लेना कि सन्चे अर्थ में अहिंसक बनने में मैं असमर्थ रहा। और यह भी समझ लेना कि मैं किसी भ्रातिपूर्ण सृष्टि में विचरता रहा। अहिंसा कभी असफल हो नहीं सकती। इसमें दोष सिद्धान्तों का नहीं, अपितु साधक का ही है। समय सब कुछ सिद्ध कर देगा। अतः हम अपने विरोधकों के प्रति भी मन में किसी प्रकार का दुर्भाव आने न दें।”

द्वेषी से द्वेष न किया जाय।

१९४५ ई० का वर्ष। गांधी जी पूना पधारे हुए थे।

सवा सौ साल तक जिंदा रहने की बात वे कर रहे थे। इसका यह अर्थ तो नहीं कि इतनी लंबी उम्र पाने के विषय में उन्हें पक्का विश्वास हो गया था।

“मैं सवा सौ साल तक जिंदा रहना चाहता हूँ। किसी समय इस संबंध में मैं उदासीन था। मौत कब आकर मेरा द्वार खटखटायगी इसकी बात आज भी मैं विष्कुलवेफिर हूँ। किंतु अब दीर्घजीवी बनने,—यदि संभव हो तो १२५ वर्ष तक जीवित रहने की दिशा में मैं सर्वथा प्रयत्नशील हूँ। और मनःपूर्वक प्रयत्नशील हूँ। आजकल मैं शक्तिसंचय कर रहा हूँ। नीद भी पूरी लेता हूँ। पहले की अपेक्षा अधिक नियमित भी हो गया हूँ। नियमपूर्वक मालिश कराता हूँ। काम भी कम कर दिया है। कृति की अपेक्षा विचार अधिक सामर्थ्यशील होते हैं। इसीलिए जब मैं शांत रहता हूँ, या वास्तवतः निष्क्रिय दिखाई पड़ता हूँ, तब भी कर्ममय तो होता ही हूँ। किंतु सवा सौ साल तक मैं तभी जीवित रह सकता हूँ जब कि मैं अनासक्त हो जाऊँ। अन्यथा नहीं। और यदि इसके पूर्व ही मेरी मृत्यु हुई तो यह मान लेना चाहिये कि संपूर्ण अनासक्ति की प्राप्ति में मैं असमर्थ रहा।”

“किंतु क्या आप अपने में अनासक्ति की वृद्धि अनुभव करते हैं ?”

“जरूर ! शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टियों से मैं इसे अनुभव करता हूँ। जो भी हो, यदि मुझसे सवा सौ साल तक सेवा लेने की ईश्वर की इच्छा रही रहे, वह मुझे अचरय ही आयुर्वल देगा।”

ईश्वर करे वे सवा सौ साल तक जीवित रहे। प्रभु जब तक उन्हें हमारे बीच रखेंगे तब तक उनकी जरूरत तो हमें है ही।

पिलानी,

३-२-१९४५

मेरे व्यक्तिगत संस्मरण

फेन्नर द्राफवे

युद्ध एक विचित्र बात है कि गांधी जी से मेरा प्रथम परिचय आर्थिक व्यवहार के कारण हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश शाखा का १९२१ ई० में विसर्जन होने के पूर्व, उसके अंतिम मंत्री के नाते डा. सैयद हुसेन के साथ मैं काम कर रहा था। हमें अपना वेतन मिलने में किलब होने के कारण मैंने इस सबष में गांधी जी को लिखा। लोटती डाक से मुझे उनकी ओर से एक चेक मिला। चेकपर उन्हीके हस्ताक्षर देखकर मैं चकित हुआ। बैंक विषयक व्यवहार में—कांग्रेस में सबधित बैंक विषयक व्यवहार से भी—उन्हे कुछ काम पडता होगा इसकी मुझे रनिमात्र फल्पना नहीं थी।

की । मैंने उन्हें बतलाई कि दवा सेवन करने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि मेरा शरीर मुझसे दूर भागा जा रहा है और मैं उसकी ओर देख रहा हूँ । साथ ही विस्तर पर छोड़ा हुआ मेरा शरीर बहुत ही विद्रोही बनकर ऐसी भावनाएँ व इच्छाएँ व्यक्त कर रहा था कि जो स्वयं मेरे लिए सर्वथा अगम्य थी । नींद खुलने पर मैंने देखा कि मैं एक अस्पताल में हूँ जहाँ एक डाक्टर, एक नोकर और दो परिचारिकाएँ मुझे पकड़कर विस्तर पर सुलाने की चेष्टा कर रहे हैं ।

गांधी जी की बात पर से मुझे ऐसा जान पड़ा कि वे दवाओं के प्रयोग के विरुद्ध हैं और उनका ऐसा विश्वास है कि निद्रानाश तथा वेदनाओं पर विजय पाने के लिए मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों का प्रयोग पर्याप्त है । फिर भी इस विषयक मेरे अनुभव जानने के लिए वे उत्सुक थे । क्योंकि एक ही व्यक्ति के भीतर की परस्पर विरोधी वृत्तियाँ किस प्रकार एक दूसरे से अलग की जा सकती हैं यह बात वे मुझे दिखा देना चाहते थे ।

इसके बाद गांधी जी से मेरी मुलाकात १९३१ ई० में, द्वितीय गोलमेज-परिषद् में सम्मिलित होने के लिए उनके लंदन पधारने पर, डोवर में एक जहाज पर हुई । उनके उस समय के आगमन का दृश्य आज भी मेरे मनःचक्षुओं के सामने स्पष्ट रूप से झलक रहा है । सुंदर वस्त्रधारी यूरोपियनों एवं जहाज के चुस्त वर्दीधारी अधिकारियों द्वारा वे घिरे हुए थे । फिर भी घुटनों तक की धोती पहनकर ऊपर से शाल ओढा हुआ यह कृशकाय मानव उन सबसे बढकर प्रभावशाली प्रतीत हो रहा था । उनके होठों पर मुसकराहट थी, और उनके चेहरे से स्नेह व सद्भाव टपक रहा था । उस वातावरण में गांधी जी की आध्यात्मिक शक्ति का प्रभाव कोई भी अवश्य ही अनुभव कर सकता था ।

हम मोटर से लंदन गये । 'फ़रेण्ड्स हाउस' में एकत्रित चारह सौ लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया । मानव-मानव के बीच न केवल स्नेहसंबन्ध की, अपितु सपूर्ण तादात्म्य की कितनी अधिक आवश्यकता है यह बात बहुत ही सरल शब्दों में उन्होंने कही । वे बोले कि तादात्म्य की इस भावना के निर्माण के साथ ही दूसरों को हानि पहुंचाने की हमारे भीतर की हिंसात्मक प्रवृत्ति का अंत हो जायगा । उनके भाषण में वस्तुता न होने पर भी उनके शब्द श्रोताओं को प्रभावित करने की प्रचुर दक्षिण रखते थे ।

इसी सभा के अवसर पर की एक अन्य घटना मुझे आज भी अच्छी तरह याद है। मेरी छोटी लड़की ने कुछ फूल उन्ह भेटस्वरूप दिये। उन्होंने उन फूलों में अपना मुह गड-सा दिया, उन्ह सधा और अपना हाथ उसके मस्तिष्क पर रखवा। तब जिस सहज भक्तिभाव से उनकी ओर देखकर वह मुसकराई उससे ऐसा लगा कि उसके भीतर अपने प्रति सपूर्ण आत्मीयता का भाव पैदा करने में गांधी जी कितने सफल हुए हैं। मैंने सोचा कि जो व्यक्ति इस प्रकार एक शिशु के हृदय में अनायास प्रवेश कर सकता है उसमें अवश्य ही ऐसी सज्जनता होगी जैसी कि बहुत कम लोगों में दिखाई पड़ती है।

गांधी जी के साथ मेरी आखिरी मुलाकात द्वितीय गोलमेज परिषद् के अवसर पर ही हुई। मैंने उनसे अपनी एक स्त्री मित्र क्रेअर विन्स्टन के लिए, उनकी तस्वीर उतारने की अनुमति ले ली थी। तस्वीर उतारने का उसका वनवास का बोर्ड उधर वमरे के एक कोने में तैयार था, और इधर गांधी जी भी चर्खा चलाने के साथ साथ दर्शनार्थियों से बातें करने के लिए जमीन पर बैठ गये। दर्शनार्थियों में धुरधुर राजनीतिज्ञ, लेखक और विचारक थे। लेकिन गांधी जी ने उन सबका समान हार्दिक रूप से स्वागत कर चर्खा चलाते हुए अपने सीधेसादे किंतु मौलिक ढंग से उनसे बात की। वैसे मैंने उनके कई वार दर्शन किये, किंतु युद्ध निवारण अंतर्राष्ट्रीय सभ के अध्यक्ष ग्रनहंम ब्राउन के साथ मेरा उनसे यहा जाना मुझे विशेष रूप से याद है। सप्ताह के प्राय सभी देशों में शांति के जो समर्थक हो गये, उनमें से हजारों ने प्रथम महायुद्ध के समय हिंसक युद्ध में सम्मिलित होने की अपेक्षा बारावास का, इन्ना ही उही बल्कि मृत्यु का भी, किस प्रकार स्वागत किया यह जानने के लिए गांधी जी बहुत ही उत्सुक दिखाई पड़े। बोले, "भारतीय स्वाधीनता गद्गाम की जिम्मेदारियों से मुक्त होने पर सप्ताह के अहिंसा-आंदोलन में भाग लेने की मेरी हार्दिक अभिलाषा है।"

एडन,

१९-२-१९४८

शिमला का वार्तालाप

जार्ज कैटलिन

यहां महात्माजी के जिस जीवन-प्रसंग को मैंने चुना है वह मानव-मान के प्रति उनकी सदैव की आत्मीयता का कोई विशेष द्योतक तो नहीं माना जा सकता। फिर भी, उनके साथ की मेरी पाचवी और अंतिम मुलाकात के मौके पर, बातचीत के लिए अधिक से अधिक वक्त मिले इस उद्देश्य से, अपने स्नान के समय भी उन्होंने मेरा जो स्वागत किया उसकी मैं कद्र करता हूँ। उनके उपदेश के सार-स्वरूप शिमला का वह वार्तालाप, जो हमारी चौथी मुलाकात के वक्त हुआ था, मेरी राय में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और निस्संदेह आश्रम के कागजातों में भी इसकी एक प्रतिलिपि होगी। वही 'महात्मा गांधी के मार्ग पर' नामक अपनी पुस्तक से मैं यहाँ उद्धृत कर रहा हूँ। ।

१९४६ ई० में शिमला के एक शिखर पर स्थित एक बगले की छत पर से, जो हिमालयाभिमुख था, मैंने महात्माजी को देखा। वहाँ और दिल्ली में मैं उनके प्रार्थना-प्रवचनों में भी उपस्थित रह चुका था। मैंने उस श्वेत वस्त्रधारी राष्ट्रपिता से, जब कि मैं, राजकुमारी अमृतकौर और एगाथा हैरिसन उनके साथ छतपर टहल रहे थे, कई प्रश्न पूछे।

“मानवमात्र के जीवन से संबंधित विषयों पर उनके क्या विचार हैं? क्या प्रभावशाली राष्ट्र-संघ का संगठन संभव है? क्या इसके लिए विश्व-मुक्ति दल की आवश्यकता पड़ेगी?” उस समय भारत विषयक वैधानिक प्रश्नों की चर्चा छेड़कर मैं उन्हें तग करना नहीं चाहता था। क्योंकि ऐसे प्रश्नों पर मैं पहले ही मौलाना आजाद, शरच्चन्द्र बोस एवं जवाहरलाल नेहरू से चर्चा कर चुका था। अतः मैं गांधी जी से, बिना किसी आपत्ति के, केवल उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा कर सकता था, जो कि समस्त मानव-जाति के हित की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, और तद्विषयक उनके कुछ विचार सुप्रसिद्ध होने पर भी जिनका पूर्णतया स्पष्टीकरण नहीं हो पाया था।

उनसे अविलंब, निश्चित और निश्चय उत्तर मिला, “हम सदैव अपने मित्रताओं पर दृढ़ रहें। अहिंसा या सिद्धांत ही सत्य हैं। आक्रमण की व्याख्या

करनेवाले हम कौन होते हैं ?” यह विचार मेरे हृदय को बरबस छू गया। क्या ब्रिटेन और फ्रान्स द्वारा जर्मनी के विरुद्ध युद्ध-धोपणा की जाने पर भी जर्मनी को आत्मक राष्ट्र कहा जा सकता है ? अवश्य ही उसके द्वारा पोलेड पर चढाई की जाने पर उसे ऐसा कहा जा सकता था। क्या यह उकसाया हुआ युद्ध है ? सोवियट रूस आक्रमक है या नहीं ? ‘आक्रमण’ की व्याख्या किस आधार पर निर्धारित की जा सकती है ? क्या निष्पक्ष निर्णय को मानने से इन्कार करना आक्रमण नहीं है ?

यातचीत जारी रखते हुए मैंने पूछा, “यदि निष्पक्ष न्यायालय का हम निर्माण कर सके तो बंसा रहेगा ? जो कोई इस न्यायालय द्वारा किया जानेवाला फैसला मानने से इन्कार करेगा उसे आक्रमक समझा जाय।”

उत्तर मिला, “लोगों को अहिंसा की दीक्षा तभी दी जा सकेगी जब शक्ति का निष्पक्ष रीति से प्रयोग करने योग्य सस्कारिता उनमें आ जायगी।”

उनके इस कथन की सत्यता के सबध में मेरे मन में सदेह पैदा हुआ। अधिवास लोगों को वह लागू होता है। किंतु यदि मनुष्यजाति का इतना सुधार हम कर सके कि जिससे निष्पक्ष न्यायालय के लिए आवश्यक चन्द लोग उपलब्ध हो जाय, तो क्या इसका यह अर्थ थोड़े ही होता है कि समस्त मानवजाति को,—गुनहवार और आक्रमक वृत्ति के मनुष्यों को भी, अहिंसा की दीक्षा हम दे सकेगे ? क्या यह सच है ?

तब अपनी यातचीत का ढग सहसा बदलते हुए, जिससे कि महात्मा जी के सपर्यक्त में आनेवाले पाश्चात्य राजनीतिज्ञ चिढ़ जाते हैं, वे बोले, “यदि यास्तव में हम ऐसे निष्पक्ष न्यायालय का निर्माण कर सके तो फिर विश्व-पुलिसदल का भी अवश्य ही स्वागत करेंगे।”

इससे पूर्व के मेरे एक पत्र के जवाब में, जिसमें मैंने यह पूछा था कि पाश्चात्य व्यक्ति गांधी जी के मार्ग पर किस तरह चल सकता है, राजकुमारी ने निम्न पंक्तिया लिखी थी। "उन्होंने अपनी सदिच्छाए आप तक पहुंचाने के लिए मुझे कहा है। उनका कहना है कि असत्य के विरुद्ध लड़नेवाला सच्चा सिपाही अपने निकटस्थ असत्य का ही सामना करता है। इसकी शुरुआत कहा से की जाय यह सवाल उसके सामने कभी पैदा ही नहीं होता।"

गांधी जी के सहवास में मैंने यह भी अनुभव किया कि ईसा मसीह के गिरि-प्रवचन और भगवद्गीता का समन्वय करने एवं उसे अपने व्यावहारिक और राजनीतिक जीवन में उतारने के लिए वे प्रयत्नशील हैं। सतों की सजीव और गतिशील करणा एवं अंतिम मृत्यों के प्रति अपने कर्तव्यपालन के साथ ही लौकिक व्यवहार को निभानेवाले न्यायाधीश की न्यायबुद्धि इन दोनों का समन्वय करने के परंपरागत कार्य को ही उन्होंने भी उठा लिया था। इस कार्य को किस प्रकार संपन्न किया जाय यही वर्तमान काल की गहनतम समस्या है। इस समस्या के समाधान में गांधीजी को जो सफलता मिली है उस पर उपरोक्त बार्तालाप से कुछ प्रकाश तो पड़ ही जायगा। १९४६ ई० और १९४७ ई० की मेरी भारत-यात्राओं का मुख्य उद्देश्य प्रस्तुत जानकारी प्राप्त करने का ही रहा। साथ ही, भारत की स्वाधीनता और स्वातंत्र्यविषयक एशिया-घोषणापत्र के लिए जिनके सहयोग से कार्य करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था उनके भी मैं अभिवादन करना चाहता था। स्मरण रहे कि स्वातंत्र्यविषयक यह प्रेरणा उस महान् आत्मा के सिद्धांतों द्वारा प्राप्त हुई है जिसने आत्मतेज से हिंदू और ईसाई धर्म में समान रूप से जागृति पैदा की है।

लंदन,

१४-४-१९४८.

महात्मा गांधी के संस्मरण

सी. एम. डोक

मैंने जब पहलेपहल गांधी जी के दर्शन किये उस समय मैं पंद्रह वर्ष का लडका था। १९०८ ई० की यह बात है। तब लोग उन्हें मिस्टर गांधी ही संबोध करते थे। उन दिनों, जब सविनय अवज्ञा-आंदोलन पूरे जोश के साथ चल रहा था, वे प्रायः जोहान्सबर्ग के स्मिथ स्ट्रीट पर स्थित हमारे घर आया करते थे। तब का एक प्रसंग मुझे भली भांति याद है। मैं अभी अभी पाठशाला से घर लौटा था। मुझे समझाकर कहा गया, "आहिस्ता से भीतर आना, क्योंकि शहर में हुए हमले में मि० गांधी को सख्त चोट आने से वे अपने घर लाये गये हैं।" दुतल्ले पर के दरामदे के बगलवाले मेरे छोटे से कमरे में बहुत ही अस्वस्थ अवस्था में वे लेटे हुए थे। जब तब वे स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक उनके लिए अपना कमरा खाली करने में मुझे बड़ा गर्व अनुभव हुआ। सप्ताह भर से भी अधिक दिनों तक उनके स्वास्थ्य की पूछताछ करनेवालों का—विशेष रूप से भारतीयों का—हमारे घर पर ताता लगा रहा। रसोईघर में तो ट्रान्स्वाल, नैटाल तथा लोरेस मार्कम के सभी स्थानों से उपहार-स्वरूप आये हुए उत्कृष्ट फलों का ढेर लग गया था। और इतने विपरीत हमारे पड़ोसियों ने, जो इतने दिनोतक हमारे साथ मैत्रीभाव से रहते थे, एक 'वाले आदमी' को हमने अपने घर में आश्रय दिया है यह ज्ञात होते ही हमसे सबंध विच्छेद कर लिया था। इस प्रकार बहुत ही गडबडी के दिन रहे थे।

गांधी जी की उस समय की हालत का दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने स्पष्ट झलक रहा है। उनके अंगुलबगल सहारे के लिए तखिये रखे हुए थे, पाव लगा हुआ उनका चेहरा पट्टिया से बंधा था और बोला न जा सकने के कारण दर्शनार्थियों के प्रश्नों के उत्तर के पास की स्टेज पर लिख रहे थे। किंतु उनसे बोला न जाने पर भी वे भली प्रकार सुन सकते हैं इस बात का न समझकर कई दर्शनार्थी अपने प्रश्न भी स्टेज पर ही लिखते थे। यह सारा दृश्य मूक अभिनय का स्मरण करा देनेवाला था।

एक रात को उन्हें बहुत ही क्षीणता भावना होने लगी। तब हम सबने उनका नयापक्ष के दरवाजे के बाहर कुछ गर्वप्रगिट्ट ईसाई भजना गामुहिया

रूप से गाये । 'Lead Kindly Light' उनमें से एक था और उनके अनुरोध से ही गाया गया था । वह सुनकर, मालूम पडता था, उन्हें बहुत ही सतोष हुआ ।

उनके घाव भरने में विलंब लग रहा था, जिससे वे अधीर हो उठे । मेरे पिता जी से वे बोले कि यदि उनके चेहरे पर गीली मिट्टी की पट्टी रखी गई तो उससे निश्चित रूप से लाभ पहुंचेगा । चुनौचे उसी घड़ी कुदाली और डोल देकर किसी दूरके व ऊँचे स्थान की साफ़ मिट्टी लाने के लिए मुझे भेजा गया । जिस खुले स्थान से यह मिट्टी मैं ले आया था उस स्थान पर अब यूहूदियों का प्रमुख धर्ममन्दिर बन गया है । हमने गीली मिट्टी की पट्टिया तैयार की और मेरी माने उनके घावों पर वे बाँधी । हमारे द्वारा किये गये इस उपचार को देखकर डाक्टर झुझला गया और उसने रोगी के प्रति अपनी जिम्मेदारी से हट जाने की हमें धमकी भी दी । किंतु इसके दो ही दिन बाद मि० गांधी वरामदे में रखी गई आरामकुर्सी पर बैठकर फल खाने लगे । उक्त कुर्सी आज भी हमारे घर में रखी हुई है, और उसे हम 'महात्मा गांधी की कुर्सी' कहते हैं ।

दूसरा दृश्य, जो मुझे याद आता है, वह है हमारे इस सुहृद का पुलिस के साथ टीला चढकर फोर्ट (जोहान्सवर्ग का जेलखाना) की ओर जाते समय का । उन्हें हथकड़ियां नहीं लगाई गई थी—क्योंकि पुलिस का उनमें इतना अधिक विश्वास था कि हथकड़िया लगाकर उनको अपमानित करने की उसे जरूरत ही मालूम न हुई । मैं और मेरी बहन अस्पताल के पश्चिम से जानेवाले रास्ते की दूसरी बाजू से उन्हीं के समानांतर चल रहे थे । हमने बिना पुलिसवाले को मालूम कराये उनका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने की कोशिश की । किंतु वे नजर सीधी रखकर चल रहे थे । जेल के फाटकपर पहुंचने पर ही वे मुझे और हमें देखकर उन्होंने हाथ हिलाया । और वे पुनः एक बार जेल के सींगियों में बंद कर दिये गये । मन ही मन हमने उनकी पूजा की । हमारी दृष्टि में वे परमोच्च आत्मत्याग के आदर्शस्वरूप थे ।

इसके बाद मैंने उन्हें भीड़ से भरे वैप्टिस्ट चर्च में देगा । उस समय यह गिरजाघर जोहान्सवर्ग के प्लेन स्ट्रीट में था । १५ अगस्त १९१३ को रोडेमिया में स्वर्गवानी हुए मेरे पिता जी के लिए आयोजित स्मृति-प्रार्थना में सम्मिलित

होने के हेतु वे डर्बन से विशेष रूप से पधारे थे। प्रवासी भारतीयों के आंदोलन में स्वर्गीय मित्र द्वारा प्रदत्त सहयोग की उन्होंने उक्त प्रसंग पर बहुत ही भावपूर्ण शब्दों में प्रशंसा की। अपने मित्र के प्रति अर्पित उनकी इस श्रद्धाजलि से उपस्थित सभी लोगों को ऐसा लगा कि समान ध्येय से प्रेरित अतः करण के भीतर से ही ये गौरवपूर्ण उद्गार निकले हैं। गांधी जी ने इतनाही कहा, "मि० डोक का जीवन सर्वस्व-समर्पण का था। उन्होंने अपने निर्माता के चरणों में सर्वस्व अर्पित किया था। अपने इसी निर्माता की सेवा के लिए अधिक श्रेष्ठ और ऐश्वर्यसंपन्न देहरूप में उनका पुनरुत्थान होगा।" उस दिन की स्मृति-प्रार्थना का सार-सर्वस्व मि० गांधी की इस श्रद्धाजलि में ही समाया हुआ था।

ता १३ दिम्बर १९२१ को महात्मा गांधी ने भारत से जो एक पत्र मेरे नाम इंग्लैंड भेजा था उसमें का एक वाक्य यहाँ विशेष रूप से उद्धृत करने योग्य है। महीना व्याधिग्रस्त रहने के बाद मैंने उन्हें जो पत्र लिखा था उसके उत्तर में वह आया था। लिखा था, "मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ कि सिवाय प्रार्थना के मैं कुछ भी नहीं करता।" समस्त राजनीतिक उलझनों के बीच भी महात्मा गांधी जो श्रद्धामय प्रार्थना-जीवन बिताते हैं उसकी ओर लोगों का ध्यान प्रायः जाता ही नहीं। धार्मिक मामलों में उनके विचार हमारे विचारों में कभी मेल न ग्यते थे। १९१३ ई० के अपने एक भाषण में खुद उन्होंने ही यह बात स्वीकार की है। वे कहते हैं, "मैं, एक हिंदू होने के नाते, ऐसा मानता हूँ कि हिंदू धर्म के प्रवास में और उमी की महायत्ना से की गई मीमांसा के द्वारा ही ईसाई धर्म का पूर्ण आकलन हो सकता है। किंतु इसमें मि० डोक का समाधान न होता था, और स्वयं उन्होंने मृत्यु की जिम रूप में ग्रहण किया था उमी रूप में यह मेरे गठे उत्तारने का एक भी मौक़ा वे हाथ में आने न देते थे। फिर भी इसी मृत्युने उन्हें और उनके आत्मीयों को अपार शांति प्रदान की है।"

अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद, ता. २६ जुलाई १९४४ को, मेरे नाम भेजे गये एक अन्य पत्र में महात्मा गांधी लिखते हैं, "आपका स्नेहपूर्ण पत्र मुझे बंधी की जाल में मिला। यहाँ मैंने किसी को भी पत्र लिखे नहीं। या के शरीर का अग्निगमन हो जाने पर भी यह मसा मेरे मस्तिष्क में। हृदय और बुद्धि द्वारा यह मन्त्र गमन होने पर भी अपने प्रति स्वयं की गई विद्वेष्यायी मवेदना

“Lead Kindly Light” प्रार्थना-गीत तुम्हारे कठ से आज भी सुनना मुझे कितना अधिक भाता । उक्त प्रसंग का तुम्हें तो स्मरण न होगा, किंतु मुझे है । और वह इतना स्पष्ट है कि यदि मैं चित्रकार होता तो उसे अवश्य ही चित्रित कर देता ।” पश्चात् वे अपने दो कनिष्ठ पुत्रों, अर्थात् रामदास एव देवदास को, कुछ सुदर ईसाई गीत गाना सीखने के लिए, सप्ताह में दो बार मेरे पास भेजते रहे । मैंने इसे अपने ऊपर उनका बड़ा भारी अनुग्रह माना । सुख की कितनी ही घड़िया हमने साथ साथ बिताई हैं ।

पुलटिस ने अपना असर दिखाया, और जब डाक्टर को यह बतलाया गया तब उसका चेहरा देखने ही लायक बना । उसे स्वीकार करना पड़ा कि इस इलाज से घावों को जरा भी धक्का नहीं लगा है, बल्कि वे अच्छी तरह भर रहे हैं ।

इस इलाजको मैं कभी भूली नहीं । यहाँ मध्य अफ्रीकामें, विशेषत घटी रोग में, मैंने इसके प्रयोग किये, जो कई लोगों की प्राणरक्षा करने में सफल रहे ।

व्याधिमुक्त होने के बाद से तो मि० गांधी हम वालको के लिए देवता-स्वरूप बन गये । उनके सुकुमार व्यक्तित्व के प्रशांत प्रभाव से हम सब आश्चर्य-चकित थे ।

इसके लगभग सालभर बाद गांधी जी का निमंत्रण स्वीकार कर हमने जोहन्सवर्ग के समीपस्थ उनके टालस्टाय फार्म की यात्रा की । यहाँ हमने मि० गांधी को अपने ‘विशाल कुटुंब’ के साथ स्वतः के विचारानुसार आदर्श-पूर्ण सादा जीवन बिताते देखा । आत्यव्यशील गांधी जी ने उस दिन हमारा चिरस्मरणीय स्वागत-सत्कार किया ।

किंतु तत्कालीन आंदोलन से सबधित एकमात्र महत्वपूर्ण व्यक्ति के नाते स्वतः के लिए आयोजित स्वागत-समारोहों और दावतों के अवसर पर दिये गये उनके भाषण मुझे सर्वाधिक चित्ताकर्षक प्रतीत हुए । उनके निरहकारी व्यक्तित्व के कारण उनकी सदैव की सीधी-सादी, स्पष्ट और मुसबद्ध वक्तुत्व-शैली श्रोताओं के हृदय को बरबस छू जाती है । निर्भयता और न्यायपरता से पूर्ण अपनी इत्ती वाणी द्वारा उन्होंने कई लोगों से मंत्री जोड़ ली है ।

फार्म स्टेशन पर लोगों द्वारा किये गये मि. गांधी के भव्य स्वागत-मन्मान के ऐसे अनेक प्रसंग, जब कि वे आन्दोलन के काम से बाहरगाव जाकर वापस

इस प्रकार की उनकी रहन-सहन एवं उसके परिणामस्वरूप लोगों पर पड़नेवाले उनके उदार, शांत और प्रेमपूर्ण स्वभाव के असीम व अक्षय प्रभाव को मैं, उस समय एक अल्पवयस्क लड़की होने पर भी, भली भांति समझती थी। “जो लोग प्रभु, प्रभु कहकर केवल मेरे नाम की रट लगाते हैं, उन्हें स्वर्ग के साम्राज्य में प्रवेश मिल नहीं सकता, वहां प्रवेश तो उन लोगों को ही मिलेगा जो मेरे स्वर्गस्थ पिता के आदेशानुसार आचरण करते हैं।” श्रद्धा और कर्म परस्पर के साथी हैं।

दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह-संग्राम चरम सीमा को पहुँच चुकने पर जब एक दिन जोहन्सबर्ग की सड़क में गांधी जी पीटे गये तब सेवासुश्रूपा के लिए अपने घर उनका स्वागत करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। उस सबूटपूर्ण समय में यदि गांधी जी अस्पताल में रखे गये होते तो अपने इस नेता में संपर्क स्थापित करना लोगों के लिए कठिन हो जाता। चूंकि हमें ही यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस दिन प्रातःकाल मेरे पिता उनको एक इक्के में अपने साथ किस प्रकार घर लाये यह बात मुझे बहुत ही अच्छी तरह याद है। शीघ्र ही एक डाक्टर ने आकर आवश्यकता के अनुसार टांके लगाये और उन्हें यथा-संभव आराम पहुँचाया गया। उनका सारा सर भरहमपट्टियों से बँधा होने के कारण वे बोल न सकते थे। किंतु उनकी आँखें जो बोल रही थीं! और बातचीत का काम एक स्लेट में चलाया गया।

“Lead Kindly Light” प्रार्थना-गीत तुम्हारे कठ से आज भी सुनना मुझे कितना अधिक भाता । उक्त प्रसंग का तुम्हे तो स्मरण न होगा, किंतु मुझे है । और वह इतना स्पष्ट है कि यदि मैं चित्रकार होता तो उसे अवश्य ही चित्रित कर देता ।” पश्चात् वे अपने दो कनिष्ठ पुत्रों, अर्थात् रामदास एव देवदास को, कुछ सुदर ईसाई गीत गाना सीखने के लिए, सप्ताह में दो बार मेरे पास भेजते रहे । मैंने इसे अपने ऊपर उनका बड़ा भारी अनुग्रह माना । सुख की कितनी ही घड़िया हमने साथ साथ बिताई हैं ।

पुलटिस ने अपना असर दिखाया, और जब डाक्टर को यह बतलाया गया तब उसका चेहरा देखने ही लायक बना । उसे स्वीकार करना पड़ा कि इस इलाज से घावों को जरा भी धक्का नहीं लगा है, बल्कि वे अच्छी तरह भर रहे हैं ।

इस इलाज को मैं कभी भूली नहीं । यहा मध्य अफ्रीका में, विशेषत घटी रोग में, मैंने इसके प्रयोग किये, जो कई लोगों की प्राणरक्षा करने में सफल रहे ।

व्याधिमुक्त होने के बाद से तो मि० गांधी हम बालकों के लिए देवता-स्वरूप बन गये । उनके सुकुमार व्यक्तित्व के प्रशांत प्रभाव से हम सब आश्चर्य-चकित थे ।

इसके लगभग सालभर बाद गांधी जी का निमंत्रण स्वीकार कर हमने जोहन्सवर्ग के समीपस्थ उनके टालस्टाय फार्म की यात्रा की । यहा हमने मि० गांधी को अपने ‘विशाल कुटुंब’ के साथ स्वत के विचारानुसार आदर्श-पूर्ण सादा जीवन बिताते देखा । आत्यय्यशील गांधी जी ने उस दिन हमारा चिरस्मरणीय स्वागत-सत्कार किया ।

किंतु तत्कालीन आंदोलन से सबधित एकमात्र महत्वपूर्ण व्यक्ति के नाते स्वत के लिए आयोजित स्वागत-समारोहों और दावतों के अवसर पर दिये गये उनके भाषण मुझे सर्वाधिक चित्ताकर्षक प्रतीत हुए । उनके निरहकारी व्यक्तित्व के कारण उनकी सदैव की सीधी-सादी, स्पष्ट और सुसंबद्ध वक्तुत्व-शैली श्रान्ताओं के हृदय को बरबस छू जाती है । निर्भयता और न्यायपरता स पूर्ण अपनी इसी वाणी द्वारा उन्होंने कई लोगों से मैत्री जोड़ ली है ।

पार्क स्टेशन पर लोगों द्वारा किये गये मि. गांधी के भव्य स्वागत-सम्मान के ऐसे अनेक प्रसंग, जब कि वे आन्दोलन के काम से बाहरगाव जाकर वापस

लौटे थे या विशिष्ट व्यक्तियों के स्वागतार्थ वहां उपस्थित हुए थे, मुझे स्पष्ट रूप से याद है। इस प्रकार के प्रसंगों पर फूलमालाओं की विशेष रूप से भरमार रहती थी, दर्शनार्थियों की भीड़ लग जाती थी और सारा वातावरण खिल उठता था। ऐसे थे वे ऐतिहासिक दिन और उनका केन्द्रस्थान बने हुए विनम्र-मूर्ति मि० गांधी !

न केवल एक ऐतिहासिक पुरुष के नाते, अपितु एक सुहृद के नाते, उनसे मेरा जो परिचय हुआ उसे मैं अपना सौभाग्य और सम्मान समझती हूँ।

काफ़ुलाफ़ुटा (उत्तरी रोडेशिया),

१२-५-१९४६.

पुनश्च

इस तीसरे पहर मेरे मन की आखों के सामने पुनः पुनः वह दृश्य नाच रहा है जो कि मैंने विभिन्न प्रसंगों पर गांधी जी के गले में हार डाले जाते समय देखा था। वायनाट की जेल से, जहाँ वे सविनय अवज्ञा-आंदोलन के दिनों में कानून तोड़ कर नैटाल की सीमा लाघने के अपराध में सजा काट रहे थे, उनके छूट जाने पर जोहन्सबर्ग स्टेशन उनके स्वागतार्थ उपस्थित भारतीय और यूरोपियन देशभक्तों की अपार भीड़ से खचाखच भर गया था। ज्योंही उनकी ट्रेन प्लेटफार्म पर आकर रकी और वे अपने डिब्बे से उतरे त्योंही लोगों ने उन्हें फूलमालाओं से इस कदर लद दिया कि उनके लिए हिलनाडुलना तक मुश्किल हुआ, और रेलवे के अधिकारीगण एवं पुलिस के आदमी स्वागत का यह दृश्य मुह पसारकर देखते रह गये। वस्तुतः स्वतः की यह प्रसिद्धि उन्हें नतई पगद न थी। फिर भी प्लेटफार्म से लेकर स्टेशन के प्रवेशद्वार पर अपने लिए तैयार रखी गई मोटर के पास पहुँचने तक उन्होंने बहुत ही विनम्रता और सज्जनता के साथ इस सारे स्वागत-सम्मान या स्वीकार किया। सविनय अवज्ञा-आंदोलन में भाग लेने के फलस्वरूप सजा आदि भुगतकर जब जब वे छूट आये हैं तब हर बार उनके स्वागतार्थ पार्क स्टेशन अपूर्व रूप में मजाया जाते माने गये हैं।

इसी प्रकार उनके सम्मान में, या उनके महयोगियों के सम्मान में, समग्र मगद पर ही गयी दावता गवर्था मेरे अनुभव अधिस्मरणीय हैं। शायद वे परागो जानेवाली हर पीढ़ी अथवा दर्जे की हाजी थी, और मंचों में महमानों के

प्रवध मे किसी भी प्रकार की त्रुटि रह न जाती थी । कमरे के बीचोबीच रखी गई लबी मेजो के पास बैठे हुए हम लोगो की आखे दूसरे छोरपर फूलमालाये पहनकर बिराजे हुए प्रमुख सम्माननीय अतिथियो पर गडी रहती थी । किंतु भाषण देने के लिए गाधी जी के उठते ही सर्वत्र शांति स्थापित होकर सब पर एकमात्र उन्ही के व्यक्तित्व का प्रभाव छा जाता था । और तब श्रोतागण उनकी क्षीण काया और नाटे कद को बिल्कुल भूलकर उनके व्यक्तित्व से एकतान होते थे । भारत के प्रति उन्हे क्या ही अगाध प्रेम था, और अपने न्यायसगत आंदोलन मे सब को सम्मिलित करने के लिए कितने तो कष्ट उन्होने उठाये ! सदा सौम्य और विनम्र गाधी जी सामर्थ्यशील भी पूरे थे ।

एक दिन उनसे निमन्त्रण पाकर हम सब उनका टालस्टाय फार्म देखने गये । वहा वे 'सादा जीवन' विताने के प्रयोग कर रहे थे । पाश्चात्य पद्धति की पोशाक का त्याग कर हाथ कते सूतके वस्त्र पहनना उन्होने शुरू कर दिया था । घर का सब कामकाज भी खुद करने लग गये थे । आश्रम के लिए आवश्यक शाक-सब्जिया भी वे और उनके सहयोगी फार्म पर ही पैदा कर लेते थे । इस दिशा मे कभी कभी निराश होने पर भी अपने प्रयोगो की अतिम सफलता के सबध मे वे आशापूर्ण थे । तब से सदैव इसी दिशा मे प्रयत्नशील रहकर जनता के साथ वे एकरूप हो गये ऐसी मेरी धारणा है ।

मतभेद होते हुए भी—

वांडा डिनोवस्का (उमादेवी)

गांधी जी सबधी अपने अनुभव लिपिवद्ध करने वा बचन थी चद्रगजर मुसल को दे चकने के कारण यह वाम, चाह वह कितना ही कठिन त्या न हो, जय पूरा किये जिना छुटकारा नहीं । अधिक दिनचरन की बात तो यह है कि इस लेख म मुक्त अपने व्यक्तिगत कार्यों वा अपरिहार्य रूप मे उल्लेख करना पड़ेगा, जय कि मैं इस त्रिभुल नापसंद रखती हू । किंतु यदि मैं ऐसा न कर ता जो बात में प्रवास म लाना चाहती हू उनका सत्य स्वरूप किसी की गमक म ही न जावेगा ।

मुद का प्रथम वर्ष मैंने यूरोप म बिताया । वहा पारंगत नाजिवा वा मने देगा । ऐम उदात्ता वा में मामना रख रही थी कि जा अन्य गण्टा ने न ता अभी

देखे होंगे, न उन्हें इनकी कोई कल्पना ही होगी। अतः मित्र राष्ट्रों ने (ब्रिटेन ने भारत में, दूसरे राष्ट्रों ने अन्यत्र) चाहे कितने ही पापपूर्ण, क्रूर, दुष्कर्म क्यों न किये हों, फिर भी कुल मिलाकर देखा जाय तो नाजियों की तुलनामें उनका नैतिक धरातल कहीं अधिक उच्च होने के सबंध में मुझे जरा भी संदेह नहीं था। मानवता की अंतिम पतिततावस्था, जर्मन-शिविरो में काम में लाये जानेवाले अधम, अघोरी, अत्याचारी उपाय, यहूदी और पोलिश लोगों का नाजियों द्वारा किया जानेवाला उन्मादपूर्ण उत्पीड़न आदि सब बातें किसी की भी कल्पना के इतनी परे थीं कि उनकी तुलनामें मित्र-राष्ट्र कुलीनता एवं साधुता के मानों आदर्श प्रतीत होते थे। और ऐसा लगता था कि उन्हीं की विजय होने से उपरोक्त नर्क-लोक से मुक्ति मिल सकेगी।

इसके सालभर बाद एक ही उत्कठा से, एक ही ज्वलत प्रश्न लेकर, मैं भारत आयी। भारत किसके पक्ष में रहेगा? क्या भारत, यह जानते हुए कि इन 'अच्छे' राष्ट्रों में भी अपने ऊपर अत्याचार करनेवाला एक राष्ट्र है, अपनी शक्ति शीघ्रता, स्वेच्छा और स्वयस्फूर्ति के साथ उनके पक्ष में लगा देगा?

मैंने उस सबंध में गांधी जी में चर्चा की। मैं समझती हूँ कि उनके इस विषयक विचारों का पुनरुच्चारण करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वे सुप्रसिद्ध हैं। अवश्य ही मेरा मतपरिवर्तन करने में वे असमर्थ रहे। मेरा सारा हृदय यूरोपीय राष्ट्रों की वेदनाओं में भग हुआ था। मानो प्रत्यक्ष मानवजाति पर ही होनेवाले उन नृशमतापूर्ण अत्याचारों की स्मृतियों में मेरा चित्त व्याप्त था। मानवता का भविष्य मुझे सपटापन्न प्रतीत हुआ।

मैं गांधी जी के 'व्यक्तिगत अत्याग्रह' आंदोलन के विरुद्ध थी। क्योंकि इससे पहले मैं ही प्रमुख द्वेषभाव और अधिक बढ़ेगा ऐसी मेरी धारणा थी। ऐसे समय में, जब कि युद्ध उग्र रूप धारण कर चुका हो, 'प्रत्यक्ष शरणागति' के प्रयोग के भी मैं विरुद्ध थी। क्योंकि मेरी राय में समस्त मानवजाति ही समस्या के अग्रगण्य ही भाग्य की समस्या भी जा जाती थी, जिसमें दून दोनों को परस्पर में भिन्न मानने की बात में सोच ही न गजनी थी।

या गलत यह सर्वथा निरर्थक प्रश्न है। अवश्य ही सब कुछ मैंने खुले दिल से लिख दिया था। हा, उनके लिखते समय जैसी मेरी भावनाएँ उद्दीप्त हुई थी, वैसे ही भाषा भी। अपनी आदत के अनुसार मैंने उक्त पत्र बिल्कुल बेरुखेपन से लिखने के कारण उनमें अधिकांश कठोर भाषा का ही प्रयोग हुआ था। खैर। जवाब में उनसे दो-एक पत्र मुझे प्राप्त हुए। मेरी आखिरी चिट्ठी गांधी जी को अगस्त १९४२ में उनकी गिरफ्तारी के कुछ ही दिन पूर्व मिली।

अब ज़रा इनकी प्रतिक्रियाओं पर गौर करें। अपनी चिट्ठियों के जवाब में मुझे उनसे प्राप्त पत्र अप्रतीम थे। स्नेहभरे, सदय, गंभीर, —“उमा, एक दूसरे से हमारा मतभेद हो जाने पर भी उसके कारण अपने पारस्परिक स्नेह-संबंध में आंच न आने पावे।” (यह लिखते समय उनके मूल पत्र पास न होने से केवल अपनी स्मरणशक्ति के आधार पर उनके उक्त शब्द मैं उद्धृत कर रही हूँ।)

अपनी गिरफ्तारी के एक ही दिन पूर्व उन्होंने मारिस फ़िडमैन से, जो कि हम दोनों के समान रूप से मित्र हैं, बातचीत के सिलसिले में मेरी चिट्ठियों का संवेद जिक्र किया था। विकट समस्याओं, कष्ट-ब्लेश, व्याधि-उपाधियों, —जैसे अ. भा. कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन, ऐतिहासिक अगस्त-प्रस्ताव, देशभर में मची हुई उथलपुथल आदि सबकी अविलंब ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण कार्य का भार सरपर होते हुए भी, उन्होंने मूझ जैसे एक दूरस्थ और साधारण व्यक्ति की भावनाओं पर, क्षणभर के लिए ही क्यों न हो, अपना ध्यान केंद्रित किया यह कितनी अद्भुत बात है! ऐसा दूसरा कौन है जो एक व्यक्ति के प्रति इतनी आस्था दिखाता? क्या कोई अन्य नेता स्वतः से मतभेद रखनेवाले अपने किसी मित्र की बातों पर, उसके प्रति मन में जरा भी दुर्भाव लाये बिना, गौर करने के लिये तैयार हो जाता?

वे जेल चले गये।

इस बीच घटनाचक्र बहुत कुछ बदला। जिस जहर के खिलाफ़ मित्र-राष्ट्र लड़ रहे थे उसके चक्कर में वे खुद ही अधिकाधिक फसते गये। अब बापू की विचारप्रणाली मुझे जरा जरा अच्छे लगी। पश्चात् वे जूहू पधारे।

मैं उनकी प्रार्थना-सभा में गई। वह सोमवार, अर्थात् उनका मौन-दिन निकला। प्रार्थना समाप्त होने पर मैंने पास जाकर उन्हें प्रणाम किया।

ओह ! उनका स्मित तो मानो स्नेहार्द आलिंगनही था ! इसके पूर्व या बाद में भी कभी, मुझे इस प्रकार इतने स्पष्ट रूपसे उनके हार्दिक स्नेहालिंगन की अनुभूति नहीं हुई । मजाक के तौर पर उन्होंने लिखकर पूछा, "उमा, क्या अब भी नाराज हो तुम मुझसे ?"

"नाराज तो कभी हुई ही नहीं," जवाब में मैंने कहा ।

"तो फिर रोज़ यहा आया करो, सब बातों की चर्चा करेंगे ।"

सो मैं आने लगी, और बड़ी देर तक हम दोनों की मजेदार बातचीत चलती रही । अपना दृष्टिकोण, अपने आचार-विचार की रूपरेखा, और अपनी भावनाएँ मुझे समझाने की उन्होंने चेष्टा की ।

क्या कोई दूसरा यह सब करता ?

उन्होंने अपनी आशा के विपरीत मेरा आचरण होते हुए भी मेरे प्रति कभी जरा भी निराशा प्रकट नहीं की । बल्कि मुझे तो ऐसा प्रतीत हुआ कि उनका स्नेहभाव अधिक गहरा हुआ है, उनकी सदैव वृत्ति सूर्यप्रवाश के सदृश उज्ज्वल बनी है । जूझ में उन दिनों मुझे उनकी सदैव आत्मीयता के जितने प्रमाण मिले उतने पहले कभी नहीं मिले थे ।

एक बार जब मैं देशसेविवाओं की कतार के पीछे खड़ी थी तब उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाकर मेरा हाथ पकड़ा, और मुझे भीतर की ओर सींचते हुए बोले, "आ, इधर जा जा, तुम तो हममें से ही एक हो जी !" स्मरण रहे कि उनकी आलोचना करने या दाइस दिखानेवाले, उनके आंदोलन के विरुद्ध विद्रोह पुकारनेवाले एक व्यक्ति पर यह स्नेहवर्षा हो गयी थी ।

आचरण व्यापक सहिष्णुता, दूसरे की भावनाओं के प्रति असीम आदर एवं सच्ची महानुभावता का द्योतक नहीं है ?

मेरा दूसरा उल्लेखयोग्य अनुभव १९४५ ई० का है, जब कि पोलैण्ड द्वारा दुर्भाग्यपूर्ण प्रत्याग्रमण जारी था। रूसियों द्वारा उकसायी गई और वैमानिक सहायता सवधी मित्र-राष्ट्रों के अभिवचनों पर अवलंबित पोलैण्ड की इस शूर राजधानी ने स्वदेश पर अधिकार जमानेवाले नाजियों के विरुद्ध भयानक स्वरूप का विद्रोह पुकारा, और रूस एवं मित्र-राष्ट्रों द्वारा धोखा दिया जाने पर भी ६३ दिन तक निराशापूर्ण, अयशस्वी युद्ध जारी रखा। तब वापू बवई में थे। मैं अक्सर उनसे मिला करती थी। हृदयस्पर्शी उत्सुकता के साथ उन्होंने ताजा खबरे पूछी। और सुनकर मुझे धीरज बँधाया। वार्सा की जनता द्वारा जारी सशस्त्र सग्राम के प्रति उन्होंने कभी भी निषेध प्रकट नहीं किया। १९३५ ई० के पोलिश-प्रतिकार की तरह उन्हीं के प्रस्तुत प्रत्याग्रमणात्मक युद्ध को भी वे 'अधिकांशतः अहिंसक' सवोधते थे। तभी उन्होंने रक्तरजित वार्सा के लिए अपना अद्भुत सदेश लिखा, जिसका 'All for Freedom' नामक पोलैण्ड के महान् सग्राम सवधी अपनी पुस्तक में प्रस्तावना के रूप में मैंने अतर्भाव किया है। एक मौन-दिन पर खुद के हस्ताक्षर में लिखा गया उनका उक्त सदेश इस प्रकार था — "वार्सा की व्यथा पोलैण्ड की भी व्यथा है, और पोलैण्ड की व्यथा तो सारे सनस्त ससार की व्यथा है।"

उनके कारण्य एवं मेरे देश की यातनाओं के प्रति उनकी उक्त तीव्र सवेदना से उनके हृदय की विशालता व्यक्त हो रही थी। स्वदेश के कष्टवलेशों के समान ही एक सुदूर देश के कष्टवलेशा को अनुभव करनेवाला उनका हृदय समस्त विश्व का आश्रयस्थान बनने की क्षमता रखता था। अपनी दृग्दृष्टि से उन्होंने बहुत पहले यह भविष्यवाणी कर रखी थी कि मित्र राष्ट्र पोलैण्ड को पुनः पोगा देकर दुष्ट शत्रु के हाथ उस बँच डालेंगे। सालभर के भीतर ही यह भविष्यवाणी सरी होकर रही। किमी अचेतन वस्तु की तरह पोलैण्ड, वहाँ की जनता की इच्छा के विरुद्ध एवं उसके प्रबल प्रतिकार के बावजूद, सन स 'द रिया' गया। सोवियट रूस द्वारा व्याप्त पोलैण्ड के भवितव्य के सत्रथ में गांधी जी के मन में जरा भी सवह नहीं था। क्याकि भारत एवं अन्धान्य देशों के सम्बन्धों के पारनामा में वे भली भाँति परिचित थे। १९४५ ई० में कुछ दग्नायजों के साथ पजाय में मरे लोट जाने के बाद जब सन स विषय पर हम दाना की चर्चा

चली तब वे मुझसे बोले, "उनके विध्वसात्मक कार्यों से मैं पूर्णतया परिचित हूँ। किंतु, उमा, स्मरण रहे कि उनके विरुद्ध प्रत्यक्ष रूप से लड़झगड़कर हम यश के भागी बन नहीं सकते। हम यशस्वी हो सकते हैं विधायक कार्यों से, मानवमात्र के प्रति प्रेमादर की भावना बढ़ाने से, सच्ची स्वाधीनता की दिशा में सचेष्ट रहने से, प्रभु-सेवा से,—सक्षेप में उनके द्वारा उपेक्षित इन सभी कार्यक्षेत्रों में उतरने से।"

बापू द्वारा दी गई यह नसीहत मैं भली भाँति समझ गई। क्या वे बुद्ध व ईसा के इन वचनों का ही, कि 'अमंगल से अमंगल पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती' 'द्वेष से द्वेष का शमन नहीं किया जा सकता,' पुनरुच्चार नहीं कर रहे थे ?

अपने उपदेशों के अनुसार ही आचरण करनेवाले गांधी जी न केवल भारत के अपितु समस्त पीड़ित मानवजाति के बन गये हैं।

बचई,

१५-१-१९८८

आप शोक न करें

चाहता था, किंतु ऐसा करने से मुझे रोका गया । परंतु उपरोक्त पत्र प्राप्त होने के बाद से तो मेरी यही धारणा बन गई कि आल इंडिया रेडियो की किस्मत में अयश ही वदा है । उक्त पत्र ही मैं नीचे उद्धृत करता हूँ —

सेगाव, वर्धा, ३-१-१९३७.

प्रिय फिल्डेन,

आपने मेरे प्रति जो विश्वास प्रकट किया उसका मैं स्वागत करता हूँ । आपके कष्टों में मेरी सहानुभूति आपके साथ है । किंतु यदि आप अपने वर्तमान पद पर बने रहना चाहते हैं, और देश का हित भी होता हो, तो यह सहानुभूति निरपेक्ष भाव से ही स्वीकार करे । आपके व्यक्तिगत चारित्र्य पर लगाया गया किसी भी प्रकार का अभियोग हीन है । किंतु प्रत्येक समाज में निदको का एक वर्ग तो रहता ही है । उनकी वाते आप हसकर उडा दे । अब आलोचको को ले । समुचित आलोचना की आप उनसे आशा न करे । सार्वजनिक हित की दृष्टि से लिखनेवाले बहुत कम होते हैं । अधिकांश लोग तो पैसे के लिए लिखते हैं । अलावा इनके एक तीसरी श्रेणी के लोग हैं । आप यह चाहते हैं कि वे आपके पास आये, किंतु वे तो नहीं चाहते । इच्छा होते हुए भी वे आपके पास नहीं फटकते । आपके द्वारा दी गई सुविधाओं से उनका लाभ उठाना आप पसंद करते हैं यह तो वे जानते हैं, किंतु साथ ही वे यह भी जानते हैं कि इस प्रकार के सहयोगसे अभिलाषित हित की अपेक्षा अहित ही अधिक होगा । राजकुमारी की ही बात लीजिये । वह भी कुछ कदमोंसे आगे बढ़ न सकी । अतः आप इसके लिए शोक न करे, बल्कि यह मानकर चले कि जिस प्रकार की परिस्थिति से हम घिरे हुए हैं उसमें अपरिहार्य रूप से ऐसा ही होगा ।

लदन,

२७-१२-१९४५

आपका

मो० क० गांधी

देवदूत गांधीजी

बेल्थी होनसिंगर फिशर

अपने परिचित किसी भी अमेरिकन की अपेक्षा मेरे पति स्वर्गीय विशप फ्रेड वी. फिशर भारतवर्ष और वहा के निवासियों के प्रति अधिक आस्था एव उनके सबध में अधिक जानकारी रखते थे। मि० गांधी से अपना साक्षात्कार होने से पंद्रह वर्ष पूर्व ही उन्होंने इस देश एव उसके साहित्य, दर्शनशास्त्र व निवासियों का अध्ययन आरम्भ कर दिया था। क्योंकि वार्डस वर्ष की युवावस्था में 'अपनी पीढी में ही ससार को ईसा के पक्ष में बश कर लेने' की तीव्र लालसा से उपदेशक और प्रचारक के नाते वे आगरा जाकर बसे थे। १९०४ ई० की यह बात है, जब कि सारा ससार अत्यंत दुर्जेय साम्राज्यवाद के पैरो तले दबा-दबाया पडा हुआ था।

फ्रेड की माता एक ऐसे जीवन-धर्म में पली थी, जैसा कि गृहयुद्ध के समय फरार व्यक्ति बताते हैं। उसकी मा भी 'उत्तरी' प्रदेश में अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले निघों की आश्रयदात्री रह चुकी थी। इसी परंपरा में फ्रेड फिशर भी पलने के कारण बाले आदमियों के प्रति गोरों के प्रत्येक प्रकार के दुर्व्यवहार से उनका रून गोल उठता था, गोरोंके अन्यायपूर्ण वर्ताव को देखकर उनकी आत्मा जल उठती थी। १९३९ ई० में, अपनी मृत्यु के चौबीस घंटे पूर्व, एक विनाल जनसमुदाय के सम्मुख भाषण देते हुए उन्होंने भारत के लिए आत्मनिर्णय ही आवश्यकता एव एक स्वाधीन राष्ट्र के नाते उगरे द्वारा ससार में मुक्तव्यवस्था स्थापित होने में मिलनेवाले योग का बहुत ही स्पष्टतापूर्ण विवेचन किया था।

सभाव्य भावी स्वाधीनता की प्रथम आशा-किरण के दर्शन करा रहा था, माटेग्यू-चेम्सफर्ड सुधारों के कारण भारत का राजनीतिक शैथिल्य भग हो रहा था, और फ्रेड की दृष्टि में अंतिम एव अत्यंत तेजस्वी रजत-रेखा थी स्वयं मोहनदास करमचंद गांधी ।

भारत एव ससार की नैतिक शक्तियों को गांधी जी द्वारा मिलनेवाले बल की अनुभूति से आकुलित भारत का वर्षों का यह मित्र और गांधी जी उस साल के शरत्काल में एक ही ट्रेन से कलकत्ता पधारे ।

फ्रेड की दृष्टि में अब गांधी जी केवल एक राष्ट्रनेता ही रह न गये थे । ट्रेन, जिससे कि ये दोनों सफर कर रहे थे, खादीधारी लोगों की भीड़ से भर जाने के कारण स्टेशन-दर-स्टेशन मुकाम करती हुई चीटी की चाल से चल रही थी । विशालकाय लहरों की तरह उमड़ी हुई इस भीड़ से न सिर्फ ट्रेन के डिब्बे, बल्कि इजन तक व्याप्त हो रहा था । राजनीतिक पतिततावस्था से स्वतः का उद्धार करनेवाले अपने इस महान् अभिनव नेता का हर कोई दर्शन कर सके इस हेतु लोगों ने अपने शरीर की सीढियां बना डाली । इस सब के बावजूद उस समय भी गांधी जी राष्ट्रनेता की भूमिका से ऊपर उठ गये थे । चुनावों इस तरुण अमेरिकन मिशनरी को, जो 'अपनी पीढी में ही ससार को ईसा के पक्ष में वश कर लेना' संभव नहीं यह जान चुकने पर भी निराशा या निरुत्साह के वशीभूत नहीं हुआ था, गांधी जी में एक नई रोशनी नजर आई । फ्रेड को विश्वास हो चुका कि गांधी जी के रूप में उन्हें एक ऐसा सहयोगी मिला है कि जो उन्हीं की तरह पृथ्वीपर ईश्वरीय शासनकी स्थापना के हेतु प्रयत्न व प्रार्थना कर रहा है ।

गांधीजी ने अपनी अहिंसा का सर्वप्रथम महान् प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया । फिर भी इस विश्वास के साथ, कि प्रथम विश्वयुद्ध ससार से युद्ध का नामोनिशान ही मिटा देगा, उन्होंने सैन्यभरती द्वारा ब्रिटिशों की सहायता की धोर सांभ्राज्यातर्गत स्वातंत्र्य-प्राप्ति की दिशा में कार्य करने के हेतु वे भारत लौट जाये ।

गांधी जी ईश्वर के अत्यंत सन्निकट पहुंच चुकने के कारण अब केवल देवभक्त विद्रोही के रूप में रह न सकते थे । उनके चारित्र्य-बल की क्या कारण-मीमांसा हो सकती थी ? एक बार गांधी जी ने मेरे पति ने अपनी वैष्णव माना एव स्वतः के जीवनपर पड़े हुए उसके प्रभाव का उल्लेख किया था । इस विषय

मे गांधी जी की अपेक्षा मेरे पति अधिक दूरदर्शी थे, क्योंकि उनकी खुद की मा कटर प्यूरिटन थी, और फ्रेड बड़े होने पर,—यहां तक कि विशप बन जाने पर भी, अपनी इस मा से सलाह-मशविरा पाने के लिए लालायित रहते थे।

फ्रेड फिशर के विचारानुसार गांधी जी के कुशल कानूनदा या निष्णात राजनीतिज्ञ होने में उनकी कोई महत्ता न थी। वह तो गैरो के प्रति आत्मीयता अनुभव करने और इस प्रकार साधारण व विस्मृत व्यक्तियों का प्रवक्ता बनने की उनकी असाधारण सामर्थ्य में भरी हुई थी। भारत की भूतकालीन धार्मिकता से ग्रहण किये गये अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धान्तों का वर्तमान काल के नैसर्गिक अस्त्यो के रूप में गांधी जी द्वारा प्रयोग किया जाने के कारण फ्रेड फिशर भी अमेरिका के विशाल श्रोतृसमुदाय के सामने उक्त सिद्धांतों की व्याख्या कर सके। उससे उन्हें यह आशा थी कि सत्तार भर के ईसाई युद्धरहित विश्व-निर्माण के लिए गांधी जी के साथ कटिबद्ध हो जायेंगे।

१९२५ ई० की कानपुर-कांग्रेस तक गांधी जी से मैं मिल न सकी। तब विशप और मैं दक्षिण अफ्रीका निवासी भारतीयों की स्थिति का अध्ययन कर अभी अभी लौट आये थे। हाल ही में श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित द्वारा मयुक्त राष्ट्र-सभ के सामने प्रभावशाली ढंग में वर्णित स्थिति से वह बिल्कुल मिलती-जुलती थी। वहां, अफ्रीका में, फिनिक्स स्थित टालस्टाय कालनी में हम मणिलाल से मिले। उनके मातापिता द्वारा स्थापित उक्त कालनी में सर्वर्ण और असर्वर्ण हिंदू, मुसलमान, सिक्ख, पारसी, ईसाई आदि सभी, भारतीय भाई-भाई के नाते एकसाथ रहते और काम करते थे।

कानपुर में गांधी जी से हुई अपनी उत्तम प्रथम भेंट के समय उनके पास चुपचाप बंठे बंठे (यह सोमवार था) भंगे लोगों के प्रति उनकी मतगुदर्य मुहूर्दयता स्वयं अनुभव की। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि यह व्यक्ति, जिसने न केवल अपना धन, अपितु मन-मन भी समर्पित कर दिया है, मुझे मानवश्रेष्ठ है। और अब भी वे मृत्यु व प्रेम रूपी प्रभु में पय-प्रदशन पाकर पृथ्वीपर दस्वरीय साम्राज्य की स्थापना के लिए मचेष्ट थे।

श्रोतृसमुदाय के साथ रसास्वादन करते थे। १९३१ ई० में, जब गांधी जी लंदन में थे, फ्रेड फिशर ने मिनिटापोलिस से फोन पर उनसे बात कर अमेरिका पधारने का अनुरोध किया। क्योंकि कुछ ईसाई पादरियों की ऐसी धारण बन गई थी कि गांधी जी का सदेश सुनने के लिए अमेरिका अब प्रस्तुत है। किंतु जवाब में गांधी जी बोले, “ना, अमेरिका का आमंत्रण स्वीकारने का आदेश ईश्वर से अभी मुझे मिला नहीं है।” रिसीवर रखकर एटलाटिक पार फोन पर हुए इस वार्तालाप का व्यर्थ मालूम कर लेने के बाद, तीन मिनट के उक्त वार्तालाप के लिए १५० डालर पानी में फेकने जैसी फजूलखर्ची फ्रेड फिशर को कहा से सूझी यह गांधी जी ने जानना चाहा। उसी क्षण उन्होंने लंदन में फ्रेड के नाम एक पत्र भेजा, जिसमें कुछ अन्य बातों के साथ लिखा था —

“सच्ची शांति और निरस्त्रीकरण का जब भी कभी वक्त आवेगा तब उनका श्रीगणेश अमेरिका जैसे शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा ही किया जायगा, फिर इस कार्य में उसे अन्य राष्ट्रों की सम्मति और सहयोग चाहे मिले या न मिले। यदि सघर्ष के बीच भी शांति प्राप्त करनी है और ईश्वर की प्रेमशक्ति एवं संरक्षण-शक्ति पर निर्भर रहकर शस्त्र त्यागने हैं तो व्यक्ति या राष्ट्र की स्वतंत्रता में और साथ ही साथ ईश्वर की संरक्षण-शक्ति में श्रद्धा होनी ही चाहिये। मेरे विचारानुसार जब तक बलशाली राष्ट्र अपने से कमजोर राष्ट्रों का शोषण करना पाप नहीं मानते तब तक ऐसी शांति स्थापित होना सर्वथा असंभव है।”

शांतिनिकेतन के अपने दो दिन के मुकाम में हमें गांधीजी का दृढ़ सौहार्द प्राप्त करने का और एक सुअवसर मिला। वहां गांधीजी और सी एफ एंड्रयूज रविदाबू के अतिथि बनकर पधारे थे। निमंत्रण तो मुझे भी मिला था। किंतु दुर्भाग्य से मेरे एक टखने में मोच आने के कारण मुझे कलकत्ते में ही रुक जाना पड़ा। फिर भी शांतिनिकेतन में उपरोक्त महानुभावों के जो सभापण हुए, उनका वृत्तांत मैंने आग्रहपूर्वक विस्तार से जानना चाहा।

इसकी शुरुआत करते हुए फ्रेड बोले, “हम सब अलग अलग वक्तपर वहां पहुंचे। मेरी और गांधी जी की अपेक्षा चार्ल्स कुछ पहले पहुंच गये थे। तब, उस जलवायु में मैं तो पूर्णतया भारतीय पौनाक के पक्ष में हूँ। स्वाभाविक रूप में गांधी जी इस मामले में हम सब की अपेक्षा अधिक आराम में थे। उनके बाद चार्ल्स का नंबर आता था, क्योंकि वे बंगाली पंशन का पतला रेशमी

कुरता, जिसका पिछला हिस्सा हवा में उड़ रहा था, पहने हुए थे। गुरुदेव (कवि) ने सैदा की भाँति रोबदार लबा चोगा धारण किया था। मैं बिना वास्केट पहने गया था, और किसी कारणवश वहाँ पहुँचते ही अपना कोट उतार न सका। अवश्य ही जूते उतार लिये थे। हम पाश्चात्य लोग कुछ रुढ़िग्रस्त हैं। गरमी के मौसिम के विपरीत वेशभूषा की यह बात मुझे बेहद अखरी।

“सूर्यास्त के समय हम सब अपनी अपनी छड़ियाँ लेकर देहात के बीच से होते हुए पश्चिम दिशा में घूमने निकले। गांधी जी के हाथ की लकड़ी, जो कि किसी पेड़ की मामूली खुरदरी टहनी मात्र थी, उनकी ऊँचाई से लगभग दूनी थी।

“अपने हाथ की छड़ियों और अपने कदमों को मिला कर हम लोगों ने एक अपूर्व भाँति सूर्यास्त की दिशा में डग भरना शुरू किया। यदि तेज चलने की होड़ लगाई जाती तो, मुझे विश्वास है कि, उसमें गांधीजी हम सब को हरा देते। तौल में नब्बे पाँड के इस वामन-मूर्ति महापुरुष की प्रत्येक मासपेशी सुगठित और सन्निय थी। घूमने के वक्त वाते करना उन्हें पसंद है और उनमें वे लवलीन भी हो जाते हैं। किंतु कवि को एकाकी भ्रमण पसंद है। चुनाव में गांधीजी के सग हो लिया। उन्होंने तुम्हें अपना प्यार कहला भेजा है और वे आशा करते हैं कि तुम्हारा टखना शीघ्र ही ठीक होकर तुम मेरे साथ कार्य करने लग जाओगी।”

यही तो गांधी जी की विशेषता है। वे अपने परिचितों को कभी भूलते नहीं। महान् राजनीतिक उलझनों के बीच भी वे उन्हें याद करते रहते हैं, और प्यार के साथ याद करते रहते हैं।

इसके बाद तो फ्रेड ने सहज भाव से गांधीजी सबधी कई खास बातें मुझे बताईं। बोले, “वे तो थोरो की ‘सिविल डिजाबोडिअन्स’ नामक विताय बतौर तकिये के उस्तेमाल करते हैं!” यह सुनकर गांधीजी भी हस दिये थे।

“रविवायू द्वारा ग्रामीणों के लिए स्थापित कृषि-प्रयोगशाला की एक गाय के पास से हम गुज़रे। गाय कोमल आसोवाली, हृष्ट-मुष्ट व नस्लदार थी, और हमारी ओर करणायुवन टवटकी बाधे हुए थी। गांधीजी ने उसे बाड़ी पास खोंदकर मिलाई।

‘क्या यह प्राणी मनुष्य का इस पृथ्वीपरका सर्वोत्तम मित्र नहीं है ?’ उस गाय को पुचकारते हुए गाधीजीने पूछा । और फिर बोले, ‘अवश्य ही गाय के प्रति मेरे मन में आदर-भाव है, और वह इसी कारण से कि गाय हमारे हिंदुत्व के इस मूलभूत तत्व के, कि जीवमात्र में ईश्वराश है, प्रतीक स्वरूप है ।’

अपनी बात जारी रखते हुए फ्रेड आगे बोले, “गाधीजी ने व मैंने अहिंसा के दर्शनशास्त्र की, और साथ ही एक प्रभावशाली अस्त्र के रूप में उक्त सिद्धांत को भारत में वे किस प्रकार लोकप्रिय बना सके इसकी भी, चर्चा की । और हम इस निर्णय पर पहुंचे कि भारतीयों की विचार-प्रणाली की पृष्ठभूमि में बौद्धमत का प्राबल्य होने के कारण ही यह संभव हुआ, यद्यपि अब बौद्धधर्म भारत से लुप्तप्राय हो चुका है ।

“हमारी इस लघु-यात्रा में इतवार का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा । अपनी प्रातःकालीन मूक-प्रार्थना के बाद हम संयोगवश कवि के द्वार पर जा पहुंचे ।

“वहा जव हमने मूर्तिपूजा की चर्चा छोड़ी तब पूर्व पक्ष के एकमात्र प्रतिनिधि गाधीजी ही बने । बात के सिलसिले में उन्होंने अपने को ऐसे शूद्र, ऐसे मेहतर के स्थान पर माना कि जिसके न तो पुरखे ही पढ़-लिख सकते थे, और न जिसकी सतानों का भविष्य ही उससे रत्तीभर सुधरनेवाला है । और हमें लक्ष्य कर गाधीजी बोले, ‘जब तक यहा पर उपस्थित हम चारों व्यक्ति इस विषय को लेकर लोगों में तहलका न मचावेगे तब तक यह हालत सुधरनेवाली नहीं ।’

“भावुकता के साथ अपने पक्ष का समर्थन करते हुए गाधीजी ने आगे कहा, ‘किमी भी असवर्ण हिंदू द्वारा पेड़तले वेदी के रूप में स्थापित सिद्धर-चिह्नित वह छोटा सा पत्थर काफी महत्व रखता है । क्योंकि आजतक हमारे अधभूखे भाई के लिए यदि ईश्वर का कोई स्पर्शनीय प्रतीक रहा हो तो वह यही एकमात्र रंगीन पाषाण-खंड है । उसके और ईश्वर के बीच की यह एकमात्र कड़ी हम वैसे छीन ले सकते हैं ?’

“किंतु महात्माजी अपनी बात पूरी भी न कर पाये थे कि रविबाबू ने बीच में ही उन्हें टोका । कवि बोले, ‘गाधीजी, आप और आपके पूर्वज पूजा-पाठ, क्या-कीर्तन आदि को दीर्घ काल से तिलाजलि दे बंटे हैं । हम सभी इतना बली भाति जानते हैं कि प्रभु केवल मंदिर में ही नहीं विराजते । वह तो यहा हैं

जहा हलवाहा कठोर भूमि मे हल चला रहा है और जहा सडक बनानेवाला पत्थर तोड रहा है । वह उनके साथ धूप मे ह और वर्षा मे है, और उनके वस्त्र धूलि-धूसरित है । खुद विशप भी तो जानते है कि उनके प्रभु ईसामसीह इसी हेतु देहधारी मानव बने और वह निरतर हमारे सन्निध है । किंतु इसका यह अर्थ नही कि वह पापाणरूप भी है ।

‘ना ।’ अपनी बात पूरी करते हुए गुरुदेव बोले, ‘यदि मूर्ति एव मूर्तिपूजा की, जपमाला और सिदूर-चर्चित पत्थर की हमारे लिए कोई आवश्यकता नहीं हो सकती, यदि ये चीजे हमारे लिए पुण्यप्रद नहीं हैं, तो फिर हमारे देश के किसी भी वर्ग के लोगो के लिए भी, चाहे वे कितनी ही निकृष्ट जाति के क्यों न हो, ये पुण्यप्रद हो नहीं सकती । मैं तो यही पसंद करूंगा कि देशभर के हर मंदिर और हर मुहल्ले मे पायी जानेवाली समस्त प्रकार की मूर्तियो का, फिर वे पीतल, काठ, पत्थर या किसी अन्य पदार्थ की क्यों न बनी हो, बडा भारी ढेर लगाकर उन्हे समुद्र मे बहाकर इस गदगी से देश को मुक्त किया जाय ।’

‘हम सब चुप थे । क्योंकि प्रसंग जरा नाटकीय था । कवि मंदिर-शुद्धि करने चले थे । तब गांधीजी पुन हरिजनो का पक्ष लेकर बोलने लगे ।

‘शांतिपूर्वक गांधी जी हमे बोले, ‘जब तक आप लगडे को चलना नहीं सिखाते तब तक उसकी बैसाखी हटाने का आपको कोई अधिकारही नहीं । विशप साहब यही काम आपको करना है, चालीं को करना है, और गुरुदेव आपको व मुझे भी करना है ।’

अपने पति द्वारा इन दो भारतीयो की एक दूसरे से की गई प्रस्तुत तुलना मुझे बहुत ही दिलचस्प मालूम हुई ।

इन दोनो महापुरपो का ध्येय एकसमान ही होने पर भी वे परस्पर से काफी भिन्नता रखते हैं । टंगोर मीट एवरेस्ट के तुल्य हैं, उत्तुग गौरव-गिरि हैं । कुछ दृष्टियो से वे हमारी पट्टुच के बहुत परे हैं । जिस सत्य की तलाश मे वे हैं वह अब्यावहारिक सत्व है । विपरीत इसके गांधीजी का जीवन किमी पहाडी मे फूट निबलनेवाले उस झरने क समान है जो कि तलहटी के निर्जल नाले मे, जहा लोंग प्यामे है, जा कर मिलना चाहता हो ।

१९३९ ई० मे दुबारा अकेली भागत पधारने पर मे तुरत वर्षा और बहा से मेवाप्राम, जो कि अभिनव भारत की मिट्टी की गुटियावात्री छोटी-मी

राजधानी है, जा पहुँची। यहाँ के सीमित समुदाय में व्याप्त गांधीवादी प्रवृत्ति से प्रस्फुटित होनेवाली सच्चे सुधार की चिनगारिया इस देश के कोने कोने में फैल रही थी।

दिल्ली में मैं प्रति दिन उनसे मिलती रही और उनकी साय-प्रार्थनाओं में भी मैंने भाग लिया। १९३९ ई० का वह 'गुड फ्राइडे', जिस दिन की गांधी जी ने नित्य की प्रार्थना के बाद वहाँ पर उपस्थित सी एफ ऐंड्रयूज, एमाथा हैरिसन एव मुफ्त जैसे चंद ईसाइयों से अपना परमप्रिय भजन 'Lead Kindly Light' गाने के लिए कहा, मैं इतनी जल्द भूल नहीं सकती।

अपने वर्तमान मनोविकारों से मुक्ति पाने के दीर्घ काल बाद दुनिया गांधीजी के निम्न उद्गार अवश्य याद करेगी —

गांधीजी कहते हैं, "अपने मनोविकारों को वश में रखने का अर्थ ही सभ्यता है। इस प्रकार अपने शत्रुपर भी विना विद्वेष विजय प्राप्त की जा सकती है.....क्योंकि नैतिक बल नौ सैनिक बल की अपेक्षा श्रेष्ठ है।"

और आज, जब कि अविवेकशून्य दुनिया भारत के समस्त कष्टवलयों का दोष हिंदू-मुस्लिम दंगों के माथे मढ़ रही है, देव-दूत गांधीजी प्रेम, मैत्री, सहयोग और समझदारी के पाठ को कार्यरूप देने के लिए दंगों के क्षेत्र में ही जाकर डटे हुए हैं। वर्तमान ससार में मुझे यही एक सर्वाधिक दूरदर्शिता-पूर्ण एव धर्मप्रेरित प्रयोग दिखाई देता है। ईश्वरीय साम्राज्यकी दिशा में जाने-वाले पथपर के वे व्यवहारकुशल नेता बन गये हैं। जब मैं अपने स्वर्गीय पति का जीवन-चरित्र लिख रही थी उस समय गांधी जी ने मुझे एक पत्र भेजा, जो उक्त पुस्तक में मैंने जोड़ दिया है, और जीवन-पर्यंत जतन के साथ मैं उसे रखूँगी। उन्होंने लिखा था—

"प्रिय बहन, स्वर्गीय विशप फिशर के निकट सपक में आनेका सीभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। वे उन इनेगिने ईसाइयों में से एक थे जो देवनीरू होते हैं; और इसीलिए कभी किसी आदमी में वे डरे नहीं।"

न्यायक,

१९-२-१९४७.

रोगियों के आरोग्यदाता—बापू

एस. के. जार्ज

गांधी जी की एक अत्यंत आश्चर्यप्रद विशेषता यह है कि वे अपने अति साधारण अनुयायी का भी खूब ख्याल रखते हैं। भारत के अब्बल दजके राजनीतिज्ञ होने के कारण अनेक राष्ट्रीय प्रवृत्तियों और रचनात्मक कार्यों में अत्यधिक व्यस्त रहनेपर भी, यहां तक कि देशव्यापी तूफानी दौरों के बीच भी, वे अपने इन अनुयायियोंका कुशलक्षेम जानने, और खास तौरसे उनमें जो अपंग या बीमार हो उनसे जाकर मिलने के लिए वक्त निकाल ही लेते हैं। निम्न घटना द्वारा गांधीजीके जीवन के इस पहलूपर प्रकाश पडने के साथ ही इस देश के सभी संप्रदायों और विभिन्न विचारों के हज़ारों लोग उन्हें वस्तुतः 'बापू' क्यों मानने लगे हैं इसका भी भेद खुल जायगा।

मैं और मेरी पत्नी दोनों १९३२ ई० में गांधीजी के संपर्क में आये। उसी वर्ष, जो कि घटनापूर्ण रहा, गांधीजी के प्रति अपनी निष्ठाके कारण कलकत्ता के विश्व-कालेज से मुझे पदत्याग करना पडा। पश्चात् मैं सावरमती आश्रम में रहने आया। तब बापू जेल में थे। किंतु उनसे मेरा पत्रव्यवहार होता रहा। मुझे आश्रम में ही रख लेने की उनकी इच्छा थी। लेकिन मैं अपनी पत्नीके साथ त्रिवेद्रम रहने चला आया और यहां हमने एक बालक-मन्दिर की स्थापना की। अपने इस कार्य से हमें पूरी तौर से सतोष मिल नहीं रहा था। तब हमारे स्नेही और गांधीजी के एक विश्वासपात्र कार्यकर्ता श्री जी. रामचन्द्रन् ने, जो उस समय त्रिवेद्रम में ही थे, यह सुझाव रक्खा कि हम सेवाग्राम जाकर वहां गांधीजी की देखरेख में कार्य करें। सेवाग्राम में मेरी पत्नी को निश्चित रूप से काम देने का वादा किया गया, और खुद गांधीजीने भी हम उभय पति-पत्नी को वहां आकर अपने साथ कार्य करने का निमंत्रण दिया। किंतु त्रिवेद्रम के कार्यसंबंधी अपनी जिम्मेदारियों एवं अस्वास्थ्य के कारण हम उनका यह स्नेहभरा निमंत्रण उस समय स्वीकार न कर सके।

उपरान्त प्रस्ताव के कुछ ही दिन बाद, १९३६ई०में, युगनिर्माणकारी प्राणवोर मंदिर-प्रवेश घोषणा के समारोह का सभापतित्व ग्रहण करने के

लिए गाधी जी निवेद्रम पधारे । उनके आगमन की खबर पाते ही मैं सुबह के वक्त उनसे मिलने गया, किंतु भेट न हो सकी । तब महादेव भाई से मिलकर मैंने अपनी पत्नी के विषय में, जो उस समय बीमार थी, बात की । श्री रामचद्रन् से भी इस का जिक्र करते हुए बापू से मिलने की अपनी असमर्थता के लिए मैंने खेद प्रकट किया । इस पर अपने गुरु के स्वभाव से परिचित रामचद्रन् बोले, “तब तो महमूद ही पर्वत के पास पहुच जायगा ।” प्रत्युत्तर स्वरूप वाइवल का एक वचन उद्धृत करते हुए मैंने कहा, “हम इस योग्य कहा कि प्रभु हमारे घर पधारे ।”

किंतु शिष्य की भविष्यवाणी ही सही साबित हुई । उस दिन सध्या समय आयोजित महति सभा के बाद जो जुलूस निकला उसमें शामिल न होकर वे मीधे अपने डेरे पर लौट आये । ब्यालू करते समय उन्होंने मेरी पत्नी के स्वास्थ्य की पूछताछ कर हमारा ठिकाना भी मालूम कर लिया । सयोगवश स्टेट गेस्ट-हाउस, जहा कि वे ठहरे थे, हमारे घर के पास ही था, और उनकी एक परिचारिका हमारी पाठशाला में अध्यापिका थी । उसने उन्हें हमारा घर दिखाना कबूल किया । चुनाचे भोजन के बाद तुरत, अपनी लाठी लेकर, वृद्ध गाधीजी अपनी बीमार वहन से मिलने के लिए निकल पडे ।

रात के नौ बज चुके थे और हम जरा जल्दीही सोने चले गये थे । घर में घासलेट का एक छोटा-सा चिराग भर जल रहा था । अभी हम सोये नहीं थे । इतने में महादेव भाई की आवाज मेरे कानों पर पडी । अपनी पत्नी से यह बात मैं कहने जा ही रहा था कि महादेव भाई को ऐसा कहते सुना—
“उनका रयाल है कि केवल महादेव है ।” झाककर देखता हू तो गाधीजी तालाबद फाटक के बाहर अपने दलसमेत खडे । झट दौडकर मैंने फाटक का ताला खोला । “तो चोरोसे आप इतन डरते हैं ?” मुस्कराते हुए गाधीजी बोले । तब मैं श्री रामचद्रन् से अपना जो सवाद हुआ था, उसका और साथ ही वाइवल के उक्त वचन का उल्लेख किया । सुनकर गाधीजी इतना ही बोले—“अच्छा !”

घर के भीतर आनपर मैंने गाधीजी को ‘ड्राइंगरूम’ में ही रोक रखना चाहा । किंतु वे शिष्टाचार के तौरपर तो मिलने आये न थे । चुनाचे मुझ दुखस्त करते हुए वे बोले, “मैं आपकी पत्नी से मिलने आया हू, न कि आपसे ।” और

वे ब्रेडडक मेरी पत्नी के कमरे में चले गये । उसकी खटिया के पास बैठकर उन्होंने अब उसका स्वास्थ्य कैसा है, क्या इलाज चल रहा है आदि पूछताछ की । इस बीच अपने छोटे बच्चे को जगाकर उसे बापू के पास उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मंगे ले आया । उन सात क्षणों में पूरा लाभ उठाकर अपनी विभिन्न समस्याओं के सबंध में हमने उनकी बहुमूल्य सलाह प्राप्त की ।

मेरा यह स्वभावदोष है कि मैं स्वतः को किसी भी व्यक्ति में पूर्ण रूपसे समर्पित कर नहीं सकता । यही कारण है कि मैं अब तक गांधीजी में अपने आपको अर्पित कर न सका । किंतु मेरी पत्नी बाद के इन वर्षों में हमारे इस 'प्रभु' के अधिकाधिक निकट आती गयी, यहां तक कि अब बापू ने केरल के कार्य के लिए उसी को चुन लिया है । और वह भी उनकी सेवा करने में अपने जीवन का साफल्य समझती है ।

प्रिचूर,

१५-६-१९८६

छोटी बातों में भी बड़े

रिचर्ड वी. प्रेग

लजवेल्ट भी खुद श्रम से सदा कोसो दूर रहे। कितु बापू आचार और विचार दोनो दृष्टियों से मजदूरो के जीवन के साथ एकरूप होकर रहे। इसपर से ईसा मसीह के इन वचनों की कि—'विनम्र व्यक्ति उन्नत होकर ही रहेगा' और 'आप लोगों का जो सरदार हो वह आपका सेवक भी बने', मुझे बरबस याद आती है।

२ साबरमती में एक दिन दोपहर के समय बापू स बात करने के हेतु में उनकी कुटिया पर गया। ज्योही मंने कूटी के भीतर पर रक्खा त्योही बरामदे में एक तगडा पठान निद्रामग्न नजर आया। बापू बोले कि बेचाग बडी दूरी से उनसे मिलने आया है, और उनसे कुछ बात कर अपनी स्वाभाविक आदत के अनुसार बैठे बैठे सो गया है। वह कोई नेता न था। व्याज पर रुपया लगानेवाले मामूली पठानों की तरह ही वह भी देख पड रहा था। अस्तु, यह प्रसंग में किसी का भी स्वागत-सत्कार करने वाले बापू के स्वभाव की विशेषता का द्योतक मानता हू।

३ १९२५ ई० में, बरसात के ठीक बाद, बापू का अल्प सहवास पाने की इच्छा से मैं कलकत्ते चला आया। उस समय स्वर्गीय चित्तरजन दास के स्मरणार्थ बाधे जानेवाले अस्पताल के लिए वे चन्दा इकट्ठा कर रहे थे। महादेव भाई भी बापू के साथ थे। हम तीनों एक ही कमरे में सोया करते थे। आश्रम की भांति यहां भी हम हर रोज तडके चार बजे उठकर प्रार्थना करते थे। यह भी गांधीजी की एक विशेषता है कि वे चाहे कहीं रहे और चाहे जिस प्रकार के काम में व्यस्त हो, हर रोज सुबह सब से पहले प्रार्थना जरूर करेंगे।

४ एक बार साबरमती में गांधीजी को ज्वर हो आया। इससे वे कमजोर भी काफी हो गये। श्री अवालाल साराभाई और उनकी सुशील धर्मपत्नी न आकर उनसे आग्रह किया कि वे स्वास्थ्य-सुधार के लिए अहमदाबाद के अपन मकान पर चल कर विश्राम करें। वे मध्यान्होत्तर तीन बजे बाद, जब कि बापू दर्शनार्थियों से भेट करते हैं, आय थे। सयोगवश मैं भी उस समय वहां उपस्थित था। बापू ने सौम्य शब्दों में आश्रम छोडने से इन्कार किया। मैं चुप बैठा हुआ था। सहसा श्री अवालाल जी जरा जोर से मुझसे बोले, "उन्हें आराम की जरूरत है। फिर इसके लिए उनको मनाने में आप हमारी मदद क्यों नहीं करते?" चुनावे कुछ मजाक के साथ मैं भी आग्रह करने लगा। इस तरह

दबाव डाला जाने पर बहुत से लोग चिढ़ते हैं, किंतु सो बात वापू की नहीं। अपनी बात पर वे नम्रता और सम्यतापूर्वक दृढ़ रहे। यह है तो एक साधारणसी घटना, किंतु इससे उनके स्वभाव के एक अन्य पहलू पर प्रकाश पड़ता है।

१९३० ई० में, नमक-सत्याग्रह के दिनों में, मैं एक लंबे अरसे तक साबर-मती-आश्रम में सपत्निक ठहरा हुआ था। हमारे कमरे के बिल्कुल बगलवाले अतिथि-भवन में लाहौर के कट्टर साम्राज्यवादी पत्र 'सिविल एंड मिलिटरी गजट' का अग्रेज सवाददाता रहता था। सत्याग्रह सबधी हलचलो का पता लगाने के लिए उसे भेजा गया था। शत्रु-शिविर में बेधड़क घुस जाने की अपनी करतूत पर उसे बड़ा गर्व था। अवश्य ही वापू ने उसे आश्रम में स्वच्छंद घूमने-फिरने एव चाहे जिससे बातचीत करने की इजाजत दे दी, हर तरह से उसकी मदद करनेका काम एक आश्रमवासी को सौंपा, और खुद उसे एक दीर्घ मुलाकात भी दी। अपने प्रति दिखाई गयी इस सौजन्यता, आत्मीयता एव निष्कपटता से, उक्त युवक इस कदर आश्चर्यचकित हुआ कि देखकर हम सबको हमी आयी।

उसी सप्ताह मैंने वापू को भारतीय नेताओं के एक समूह के साथ वार्तालाप करते देखा। ये नेतागण वापू से सदेश और सूचनाये ग्रहण करने के हेतु आये थे। उनकी बातचीत हिंदुस्तानी में और वह भी द्रुत गति में होने के कारण मैं कुछ भी समझ न सका। वह पूरी हो जाने पर जब मैं वापू के पास गया तब मुझे उनका सारा शरीर कापता हुआ और पसीने में तर-बतर नजर आया। बिम्बी भी मामले में एक बार हाथ डालने पर वापू उममें इन्ही तरह अपनी मारी तारत लगा देते हैं।

प्रिय ग्रेग,

आपका पत्र पाकर मुझे प्रसन्नता हुई, और साथ ही खेद भी। प्रसन्नता हुई आपकी श्रद्धा और आपका उत्साह देखकर। और खेद राधा की असाध्य बीमारी के समाचारों को पढ़कर। मैं इतनी ही आशा करता हूँ कि आपके लिखे ये समाचार गलत साबित होंगे। और आखिर आप और मैं दोनों 'ईश्वरेच्छा बलीयसि' इतना ही तो कह सकते हैं। मेरा यह भी विश्वास है कि वाह्यत दुर्भाग्यपूर्ण दिखाई पड़नेवाली कोई बात वास्तव में मदद वैभी ही नहीं होती। इस प्रगतिशील वैज्ञानिक युग में भी इन विषयों सबधी हमारा ज्ञान कितना अल्प है।

आपकी पुस्तक का सशोधित संस्करण प्राप्त होने पर यदि मैं उसे पढ़ न सका तो प्यारेलाल या दूसरे लोग पढ़कर मुझे बता दगें। आप दोनों को प्यार,—
वापू।”

पठने (यू एस ए),

१५-१-१९४६.

कुछ संस्मरण

एगाथा हेरिसन

सन १९२१ ई० में मैं कार्यवश चीन गई। तब हिंद ब्रिटेन के बीच की तनातनी उग्र रूप धारण करती जा रही थी, कई कांग्रेसी नेता गिर-फ्तार किये जा चुके थे। चीन के लोग भारत के, और विशेषतया गांधी जी के बारे में मुझसे जो सवाल करते थे उनके द्वारा भारत की घटनाओं के प्रति उन लोगों के अनुराग का मुझे पता चल गया था।

१९२१ ई० में 'रायल कमिशन आन लेबर' के साथ भारत आने पर ही मैंने पहले पहल गांधी जी का दर्शन किया। जब हम दिल्ली पहुंचे तब वे भी वही पर थे। उनका भाषण होनेवाला है ऐसा सुनकर मैं सभास्थान पर उपस्थित हुई। भारत की सार्वजनिक सभा सबधी मेरा यह पहला ही अनुभव था। कड़ी धूप में भी हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे। सुदूर होने में मंच बना हुआ था, जहां बड़ी कठिनाई से मुझे पहुंचाया गया। वहां पर, एक मिशनरी स्त्री को छोड़कर, अपवाद स्वरूप उपस्थित एकमात्र ब्रिटिश व्यक्ति मैं ही थी। हठात् एक छोटी सी आकृति भीड़ का चीर कर जागे बढ़ती हुई नजर आई। उस

‘आफ्त के पुतले’ के बारे में पहले से बहुत कुछ सुन रखने के कारण मैं सोचती थी कि वह ब्रिटिश सरकार पर आग उगलेगा। किन्तु ऐसा कुछ भी तो नहीं हुआ। बिना किसी प्रकार के उद्घोषों के, एक साधारण भाषण द्वारा उन्होंने उपस्थित लोगों से कठोर आदेशस्वरूप इतना ही कहा कि यदि वे स्वराज्य चाहते हैं तो उन्हें अनुशासनबद्ध होकर काम में लग जाना चाहिये। पश्चात् वे किसी फंड के लिए उन कीमती चीजों का, जो उन्हें भेंट के तौर पर मिली थी, नीलाम पुकारने लगे। फिर वे वैसे ही झटपट लौट गये, जैसे कि आये थे। इस अद्भुत व्यक्ति का मेरे मन पर जो अमिट प्रभाव पड़ा उसके कारण मैं बार-बार यही सोचती थी कि यदि उससे बातचीत करने का मौका मुझे मिलता तो कितना अच्छा होता! इसी इच्छा के साथ मैं भी अपने डेरे पर लौट आई।

अक्टूबर १९२१ ई० में मैं महात्मा जी से मिली। उस समय मैं सी. एफ. एंड्रयूज के साथ, जो द्वितीय गोलमेज-परिषद के लिए लंदन पधारनेवाले अपने इस मित्र के स्वागत की तैयारी में लगे थे, काम कर रही थी। उनके आगमन के दूसरे ही दिन मैं किंग्सले हाल में उनसे मिलने गई। मैंने उन्हें अपने छोटे से कमरे में कागजपत्रों के ढेर से घिरा पाया। वह उनका मौन-दिन था। मौनधारी के साथ किस तरह बातचीत की जाय यह मेरी समझ में आ नहीं रहा था। फिर भी, मुझे याद है कि, स्वतः को उनके प्रवामी-साधियों में से एक अनुभव करती हुई ही मैं वहां से लौट आई।

पायेंगे।" इसके जवाब में गांधीजीने उसे इस आशय का पत्र भेजा कि "आप सनेत्र न होने पर भी आपके अन्तर्बन्धु सुले हुए हैं।" यह उत्तर उसे कितना अनमोल मालूम हुआ होगा! स्मरण रहे कि उन दिना अत्यधिक कार्यव्यस्त होने पर भी उन्होंने उक्त बुद्धिया के पत्र की ओर सर्वप्रथम ध्यान दिया। दीन-दुखियों की बातें सुनने के लिए उनके पास कभी भी वक्त की कमी नहीं रहती।

लदन से विदा होने के पूर्व गांधीजीने 'हमारे उभय देशों के बीच पार-स्परिक सद्भाव निर्माण करने का कार्य' हममें से कुछ व्यक्तियों को सौंपा। इस कार्य में हम लोगों का पथ-प्रदर्शन करने के लिए जब मंने उनसे कहा, तब वे बोले, "प्रभु ही आपको रास्ता दिखावेगे।"

१९३४ ई० के शुरू में 'देखने और सुनने' के हेतु मंने भारत-यात्रा की। मेरे वहां पहुंचते ही मुझे गांधीजी का एक पत्र मिला, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वे राजेन्द्रबाबू के साथ विहार के भूकंप-ग्रस्त भागों के दौरे पर जा रहे हैं, और क्या उनके सग मं भी चल सकगी? साथ ही उन्होंने यह भी सूचित किया था कि इस दौरे में यूरोपियन ढग की सुख-सुविधायें वे मुझे कतई दे न सकेंगे। लेकिन इसके बावजूद आतिथ्यशील बापू ने हम लोगों के साथ के सामान म चाय का एक बड़ा सा पैकेट, जिसे वे 'जहर' कहते हैं, रख ही दिया था। हम ब्रिटेनवासियों की चायपान की आदत पर मुझे एक मजेदार व्याख्यान सुनाते हुए उन्होंने कहा कि इसकी अति के कारण ही ब्रिटेन अग्निमाद्य का शिकार बना हुआ है। फिर भी इस दौरे में मंने देखा कि उनकी पार्टी के कई लोग हर रोज तडके चार बजे उठकर मेरे इस 'जहर' में हिस्सा बटाने के लिए लालायित रहते थे।

इसी दौरे में मंने गांधीजी और राजेन्द्रबाबू को घरबार रहित लोगों के बीच घूमफिर कर उन्हें धैर्य प्रदान करते देखा। गांधीजी का तो सदैव की भांति यही एक सन्देश था — "इस सकट से आप क्या शिक्षा ग्रहण करते हैं? सरकार और कांग्रेस, हिंदू और मुस्लिम, स्पृश्य और अस्पृश्य इनके बीच के भेदभावों का इस समय विचार न करना चाहिये। और सहायता-कोप से जो भी रकम आप ले, उतनी उपाजित कर दिखावे।"

इसके बाद हमने हरिजन-कार्य के लिए उड़ीसा के कुछ भागों का भी दौरा किया। गांधी जी में परिहास-वृत्ति प्रचुर माना म है। क्योंकि दो-तीन बार,

जब कि रात के वक्त हम अपने डेरे पर थके मादे लौट रहे थे, उन्हें दौड़ लगाने की मूझी। चुनाचे हम सबको उनके साथ दौड़ना ही पडा।

इसी दौरे में मैंने गांधीजी के साथ, उन्हीके आदेशानुसार 'उभय राष्ट्रा के बीच पारम्परिक सद्भाव निर्माण करने के कार्य' मे जो रुकावटे थी उनकी, विस्तार से चर्चा की।

एक अन्य प्रसंग अवश्य उल्लेखयोग्य है। गर्मी के दिन थे। दोपहर का समय। गांधी जी का मौन-दिन था और वे अपने नाम प्राप्त अनगिनत पत्रों को देख रहे थे। मैं भी अपनी डाक देखने में व्यस्त थी। उसमें अमेरिका से निकलने वाले 'त्रिदचन सच्चुरी' के ता १४ मार्च १९३४ के अंक की एक प्रति मिली। सहसा इसी अंक में प्रकाशित निम्न सपादकीय टिप्पणी पर मेरी नजर पडी —

नोबेल शांति-पुरस्कार के लिए
हम गांधीजी का नाम प्रस्तावित करते हैं।

पुरस्कार के सस्थापक की प्रबल इच्छा थी । यद्यपि ये दोनों प्रकार की सेवायें बड़ी ही मूल्यवान हैं, फिर भी यदि इस पुरस्कार के द्वारा ससार के इतिहास पर कुछ विशेष प्रभाव डालना हो तो वह कूटनीतियों और राजनीतियों की अपेक्षा सृजनक्षम ध्येयवादियों को ही उनके पुरुषार्थी सद्गुणों की प्रशमास्वरूप प्रदान किया जाना चाहिये । गांधी जी के कटु आलोचका के कथनानुसार यदि यह भी मान लिया जाय कि उनकी सिद्धातनिष्ठा सर्वथा अव्यवहार्य है, तो भी वर्तमान ससार में अहिंसा-सिद्धात के वे ही सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि हैं यह तो सत्य ही है । इस पर भी यदि नोबेल-पुरस्कार के लिए वे अत्यंत योग्य उम्मीदवार मालूम न होते हों तो इस पुरस्कार के कार्य और उद्देश्य सबधी सर्वसाधारण में प्रचलित वर्तमान धारणा अवश्य ही बदल देनी पड़ेगी । ”

मैंने आख उठाकर उस आत्ममग्न महात्मा— ‘अहिंसा सिद्धात क श्रेष्ठतम प्रतिनिधि’ एव ‘अपने युग की विचारधारा से जिसके विचार कहीं आगे बढ़े हुए हैं’ ऐसे पुरुष—की ओर दृष्टिपात किया और उक्त पत्रिका उनके सामने की । उसे पढ़ते समय उनके चेहरे पर उठनेवाले भाव मननयोग्य थे । फिर, रही कागज का एक छोटा सा टुकड़ा उठाकर उन्होंने उस पर लिखा —

“क्या आप किसी ऐसे स्वप्नदृष्टा को जानती हैं जो ‘आकस्मिक सहायता’ द्वारा ससार का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर सका हो ?”

खूब मुस्कराहट के साथ वह टुकड़ा मेरे हाथ में रख कर वे पूर्ववत् अपने काम में, जिसमें कि मेरे कारण बाधा पहुंची थी, लग गये ।

नावें स्थित आतराष्ट्रीय महिला-परिपद् की ओर से मुझे इस आशय का संदेश प्राप्त हुआ है कि इस वर्ष दिये जानेवाले नोबेल शांति-पुरस्कार के लिए परिपद् गांधी जी का नाम प्रस्तावित करने जा रही हैं । और ता १६ मार्च १९८७ के समाचार-पत्रों में भी निम्न खबर निकली है —

“इस वर्ष के नोबेल शांति-पुरस्कार के लिए प्रस्तावित उम्मीदवारों में प्रेसिडेंट एडवर्ड वेनेस, महात्मा गांधी, मि हर्वर्ट लीमैन एव ‘युनर्स’ के भूतपूर्व डाइरेक्टर सर जान वायड-ओर के नाम भी सम्मिलित हैं ।”

इसी दौरे के समय की ओर एक घटना, गांधीजी के भीतर की वैशिष्ट्य-पूर्ण न्यायपरता एव समदर्शिता के उदाहरणस्वरूप, में यहा उद्धृत कर रही

है। हमारी पार्टी के साथ लगभग अठारह बरस की उम्र का एक हृष्टपुष्ट जर्मन युवक था। गांधी जी ने उसे अपने साथ चलने की इजाजत दे रखी थी, जैसी कि वे अपने जीवन-मार्ग के सवध में जानकारी प्राप्त करने के हरेक इच्छुक को दे देते हैं। यह युवक स्वयंसेवक का काम करता था और प्रायः सब के लिए उपयोगी साबित हो रहा था। फुरसत के वक़्त वह लंबे पत्र और लेख टाइप कर जर्मनी भेजा करता था।

हम सभी मायिया को गांधी जी का यह सक्ल्प, कि इस दोरे के दरमियान वे खुद या उनकी पार्टी का कोई भी व्यक्ति राजनीतिक भाषण न करे, मालूम हो चुका था। उडीसा में एक स्थान पर हम काफी दिना तक ठहरे। इस मुकाम में उक्त जर्मन नवयुवक ने स्थानीय विद्यार्थियों की एक महति सभा में भाषण दिया। हममें से किसी को भी इसका पता न था। यदि वह अपने देश की घटनाओं के बारे में बालता तो कुछ खेडा ही खडा न होता। किंतु उसने विपरीत उमने भारत में प्रस्थापित ब्रिटिश शासन-प्रणाली के भीतर की बुराइयाँ एक खुद ही मुनी हुई दमन की बहानियाँ या वर्णन किया। अगले ही दिन उक्त युवक के नाम उम जिले के ब्रिटिश अधिकारी का एक पत्र आया जिसमें उस पर चेतावनी दी गयी थी कि यदि जायन्दा इस तरह की किसी सभा में उमने भाग लिया तो उसे वह प्रात छोडकर जाना पडेगा। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के एक और प्रमाणस्वरूप प्राप्त इस पत्र में प्रमन्न होकर उक्त युवक ने यह पत्र

नहीं चाहते तो तुम्हें तुरत हमारी पार्टी से अलग हो जाना चाहिये। और खुद उन्होंने ही प्रस्तुत घटना के अनुरूप एक पत्र तैयार कर उसे दिया। यह गांधी जी का अपने ढंग का पत्र था, किंतु उस हठी जर्मन युवक ने उस पर हस्ताक्षर करने से इन्कार किया। आखिर गांधी जी ने उसे उक्त पत्र के साथ मेरे पास भेज दिया। कई घंटे बाद उसने गांधी जी द्वारा तैयार किये गये मसविदे को अपनी स्वीकृति प्रदान की। फिर वह पत्र उक्त ब्रिटिश अधिकारी के पास भेजा गया, और दिमाग झड्डा हुआ वह जर्मन नवयुवक हमारे साथ रहा। गांधी जी के उपरोक्त व्यवहार से वह अत्यंत प्रभावित हुआ। आगे उसका क्या हुआ कुछ पता ही न चला।

१९३६ ई० के उत्तरार्ध में मैं पुनः भारत गई। तब गांधी जी सेवाग्राम की स्थापना में व्यस्त थे। दिल्ली की तडकभडक से सेवाग्राम पहुँचने पर मैंने देखा कि शक्ति का वास्तविक केंद्र यही है,—और वह भी सरल व सुलभ। यहाँ मैंने चुबक की ओर आकर्षित होनेवाले लोहे की नाई गांधी जी की ओर न केवल भारत के, अपितु ससारभर के अनेकानेक लोगों को आकर्षित होते देखा।

भारत-सरकार के १९३५ ई० के विधान के अनुसार देशभर में चुनावों की धूम मची हुई थी। उक्त विधान की आलोचना करते हुए गांधी जी ने कहा, “आपने घर तो हमारे सुपुर्द किया, लेकिन उसकी तालिया अपने पास ही रख छोड़ी हैं।”

१९३८ ई० का वर्ष म्यूनिख-कांड एवं युद्धविषयक अफवाहों के कारण बड़ा ही विचित्र और व्यग्रतापूर्ण रहा। उसी वर्ष के शरत्काल में मैं भारत पधारी। प्रांतीय सरकारों के अधिकार-ग्रहण को सालभर से भी अधिक समय बीत चुका था। कई देशी रियासतों में गभीर रूप से अशांति छाई हुई थी। इस प्रकार मुझे प्रांतों और रियासतों दोनों की घटनाओं के अध्ययन का सुअवसर मिला। क्योंकि प्रांतीय सरकारों और रियासतों के नेतागण सलाह-मशवरा पाने के लिए सेवाग्राम आते रहे। यूरोप से भी बहुत से लोग आते थे। मुझे याद है कि एक बार फिलस्तीन से भी एक प्रतिनिधि—मडल आया था और गांधी जी ने उसे भी सलाह दी थी। उन्होंने विशेष रूप से यही कहा कि यहूदियों और अरबों को मिलजुल कर रहना सीखना ही पड़ेगा।

क्षितिज पर जब युद्ध के बादल मडराने लगे तब मैंने उनसे कहा कि पश्चिम के कुछ शांतिवादियों की यह तीव्र इच्छा है कि आप वहा आकर उनसे मिलें, ताकि वे अहिंसा के आचरण सबधी आपके दीर्घ अनुभवों से लाभ उठा सकें। वे बोले, 'पहले मुझे अपना यह तत्र भारत में ही सिद्ध कर दिखाना चाहिये; वगैर ऐसा किये दूसरे देशों को मैं वह कैसे सिखा सकता हूँ?' उनके इस दृष्टिकोण की मैंने मन ही मन प्रशंसा की, किंतु मेरा समाधान नहीं हुआ। फिर भी यह तो स्वीकार ही करना पडेगा कि घटनायें इस कदर तेजी के साथ घटती जा रही थीं कि अनेक लोगों की तीव्र इच्छानुसार हिटलर से खुद जाकर मिलना उनके लिए संभव ही नहीं हो सकता था।

१९३९ ई० से १९४५ ई० तक का काल घृणित स्वप्न की भांति रहा। भारत और ब्रिटेन के बीच 'पारस्परिक सद्भाव' निर्माण करने के हमारे कार्य में अनेक दुस्तर कठिनाइयाँ उपस्थित हो गईं। डाक या तो देर से मिलती, या रास्ते में ही गुम हो जाती थी। चुनावे गांधी जी और अन्य नेताओं के वक्तव्यों से हम वंचित रह जाते थे। समूचा राष्ट्र युद्धकार्य में जोत दिया गया था। बहुमस्य लोगों की राय में प्रस्तुत युद्ध प्रकारांतर से धर्मयुद्ध ही था। अतः हमें विग्न जो कोई लिखित या मौखिक रूप में यका प्रदर्शित करता था वह 'देशद्रोही', 'ब्रिटिश-विरोधी' आदि घोषित कर दिया जाता था।

१९४२ ई० का 'भारत छोडो' प्रस्ताव स्वीकृत होते ही तो गाधी-विरोधी भावना चरम सीमा पर पहुच गई। 'पीठ पीछे निंदा', 'ब्रिटिश विरोधी', 'युद्ध-प्रयत्नो मे बाधा' आदि शीर्षको से इसे प्रसिद्धि दी गई। उस समय के व्यंगचित्रो मे भी यह प्रबल विरोधी भावना प्रतिबिंबित हुई है। कांग्रेस-प्रस्ताव का मसविदा दीर्घदृष्टि होने पर भी उसके अतिम वाक्य के कारण उसकी ओर बहुत ही कम ध्यान दिया गया। युद्धकाल मे सार्वत्रिक सत्याग्रह-आंदोलन छेड़ने की धमकी दी गई है। इस हालत मे कोई भी सरकार इसके विरुद्ध वही उपाययोजना करती, जो कि की गई है, ऐसा तर्क किया जाने लगा। किंतु जब तक वायसराय से अपनी मुलाकात नहीं होती तब तक किसी भी प्रकार का आंदोलन छेडा नहीं जायगा, इस अर्थ की गाधी जी द्वारा स्पष्ट रूप मे की गई घोषणा का हमे पता चलने के पूर्व ही, वे और अन्य नेतागण जेलो मे बंद कर दिये गये।

इसके कुछ ही महीने बाद गाधी जी के उपवास की खबर आ पहुची। शांतिकाल मे ही बहुत कम स्त्री-पुरुष इन उपवासो का उद्देश्य समझ पाये थे। युद्ध-काल मे तो उक्त उपवास को लक्ष्य कर ऐसा कहा जाने लगा कि ससार भर के लाखों स्त्री-पुरुष अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए आत्मबलिदान कर रहे हैं। "फिर बूढे के बलिदान की बात पर आप लोग इतनी चिल्ल-पो क्यों मचाते हैं? क्या हमारे लोग भी वैसा ही बलिदान नहीं कर रहे हैं?" "ऐसे समय मे, जब कि ब्रिटिश सरकार अनेक झड़टो में फसी हुई है, उसे और अधिक आफत में फसाने के लिए ही यह आदमी उपवास कर रहा है।" "यह नैतिक हिंसा है; यहा उनकी अहिंसा आती ही कहा है?" जादि जादि प्रश्न किये जाने लगे। किंतु इस सब के बावजूद, घालमेल के उन दिनों मे भी, उनके उपवास विषयक प्रतिदिन की खबरे समाचार-पत्रो के मुखपृष्ठ पर स्थान पाती ही रहीं।

उन भयकर वर्षों मे विषयाय के ज्वार के विरुद्ध हम निरंतर सघर्ष करने रहे। यह विषयाय पूर्णतया नहीं तो मुन्यतया गाधी जी के ही विरुद्ध था। शानि और धैर्य के साथ हम गाधी जी के विचारों की व्याख्या करते रहे, और उम बीच हमने साहित्य भी राष्ट्री प्रकाशित किया।

१९४५ ई० के अंत में मैंने किसी प्रकार भारत-यात्रा के लिए टिकट प्राप्त किया। तब गांधी जी कलकत्ते में थे। अखिल भारतीय महिला-परिषद् का अधिवेशन समाप्त होते ही मैं उधर चली गई। मन में सोच रही थी कि विगत वर्षों की घटनाओं का उनपर क्या परिणाम हुआ होगा? किंतु उन्होंने इतने उत्साह से मेरा स्वागत किया कि ये वर्ष क्षण-सदृश्य प्रतीत हुए। मैं जब पहुंची तब वे अपने पेटपर गीली मिट्टी का मोटासा पोलटिश रखकर आराम कर रहे थे। "निश्चय ही तुम मेरे साथ मद्रास चल रही हो," वे बोले। और अगले दिन हम सब 'गांधी-स्पेशल' से रवाना हुए। 'स्पेशल' से साधारणतया जो अर्थ लिया जाता है उस तरह की ट्रेन तो यह थी नहीं, एक इंजन, गाड का एक डिब्बा और तीसरे दर्जे का एक डिब्बा, वस ऐसी ही थी यह स्पेशल। इस प्रकार के सफर में शांतिपूर्वक बातें करना संभव ही नहीं, क्योंकि रास्ते भर लोगों की भीड़ लगी रहती है। इस अवस्था में भी उनके साथ चर्चा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। विगत वर्षों की घटनाओं के सबंध में हमने विशेष चर्चा नहीं की; क्योंकि वर्तमान परिस्थिति ही उससे कहीं अधिक शोचनीय बन गई थी। इस दौरे में मैंने देखा कि वे लोगों को शांत कर रहे हैं, उन्हें नारे लगाने से रोक रहे हैं और आग्रह-पूर्वक यह समझा रहे हैं कि यदि वे स्वराज्य चाहते हैं तो कतई अनुशासन-भंग न करें।

युद्ध-काल में हम बराबर यही सुनते रहे कि—“मि. गांधी की शक्ति का न्हास हो चुका है।” किंतु मुझे तो वे शक्तिशून्य दिखाई नहीं पड़े, इतना ही नहीं बल्कि विभिन्न विचारों के लोगों पर का उनका प्रभाव देखकर मैं दंग रह गई। आजकल के दिनों में, और वर्तमान युग में, आध्यात्मिक शक्ति द्वारा उच्च प्रकार प्रभाव जमाने की यह बात अद्वितीय ही मानी जायगी।

त्रिप्स-मिशन के दिल्ली पहुंच जाने पर होरेस एलेक्जेडर के साथ मैं भी वहां उपस्थित हो गई। त्रिभ्रियो से हम व्यक्तिगत रूप से परिचित थे; और भारतीय नेताओं का परिचय प्राप्त करने का सौभाग्य भी हमें प्राप्त हो चुका था। चुनावों में हमने सोचा कि शायद 'पारस्परिक सद्भाव' निर्माण करने का मौका मिल जायगा। बहुत ही दिक्कत भरे दिन रहे वे। वायसराय-भवन में थोड़ी ही दूरी पर हरिजन-कालनी स्थित गांधी जी की कुटिया समस्त हलचलों का संचालन-केन्द्र बनी हुई थी, और देश एवं मसारा भर के लोग उसकी ओर आकर्षित हो रहे थे।

दिल्ली और शिमला में उनके सहवास में वित्तिये हुए इन चंद सप्ताहों की अवधि में वर्तमान व भविष्य के सबंध में उनके साथ चर्चा करने का मुझे और एक अवसर मिला। दिल्ली से अपने हवाई-जहाज के छूटने के ठीक पहले मैं उनसे आज्ञा लेने गई। तब उन्होंने लगभग वही शब्द दुहराये जो कि पंद्रह वर्ष पूर्व कहे थे। अर्थात्—“भगवान् तुम्हारा पथ-प्रदर्शन करेगे।”

छ हजार मील दूरी पर स्थित हम लोगो का ध्यान अहिंसा-शास्त्र विषयक उनके अंतिम प्रयोग की ओर लगा हुआ है। “आध्यात्मिक जागति का एक ऐसा प्रयास जिसके समतुल्य उदाहरण इतिहास में कमही मिलेगे।” इन शब्दों में एक समाचार-पत्र ने इसका वर्णन किया है। श्रीरामपुर से मेरे नाम भेजे हुए अपने एक पत्र में वे लिखते हैं —

‘यहा बंगाल के एक दुर्गम भाग में मैं हूँ और अपने जीवनोद्देश्य के अत्यंत कठिन अंश को मैंने उठाया है। यदि यहाँ के अपने कार्य में मैं सफल रहा तो आगे के कार्य योग्य भी बन जाऊंगा।’

बंगाल और विहार में उनकी उपस्थिति आवश्यक है यह तो सिद्ध ही हो चुका है। किंतु ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई इस घोषणा के बाद से, कि जून १९४८ में भारत की शासन-व्यवस्था ब्रिटिशों के हाथ से भारतीयों के हाथ में चली जायगी, एक नई परिस्थिति पैदा हुई है। गांधी जी सदा यही सपना देखते आये हैं कि अहिंसक साधनों द्वारा स्वराज्य-प्राप्ति हो। इस दृष्टि से अपना ‘भावी कार्यक्षेत्र’ दिल्ली है यह बात क्या संभवत उनके ध्यान में आ सकती?

लदन,

२०-३-१९४७

मो. क. गांधी

कार्ल हीथ

अनेक वर्षों से गांधी जी के उपदेशों से परिचित होते हुए एवं उनका अध्ययन कर चुकने पर भी १९३१ ई०, याने गोलमेज-परिषद् के लिए कांग्रेस के प्रतिनिधि के नाते गांधी जी के लदन पधारने तक, मैं व्यक्तिगत रूप से उनका परिचय प्राप्त कर न सका। अवश्य ही उस समय तक वे सार्वजनिक क्षेत्र के एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति बन चुके थे। इस ख्यातनाम और कुछ अशोर्षो में खतरनाक मेहमान की सतर्कता से रक्षा करने का भार लदन के दो चतुर जासूसों को सौंपा गया था। यही दो जासूस इंग्लैंड में शाही मेहमान के तौर पर समय समय पर पधारे हुए विदेश के विभिन्न राजाओं और प्रमुख व्यक्तियों के 'रक्षक' रह चुके थे। इनमें से एक ने मुझे बताया कि इससे पहले मि. गांधी जैसी समस्या से उसका कभी भी पाला नहीं पडा था। क्योंकि यह इंडियन उन राजाओं या राजपुरुषों की अपेक्षा, जिनसे कि बहुधा उसे काम पड़ता था, सर्वथा भिन्न था। उनकी योग्यता का दूसरा कोई भी व्यक्ति वेस्ट विभाग के किसी साधन-सपन्न होटल को छोड़कर ईस्ट-एंड जैसी इंग्लैंड की कगाल बस्ती में खुद होकर ठहरना कदापि पसंद न करता। प्रात. छ. बजे, जब कि परिषद् के लिए पधारे हुए उनके साथी-प्रतिनिधि, अर्थात् राजे-महाराजे एवं राजनीतिज्ञ व्यक्ति, वेस्ट-एंड स्थित होटलों में निद्रामग्न होते थे, वे सैर करने निकल पड़ते थे। अलावा इसके उनके सभी प्रकार के कार्यक्रमों पर नजर रखनी पड़ती थी। जैसे इंग्लैंड के बादशाह एवं अन्य प्रमुख ब्रिटिश व भारतीय व्यक्तियों में होनेवाली उनकी मुलाक़ाते, सभा-समितियों की बैठकों में उनकी उपस्थिति; आदि। इस नाटे में महापुरुष को लदन के इस या उस पार के उसके निर्दिष्ट स्थान पर ठीक वक्त पर सुरक्षित रूप से पहुँचा देना पड़ता था। क्योंकि, यदि मच बहा जाय तो, समय की पाबंदी सबधी पादनात्यों की कल्पनाओं का उन्हें हर घड़ी म्याल रहता ही हो ऐसी बात नहीं थी।

धनियो की अपेक्षा गरीबो के बीच आकर ठहरने के लिए म्यूरिएल लेस्टर द्वारा दिया गया निमंत्रण गांधी जी ने स्वीकार किया है यह देखकर ईस्ट-एंड निवासी बहुत ही प्रभावित हुए। लंदन के उनके इस मुकाम में अन्य किसी भी बात की अपेक्षा इस बात का ही अधिक असर पडा ऐसा मेरा ख्याल है। विचारशील लोग भी इस बात में मन पूर्वक रस लेने लगे, और उनसे मिलने व बातचीत करने के लिए बड़े उत्सुक दिखाई पडे। चुनावे ३१ अक्टूबर १९३१ को 'फरेण्ड्स हाउस' स्थित अपने कमरे पर (उस समय में इटरनैशनल सर्विस के फरेण्डस कौन्सिल का मंत्री था) सार्वजनिक क्षेत्र में काम करनेवाले ऐसे तीस-चालीस व्यक्तियों से मिलने के लिए, जिनमें राजनीतिक व सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, लेखक, प्रकाशक एवं अन्य लोग सम्मिलित थे, मैंने उन्हें निमंत्रित किया। वे आये, और उन्हें उन प्रश्नों की टाइप की हुई एक सूची दी गई जो कि उपस्थित महानुभाव उनसे पूछना चाहते थे। उन प्रश्नों को जोर से सिलसिलेवार पढकर हृदयग्राही स्पष्टता के साथ उनका जवाब वे देते गये। अवश्य ही अनेक व्यक्ति उनके निर्णयों से असहमत हुए; किंतु सभी ने यह अनुभव किया कि भारतीयों के हृदयों में अग्रस्थान प्राप्त करनेवाले इस व्यक्ति के विचार जान लेने की दृष्टि से प्रस्तुत अवसर अपूर्व रहा। साथ ही यह सम्मेलन प्रत्यक्ष संपर्क की भावी सभावनाओं एवं उनके परिणामस्वरूप स्थापित होनेवाले पारस्परिक सामंजस्य का सूचक प्रतीत हुआ।

तदनुसार हमने 'इंडिया कन्मीलियेशन ग्रुप' ('भारत स्नेहवर्धक मडल') की स्थापना की। और १९३१ ई० के उस स्थापना-दिवस से लेकर आज तक अनगिनत व्यक्तिगत एवं आपसी चर्चाओं द्वारा भारत के प्रति स्नेहभाव बढ़ाने का सीमाग्य इस मडल को प्राप्त हो चुका है। इस सयध में जिन जिन लोगों ने मुलाकाते की गई उनमें समय समय पर लंदन पधारे हुए ग्यातनाम भारतीय स्त्री-पुरुष, भारत में दीर्घ काल तक मेवाकार्य कर या विधेय रूप से भारत-यात्रा कर लौटे हुए ब्रिटिश स्त्री-पुरुष, तथा भारत के प्रति अत्यंत आस्था रखनेवाले विशिष्ट यूरोपियन और अमेरिगन व्यक्ति सम्मिलित थे। इन मडल ने गांधी जी की एव अन्यो की मार्फत भारत के कई लोगों में निरुत्सर्ग संपर्क स्थापित करने के साथ ही साथ भारत-भ्रमों, वाइमगद, गवर्नरों, जजों आदि में, इतना ही नहीं बल्कि इंडिया आफिस, भारत के हाई-कमिश्नर एवं

पार्लमेण्ट के कई सदस्यों के साथ भी व्यक्तिगत रूप से सपर्क स्थापित किया है। मिस एगाथा हैरिसन प्रारंभ से ही इस मंडल की अवैतनिक मंत्रिणी रही है, और मंडल के कार्यों का अधिकांश श्रेय उन्हीं की कार्यक्षमता एवं व्यक्ति व व्यवहार विषयक उनकी अचूक परख को ही देना पड़ेगा। मंडल के सदस्यों में विभिन्न विचारों के ऐसे लोग रहे हैं, जिन्होंने भारतीय परिस्थिति का ख्याल रखते हुए सभी दलों, वर्गों एवं धर्मों के लोगों के सबंध में सहानुभूति के साथ सोचने का प्रयत्न किया है। बुद्धियुक्त स्नेहवर्धन द्वारा तरक्की हासिल करना इस मंडल का एकमात्र ध्येय रहा है। परिणाम-स्वरूप काफी स्नेहभाव और सद्भाव पैदा किया गया। इसमें योग भी बहुत से लोगों ने दिया। फिर भी दसका उपक्रम तो मो. क. गांधी के चित्ताकर्षक व्यक्तित्व में आयोजित उर्वर अपूर्व सम्मेलन में ही हुआ, यह बात कभी भी भुलाई नहीं जा सकती।

गांधी जी ऐसे समय लंदन पधारे जब कि भारत में लकाशायर के माल का बहिष्कार-आंदोलन चल रहा था। लकाशायर पधारने का निमंत्रण स्वीकार कर बहिष्कार का परिणाम अपनी आंखों देखना कुछ कम साहस का काम नहीं था। डार्वेन नामक एक वस्त्रोत्पादक केंद्र में आयोजित सार्वजनिक सभा में स्थानीय मजदूरों ने उनके सामने अपना दुखड़ा रोया। बहुत ही ध्यानपूर्वक एवं सहानुभूति के साथ उन्होंने वह सुन लिया। फिर विलकुल ही सहजभाव से वे बोले, "आप लोगों ने अभी जो कुछ कहा वह सब अत्यंत सहानुभूति-पूर्वक मंने सुन लिया है। अवश्य ही आपको काफी कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। किंतु मेरे देशवासी तो आपसे भी दस गुना अधिक गरीब हैं। सो मैं क्या करूँ?" मुनवर मजदूर उनकी ओर अवाक् देखते ही रह गये। सब मामला झट उनकी समझ में आ गया।

इसी समय लिखी गई अपनी एक पुस्तिका से और एक घटना में यहाँ उद्धृत करता हूँ —

"लंदन स्थित परेण्ड्स हाउस के बीचोबीच एक छोटासा सभा-गृह है। वरकर लोगों के अन्य स्थानों की भाँति यह स्थान भी सीधासादा है, किंतु ऐसा होने पर भी यह सुंदर है। आज का दिन कुछ विशेषता रखता है। सभा-स्थान की कुसिया पीछे की ओर सिसकाकर बना ली गई विस्तृत चौरस जगह में लंग-चोड़ा हिंदुस्तानी गालिचा बिछाया गया है। और कुछ मदज्योति दीपक

छतो से लटका दिये गये हैं। भारत के लिए मूक-प्रार्थना करने के हेतु यह सभा ही रही है।

“भारतीय गोलमेज-परिषद् के दरमियान, हर सप्ताह होनेवाली इस प्रार्थना-सभा में हिंदू, मुसलमान एव ईसाई महानुभाव अपनी अपनी सदिच्छाएँ ईश्वरार्पित करने के लिए आते रहे। सभा में एक भी शब्द बोला न जाता था, क्योंकि भिन्न भिन्न भाषी एव विभिन्न धर्मी लोग निर्दोष और सार्थ शब्द शीघ्रता से कैसे ढूढ़ पाते ?

“भारतहितार्थ आयोजित इस छोटी सी प्रार्थना-सभा में महात्मा गांधी और हिंदू महानुभाव आये। उधर से शैकतअली और मुसलमान भाई भी आये। भारतीय ईसाई, लार्ड चैन्सलर एव भारतहितैषी अन्य अनेक अंग्रेज मित्र भी प्रार्थना करने के लिए पधारे।”

इन प्रार्थनाओं का यह दृश्य, उनकी फलप्राप्ति में अभी विलंब होने पर भी, सूचक और उल्लेखयोग्य है।

१९३६-३७ ई० के दरमियान मैं भारत में ही रहा। १९३६ के आखिर में मैं दो बार वर्षा हो आया। पहली बार सी एफ. ऐंड्रयूज और एगाथा हैरिसन के साथ जमनालाल जी बजाज के अत्यंत आतिथ्यशील वासस्थान पर मैं ठहरा था। तब, अपनी इस पहली ही मुलाकात के समय, स्वागतार्थ हमारी ओर बढ़नेवाले गांधी जी की हसमुख मूर्ति आज भी मेरी आँखों के सामने स्पष्ट झलक रही है। हमारे प्रिय मित्र महादेव देसाई द्वारा पहले से नोट कर रखे गये विभिन्न विषयों पर बड़ी देर तक हमने बातें कीं। गांधी जी नीचे विद्यायी हुई एक गद्दी पर बैठ गये। और एक अंग्रेज होने के कारण मुझे बैठने के लिए कुर्सी दी गई। जबशय ही वह अस्वीकार कर मैं अपने यजमान की ओर मुखातिव होकर जमीन पर ही बैठ गया। तत्कालीन समस्याएँ और उनके सुद के जीवन-सिद्धांत, लगभग दस वर्ष पूर्व के हमारे दस वार्तालाप के विषय रहे। पूरे वार्तालाप के दरमियान मैंने उनमें ऐसी सजग प्रज्ञा के दर्शन किये कि जिसके कारण वे किसी भी प्रश्न का अविलंब आकलन कर उसका अचूक उत्तर दे पाते थे। कभी खुले दिल से वे ऐसा भी कबूल करते थे कि फलाने सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं है, या उस विषयक उनकी पहले की धारणा गलत है। यह स्पष्टादिता उनके नवींत्तम गुण में से एक है। उनका यह महान्

वचन, कि "मेरे विचार अतीत के साथ नहीं अपितु सत्य के साथ मेल खाते हैं," में प्रायः उद्धृत किया करता हूँ। यह वचन उनके गतिशील व्यक्तित्व का द्योतक है। उनमें मोहक विनोदप्रियता भी है। जब हम लोग जाने के लिए उठकर खड़े हुए तब उन्होंने मुझसे पूछा, "आपकी धर्मपत्नी कहाँ हैं?" क्योंकि लंदन में वह उनसे मिल चुकी थी। "इटारसी में, जहाँ कि हम लोग ठहरे हुए हैं।" मैंने जवाब दिया। "अच्छा," मुस्कराते हुए वे बोले, "उसे कह देना कि अगर वह बिना मुझसे मिले भारत से विदा हुई तो मैं उसे कभी भी माफ न करूँगा।"

चुनावों के कुछ ही सप्ताह बाद, मध्यप्रातः छोड़कर कलकत्ता जाने के पूर्व, एक लबी और धूलभरी सड़क द्वारा हम इटारसी से वर्धा गये।

मैंने उन्हें बताया कि इसी समय मेरे भारत पधारने का एक मुख्य कारण यह है कि अभी भी यहाँ के अनेक राजनीतिक व्यक्ति जेलों में बंद होने से 'सोसाइटी आफ परेण्ड्स' को, जिसका कि मैं सदस्य हूँ, बड़ा आघात पहुँचा है। दंडनीय प्रश्नांसयधी एक विस्तृत विवरण सोसाइटी के पास है, और उसीने इस मामले में बायसराय ने मिलने का काम मुझे सौंपा है। इसके लिए बायसराय ने अपनी स्वीकृति भी प्रदान की थी, किन्तु चूँकि उसी समय वे भारत के विभिन्न शहरों के दौरे पर निकलने वाले थे इसलिए कई सप्ताह तक उनसे मिलना नामुमकिन था। तब मैंने गांधी जी से कहा कि पहले कलकत्ते जाकर सर जान एडरमन से मिलने का मेरा इरादा है। सर जान उस समय बंगाल के गवर्नर थे और राजबंदियों के प्रश्नपर मुझमें चर्चा करने के लिए तैयार थे।

की, जो आगे चलकर पेशावर में उनके भाई डा. खानसाहब से मेरे मिलनेपर लाभप्रद सिद्ध हुई।

उसके बाद तो अनेकानेक घटनायें घटी हैं। शांतिकाल में एक युद्धकाल में भी लड़न स्थित हम लोगो का ध्यान बराबर गांधी जी की ओर लगा रहा और उनके जेल चले जाने पर उनके कतिपय कष्टकलेशो में भी हम हृदय से सहभागी हुए हैं। इस बीच बदलती हुई राजनीतिक परिस्थिति सबधी असह्य तारो और पत्रो का भी आदान-प्रदान हुआ। यह सारा पत्रव्यवहार, उसमें से उनके व्यक्तित्व-निदर्शक दो एक वाक्य छोडकर, मैं यहा उद्धृत कर नहीं सकता। उदाहरणार्थ, जॉइंट पार्लमेटरी कमीटी के जिस रिपोर्ट के फल स्वरूप १९३५ ई० का भारतीय विधान बना उसके विरुद्ध तात्त्विक आक्षेप प्रकट करते हुए जनवरी १९३५ में लिखा गया उनका लंबा पत्रही लीजिये। जिन शब्दों में उन्होंने इसे समाप्त किया है वे शब्द उनकी महात्मता और विनम्रता के विशेष रूप से द्योतक हैं।

वे लिखते हैं, “अतः मेरे विचार उग्र होने पर भी, जैसे कि वे उपरोक्त पत्र में सार रूप में व्यक्त हुए हैं, मैं आपको यह विश्वास दिलाता हू कि, ईश्वर की कृपा बनी रही तो, मैं जल्दबाजी में या क्रोध के बशीभूत होकर कोई भी कदम न उठाऊंगा। चूकि मैं यह कह रहा हू इसलिए आप इस पर पूर्ण रूप में विश्वास करे यही आपसे मेरा कहना है।”

“जिन कारणों से कांग्रेस से मैं अलग हुआ हू उनमें से एक यह है कि राजनीतिक क्षेत्र की सरकारी कार्यवाहियों के संचय में मैं खुद होकर उतना मौन तो अवश्य ही धारण करू जितना कि किसी भी मनुष्य के लिए संभव है। स्वेच्छा से ग्रहण किये गये अपने इस विजनवास में मैं अहिंसा की सुप्त शक्ति की खोज करना चाहता हू। अपने प्रत्येक कार्य के पीछे, फिर वह जीवन के किसी भी क्षेत्र का क्यों न हो, मेरा यही हेतु रहता है। मेरी एकमात्र अभिलाषा यही है कि मैं उस मौलिक सत्य को, जो हर चीज में मौजूद होने पर भी जिसका केवल धुंधला रूप ही अभी मेरे सामने है, प्रयत्नपूर्वक ठीक ठीक समझ लू। और कष्टसाध्य छानबीन के बाद मैं इस निर्णय पर पहुंचा हू कि यदि मुझे सत्य को उसके संपूर्ण रूप में देखना हो तो काया-वाचा-मनसा अहिंसा का पालन करने से ही यह संभव हो सकता है।”

पाच वर्ष बाद, याने फरवरी १९४० में, उनके नाम भेजा गया अपना एक पत्र मैंने इन शब्दों के साथ समाप्त किया है —“एक क्वेकर, और भारतीय स्वाधीनता-आंदोलन के एक दीर्घकालीन हिंदू के नाते मेरा ऐसा दृढ़ विश्वास है कि यह आंदोलन स्नेह और समता के साथे ही, इन दोनों शब्दों के सभी अर्थ गृहित धरकर, समाप्त होगा और होना ही चाहिये।”

इसके जवाब में उनका खुद का लिखा हुआ जो पत्र आया उसमें मुझे यह सूचित करने के साथ, कि मेरा पत्र उन्होंने ‘अनेक बार’ पढ़ा है, वे लिखते हैं :—“हम दोनों में अब कभी भी मतभिन्नता होनी ही न चाहिये। क्योंकि साध्य और साधनों के विषय में हम दोनों में संपूर्ण हार्दिक मतैक्य है। अतः यदि कोई भिन्नता रह ही गई हो तो वह वस्तुस्थिति विषयक अधूरी जानकारी के कारण ही हो सकती है।”

इस पत्र का मेरी दृष्टि में जो महत्व है वह बताने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं।

और मैं समझता हूँ कि यदि १९४१ ई० में लिखा गया उनका एक पत्र में नीचे उद्धृत करूँ तो इसमें किसी को भी कोई आपत्ति हो नहीं सकती।

वे लिखते हैं —“कांग्रेस उतनी ही नाज़ी-विरोधी भी है जितनी कि साम्राज्य-विरोधी। यदि सरकार ने कांग्रेस की युद्धविरोधी प्रवृत्तियों पर अविवेकपूर्ण अंगुश लगा न दिया होता और उसे नाज़ी-पक्षीय घोषित न कर दिया होता तो वह अवश्य ही सारा भारतवर्ष,—कांग्रेस के दोनों दल, अर्थात् अहिंसा सिद्धांत का अनुसरण करनेवाला एवं इसका साधनों में विश्वास

इसी समय के एक दूसरे छोटे-से पत्र में वे लिखते हैं —“सप्रति मैं प्रबल सज्ञावात में फसा हुआ हूँ, और मन ही मन गुनगुनाता रहता हूँ कि—

Rock of Ages cleft for me,
Let me hide myself in Thee!

(एक अंग्रेजी भजन से ली गई यह पक्तिया शायद सी एफ ऐंड्रूज ने उन्हे गाकर सुनाई होगी ।)

गाधी जी द्वारा समय समय पर मेरे नाम भेजे गये पत्रों में उल्लिखित राजनीतिक बातों में से कोई भी बात मैंने यहाँ उद्धृत नहीं की है । ऐसा करने का मुझे अधिकार भी नहीं । उपरोक्त उद्धरण भी, एक व्यक्ति की आंतरिक प्रवृत्तियों का दूसरे व्यक्ति पर जो प्रभाव पडा उसपर प्रकाश डालने की दृष्टि से ही दिये गये हैं । न्यू टेस्टामेंट में ईसा मसीह ने एक निष्कपट व्यक्ति का वर्णन किया है । गाधी जी के सबध में मेरी कल्पना भी ठीक वैसी ही है । बहुतसे लोग इससे असहमत होंगे । एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ ने मेरे सामने गाधीजीके बारेमें अपनी राय प्रकट करते हुए कहा था कि वे सत की अपेक्षा कहीं अधिक कुटिल राजनीतिज्ञ हैं । किन्तु मैं इससे सहमत हो नहीं सकता । भारत को स्वाधीनता की ओर ले जानेवाला, एक ऐसी स्वाधीनता की ओर जो कि विदेशी शासन से मुक्ति दिलाने की अपेक्षा कहीं अधिक अर्थ रखती है, यह पुरुष भारत के राजनीतिक एवं आर्थिक जीवन में अपने निर्दोष आध्यात्मिक मनोधर्म के साथ पैठकर ही ऐसा कर रहा है । और इसी कारण वह दुर्लभ और महान् व्यक्ति बन गया है ।

गिल्डफोर्ड,

१९-११-१९४५.

जब महात्माजी चंपारन पधारे—

एक याद

जे. जेड. होज्ज

ऐसा लगता है कि मोतीहारी, जिला चंपारन स्थित हमारे घर के बरामदे में गांधी जी ने मानो कल ही पैर रखवा हो; पर है यह सन् १९१७ की बात। उस दिन जो मंत्री हम दोनों में वहा शुरू हुई थी वह आज तक बंसी ही बनी हुई है, हालांकि अब मीलो विस्तृत समुद्र ने हमें परस्पर से बिल्कुड़ रक्खा है। लगभग एक अनजान व्यक्ति के रूप में हमारे बीच वे आये; किंतु दक्षिण अफ्रीका-निवासी भारतीयों के अधिकारों के हिमायती के नाते उनकी कीर्ति इसके पूर्व ही यहा आ पहुँची थी। चुनावे जनता ने उनका सहर्ष स्वागत किया। अवश्य ही अत्यंत अनुदार दली लोगों को उनके आगमन के कारण किसी-ना-किसी प्रकार के उपद्रव की आशंका होने लगी थी। किंतु आज की तरह उस समय भी 'हकों और देतों' नीतिवाक्य बना हुआ था। चंपारन में एक लंबे अरसे से कृषि विषयक समस्या पर अशांति मची हुई थी। वहा के जर्मीदारों और किसानों के बीच इस कदर तनातनी चल रही थी कि उनके संबध किसी भी क्षण टूट सकने थे। इस हालत में अपनी शिकायतों की जाच के लिए पीड़ित किसानों द्वारा गांधी जी को चंपारन बुलाया जाना कुछ भी आश्चर्यप्रद नहीं था। सरकार भी इस परिस्थिति की गंभीरता में पूर्णतया परिचित थी; किंतु दमे मुधार न मकने में उनकी अनिच्छा की अपेक्षा अममर्थताही अधिक कारणभूत थी। अतः सर्वांगिरे विचार कर घटनास्थल पर गांधी जी के आगमन को उसने अपना मोभाग्य ही नमसा हंगा ऐसा मेरा ब्याल है। अवश्य ही शुरू में गांधी जी के प्रति वह गंभीर थी, किंतु उनका उद्दिष्ट पूरी तोर से समझ में आते ही उनमें नत्वरता के साथ उन्हें अपना सट्वांग प्रदान किया और उनके अधिकारियों को भी यह आदेश दिया कि उन्हें सभी आवश्यक जानकारी दी जाय। चुनावे सर्वप्रथम एक लोकमित्र और लोकहित के लिए सरकार में महत्वांग करनेवाले व्यक्ति के रूप में ही गांधी जी मेरी स्मृति में जग रहे।

गाधी जी के साथ चपारन जाते समय हमे दो बातें विशेष रूप से याद रखनी चाहिये । अर्थात् एक तो यह कि बिहार में अफीम का उत्पादन बंद कर दिया जाने के कारण चपारन के किसान की आर्थिक अवस्था बहुत बिगड़ गई थी । सरकार द्वारा उठाया गया यह ऐतिहासिक कदम अवश्य ही एक उच्च नैतिक घटना थी; किंतु इसकी कीमत चपारन और उसके आसपास के जिलों के किसानों को चुकानी पड़ी थी । क्योंकि अफीम की खेती जीविका का एक लाभप्रद साधन था, और उसके बंद होने से किसान को जबरदस्त धक्का पहुंचा था । इससे किसानों में भारी असंतोष फैल गया । नील-बागान के मालिकों को दी गई पक्षपातपूर्ण सहूलियतें इस कृषि-क्षेत्र में फैले हुए असंतोष की दूसरी जड़ थी । इन वगीचेवालों में से अधिकांश अंग्रेज थे । बड़े बड़े वगीचे उनके अधिकार में थे जिनमें कि वे खेती करवाते थे । संयोगवश वेतिया राज्य, जो कि चपारन की सबसे बड़ी जमींदारी है, बहुत वर्ष पहले भारी आर्थिक संकट में फसने पर इन वगीचेवालों से कर्जा लेकर छुड़ा ली गई थी और इसके एवज में उन्हें लम्बी मुद्दत के पट्टे लिख दिये गये थे । इन पट्टों द्वारा नील-बागान के मालिकों को यह अधिकार मिल गया था कि वे अपने असामियों को उनकी जमीन का कुछ हिस्सा नील की खेती में लगाने के लिए मजबूर कर सकेंगे । 'तीन कठिया' (प्रति बोधा तीन कट्ठा) के नाम से मगहर इस पद्धति का अर्थ तो किसानों पर खुले आम जबरदस्ती करना ही हुआ । इससे स्वाभाविक रूप से जनता अधिकाधिक भड़कती गई । इसी बीच कुशल जर्मन वैज्ञानिकों ने कृत्रिम नील तैयार करने का तरीका खोज निकाला । परिणाम-स्वरूप पूजा लगाने योग्य व्यवसाय की दृष्टि से भारत की नील की खेती का मर्यादात्मक आघात पहुंचा । इस भावी संकट से होनेवाली अपनी आर्थिक क्षति की पूर्ति के लिए वगीचेवालों ने अफीम पैदा करनेवाले अपने जमातियों में एक अधिवार-पत्र द्वारा मुआवजे के तौर पर एकमुद्दत रकम लेकर नील की खेती करने का उन पर जो बंधन था वह रद्द किया । इस कष्टकर बंधन से बचने के लिए बहुत से किसानों ने मुहमागा मुआवजा दे भी डाला । किंतु कुछ ने इससे इन्कार किया, और मुख्यतया इन लोगोंकी ही जोर से गाधी जी चपारन पधारे थे । गाधी जी को निमंत्रित करनेवालों में से एक तरफ महाजन भंडे मित्र होने के कारण ही संभवतः चपारन पहुंचने के साथ ही बाद गाधी जी हममें मिलने आये थे ।

सब से पहला काम तहकीकात करने का था, और कतिपय सुयोग्य कार्य-कर्ताओं का सहयोग प्राप्त कर गांधी जी इसमें जी जान से जुट भी गये। काफी मुस्तैदी के साथ घूमफिर कर उन्होंने प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार कर पेश की, जिसके फलस्वरूप सरकार ने एक जाच-समिति नियुक्त कर गांधी जी को उसका एक सदस्य बनाने की समझदारी दिखाई। यथासमय समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की। चंपारन कृषि-कानून, जिससे कि 'तीन कठिया' पद्धति एकवारगी बढ़ हुई, मुआवजे का कष्टकर सवाल मिट गया और असतोष के अन्यान्य कारण भी दूर कर दिये गये, उक्त रिपोर्ट का ही फल है। इस प्रकार चंपारनके कृषिक्षेत्र की उपरोक्त अन्यायपूर्ण बातें दूर करने में सहयोग प्रदान कर गांधी जी ने चंपारन के किसानों की कृतज्ञता और प्रेम प्राप्त किया। महात्माजी के प्रति चंपारन के किसानों से बढ़कर प्रेम और भक्ति-भाव भारतभर में कहीं भी होगा या नहीं इसमें मुझे सदेह है। गांधी जी विषयक मेरी दूसरी स्मृति एक ऐसे व्यक्ति के रूप में है कि जिसका हृदय मानवमात्र के प्रति असीम सहानुभूति से भरा हुआ है। अपने देशवासियों की सेवा उत्तम प्रकार में कैसे की जाय यही निदिध्यास उन्हें लगा हुआ है, और यही बात स्वराज्य-प्राप्ति के राष्ट्रीय आंदोलन में उन्हें अपरिहार्य रूप से सौच ले आई।

इसकी प्रचीति के लिए हमें चंपारन कृषि-कमिशन के कार्यों पर पुनः एक नजर डालनी होगी। कमिशन के सदस्यों के सामने सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यही था कि नील की पंदावार सचधी शर्त में मुक्ति दिलाने के लिए अपने अन्यायों में मुआवजा लेने या बगीचेवालों को न्यायतः बहातक अधिभार है? न्याय और नीति दोनों ही दृष्टियों से इस प्रकार मुआवजा पाने या बगीचेवालों या यह अधिभार गांधी जी को नामजूर था। चुनावें अभी मोरों पर गांधी जी ने अपने सर्वोत्तम गुण, अर्थात् जहां सिद्धान्त की मानमर्दाना या कोई प्रश्न उपस्थित होता न हो वहां समझौते के लिए तैयार रहने की वृत्ति या, परिचय दिया। जब मयाल यह था कि मुआवजे के लोभ पर बमूल की गई खम छोटा दी जानी चाहिये या नहीं। कानूनन या वे बात-प्रति-बात खम वापस पाने की मागपर अड़ जायेंगे; किन्तु उभर पक्षीय समझौते के हेतु मान्यता करने के लिए वे तैयार हो गये। कुछ

-ले दे कर पचास प्रतिशत पर सौदा तय पाया गया। अवश्य ही अब इन निर्णय पर वे दृढ़ दिखाई दिये। तब शायद यह सोच कर, कि अपनी बात से वे डिगेंगे नहीं, बगोचेवालो के प्रतिनिधि ने पचीस प्रतिशत रकम लौटा देना मजूर किया। तुरत इसके लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर गांधी जी ने उसे एकदम चकित किया, और इस प्रकार एक गत्यवरोध का अंत करे डाला। रकम की वापसी का औचित्य एक बार सिद्ध कर चुकने के कारण अब उसकी वसूली केवल आपसी सवाल रह गया था। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय और ब्रिटिश राजनीतियों के सामने उपस्थित वर्तमान महान् गत्यवरोध पर भी गांधी जी के भीतर की समझौते की इस वृत्ति का, याने उनकी 'सुमनुर समझदारी' का, सतोपप्रद एव निर्णयात्मक रूप से प्रभाव पड़ सकता है। इसी-लिए जब मेरे मित्र मुझसे पूछते हैं कि "ऐसे ना-समझदार आदमी को ले कर आप क्या कर सकते हैं," तब मैं चपारन की उपरोक्त घटना का प्रसन्नतापूर्वक स्मरण कर जवाब देता हूँ, "आप लोग गांधी जी को जानते ही नहीं।"

मेरी स्मृति में जमी हुई गांधी जी विषयक तीसरी बात एक ऐसे दृढ़ पुरुष के रूप में है जो कि पर-हित का प्रश्न महत्वपूर्ण होने पर उसके लिए आत्महित का त्याग करने की पूरी क्षमता रखता है। वस्तुतः बहुत से असामी मुआवजे की रकम चुकाने के लिए स्वेच्छापूर्वक तैयार भी हो गये थे। इस हालत में चुकाई गई रकम का पचीस प्रतिशत वापस पाना आर्थिक दृष्टि से कुछ कम लाभप्रद नहीं था।

यद्यपि इस राष्ट्र की स्वराज्य विषयक मांग का समर्थन करने में मुझे कभी हिचकिचाहट मालूम न हुई, फिर भी अपने मिशनरी पेशे के कारण नक्रिय राजनीति से मैं सर्वथा अलिप्त रहा। और अमहयोग का कार्यक्रम, चाहे वह हिंसक या अहिंसक कैसा भी क्यों न रहा हो, मुझे अपनी ओर आकर्षित न कर सका। वस्तुतः सहयोग ही मेरे जीवन का ध्रुव-तारा बन गया था। बिहार का किसान जिन असुविधाओं और असमर्थता के बीच कठोर परिश्रम कर जिदगी गुजार रहा था वह देखकर एक लये अरसे से मैं परेगान था। नूनाने चपारन में स्थापित होनेवाली सहकारी साख-नमितियों का मंने बिल्कुल उम्मी प्रचार स्वागत किया, जिस प्रचार कि उत्तरी ध्रुव-प्रदेश के बर्फ में फटा हुआ कोरे मच्छीमार जहाज बसत ऋतु ता करता है। अथर्व ही उच्चतर राजनीतिक

भूमिका पर विचरनेवाले गांधी जी की नज़र में सहकार विषयक मेरे इस उत्साह का कोई विशेष मूल्य नहीं था। फिर भी उन्होंने बड़े प्रेम के साथ अपने एक सहयोगी एव सर्वेण्टस् आफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य स्वर्गीय डा० देव को ग्रामीण सहकारी साख-समितियों के सगठन-कार्य में मेरी मदद करने के लिए भेज दिया। डा० देव वस्तुतः एक देवता थे, और चंपारन के अपढ़ किसानों की वहा के सर्वभक्षी साहकारों से रक्षा करने के निमित्त हमने एक-साथ जो दिन व राते गुजारी उनके स्मरणमान से आज भी मुझे प्रसन्नता होती है। डा० देव की चर्चा पर से मुझे गांधी जी के भीतर के और एक सद्गुण की यहा याद आ रही है। कार्यक्षम एव श्रद्धावान् स्त्री-पुरुषों को अपने ध्येय की ओर आकृष्ट कर उन्हें राष्ट्रकार्य में लगाने की उनमें गजब की प्रतिभा है। निस्संदेह उनके नेतृत्व की यही सच्ची निशानी है। चंपारन के शुरू के उन दिनों में वे ही राजेन्द्र बाबू को राष्ट्रकार्य के क्षेत्र में खींच ले आये, जो कि आज देश के एक परखे हुए एव विश्वासपात्र नेता बन गये हैं। और महादेव देसाई के सबध में तो, जो कि अत्यंत सुयोग्य सेक्रेटरियो और निष्ठावान् मित्रों में से एक थे, क्या कहा जाय? जिस दिन वे राष्ट्र की पुकार पर ध्यान देकर गांधी जी के सहयोगी बने वह भारत का भाग्यदिन था। चंपारन में हमने उनके पारस्परिक मध्यम का जो रूप देखा वह वास्तव में नितान्त सुंदर था। यह ऐसे दो हृदयों का मिलन था जो कि भारत की सेवा के लिए एकसाथ स्पंदन कर रहे थे। और यह केवल भारत की ही सेवा नहीं हो रही थी; क्योंकि अपने विचारानुसार वे भारत के रूप में सारी मानवजाति की सेवा कर रहे थे। यहा चंपारन की ओर एक घटना का मैं उल्लेख करना चाहता हूँ। गांधी-परिवार में मुझे नाममात्र के लिए भी जातीयता नज़र नहीं आई। श्रीमती गांधी से हम भली भाँति परिचित थे और अपने घर उनका आतिथ्य करने का सौभाग्य भी हमें प्राप्त हो चुका था। गांधी जी में हमें बटोर योगी की अपेक्षा एक प्रिय पड़ोसी और हर ऋतु में साथ चलने के लिए तैयार स्नेही के दर्शन हुए। हमारे घर के बच्चे ता उन में झट घुलमिल गये। अभी अभी बर्मा के मोर्चे से घर लौटे हुए हमारे छोटे लड़के ने हमें गांधी जी का यह पोस्टकार्ड दिखाया जो कि इंग्लैंड में विद्यार्थी दंगा में रहते समय उसके नाम जाया था, और जिसे उसने एक जमून्य निधि की तरह बड़े ज़ान के साथ रखा छोटा है। गांधी जी की विनारी प्रति

के कारण हमारी, पारस्परिक मुलाकाते बहुत ही सुखकर बन गईं। एक-दूसरे के बगीचे में पैदा हुई चीजों का भी हमने समानरूप से आस्वाद लिया। टमाटर उन्हें कितने प्रिय थे यह तो आज भी अच्छी तरह मुझे याद है। उत्कृष्ट सभापण से युक्त भारतीय पद्धति का भोजन हमारी स्नेहयात्रा के मार्ग में पड़नेवाला दूसरा विश्राम-घाम था। किंतु इन सुनहरे क्षणों में भी हमें 'मानवजाति का शांत करुण संगीत' सुनाई देता रहा। उनके गृह-परिवार में महादेव देसाई एक कुटुंबी के नाते जीते व काम करते रहे। और जब वह चल बसे तब वहां एक ऐसा हृदय था, जो कि खिन्न था।

महादेव देसाई पहले बंबई सरकार के सहकारी-विभाग में काम करते थे। वहां से पदत्याग कर राष्ट्रकार्य में वह जुट गये। सहकारिता-आंदोलन विषयक उनका व्यावहारिक ज्ञान हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुआ। प्रसन्नता-पूर्वक दी गई इस विषयक उनकी सलाह के कारण ही हम कई बार दिक्कतों का सामना करने से बचे। स्वर्गीय सर डेनियल हैमिल्टन द्वारा स्थापित सहकारी पद्धति की वस्ती के निरीक्षण हेतु कुछ वर्ष पूर्व महादेव भाई के साथ बगाल के गोसावा गाव की मैंने जो यात्रा की वह भारतविषयक मेरे सुखद सस्मरणों में से एक है। वहां जो कार्य चल रहे थे उनमें से कई उन्हें काफी दिलचस्प मालूम हुए। खास तौर से वागबानी व खेती, कृताई-बुनाई, बालको व प्रौढों की शिक्षा, सामुदायिक वैद्यकीय सेवा, घान कूटने की सामुदायिक चक्की, एवं उच्च आदर्श पर की गई अन्यान्य व्यवस्था के द्वारा चारित्र्यबल को प्राधान्य देनेवाली सुसंगठित ग्राम-सुधार योजना उन्हें पसंद आई। वहां की शिक्षा के आदर्श ने उनका ध्यान सर्वाधिक आकृष्ट किया ऐसा मेरा ख्याल है। यहां उन्होंने एक ऐसी शिक्षा-प्रणाली देखी, जो कि गाव की आवश्यकताओं व संस्कारों को दृष्टिगत रखते हुए तैयार की गई थी, और जिसकी उपाधि-स्वरूप 'स्वतंत्र जीवनराम के कोविद' का गोसावा-डिप्लोमा प्रदान किया जाता था।

जहां कहीं भी आलोचनाओं के अपसर आये वहां सहृदयता के साथ ही उन्होंने वह की, और तब उसी भाव से उनसे सलाह ली गई। सयोगवश, हैमिल्टन के और गांधी जी के विचारा में बहुत कुछ समानता थी। जवस्थ ही राजनीतिक कार्यपद्धति के संवध में उनमें मतभेद रहा। किंतु दोनों ही रस्किन-टालस्टाय के अनुयायी थे, और मानवी व्यक्तित्व की मौलिक प्रतिष्ठा पर दोनों

की ही समान रूप से श्रद्धा थी। हैमिल्टन-परिवार का प्राचीन चरखा गोसावा के सग्रहालय की चित्ताकर्षक चीजों में से एक है। स्काटलैंड की ऊन इसी चरखे पर काती जाकर उससे यही की पाठशाला में तैयार हुई शाल महात्माजी को अर्पित की जाने के कारण, वह देखते ही महादेव भाई भावविभोर हो गये। उक्त चरखे के द्वारा पूर्व व पश्चिम का जो सम्मिलन हुआ वह देखकर सर डेनियल बहुत ही प्रसन्न थे। इसीलिए उनके देहावसान पर गांधी जी का यह लिखना, कि "भले मानस सर डेनियल का वियोग हम सब को अखरता रहेगा," सर्वथा सयुक्तिक था। स्वयं गांधी जी कभी गोसावा जा न सके, किंतु वे और सर डेनियल हैमिल्टन नागपुर में परस्पर से मिले, और उन्होंने ऐसे सुख का आस्वाद लिया जो कि केवल उदारचेता व्यक्तियों के लिए ही संभव है। यदि १९१६ ई० में गांधी जी चंपारन न पधारते तो इस सस्मरणीय मुलाकात का मुअवसर ही उपस्थित न होता।

मुद्गरस्य चंपारन की तत्कालीन ऐसी कई एक घटनायें हैं कि जिनके बारे में मैं लिख सकता हूँ। किंतु घड़ी की ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र में गांधी जी को जो सफलता मिली है, उसकी तुलना में स्थानीय क्षेत्र के लिए लागू चंपारन कृषि-कानून विषयक उनका कार्य बहुत तुच्छ दिखाई देगा। किंतु जिन कतिपय घटनाओं ने उन्हें असड राष्ट्रमेवा का प्रत लेने के लिए बाध्य किया उनमें से एक यह भी है इसमें कुछ संदेह नहीं। कोई भी आश्रम या संस्था उन्हें बाध रखने में असमर्थ थी। चंपारन के कार्य का अनुभव उनके सार्वजनिक जीवन के अतद्दृश्य में पंठ गया था। अपनी प्रगता वे पसंद नहीं करते यह तो मैं जानता हूँ: फिर भी दो विभिन्न

चपारन कृषि-कानून ने चंपारन की वस्ती अभी स्वर्गतुल्य तो नहीं बनाई है। अर्थात् ही उसने वहा आत्मसम्मानप्रद एक नई व्यवस्था का श्रीगणेश करा दिया है, और यदि आज वहा का किसान सर उठाकर एव अपने पुरस्को की अपेक्षा अधिक आत्मविश्वास के साथ चलता है तो केवल इसी कारण से कि लगभग ३० वर्ष पूर्व महात्मा गांधी उस मार्ग से होकर गुजरे थे।

एडिन्बरो,

१९-६-१९४६

वह झिलमिल मुस्कान

जं. एफ. होरैविन

गांधी जी के साथ मेरी पहली मुलाकात १९३१ ई० के ग्रीष्म के आखिरमें डोवर में एक जहाज पर हुई। इस जहाज से चैनल पार कर गोलमेज-परिषद के लिए वे लदन आ रहे थे। उन्हें लदन लाने के हेतु अपने भारतीय और अंग्रेज मित्रों के साथ वहा तक मैं गया था। हम जहाज पर चढ़े और एक-एक की कतार में बना हमारा छोटा सा जुलूस उनकी कैबिन तक पहुंच गया। मैं कैंटरवरी के डीन के ठीक पीछे खड़ा था। चुनावे इस भव्य-काय, राजसी वेपधारी अंग्रेज पादरी, एव अपनी झिलमिल मुस्कान से उस समारोह के वातावरण में व्याप्त कृत्रिमता नष्ट कर हम सब का स्वागत करनेवाली उस श्वेत वस्त्रधारी क्षीणकाय मूर्ति के बीच जो जतर मुझे दिखाई पड़ा, वह आज भी अच्छी तरह याद है।

इसके बाद की हमारी सारी भेट-मुलाकातों पर इसी झिलमिल मुस्कान का सर्वाधिक प्रभाव रहा और उनकी यही बात मुझे खास तौर से याद रह गई है। गांधी जी को देखकर मुझे सदा ऐडवर्ड कार्पेंटर की याद आ जाती थी। इन दोनों ही महानुभावों के व्यक्तित्व के द्वारा उनकी आंतरिक शक्ति और सत्सारिता का प्रत्यय मिल जाता था। ये गुण उनमें इतने गहरे पंठ गये थे कि उनके सरल और स्नेहपूर्ण व्यवहार से वे व्यक्त होते थे और उनके सामने अपने-भराये का कुछ भेद ही रह न जाता था। चुनावे उनसे कोई भी व्यक्ति नाटकीय ढंग से पेश आ न सक्ता था। वे जिस वातावरण की सृष्टि करते थे उसमें किसी भी प्रकार की कृत्रिमता टिक ही नहीं सक्ती थी।

गांधी जी ने हाउस आफ कामन्स के सदस्यों की एक सम्मिलित सभा में जो भाषण दिया वह मुझे याद है। सभा में टोरी दल के एक अहमन्य सदस्य ने बड़े ही आक्षेपपूर्ण ढंग से उनसे कोई सवाल किया, जिससे वक्ता के प्रति तीव्र अनादर प्रकट करने का उसका उद्देश्य साफ नजर आ रहा था। तब हममें से जिन सज्जनों ने इस सभा का आयोजन किया था वे कुछ क्षण के लिए बेचैन हो गये। वस्तुतः बेचैन होने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। क्योंकि तत्क्षण पूर्वोक्त झिलमिल मुस्कान ने सभास्थान में प्रवेश किया,—और कुछ ही क्षणों के भीतर कमरेभर में एकमात्र आक्षेपपूर्ण प्रश्नकर्ता-महाशय ही हड़-बड़ाये हुए नजर आये।

मुझे याद है कि एक अन्य प्रसंग पर भी मैं कुछ बेचैन हो गया था। व्यंग-चित्रकार डेविड लो से मैंने इस बात का वादा किया था कि गांधी जी से उनकी मलाकात करा दूंगा। उस समय मैं कामन्स सभा का सदस्य था और ऐसे सदस्यों को भेट-मुलाकातो आदि का आयोजन करने के लिए मौके मिलते रहते हैं। लो ने गांधी जी से सवधित कई व्यंगचित्र बनाये थे। अवश्य ही वे मदा हमारी राष्ट्रीयता एवं उसके महान् पुरस्कर्ता के प्रति सहानुभूति से भरे हुए होते थे ऐसी बात नहीं। तब क्या गांधी जी उससे प्रोधित होंगे? वास्तव में मुझे ही यह अधिक अच्छी तरह मालूम होना चाहिये था। उनके झिलमिल हास्य ने तुरन्त यह साबित कर दिया कि इन व्यंगचित्रों के विरुद्ध उनके मनमें जरा भी राग-द्वेष नहीं है, बल्कि उनका अवलोकन करने में उन्हें कुछ आनन्द ही आया है। लो की मुस्कराहट भी बड़ी मीठी होती है। चुनाव चढ़ मिनट के लिए ये वामन-मूर्ति उभय महापुरुष एक दूसरे के मांमने झिल-मिलाते हुए, हसीमुखी की बातचीत में मगन हो गये।

सतर्क महादेव भाई ने बीच में दखल देकर अन्य कार्यक्रम की ओर अपने स्वामी का ध्यान आकृष्ट न किया होता तो निश्चय ही और भी दो घंटे तक यह सभा चलती रहती ।

आखिरी वार गांधी जी की जो झलक मुझे दिखाई पड़ी वह बहुत ही वैशिष्टपूर्ण है । मजदूर दल के आगामी वार्षिक अधिवेशन के समय सार्वजनिक सभा में भाषण करना उनके लिए कहा तक संभव होगा इसकी चर्चा के हेतु मैं उनसे मिलने गया था । तब सेट जेम्स महल में गोलमेज-परिषद की बैठक हो रही थी । पास ही के एक कमरे में हमने चंद मिनट बात कर ली । इतने में घड़ी पर नजर पड़ते ही उस दिन के अन्य कार्यक्रम का उन्हें स्मरण हो आया । तब खेद प्रगट कर शीघ्रता के साथ वे वहां से चलते बने । महल के एक लंबे वारामदे के रास्ते धीरे धीरे अदृश्य होते जानेवाले गांधी जी की ओर मैं एकटक देखता रह गया । द्रुत गति से चलने के कारण उनके वस्त्र उलझ रहे थे, और उनके जूते चमक रहे थे । देखकर मेरे स्मृतिपट पर जो चित्र अंकित हुआ उसका वर्णन क्या मैं कर सकता हूँ ? यदि करूँ तो, मुझे विश्वास है कि, उनके किसी भी मित्र के मन में मेरे विषय में गलतफहमी पैदा न होगी । मुझे चैंप्लिन के किसी चित्रपट का वह अंतिम दृश्य याद हो आया, जिसमें कि क्षितिज की ओर द्रुत गति में बढ़नेवाली एक नन्हीसी आकृति सुदूर स्थान पर पहुँच कर गर्नः गर्नः अंतर्धान हो जाती है । लौकिक विदाई की अपेक्षा इस प्रकार की अंतिम झलक का दृश्य ही मानवी मन में दीर्घकाल तक स्मृति-रूप से शेष रहता है । क्योंकि वह एक मानव की स्मृति है, और एक ऐसे मानव की कि जिसकी महानता की जड़े मानवता रूपी भूमि में खूब गहराई तक जम गई हों ।

लदन,

२५-२-१९४७.

अक्टूबर १९३१ ,

जान एस. हाइलैण्ड

अक्टूबर १९३१ के एक सप्ताहान्त में महात्मा गांधी दमिगहैम के निकटस्थ हमारी वृद्धक वस्ती में आकर ठहरे थे। उस समय की उनके सबध की छोटी से छोटी बात भी हमसे जो लोग वहा उपस्थित थे उन सबको याद है। दूसरी गोलमेज-परिषद् के उत्तेजनापूर्ण दिनों की यह घटना है। एक शनिवार की शाम को हमारे कालेज के होरेस एलेक्जेंडर के साथ नाटिगहैम से वे पधारे, और बहुत ही थकेमादे होने पर भी हमारी साध्यकालीन प्रार्थना में सम्मिलित हुए। उनके सग मीरावाई, महादेव देसाई और प्यारेलाल भी थे। उन लोगों ने कुछ हिन्दी और गुजराती भजन गाकर हमें सुनाये। पश्चात् महात्मा जी ने कोई ईसाई भजन गाया जाने का प्रस्ताव रखा। हमने कहा कि आप ही चुन लें, चनाचे उन्होंने दो भजनों के नाम सुझाये,—एक तो 'Lead Kindly Light,' और दूसरा, 'When I Survey the Wonderous Cross.'

दूसरे दिन तडके में महात्माजी को लेकर सैर करने निकला। दो या तीन तगडे जामूग भी हमारे सग चल पड़ने के कारण में किंचित् अस्वस्थ हो गया। जम्तू; मैंने बेवारी के बारे में, जो कि उन दिनों हमारे लिए सबसे विषट ममम्या बन गई थी, उनसे राय मागी। यह आर्थिक मन्दी का बाल था, बेवारा की मदद के लिए स्विस जातराष्ट्रवादी पियेर सिरेजोल द्वारा सगठित वर्ग सम्पत्ते में हाल ही में लोट जाया था। उपरोक्त समस्या पर अपनी राय देते

उक्त वचन उसने पूरा किया। यदि हम महात्माजी की सलाह मानते हुए बेकारी की समस्या पर गभीरतापूर्वक विचार कर, जिस प्रकार स्वीडेन की सरकार ने अपने यहां के बेकारों को काम देने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर उद्योग-व्यवसाय के केंद्र खोल रखे हैं उस प्रकार की कुछ व्यवस्था करते, तो क्याही अच्छा होता।

इसी सिलसिले में महात्मा जी ने आगे कहा कि बेकारों को दान-स्वरूप मिलनेवाली मदद मानवता के लिए अपमानास्पद है। (मुझे उनका कहना सही लगा, क्योंकि सिरेजोल दल के साथ काम करते समय दक्षिणी वेल्स के ब्रिनमार् गाव के बेकार कुटुंब में कुछ दिन रह चुकने के कारण बेकारों की इस विषयक भावनाओं से मैं भली भांति परिचित था।) गांधी जी पुनः बोले, “आप अपने बेकार दोस्तों से कहें कि वे अपमानजनक दान लेने से इन्कार कर अपने बालबच्चों समेत आम सड़कपर जाकर भूख-हड़ताल शुरू कर दें। यदि उनमें इतना साहस रहा तो सरकार हफ्तेभर के भीतर ही झुक कर उचित कदम उठाने के लिए बाध्य होगी।” यह बड़ी ही विकट सलाह होने से इसे बेकारों के कानों तक पहुंचाने का साहस मैं कर न सका। किंतु बंदूको, तोपों या बम-वर्षक हवाई-जहाजों की अपेक्षा स्वेच्छापूर्वक धातमवलेश सहन कर बुराई हटाने में किस प्रकार सफलता प्राप्त की जा सकती है यह बात गांधीजी ने स्वतः के उदाहरण से पहले ही सिद्ध कर दी थी, और आगे भी समय समय पर इसे वे सिद्ध करनेवाले थे।

उन्होंने आग्रहपूर्वक मुझसे यह भी कहा कि मैं अपने पास जो भी जायदाद हो उसे बेच कर एक जमीन खरीद लू, और वहां दस-बारह बेकार कुटुंबों और उतने ही मध्य वर्गीय कुटुंबों के साथ सामूहिक रूप से खेती करूँ। इस पर धीरे में आपत्ति प्रकट करते हुए मैंने पूछा, “किंतु अपने बालबच्चों का क्या करूँ?” जवाब में वे बोले, “उन्हें भी अपने साथ ले लो। किसी भी वजह में उन्हें अलग छोड़ न आवें। इस नई बस्ती के एक कार्यक्षेत्र-स्वरूप एक पाठशाला खोल कर वहां इन बच्चों की शिक्षा-दीक्षा, उन्हें बस्तीका ही एक अंग मान कर, संपन्न की जाय। मैं खुद इन दोनों मार्गोंपर चल चुका हूँ, और जानता हूँ कि कौनसा सही है। महायक-उद्योग के तौर पर बरिच के दिनों में, या पुरमत के वन वनाई-बुनाई वगैरह काम दिये जाय।”

अनन्तर मैंने उनमें उत्तम दो भजनों के चुनाव का, जो कि पिछली शाम को उन्होंने गाने के लिए रहे थे, कारण पूछा। उन्होंने बतलाया कि रात्रि के

गुरु के एक अधिवेशन के अध्यक्षीय भाषण में 'Lead Kindly Light' का उल्लेख सुनकर वे स्वयं, जो कि उस समय एक युवक थे, बहुत ही प्रभावित हुए थे। दूसरा गीत दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने सुना था, और उसमें उल्लिखित त्याग के गौरवपूर्ण वर्णन पर वे तभी से मुग्ध थे। फिर, उक्त गीत सुनने से कई वर्ष पूर्व एक रात को, आजीवन किसी भी वस्तु पर अपना अधिकार न जताकर सब कुछ समाज की संपत्ति के रूपमें ही ग्रहण करने के निश्चय पर वे स्वयं किस तरह पहुंचे, यह भी उन्होंने बतलाया। अपने पास के विपुल साधनों, एव स्वतः के अनुयायी अपनी इच्छानुसार चाहे जो काम करने के लिए किस तरह तैयार रहते हैं इसका भी उन्होंने उल्लेख किया। और बोले, "फिर भी अपना कहने लायक मेरे पास कुछ भी तो नहीं है। किंतु उक्त रात्रि के निश्चय के कारण मुझे चार बातों की अनुभूति हुई; अर्थात् जीवन, सामर्थ्य, स्वाधीनता और आनंद। मित्र, यदि आप भी इनकी इच्छा रखते हो तो आपको इसी राह का पथिक बनना होगा।"

हमारे दैनिक सुखमय जीवनमूल्यों को निठुरता के साथ ललकारने वाले उन शब्दों का महात्मा जी ने ठीक उसी घड़ी उच्चारण किया जब कि पी फट रही थी। मेरी सारी जिन्दगी में शायद यही सबसे दारण क्षण रहा होगा। तब, "तुम्हारे पास जो कुछ है वह बेचकर गरीबों में बांट दो, जो अपना त्रास उठाकर मेरे पीछे आओ" यह ईसा मसीह का वचन सुनते ही किसी युवक की जो म्यिति हुई थी उसकी, में कुछ कुछ कल्पना कर सका।

होगा इसकी फिज़ न करो ।” “किसी भी बात के लिए अधीर न हो जाना ।” “प्रति दिन के काम की चिंता ही मनुष्य के लिए काफी है ।” न्यू टेस्टामेंट की ये सूक्तियां जिस स्वाभाविक ढंग से उन्होंने उद्धृत की उससे ज्ञात होता था कि वे अपने जीवन में इन्हे उतार चुके हैं । और पूर्ण निष्ठा के साथ इनका पालन करने के कारण कैंसीही विकट समस्याओं में उलझे रहने पर, या कितने ही उग्र स्वरूप के लडाई-झगडों और द्वेष-भत्सरो से घिरे होते हुए भी, वे क्षणभर में शांत चित्तसे सो जाते हैं ।

एक इतवार को, दोपहर के समय, हमारी सस्था को उद्देश्य कर भारत की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के सबंध में उन्होंने एक सस्मरणीय भाषण दिया । इसके बाद चर्चा चलने पर किसी ने उनसे पूछा कि अमुक विषय में एक ब्राम्हण के नाते आप क्या विचार रखते हैं । तब ‘ब्राम्हण’के रूप में अपना उल्लेख सुनकर महात्मा जी को इतनी जोर की हसी छटी कि जो कभी भुलाई नहीं जा सकती ।

अपनी विदाई के दिन हमारे रसोईघर के कर्मचारियों से विशेष रूप से मिलने आकर उन लोगों को उन्होंने बहुत ही सतोष प्रदान किया । वे विदा हो गये, किंतु जाने के पूर्व अपने आदर्शों, एव रहन सहन विषयक अपने तरीका द्वारा उन्होंने हम सब पर एक ऐसी अमिट छाप लगाई कि उक्त दिशा में विचार करने के लिए हम बाध्य हुए । पूर्वोक्त सप्ताहात की इन घटनाओं का अब चौदह वर्ष बीतने आये हैं । किंतु अब भी उनकी ओर हम इस तरह निहारते हैं, जैसा कि घूलभरे मैदान में खड़ा कोई यानी पीछे मुड़कर हिमालय की सुदूरस्थ चोटी की ओर ताकता है ।

वर्मिगहंम,

२७-१०-१९४५.

जब प्रभुने उनकी परीक्षा ली

जयरामदास दोलतराम

लगभग सात साल पहले की यान दिसबर १९३९ की यह बात है। बापू के जीवन से संबंधित एसी कोई भी घटना आज तक मेरे देखने में नहीं आई जो कि इसकी तरह मेरे स्मृतिपट पर अपनी अमिट छाप छोड़ गई हो। इसका कोई न कोई कारण तो होगा ही। पर उसका पता ज्ञान में अभी तक असमर्थ रहा हूँ। उन दिनों परिस्थिति से बाध्य होकर मैं सवाग्राम आश्रम में एक बीमार का जालत में भरती हुआ था। खूद बापू ही मेरी देखभाल करते थे। अपनी ही गतिविधियों का फल मैं भोग रहा था। फिर भी लाचारी की दशा में प्राप्त बापू के इस सहवास से मेरा बड़ा फायदा हुआ। इसमें सबसे बढ़कर फायदे की बात तो यह घटना है जो कि मैं अपनी आत्मा देखने मिली, और जिस पर मैं अभी प्रकाश डालने जा रहा हूँ।

बोले कि उसकी बीमारी से अवगत होने के कारण ही उसको आश्रम के अहाते में रख लेना, जहा कि स्त्रिया, बच्चे, बीमार आदि कई लोग निवास कर रहे हैं, कहातक उचित होगा इस सोच मे वे पडे हुए है। यह आगतुक और कोई नहीं, बल्कि १९२२ ई० के यरवदा-जेल के गाधी जी के साथी परचुरे शास्त्री थे। दुर्भाग्य से उन्हे बडी बुरी तरह कोट हो गया था, और जेलमक्त होने के बाद से इस रोग के उचित उपचार के हेतु कई अस्पतालो की खाक छानकर आखिर उन्होने उत्तरी भारत के सुप्रसिद्ध तीर्थस्थान हरद्वार पहुच कर शरण ली थी। वापू की कठिनाई अनुभव कर वह बोले, "आपके दर्शन तो मैं कर चुका। किसी दिन स्वयं आकर आपकी भेंट करने के हेतु हरद्वार में अपने हाथो काता हुआ सूत इस गटरी मे है। वस, काम मेरा हो गया। अब सामने के पेडतले रात बिता कर सवेरा होते ही वापस हरद्वार लौट जाऊगा।" वापू ने उनका भोजन हुआ है या नहीं इसकी पूछताछ की, और दोपहर के भोजन के बाद उन्होने कुछ भी लिया नहीं है ऐसा मालूम होने पर उनके खानेपीने का प्रबध करने के लिए कनू गाधी से कहा। कनू ने आगतुक के जातिथ्य का भार सभाला और तब गाधी जी शाम की संर के लिए चल पडे। गाधी जी शाम के वक्त के इन संर-सपाटो का मुख्यतया पूर्ण विश्रांति के रूप मे ही उपयोग कर लेते थे। संर के समय या तो वे बच्चो के साथ खेलते और हसी-मजाक करते, या अपने सहयोगियो के साथ ऐसे विषयो पर बातचीत करते जिनका कि गभीर चर्चाओं से कोई सबध न होता था। और इस प्रकार दिनभर गहन समस्याओ पर विचार करने के कारण आई हुई बकायट दूर कर लेते थे। किंतु उस दिन शाम को मुझे वे जितने चिंतित और विचार-द्वड में उलझे हुए दिखाई पडे उतने शायद ही कभी दिखाई पडे हों। रास्तेभर हम मभी लगभग चुप ही रहे। संर कर आश्रम मे हमारे लौट जाते ही शाम की प्रार्थना शुरू हुई। परचात् उनकी मालिस होकर वे सो गये।

शरीर सो गया। दिमाग भी लगभग सो ही गया। किंतु महात्मा के अतर्हृदय मे महान् सधर्ष चत्र रहा था। अतर्मुंग गाधी जी जागृतावस्था के अपने ही मनोव्यापारों के साथ सधर्ष रर मार्ग दूड रहे थे। यह मूक और अदृश्य अतर्द्वड घटों उग्र रूप से चलता रहा। जागिर उन महान् आत्मा की ही विजय रही। नडके दो बजे उनकी नींद टूटी और वे अपने सजग मन से इस बात के लिए तयार करने लगे कि वह उनकी अतर्गम

की पुकार पर कान दे । और उन्हें तभी शांति मिली जब कि यह पुकार सुनी गई । तब उन्हें प्रकाश दिखाई दिया और अपना अगला कदम क्या होगा यह बात भी उनकी समझ में आ गई । सुबह की प्रार्थना के बाद, उपस्थित आश्रमवासियों को उद्देश्य कर उन्होंने एक भाषण दिया, पिछली शाम को इस समस्या के जितने पहलू अपनी समझ में आये थे वे सब उनके सामने रखे, और किस प्रकार परचुरे शास्त्री के रूप में प्रभु ही अपनी निष्कपटता की परीक्षा लेने आये हैं यह भी बताया । उनकी राय में, केवल कोढ़ी होने के कारण परचुरे जी का वापस लौटा देना स्वतः को और ईश्वर को भी प्रवेश देने से इन्कार करने जैसा था, किंतु साथ ही आश्रमवासियों के स्वास्थ्य के प्रति अपना उत्तरदायित्व भी वे समझते थे और सोचते थे कि ईश्वर ने ही उनकी देखभाल का काम अपने को सौंपा है । अतः परचुरे शास्त्री को आश्रम में प्रवेश देकर धोखा उठाने के लिए जब तक सभी आश्रमवासी खुद होकर तैयार हा नहीं जात तब तक गांधी जी इस दिशा में कैसे कदम बढ़ाते ? आश्रमवासी भी मसौटी पर पूरे उत्तरे, सभी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि वे परचुरे जी को अपने बीच रख लेने के लिए तैयार हैं । चापू के सिर से एक बोझ उतरा । सत्य का और एक प्रयाग, एव प्रेम के साथ सभी को —धुद से धुद, यहाँ तब कि जिसे जल भी न छूएगा ऐसे व्यक्ति का भी,—छाती से लगा लेनेवाली अहिंसा की अभिव्यक्ति,—यही इस घटना का अर्थ था ।

सबरा हात ही परचुरे जी आश्रमवासी बन गये । चापू की कुटिया के पास ही एक साफ-सुथरी कुटी फुरती से तैयार कर ली गई । कुटी की छत सपेंद सहर से छाई गई थी, ताकि नये रागी के उपचार में सूर्यप्रकाश का भी उपयोग हो सके । उस दिन से वहाँ भी आश्रमवासी परचुरे शास्त्री का गमान चापू का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर न सका । यह ऐसा समय था जब कि देश के सामने विपत्त समस्यायें उपस्थित थीं । मुटु के प्रश्न पर ब्रिटिश सरकार से हमारी सटपट ही चुरी थी । मंत्रीपदा की शान्ता बढ़ानेवाले व्यक्ति जेल-बीचन मिलाने के लिए तैयार हो रहे थे । कब और किस रूप में मन्त्रिमन्त्र जयन्ता-आवाहन आरम्भ किया जाय इस विषय पर पार्षदी धोखा में आरदार पक्षां चल रही थी । अधिभारत्याग कर बलिदान के बल द्वारा घटना-वृत्त का एक बदल देने की तैयारी में देश लगा हुआ था । किंतु इस सब के बीच भी परचुरे शास्त्री के काठ के पाय ही उस महान् आत्मा के हृदय

ने स्नेहयुक्त मुस्कराहट के साथ रोगी की बातें सुन लीं। किंतु उनके प्रत्युत्तर स्वरूप वे सदैव की भाँति प्रेमपूर्ण पूछताछ या मनो-विनोद करते भी तो कंते ? फिर भी रुग्ण परचुरे जी गांधी जी का वह स्नेह, जिसके कि वे आदी हो गये थे, शब्दरूप से नहीं तो किसी अन्य रूप से ही सही, पा गये। सो कैसे ? अपनी अहिंसाजन्य आश्चर्यप्रद दूरदर्शिता के साथ बापू उस दिन एक ताजा सतरा ले आये थे। और मुह से उत्साहवर्धक शब्द निकालना सम्भवनीय न होने के कारण अपने प्रेम के प्रतीक स्वरूप उक्त सतरा ही उन्होंने बड़े प्यार के साथ परचुरे जी को दिया। प्रेम की इस आकस्मिक वाढ से रोगी की आँखें कँटी चमक उठी होंगी और उसका चेहरा खुरी से कँसा फूला होगा इसकी आप ही कल्पना कर सकते हैं। इस मूक कृति की भाषा उसकी समझ में आ गई थी।

ऐसे हैं बापू ! घटना जितनी ही छोटी, उतनी ही वह अर्थपूर्ण और शिक्षाप्रद अधिक। कितनी ही बातें हम गांधी जी में सीख सकते हैं, और फिर भी वास्तव में कितनी कम हमने सीखी हैं !

अकोला,

२५-१०-१९४६

छोटे-बड़े नदी-नाले महान् गंगाजी की भाँति अपनी अपनी जलराशि समुद्र में जर्पित करते हैं, ठीक वैसे ही सत्तार के सभी धर्म, यहाँ तक कि जिनके माननेवाले बहुत कम हैं वे धर्म भी, सत्य, जीवन व प्रेम अल्पअधिक मात्रा में मानवजाति में समर्पित करते रहते हैं, और इसी कारण वे हमारे सम्मानभाजन हैं। विदा होते समय मैंने उनसे पूछा, “बया इतनी यातनाओं और कठिनाइयों का सामना कर चुकने के बाद भी इस कष्टमय सत्तार में प्रेममार्ग सफल हो सकेगा ऐसा आप विश्वास करते हैं ?” उठकर वे खड़े हुए, और अपनी उगलिया अपनी छाती के अगल-वगल फेरते हुए बोले, “वह सत्य तो मेरे रोम-रोम में व्याप्त है, और सत्तार में ऐसी कोई ताकत नहीं जो कि अब उसको मुझसे निकाल बाहर कर सके।”

हंवरफोर्ड (यू. एस. ए.),

२०-११-१९४५.

कुम्हारः कलश की दृष्टि में

बी. डी. कालेलकर

“Oh, Thou, who Man of baser Earth didst make.”

—उमर खय्याम

जब भी कभी मैं अपने स्मृति-पट को इस चेंप्टा के साथ खोलता हूँ कि उस पर अकित चित्रों की एक ताजा झलक पा सकूँ तब मेरी हालत उस बच्चे जैसी हो जाती है जिसे किताजा सेवो की डलिया भेट में मिली हो। कौन-सा चित्र चुन लूँ यह मैं समझ नहीं पाता। इनमें से कई चित्रों के रंग अब भी चमकीले हैं, जब कि शेष कई धुंधले पड़ गये हैं या अस्पष्ट हुए हैं। और फिर भी उनमें से हरेक इतना मधुर है,—प्रसंगवशात् कटु-मधुर भी—कि उनका निश्चित रूप से चुनाव करना लगभग असंभव ही है। बापू जी सबधी मेरे सस्मरणों को, जो कि बीस बरस से भी अधिक समय घेरे हुए हैं, उपरोक्त बात विशेष रूप से लागू है। ऐतिहासिक दृष्टि से सही होने के हेतु ही ‘बीस बरस’ शब्द-प्रयोग मैं कर रहा हूँ। अन्यथा, यदि अपनी स्मृति के आधार पर ही

इसका उल्लेख करना हो तो मैं कह सकता हूँ कि जब से मेरी याददास्त बनी हुई है तब से लेकर आज दिन तक मैं बापू जी की देखभाल में ही पला हूँ। अतः अपने कमीज के बटन लगाने-खोलने जैसा बहुत ही हस्तलाघवपूर्ण यांत्रिक प्रयोग सीख जाने के दिन से ही मैं बापू के अनुशासन में हूँ ऐसा कहना अधिक सयुक्तिक होगा।

मेरे बचपनमें दक्षिण अफ्रीका के प्रवासी भारतीयों के नेताके नाते बापूका बोलवाला होने पर भी उस समयतक उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त न हुई थी। कुछ कहने की अपेक्षा खुद करके दिखाकर ही नसीहत करने के ढंग पर अटल विश्वास होने के कारण, और साथ ही सार्वजनिक कामों की कमी की वजह से उन दिनों बापू का अधिकांश समय आश्रममवधी कार्यों के प्रबंध में ही बीतता था। मुझ जैसे शरारती लड़कों को रास्ते पर लाना उन्हीं में से एक काम था। हमारी शिक्षा दीक्षा की ओर वे कितना सूक्ष्म ध्यान देते थे यह बात पाठक आसानी से समझ सके इस हेतु यदि मैं इतनाही कह दूँ तो काफी होगा कि एक दिन दोपहर के भोजन के समय उन्होंने अच्छी तरह सेकी हुई रोटी पीसकर उससे एक प्रकार का 'पूडिंग' कैसे तैयार किया जा सकता है यह बड़े ही ढंग से मुझे बताया। कार्यव्यस्त बापू की दृष्टि में कोई भी काम क्षुद्र न होता था। उन दिनों साबरमती आश्रम एक जगली जगह पर था। अवश्य ही वृहद् बीच जगल में था ऐसा तो नहीं कहा जा सकता; किंतु जगल से वह विशेष दूर भी नहीं था। आश्रम के अहाते में कंधेवरारवर ऊंची घास उगी हुई थी,—कम से कम मेरी नन्ही आँखों को ऐसा ही दिखाई पड़ता था,—और वहाँ साप-सपोले तथा अन्य जीवजंतुओं की खासी भरमार थी। रावटियों, झोपड़ियों और अन्य अस्थायी घरों का यहाँ भी छोटी-सी बस्ती को जो सहारा था वह भी विशेष सुख-सुविधाजनक माना नहीं जा सकता था। वस्तुतः बापू इस सारी अव्यवस्था के भीतर से सुव्यवस्था की सृष्टि करने की त्रिव्यात्मक शिक्षा ही आश्रमवासियों को दे रहे थे। सुली जगह की प्रार्थना के लिए जमीन साफ करने से लेकर शौचवृषों के लिए खादया खोदने तक एक भी काम ऐसा न होना था जो कि बापू की नज़र से गुजरा न हो, या जिसमें खुद उन्होंने हाथ बटाया न हो। व्यक्तिगत और सार्वजनिक सफाई सबधी उनकी विशेष सतर्पता, एवं हर कोई आरोग्यशास्त्र के नियम सीख कर तदनुसार आचरण करे इसका लिए उनके प्राग्रह या मेरे मन पर अबाह और अमिट प्रभाव पड़ा।

उन शुरू के दिनों के वापू अपने सहयोगियों द्वारा काम लेने और अनुशासन का पालन कराने में आज के वापू की अपेक्षा अधिक कठोर थे। किंतु उस समय भी उनकी तीव्र विनोद-बुद्धि एवं उनका स्वर्गतुल्य शिशुप्रेम किसी भी अंश में कम न था। भोजन के समय जब वे धीरे से मेरी थाली में गुड का एक बड़ासा टुकड़ा डालकर 'हरेक को हरेक की आवश्यकतानुसार' वाले समाजवादी सिद्धांत का पालन करते थे तब मुझे जो वेहद खुशी होती थी वह मैं कैसे भूल सकता हूँ ? उन दिनों में था भी नामी चटोरा !

युवावस्था में मैंने वापू के हृदय में अपने लिए एक विशेष स्थान बना लिया था, जो देख कर बड़े-बड़े आश्रमवासी कहा करते थे कि वापू कान्ति (गांधी जी के पोते) का और मेरा आवश्यकता से अधिक लाडप्यार कर हमें बिल्कुल विगाड़ रहे हैं। बड़े भय्या यह कहकर मुझे चिढ़ाते रहते थे कि हमने वापू के अशक्यप्राय अनुशासन के पालन द्वारा उनसे रियायत ऐंठकर उन्हें बेवकूफ बनाने की कला हासिल कर ली है। वस्तुतः मैं और कान्ति ही आश्रम के ऐसे प्रथम दो लडके थे कि जिन्होंने गीता के सात सौ श्लोक कठस्थ कर लिये थे, सूत-कताई का,—चौबीस घंटे की अखंड सूत-कताई का रिकार्ड भी हमने तोड़ दिया था, और ऐसी ही कई अन्यान्य बातें थीं। यह सब देखकर वापू जी बड़े खुश थे, और मैं स्पष्ट ही स्वीकार करूंगा कि हम 'वापू जी के लाडले' बन गये हैं यह बात खुद हमें भी भली भांति मालूम थी। चुनावे वापू सोचते थे कि वे हमारे भीतर से आदर्श आश्रम-युवक तैयार कर रहे हैं। वे थोड़े ही यह जानते थे कि ये दोनों युवक, जिनसे कि सभी प्रकार के भौतिक सुखों के त्याग की अपेक्षा रखी जा रही है, एक दिन दूर भाग निकल कर उनमें से एक इजिनियरिंग और दूसरा डाक्टर का आश्रय लेगा। फिर भी वे हमें त्यागमय जीवन की दीक्षा देने के साथ ही साथ हमारे मन में यह बात जमाने का सतत यत्न कर रहे थे कि हम अभी छोटी चिड़ियों की तरह हैं, जो अपने पख जम जाते ही प्रभुनिर्मित विमुक्त वातावरण में स्वच्छद विचरना स्वभावतया पसंद करेंगे। अपने अनुयायियों की स्वतंत्र मनोवृत्ति को हेतुपुरस्सर प्रोत्साहन देने के इस गुणविशेष के कारण ही गांधी जी, मूर्तिपूजा से द्वेष रखनेवाले आजकल के युवकों के आराध्य-देवता बन गये हैं।

कहना न होगा कि अपने प्रति वापू के इस लाडप्यार से कान्ति ने और मैंने पूरा फायदा उठाया। तब हमने अभी अभी फोटोग्राफी सीखना शुरू किया

था। इसके लिए उनसे विशेष खर्च की मजूरी लेने, के निमित्त बहुत ही विचार-पूर्वक तैयार किया हुआ अपना 'केस' एक सध्या समय हमने उनके सामने कित तरह पेश किया वह मुझे खूब याद है। हमने अपने सतोपभर उन्हे यह जता दिया कि बिना फोटोग्राफी की कला हस्तगत किये स्वराज्य मिल ही नहीं सकता। और तब हमारे लिए आनदप्रद, किन्तु कुछ पुराणपथी आश्रमवासियो के लिए खेदजनक बात यह हुई कि उसी महीने से हम में से हरेक को मासिक पाच रुपया भत्ता देना स्वीकार किया गया। आह, क्याही शानदार विजय रही हमारी! एक अन्य अवसर पर मैंने ही उनको मात कर उन्ही का एक हुक्म रद्द करवा लिया था। बात यूँ हुई कि आश्रमवासियो को अपने कपड़े धोने के लिए मिलनेवाली साबुन की मात्रा, उन्होने यह कहकर, कि गरीब गाववाले जिससे बचित रहते हैं ऐसी सुख-सामग्री के हम अधिकारी नहीं, बेहद घटा दी थी। हम नवयुवक, जो कि अपने अपने कपड़े धोकर बरफ़ की नाईं सफेद रखने एव सदा निर्मल वस्त्र पहनने की आपस में होड लगाते रहते थे, इस नये हुक्म से बड़े ही नाराज हुए। मैंने यह मामला अपने हाथ में लेकर वादविवाद द्वारा उसका निपटारा करने के हेतु उनकी एक खास मुलाकात भी ली। वे बोले, "साबुन क्या चीज होती है यह बात गरीब गाववाले जानते ही नहीं। और अगर वे 'खार' (नदी-किनारे जमनेवाले पीले-सफेद क्षार) से साबुन की कमी पूरी कर सकते हैं, तो फिर हम लोग भी ऐसा ही क्यों न करे?" मैंने झट जवाब दिया, "गाववालो की गदी आदते हम भी अपनावे ऐसा कहना सरासर गलत होगा; अलावा इसके कपड़े 'खार' से उतने साफ भी नहीं होते जितने कि साबुन से।" अब की पैतरा बदल कर उन्होने मुझसे पूछा, "जो हुक्म दूसरे सभी लडकों ने बिना चू-चिपड किये मान लिया उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की तुम्हे ही इतनी क्या मूझी?" जवाब में मैंने कहा, "शेप सभी लडके इस बारे में मेरी तरह ही राय रखते हैं, लेकिन वे सब चुपकी साधे हुए हैं इतना ही।" उन्होने मुझे चुनौती दी कि ७० प्रतिशत लडकों के हस्ताक्षर प्राप्त कर अपना उम्त कयन में सिद्ध कर दू। मैंने तुरत यह स्वीकार कर लिया; किन्तु दूसरे ही क्षण मुझे इसमें कहीं विजय की सभावना नहीं दिखी। चुनावे मैंने उनकी इस मागपर नाराजगी का स्वाग भरा। और उनमें साफ-साफ कह दिया, "आपके साथ बहस कर मैं ऊब उठा हू; क्योंकि जो भी जब अपने जी में आता है उसी पर जाप अड़े रहने हैं। अत. ७० प्रतिशत लडकों के हस्ताक्षर ले आनेपर

मेरी बात मजूर करने के लिए यदि आप तैयार हो तो ही मैं आपकी चुनींती स्वीकार कर सकता हूँ; अन्यथा, केवल अपना कहना सही प्रमाणित करने की मेरी इच्छा नहीं।" मैं यह भली भाँति जानता था कि प्रजातन्त्रवादी वापू मेरी उपरोक्त बात कदापि नामजूर न करेगे। चुनावों के चंद दिनों के भीतर मैंने ९० प्रतिशत लड़कों के हस्ताक्षर प्राप्त किये, और उक्त आज्ञा रद्द कर दी गई। क्या ही विजय रही हमारी! हम दुधमुँहे बच्चों न अपनी बात इतने बड़े महात्मा के गले उतार कर आखिर वह उससे मजूर भी करा ली। अपने इस विवेकशून्य बरताव से हमने उनका कौन-सा वक्त बरबाद किया होगा ऐसा आपका ख्याल है? यह उस वक्त की बात है जब कि साइमन-कमिशन ने देशभर में खलबली मचा दी थी, विभिन्न विचारों के राजनीतिज्ञ वापूजी से सलाह लेने के लिए आ रहे थे, और भारत के भावी विधान विषयक 'नेहरू रिपोर्ट' का अध्ययन करने में वे व्यस्त थे। किंतु फिर भी अपने सपर्क में रहनेवाले हरेक व्यक्ति से वे किस तरह पेश आते हैं इस बात का इससे पता चलता है। अत्यंत अबोध व्यक्ति के प्रति भी सहनशील बनना वे सीख गये हैं, और इसी से देश की अचूक नाडीपरीक्षा करने की अद्भुत शक्ति उन्हें प्राप्त हुई है।

नमक-कानून तोड़ने के लिए हम ८० स्वयंसेवकों का एक जत्था दाड़ी ले जाने से पहले, उस की पूर्वतयारी में जो चंद सप्ताह लगे उस अवधि में, प्रति दिन की साय-प्रार्थना के बाद स्वतः से खुले आम चाहे जो सवाल पूछने की इजाजत वापू ने हम सब को दे रखी थी। सो एक दिन उनसे एक वादग्रस्त—और इसी से सभवतः अनावश्यक—प्रश्न मैं पूछ बैठा "भारत की मिल में बने और इंग्लैंड के हथकते-हथबुने कपड़े में से कौन सा आप ज्यादा पसंद करेंगे?" इस प्रकार के वादग्रस्त प्रश्नपर अपना समय नष्ट करने की अनिच्छा के कारण उन्होंने उसकी ओर ध्यान न देकर मुझे इतना ही कहा कि ऐसे बेकार सवाल कभी खड़े ही न किये जाय। उस समय यह बात मुझे बेहद चुभी, किंतु इसके लगभग चार साल बाद एक दूसरे ही रूप में उक्त प्रश्न का उत्तर मैं पा ही गया। पूना की 'पर्णकुटी' में जारी उनके २१ दिन के उपवास के समय की यह बात है। उक्त उपवास-काल में आठों पहर उनकी सेवा करने का अभिमानास्पद सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। एक दिन जब उन्होंने देखा कि अपनी वैसलिन की बोतल, जिसकी कि एनिमा लेते वक्त गरज पड़ती थी, खत्म हो

ऐसी ही बातों में तो उनकी आंतरिक महानता और सामर्थ्य का रहस्य छिपा रहता है। वापू के सवध में 'फैशनैबुल' अतर्राष्ट्रवादी जो भी विचार व्यक्त करे, किंतु वापू वस्तुतः अभिजात अतर्राष्ट्रवादी हैं। यदि आजतक 'वसुधैव कुटुम्बकम्' वृत्ति का कोई व्यक्ति हो गया हो, तो वह एकमात्र गांधी जी ही हैं।

विज्ञान का विद्यार्थी और एक उदयोन्मुख स्थापत्य-विशारद के नाते मैं इसके लिए भरसक सचेष्ट रहता हूँ कि ग्रामीण जनता चमत्कारो एव आधि-दैविक बातों पर विश्वास करना छोड़ दे, क्योंकि, मेरी राय में, इन्हीं बातों ने भारतीय सस्कृति और सभ्यता की रीढ़पर आघात कर भारत का विनाश कर डाला है। अस्पृश्यता विषयक हमारे पापके दैवी दंड-स्वरूप ही १९३४ ई० में बिहार में भूकंप हुआ यह गांधीजी का कथन क्षणभर के लिए भी मैं स्वीकार कर नहीं सकता। किंतु अपनी आंखों देखी एक घटना का, जिसे कोई भी साधारण व्यक्ति सिवाय चमत्कार के और कुछ समझ नहीं सकता, यदि यहां में उल्लेख न करूँ, तो वह आत्मप्रतारणाही होगी।

१९३८ ई० की यह बात है जब कि राजकोट-आंदोलन के सिलसिले में गांधी जी ने पुनः एक बार उपवास शुरू कर दिया था। सौभाग्य से इस बार भी, उपवास की समाप्ति के बाद, गांधी जी के एक परिचारक के नाते काम करने का मौका मुझे मिला। तब हाल ही में अमेरिका से लौटी हुई मेरी भावी भौजाई कुमारी चंद्रदेन पारेख भी गांधी जी के परिचारको में शामिल रही। सारे वातावरण में, देशी रियासतों की कीर्ति के अनुरूप, गदगी और सनसनी फैली हुई थी। यहां का आंदोलन बहुत पहले देशव्यापी महत्व प्राप्त कर चुका था, जिसमें राज्य के उच्च अधिकारीगण एव ज़मादार बहुत ही भडक उठे। चुनावे जनता द्वारा उन्नत आंदोलन को मिलनेवाले बलपरही आघात करने के हेतु उन्होंने वापू की प्रार्थना-सभाओं में उपस्थित रहनेवाले अपार जनसमूह में घबराहट पैदा करने की सोची। उन्होंने भाड़े के बदमाशों की एक टोली को, लाठियों और डंडों से लैस कर, प्रार्थना-स्थान की भीड़पर प्रार्थना के बाद टूट पडने का काम सौंपा। कांग्रेस स्वयंसेवको द्वारा सदैव की भांति अहिंसात्मक तरीके से उनको रोकने के लिए की गई सारी कोशिशों के बावजूद ये गुंडे भीड़ को चीरते हुए सीधे गांधी जी की तरफ बढ़ने लगे। प्रार्थना समाप्त होने पर गांधी जी सदा की भांति, लाठीधारी स्वयंसेवको द्वारा अपने लिए

सुरक्षित रखे गये रास्ते से, मोटर की ओर जा रहे थे। किंतु उस दिन मोटर तक उनके पहुंचने से पहले ही भाड़े के बदमाशों ने स्वयंसेवकों की कतार तोड़कर उन्हें चारों ओर से घेर लिया। मैंने देखा कि परिस्थिति बड़ी ही सगीन बन गई है। धक्का-मुक्की और ठेलाठेली के कारण भीड़ के भीतर से क्रोध उफानने लगा और ऐसा मालूम हो रहा था कि घमसान मचने में अब चंद मिनटों की ही देर है। बापू के प्राण खतरे से खाली नहीं हैं यह देखते हुए भी अहिंसक बना रहना मेरे लिए कहा तक संभव होता कहा नहीं जा सकता। हठात् उस हुल्लूड़ में मैं घुस पड़ा और ठेलाठाल कर, उत्तेजित भीड़ को चीरता हुआ, बापू के पास जा पहुंचा। अब तक भीड़ कई टोलियों में बटकर हाथापाई पर आ गई थी। मैं यह सब झगडा कि-कर्तव्य-विमूढ-सा देख ही रहा था, कि सहसा बापू का सारा शरीर थरथर कापता हुआ मुझे नजर आया। अवश्य ही इस कपकपी का कारण भयग्रस्त होना तो था नहीं, वे कैसे भयमुक्त हैं यह बात उनके चेहरे से ही साफ झलक रही थी। उनकी उक्त शारीरिक प्रतिनिधता हिंसा के तिरस्करणीय वातावरणका परिणाममात्र थी। बापू की सुरक्षा के लिए मैं अत्यंत चिंतित हो उठा। उस समय उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। अतः मुझे ऐसा लगा कि वे किसी भी क्षण जमीन पर गिर पड़ सकते हैं। अकस्मात् उन्होंने अपनी आंखें मूंद लीं और वे प्रार्थना करने लगे। मैंने उन्हें अद्वितीय भक्तिभाव से 'रामनाम' का जप करते सुना। मैं भी उनकी इस प्रार्थना में सम्मिलित हुआ और नामस्मरण में लय उत्पन्न करने के लिए उनकी पीठ पर जाहिस्ता जाहिस्ता थपकिया लगाने लगा। कुछ तो बालकोचित श्रद्धा और कुछ निरी अहता के कारण मुझे ऐसा लगा कि इस तरह मैं उन्हें धीरज बघा रहा हूँ और उनकी निष्ठा बनाये रखने में बल प्रदान कर रहा हूँ। उनके प्रति मेरा यह व्यवहार संभवतः क्षम्य हो सकता है; क्योंकि घर में आग लग जानेपर नन्हा नाती भी तो अपनी छोटीसी लुटिया में पानी लाकर अपने दादा की मदद कर सक्ता है। आश्चर्य की, और इससे भी बढ़कर सतोष की बात यह हुई कि प्रार्थना ने अपना असर दिखाया। बापू जी ने जब आंखें मालीं तब प्रार्थना-स्थान पर जादू की नाई नई शक्ति पैदा हो गई थी। बहुत ही दृढ़तापूर्वक उन्होंने सारे स्वयंसेवकों और साथ ही हम जाश्रमवागियों में भी प्रार्थना-स्थान से अखिलवृत्त जाते जाने, एवं अपने-नों सर्वथा गुठों की दयापर ही छोड़ देने के लिए कहा। उन्होंने और यह भी कहा कि वे गोज की तरह मोटर में न आकर पैदल

चलकर ही घर पहुँच जायगे। पश्चात् उन्होंने गुडों के मुखिया को, जो कि भीड़ के साथ उलझा हुआ था, बुलाकर कहा कि यदि उसकी इच्छा हो तो उससे वृहस करने के लिए वे तैयार हैं, अन्यथा, आगे और क्या करने की उस की मशा है यह बात वही बता दे। कितने आश्चर्य की बात है कि इस अहिंसक स्नेहार्द्रता के सामने उक्त गुडे की हिंसा बरफ की भाँति गलकर पानी पानी हो गई। वह हाथ बाधकर बापू जी के आगे खड़ा हुआ, और क्षमायाचना कर सविनय बोला कि वे अपना एक हाथ सहारे के लिए उसके कंधे पर रखदे, और जहाँ भी चलने के लिए फमवि वहाँ तक उनको सुरक्षित रूप से पहुँचाने के लिए वह तैयार है। उस दिन शाम को बापू अपना एक हाथ गुडों की टोली के उस नायक के कंधे पर रखकर, जो कि प्रार्थना-सभा भंग कर जनता में घमराहट पैदा करने के हेतु उपस्थित हुआ था, डेरे पर लौट आये।

उक्त सस्मरणीय सध्या, जिसने कि प्रार्थना की प्रभुता के प्रति मेरे मन में जीवनभर के लिए श्रद्धा पैदा कर दी, मैं कदापि भूल नहीं सकता। किंतु मैं इसे चमत्कार तो न कहूँगा। क्योंकि श्रेष्ठ गणीतज्ञ और इंजीनियर कई गहन व उलझी हुई समस्याएँ महज सहजज्ञान से हल कर चुके हैं, किंतु इन्हे चमत्कार तो शायद ही कभी माना गया हो। सहजज्ञान एक ऐसी आंतरिक क्रिया है जो कि मन की एक खास कश-मकश की हालत में मस्तिष्क को प्रकाशित कर देती है। मानो मनुष्य के पूर्वानुभव ही उसके भीतर से बोल उठते हैं। उपरोक्त उदाहरण से केवल इतना ही सिद्ध होता है कि उच्च ध्येय से प्रेरित होकर उत्कट जीवन वितानेवाला कोई भी व्यक्ति प्रार्थना द्वारा प्राप्त शक्तिपर निर्भर रह सकता है, क्योंकि यह शक्ति उसे अपने विगत सघर्षों के कष्टों से मुक्ति दिलाने के साथ ही सत्पथ पर अग्रसर होने के लिए उसमें आत्मविश्वास पैदा करती है।

हम आश्रमवासी बालक बापू के कल्पनातीत ऋणी हैं। क्योंकि विगत तीस वर्षों से बापू का सदय किंतु साथ ही कठोर हाथ हम आश्रमवासी बालकों को वर्तव्यरत और सेवापरायण बहुमूल्य युवकों के रूप में ढालने के लिए सचेष्ट रहा है। इस आदर्श गढ़ैया के सामने सदा यही उद्देश्य रहा है कि वह अपनी अतरात्मा के आदेशानुसार ही हम सब को गढे। किंतु हमसे हरेक का आकार-प्रकार उस मिट्टी के गुणधर्मानुसार ही बना जिससे कि हम पैदा हुए हैं। हमारे निर्माण में जो त्रुटियाँ रह गई हैं उनके लिए इस श्रेष्ठ

शिल्पी को कतई दोषी माना नहीं जा सकता, दोष उन द्रव्यों का है जिनसे कि हमारा निर्माण हुआ है।

पाच साल तक स्थापत्य-शास्त्र की उच्च शिक्षा, एव इससे भी अधिक जीवन-विषयक उच्च अनुभव प्राप्त कर जब हाल ही में मैं अमेरिका से लौट आया तब वापू अपना किस तरह स्वागत करेगे इस दुविधामें मैं पड़ा हुआ था। किंतु यह कितनी बेककूफी थी! क्योंकि १९४५ ई० की दीपावली के दिन जहाज से बवई उतर कर जब मैं पूना स्थित प्राकृतिक-चिकित्सालय में पहुंचा तब मुझे पूर्ववत् वही सघन स्नेह और अनुराग अपनी प्रतीक्षा करता हुआ दिखाई पड़ा। हिंदू-नववर्षारंभ के दिन मैंने पुनः एक बार उनके आशीर्वाद प्राप्त किये। मेरे लिए वह वास्तव में नव-वर्षारंभ दिन ही रहा।

ओकारा (पजाव),

१६-३-१९४६.

महात्मा गांधी से मेरा संपर्क

एन्. सी. केलकर

श्री मुखर्जी की इस पुस्तक के लिए लेख लिखने से पूर्व एक बात में विलुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। महापुरषों से स्वतः के परिचय या स्नेह विषयक बातें रहने-लिखने में ही बड़प्पन माननेवाले लोगों की भाति मिथ्या महत्व प्राप्त करने की लालसा में प्रवृत्त होकर गांधी जी ने अपने संपर्क संबंधी प्रस्तुत संस्मरण में लिपिबद्ध नहीं कर रखा है। मैं कतई विभूतिपूजक नहीं हूँ; और न ऐसा ही व्यक्ति हूँ जो कि इस विनाल विश्व वा कौन भा कौना अपना है यह बात जानता न हों। मैं तो केवल श्री मुखर्जीके इस आग्रह के कारण ही, कि महात्मा जी संबंधी साक्षात् रूप में कुछ लिख सकेवाले महानुभावों में मेरा भी अवश्यमेव आभाव होना चाहिये, यह केम लिखने के लिए उद्यत हो रहा हूँ।

महानता के निदर्शक सच्चे गुणों की मैं प्रशंसा कर सकता हूँ। अवश्यही उनके भीतर के दोष भी मुझे यथार्थ रूप में दिखाई नहीं पड़ते ऐसा तो मैं ईमानदारी के साथ कह नहीं सकता। महानता की महिमा उतनी ही परिणामकारक होती है, जितनी कि स्वयं महिमा की महानता। निस्सन्देह इस देश में एकमात्र गांधी जी ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत के प्रचंड जनबल को संगठित और केंद्रित कर शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध राजनीतिक दृष्टि से उसका प्रभाव डालने में अन्य किसी की भी अपेक्षा अधिक योगदान किया है। मानो विघाता की ही यह योजना थी कि यह महापुरुष ठीक ऐसे समय में प्रकट हो जब कि पराधीनता से भारत की मुक्ति की बेला मर्यादा की कक्षा के भीतर आ गई हो।

यदि मुझे अपनी स्मरणशक्ति ने धोखा दिया न हो तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने सर्वप्रथम नवंबर १८९६ में, भारत की राजनीतिक शिक्षा के जनक स्वर्गीय न्यायमूर्ति रानडे के मलबार हिल (बंबई) स्थित वासस्थान पर, महात्माजी का दर्शन किया। उस समय गांधी जी पतलून, लवा कोट और काले रंग की गुच्छेदार रेशमी टोपी, जैसी कि पचास वर्ष पहले बंगाल में प्रचलित थी, पहने हुए थे। दक्षिण अफ्रीका के जिस राजनीतिक आंदोलन में भाग लेने का उन्होंने निश्चय किया था उसके संघर्ष में रानडेजी से सलाह लेनेके हेतु वे आये थे, ऐसा मेरा ख्याल है।

इसके बाद १९१२-१३ ई० में गांधी जी के साथ मेरा पत्रव्यवहार 'कैसरी' 'मराठा' पत्रों के संपादक के नाते उस फंड के निमित्त हुआ, जो कि स्वर्गीय गोखले जी की प्रेरणा से गांधी जी के उपरोक्त आंदोलन में उनकी मदद करने के लिए इकट्ठा किया जा रहा था एवं जिसमें मैंने महाराष्ट्र की ओर से पांच हजार रुपये प्राप्त कर भेज दिये थे।

गांधी जी से मैं दुबारा १९१६ ई० में बेलगाव में मिला। वहाँ आयोजित तिलक जी की होमरूल लीग की बैठक में वे उपस्थित हुए थे। यहाँ मैंने उन्हें और उनके सुपुत्र को (शायद देवदास होंगे) बेलगाव के अपने मेजवान के डेरे पर खुद के हाथों चावल पकाकर शाम के लगभग ६ बजे भोजन से निवृत्त होते देख लिया। फीरोजशाह मेहता से लेकर हमारे छोटे से छोटे राजनीतिक नेताओं

की रहन-सहन देख चुकने के कारण, गांधी जी की उपरोक्त बेहद सादगी का मुझ पर बड़ा ही असर पड़ा।

किंतु भारत के राजनीतिक नेताओं में गांधी जी की गिनती होना अभी शेष था। क्योंकि उसी वर्ष, यानि १९१६ ई० में, लखनऊ में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर कांग्रेसी क्षेत्र में गांधी जी का जो स्थान रहा वह मैंने देख लिया था। यहाँ के तिलक-कैम्प में मैंने दो या तीन बार गांधी जी को देखा। राजनीतिक सुधारों में गांधी जी का प्रस्तावित योजना के महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करने के हेतु वे या तो खुद होकर, या तिलक जी के बुलावे से आया करते थे। लखनऊ में तिलक जी ही देश के सर्वमान्य नेता बन गये, जिसके दो कारण थे। एक तो वे हाल ही में माडले की जेल से छूट आये थे, और दूसरे, कांग्रेस पर पुनः अधिकार जमाने के हेतु झुक जाने के अपने नीतिकौशल में भी वे सफल रहे।

राजनीतिक आंदोलन के अस्त्र के रूप में वैधानिक सत्याग्रही प्रतिकार का समर्थन करने के कारण गांधी जी लखनऊ-कांग्रेस में उपस्थित बचई के नरम दली नेताओं में अशक्त अप्रिय हो गये हैं यह बात किसी के भी ध्यान में आ सकती थी। बचई प्रेसिडेसी एगोसिएशन के कार्यालय में मैं कई बार गांधी जी से मिला। यही थी एन एम समर्थन, जिनका कि मेहता-मक्षीय युवकों के एक गुट पर प्रभाव था, सत्याग्रही प्रतिरोध के विरुद्ध अपनी नापसंदगी जाहिर की थी। लखनऊ-कांग्रेस की विषय-निर्वाचनी समिति के सदस्यों के चुनाव में, बचई प्रातः के लिए निर्धारित सदस्य-स्थानों में से एक पर, तिलक जी द्वारा अपने अनुयायियों को दिये गये आदेश के कारण ही, गांधी जी चुने गये हैं यह बात मैं जानता था। अवश्य ही इसका यह अर्थ नहीं कि स्वयं गांधीजी ही उन पद पाने के लिए कात्थिक थे। बल्कि वे तो सदा ही यथासंभव मूढ़ हटकर दूसरों को मोटा देने के लिए तैयार रहते हैं। मगर बात यह थी कि तिलकजी के

भूमिका पर, कि वह अवैधानिक है, पूर्णतया विरोध किया। मैंने राजनीतिक क्षेत्र में अवैधानिक साधनों के प्रयोग का प्रतिपादन करने के साथ ही इस बात पर ज्यादा जोर दिया कि यदि निःशस्त्र प्रतिकार को सफल बनाना हो तो उसके उद्दिष्ट का स्वरूप आत्यंतिक न रहे। निःशस्त्र प्रतिकार का उद्दिष्ट सीमित, सुनिश्चित एवं सुपरिचित हो, ताकि निःशस्त्र प्रतिकार के तौर पर किये जानेवाले कार्यों की दृश्य फलप्राप्ति का अवसर उपस्थित हो सके।

मैं समझता हूँ कि इस प्रकार एक अनपेक्षित क्षेत्र से अपने मत का पोषण होता देखकर गांधी जी को स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता हुई, हालांकि तिलक-पथी राजनीतिज्ञों की अपेक्षा बर्ह-पूना के नरम दिलियों से उनका व्यक्तिगत संबन्ध अधिक घनिष्ट था।

दिसंबर १९१९ में अमृतसर में मैं गांधी जी से मिला। यहाँ वे नेहरू-परिवार से घिरे हुए थे। इस परिवार के प्रति गांधी जी का अनुराग आज भी पूर्ववत् बना हुआ है। और यह तो सुप्रसिद्ध ही है कि गांधीजी ने जवाहरलाल जी को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया है। प. मोतीलाल नेहरू के भीतर की नवाबी को फकीरी में तब्दील करनेवाले व्यक्ति भी गांधी जी ही थे।

ऐसा ख्याल पड़ता है कि इसके बाद लोकमान्य तिलक की आखरी बीमारी के पहले गांधी जी से भेरी मुलाकात हो न सकी। १९२० ई० के जुलाई के आखरी दिन आधी रात के समय तिलक की मृत्युशय्या के पास उनके उपस्थित होने पर हम सब कैसे प्रभावित रहे यह बात मुझे खूब याद है। वे अपने दो-तीन स्नेहियों या सहयोगियों को साथ लेकर आये, अभी अभी दिवंगत हुए तिलक के पास सविनय एवं सादर बैठ गये, और फिर उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम कर इस प्रकार शांतिपूर्वक चले गये कि किसी को उनके पैरों की आहट भी सुनाई न पड़ी।

तिलक की मृत्यु के बाद हम सब की दृष्टि गांधी जी के कार्यों पर बराबर बनी रहने लगी। क्योंकि, अमृतसर-कांग्रेस के समय एक नरम-दली की तरह पार्ट अदा करने भर से सतुष्ट होनेवाले गांधीजी ने अब कांग्रेसी नेताओं पर अपनी छाप जमा दी थी, साथ ही यह भी सुनने में आ रहा था कि भारत के राजनीतिक आंदोलन में वे असहयोग के अभिनव अस्त्र का प्रयोग करने जा रहे

हैं। तिलक जी ने अपने दल को गांधीवादी अहिंसात्मक असहयोग के मार्ग के प्रति पहले ही सचेत कर रखा था। किंतु भारतीय जनता, जिसमें राजनीतिक जागृति पैदा हो चुकी थी, स्वराज्य-आंदोलन की गतिविधि की दिशा बदल दी जाने के लिए बहुत ही उत्सुक हुई थी। कई दिनों से इस तूफान की तैयारियां हो रही थीं। आखिर सितंबर १९२० में कलकत्ता-कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में वह फट ही पड़ा। गुजरात एव हिंदी भाषाभाषी प्रांतों ने जीतोड़ कोशिश कर गांधी जी के पक्ष में बहुमत प्राप्त करा दिया। तभी से अपने लहरी स्वभाव और असंगतिपूर्ण आचरण के बावजूद वे हमारे राजनीतिक आंदोलन के सरताज बने हुए हैं और उनका प्रभाव भी अडिग रहा है।

एक बार, १९२० ई० में, गांधी जी का आतिथ्य करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। उन दिनों पूना में कोई भी उनका अनुयायी न था। मेरे मित्र श्री हरिभाऊ फाटक ने गांधी जी के लिए कहीं से बकरी का दूध पैदा किया, और पश्चात् एक दिन वे ही गांधी जी को सिंहगढ़-वास कराने ले गये।

१९२१ ई० और १९२२ ई० में मैं, कांग्रेस-कार्यकारिणी का सदस्य होने के कारण, गांधी जी से अक्सर मिलता रहा।

गांधी जी के सुप्रसिद्ध उपवासों के दरमियान मैं कई बार उनसे मिला हूँ। अपनी आवश्यकत के निमित्त मैंने उन्हें कभी एक शब्दोच्चारण करने का भी मौका नहीं दिया; बल्कि मैं तो दूरसे ही उनकी ओर ताजता रहता था, और जो बोल इसी हेतु कि मैं उनकी कितनी वदर करता हूँ यह बात उनके ध्यान में आ सके। उपवास, जिसने कि उन्हें मसूर-प्रसिद्ध बना दिया, उनके असाधारण व्यक्तित्व के अनेक अंगों में से एक है। क्योंकि राजनीतिक जागृति के साधन के तौर पर उपवास का प्रयोग करने की कल्पना मसूर में क्या अन्य किसी को सूझती? अनेक बार उन्होंने आमरण अनशन टान दिया। किंतु

दृष्टि अपनी ओर आकृष्ट कर, मंच की दिशा में बढ़नेवाले गांधी जी को देखकर मैं जितना चकित हुआ उतना पहले कभी भी नहीं हुआ था। स्मरण रहे कि वह गुजरात के कडाके के जाड़ेवाली सुबह थी, और फिर भी गांधीजी ने बिना कुछ ओढ़े कांग्रेस-मंडाल में पधारकर वहां घटा बैठने की हिम्मत दिखाई थी।

१८ मार्च १९२२ के सुप्रसिद्ध गांधी-मुकदमे की, अपनी आंखों देखी कार्यवाही का शब्दचित्र मैं नीचे उपस्थित कर रहा हूँ। क्योंकि जो दृश्य अपने जीवन के अति प्रिय प्रसंगों में से एक के रूप में मेरे सग रहनेवाला हूँ उसका मुझे सदा स्मरण कराने में इससे मदद मिलती है। इस दृश्य में काव्यात्मता और वास्तवता का जो मर्मस्पर्शी मिलन हुआ है वह अभूतपूर्व है।

कांग्रेस-कार्यकारिणी के सदस्य के नाते उस दिन न्यायालय में मुझे एक 'रिजर्व' जगह बैठने के लिए मिल गई। वस्तुतः 'न्यायालय' शब्दप्रयोग ही उक्त प्रसंग पर की अनेक असंगतिपूर्ण बातों में से एक था। 'स्टेट ट्रायल' से क्या अभिप्राय होता है यह स्वयं पाठक ही भली भांति सोच सकते हैं। किंतु यहां तो हर बात बिल्कुल उलटी ही हो रही थी। यह स्टेट ट्रायल जितनी की स्टेट के द्वारा होने जा रही थी उससे कहीं अधिक वह खुद स्टेट की ही ट्रायल थी। शेष सभी बातें स्वाभाविक रूप से इसके अनुरूप ही थीं।

मेरी राय में उक्त सस्मरणीय मुकदमे में सर्वाधिक करुणाजनक सूरत जज की ही थी। क्योंकि इस प्रकार के कटु कर्तव्य से पहले कभी उसका पाला पड़ा न था। अभियुक्त भी अदालत से बढकर श्रेष्ठ हो सकता है यह बात उस दिन की तरह उसने कभी अनुभव की न होगी। मि० ब्रूमफील्ड के चेहरे पर हवाई उड़ रही थी। उसका मुह फक पड़ गया था। अपने शुद्ध आचरण या पद-प्रतिष्ठा के द्वारा भी वह इस घबराहट को रोक न सका। क्योंकि सिविलियन सेशन जज के नाते गुजारी गई अपनी जिन्दगी में आज पहली ही बार उसने, अदालत के सामने विचाराधीन कैदी के रूप में उपस्थित एक देशी आदमी के प्रति आदरभाव व्यक्त करने के हेतु, कुर्सी पर बिराजने से पहले अपना सर किंचित् हिलाया। और उस के फँसले में भी अभियुक्त के प्रति निम्न व्यक्तिगत सम्मानसूचक शब्द एकवारगी निकल ही गये—“आपको

छ. साल के लिए जेल भेज देने की अपेक्षा आपके चरणों के पास बैठकर आपके औदार्य का अशत भागी बनना ही क्या मेरे लिए अधिक शोभाप्रद न होता ? ”

इस मुकदमे की कार्यवाही में भाग लेनेवाले सरकारी वकील की भी विचित्र हालत हुई । मानो उसके पैरोतले की जमीन ही खिसक गई हो ! यहाँ ऐसा कोई पड्यन तो था नहीं कि जिसके एक-एक भेद पर वह अपने कानूनी दिमाग से प्रकाश डालता । गवाहों आदि की उपस्थिति भी उसे विडबनापूर्ण ही प्रतीत हुई, क्योंकि स्वयं अपराधी सारे अभियोग स्वीकार कर चुका था । निर्भयतापूर्वक की गई सरकार की कटु आलोचना उसके आक्षिप्त लेखों के शब्द-शब्द से ही स्पष्ट झलक रही थी । सरकारी वकील ये लेख अदालत के सामने इस ढंग से सुना रहा था कि मानो उनके पढ़ते समय उसकी जीभ लड़खड़ा रही है । उसने जानबूझ कर ही तिरस्कार वृत्ति धारण की थी, जो कि उसके पेशे के अनुरूप ही थी । सदा की भाँति आज उसे ऐसे विरोध का सामना करने का सुअवसर नहीं मिला कि जिससे कानूनी छाटकर और अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन कर वह सतुष्ट हो जाता । शायद आज पहलीही बार सरकारी वकील ने ऐसा अनुभव किया कि इस मुकदमे के मिससे अपनी जेब में चली जाने वाली बड़ी भारी फीस बिल्कुल मुफ्त की ही है ।

और स्वयं अभियुक्त के बारे में मैं क्या कहूँ ? स्वतंत्र चेतन किंतु साथ ही सर्वोदय की कामना करनेवाले महात्मा गांधी ने खादी की लुगी, जो कि लंगोटी का ही परिवर्धित संस्करण था, धारण कर रखी थी । यह अद्वितीय अभियुक्त न केवल धीरोदात्त, अपितु उल्लसित व आनंदित भी नजर आया । पता नहीं यह उसके विरुद्ध चलाये जानेवाले मुकदमे की कार्यवाही थी, या उसके विवाहात्मक तैयारियाँ हीं रही थीं । किंतु उसे अपनी सुशी पर दृष्टि की अपेक्षा अधिक अभिमान था । उगरी बनालत करने के लिए कोई भी

क्या उन्होंने अपने विरुद्ध लगाया गया अभियोग स्वीकार किया ? हा, अवश्य । वल्कि वे तो यह महान् सवाल स्वतः से कब पूछा जायगा इसकी उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे । क्योंकि वे इसका जवाब बड़े तपाक से देना जो चाहते थे । इतनी आसानी से अभियोग सिद्ध किया जा सकता है यह बात सरकारी वकील ने अपनी जिदगी में शायद आज पहली ही बार अनुभव की । और फैसला सुनानेवाले जज को ऐसा लगा कि छ साल की सौम्य सजा सुनाकर अभियुक्त के प्रति दिखाई गई सहिष्णुता के लिए वह धन्यवाद का पात्र है ।

इस प्रकार महात्मा गांधी ने प्रस्तुत महान् 'स्टेट ट्रायल' की मुख्य और उससे सीधी तौर से संबंधित चार बातों को ही उठा कर उनकी, और उनके साथ उक्त मुकदमे की शेष सभी हुक्मी व गुप्त नाटकीय बातों की धज्जिया उड़ा दी । और रेल की पटरियों को बदलनेवाले होशियार 'पाइट्समैन' की तरह वे इस मुकदमे की गाड़ी क्षुद्र भय की पटरीपर से सुसंस्कृत उदात्तता की पटरी पर ले आये । यदि इस समूची कार्यवाही के दरमियान परिहास को सहज ही में पराभूत करनेवाले सुस्पष्ट सद्गुणों की अभिव्यक्ति न होती तो न्यायाधीश और सरकारी वकील दोनों ही आकस्मिक विस्मय और तदनुवर्ती दैन्यभाव के वशीभूत होकर इस भव्य काव्य का प्रहसन ही कर छोड़ते ।

प्रस्तुत मुकदमे की कार्यवाही भावनावशता से परे रहे इस हेतु गांधी जी द्वारा की गई सारी कोशिशों के बावजूद, जब जज महोदय ने सजा सुनाते वक्त उसकी भीषणता की पूर्वकाल के एक मुकदमे से तुलना करने के निमित्त तिलक जी के नाम का निर्देश किया तब उसे अपरिहार्य रूप से भावना का स्पर्श हो ही गया । और तब महात्मा जी भी यह कहकर, कि उक्त तुलना में वे आत्मगौरव ही अनुभव करते हैं, सहानुभूति की तार छेड़े बिना रह न सकें । तत्क्षण सभी उपस्थित महानुभावों को चौदह वर्ष पहले के एक अन्य बड़े सरकारी मुकदमे की बातें याद हो आयी । इस प्रकार शब्दमात्र से निष्प्राण अतीत को सजीव वर्तमान में बदल देनेवाले जज-महोदय एक जादूगर ही साबित हुए । निश्चय ही छ साल की सजा में कुछ अद्भुत गुण होंगे । अन्यथा, सरकार उक्त सजारूपी गुणकारी त्रादीक्ष भारत के इन उभय उद्धारका के गले में क्या बाधन लगती, और क्यों वे भी इन्हे उसके यथार्थ रूप में मन पूर्वक स्वीकार ही करते ?

अवश्य ही इनकी योग्यता के व्यक्तियों द्वारा छः साल की सजा का किया जानेवाला यह स्वागत भारत को उसकी वर्तमान व्याधियों से मुक्ति दिलाने में सहायक सिद्ध होगा ।

मैं समझता हूँ कि अदालत छोड़ते वक़्त मि. ब्रूमफील्डका अतर्हदय आत्मग्लानि से अवश्यही भरा रहा होगा । और जज के पद पर अपनी बढ़ती न होने की बात से सरकारी वकील को भी प्रसन्नता ही हुई होगी, क्योंकि वह अभियुक्त से सचमुच में हाथ मिला सका, और इस प्रकार उसने महात्मा जी एव उनके साथी-अपराधियों के प्रति अत्यंत शिष्ट व सीजन्यपूर्ण व्यवहार के बाद भी अपने खाते की रहीं-सही भूलचूक पूरी कर दी । अदालत में तैनात पुलिस-अधिकारियों की भी बड़ी मिठी पलीद हुई । अपराधियों की निगरानी करने के उनके हर-हमेश के आडवरपूर्ण उद्योग ने आज मुहं काला किया था । अपराधियों को अदालत से ले जाने की आज उन्हें जल्दबाजी नहीं थी, और न वे ज़रूरत पड़ने पर भी आज के दिन ऐसा करते । अदालत के कमरे से जज-महोदय और सरकारी वकील के विदा होते ही वहां पर उपस्थित शेष जनसमुदाय को स्नेहसम्मेलन का स्वरूप प्राप्त हुआ । किसी को पुलिस का स्याल ही न रहा ।

और तब एक ऐसे दृश्य की पुनरावृत्ति हुई जिसमें कि गत कुछ वर्षों से मैं नुपरिचित था । दत्तचित्त से स्वतः से बातचीत करनेवाले स्त्री-मुद्दों एव बच्चों के बीचोबीच महात्मा जी बैठे हुए थे । सब का सहर्ष स्वागत कर, मीठी चूटकिया लेते हुए, हास-परिहास के साथ हरेक के सवाल का जवाब दे देते जा रहे थे । मैंने उन्हें पांच गाल की उम्र के एक छँलछवीले को, जिसने कि थिलायती कपड़े का सूट पहन कर ऊपर से फँसनेवाल टाढ़ बाप खमी थी, प्यार से पट्टासाँ देखा । हमी प्रकार उन्होंने अपाधियों के पीछे पागल एक बूढ़ महाशय को धीरे से छेड़ कर यह सलाह दी कि खम मे कम अब गुणा में इस लत में अपना विड वे छुड़ा ले । उन्होंने जहाँ एक ओर अपने किसी श्रिय अनुयायी को, उसरी आगोंमें जागू बचका आने से पहले ही उन्हें रोक कर, पुपके में धँसे प्रदान किया, वहाँ दूसरी ओर अपेशावृत अधिक बठोर-हृदय एवं ध्वन्यारगुणल कार्यकर्ता को उनके क्रिमे के कार्यसंबंधी अनुभव गुणा दे कर उद्गारित किया ।

आध घंटे के भीतर यह भव्य राज-सभा विसर्जित हुई। एक-एक करके सब लोग चल दिये। यहाँ तक कि पुलिस भी महात्मा जी को जेल की अशुभ मोटर की ओर ले गई। फिर भी हम सभी को ऐसा अनुभव हुआ कि इस असाधारण रूप से निष्ठावान और आत्मत्यागी व्यक्ति का मुकदमा अभी शेष ही है। और सरकार की ओर से उसके विरुद्ध की गई अदालती कार्यवाही, या उसकी खुद की छः साल की दीर्घ अनुपस्थिति से भी वह निःशेष हो नहीं सकता।

प्रस्तुत घटना के चार साल पहले जब मैंने महात्मा गांधी द्वारा स्थापित सत्याग्रह-आश्रम की नियमावली पढ़ी थी, तब गोपाल कृष्ण गोखले के इस शिष्य ने आश्रमवासियों के लिए निर्भयता के प्रतिज्ञा-पालन की जो शर्त उक्त नियमावली में रखी थी उसी की ओर मेरा ध्यान सर्वाधिक आकृष्ट हुआ था। और उस समय मैंने कहा भी था कि यही प्रतिज्ञा आश्रम के राजनीतिक ढाँचे को वास्तवपूर्ण एवं वैशिष्ट्यपूर्ण स्वरूप प्रदान करेगी, जब कि शेष कठोर नीति-नियम उसके लिए दिखावटी कलावत्तु का ही काम देंगे। अदालत के अहाते से बाहर निकलते समय मैंने मन ही मन कहा, “वस्तुतः वह प्रतिज्ञा पूरी की गई है।” उस दिन महात्मा जी ने अपने व्यक्तिगत उदाहरण से जो निरी निर्भयता प्रकट की उसे न तो अनत काल, और न ही अनित्य स्मृति नामशेष कर सकती है।

पूना,

१५-६-१९४६.

जैसा कि मैं उन्हें जानता हूँ

पी. कोदंड राव

महात्मा का आलोचक

अपनी याददास्त के सहारे मैं लिख रहा हूँ, और वह तो बड़ी दगाबाज़ होती है। क्योंकि यही देखिये न कि महात्मा जी से मेरी भेंट-मुलाकात कब, कहाँ और कैसे हुई यह बात वह मुझे बताती ही नहीं। अवश्य ही हर कोई उन्हें वर्षों से जानता था। मेरा ख्याल है कि उनसे अपनी मुलाकात हो जाने से पहले ही वे खुद मुझे जानने लग गये थे। १९२१ ई० में, याने जिस वर्ष महात्मा जी ने अहिंसात्मक असहयोग-आंदोलन का श्रीगणेश किया उसी

वर्ष, मैं सर्वेत्स आफ इंडिया सोसाइटी का सदस्य बना। सोसाइटी की नीति आंदोलन-विरोधी थी। शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरा होगा जब कि महात्माजी ने अपने आंदोलन के पक्ष में व्याख्यान दिया न हो, या वक्तव्य निकाला न हो। साथ ही शायद ही कोई सप्ताह ऐसा गुजरा होगा जब कि सोसाइटी के अंग्रेजी साप्ताहिक मुखपत्र 'सर्वेत्स आफ इंडिया' में उन वक्तव्यों या व्याख्यानों का तीव्र प्रतिवाद निकला न हो। उस समय मैं अपेक्षाकृत युवा था, और प्रसंगवश कलम-कुठार चलाने में मुझे बड़ा ही मजा आता था। ऐसे ही एक प्रसंग पर लिखी गई 'अहिंसा की हिंसा' शीर्षक मेरी टिप्पणी महात्मा जी के कई प्रशंसकों को बहुत ही चुभी। लेकिन खुद उन्होंने, जहां तक मैं जानता हूँ, उक्त टिप्पणी क्षमाशील विपाद के साथ पढ़ डाली; वे कर्तई प्रोधित न हुए। उनकी समजसत्ता असाधारण थी।

“दिखावटी देहात”

फिर एक बार मैंने एक अशक्यप्राय वात कर डाली; अर्थात् महात्मा जी को प्रोधित कर दिया। मेरे बुजुर्ग, माननीय श्रीनिवास शास्त्री ने मुझे दिल्ली में पत्र द्वारा सूचित किया कि उन्हें पहली ही बार महात्मा जी चिढ़े हुए नजर आये। गांधी-इतिहास समझोते के समय की यह वात है। श्री शास्त्री जी मध्यस्थता कर रहे थे। तत्कालीन सरकार के विरुद्ध ऐसा कहा जा रहा था कि उसके अत्याचारों से बचने के लिए गुजरात के कई ग्रामीण अपना गाय छोड़ छोड़ कर बड़ोदा जैसी देशी रियासतों के आश्रय में रहने पड़े गये हैं। मैं उक्त क्षेत्र का दौरा कर आया था। किसी ने महात्मा जी को सूचित किया कि मैंने उजाड़ गावों की कहानियों की ओर ध्यान न देकर केवल जो गाय मुझे दिखाये गये हैं उन्हें 'दिखावटी देहात' समोधा है। उन्होंने श्री शास्त्री जी की मार्फत इस विषयक मेरे स्पष्टीकरण की मांग की। मैंने स्पष्टीकरण किया, और उमंगें वे सतुष्ट भी हुए।

जेल से हरिजन-आंदोलन

१९१२ ई० के आशिर में महात्मा जी ने सरकार जेल में हरिजन-आंदोलन बनाने का निश्चय किया। उन्होंने सर्वप्रथम भंडार कर मुझे मिलने के लिए बंधु-सुप्रीम। और मुझे एक सहाय्य प्रिया कर समाचार-पत्रों एवं अन्य मासिकों द्वारा उन्हें अधिक से अधिक प्रसिद्धि देने के लिए कहा। उनके प्रकाशन-मंत्री

के नाते कई सप्ताह तक प्रायः प्रति दिन ही मैं उनसे मिलता रहा। फिर तो धीरे धीरे आवश्यकतानुसार स्टेनो-टाइपिस्टो आदि की नियुक्तियां होकर जेल के भीतर ही वकायदे एक दफ्तर लग गया। इसके बाद मेरी सेवाओं की जरूरत न रहने पर भी महात्माजी ने मुझे जेल में या जेल के बाहर कभी भी उनसे मिलने के लिए आने का विशेष अधिकार दे रखा। मैं प्रायः उनसे मिलने जाया करता था, किंतु वहां गभीर विषय पर की किसी चर्चा में मैंने शायद ही कभी भाग लिया हो। जेल में उन्होंने हरिजनो से सबधित सवालो तक ही चर्चा की सीमा बाध दी थी; और यदि कोई किसी प्रसंग पर यह सीमा लाघने का दुःसाहस करने लगता तो, वह कितना ही बडा आदमी होने पर भी, वे उसे सविनय किंतु साथ ही दृढतापूर्वक टोक देते थे।

दो युवतियां

महात्मा जी से मिलने, हरिजनो से सबधित सवालो पर उनसे चर्चा करने, या केवल उनका अल्प सहवास पाने के हेतु पूना में देस-विदेश के लोगो का ताता बधा ही रहता था। उनमें से अधिकांश व्यक्ति कभी तो महात्मा जी के कहने से और कभी अन्य कारणो से सर्वेड्स आफ इंडिया सोसाइटी के भवन में ठहरा करते थे। सोसाइटी के मंत्री के नाते उनके आतिथ्य एव जेल में महात्मा जी से उनकी मुलाकात करा देने का भार मुझ पर ही आ पडता था। ये आगतुक होते थे भी कई किस्म के।

ऐसे ही आगतुको में दो विदेशी महिलाये थी। अपना काम चलाने के लिए हम उन्हें 'न' और 'स' संबोधा करेगे। दोनो ही जवान थी, किंतु 'न' सुदरी थी, और 'स' दृढ निश्चयी। महात्मा जी से मिलने में 'स' पहली रही। उसने महात्मा जी की शिष्या बनने का निश्चय किया, और अपना सामान आदि लाने के लिए वह स्वदेश लौट गई। इसी बीच 'न' ने एक-ब-एक अपने रोभाचक जीवन का त्याग कर बंगलोर के बाजार में हरिजन-कार्य शुरू कर दिया। और यरवदा-जेल स्थित महात्मा जी से वह पत्र-व्यवहार करने लगी। वह पूना आकर सर्वेड्स आफ इंडिया सोसाइटी के भवन में ठहरनेवाली थी, और महात्मा जी से उसकी मुलाकात का प्रबध करना था। किंतु उसके पूना पहुंचने से पहले खुद मुझे ही बंगलोर जाना पडा। वहां मेरे विश्वसनीय और

स्त्री-दाक्षिण्ययुक्त दोस्तों ने, जो कि भारत के बाहर की दुनिया देख चुके थे, 'न' के विरुद्ध कुछ ऐसी बातें कही जो कि उसके लिए कलक-स्वरूप थी। पूना लौट आने पर सद्हेतुपूर्वक मैंने महादेव देसाई से इशारे के तौर पर धीरे से इतना ही कह दिया कि 'न' की बावत महात्मा जी ज़रा सतर्क रहे तो बेहतर होगा। कुछ ही दिन बाद मुझे बुलावा आया। महादेव भाई ने 'न' के नाम महात्मा जी द्वारा भेजे गये पत्र की प्रतिलिपि मुझे दिखाई। उन्होंने यही लिखा था कि एक हितैषी मित्र ने तुम से सावधान रहने की स्वतः को सूचना दे रखी है। महात्मा जी से मिलकर इस प्रकरण की जाच-पड़ताल करने के लिए वह सीधे पूना तो पहुँच न जायगी? सोचकर मैंने आत्मग्लानि अनुभव की। एक महिला के प्रति,—और सासकर एक विदेशीय महिला के प्रति अपने अनुदार आचरण के लिए मन मेरा भारी हुआ। ऐसा लगा कि यदि महात्मा जी के सामने वह निर्दोष साबित हुई तो अपने ऊपर घड़ो पानी पड़ जायगा। जो भी हो, ग़लती तो हो चुकी थी; पत्र डाक में छोड़ा जा चुका था। सतोप की बात इतनी ही थी कि उक्त पत्र में भेदिये के तौर पर मेरे नाम का कतई उल्लेख किया न गया था।

बिन्तु यह सतोप भी क्षणिक ही रहा। क्योंकि शीघ्र ही मुझे दुबारा यह संदेशा मिला कि 'न' पूना पहुँच गई है, जिससे मैं मिल लूँ। चुनाव महात्मा जी की उपस्थिति में जेल में ही मैं उससे मिला। पश्चात् जब महात्मा जी ने सारा भेद खोलनेवाले व्यक्ति के रूप में 'न' से मेरा जिन्र किया तब मैं बहुत ही लज्जित और अस्वस्थ चित्त हो गया। फिर उन्होंने मुझे उसने सारी बातों की तहज़ीबत कर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा। मैंने इसमें आपत्ति प्रकट की। उसकी ध्वनिगत बातों में हस्तक्षेप करने का मुझे अधिकार ही न था। इस प्रकार मेरा दमन देना अधम्य अपराध माना जाता। बिन्तु ये टक में मय नहीं हुए। ये सत्य की तह तक पहुँचना जो चाहते थे। अतः उनके आदेश से, जोर उन्हीं के लिए, यह अप्रिय कार्य मैंने स्वीकार कर लिया। उनका यह भी कहना रहा कि मुझे इसका दोष न लगेगा। 'न' को मेरी दगापर दया आई और यह मेरी मदद के लिए आगे बढ़ी। उनमें मुझ ही मारी बातों का गप्पीकरण करने हुए अपने विरुद्ध लगाये गये अभियोगों का दमन किया। साथी, कि भाग्य में उम्मा पाद-पदन उगी उग का रहा होगा कि उसके

अपने देश में वह होता, और जहाँ वह कदापि शिष्टाचार विरोधी माना न जाता। अवश्य ही भारत की भिन्न समाज-रचना का ख्याल रखते हुए तदनुसार अपने आचरण में हेर-फेर करने का उसे भान ही न रहा। मैंने महात्माजी से कहा कि इस सबध में बगैर ज्यादा तहकीकात किये मैं अपनी राय कायम कर नहीं सकता। उन्होंने यह स्वीकार किया कि किसी को भी परखना अत्यंत कठिन है। किंतु 'न' के सबध में पूरी तौर से छानबीन करने के बाद वे खुद इसी निर्णयपर पहुंचे कि वह निर्दोष है, और केवल चुगलखोरो के प्रचार की शिकार हो गई है। मेरा दर्प चूर चूर हो गया। अपने आप को मैंने खूब घिंक्कारा। 'न' में मैंने माफी भाग ली और चुपके से कान पकड़ लिया कि आइन्दा ऐसा न करेगें। महात्मा जी का मार्ग जितना अद्भुत उतना ही अगम्य था।

परंतु इतने से ही पिड छूटा नहीं। कुछ सप्ताह बाद मुझे पुन बुलाया गया। महात्माजी ने मुझसे कहा कि अधिक जाच-पडताल के परिणाम-स्वरूप उन्हें इस बात का विश्वास हो गया है कि सभी अभियोग सही हैं, और तत्सबधी मेरी सर्वप्रथम सूचना के लिए वे आभारी हैं। इसके शीघ्र ही बाद उन्होंने और एक उपवास शुरू कर दिया। हरिजन-कार्य सबधी अपन सभी साधन 'शुद्ध' न होना इस बार के उनके उपवास का कारण रहा।

इस बीच 'स' स्वदेश से लौट आई थी। 'स' और 'न' दोनों ही महात्मा जी के आदेश से अब सर्वेंट्स आफ इंडिया सोसाइटी के पूना स्थित भवन में रहने लग गई थी। जब उपवास की खबर मिली तब 'न' और 'स' दोनों ही स्वाभाविक रूप से बेहद बेचैन हो गईं। 'न' ने स्वत को ही महात्मा जी के उपवास के लिए दोषी ठहराया, और उनसे अनुरोध किया कि वे अपनी कीमती जान उसके कारण खतरे में न डालें। बोली, कि उनका आदेश पाकर हर तरह का दिव्य करने के लिए वह तैयार है, और उपवास-काल में वे उसे अपने पास ठहरने दें। लेकिन महात्माजी ने उसे फौरन पूना छोड़कर चले जाने के लिए फरमाया, और सो वह चल भी दी।

जो रक्षायोग्य ही नहीं थी उसके लिए उपवास करने के कारण अब 'स' महात्माजी पर भडक पड़ी। यदि महात्मा जी ने अपना उपवास अविलंब भंग न किया तो वह उनके विरुद्ध उपवास करनेवाली थी, और उसने मझे

सर्वेंट्स आफ इंडिया सोसाइटी के भवन में इसका प्रवचन करने के लिए कहा । जवाब में मैं बोला कि सोसाइटी का भवन महात्माजी के मेहमानों को ठहराने के लिए तो खुला है, किन्तु महात्माजी के लिए, या उनके विरुद्ध भी, वहां उपवास किया नहीं जा सकता । चुनावे भवन छोड़कर वह चली गई, और कुछ दिन बाद उसने उपवास भी भंग किया । इससे महात्मा जी के सिर से भी एक बोझ उतर गया ।

विचित्र सुझाव

पुनः एक बार महात्माजी उसी यरवदा-जेल पहुंच गये । पहले की भांति अबकी दफा भी उन्होंने जेल से हरिजन-कार्य करने के लिए सरकार के पास इजाजत मागी । सरकार ने इससे इन्कार किया । उनसे साफ कह दिया गया कि आप बित्तने ही बड़े आदमी होने पर भी आखिर हैं तो एक कैदी ही । फलतः महात्माजी ने अनिश्चित काल के लिए उपवास शुरू कर दिया । उनका स्वास्थ्य तेजी से गिरने लगा । जेल-अधिकारी यह न चाहते थे कि अपने हाथों उनकी मौत हो । चुनावे एक सरकारी अफसर ने मेरे सामने यह सुझाव रखा कि महात्मा जी को जेल में सर्वेंट्स आफ इंडिया सोसाइटी के भवन में टटाया जाय, जहां वे जेल की अपेक्षा अधिक आराम से रह सकेंगे । यह प्रस्ताव मैं तत्काल स्वीकार करूंगा इसमें उन्हें सदेह था । अवश्य ही मैंने इसका महर्ष स्वीकार किया । और बोन न करता ? गासकर महात्मा जी तां कई मर्षा अपने आपरां सोसाइटी का अनधिकृत मदस्य घोषित कर चुके थे.

गांधी और थोरो

सत्याग्रह-आंदोलन का आविष्कार और आरंभ महात्मा गांधीने दक्षिण अफ्रीका में किया। साधारणतया सर्वत्र, और खास तौर से अमरीका में ऐसा समझा जाता है कि सविनय अवज्ञा-आंदोलन विषयक अपनी कल्पना के लिए महात्माजी प्रसिद्ध अमरीकी दर्शनशास्त्री एवं ग्रंथकार हेनरी डी. थोरो के 'सिविल डिसेओबीडियंस' शीर्षक निबंध के ऋणी हैं। अमरीका के अपने निवासकाल में, और येल विश्वविद्यालय में, लोग मुझसे प्रायः इसकी चर्चा करते थे। अतः स्वयं महात्माजी से ही वास्तविक बात जान लेना मैंने उत्तम समझा। ता. १० सितंबर १९३५ को वर्धा से मेरे नाम भेजे गये अपने पत्र में इस सबध में वे लिखते हैं —

“यह कथन, कि सविनय अवज्ञा-आंदोलन विषयक विचार मैंने थोरो के लेखों से ग्रहण किये हैं, गलत है। थोरो का 'सिविल डिसेओबीडियंस' निबंध मेरी नजर से गुजरने के पहले ही दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह काफी आगे बढ़ चुका था। किंतु उस समय उक्त आंदोलन 'पैसिव रेजिस्टंस' के नाम से मशहूर था। यह शब्दप्रयोग अर्थपूर्ण न होने के कारण गुजराती पाठकों के लिए मैंने 'सत्याग्रह' शब्द गढ़ा। पश्चात् थोरो के सुविख्यात निबंध के शीर्षक पर नजर पड़ते ही, अंग्रेजी जाननेवाले पाठकों को अपने आंदोलन से अवगत कराने के द्रेतु, मैं उसी का प्रयोग करने लगा। किंतु मैंने ऐसा देखा कि 'सिविल डिसेओबीडियंस' शब्दप्रयोग भी हमारे आंदोलन को उसके संपूर्ण रूप में व्यक्त कर नहीं पाता। चुनाव में 'सिविल रेजिस्टंस' शब्दप्रयोग काम में लाने लगा। अवश्य ही अहिंसा सदैव हमारे आंदोलन के अविच्छिन्न अंगस्वरूप रही है।”

केपटाउन करार

१९२६-२७ ई० में भारत-सरकार एवं दक्षिण अफ्रीका के बीच आयोजित गोलमेज-परिषद् के लिए भेजे गये भारतीय प्रतिनिधि-मंडल के एक सदस्य श्री श्रीनिवास शास्त्री भी थे। इसी परिषद् के परिणामस्वरूप 'केपटाउन मुलहनामा' बना। यह मुलहनामा एक प्रकार से आपसी समझौता था। १९१४ ई० में दक्षिण अफ्रीका से विदा होने से पहले महात्मा गांधी ने वहां

के प्रवासी भारतीयों के ऐच्छिक स्वदेश प्रत्यागमन को सिद्धांततः अपनी सम्मति प्रदान की थी। 'केपटाउन सुलहनामा' के अनुसार भारत-सरकार ने भी इसके लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की, किंतु इसी हद तक कि जिससे भारतीयों की भावनाओं पर आघात हो न जाय। दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका की सरकार भी इस सुलहनामा में शामिल हुई, और अपनी पूर्वनिश्चित नीति के सर्वथा विपरीत उसने अपने यहां स्थायी रूप से बस हुए भारतीयों को दूसरी जातियों की बराबरी के हक देन का इरादा जाहिर किया। इसका अर्थ तो यही होता था कि उन्हें गोरा की बराबरी के हक मिल जायेंगे। गरब कि 'केपटाउन सुलहनामा' उसके दोनों अंशों को देखते हुए, भारत के लिए एक राजनीतिक विजय थी।

किंतु क्या भारतीय जनता इस दृष्टिकोण से सहमत होगी? इस समय असहयोग-आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था, जिससे कोई भी 'देशभक्त' भारतीय, 'शैतानी' भारत सरकार की किसी भी कार्यवाही का खुले आम तो समर्थन कर ही न सकता था। दूसरी बात यह कि 'केपटाउन सुलहनामा' वस्तुतः भारत व दक्षिण अफ्रीका की सरकारों के बीच हुआ एक समझौता था, जब कि भारतीय जनमत इनमें से किसी को भी पक्ष में न था। अतः यह आशंका हान लगी थी कि वही यह सुलहनामा, उसके गुणावगुणा का विचार न कर, एकदम से ठुकरा न दिया जाय। हा, यदि महात्माजी इसके पक्ष में अपनी राय दत्त ता, तब तो भारतीय जनमत पर व उनका प्रभाव के कारण ही नही बल्कि दक्षिण अफ्रीका व प्रवासी भारतीयों की समस्या व व विरापन मान जाने से, भारत व द्वारा उसके स्वीकृत होने की कुछ संभावना थी। इंग्लिश श्रीशास्त्रीजी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि उक्त सुलहनामा प्रस्तावित

मे दुमत तो है ही नहीं; मामला उभय पक्षीय है, और महात्मा जी भी साधारण नागरिक या विद्रोही माने नहीं जा सकते। चुनावे तत्कालीन वायसराय लार्ड इविन ने अपनी पद-प्रतिष्ठा का ख्याल छोड़ कर महात्मा जी को मनाने का काम खुद शास्त्रीजी को ही सौंपा। उस समय महात्मा जी मध्य-प्रात के तूफानी दौरेपर होने के कारण दिल्ली से उनकी मुलाकात का प्रवध करना समभव न था। अतः शास्त्रीजी और मैं दोनो नागपुर पहुंच गये। महात्माजी से प्राप्त एक सँदेशे पर से हमे उनके दौरे का कार्यक्रम तफसीलवार मालूम हुआ। निदान, एक छोटे से स्टेशन पर इन दोनो की भेंट हुई, और वे बातचीत करने के हेतु लोकल ट्रेन के पहले दर्जे के एक खाली डिब्बे मे सवार हो गये। गाडी स्टेशन-दर-स्टेशन मुकाम करती हुई आगे बढ़ रही थी। हर दो स्टेशनो के बीच चलती गाडी मे शास्त्री जी सुलहनामे की कहानी महात्मा जी से निवेदन करते थे। अवश्य ही किसी भी स्टेशनपर गाडी के रुकते ही महात्मा जी के दर्शनार्थ उमड पडनेवाली भारी भीड के कारण शास्त्री जी के निवेदन मे बाधा पहुंचती थी। महात्मा जी वर्धा पहुंच कर उनके शाम के भोजन का वक्त होने तक यह निवेदन जारी रहा। और शास्त्री जी से जुदा होने से पहले गाधी जी ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि उक्त सुलहनामा आशातीत अच्छा होने की वजह मे वे उसकी खुले आम तार्ईद कर उसके प्रकाशन के बहुत पहले तत्सवधी अपनी सम्मति भी समाचार-समितियों के पास भेज देगे। ययासमय दोनो ही दम्तावेज एकसाथ प्रकाशित हुए। अवश्य ही जनता का ध्यान महात्मा जी की सम्मति की ओर सर्वप्रथम आकृष्ट हुआ। उनका निर्णय मान लिया गया, और इस प्रकार सुलहनामे को जीवदान मिला। मौका पडने पर सुलहनामे को बचाने के लिए अपनी ओर से तैयार रहने के हेतु सरकार ने शास्त्री जी को केंद्रीय धारासभा का सदस्य नामजद कर रक्खा था। लेकिन इसकी जरूरतही नहीं पड़ी।

नागपुर,

१८-३-१९४८.

प्रथम दर्शन

जे. धी कृपलानी

फरवरी १९१५ की बात है । गांधी जी शातिनिकेतन पधारे हुए थे ।

दक्षिण अफ्रीका स्थित उनके 'फिनिक्स' आश्रम के सहयोगी उनसे पहले ही वहा पहुंच गये थे । खुद गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से सीधे इंग्लैंड जाकर फिर भारत लौटे थे, और अब शातिनिकेतन में अपने प्रियजनो के बीच थे । फिनिक्स-दल शातिनिकेतन कैसे पहुंचा इसका, खुद गांधी जी ने ही, अपनी आत्मकथा में वर्णन किया है । गुरुदेव की इस सस्था से मेरा भी थोड़ा संबंध था । मैंने अपने भतीजे श्री गिरधारी कृपलानी को वहा पढने के लिए रखा था । मैं स्वयं मुजफ्फरपुर (बिहार) के एक आर्ट्स कालेज में प्रोफेसर था । बिहार, एक अलग प्रांत होकर भी, उन दिनों उच्च शिक्षा के मामले में बलकत्ता-विश्वविद्यालय के अधिवार-क्षेत्र में था ।

१९१४ ई० में भारत के राजनीतिक जीवन में स्थिति आ गई थी । १९०७ की सूरत-कांग्रेस के अवसर पर जो फूट पड़ी उसके कारण अत्यंत उत्साही और क्रान्तिकारी मनोवृत्ति का युवकवर्ग कांग्रेससे अलग हो गया, और इससे कांग्रेस की शक्ति क्षीण हुई । इसके बाद जनता में जागृति या उत्साह पैदा करने में वह असमर्थ रही । उसका निष्प्राण कलेवर मात्र रह गया था । उग्र क्रान्तिकारियों को सरकार बुरी तरह कुचल चुकी थी । तिलक लंबी सजा काटकर कुछ ही मास पूर्व माडले से लौट आये थे । विपिनचंद्र पाल में अब पहले की भांति प्रेरक प्रतिभा रही न थी । लाला लजपतराय अमेरिका में थे । और श्री अरविंद घोष दीर्घ काल से राजनीतिक जीवन से निवृत्त होकर पांडिचरी में शांति लाभ कर रहे थे । साराश, देश में प्रभावशाली नेतृत्व का अभाव सा हो गया था । ऐसे समय में कहीं से भी दिखाई पड़नेवाली आशा-किरण का स्वागत ही किया जाता । इसीलिए शांतिनिकेतन में गांधी जी आनेवाले हैं ऐसी खबर पाते ही मैंने उनसे मिलने का निश्चय किया । मैंने काका कालेलकर को लिखा कि मैं शांतिनिकेतन आ रहा हूँ, और वे गांधी जी को इसकी सूचना देकर उनका कुछ समय मेरे लिए सुरक्षित रखें ।

मैं शांतिनिकेतन में शाम के वृत्त कुछ देर से पहुँचा । शाम होने से पहले ही भोजन से निवृत्त होनेवाले गांधी जी उस वृत्त भोजन कर रहे थे । एक छोटे व किंचित ऊँची चौकीपर वे बैठे थे, और उनके नंगे पैर ज़मीन से लटक रहे थे । गाँडे का क्रमीज और एक धोती, वस यही उनकी पोशाक थी । उनसे मेरा परिचय कराया गया । हम भारतीयों की पुरानी परिपाटी के अनुसार मैंने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया । प्रति-नमस्कार स्वरूप वे स्वागतपूर्ण भाव से हस दिये । फिर मुझे अपनी बगल में बैठने के लिए कह कर उन्होंने सीधे बातचीत शुरू कर दी । यह बातचीत उभय पक्षी व्यक्तिगत स्वरूप की ही रही । हमारी इस पहली मुलाकात के समय राजनीति का कोई जिक्र ही किया न गया । लेकिन बीच बीच में वे मेरी ओर जिस तरह ताक रहे थे उसमें मालूम होता था कि वे मेरी याह लेने की चेष्टा कर रहे हैं । खुद में भी उनकी वाक्यत ऐसा ही कर रहा था । गांधी जी को निहार कर उनकी याह लेने की चेष्टा की यह बात आज के किसी युवक के लिए धृष्टतापूर्ण हो सकती है । किंतु स्मरण रहे कि उन दिनों गांधी जी आज की नाई महात्मा न थे । भारत

के सार्वजनिक जीवन में उनकी कोई हस्ती ही नहीं थी। निस्संदेह दक्षिण अफ्रीका निवासी हमारे भाइयों के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए वे खूब लड़ चुके थे। राजनीतिक आंदोलन का एक अभिनव तंत्र भी उन्होंने खोज निकाला था। लेकिन भारत में उनके खुद के, और उनके इस नये तंत्र के सफल होने की कक्षा तक आशा है यह देखना अभी बाकी था। उन दिनों वे केवल श्री गांधी थे, और ये विलायत से लौटे हुए शिक्षित भारतीय का एक निराला नमूना। उनकी हरेक बात अति विलक्षण और अतिरूपपूर्ण दिखाई देती थी। जो आहार वे ले रहे थे उसकी ओर मैंने लक्ष्य किया। ताज़ा फल और मेवा, वस यही उनका आहार था। लेकिन मुझे इसकी मात्रा बहुत ज्यादा मालूम हुई। एक सिंधी होने के नाते मैं यह जानता था कि किसी हद तक ताज़ा फलों का सेवन हानिकर हो नहीं सकता। किंतु एक मध्य वर्गीय भारतीय को इतनी अधिक मात्रा में सूखे फल, और खास तौर से बादाम व पिस्ता जैसे स्निग्ध फल सेवन करते मैंने इससे पहले कभी देखा न था। खैर, उन फलों को अच्छी तरह चबाने में जो काफी वक्त वे लगा रहे थे उससे साफ़ मालूम हो रहा था कि वे अपना आहार स्वादपूर्वक एवं सतोष के साथ ले रहे हैं। उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि चूंकि उस वक्त मैं खास तौर से उनसे मिलने आया हूँ, इसलिए वजाय गुरुदेव के उन्हीं का ही मेहमान बनूँ। मैं तुरत राजी हो गया। कई प्रातों का जलवायु चरम चुबने के कारण आहार विषयक प्रातीपना मैंने बतई तज दी थी। चुनावे शांतिनिकेतन स्थित गांधीजी के डेरे पर जो छादा, बगैर मिर्च-मसालों का, बे-भोसमी खाना पकता था उससे मुझे विलुल पचराहट मालूम न हुई। याद रहे कि फिनिक्स-दल ने बोलपुर में अपनी रहन-सहन के तोरतरीके शांतिनिकेतन की पद्धति से अलग रखने थे। उनके लिए अलग जायास का प्रबंध किया गया था। अपना खाना वे खुद पचाने थे, और अपने दूसरे दैनिक कार्यों में भी उसी तरह पूरे करते थे, अंगे कि दक्षिण अफ्रीका में।

गांधी जी के साथ मेरी यह पहली ही मुलाक़ात थी। इसके बाद लगभग छत्ते भर, याने उनके कलकत्ता विदा होने के दिन तक मैं हर रोज़ उनसे मिलता रहा। जाह, क्याही मुफ़्ताह रहा यह! अगर विर्रं सिवाधी बाजों में ही यह गुज़राता तो उन दिनों यह कोई ज्यादा भी मालूम न होता। किंतु दय एक

सप्ताह में मुझे उनके भीतर के सस्कारक्षम कार्योंत्साह का अवलोकन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसा ज्ञात होता था कि विलास-भू के रूप में विख्यात शातिनिकेतन का दर्शन कर गांधी जी को जबरदस्त धक्का लगा है। गुरुदेव के असाधारण व्यक्तित्व, अध्यापको और अध्येताओं के उत्साह, एव लुभावने व मुक्त वातावरण के बावजूद गांधी जी ने देखा कि शातिनिकेतन में कई निहायत जरूरी बातों की कतई उपेक्षा की गई है। अबतक यहाँ के अधिकांश अध्यापको से उनकी खासी जान-पहचान हो गई थी। कम उम्र के विद्यार्थियों से भी वे हिलमिल गये थे। उन दिनों शातिनिकेतन के सभी विद्यार्थी वस्तुतः कम उम्र के ही होते थे। तब वहाँ केवल हाईस्कूल की श्रेणीतक की ही शिक्षा दी जाती थी। कालेज-कक्षायें बहुत बाद में खुलीं। शातिनिकेतन का विश्व-भारती विभाग बहुत दिन बाद खुला। उन दिनों शातिनिकेतन आज की तरह, हाईस्कूल के रूप में भी, कलकत्ता-विश्वविद्यालय से संबद्ध हो न पाया था। तब वहाँ के विद्यार्थी शातिनिकेतन से संबंधित अन्यान्य शिक्षासंस्थाओं की मार्फत मैट्रिक की परीक्षा देते थे।

शीघ्र ही गांधी जी का ध्यान आश्रम के रसोई-घर, उसके प्रबंध, वहाँ पकनेवाले भोजन और वहाँ की साफ-सफाई की ओर आकृष्ट हुआ। यहाँ के ग्राम्हण रसोइयें रसोई-घर के प्रबंध में किसी को भी हस्तक्षेप करने न देते थीं। और जब तब काम छोड़ने की धमकी देते रहते थीं। चुनावे समाजसुधारक एव आहार शास्त्र के प्रयोग करनेवाले गांधी जी इस मीठे से कैसे चूकते? उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि शिक्षकगण रसोई-घर के संपूर्ण प्रबंध में स्वावलंबी बनें। कुछेक ने तो बड़ी बुद्धिमानी से अपना सर हिलाकर इसकी सफलता में सदेह प्रकट किया, किंतु अधिकांश इसका प्रयोग करने के लिए तैयार हो गये। जब विद्यार्थियों के सामने यह योजना रखी गई तब उन्होंने भी उसका बाल-कोचित उत्साह से स्वागत किया। जबतक पूरी योजना तैयार नहीं हुई तबतक उसके संबध में गुरुदेव से परामर्श किया न गया। बाद में इस संबध में उनसे मिलने पर उन्होंने उसे अपने आशीर्वाद प्रदान कर कहा कि स्वराज्य-प्राप्ति का यही राजमार्ग है। अवश्य ही स्वयं गांधी जी अपने प्रयोग के संबध में कहा तक आशावादी हैं इसमें मुझे सदेह था। हर रोज़ चंर के समय वे रसोई-घर के सामने से गुजर कर साफ-सफाई करने और खाना पकाने में भगन शिक्षकों व विद्यार्थियों को देख जाते थे।

उक्त दृश्य देखकर सदा यह सदेह बना रहता था कि कहीं यह उत्साह क्षणिक ही साबित न हो। स्वयं गुरुदेव भी तो अपने लोगो को गांधी जी में ज्यादा जानते थे।

कुछ दिन के अनुभव के बाद यह प्रयोग बंद कर दिया गया। वह अव्यवहार्य सिद्ध हो चुका था। विद्यार्थियों के अभिभावको ने भी इस में आपत्ति प्रकट की। अपने दृष्टिकोण के अनुसार उनका यह कहना, कि उन्होंने अपने बच्चो को इस सस्था में एक स्वतंत्र और कलात्मक वातावरण में पलकर पुस्तकी विद्या प्राप्त करने के लिए रखा है, न कि सहकारी पद्धति से शारीरिक काम करना, खाना पकाना, वर्तन माजना, फर्ग बोना वगैरह सीखने के लिए, बिल्कुल दुरस्त था। उक्त प्रयोग के विरुद्ध कट्टर पधियों ने भी कमर बस ली थी। उनका कहना रहा कि इस सामूहिक रसोई-घर में परोसा जानेवाला खाना केवल उच्च वर्णीय हिंदुओ, याने ब्राम्हणो द्वारा ही बनना चाहिये। अन्यथा, वह सब जातियों के विद्यार्थियों के लिए ग्राह्य हो नहीं सकता। अलावा इसके सनातनी अभिभावको ने अपने बच्चो को आश्रम के रसोई-घर में अन्याय्य जातियों के विद्यार्थियों के सग बैठकर भोजन करने की अनुमति प्रदान कर पहले ही बड़ी उदारता दिखाई थी। अतः उनसे यह आशा करना कि वे अपने बच्चो को गैर-ब्राम्हणो के हाथ की रसोई खाने की भी इजाजत दे, सरासर ज्यादाती ही होती। इस प्रकार शांतिनिकेतन के स्वायत्तवन के इस प्रयोग का अंत हो गया। किंतु यदि इस अवस्य को भी गुरुदेव की सस्था काव्यरूप न देता तो फिर उसकी विरोधता ही क्या रहती? सो एक वार्षिक दिन के रूप में इसकी स्मृति वायम रखी गई है। शांतिनिकेतन में हर बरस 'गांधी-दिन' मनाया जाता है। इस दिन यहा के सभी शिक्षक और विद्यार्थी आश्रम के रसोइयो एव अन्य नौकर-चाकरो को छुट्टी देकर सारा कामवाज मुद ही करते हैं।

गांधी जी विषयक अपने सर्वप्रथम अनुभव यहा उद्भूत करना अप्रासंगिक न होगा। आज भी मुझे ये स्पष्ट रूप से याद हैं। उनका दृढ़ धरिय-बल दंगर में बहुत ही दग रह गया। वे एक ऐसे व्यक्ति नवर आयें जो कि अपने अर्गीष्ट मार्ग के ओचित्य के संबंध में निश्चय हा पाने पर उत्तम, जहरा पढ़न पर अंतें ही, बढ़ने की क्षमता रखने थे। स्त्रियों के शृपाश्रम से

या विरोधियों की त्यौरियों में बल पड़ने से भी वे कर्तव्य-विमुख नहीं हो सकते। दृढ़ निश्चयी और अपने द्रव्य के पक्के होने पर भी वे छिद्रान्वेपी न थे। स्वेच्छा से उन्होंने कई चीजें त्याग दी थीं। किंतु उनकी अहिंसा निपेधात्मक नहीं थी। गरीबों और पददलितों के प्रति उनके प्रेमभाव से ही यह प्रकट हो रहा था। उनका यह प्यार बौद्धिक या कल्पित न था, और न ही आराम-कुरसी तोड़ते हुए वह किया जा रहा था। वह तो अथाह व अचल था, और अपने वास्तविक रूप में एव यथोचित ढंग से ही उसकी अभिव्यक्ति हो रही थी। गरीबों का केवल उपकार ही न कर उन्हीं की तरह जिदगी विताने एव उनसे एकरूप होने के लिए वे कैसे प्रयत्नशील हैं यह बात कोई भी देख सकता था।

अवश्य ही उनके सभी राजनीतिक विचार मुझे गलत लगे। उन दिनों उन पर नरम दलियों का प्रभाव था। अपने परम प्रिय मित्र गोखले के व्यक्तित्व से वे बहुत अधिक प्रभावित थे। गोखले ने दक्षिण अफ्रीका के कार्य में उनकी बड़ी मदद की थी। गांधी जी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गांधी जी के पास अन्याय के प्रतिकारार्थ अभिनव राजनीतिक आंदोलन का अस्त्र होने पर भी उन दिनों ब्रिटिश सरकार के प्रति उनकी वृत्ति ठीक नरम दलियों जैसी ही थी। भारत में अंग्रेजी राज विधि के वरदान स्वरूप हैं ऐसा तो वे नहीं कहते थे, किंतु कुल बातों का स्याल करते हुए यही दीखता था कि ब्रिटिशों के यहाँ के कार्यों में भारत का भला ही है ऐसी उनकी धारणा थी। विगत इतिहास की या तत्कालीन घटनाओं के प्रकाश में उनके उक्त विचारों की ओर देखने पर मुझे वे न्यायसंगत नजर नहीं आये। किंतु उस समय में एक नवयुवक होने पर भी गांधी जी के इस गलत दृष्टिकोण के उधेड़बुन में नहीं पडा। मैं तो किसी भी व्यक्ति के चारित्र्य पर ही विशेष रूप से ध्यान देता था। और उनके विषय में मैंने देख लिया कि वे एक ऐसे कार्यशील व्यक्ति हैं जो कि एक बार अपना मार्ग चुन लेने पर स्थिर चित्त से उससे बढ़ते रहेंगे, चाहे इसके लिए जो भी ऊँचता चुकानी पड़े। साथ ही जो कुछ दूसरों से करने के लिए कहा जाय उस में स्वतः का आचरण नुसगत हो इस बात का भी वे सदा ध्यान रखते थे। चुनाव, उनसे बिदा होने के पूर्व, राजनीति विषयक उनके दृष्टिकोण या कल्पनाओं का विशेष विचार न कर, मैंने विना हिचकिचाहट के उन्हें यह दिया कि यदि वे भारतहितार्थ कोई कार्य उठावे और उसके लिए मेरी सेवाओं का कुछ भी उपयोग समझें

तो मुझे अवश्य याद करे। साथ ही मैंने उन्हें यह भी कह दिया कि मैं स्वतंत्र विचारो का व्यक्ति हूँ, और मुझ पर आर्थिक या अन्य किसी भी प्रकार का बोझ नहीं है।

छ मास बाद उन्होंने आश्रम की नियमावली मेरे पास भेज दी। इसके साथ उनका लिखा हुआ एक पत्र था, जिस में मुझ से नियमावली के संवध में सम्मति और सुझाव मागा गया था। स्पष्ट ही है कि वे मुझे भले नहीं थे। अवश्य ही इस बीच एक बार बवई में उन से मेरी भेट हुई, किंतु वह आकस्मिक और अल्प रही।

उक्त आश्रम-नियमावली पढ़ने के बाद गांधी जी विषयक अपनी धारणा मुझे बदल देनी पड़ी। मैं सोचता था कि प्राचीन धर्मसुधारकों की भांति उन्हें भी सर्वसाधारण स्त्री-पुरुषों के जीवन की अपेक्षा कुछ अपवादात्मक आत्माओं के उद्धार की ही अधिक चिंता होगी। ईसा मसीह की तरह उनका राज्य भी इह लोका में न हो कर किसी अन्य लोक में होगा। उनकी नियमावली में उल्लिखित कतिपय व्रत-नियमों का उस समय मुझे आकलन ही नहीं हुआ। यदि विवाहित स्त्री-पुरुष के लिए भाई-बहन के नाते ही रहना लाजिमी हो तो फिर इस दृष्टदायी झमेले में वे फसे ही क्यों? और उसमें एक बार फस चुकने के बाद फिर उपरोक्त बंधन से प्रयोजन ही क्या? यदि अनावश्यक वस्तु पास रखना ही चोरी समझी जाने लगी तो फिर उद्धार की आशा कर ही कौन सकता है? मैं ने बहुत ही ध्यानपूर्वक उक्त नियमावली पढ़ी, किंतु उसमें कहीं भी प्रयाग की रेंगा मुझे नजर न आई। ऊब कर मैं ने मेज पर बह पटक दी। सोचा, जो आदमी सर्वथा वस्तुस्थिति की विरुद्ध दिशा में और गलत रास्ते से जा रहा हो उसके सामने सुझाव रखने में लाभ ही क्या? उसके लिए तो यही बेहतर होगा कि वह जहमदाबाद की अपेक्षा हिमालय में जाकर अपना आश्रम स्थापित करे। चुनावों में मैंने अपने दिमाग से गांधी जी विषयक विचार बिल्कुल निकाल डाले। किंतु बाद की घटनाओं ने यह सिद्ध कर दिया कि वे ऐसे व्यक्ति नहीं हैं कि जिनमें इस प्रकार सहज ही में पिंड छुड़ा लिया जा सके। क्योंकि उपरोक्त घटना के कुछ ही दिन बाद, जब कि मैं बिहार में था, उन्होंने मुझे बुढ़ निवाला। और तभी मैं में उनका भोत दास बन गया हूँ। किंतु इस संबंध में फिर कभी लिखूंगा।

महान् प्रयोगी

भारतन् कुमारप्पा

गांधी जी से सर्वप्रथम १९२९ ई० मे मेरा सवध आया । तब मैं लदन में पढ़ रहा था, और मेरे भाई जे. सी. कुमारप्पा अहमदाबाद के गुजरात विद्यापीठ मे, गांधी जी के संपर्क मे रह कर, कार्य कर रहे थे । गांधी जी विद्यापीठ से दो-एक मील दूरी पर स्थित सावरमती-आश्रम मे रहते थे । मेरे भाई ने सादी का व्रत ले रक्खा था, किंतु खुद मुझे सूत-कताई आदि में कुछ भी दम मालूम न हुआ । मेरा अपना विश्वास था कि इस देश की उन्नति उत्पादनों के उन अमोघ उपायो से संभव है, जो कि ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, जापान और रूस ने काम मे लाये हैं; अप्रचलित चर्खों के बल पर यह कदापि साध्य नहीं हो सकता । चुनावे मैं ने भाई को रोपभरे पत्र भेजे, जिनमे यही लिखा था कि गांधी जी चर्खों के पुनः प्रचार द्वारा इस देश का दारिद्र्य दूर न कर उलटे उसे कायम रखने मे ही योग दे रहे हैं । भाई ने मेरे ये पत्र गांधी जी को दिखाये । गांधी जी का जवाब वैशिष्ट्यपूर्ण रहा । लिखा था, “विलायत से आप के लौट-आने पर आप से मिलने मे मुझे प्रसन्नता होगी । यहा लौटते ही आप अपने तरीको से भारत के अभ्युदय के लिए उद्योग आरंभ कर दें, और यदि इस मे आप सफल रहे, तो सर्वप्रथम मे आप का अनुयायी बनूंगा ।” अवश्य ही उन्होंने यह सब चुनौती के तौर पर न लिख कर एक सत्य-शोधक के नाते विशुद्ध भाव से ही लिखा था । क्योंकि तब से उनके साथ मेरा जो दीर्घ संपर्क बना हुआ है उसके कारण मैं जान गया हूं कि उनका प्रयोग-भग्न मन सदा यही सोचता है : “मेरी कार्यप्रणाली सिद्धान्ततः सही हो न हो, किंतु वह व्यवहार्य है, और जब तक इससे अधिक जच्छी प्रणाली उपलब्ध नहीं हो जाती तब तक मे इसे छोड़ नहीं सकता ।” स्वभावतः वे एक कर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं, जो केवल कोरे सिद्धान्तो से पर्यग्रष्ट नहीं हो सकते । किसी भी श्रुति-मनोहर कल्पना को अपनाने से पहले वे उसके परिणामों को अवश्य ही देख लेना चाहेंगे । बलाया इसके उनका यह स्वभाव है कि वे अपने सामने सुंदर योजनाएं प्रस्तुत करनेवालो से ही उन योजनाओं को नार्थान्वित कर दिखाने के लिए बहते हैं ।

क्योंकि आखिरकार अपनी योजनाओं से वे ही अधिक अच्छी तरह अवगत होने के कारण, तत्संबंधी प्राग्भिक कठिनाइयों पर विजय पाने के लिए पर्याप्त उत्साह उन्हीं में हो सकता है। दूसरी बात यह कि कोई भी योजना कार्यान्वित की जाने पर ही उसके गुणदोष समझ में आ सकते हैं। ऐसा भी सोचा जा सकता है कि अमुक विषय में क्या किया जाय, या क्या न किया जाय, इस आशय के जो उपदेशात्मक लक्ष्य अनाहूत पत्र प्रायः प्रत्येक डाक से अपने पास आते रहते हैं उनसे जी उकता जाने के कारण ही शायद गांधी जी ने सब के लिए यह सरल जवाब तैयार रक्खा है कि—“अपनी राह में जा रहा हू। यदि आप अपना मार्ग अनोखा समझते हो तो उसी पर डटे रहें। मुझे दिक् क्यों करते हैं?” किंतु उनके बारे में ऐसा सोचना उनके प्रति अन्याय करना है। क्योंकि मैं जानता हू कि वे अपने सामने पेश की जानेवाली किसी भी योजना में तथ्यादि दिखाई पड़ने पर उसपर जरूर शौर करेंगे। इतना ही नहीं बल्कि किसी योजना संबंधी आत्मनिर्णय से सतुष्ट न होने पर, आखिरी फैसला करने से पहले, वे ऐसी योजना अपने उन सहयोगियों या स्नेहियों के पास भेज कर, जो कि उसके जानकार हों, जरूर राय लेंगे। उनके जैसा व्यक्ति निकटतम मार्ग की कभी चाह नहीं करता। यदि वे कठिनाइयों से मुह मोड़ते तो आज की अवस्था की वदवायि पहुंच ही न पाते।

मगनवाड़ी, वर्धा, में गांधी जी के साथ ठहरने पर मुझे उनके प्रयोगमग्न मन या दर्शन करने का मौका मिला। तब मैं उनके पास नया नया ही गया था। अन. भोजन के समय वे मुझे अपने पास ही बिठा लेते थे। वे आहार के तौर पर कर्तव्यदायों का प्रयोग कर रहे थे। ताजा नीम-पत्तों की चटनी उन्हीं में से एक थी, जो कि तुर्नन जैसी कड़ई थी। वे स्वयं प्रतिदिन बड़ी मात्रा में इसका सेवन कर कुछ मुझे भी परोसा करते थे। यह खाते वक़्त मुह उहरे होने पर भी अपने हिगमें की सभी पटनी यंगर वू बिन्ने में चट कर जाता था। इसी तरह सोयाबीन भी परोसी जाती थी। उन दिनों भारतभर में हर कोई इससे गुण गाता था। गांधी जी ने मगनवाड़ी में इसे लगा रखा था, और हर रोज़ भोजन के समय सब को यह परोसी जाती थी। यह उचाल कर कुचली जाती थी, और उगम यंगर नमक-मिर्च मिश्रण ही यह मानी पड़ती थी। बड़ी मुश्किल की बात ठा यह थी कि मुझे अपने हिग्न के पदार्थ खाने के अलावा गांधी जी को चींड़े अपने

लिए ज्यादा समझ कर उदारतापूर्वक उठाकर मेरी धाली में रख देते थे वे भी अपने पेट में ढकेलनी पड़ती थी। अलावा इसके 'सालन' के तौर पर आश्रम के आसपास उगनेवाली ऐसी हरी पत्तिया भी हमें परोसी जाती थी जो कि शरीर के लिए किसी भी प्रकार हानिकार न हो। नमक मिलाकर ये खाई जाती थी। मगनवाड़ी में हमने नारंगियों के भी बहुत से पेड़ लगा रखे थे। हठात्, गांधी जी के मन में यह विचार आया कि नारंगिया के जो छिलके फेंके जाते हैं उनसे क्यों न एक प्रकारका मुरब्बा बना लिया जाय। चुनावे एक दिन हमें नारंगियों के छिलको का बना मुरब्बा भी चखना पड़ा। दक्षिण भारत में इमली का बना 'रसम्' बहुत प्रचलित है। इमली की पौष्टिकता और उसके औषधी गुणों के बारे में गांधी जी ने पहले ही सुन रक्खा था। किंतु कोई भी आश्रमवासी, इसके बनाने का तरीका जानता न था। तब खुद गांधी जी ने ही इमली में गुड़ मिलाकर खासा शर्वत तैयार किया। उनकी जीत रही, और हम भी इसके सेवन में बड़ा आनंद आया। किंतु दुबारा जब बिना गुड़ का सिर्फ नमक मिलाया हुआ 'रसम्' हमें परोसा गया तब सारा मजा किरकिरा हो गया। इसे नाम तो 'रसम्' दिया गया था, किंतु हम दक्षिणी लोगों ने अपनी इतनी प्रसिद्ध चीज की इस तरह हसी होते देखकर स्वाभाविक रूप से अपमान महसूस किया। रंग उसका कीचड़ की तरह था, और स्वाद भी कुछ कुछ उसके अनुरूप ही रहा। दूसरी बार, उसकी बदसूरती मिटाने के लिए, उसमें थोड़ी मूंगफलिया डाली गई। खली का भी एक प्रयोग किया गया। हम मगनवाड़ी में बेल की घानी से तेल निकाला करते थे। तेल निकाल लेने के बाद बचनेवाली खली बहुत ही पौष्टिक होती है ऐसा कहा जाता है। चुनावे गांधी जी ने सोचा कि खली से जायकेदार चीजे बनाकर क्यों न वे आश्रमवासियों को चलायी जाय ? सो दही में बनाई गई खली की चटनी एक दिन हम सब को परोसी गई। इमों प्रकार जब गांधी जी ने सुना कि कच्चा लहमून रक्तदोष से बचानेवाली नामों दवा है तब वे खुद बड़ी मात्रा में इसका सेवन करने लगे, और जिस किसी ने भी यह खाना चाहा उसको भी दिया। नतीजा यह हुआ कि उन सबके बदन में लहमून की बढ़त आने लगी। थोड़े दिन पहले अख्बारा में छपा था कि मामूली घास में भी काफी मात्रा में विटमिन होते हैं, और खारात्र के तौर पर लोग बेसटक उसका उपयोग कर सकते हैं। सुनाविस्मयी से यह खबर उस वक्त हुई जब कि गांधी जी मगनवाड़ी में हमारे साथ नहीं थे। अन्यथा,

वे चूल्हा-चौका हटाकर हम सब को मैदान में जा कर घास चरने का अवश्य ही आदेश देते। प्रति दूसरे सप्ताह हम सब को तौला जाकर गांधी जी को इसकी रिपोर्ट दी जाती थी। मेरा ख्याल है कि आहार-शास्त्र सबधी अपने प्रयोग कहा तक लाभप्रद सिद्ध हो रहे हैं यह जानने के लिए ही वे ऐसा करते थे।

स्वास्थ्य-सुधार के लिए मुख्यतया आहार-चिकित्सा पर ही वे निर्भर करते थे। व्याधियां उनके लिए विशाल प्रयोग-क्षेत्र उपलब्ध कर देती थी। अपने रोगियों का उपचार करने में उन्हें बड़ा आनंद आता था। बीमारों की सारी शिकायतें ध्यानपूर्वक सुन कर और उनकी खुराक के बारे में तफसील से पूछताछ कर, उसी तरह पथ्य-परहेज वे समझा देते थे। इनमें से हरेक के पथ्य में बदल करने से पहले वे उसके स्वास्थ्य की पूरी रिपोर्ट मंगा लेते थे। अपने रोगियों को दिया जानेवाला खाना अक्सर उनकी नजर से गुजरता था, और अपनी आंखों से यह देख लेते थे कि वह उचित प्रकार का एवं मर्यादित मात्रा में है या नहीं। अपने रोगियों के प्रति उन्हें इतना अधिक आकर्षण था कि वे सुबह-शाम उनसे मिलने जाया करते थे, और इसके सामने बायसराय से राजनीतिक विषयपर चर्चा करने जैसा महत्वपूर्ण काम भी होय समझते थे। रोगी की राय्या के पास वे इस तत्परता से पहुंच जाते थे कि मानो रोगी एक बालक है, और उसकी देखभाल करनेवाला सिवा उनके अन्य कोई है ही नहीं।

लड़कियों के प्रति यह सरासर अन्याय है । क्योंकि अपने जीवन में सभवतः पहली ही बार गांधी जी का दर्शन करनेवाली वे लड़कियां यदि उनकी सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो उसे आजीवन भूलेगी नहीं । वैसा ही सुझाव मैं ने उन्हें दिया, तब तुरत उन्होंने उपरोक्त आश्रम-कन्याओं को हटा कर उनका काम दूसरी लड़कियों को सौंपा । उस दिन से मैं बराबर देखता आया हू कि अपनी सेवा के लिए वे स्थानीय लड़कियों को ही तरजीह देते रहे हैं । गरज यह कि अदना से अदना आदमी की भी दी हुई सलाह मान लेने में वे कभी कमीपन महसूस नहीं करते, वरतें वह उन्हें पसंद ही ।

ऐसे भी अवसर आये हैं जब कि गांधी जी ने अपने मन के विरुद्ध जाकर कई त्राते की हैं । मुझे एक ऐसे विद्यार्थी की बात याद है जिसे कि गांधी जी ने मगनवाडी में हमारे पास कागज बनाना सीखने के लिए भेजा था । अखिल भारतीय ग्रामोद्योग सभ के नियमानुसार मैं ने उससे फीस मागी । गांधी जी सोचते थे कि उक्त विद्यार्थी से फीस नहीं ली जायगी । लेकिन मैं ने उन्हें फीस लेने का कारण बताया, और यह फीस अनावश्यक एवं बहुत अधिक मालूम होने पर भी आखिर वह अदा करने के लिए वे तैयार हो गये, और उन्होंने पूरी फीस देकर ही अपने विद्यार्थी को हमारे पास भेजा । ऐसे मामले में उनका सिद्धांत यही रहता है कि किसी सस्या का काम एक बार जिस कार्यकर्ता को सौंपा गया हो उसके निर्णय का कभी भी उल्लंघन न किया जाय । वस्तुतः वे हमारी सस्या के अनधिकृत अध्यक्ष, और उसके सस्थापक एवं सलाहगार थे, और अपनी इच्छाओं का पालन करने के लिए मुझे बाध्य कर सकते थे । किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया । क्योंकि अवैधानिक बातें वे कदापि कर ही न सकते थे । उनका यह विश्वास था कि किसी आदमी को कोई काम सौंप देने के बाद, जब तक खास जरूरत पंदा नहीं होती तब तक, उसके रोज मर्रा के कामों में दखल नहीं देना चाहिए । ऊपरी तीर पर देखने में ऐसा मालूम होगा कि काम करने के इस ढंग से गांधी जी ने अपने आपको पराजित कर लिया है । किंतु बात ऐसी नहीं है, वास्तव में उन्हीं की विजय हुई है । फीस अदा करने मबधी मेरा निर्णय मान कर उन्होंने सभ के हितार्हित की दृष्टि में उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियों का मुझे अधिक भान करा दिया । फीस के रूप में उनकी देव में चंद रुपये जरूर चले गये, किंतु एक कार्यकर्ता से जो अनन्य निष्ठा उन्हें प्राप्त हुई वह उन रुपयों में वही अधिक कीमती है । इस प्रसंग के कारण

उनका यह कथन, कि दृढ़ व्यक्ति की अहिंसा कभी पराजित होना जानती ही नहीं, सत्य सिद्ध हुआ।

गांधी जी की अहिंसा का एक अन्य उत्तम दृष्टांत मुझे तब मिला जब कि वे एक कार्यविशेष के लिए मेरी नियुक्ति करना चाहते थे। मैंने कहा कि सोच कर बता दगा। सो शीघ्र ही उनके प्रस्ताव-विरोधी अपने निर्णय की मैंने उन्हें सूचना दी। उन्हें बात पसंद न आयी। किंतु उन्होंने मुझे इससे विमुख करने की कोशिश नहीं की। बल्कि बोले कि यद्यपि मेरी मदद पा कर उन्हें प्रसन्नता होनी फिर भी यदि अपने ही तरीके से चलना मुझे अधिक भाता हो तो वे मेरी राह में रूकावट पैदा न करेंगे। उन्होंने और यह भी कहा कि मैं स्वतंत्रतापूर्वक और अपनी अंतःप्रवृत्ति के अनुसार ही चलूँ। लगभग यही उनके शब्द थे। और उन्होंने मुझे पूरी आजादी दे डालने पर भी उसका एतन्मात्र परिणाम यही हुआ कि मैं उनसे घनिष्ठ रूप से बंध गया।

यदि कभी कोई करने योग्य बात नजर आती तो गांधी जी उसके लिए उचित अवसर की प्रतीक्षा में बकत न गवाते थे। एक बार ग्राममुधारका को उन्होंने यह सलाह दी कि वे गावों की माफ-सफाई के हेतु मेहतर का काम उठावे। इस पर उन कार्यकर्ताओं ने जवाब दिया कि यदि मेहतर का काम उन्होंने उठाया तो गाव में अपनी जो प्रतिष्ठा, या गाववालों पर अपना जो प्रभाव है उसे वे खो देंगे, और फिर कोई अन्य काम करना उनके लिए असंभव हो जायगा। किंतु गांधी जी ने उनकी एक न सुनी। बोले, पहला काम पहले। जहाँ भी वही रूढ़ा-वर्तक हो वहाँ में वह तुरंत हटा ही देना चाहिये। गदगी दूर करने के लिए कभी बल्लू बूझा नहीं जाता। अपने इस उपदेश के अनुसार वे मृद, या उनके महयोगी, हर रोज सुबह संर के लिए भगनवाडी से निकलत बल्लू एक बाल्टी और पावडा साथ लेते थे, और सड़क-किनारे वही भी नजर आनेवाला बूझा या मल उठाकर उसका साद बनाने के लिए यह आश्रम में आते थे।

साबुन के दाढ़ी कैसे बनेगी? बोले, “साबुन की जरूरत ही क्या है, पानी मलने-भर से ही काम चल जाता है।” सुनकर ऐसा लगा कि वे अति कर रहे हैं, क्योंकि बिना साबुन के दाढ़ी ठीक तरह से बन ही नहीं सकती। किंतु इसके बाद जब मैं जेल गया तब दाढ़ी बनाने का अपना साबुन खत्म होने और बाहर में भी उसका मगाना मुश्किल होने पर मुझे उपरोक्त घटना का स्मरण हो आया, और मैंने बिना साबुन व ब्रुश के ही अपनी दाढ़ी बनाने की चेष्टा की। दोस्त बोले कि इस तरह दाढ़ी बन ही नहीं सकती, इससे चेहरे में जलन होने लगेगी, उस्तरा लग जाने का डर है, आदि आदि। किंतु अनुभव लेने पर इनमें से एक भी बात सही साबित नहीं हुई। उस दिन से मैं बिना साबुन व ब्रुश के ही अपनी दाढ़ी बनाने लगा। दरअसल मैं दाढ़ी बनाने के लिए साबुन की अपेक्षा पानी ही ज्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि उसमें साबुन की तरह झाग न होने से वह भद्दा नहीं लगता। आधुनिक सभ्यता व्यावसायिक लाभ के हेतु मानवसमाज के लिए बनावटी जरूरतें पैदा कर उन्हीं से पोषण पा रही है। अतः हमारा यह कर्तव्य है कि जो बातें करने के लिए हमसे कहा जाता है उनकी वास्तव में जरूरत है या नहीं इसकी समय समय पर हम जांच करें। इसमें शायद अपनी अधिकांश आवश्यकतायें वैसी निरर्थक और भार-स्वरूप हैं जिसका हमें पना चल जायगा।

गांधी जी के साथ का सफर एक अनोखे अनुभव की बात है। १९८५-४६ ई. के शीतकाल में बंगाल, आसाम और मद्रास के उनके दौरे के समय मैं उनके साथ रहा। हर जगह जनता ने बेहद उत्साह से उनका स्वागत किया। कई जगह तो भीड़ बंकावू हो गई, और लोगों ने रात बें-रात का ख्याल न कर गांधी जी के दर्शनार्थ उनकी गाड़ी रोक ली और दर्शन करने के बाद ही उन्हें आगे बढ़ने दिया। जिस रात हम वर्धा में कलकत्ता जा रहे थे, उस रात लोगों के दिनभर के शोरगुल से उच्च जाने के कारण वे अपने कानों में उगलिया डाल कर थके-भादे से बंठ गये। बड़ा ही करुण दृश्य था। रात के ९।। बजे, शोरगुल सुनाई न पड़े इस हेतु, अपने दोनों कानों में मूती उनी चीथड़े टुमकर बंधे गये। बंगाल से आसाम तरफ की यात्रा का अनुभव तो सब में बुरा रहा। लोग बार बार छतरी की जजीर गींच कर गाड़ी रोकते रहे। गांधी जी की छाकी पाने के लिए वे उनके चेहरे पर अपने टार्च से गोलियाँ डालते थे, और कभी तो सोचें हुए गांधी जी उठकर अपने को दर्शन दे इस हेतु वे उनके डब्बे

की खिडकिया तक खटखटाते रहते थे । साराश, हम सब सर्वथा लोगों की दया पर निर्भर थे । भीड़ द्वारा जगह जगह रोक ली गई डाक-गाडी को ६॥ घंटे का फासला तै करने में १३॥ घंटे लगे । इस कटु अनुभव के बाद बगाल सरकारने उन्हें मामूली गाडी से सफर करने की इजाजत देने से इन्कार किया । इस पर गांधी जी ने यह कह कर, कि एक लोक-सेवक होने के कारण अपने लिए विशेष सुविधाओं की कोई आवश्यकता नहीं, आपत्ति प्रकट की । उनका अपना विश्वास था कि जनता के खर्च में सफर करनेवालों के लिए सुख-सुविधाओं के साधन जुटाने में सार्वजनिक धन का अपव्यय न किया जाना चाहिये । किन्तु सरकार अपनी बात पर अड़ी रही । आखिर जब गांधी जी से यह कहा गया कि साधारण पैसेजर-गाडिया रास्ते में घटो रकी रहने से रेलवे-कम्पनी और मुसाफिरो को भारी दिक्कत उठानी पडती है, तब उन्होने झुक कर अपने लिए खास गाडी का इतजाम करने की इजाजत दी । और तब से हम बराबर खास गाडी में ही सफर करते रहे ।

कारण वह अपनी जगह से बहुत ही कम आगे बढ़ पायी, और बड़ी ही परेशान सी नज़र आयी। इसी बीच गांधी जी डिब्बे की दूसरी तरफ की खिड़की पर चले गये, क्योंकि उस ओर की भीड़ उनके दर्शन की माग कर रही थी। फिर भी उक्त महिला इस विचार से, कि शायद वे जल्द ही वापस मुड़ेगे, अपनी तरफ की खिड़की के पास पहुँचने के लिए बराबर चेष्टा करती ही रही। देख कर मैं ने गांधी जी को इसकी खबर दी, और उन्हें उसकी तरफ की खिड़की पर ले आया। किंतु भीड़ को टेलठाल कर आगे बढ़ने की उसकी कोशिश जारी ही थी कि इतने में गांधी ने सीटी दी और वह चल पड़ी। उसने आखिरी बार पुनः चेष्टा की, किंतु पुलिस ने वेरहमी के साथ उसे पीछे की ओर टेल दिया। निरास-सी, रोती-कलपती हुई, प्लेटफार्म पर खड़ी उस औरत के हाथ में अब भी सोने की वे चूड़िया दिखाई पड़ रही थी। हम में से अधिकांश लोग अपनी चीजवस्तु दूसरे को दे डालने में कभी खुशी तो महसूस नहीं करते, विपरीत इसके यह औरत, और उसकी भाति हजारों गरीब लोग, गांधी जी को कुछ, याने बहुधा अपना सर्वस्व, दे न पाने की बात से अकथनीय आत्मवचना अनुभव करते हैं।

अनेकानेक युवा और वृद्ध, अमीर और गरीब, गांधी जी के सामने इस तरह हाथ जोड़ कर खड़े हो जाते थे, मानो किसी देवता के सामने पूजा-अर्चा के लिए उपस्थित हो। बगाल की नहरों में हमने नाव पर यात्रा की। मार्ग में हमे दोनो किनारों पर लगातार कतार में खड़े, नाव के सग किनारे-किनारे दौड़नेवाले, और कभी कभी तो सर्दी हौन पर भी कमर या छाती तक पानी में डूबे हुए ऐसे लोग दिखाई पड़े, जो कि गांधी जी का दर्शन एव उन्हीं भक्तिभाव में प्रणाम मात्र करना चाहते थे। हम बताया गया कि इनमें से कई लोग दूर दूर के देहाता से, अपने बच्चों को गोद में लिये, दा-दो तीन-तीन दिन तक पैदल चल कर, राह में पेटतले राते बिताने एव अनेक कष्ट झेलने के बाद यहाँ तक जाये हैं,—और यह सब केवल इस लिए कि गांधी जी का पावन व पुण्यप्रद दर्शन हा सकें। धर्मनिष्ठा और धार्मिक अनुष्ठान, जो कि हमारे देश की दा विशेषतायें हैं, आजकल माधारणतया लज्जास्पद एव जीर्णशीर्ण बातें मानी जाने लगी हैं। पर जब मैंने इन लोगों का पेटर पर एक गेमे व्यक्ति का दर्शन मात्र ने निर्मित धार्मिक तेज देखा, जा नि सामाजिक मुन्बों का परिन्त्याग कर गया

और साधना द्वारा परमाथ प्राप्त मे लवलीन था, तब मन मे मेरे विचार आया कि यदि यही हमारी विशेषता हो तो वह गर्व की बात है । क्योंकि ससार को जाहिरी तौर पर और थोडी देर के लिए अपनी ओर आकर्षित करनेवाली प्रभुता, धन-दौलत एव उपरी तडक-भडक की लालसा का नाम तो सस्कृति है ही नहीं, सच्ची सस्कृति तो अतत सब के सम्मान-भाजन बननेवाले एक-मात्र आध्यात्मिक मत्वो की मान-मर्यादा की रक्षा पर ही निर्भर है । चुनावे दस फकीर के प्रति जनता द्वारा समर्पित भक्तिभाव मे मुझे हमारी उस सुविकसित सस्कृति का दर्शन हुआ जिसने कि इस देश के निवासियों को धुद्र व दिखावटी सासारिक बातोंमे अपना मन हटाकर अदृष्ट किंतु अक्षय बातों की ओर आदर से देखने की दृष्टि प्रदान की है ।

वशीभूत नहीं हुए हैं। सच्ची अंतर्राष्ट्रीयता, याने ससारभर के मानव-समुदाय में शांति और सद्भाव का प्रादुर्भाव करने में योग देने की हार्दिक अभिलाषा ही, उनकी राष्ट्रीयता का मूल आधार है।

बवई,

८-४-१९४७.

उनके जीवन की शिक्षाएँ

जे. सी. कुमारप्पा

१. हमारी भेंट

राजस्व का अध्ययन कर, एव अपनी कर-निर्धारण नीति द्वारा भारत का शोषण करनेवाले ब्रिटिशों के कारनामों पर एक प्रबंध के रूप में प्रकाश डालने के बाद, १९२९ ई० में, मैं अमेरिका से लौट आया। मुझे यह मुझाव दिया गया कि मैं अपना उक्त प्रबंध प्रकाशित करूँ। इस सबंध में भारत के कतिपय प्रकाशकों से मेरी बातचीत चल ही रही थी कि इसी बीच मुझ से कहा गया कि गांधी जी को इस विषय में काफी दिलचस्पी हो सकती है, अतः सब से पहले उन्हीं को मैं अपनी पांडुलिपि दिखाऊँ। उस समय मैंने गांधी जी का नाम ही नाम सुन रक्खा था। किसी सुनिश्चित विचारधारा से तब तक वह जुड़ा न था। किंतु जिन सज्जनों ने उपरोक्त सलाह मुझे दी थी उनका यह आग्रह रहा कि मैं गांधी जी से ज़रूर मिल लूँ। उस साल के अगस्त के अंत में, दक्षिण-भारत के दौरे से लौटते वक्त, गांधी जी बवई होकर जानेवाले थे। तब मैं बवई में हिसाब-निरीक्षक का काम करता था। मालूम हुआ कि गाम-देवी स्थित 'मणि भवन' में, जहाँ कि बवई के अपने मुकाम में उन दिनों गांधी जी प्रायः ठहरा करते थे, उनसे भेंट हो सकेगी। यूरोपियन पद्धति की पोशाक में मैं भवन की सीढियाँ चढ़कर ऊपर गया। द्वार पर ही धोती व कमीज पहने हुए एक दास्त ने, जिसे मैं नौकर समझ बैठा था, मुझसे बातचीत कर ली। मैंने पूछा, "क्या गांधी जी से मेरी मुलाकात हो सकेगी?" जवाब मिला कि गांधी जी कांग्रेस-कार्यकारिणी की बैठक में व्यस्त होने के कारण अभी मिल न सकेगे।

अपन प्रवध की पाडुलिपि में साथ ले आया था, और यह देख कर कि स्वतः से बातचीत करनेवाला शरस अग्रजी बोलने का माद्दा रखता है और अपना सँदेसा पहुँचा सकता है, मन प्रवध की पाडुलिपि गांधी जी को देने के लिए उसी के सुपुत्र की। बाद में मालूम हुआ कि उक्त सज्जन गांधी जी के सेक्रेटरी श्री प्यारेलाल थे। प्यारेलाल ने यथासमय मेरे आफिस के ठिकाने फोन पर मुझे सूचित किया कि गांधी जी मेरा प्रवध पढ़ने के बाद अहमदाबाद में मुझ से मिलना चाहते हैं, अतः ता ९ मई १९२९ को दोपहर के ढाई बजे, सावरमती में मैं उनसे मिल लूँ। तदनुसार उस दिन सुबह के वक्त में सावरमती-आश्रम जा पहुँचा। साज-सामान से शून्य आश्रम का अतिथि भवन देख कर मैं सिहर उठा। नाम-मात्र के इस अतिथि भवन में एक चारपाई छोड़ कर किसी भी तरह का फर्निचर नहीं था। स्नान-सामग्री का अभाव देख कर तो वहाँ मैं जल्द से जल्द भागने का भी हुआ। इन व्यक्तिगत असुविधाओं, और अपनी मुलाकात दोपहर बाद होना तो रहने के कारण इतना वक्त कैसे कटगा इसकी मैं फिर करने लगा। गांधी जी का वासस्थान मुझे दूर से दिखला कर बताया गया कि नियत समय पर वहाँ मैं उपस्थित हो जाऊँ। चुनाव एक हाथ में छड़ी और दूसरे में पाडुलिपि लिये दोपहर के लगभग दो बजे मैं सावरमती के किनारे टहलने निकला और नदी-तट के सौंदर्य का रसपान कर वैसे ही नदी के किनारे किनारे गांधी जी की टुटी की तरफ निकल गया।

राह चलते चलते एक पड़तल, गाँवर से लीप हुए साफ-मुखरे आगे मैं एक बूढ़े महाशय चर्चा चलाते हुए मुझे नजर आये। इससे पहले कभी चला न देखने के कारण, और अपनी मुलाकात का वक्त होने में अभी दस मिनट की दूरी हान की बख़्त, मैं अपनी छड़ा पर चढ़कर उनकी ओर ताकने लगा। कुछ पायेब मिनट बाद उक्त बूढ़े ने अपना पोपल मुँह खोल कर मुस्कराते हुए मुझे से पूछा, क्या आप ही तुमारप्या हँ ?" सहसा मैंने ऐसा लगा कि मैं प्रदासर्ता महाशय महात्मा गांधी ने जगया और कोई हा ही नहीं सगा। अतः मैं प्रतिप्रन्न किया, 'क्या आप ही गांधी जी हँ ?' जवाब में उनका सर हिला कर 'हाँ' कहने पर मैं झट, इस्तारी की हुई अपनी रसमी प्रत्यूने का नतद श्याम ने कर, गाँवर से लीपीपीनी जमान पर ही बँट गया। तब यह दस कर कि मैं पत्थी नहीं मारी हँ, बल्कि कुछ गिनुस हुआ ही बँट हँ, एवं ब्यक्ति कर के नीतर से शटपट कुरमी ल जाया, और गांधी जी ने मुझे उठ कर उठ पर

आराम से बैठने के लिए कहा। जवाब में मैं बोला कि उनके जमीन पर बैठते हुए मैं कुरसी पर विराज नहीं सकता।

फिर गांधी जी ने बताया कि मेरा प्रबंध उन्हें पसंद है, और अपने 'यंग इंडिया' पत्र में उसे सिलसिलेवार प्रकाशित करने का वे इरादा रखते हैं। पश्चात्, उन्होंने अर्थशास्त्र विषयक अपने और मेरे दृष्टिकोण में बहुत कुछ साम्य दिखाई पड़ने एवं इस प्रकार के दृष्टिसाम्य का अपने संपर्क में आनेवाला मैं पहला ही विद्यार्थी होने के कारण मुझ से पूछा कि क्या मैं उनके लिए गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक जांच करने का काम हाथ में ले सकता हूँ? मैंने भाया की कठिनाई का प्रश्न उपस्थित किया। तब उन्होंने यह कह कर, कि इस कार्य में मेरी मदद करने के लिए वे गुजरात विद्यापीठ के अर्थशास्त्र के अध्यापको को उनके समस्त छात्रों सहित भेज देंगे, उसे हल किया, और सुझाया कि मैं गुजरात विद्यापीठ के उप कुलपति श्री काका कालेलकर से जाकर मिलूँ। गांधी जी से ही मालूम हुआ कि थोड़ी देर पहले जो सज्जन दौड़ कर मेरे लिए कुरसी ले आये थे वे ही काका कालेलकर हैं।

तीसरे पहर काका कालेलकर से मिलने में गुजरात विद्यापीठ गया। पश्चात्य ढग की बहुत ही फैशनेबुल पोशाक में सज्ज एक युवक के रूप में मुझे देख कर उन्हें इस बात का विश्वास ही न हुआ कि जो काम गांधी जी मुझ से लेना चाहते हैं उसके योग्य मैं हूँ। और उन्होंने यह कह-कर, कि गुजराती न जानने के कारण मेरे काम में बड़ी र्कावट पड़ेगी, मुझे हतोत्साह किया। इससे चिढ़ कर मैं, बिना गांधी जी से भी मिले, सीधे बंबई लौट आया, और वहां से मैंने पत्र द्वारा उन्हें यह सूचित करने के साथ, कि काकासाहब मेरा कुछ भी प्रयोजन नहीं समझते, लिखा कि यदि मैं उनके किसी भी कार्य में मदद दे सका तो उससे मुझे खुशी ही होगी। लौटती डाक से मुझे काकासाहब का एक पत्र मिला जिसमें उन्होंने लिखा था कि यदि मैं वापस लौट कर गांधी जी का इच्छित कार्य सभाल सका तो इससे खुद उन्हें बेहद खुशी होगी। (बर्षों बाद गांधी जी ने, मनुष्य-स्वभाव की परख सबधी बातचीत के सिलसिले में, उपरोक्त घटना का उल्लेख करते हुए मुझसे कहा, "आप को याद ही होगा कि जब पहलेपहल आप काकासाहब से मिले तब वे आपको परख न सके। विपरीत इसके आपको देखते ही मैं फौरन ताड़ गया कि आप जैसे नौजवान को हाथ से जाने न देना चाहिये।" और इसमें वे सफल भी रह, जैसा कि बाद की घटनाओं

ने सिद्ध कर दिया।) इस के बाद ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक जाच का मेरा काम चल ही रहा था कि गांधी जी ने नमक-सत्याग्रह के श्रीगणेश स्वरूप दांडी की ओर कूच किया। उनकी गिरफ्तारी के बाद नवजीवन-ट्रस्ट ने, गांधी जी और महादेव देसाई की गैरहाजिरी में, 'यंग इंडिया' चलाने के लिए मुझे बुलाया। 'यंग इंडिया' में प्रकाशित अपने लेखों के कारण आखिर मुझे भी जेल की हवा खानी पड़ी। अनंतर बंबई लौट कर हिंसाव-निरीक्षक का अपना पहला काम फिर से शुरू करना मेरे लिए असंभव हो गया। क्योंकि मेरे गाहकों में अधिकांश यूरोपियन और पारसी कपनिया थी, जो कि गांधी जी के प्रति सहानुभूति दिखानेवाले व्यक्ति से संपर्क रखना कदापि पसंद न करती। चुनावे इसी घटना के बाद मैं ने अपना भाग्य गांधी जी के हवाले कर दिया।

२. एक युक्तियुक्त अनुरोध

दांडी की ओर गांधी जी का कूच अभी जारी ही था कि इस बीच 'राजस्व और हमारी गरीबी' शीर्षक मेरी लेख-माला प्रकाशित हुई। इन लेखों को संप्रहित कर उन्हें एक पुस्तिका का रूप देने की गांधी जी की इच्छा रही, जोर में इस पुस्तिका के लिए उन्हीं में प्राक्कथन लिखवाना चाहता था। इसकी चर्चा के हेतु गांधी जी ने मुझे कराड़ी में, जहां कि उस वक्त उनका मुकाम था, मिलने के लिए बुलाया। काम 'नियंटाने' के खुद के तरीके के अनुसार मैंने गांधी जी के लिए एक प्राक्कथन तैयार कर उसकी टाइप की हुई प्रति ट्यूनाक्षर के लिए उनके नाम रखी। देख कर गांधी जी मुस्कराये, और बोले, "मेरा प्राक्कथन अपना ही लिया हुआ होगा, न कि तुम्हारा का!"

इसके बाद उन्होंने कहा, "प्राक्कथन के प्रश्न की चर्चा के निमित्त आप को बुलाया नहीं है, बल्कि यह जानने के लिए बुलाया है कि क्या आप मेरी गिरफ्तारी के बाद 'यंग इंडिया' के लिए नियमित रूप में लिखा करेंगे?" उन्होंने यह भी सूचित किया कि अपनी गिरफ्तारी के बाद वन या प्रबंध महादेव देसाई के साथ में चला जायगा, जोर अपनी यह इच्छा है कि मैं इस काम में महादेव भाई की मदद करूँ। जवाब में मैंने कहा, "गांधी-दर्शनगाम्य सं में सर्वथा अनभिज्ञ हूँ; माफ ही इनमें पर्यंत 'यंग इंडिया' का क्या स्वरूप रहा है और महादेव-सद सं में मुगोभिन्न किया जाता है वह भी मैं नहीं जानता। हा, पूरुभरी साधारणतया आपने का काम अन्वयना सम्य अधिक अच्छी तरह कर

सकता हूँ, और अगर इस किस्म का कोई काम निकल आवे तो वह करने में मुझे खुशी मालूम होगी। लेकिन लेखन-कार्य से मुझे वरी किया जाय।” प्रत्युत्तर स्वरूप गांधी जी बोले, “लेखन विषयक आपकी योग्यता के सबंध में निर्णय करना, पत्र के संपादक के नाते, मेरा काम है, न कि आपका; और इसी से हमारे पत्र में लिखने के लिए मैं आपको बुला रहा हूँ। प्रत्येक लेख के अंत में उसके लेखक का नाम प्रकाशित करने की हमारी प्रथा रही है। अब यदि आपका लेख रद्दी रहा तो पाठक कहेंगे कि महात्मा गांधी के पत्र में कूड़ा-ककर्कट भरा रहता है। किंतु यदि आपने प्रशसायोग्य कोई चीज दी तो उसका सारा श्रेय गांधी जी के पत्र में लिखनेवाले इस कुमारप्पा को ही मिलेगा।” यह युक्तियुक्त अनुरोध अब किसी भी प्रकार टाला नहीं जा सकता था। अतः मैंने गांधी जी से यह वादा किया कि उनकी गिरफ्तारी की खबर मिलने के बाद मैं उनके पत्र के लिए कुछ लेख भेज दूँगा। (यहाँ यह बता देना अनुचित न होगा कि महादेव भाई गांधी जी से पहले ही गिरफ्तार हुए, और वाद में जब गांधी जी भी गिरफ्तार कर लिये गये तब मुझे ‘यंग इंडिया’ के लिए न सिर्फ़ लेख देने का अपितु उसके संपादन का भी भार उठाना पड़ा।) अस्तु; यह घटना किसी को भी कायल करने की गांधी जी की निपुणता की निशानी है।

३. वर्तन-सफ़ाई

गांधी जी की परिहास-वृत्ति उनके निकटवर्तियों को उत्तेजित होने से बहुधा बचा लेती है। सकट का आभास पाते ही वे हसी-मजाक की बात छेड़कर भावी सकट एवं उसके कारण पैदा होनेवाले सघर्ष को भी सफ़ाई से टाल देते हैं।

अखिल भारत ग्राम-उद्योग सघ स्थापित होने पर उसका मार्गदर्शन करने के हेतु गांधी जी भगनवाड़ी आकर हमारे साथ टहरे। उस समय हमारा एक नियम यह था कि हममें से हरेक प्रति दिन के कार्य में भाग ले। रसोई-घर के पालिस लगे हुए और मंले बड़े बड़े वर्तन भोजना डमी में गुमार था। सो एक दिन यह काम गांधी जी के हिस्से आया। मैं उनका साक्षीदार था। हम दोनों कुएँ के पास बैठकर रात और गीली मिट्टी का मिश्रण नारियल की जटाओं से वर्तना पर रगड़कर उन पर लगी हुई पालिस छुड़ाने लगे।

हठात्, कस्तूरवा गांधी वहा आ पहुँची। वे यह दृश्य, अर्थात् इतना बड़ा महात्मा अपने हाथ कोहनियो तक कीचड़ में भर कर बर्तन रगड़े, सह न सकी। कुछ मिनट तो वे यह सब चुपचाप देखती रही, और फिर अपनी बोली में एकदम से बरस पड़ी। गांधी जी से वे कहने लगी कि इस किस्म का काम उनकी जैसी योग्यता के पुरप को शोभा नहीं देता, उन्हें तो इससे अधिक अच्छे काम में लग जाना चाहिये। गुस्से में उन्होंने गांधी जी को फरमाया कि वे वहा से उठकर चले जाय, और अपना यह काम दूसरो के लिए छोड़ दे। और बड़े तपाक के साथ उनके हाथ से डेगची छीनकर उन्होंने अपने शब्दो को कृति का रूप दे डाला। यह सारा काम जिस पुरती से उन्होंने पूरा किया वह देखकर गांधी जी दग रह गये। एक हाथ में नारियल की जटाये लिये और दूसरे में मिट्टी लगी हुई हालत में वे मेरी ओर मुँह फाड़ कर देखने लगे। फिर हँस कर बोले, “कृमारणा, तुम सुखी जीव हो। तुम्हारी धर्मपत्नी नहीं है जो कि तुम्हें अपने हुक्म का ताबेदार बना दे। किंतु मुझे तो घर में शांति बनाये रखने के लिए अपनी पत्नी का कहा भानना ही पड़ेगा। सो अगर मैं बर्तन माजने के काम में इन्ही को तुम्हारा साझी बनाकर चला जाऊ तो मुझे माफ करना।”

४. विनयशीलता और अनुशासन

मनुष्य की महानता दूसरो के जीवन को आत्मवश करने की शक्ति पर निर्भर नहीं है, हालाँकि अपनी महानता के परिणाम-स्वरूप ही ऐसी शक्ति उसे प्राप्त हो सकती है। किंतु स्वेच्छा से धारण की हुई विनयशीलता और आत्मानुशासन वास्तविक महत्ता का उगमस्थान है। अतत यही महत्ता मनुष्य को ऐसी शक्ति देती है कि जिसके बल पर वह लोगो को अपने वशवर्ती कर सकता है। गांधी जी का सारा जीवन ऐसी घटनाओ से भरा पडा है कि जिनसे स्वेच्छापूर्वक धारण की हुई उनकी महान् विनयता और कठोर आत्म-निग्रह व्यक्त होता है।

१९३४ ई० के बिहार-भूषण के बाद, जब वहाँ सहायता-कार्य प्रारंभ किया गया तब, ‘बिहार सेट्रल रिलीफ कमेटी’ के आर्थिक सलाहकार के नाते मैं काम करता रहा। उपरांत बिहार का दौरा करने के हेतु गांधी जी भी पटना पहुँच गये। अपव्यय की प्रवृत्ति पर प्रतिबन्ध लगाने एवं स्वयंसेवक-दल पर

अधिक खर्च न होने देने के उद्देश्य से मैंने यह नियम बना रखा था कि प्रति दिन प्रति स्वयंसेवक तीन आने से अधिक भोजन-व्यय न होना चाहिये। खुद मैं इसी नियम के अनुसार स्वयंसेवको के शिविर में भोजन करता था। किंतु जब गांधी जी अपने दलबल सहित पधारे तब जरा दिक्कत मालूम हुई। क्योंकि गांधी जी के लिए दूध, फल आदि आहार और उनके साथियों के लिए खजूर, सूखा मेवा आदि चीजों का, जो कि साधारणतया सुख-सामग्री में शुमार होती हैं, प्रवध करना, स्वयंसेवको के दैनिक भोजन-व्यय का जो प्रवध किया गया था उसके हिसाब से, बहुत अधिक महंगा पड़ता। अतः मैंने महादेव भाई से कह दिया कि गांधी जी तथा उनके साथियों को खिलाने के लिए मैं तैयार नहीं। ऐसी ही बात मोटर के उपयोग के सबध में थी। रिलीफ कमेटी के काम से मोटर का उपयोग करनेवालों के लिए मैंने एक रजिस्टर बना रखा था, जिसमें मोटर द्वारा किसने, किस समय, कितने मील की और किसकी पूर्वस्वीकृति से यात्रा की, ये बातें दर्ज रहती थी। इसके कारण स्वाभाविक रूप से लोगो में असंतोष फैल गया। गांधी जी के पटना पधारते ही मैंने महादेव भाई से सलाह के तौर पर कह दिया कि वे अपने लिए पेट्रोल का पवध खुद ही करें, और मैंने उनके भोजन और सफर-खर्च का विल मजूर करने से इन्कार किया। गांधी जी को यह बात मालूम होते ही वे झुझला गये। मुझे बुलाकर बोले, "सहायता-कार्य में योग देने के लिए ही मैंने पटना तक की यात्रा की है। पटना आने में मेरा एकमात्र उद्देश्य यही रहा है। अतः मेरा मार्गव्यय आप रिलीफ कमेटी के खाते क्यों नहीं डालते यह बात समझ में नहीं आती।" मैंने उन्हें अपनी नाजूक परिस्थिति से अवगत कराते हुए कहा कि हजारा स्वयंसेवको के खर्च पर मुझे नियंत्रण रखना पड़ रहा है। क्योंकि प्रति दिन एक आना भी अधिक खर्च होने से कमेटी को अपने कार्यकाल में ही लाखों रुपयो का घाटा उठाना पड़ेगा। और इसी लिए मैंने गांधी जी को सुझाया कि वे अपना खर्च आप वर्दाश्त कर, ताकि उन्हें स्वयंसेवको की भांति कठोर जीवन बिताना न पड़े और मोटर के इस्तेमाल पर भी इससे गैर लग सकेंगी। गांधी जी मेरी बात से सहमत हो गये, और उन्होंने महादेव भाई से यह रखा कि अपने खर्च के लिए एक पाई भी 'विहार रिलीफ फंड' से न ली जाय। रिलीफ कमेटी के कार्य-संचालनार्थ बनाये गये नियमों का पालन

करने के लिए वे खुशी खुशी तैयार हुए, हालांकि अगर चाहते तो कमेटी के काम निमित्त स्वत द्वारा व्यय हुई रकम वसूल करने का उन्हें पूरा हक था। नियमपालन की यह वृत्ति उसी व्यक्ति में संभव है जो कि समझदारी के साथ परिस्थिति एवं संबंधित क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की कठिनाइयों का स्थाल कर अति विनम्र बन सके।

इसी भाति १९४७ ई० में कांग्रेस-कार्यकारिणी की सदस्यता स्वीकार करने के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा मै निमित्त किया जाने पर गांधी जी ने इस आशय का पत्र भेज कर, कि नये उत्तरदायित्व में मुझे सलग्न देख कर स्वत को प्रसन्नता ही होगी, एक प्रकार से उक्त सदस्यत्व स्वीकार करने के लिए अपनी सम्मति प्रदान की। अखबारों में प्रकाशित इस विषयक खबर के आधार पर ही यह पत्र उन्होंने लिखा था। इसके जवाब में मैंने उन्हें तुरंत सूचित किया कि अ० भा० ग्राम-उद्योग सघ ने, जिसका कि मैं मंत्री हूँ, एक नियम यह बना रखा है कि कोई भी सघ-सदस्य राजनीति में भाग न ले सकेगा, और अगर लेना चाहे तो सघ से स्तीफा दे। मैंने उन्हें यह भी लिखा कि अपने जीवन का प्रधान कार्य ग्रामोद्योग-सघ के साथ जुड़ा हुआ है, किंतु कांग्रेस-कार्यकारिणी में शामिल होने पर सघ से संबंध-विच्छेद कर लेना पड़ेगा। सघ के नियम की ओर अपना ध्यान आकर्षित करने के उपलक्ष्य में मुझे धन्यवाद देते हुए गांधी जी ने लिखा कि वे स्वयं सघ के सभापति रह चुकने पर भी नियम की यह बात बिल्कूल भूल गये थे। उनका यह भी कहना रहा कि उक्त नियम सर्वथा उचित है, और हर हालत में उसका पालन किया जाय। अतः इस अतिरिक्त काम से मुझे भारभूत न करने की राष्ट्रपति को सलाह देने का खुद उन्होंने ही जिम्मा लिया।

यहां पुनः हमें उनकी महानता के दर्शन होते हैं। बोले कि निश्चय ही उक्त प्रस्ताव विलोभनीय था, किंतु अन्यान्य क्षेत्रों में अपनी आवश्यकता होने पर भी उसका लोभ सवरण कर राष्ट्र की अभ्युन्नति के हेतु अगीकृत कार्य में ही हमें मग्न रहना चाहिये।

५. सहयोग और सत्याग्रही

१९३८ ई० में तत्कालीन राष्ट्रपति नेताजी सुभाषचंद्र बोस द्वारा ५० जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेशनल प्लैनिंग कमेटी बनाई जाने-

पर उसका सदस्य बनने के लिए मुझसे कहा गया। ववई में आयोजित कमेटी की बैठक में भाग लेने के लिए पं० नेहरू ने मुझे निमन्त्रित किया। किन्तु कमेटी के सदस्यों की नामावली देखने के बाद उसके कार्य के सुपरिणामों के सबध में मुझे सदेह हुआ। क्योंकि हर श्रेणी के किन्तु वेमेल लोगों का वह गुट था। बड़े बड़े उद्योगपति, विज्ञ अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक, ससार-प्रसिद्ध महानुभाव, पूजीपति आदि सभी तो उसमें शामिल थे। विभिन्न विचारधारा के लोगों के इस गुट से कार्यसिद्धि की कोई आशा दिखाई न देने के कारण उसमें सम्मिलित होकर निरर्थक और अतहीन वादविवाद में अपना समय नष्ट करना मुझे उचित नहीं लगा। इस पर पंडित जी ने तार द्वारा गांधी जी से अनुरोध किया कि वे अपने प्रभाव का उपयोग कर मुझे ववई भेज दें। इस सबध में परामर्श करने के लिए गांधी जी ने मुझे बुला भेजा। स्वतः से भिन्न हितमवध रखनेवाले लोगों से मायापञ्ची करने में अपना वक्त बर्बाद होगा ऐसा मुझे क्यों लगता है इसका मैंने खलासा किया। गांधी जी ने कहा कि इस प्रकार अपने साथियों के सबध में पहले से कोई धारणा बना लेना सत्याग्रह के सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत है। बोले, “पूरी की पूरी कमेटी को ही आप अपनी नीति के कायल न बना सकेंगे ऐसा क्यों सोचते हैं? इससे आप में आत्मविश्वास की कमी प्रकट होती है। और मालूम होता है कि अपने साथियों के प्रति भी आपको इतना विश्वास नहीं है कि वे खुले दिल से आपकी बात सुन लेंगे।” मैंने जवाब दिया, “आपका कहना बिल्कूल दुष्ट ही सकता है, किन्तु कव्तर की भग्नि हम भोलेभाले होने पर भी हमें साप की नाई चालाक बनना ही पड़ेगा। और दीवाल से सर टकराने से लाभ ही क्या? कमेटी के सदस्यों की नामावली देखते ही मैं ताड गया कि उसमें शरीक होने से बेकार की मगजपञ्ची के सिवा कुछ भी हाथ न लगेगा।” प्रत्युत्तर में गांधी जी ने कहा, “एक सत्याग्रही के लिए ऐसा दृष्टिकोण शोभ नहीं देता। अपने विरोधी को आप पूरा अवसर दे, और कमेटी पर अपना बना रहना व्यर्थ है ऐसा महसूस होने लगते ही उससे कभी भी त्याग-पत्र देने के लिए आप स्वतंत्र हैं। सचार्ड के साथ अपना काम अदा करने के वाद आप कर्तव्य मुक्त होते हैं, और सिर्फ तभी अपना वक्त बर्बाद न कर कमेटी से स्तीफा देकर अलग होना आप का फर्ज होता है। इस बीच जो वक्त आप अपने को और अपने सहयोगियों को सतुष्ट करने में लगायेंगे वह जाया न जायगा। इससे आपका विकास होगा, आपका दृष्टिकोण विशाल बनेगा।

अतः आपसे मेरी यही सलाह है कि उक्त कमेटी की बैठको में आप तब तक भाग लेते रहे जब तक कि ऐसा करना आपको बेकार नहीं लगता। इसके बाद शुद्ध चित्त से त्यागपत्र देकर आप चले आये।" इसी सलाह के कारण नेशनल प्लैनिंग कमेटी में शामिल होकर लगभग तीन महीने में उसमें काम करता रहा। आखिर जब देखा कि कमेटी के सदस्य ऐसी बहस में बहक रहे हैं, जिससे कि देश का कोई लाभ नहीं हो सकता, तब मैं उससे त्यागपत्र देकर चला आया।

इससे यही प्रकट होता है कि सत्याग्रही किसी को भी अपना सहयोग प्रदान करने के सबंध में सीमा न बाध रखे, और सत्याग्रही-जीवन विताने की इच्छा हो तो किसी के सबंध में पहले से ही कोई धारणा भी न बना ले।

६. चिकित्सक .

गांधी जी की विविध प्रवृत्तियों के अतर्गत प्रायः सभी समाजोपयोगी कार्य आ जाते हैं, और इनमें से प्रत्येक कार्यक्षेत्र में उन्होंने बहुमूल्य योग प्रदान किया है। जहां तक डाक्टरी का सवाल है वे अपने आपको कु-चिकित्सक ही मानते हैं, हालांकि पेशावर डाक्टर कु-चिकित्सक हैं या गांधी जी, इसका निर्णय होना अभी बाकी है। अपने सामने आनेवाले किसी भी रोगी के बारे में वे अपनी सूक्ष्म और विवेकशील बुद्धि से काम लेकर वैज्ञानिक चिकित्सा-प्रणाली काम में लानेवालों को अक्सर आश्चर्य में डाल देते हैं।

स्वयं मुझे ही रक्तचाप की शिकायत होने का जब कुछ वर्ष पूर्व पता चला तब उसका निदान कराना जरूरी हो गया। तब डाक्टरों से स्वास्थ्य-परीक्षा कराने के निमित्त मैं बवाई लाया गया। भली भांति परीक्षा की गई, यहां तक कि तीन-चार दिन मैं सर्वथा डाक्टरों का ही दया-पान बना रहा। आखिर उन्होंने अपनी राय देते हुए कहा कि मेरी शारीरिक प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं है, अतः रक्तचाप की शिकायत का कारण केवल कमजोरी ही हो सकता है।

यह रिपोर्ट लेकर मैं गांधी जी के पास लौट आया। वे अद्वितीय मेरी कमजोरी का कारण खोजने में लग गये। बोले, "हमें इस कमजोरी का कारण खोजना ही पड़ेगा। अन्यथा, न तो हम इसका उचित इलाज कर सकेंगे, और न इसे जड़ से दूर ही कर पायेंगे।" उनके विचार से शारीरिक क्षीणता या

मानसिक थकान ही मेरी उक्त शिकायत का कारण हो सकती थी। अतः उन्होंने मेरी शारीरिक और मानसिक हलचलो द्वारा ही इसका पता लगाने का निश्चय किया।

उस वक्त लाहौर के किर्नर्ड कालेज की एक अध्यापिका कतिपय समस्याओं पर चर्चा करने के हेतु वहाँ पधारी हुई थी। उनमें से कुछ प्रश्नों पर मेरे साथ चर्चा करने के लिए गांधी जी ने उन्हें भेज दिया, और डा० सुशीला नय्यर से कह रक्खा कि चर्चा के पहले एव बाद, मेरे खून के दौरे की जांच करे। चर्चा के लिए पंद्रह मिनट का समय निर्धारित किया गया। जांच का फल देखने से ज्ञात हुआ कि चर्चा के बाद मेरा रक्तचाप १५ डिगरी बढ़ गया था।

दूसरे दिन गांधी जी ने आश्रम की उद्योगशाला के प्रबंधक को बुलाकर लकड़ी के तख्ते पर उनसे एक लकीर खिचवाई, और बोले कि वह ठीक उस लकीर पर ही मुझसे आरी चलावे। साथ ही आरी चलाने से पहले, और बाद में भी, मेरे रक्तचाप की जांच कराने का उन्होंने आदेश दिया। फलस्वरूप मेरे खून का दबाव २० डिगरी बढ़ा हुआ नजर आया।

तीसरे दिन एक व्यायाम-शिक्षक को मेने साथ फर्लागभर दौड़ लगाने के लिए उन्होंने कहा। अबकी बार रक्त-चाप के साथ ही नाडी-परीक्षा की भी व्यवस्था की गई थी। मालूम हुआ कि दौड़ के बाद खून का दबाव १५ डिगरी उतर गया था, और नाड भी प्रायः साधारण गति से ही चलती रही।

उक्त तीनों परीक्षाओं के आधार पर गांधी जी को इस बात का निश्चय हो चुका कि लगातार मानसिक परिश्रम करने के कारण ही मुझे रक्तचाप की शिकायत हो गई है, शारीरिक क्षीणता का उससे कतई संबंध नहीं। साथ ही उन्हें उसके उपचार का भी उपाय सूझा। मुझसे वे बोले, “आयदा कभी भी खून का दबाव बढ़ने पर आप घूमने चले जाय। और मस्तिष्क पर ज्यादा तनाव न पड़े इस हेतु लगातार बड़ी देर तक काम करने की आदत छोड़ कर काम के बीच थोड़ा आराम कर लिया कर। सुबह के समय ११ या १२ बजे तक ही काम करना, और दोपहर बाद पुनः काम में जुट जाने से पहले दो घंटे आराम में वितावे। इसी अनुसार भोजन का समय भी बदल देना चाहिये, ताकि पचन-प्रिया और मस्तिष्क का कार्य एक ही साथ गुरु न हो। इस तरीके में आप रक्तचाप की अपनी शिकायत पर बहुत कुछ काबू पा सकते हैं।”

रोग का निदान, और उसके निवारण-स्वरूप बताई गई गांधी जी की उपरोक्त विधि शास्त्रोक्त मालूम होने के कारण मैंने उसी का अवलंब किया। गत सात वर्षों से बड़ी सावधानी के साथ मैं इसका पालन कर रहा हूँ, और आकस्मिक अडचनो की वजह से उसमें कभी कभी खड पड़ने पर भी परिणाम सतोपप्रद रहा है।

इसी भाति दूसरी कई बीमारियों को दूर करने के लिए गांधी जी जो उपचार बताते हैं वे सरल और गुणकारी हैं। उनकी राय में प्रकृति के नियम तोड़नेवाला व्यक्ति ही बीमारी का शिकार बनता है, और इसी लिए वे बीमार के अव्यवस्थित जीवन को प्रकृति के नियम-मार्ग पर लौटा लाने की चेष्टा करते हैं। हरेक चिकित्सक का यही उद्देश्य होना चाहिये।

७ कृपासिंधु

चद साल पहले जब गांधी जी मगनवाडी आकर ठहरे थे तब एक दिन १७ या १८ वर्ष की उम्र का एक युवक उनके पास आया। वह कप-रोग से पीडित था, याने अपने हाथ-पाव कापने लगने पर उस कपकपी को रोकना उसके बश के बाहर की बात हो जाती थी। उसने गांधी जी से कहा कि अपनी जिदगी उसके लिए भाररूप हो रही है, और वह किसी के भी काम नहीं आ सकता; और विनय की कि वे उसे अपने साथ रहने दे। उत्तर में गांधी जी बोले कि वे हर अपाहिज को आश्रय देने की स्थिति में नहीं हैं, अतः उसे अन्यत्र आसरा खोजना चाहिये। किंतु युवक अपनी बात पर अडा रहा और किसी भी हालत में वहा से हटने का नाम न लेता था। सुबह से शाम तक वह पास के मकान की सीढियों पर बैठा रहा। शाम के वक्त गांधी जी को उनके किसी अनुचर ने इसकी खबर दी, और सुझाया कि उसे निकाल बाहर किया जाय। इतना सुनना था कि गांधी जी बोल उठे, "यदि मैं उसे निकाल बाहर करू तो आखिर वह किसके पास जायगा? रहने दो बेचारे को, मैं सोचकर उसके उपयुक्त कोई काम बता दूंगा।"

फलतः उक्त युवक आश्रम में ही रह गया, और गांधी जी ने उसे ऐसा काम सीपा कि जो करने में उसके कप-पीडित हाथपाव के कारण किसी भी प्रकार बाधा पहुँच न सकती थी। धुनाई-बताई करना उसके लिए सभव ही

न या; अतः सञ्जिया आदि घोकर रसोईघर के कार्यकर्ताओं की यथासभव सहायता करने का काम उसे सौंपा गया। इच्छाशक्ति के कारण यह युवक अपने अपग अवयवों को कुछ अशोक्त आत्मवश करने में समर्थ हुआ। वास्तव में साग-सञ्जिया घोंने का काम भी शुरू में उसके लिए भारी था, किंतु कुछ ही दिन के भीतर वह हाथ में चाकू पकड़कर सञ्जिया काटने लगा। धीरे धीरे थोड़े ही महीनों में वह लगभग स्वस्थ हो कर शास्त्राध्ययन के लिए अमेरिका चला गया।

अपने सर्वव्यापी प्रेम के बल पर गांधी जी किसी भी व्यक्ति के भीतर के गुणों को प्रकाश में लाकर उनका अधिकतम उपयोग कर लेते हैं। उक्त नवयुवक में अपनी नसों को वश में रखने की इच्छाशक्ति पैदा करने में वे इसी तरह समर्थ हुए। और स्मरण रहे कि सहानुभूति एव सौजन्यपूर्ण व्यवहार द्वारा ही यह सब संपन्न किया गया।

८. जैसा कि मैं हूँ

अपने पास आने वाले किसी भी व्यक्ति को स्वतः के विचारानुसार ढालने की कोशिश न कर, उसके स्वाभाविक रूप में ही ग्रहण करने की गांधी जी की वृत्ति उन्हें महान् बनानेवाले गुणों में से एक है। उनका अपना विश्वास है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने ही ढंग से विकसित होने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिये। इसी कारण विभिन्न वृत्तियों के भिन्न भिन्न स्त्री-पुरुष इस महात्मा के इर्दगिर्द इकट्ठा हुए हैं। उनके आसपास आप राजेद्र वावूओं और सरदारों, सरोजिनियों और मीराओं, विडलाओं और विनोबाओं, तथा राजाजीयों और भनसालियों को देख सकेंगे। “जो हमारे विरुद्ध नहीं है वह हमारे साथ ही है” इस सिद्धांत के अनुसार वे हरेक के भीतर के उत्तम गुणों का अधिक से अधिक उपयोग कर लेते हैं। ‘यंग इंडिया’ के अपने संपादन-काल में एक ऐसे अति उत्साही व्यक्ति ने, जो कि काया-वाचा-भनसा शीघ्रातिशीघ्र अहिंसा की प्राप्ति करना चाहता था, आलोच्य विषयों की भेगी भाषा बड़ी ही तीखी होने की सिखायत करते हुए गांधी जी के सामने यह सुझाव रखता कि वे इसे ज़रा सौम्य बना दें। इस पर गांधी जी ने हँसकर जवाब दिया, “भाई कुमारप्पा दक्षिणी हैं। अतः यदि उनके स्वभाव में लाल मिर्च मिली रहे तो यह आप को वर्दान्त करनी ही चाहिये।”

९. अध्यवसायशील प्रयोगी

कोई भी वैज्ञानिक गांधी जी से बढकर ज्ञानपिपासु हो नहीं सकता । अपने पास उपकरणों से सजी-सजाई प्रयोगशाला न होने पर भी वे नित नये नये प्रयोग करते ही रहते हैं । नई बातों की खोज की इच्छा से ही वे अपने आहार में समय समय पर हेरफेर करते हैं । मगनवाडी में नीम के पेड़ों की कोई कमी तो है ही नहीं । सो स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव को अजमाने के हेतु वे प्रति दिन १० तोला नीम की पिसी हुई पत्तियां सेवन करने लगे । एक दिन दोपहर के भोजन के समय गांधी जी की दाईं ओर मैं, और बाईं ओर सरदार वल्लभभाई विराज गये । सदा की भांति गांधी जी नीम की चटनी चट कर रहे थे कि उन्होंने उसमें से चम्मचभर मेरी थाली में परोस दी । वापू का यह वात्सल्य-प्रेम सरदारजी देख रहे थे । वे मेरी ओर ताककर आख मिचकाते हुए बोले, "देखिये कुमारप्पा, वापू ने शुरूआत तो बकरी के दूध-सेवन से की, और अब उसी के आहार पर नौबत आ पहुँची है । "

कलकत्ता,

२४-१२-१९४७

गांधीजी : १९२६-३९ ई.

म्यूरीपल लेस्टर

प्रथम विश्वयुद्ध के शीघ्र ही बाद रोमा रोला की लिखी हुई एक पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद मेरे हाथ लगा । उक्त पुस्तक में रोला ने अपनी अद्वितीय भाषाशैली द्वारा एम. के. गांधी नामक एक भारतीय के चरित्र, सिद्धांत और कार्यों का वर्णन किया था । उस वक्त तक सर्वसाधारण अंग्रेजों के लिए उनकी हस्ती लगभग अज्ञात ही थी । मेरे लिए तो यह पुस्तक युगांतरकारी ही सिद्ध हुई । इज्जिल के किसी भी प्रेमी पाठक के लिए उनके जीवन-सिद्धांत सुपरिचित मालूम होते; किंतु महा तो एक ऐसा व्यक्ति अवतरित हुआ था जो कि इन महान् सिद्धांतों को स्वतः के दैनंदिन जीवन में उतारने के साथ ही अपने देशवासियों को भी उनकी राष्ट्रीय आकांक्षाओं के आधार-

स्वरूप इन सनातन सत्यो को ग्रहण करने के लिए पुकार पुकार कर कह रहा था। मानव के प्रति ईश्वर की कृपा, मानव के लिए ईश्वरी आधार, भगवत्भजन, अपार क्षमाशीलता, मनोवैर्य, शरीरश्रम, स्वार्थत्याग, एव ईश्वरी साक्षात्कार के लिए अनुष्ठान की आवश्यकता ये ही वे सनातन सत्य हैं।

कुछ वर्ष बाद, याने १९२६ ई० म, भारत पहुंचते ही अपनी प्रतीक्षा करता हुआ उनका एक पत्र मुझे मिला। लिखा था कि मैं उसी दिन शाम को रेल द्वारा बवई से अट्मदाबाद, और दूसरे दिन सुबह वहा से मोटर द्वारा सावरमती पहुंच जाऊ। वैसे भारत की हर चीज मुझे अनोखी दिखाई दी। किंतु दूधसी सफेद धोतिया पहने हुए लोगो की भीड़ से भरी सड़के और गलिया किसी विशेष अवसर की सूचना दे रही थी। ये बहुत सारे लोग मेरी ही दिशा में बढ़ रहे थे। वहा पहुंचने पर मालूम हुआ कि आज गांधी जी की सत्तावनवी बरसगाठ है। दो सौ चखें गांधी जी के चखें के साथ एकतान होकर घूम रहे थे। सैकड़ो दर्शक उपस्थित थे। घटो ब्यान्यान और वार्तालाप का कार्यक्रम चलता रहा। एक नाटक का कुछ अंश भी खेला गया। यहा मैंने पलथी मारकर बैठने का खासा अभ्यास किया। हम लोग जमीनपर बिछाई हुई लबी चटाइयो पर बैठे, और अपनी कमर पर खजूर, काजू, और किसमिस वगैरह सूखे मेवा से भरी टोकरिया ली हुई लावण्ययुक्त देवियो नें हम लोगो की कतारो में घूम घूम कर ये चीजे नाश्ते के लिए हमे परोसा।

लोगो के चले जाने के बाद आश्रमवासियो ने सम्मिलित प्रार्थना की। पश्चात् अपना चौबीस घटे का मौनव्रत प्रारंभ करने से पहले गांधी जी जे दिन भर के कार्यों की विवेचना की। किसी ने मेरे लिए इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। गांधी जी ने साररूप में यही कहा. "मच आदि बनाने के लिए मित्रो से मगनी लाया हुआ सामान अपना काम हो जाने के बाद समय पर लौटाने की बात जब लोग भूल जाते हैं तब वे सामाजिक अपराध के भागी होते हैं।... मनोरजन का कार्यक्रम मजे का रहा, किंतु चर्सा-प्रतियोगिता विशेष रूप से अच्छी रही। यह विधायक प्रवृत्ति थी। भारत की गरीबी का कभी भी विस्मरण होने न देना चाहिये। और न ही अपने अहिंसात्मक युद्ध को, जो आज भी जारी है, हम इतनी जल्द भूल जाय।... इस दृष्टि से मनाबिनाद का कार्यक्रम कुछ अमंगलसा लगता है।"

इसके कुछ दिन बाद जब वे ईसा के 'गिरि-प्रवचन' की साप्ताहिक विवेचना के लिए गुजरात-विद्यापीठ जा रहे थे-तब मैं भी उनके सग हो ली। रास्ते में उन्होंने अपने उन अग्रज सन्मित्रों का उल्लेख किया जिनके सहवास में रहने का सौभाग्य उन्हें अपनी प्रथम विदेश-यात्रा के समय प्राप्त हुआ था। इन्हीं मित्रों ने अपने को ईसाई धर्म से परिचित कराते हुए, ईसाइयत ग्रहण करनेवाले हर व्यक्ति को देववाणी, स्वप्न या ईश्वर-साक्षात्कार में से एक न एक बात का अवश्य ही अनुभव होता है यह किस तरह बताया इसका भी उन्होंने उल्लेख किया। और बोले कि इनमें से एक भी बात इससे पहले वे जानते न थे।

एक लंबे अरसे तक मैं उन्हें समझ ही न पायी। गांधी जी विषयक मेरा यह अज्ञान जमनालाल जी बजाज के पधारने, एव अनसूया साराभाई और शकरलाल बैकर के सहवास में रहने का अवसर मुझे प्राप्त होनेपर ही दूर हुआ। शकरलाल जी बोले, "भारत की स्वाधीनता प्राप्ति की आकांक्षा से जिनकी भावनाएँ जल उठी थी, किंतु जो सिवाय हिंसात्मक तरीकों के इसे हासिल करने का दूसरा रास्ता जानते ही न थे ऐसे हम नवयुवकों की नज़र में गांधी जी का जो मूल्य है वह क्या आप जानती हैं? हममें से कुछ तो गुप्त दलों में भी भर्ती हो गये थे। मौके वे-मौके उन्हें बम का प्रयोग भी करना पड़ता था। स्वदेश की रक्षा के प्रयत्न में वे अपनी आत्मा का हनन कर रहे थे। उनका हृदय अतर्द्धसे व्याप्त था। सकट के बादल उनके सर पर सदा मड़राते रहते थे, और वे भी छल, कपट एव धोखाधड़ी के अभ्यास द्वारा इन सकटों का सामना करने के लिए हर घड़ी तैयार रहते थे। इस अवस्था में हमें सचाई और स्पष्टता, सधिनय सेवा, दरिद्र-नारायण की भक्ति, विधायक कार्य, और पारस्परिक क्षमावृत्ति के द्वारा स्वाधीनता के पथ पर अग्रसर करानेवाले गांधी जी के हम आजीवन कितने ऋणी रहेंगे इसकी आपही कल्पना कीजिये।"

एक अग्रज मैजिस्ट्रेट ने, यह देखकर कि मैं हाल ही में भारत आयी हूँ, एक रात को आयोजित दावत के अवसर पर मुझसे कहा, "क्या आप गांधी जी ने भारत के लिए जो कुछ किया है वह जानना चाहती हैं? तो मुनिये। आज से दस बरस पहले जगर अपनी सवारी के घोड़े को कोई राह चलता कुली खड़क लाप कर चमया देता तो मैं उस पर शिडकियों की बौछार कर उसे

फटकारते हुए कहता, 'अबे, हट यहा से !' और इतना सुनते ही बेचारा दुवक कर आख से ओझल हो जाता था। किंतु अब मैं पहले की भांति कुली को डाट नहीं सकता। और अगर डाटू भी, तो वह मुझसे दवेगा नहीं। बल्कि निर्भयता के साथ मेरी आख से आख मिला कर खडा हो जायगा, और शिष्ट भाव से पूछेगा, "क्यो हटू, श्रीमान् जी ?"

उसी वर्ष, याने १९२६ ई० में, गौहाटी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उक्त अधिवेशन-काल में मुझे अ-राजनीतिक, अ-हिंदू, और सर्वसाधारण लोगो की गांधी जी के प्रति जो भावना थी उसका अवलोकन करने का अवसर मिला। ये किसान-श्रेणी के लोग थे, और इनमें से कई रात की रात तीस मील का फासला तै कर यहा तक आये थे। कार्यवश अपने डेरे के बाहर-भीतर गुजरनेवाले गांधी जी का दर्शन करने के हेतु वे सब के सब उसको घेर कर खड़े हो गये। कोई मनो-विनोद नहीं, कोई बातचीत नहीं। और फिर भी ये लोग उनके दर्शनार्थ आदरयुक्त मुद्रा में खड़े ही रहे।

पाच वर्ष बाद जब गोलमेज-परिपद् के अवसर पर लंदन के वो मुहल्ले स्थित किंग्सली हॉल में दस सप्ताह तक उनका आतिथ्य करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ तब परिस्थिति बहुत कुछ बदल गई थी। अवश्य ही उनको अपने यहा ठहराने के लिए दूसरे कई लोग तैयार थे। परिपद् के प्रतिनिधियो को ठहराने के लिए सम्राट द्वारा की गई व्यवस्था हमारी व्यवस्था के सर्वथा विपरीत थी। जहा ये लोग टिकाये गये थे वहा से हाइड पार्क का दृश्य दिखाई पडता था, दर्जनों नौकर-चाकर उनकी खिदमत में उपस्थित रहते थे, और आरामदेह फर्निचर एवं सुस्वादु भोजन का भी प्रवध था। किंतु गांधी जी ने भारत से ही पत्र द्वारा यह सूचना दे रखी थी : "मैं तो वो मुहल्ले में ही ठहरना अधिक पसंद करूंगा, क्योंकि लंदन के इस ईस्ट एंड विभाग में मुझे ऐसे लोगो का सान्निध्य प्राप्त होगा जिन के लिए कि मैंने अपना जीवन अर्पित कर दिया है।"

क्याही शानदार स्वागत रहा उनका ! उनके आगमन पर किंग्सली हॉल के बाहर और भीतर हजार के करीब लोग उपस्थित थे। इस हॉल की खुली छत पर, जहा कि हम लोग सोया करते थे और जिसका आधा हिस्सा हमने उनके, एवं महादेव, मीरा, प्यारेलाल और देवदास के लिए

सुरक्षित रक्खा था, जब वे पथरीली सीढियों से होकर जाने लगे तब पास की सड़क पर के लोगो ने उनके दर्शनार्थ एक-दूसरे को पुकार कर बड़ा शोर मचा दिया ।.. उनके अनुशासनबद्ध जीवन की दिखाई पड़नेवाली छोटी से छोटी बात पर भी इन लोगो की दृष्टि गड़ी रहती थी । और वे देखते थे कि सेट जेम्स महल में, या अन्य स्थानों के प्रतिनिधियों के साथ कार्यबश रात के २॥ बजे तक का वक्त गुजार कर लौटने के बाद भी प्रातःकालीन ४ बजे की प्रार्थना के निमित्त उनके कमरे में रोशनी की गई है । किंग्सली हॉल के अडोस-पडोस के घरों में जाकर वहाँ के वच्चों के साथ वे बातचीत कर आये, पास ही के एक अस्पताल का उन्होंने निरीक्षण किया, और हमारी दावतो में भी वे शामिल हुए । वेस्ट एंड में रहने का आग्रह करनेवाले अपने किसी मित्र से एक बार वे बोले, “वो मुहल्ला छोड़कर लंदन के किसी दूसरे हिस्से में मैं एक रात भी गुजार नहीं सकता । यहाँ इंग्लैंड के लोगो के वारे में जानकारी हासिल कर असली गोलमेज-परिषद् का कार्य मैं पूरा कर रहा हूँ ।”

१९३४ ई० में अस्पृश्यता-निवारणार्थ जो देशव्यापी दौरा उन्होंने निकाला उसमें मैं भी उनके साथ रहने के कारण मुझे उनके जीवन का और एक पहलू देखने मिला । महीनो हम एक स्थान से दूसरे स्थान का दौरा करते रहे । एक ही दिन में सात-सात सामूहिक प्रार्थनाये होती थी । लंबे व्याख्यानो के बाद चर्चा इकट्ठा किया जाता था । लोग उन्हें भेंट देने के हेतु अक्सर अपने गहने उतार कर लंबी कतारों में खड़े रहते थे, फिर गांधी जी इनका नीलाम पुकारते थे, बड़ी सावधानी के साथ वे यह कार्य पूरा करते थे । प्रायः रात के समय की जानेवाली हमारी रेल-यात्रा बहुत ही थका देनेवाली होती थी । हरेक स्टेशन के प्लेटफार्म पर गांधी जी के दर्शनार्थ उपस्थित सफेद धोतीधारी और गेहूँ वर्णी भ्रमराकृतियों का समुद्र-सा नजर आता था । इनमें से कई लोग गांधी की खिड़कियों पर चढ़कर गांधी के छूट जाने के बाद भी मीलों वैसे ही लटके रहते थे । फिर भू-डोल के बाद बिहार और उत्कल की यात्रा प्रारंभ हुई । अब तक की यात्रा के कारण हममें से अधिकांश थक कर चूर हो गये थे, किंतु ऐसी बात गांधी जी की नहीं । उन या मानसिक सतुलन, अक्षय आधिदैविक शक्तियों से उनका संपर्क, किसी भी क्षण निद्राधीन होने की उनकी क्षमता आदि बातें पूर्ववत् यनी हुई थी । तब मुझे गांधी जी के निम्न शब्द, जो उन्होंने स्वित्ज़रलैंड

में रोमा रोला के यहा अतिथि रूप में रहते समय पिअरे सेरेजोल से कहे थे, याद हो आये ।

“ किसी भी नेता का स्वत पर पूर्ण अधिकार होना चाहिये । सत्ता, सम्मान या सौख्य इनमे से किसी भी बात की खुद के लिए वह कभी आकाक्षा न करे । उसे सदा ईश्वर-स्मरण बना रहे । जरा मुझे ही देखिये । मेरे पास प्रभु द्वारा प्रदत्त बातों के अलावा किसी भी प्रकार की ताकत नहीं है । दस-पद्रह साल का कोई भी लडका एक ही मुक्के में मुझे मार गिरा सकता है । वैसे मुझम कुछ भी दम नहीं है । किंतु भय और वासनाओं से मुक्त होने के कारण मुझे ईश्वरीय सामर्थ्य का अल्प ज्ञान हो पाया है । और मैं स्पष्ट ही कह देता हूँ कि यदि सारे ससार ने ईश्वर का अस्तित्व मानने से इन्कार किया तो भी मैं अकेला ही इसकी साक्षी दूंगा, क्योंकि मैं इसे एक अखड चमत्कार ही मानता हूँ । ”

इसके बाद जब मैंने उनका पुन दर्शन किया तब परिस्थिति कुछ और ही थी । १९३६ ई० की यह बात है, जब कि वे जीवन और मरण के बीच झूल रहे थे । किंतु उस समय भी परिस्थिति पर पूरी तौर से उन्हीका अधिकार रहा । और मुझे याद है कि मौत का आभास पाने पर उन्हीने महादेव को सात्वना प्रदान की थी ।

पश्चात् १९३८ और ३९ ई० के शीतकाल में सीमाप्रात म खान अब्दुल गफफार खा के सहवास में रहने, एव दक्षिण अफ्रीका के अपने पुराने साथी हरमैन केलनवेक के आगमन के कारण उनम नया जोश संचारित हुआ । ये उभय भिन्न सव कामकाज साथ-साथ करते थे, जो देखकर मुझे स्कूली बच्चों के एक जोड़े की याद आ जाती थी ।

युद्ध-काल में मुझे यह आशका होने लगी थी कि अज्ञान, घमड और लालच के विरुद्ध सतत सघर्ष करने के कारण वहाँ वे गल न जाय । किंतु दूसरे ही दिन लंदन में हमारे पास यह खबर पहुँची कि गांधी जी शतायु हानकी कामना करत हैं । हमम से बहुतों को यह शुभ शकुन ही प्रतीत हुआ । इसम इस दुखी ससार के भवितव्य के प्रति हमारा विश्वास दृढ बना ।

एक बार मैंने बापू जी को ऐसा कहत सुना - “कैवल एक शुभ विचार त प्रेरित होकर ही नहीं अपितु ईश्वर की इस इच्छा से, कि हर राष्ट्र स्वाधीन

वने, अवगत होने के कारण ही मैं भारत की आजादी के लिए लड़ रहा हूँ। अन्यथा, ये राष्ट्र सत्कार को सुखी बनाने के लिए अधिकतम योग प्रदान करने में असमर्थ रहेगे।”

१९३१ ई० में गांधी जी के स्वित्जरलैंड पधारने पर उनके और पिथरे सेरेजोल के बीच निम्न वार्तालाप हुआ था :—

सेरेजोल—“गांधी जी, आप यूरोप के बारे में क्या सोचते हैं ?”

गांधी जी—“यूरोप में मुझे महान् नेतृत्व के आसार नज़र नहीं आते।”

“ईश्वर के आप क्या माने करते हैं ?”

“सत्य ही ईश्वर है, और अहिंसा उसकी साधना का सोपान। हिमालय की ढालवा चट्टानें उन ऋषि-मुनियों और सतों की श्वेत अस्थियों से आलोकित हो रही हैं जिन्होंने कि ईश्वर के रहस्य की प्राप्ति के लिए वहाँ सदियों तक तपश्चर्या की है। उन सब की तपाराधना का सार यही है कि—‘सत्य ही ईश्वर है, और अहिंसा उसकी साधना का सोपान।’”

एक अन्य प्रसंग पर वे बोले, “ईसा ने पूर्व में परमात्मा से ग्रहण की हुई एक सास विश्व भर में फैला दी। किंतु पाश्चात्यो ने उसको स्वीकार कर उसे जो रूप दे डाला वह मेरी राय में विकृत है। और इसी वजह से मैं अपने आप को ईसाई नहीं मानता।”

एक बार स्टैनले हार्डि गांधी जी के आश्रम में पधारे, और बड़ी देर तक उनसे वार्तालाप करते रहे। चूकि वा मुझे और वापू को खाना परोसने जा रही थी इस लिए मैं बाहर के बरामदे में खड़ी होकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। स्टैनले हार्डि १९२६ ई० की चीन की उस विपन्न स्थिति के विषय में, जब कि शापाय स्थित ब्रिटिश प्रजा के रक्षार्थ अतिरिक्त सेना का संगठन करना पड़ा था, गांधी जी से राय माग रहे थे। आध घंटे तक पूछे गये प्रश्नों के अंतिम उत्तर स्वरूप गांधी जी द्वारा उच्चारित निम्न शब्द मुझे सुनाई पड़े। सदैव और शिष्ट वाणी में वे बोले, “किंतु यदि आप, ईसाई होकर, वहाँ सैन्य भेजते हैं तो इससे स्वधर्म भंग के भागी जो बनते हैं !”

लदन,

११-१-१९४६.

आक्सफर्ड में गांधी जी

लाई लिंडसे आफ वर्कर

मेरे मित्र श्री.एस. के. दत्त १९३१ ई० में आयोजित आल-इंडियन कान्फरेस के एक सदस्य थे। उन्होंने मुझे बताया कि लंदन और अन्य स्थानों के विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं से भेंट-मुलाकात करने में गांधी जी इतने अधिक व्यस्त हैं कि अपने मुख्य कार्य से संबंधित समस्याओं पर विचार करने के लिए उन्हें अवकाश ही नहीं मिलेगा ऐसी आशंका होने लगी है। उन्होंने मुझसे यह भी पूछा कि क्या मैं श्री गांधी को किसी ऐसे दो सप्ताहात में, जब कि उन पर काम का अधिक भार न हो, आक्सफर्ड पधारने का निमन्त्रण दे सकूंगा? इसमें हेतु यही था कि वे शांति-लाभ कर सकें, और इसी लिए उनके इस आगमन की खबर यथासंभव अप्रसिद्ध रखना ही तैयार हुआ था। अवश्य ही इस आयोजन से यह आशा की जाती थी कि भारत के प्रति आस्था रखनेवाले दो-तीन अंग्रेज राजनीतिज्ञों और गांधी जी के बीच द्वितीय सप्ताहात में एक औपचारिक बैठक का प्रबंध संभवतः हम कर सकेंगे, किंतु इसमें मुख्य उद्देश्य तो उन्हें शांति और आराम पहुँचाने का ही रहा। फलतः सी. एफ. एड्ग्वूड, कुमारी स्लेड, अपने सुपुत्र, एवं कुछ अन्य मित्र आदि लगभग एक दर्जन व्यक्तियों के साथ वे पधारे। गांधी जी अपने सुपुत्र, सेक्रेटरी और कुमारी स्लेड के साथ हमारे घर ठहर गये। गांधी जी को कोई सता न सके इस हेतु सरदार द्वारा भेजे गये दो भीमकाय पुलिसवालों के लिए भी हमें कमरे का प्रबंध करना पड़ा।

उक्त दोनों सप्ताहात अलग अलग ढंग से बिताये गये। प्रथम सप्ताहात गांधी जी ने आक्सफर्ड की विभिन्न सभा-संस्थाओं का निरीक्षण करने में बिताया। यही मुझे पहली ही बार हाज़िर-जवाबी गांधी जी का दर्शन हुआ। चतुर युवकों द्वारा पूछे गये अनुपयुक्त प्रश्नों का अथिलव उत्तर देने की उनकी क्षमता देखकर मैं प्रभावित रह गया।

द्वितीय सप्ताहात का कार्यक्रम पहले की अपेक्षा सर्वथा भिन्न रहा। भेंट-मुलाकातें खत्म हो जाने के कारण गांधी जी अब आराम कर सकते थे। इस

वक्त तक हम में पारस्परिक विश्वास पैदा हो गया था, और इससे हमें श्री गांधी के जीवन का दूसरा पहलू देखने मिला। उस समय के उनके जो मतव्य मुझे याद हैं वे में बहुत ही सरल ढंग से निवेदन करूंगा। एक शनिवार को सुबह के वक्त वे हमारे यहाँ आये। उक्त शनिवार की पिछली रात को यूनिवर्सिटी कालेज के सत्कालीन प्रधान सर माइकेल सैंडलर ने मुझे तथा मेरे दर्शनशास्त्री-साथियों से कहा कि गांधी जी के साथ ठहरे हुए प० मालवीय से हम मिल लें। पंडित जी ने दर्शनशास्त्र पर थोड़ी देर बातचीत करने के बाद अपनी एक योजना हमें बताई। इसमें वे खुद गहरी रुचि तो रखते ही थे, साथ ही हमसे भी इसके लिए सहयोग की आशा करते थे। पूछने लगे कि क्या ससार भर के चुनिंदा दार्शनिकों और वैज्ञानिकों की एक परिषद् आयोजित करने में हम अपना सहयोग दे सकेंगे? फिर बोले, “इन महारथियों के एकत्रित होने पर हम उनसे दो सरल किंतु गूढ़ प्रश्नों के अधिकार पूर्ण उत्तर प्राप्त कर सकेंगे। इनमें से पहला प्रश्न होगा—‘क्या ईश्वर का अस्तित्व है?’ और दूसरा—‘उसकी क्या इच्छा है?’ इन दो प्रश्नों के अधिकार पूर्ण उत्तर मिल जाने पर हम अपने तमाम भेदभावों, द्वेष-मत्सरो और सदेहों को तिलाजली दे कर समान भूमिकापर ईश्वर की इच्छानुसार कार्य करने में जुट जायेंगे।” बहुत ही मर्मस्पर्शी ढंग से पंडित जी बोले। उनकी योजना सबधी अपनी शकाये यथासमय मुझे प्रदर्शित करनी थी। दूसरे दिन सुबह मैंने गांधी जी से यह सारा किस्सा सुनाया, और उनसे इसका जवाब जानना चाहा। गांधी जी का उत्तर उनकी सत-सदृश्य और व्यावहारिक वृत्ति के सर्वथा अनुरूप ही रहा। वे बोले, “मेरी राय में अब्बल तो ऐसी परिषद् किसी निर्णय पर पहुँचेगी ही नहीं, और दूसरी बात यह कि अगर किसी निर्णय पर पहुँच भी गई तो मैं खुद उसका कुछ महत्व न मानूंगा, क्योंकि मेरा अपना त्रिधास है कि ईश्वर की इच्छा सर्वसाधारण अशिक्षित मनुष्य के आकलन के पर की बात हो ही नहीं सकती।”

इसके बाद पुनः उनसे मिलने आने पर मैंने देखा कि मेरे पुत्र द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तर देने में वे र्थस्त हैं। उस वक्त वेल्स परगने के एक शिक्षण-वर्ष में पढ़ानेवाले अपने इस पुत्र को बहा की एतानों में काम करनेवाले मजदूरों ने गांधी जी से कई सवाल पूछने के लिए अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था। गांधी जी के बमरे में मैंने पेर रखते ही उसे उनसे ऐसा पूछते सुना—“वे यह

भी जानने के लिए बड़े उत्सुक हैं कि आप कहा तक ईसाई हैं ?" गांधी जी ने अविलंब उत्तर दिया, "देखो, तुम्हारे पिता जी आ गये हैं, क्या वे तुम्हें यह बता सकेंगे कि वे स्वयं कहा तक ईसाई हैं ? ना, न तो वे यह बात बता सकते हैं, और न मैं ही।"

अब गांधी जी विषयक कुछ सर्वसाधारण बातें निवेदन करूंगा। इन्हीं दिनों अपने एक घनिष्ठ मित्र ने मुझसे कहा कि हम गांधी जी को राजनीतिज्ञ बनने की चेष्टा करनेवाले सत के रूप में देखने की अपेक्षा, सत घनने के लिए सचेष्ट राजनीतिज्ञ के रूप में ही देखें। फिर भी हम उभय पति-पत्नी ने उन लोगों से यही कहा कि गांधी जी का अपने घर-अतिथि के रूप में स्वागत कर हम सत-समागम अनुभव कर रहे हैं। महान् और सरल व्यक्ति की तरह उन्होंने सबके साथ एकसा सौजन्ययुक्त और सम्मानपूर्ण व्यवहार किया, चाहे वह व्यक्ति कोई प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ हो, चाहे एक अपरिचित विद्यार्थी। जिसने भी उनसे किसी विषय में जिज्ञासा प्रकट की वह उसका उचित उत्तर पा गया। एस. के. दत्त ने गांधी जी के बारे में बोलते हुए मुझसे कहा कि गांधी जी एक राजनीतिज्ञ के नाते भारत को सदा देहात के रूप में ही देखते हैं, क्योंकि देहात ही उनकी असली जानी-पहचानी जगह है। मेरी राय में उनका यह दृष्टिकोण अधिकांश सही है। और शायद इसी लिए उनके कुछ विचार, और शायद कुछ कलतिया भी, उस ग्रामीण समाज के साथ के अपने संपर्क के कारण उत्पन्न हुई हैं, जिस में कि लोग परस्पर से परिचित रहने के साथ ही आपस में विशुद्ध मानवी नाता बनाये रखते हैं। मेरे ख्याल से इसी दृष्टि में ही उनकी शक्ति अशत निहित थी, जिसकी वजह से मानवी हितसंबंध और वस्तुस्थिति विषयक उनकी जानकारी हमेशा बिल्कुल अचूक रही। ऐसे समयमें, जब कि अन्यान्य राजनीतिज्ञ युक्ति-प्रयुक्तियां, जन-मत, देश की स्थिति सबधी आंकिक विवरण आदि बातों में मशगूल थे, गांधी जी ने उपरोक्त सरल मार्ग का अवलंब कर मूलभूत बातों से अधिक निकट संपर्क स्थापित किया। वे स्पष्ट ही स्वीकार करते थे कि आज की अपेक्षा स्वराज्य में देश अधिक अच्छी तरह शासित होगा इस मिथ्या कल्पना पर भारतीय स्वाधीनता सबधी अपना दावा कतई आधारित नहीं है। वस्तु यह तो बोले, "हमें अभी बहुत कुछ सीखना है, और राजकाज की बात रात की रात में सीखी नहीं जा सकती। किन्तु यदि आप अत्रेज लोग ही

हमें ग़लतियाँ करने एवं उनके फल भोगने से रोकते रहे तो हम कभी कुछ सीख ही न पायेंगे।" सुनकर मुझे ऐसा लगा कि भारत विषयक उनके विचार किसी भी ब्रिटिश या भारतीय राजनीतिज्ञ की अपेक्षा अधिक वास्तविक हैं।

शांति-स्थापना सबधी उनके मतों की हमने काफी चर्चा की। तब उनके बारे में मेरी जो राय बनी, और जो आगे चलकर दृढ़ हुई, वह यही है कि शांति के प्रति उनकी श्रद्धा मौलिक है,—भारत विषयक आशा-आकांक्षाओं की अपेक्षा भी अधिक मौलिक है। किंतु इस विषय में उनसे सहमत न हो सका। तब गांधी जी बोले, "इसमें दोष आपका नहीं, अंग्रेज जाति का ही यह स्वभाव-दोष है कि वह अपने विरोधियों को सर-आखों पर उठा लेती है।" खैर, इन यादववादों के बावजूद उनका सहवास हमारे लिए अद्भुत रूप से अनुभवपूर्ण रहा। और अपने बीच उनकी उपस्थिति से हमें जो परमानंद मिला वह तो हम कभी भूल ही नहीं सकते।

आक्सफर्ड,

अप्रैल, १९४८

संतति-नियमन संबंधी दो संभाषण

एन्. आर. मलकानी

सावरमती में, १९२६ ई०, में गांधी जी के साथ मेरे जो दो संभाषण हुए उनका विवरण नीचे दिया जा रहा है। मेरे द्वारा तैयार किया गया यह विवरण खुद गांधी जी ने यथास्थान सुधारा है। इतने वर्ष तक यह मेरे पास ही पड़ा रहा, और आज पहली ही बार यहाँ प्रकाशित किया जा रहा है।

हेदराबाद (सिध),

१०-१०-१९४६.

एन्. आर. मलकानी

गुरुवार, २ जुलाई, १९२६

गांधी जी—सो आप ठीक नौ बजे (प्रात) आ गये।

मैं—जी, और आप अपने कमरे में नहीं हैं यह देखकर कुछ चुरा भी लाया हूँ।

गा०—मो क्या ?

मैं—आपकी मेज पर का फूल,—शायद आप के कमरे के भीतर की चुराने योग्य एकमात्र चीज ।

गा०—खैर, अब मतलब की बात करे ।

मैं—पिछली दफा आपने दो वक्तव्य दिये थे । एक तो यह कि 'सतति-नियमन के साधनों का समर्थन करनेवाले लोग ऐसा सोचते हैं कि लिग-सबध एक शरीर-धर्म है ।' और दूसरा यह कि 'सतति-नियमन के साधनों से दूर रह कर किया जानेवाला लिग-सबध उतना अनर्थकर नहीं है, जितना कि उन साधनों के प्रयोग के बाद होनेवाला सबध ।'

गा०—विल्कुल दुहस्त ।

मैं—अब मैं इस विषयक अपने विचार आपके सामने रखता हूँ । गर्भ-निरोधी साधनों का उपयोग एक प्रकार से बल-प्रयोग ही है, और ऐसा बल-प्रयोग कदापि नैतिक नहीं माना जा सकता, हालांकि उसके पीछे रहनेवाला उद्दिष्ट ही उसे नैतिक या अनैतिक बना देता है । लिग-सबध की इच्छा ऐसा ही एक उद्दिष्ट हो सकता है । किंतु इसमें सदा एकमात्र यही उद्दिष्ट रहता है ऐसी बात नहीं । इससे भी भिन्न, एक या एक से अधिक समिश्र कारण इसके पीछे हो सकते हैं । जैसे आर्थिक, स्वास्थ्यविषयक, कौटुंबिक आदि । वस्तुतः गर्भ-निरोधक साधन ऐसे शिक्षित और उच्च वर्गीय लोगों द्वारा ग्रहण किये गये हैं कि जिनके सबध में हम यह नहीं कह सकते कि इसमें लैंगिक तृप्ति ही उनका एकमात्र या प्रधान उद्देश्य है ।

गा०—यदि विषयाराधन इसका एकमात्र हेतु नहीं, तो फिर अन्यान्य कारणों की आवश्यकता ही कहा रहती है ? और आर्थिक कारण से आपका क्या तात्पर्य है ?

मैं—यही कि स्त्री और पुरुष के लिए एक निर्धारित जीवन स्तर के अनुसार मय बाल-बच्चों के अपना निर्वाह करना कठिन मालूम होता है ।

गा०—याने वे अपने आर्थिक लाभ के लिए समय से रहने की अपेक्षा स्वैराचारी होना ज्यादा पसंद करते हैं । 'स्वैराचार' के बदले चाहे तो आप 'विषयासक्त' शब्द का प्रयोग करे, किंतु अर्थ तो एक ही है, और वह यही

कि ये स्त्री-पुरुष आर्थिक, शिक्षात्मक या अन्य कारणों से समय से रहने की अपेक्षा स्वैराचारी बनना बेहतर समझते हैं ।

मै—जी, उनका यह आचरण सापेक्षता अल्प अनिष्ट होने के कारण उचित ही है ।

गा०—आप पहले मेरी बात समझ लीजिये । यदि केवल आर्थिक कारण से ही विवश होकर वे इस मार्ग का अवलंब करते हों तो फिर अन्य किसी भी बात का विचार न कर क्या एकमात्र इसी उद्देश्य से उन्हें अपना सारा व्यवहार निबटाना न चाहिये था ? और वस्तुतः आत्म-समय करने के लिए आर्थिक कारण ही पर्याप्त है । किंतु सो तो होता नहीं, इससे स्पष्ट ही है कि ये स्त्री-पुरुष विपयाराधन को एक आवश्यक शरीर-धर्म मानते हैं ।

मै—आपका कहना है तो तर्कसंगत । किंतु मेरा खुद का ही उदाहरण लीजिये । अभी मेरे बहुत कम बच्चे हैं, पर मान लें कि और हो जाय । तब तो राष्ट्रीय या अन्य किसी सार्वजनिक कार्य में भाग लेना मेरे लिए दूभर हो जायगा । इस हालत में अपना कुनवा बढ़ाते जाने की अपेक्षा सतति-प्रतिवधक साधनों का प्रयोग कर जनसेवा को अपनाया क्या मेरे लिए अधिक श्रेयकर न होगा ? आपके उपदेशानुसार चलना तो असंभव है । आपका तो यही कहना है कि उभय पति-पत्नी अपनी सारी जिंदगी में दो या तीन बार ही सभोग कर दो-तीन बच्चे ही जन्में, और फिर इससे बिल्कुल मुह मोड़ लें । यह वधन तर्कसंगत हो सकता है, किंतु है वह नितांत असंभव ।

गा०—निस्संदेह मैं तो इसे असंभव नहीं मानता । जरा उन लोगों का विचार कीजिये जिन्हें कि हम 'जगली' कहते हैं । उनके समय पर आप गौर करें । ये लोग अपने भीतर के इस गुण से भी अनभिज्ञ होते हैं । नये जमाने के लाग-लगाव से इनमें से कतिपय लोगों का भले ही पतन हुआ हो । लेकिन असली जगली आदमी विपयासक्त न होकर केवल सतानोत्पत्ति की इच्छा से ही स्त्री-प्रसंग करता है । संभव है कि पशुओं की भांति इनकी स्त्रियों को भी एवही बार के सहवास से गर्भ-धारण होती हो । किंतु गर्भ-धारण का ज्ञान के बाद ये लोग समय से रहते हैं । अब बदली हुई जीवन-वृद्धि के कारण हम भी इस प्रकार के समय-पालन को बड़ा भारी सद्गुण समझने लगे हैं । जगली लोग

अनजान में ही इस सद्गुण के भागी बनते हैं। क्या वॉलेस ने कहा भी नहीं है कि यदि जगली और सभ्य मनष्य में कोई वास्तविक अंतर ढंढा जाय तो वह जगली के अनुकूल ही रहेगा। सतति-निरोधक दुर्गुण को सद्गुण बना देते हैं। इस प्रकार स्वैराचार जब सद्गुण मान लिया जायगा तब वह मनुष्य का विनाश ही कर डालेगा।

मैं—आपका कहना तर्कसंगत है, और सपूर्ण मयम का आदर्श है भी बहुत उच्च। किंतु आखिर वह है तो कोरा आदर्श ही। मनुष्य-स्वभाव को देखते हुए ऐसे कितने आदमी मिलेंगे जो कि इस आदर्श की आकाक्षा करते हों, या इस आदर्श तक पहुँच सकते हों? और आखिर यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि सतति-प्रतिबधक साधनों के प्रयोगों के परिणाम प्रचलित स्वैराचार के परिणामों की अपेक्षा कैसे भयकर हो सकते हैं। भ्रूण-हत्या, गर्भपात, माताओं की दुर्दशा, पतिदेवताओं की निर्दयता आदि से, जो कि किस्मत के भरोसे छोड़ी हुई परिवर्द्धनशील लोकसख्या का परिणाम-मान है, आप अवगत ही हैं। अतः सतति-प्रतिबधक साधनों के प्रयोगों के परिणाम इनकी अपेक्षा अधिक भयकर होंगे ऐसा मैं तो नहीं समझता।

गा०—यहा आप धोखा खा रहे हैं। कृत्रिम साधना की भयानकता आपकी कल्पना से भी परे है। अज्ञानवश किये जानेवाले गलत कामों की अपेक्षा गलत विचार अक्सर अधिक अपायकारक होते हैं। कृष्ण अपनी स्तभन-शक्ति के कारण सैकड़ों गोपियों के साथ रतिक्रिडा कर सकते थे, और प्रत्येक स्त्री-प्रसंग के बाद भी उनकी नैतिक नैष्टिकता बनी रहती थी ऐसा सुझानेवाले लोगों की भी कोई कमी नहीं है।

मैं—जी, बापू, यूरोप में भी 'कैरेज़ा' नामक एक ऐसा सामाजिक सघ है कि जहा अत्यंत आत्मसयमी लोग विना वीर्यपात किये सम्भोग कर सकने हैं।

गा०—ठीक है, ठीक है, ऐसे कृष्ण की करतूत से मेरी तो नाक ही फट जायगी। अवश्य ही ऐसे खतरनाक आदमी में मैं घणापूर्वक अपना पिंड छुड़ा लूँगा।

मैं—किंतु क्या हम जैसे कमजोर लोगों के लिए अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार के आधार की आवश्यकता नहीं है? मैं अपनी दुर्बलता स्वीकार

करता हूँ, मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि विपयाराधन जीवन के लिए जरूरी तो है ही नहीं। किंतु कमजोर को ताकतवर बनाने में मदद तो दी जानी ही चाहिये। पर आप तो मानो ऐसे व्यक्तिविशेष का ही विचार करते हैं जो कि आप के आदर्श की आकांक्षासे प्रेरित होकर उसे प्राप्त कर सके। लेकिन उन लाखों साधारण लोगों की, जो कि इस आदर्श पर चलना तो दर-किनारा उस पर सोच भी नहीं सकते, आप क्यों उपेक्षा करते हैं? आपका चरखा-आंदोलन भी जन-साधारण की उन्नति के उद्देश्य से ही चलाया जा रहा है, न कि व्यक्ति या वर्गविशेष के लिए।

गा०—चरखा एक स्वयंसिद्ध आदर्श है। उसमें जोड़-तोड़ के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन अगर आत्मसयम का आदर्श आचरण में उतरने में लाखों वर्ष लगे तो भी मैं सन्न करूंगा। मुझ में अपार धैर्य है। दुनिया को बदलने की मुझे कोई जल्दी नहीं है। किंतु अधर्म का धर्म के रूप में किया जानेवाला प्रचार असह्य है। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि मेरा आदर्श सुसाध्य होनेपर ससार निर्जन बन जायगा। यह तो और ही अधिक अच्छा है। तब लोग इससे अधिक अच्छे विश्व में विचरेगे; निर्जनता की आशंकासे मैं आकुलित हो नहीं सकता। अच्छा, अब आप जो कुछ मुझे पढा सकते हैं पढावे।

मैं—लेकिन बापू, पढ़ाते तो आप हैं। पहले आपने ही सतति-नियमन की चर्चा छेड़ी। और इस सबध में कुछ मतप्रदर्शन भी किया, जो कि आपको सिद्ध कर देना चाहिये।

गा०—तब इसकी शुरुआत कैसे की जाय?

मैं—मेरी राय में सतति-नियमन की आवश्यकता पर हम चर्चा न करें।

गा०—ठीक।

मैं—और न तो राजनीतिक या सामाजिक दृष्टिकोण से ही इसका भूत्व-मापन करें।

गा०—बिल्कुल ठीक।

मैं—बापू, आप कहते हैं कि सतति-प्रतिबधक साधनों के प्रयोग से स्वराचार की वृत्ति बढ़ जायगी। मुझे तो इसकी कोई सभावना दिखाई नहीं देती।

गा०—तब तो मैं आप से कहूँगा कि अपने अपने दापत्य-जीवन के बारे में सलाह पूछते हुए लिखे गये सैकड़ों ही युवकों के पत्र मेरे पास नित्य आ रहे हैं। इनमें से अधिकांश युवक विषयभोग की अति के कारण उसके दुष्परिणामों के शिकार बन गये हैं, और अब किसी-न किसी प्रकार के समय का पालन करने के लिए उत्सुक हैं। अब आप कहते हैं कि परिणामों की चिन्ता किये बिना मनुष्य विषयासक्त हो सकता है, और विषयभोग प्राकृतिक एवं आवश्यक भी है। इस स्थिति में आप उन लोगों के नैतिक पुनरुद्धार की, जिनका कि स्वराचार के कारण पतन हो गया, कैसे आशा कर सकते हैं ?

मैं—बापू, ऐसे बहुत ही कम युवक मिलेंगे जो कि अति विषयभोग के पापाचार से बचे हों। किन्तु विवाह के बाद कुछ काल तक, शायद शुरू के कुछ वर्षों में, विषयासक्ति बनी रहती है। उपरांत यह प्रवृत्ति नियमित होकर, फिर तो विषयवासना की कालावधि में अंतर पड़ता जाता है। जो लोग दीर्घ काल तक इस वृत्ति के बशीभूत होकर रहते हैं वे इसका कु-परिमाणों को तब तक भोगते जाते हैं जब तक कि समय से रहना सीखते नहीं। किन्तु सतति-प्रतिबधक साधनों के प्रति मेरी आशा सर्वथा भिन्न है। और वह यही कि इन साधनों के बलपर लोग विवाह-बंधन तोड़कर भी अनियमित आचरण कर सकते हैं। पहले इस प्रकार के आचरण के परिणाम भयानक और हतोत्साहित करने वाले होते थे। हो सकता है कि अब ऐसी सभावना न रही हो। किन्तु सतति-प्रतिबधक साधनों के प्रयोग से अनैतिक विषयाचार की प्रवृत्ति को कैसे प्रोत्साहन मिलेगा यह बात मेरी समझ में नहीं आती। विषयी व्यक्ति को समय-पालन की सलाह के साथ ही सतति-प्रतिबधक साधना का प्रयोग करने का सुझाव भी तो दिया जा सकता है।

गा०—अच्छा, अब मैं यही बात दूसरे रूप में उपस्थित करूँगा। महाभारत में आपने व्यासजी की कथा तो पढ़ी ही होगी।

मैं—जी, पढ़ी तो है।

गा०—यही आदर्श हम अपने सामने रखें। अर्थात् केवल सतानोत्पत्ति की इच्छा से ही स्त्री-संग कर। यह कथा सत्य हो सकती है, या असत्य भी; किन्तु उसके पीछे जो हेतु रहा है वह पूर्णतया सत्य है। यह पृछा जा सकता है

कि क्या किसी पुरुष का किसी स्त्री के साथ बिना विषयभोग की इच्छा के सबध रखना संभव है ? किंतु व्यासजी की कथा हमारे सामने इस बात का आदर्श उपस्थित करती है कि सदा अपत्य प्राप्ति की भावना से ही स्त्री-प्रसंग किया जाय, उस में विषयानंद की लालसा का लवलेश न रहे । क्योंकि अन्य प्रत्येक प्रकार का विषयाराधन अनैतिक है । अब जो लोग इसके लिए कृत्रिम साधनों के पक्ष में अपनी राय देते हैं वे सभोग का भी तो, उसे प्राकृतिक मानकर, समर्थन कर सकते हैं । यह प्रवृत्ति समय-पालन की भावना को कमजोर बनाकर कामुकता को बढ़ावा देगी । कृपया एक बात ध्यान में रखें कि उपर जो उदाहरण मैंने दिया है उसमें उल्लिखित नियोग को नैतिक ठहराने का तो मेरा उद्देश्य है ही नहीं । नियोग मुझे नापसंद है । वैषयिक वासना से सर्वथा अलिप्त आचरण के रूप में ही मैंने व्यासजी की कथा का उल्लेख किया है ।

मैं—केवल सुयोग्य माता-पिता बनने के विचार से ही कुछ लोग सतति-प्रतिवधक साधनों की तरफदारी करते हैं । उनका ऐसा विश्वास है कि स्वराचारी वृत्ति सुयोग्य मातापिता बनने में बाधक होती है । वस्तुतः अति विषयभोग करनेवाले भली भाँति जानते हैं कि यह हानिकर है, और इसके लिए भारी दंड भोगना पड़ेगा । पर सतति-प्रतिवधक साधनों के प्रयोग से वैषयिक प्रवृत्ति को प्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहन मिलता है ऐसा तो नहीं कहा जा सकता ।

गा०—मनुष्य के सारे कार्यों पर अपने मानसिक विचारों का प्रभाव पड़ता है यह बात क्या आप जानते नहीं ? एक व्यक्ति ऐसा होता है जो कि विषय-वासना के परिणाम भोगने पड़ेगे यह जानते हुए भी उसका दास बन जाता है ; जब कि दूसरा इस प्रकार की आशकाओं से मुक्त रह कर विषयरत होता है । अवश्य ही इस दूसरे व्यक्ति का आचरण दुस्साहसपूर्ण माना जायगा । इसी भाँति एक व्यक्ति विषयभोग को निन्द्य मान सकता है, जब कि दूसरा कोई इसमें जरा भी हानि न समझकर संभवतः इसे सद्गुण के रूप में ही ग्रहण कर बैठे । मेरा खुद का ही उदाहरण लीजिये । यदि मैंने अधिक समय से काम लिया होता तो आज कम कष्ट पाता । अपनी कमजोरियों और कुकर्मों का मेरे शरीर पर बहुत बुरा असर हुआ है । यह सही है कि मैंने पुनः शीघ्र ही स्वास्थ्य-लाभ कर लिया, किंतु यह बाद के समय-पालन का परिणाम है । आप जानते ही हैं कि अपनी पिछली गलतियों के उपरिणामों से बचने के लिए मैं जल-चिकित्सा

और उसी तरह के दूसरे इलाज करता रहता हू। मैं जानता हू कि यह भी एक कमजोरी ही है, किंतु जीवित जो रहना चाहता हू। यदि शुरू से ही मैं सयमी होता तो आज अपने मे समाज-सेवा के लिए कहीं अधिक सामर्थ्य अनुभव करता।

मैं—किंतु वापू, हम ऐसे दो साधारण व्यक्तियों की तुलना कर रहे हैं कि जिनमें से एक विषयभोग के परिणामों से डरता है, जब कि दूसरा उनसे मुक्त है। आप तो आदर्श व्यक्ति की बात सोचते हैं। आपका खुद का उदाहरण भी अपवाद-स्वरूप ही है।

गा०—जी नहीं, मेरी बात भी तो साधारण व्यक्ति की तरह ही है। जो कुछ मैंने किया है वही दूसरा कोई भी व्यक्ति सयम-पालन द्वारा कर सकता है।

मैं—आप भले ही ऐसा कहे, किंतु इसमें विश्वास कौन करेगा? सर्व-साधारण व्यक्ति इस प्रकार सयम-पालन करने में असमर्थ है।

गा०—ठीक है, दूसरे दो साधारण व्यक्तियों की बात लें। एक अपनी करतूत के परिणामों से भय खाता है, जब कि दूसरा निर्भय है। परंतु भय भी तो सदा अनिष्ट ही हुआ नहीं करता। उदाहरणार्थ, धर्मभीरुता उचित ही है। धर्मभीरु व्यक्ति प्रयत्नपूर्वक अपना आचरण सुधारता है। चोरीचोरा-कांड की ही बात लीजिये। हिंसक कार्यों के परिणाम के विचार से मैं भयभीत हो उठा। मुझे एक के बाद एक दो तार मिले। इनमें से एक मेरे पुत्र का था। तत्क्षण मैंने निश्चय कर डाला। अपने इस निश्चय से देशवासियों को ठेस पहुंचेगी यह जानते हुए भी, सरकार को दी गई इतिहास-प्रसिद्ध चुनौती के, ठीक एक दिन बाद मैंने सत्याग्रह-आंदोलन भंग किया।

मैं—हा वापू, अवश्य ही इससे एकवारगी हम सब विचलित हो गये।

गा०—मैं खुद यह बात जानता हू। किंतु मुझे कहते हुए गर्व होता है कि इससे बढ़कर अपने देश की कोई सेवा मेरे द्वारा कभी हुई न होगी। इसी कारण मैं डाक्टरों से भी चोरफाड़ बढ़ कर देने के लिए कहता हू। अगर कुदरत किसी की आस या दात छीन लेती है तो छीनने द्रो, क्योंकि यही इनकी दानी भी

है। चूकि मनुष्य कुछ देता नहीं इसलिए उसे छीनने का भी हक नहीं। मैं जानता हूँ कि कुछ किताबों में आदमी के भले के लिए ही चीरफाड़ की तरफ़दारी की गई है। और अगर हमे भले-बुरे का डर न होता तो हम बराबर इस तरह के जुल्म बाते जाते। अत आभ्यतरिक भय ही श्रेयस् है।

मैं—किंतु क्या हमे मनुष्य के कष्टों को कम करने एव अज्ञानवश किये जानेवाले स्वैराचार के भयानक परिणामों को टालने की चेष्टा न करनी चाहिये? आप कहते हैं कि कृत्रिम सतति-नियमन के फलस्वरूप विपयासक्ति बढ़ेगी। किंतु क्या आज भी वह नहीं है? क्या उस सभोग की अपेक्षा, जो बुद्धिपुरस्सर किया गया हो, अबुद्धिपूर्वक किया हुआ सभोग कम हानिकर है ऐसा आप मोचते हैं?

गा०—आपने बिल्कुल ठीक कहा। मेरे कहने का यही तात्पर्य है। और एक मिसाल देता हूँ। मेरे पास ऐसी बीसों स्त्रिया आती रहती हैं जो कि अपत्य-वरदान मागती हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि इस प्रकार की वरदान शक्ति मुझमें है नहीं। किंतु इनमें से कुछ यदकिस्मत होती हैं, और जब तक वरदान के तौरपर मैं कुछ गुनगुनाता नहीं तबतक हटने का नाम नहीं लेती। एक स्त्री की बात तो मुझे विशेष रूप से याद है। उसे बच्चा न होता था, और डाक्टरों के कथनानुसार गर्भाशय की गडबड़ी इसका कारण था। निस्मतान होने की वजह से वह इतनी अधिक दुखी थी कि मैंने आपरेशन द्वारा अपने गर्भाशय की शिकायत दूर करने की उसे सलाह दी। वैसे ही उसने किया, अब वह बच्चे जनती है और जानद-मगल में है।

मैं—किंतु इससे क्या सिद्ध होता है? यही न कि मातृत्व की भावना स्त्री के पिंड में गहरी पैठी हुई होती है, और किसी भी प्रकार के सतति-नियमन के साधनों द्वारा वह विनष्ट नहीं की जा सकती। इस प्रकार के साधनों के प्रयोग की सलाह केवल ऐसी ही माताओं को दी जा सकती है जो कि डेर के डेर बच्चे जनना नहीं चाहती।

गांधी जी की एक झलक

गुरुदयाल मल्लिक

सन् १९२१ ई० की एक घटना, जब कि गांधी जी असहयोग-आंदोलन के प्रचारार्थ निकाले गये अपने देशव्यापी दौरे के दरमियान कराची पहुँचे थे, मुझे याद आ रही है। सार्वजनिक स्वरूपके भारी कार्यक्रम से घिरे होते हुए भी मजदूरो की उस रात्रि-पाठशाला में, जिसका कि मैं एक कार्यकर्ता था, चंद मिनट के लिए पधारने की उन्होंने कृपा की थी। नियत समय पर हमने अपना सायकालीन कार्यक्रम दो भजन गाकर शुरू किया। इनमें से प्रथम भजन सिंधके किसी अज्ञात रहस्यवादी सत का था, और दूसरा, राजस्थान की सुप्रसिद्ध रहस्यवादी कवियत्री मीराबाई का। प्रथम भजन तब से गांधी जी का बहुत प्रिय बनने, एव अनंतर कभी भी उनसे मिलने पर प्रायः वही अपने को सुनाने के लिए उन्होंने मुझसे कहने के कारण, अनुवाद-रूप में वह नीचे उद्धृत कर रहा हूँ —

तेरा मकान बहुत उम्दा है, हर जगह तू मौजूद है ॥

चलो आसमान देखे, मित्रो चलो देखे ।

आसमान भरा है तारो से, तारो में चाद है तू ॥

चलो तो बाजार देखें, मित्रो चलो देखें ।

बाजार भरा है आदमियो से, आदमियो का प्राण है तू ॥

चलो तो मंदिर देखें, मित्रो चलो देखे ।

मंदिर भरा है मूर्तियो से, मूर्तियो की सूरत है तू ॥

चलो तो दरिया देखें, मित्रो चलो देखे ।

दरिया भरा है लहरो से, लहरो का लाल है तू ॥

चलो तो किशती देखें, मित्रो चलो देखें ।

किशती में रहता है मल्लाह, मल्लाह का स्वामी है तू ॥

इस सम्मिलित प्रार्थना में हम सब इतने लवलीन रहे कि पाठशाला के विस्तृत अहाते के एक कोने में सदल उपस्थित होकर शांतिपूर्वक उक्त भजन

सुननेवाले गांधी जी के आगमन का आभास भी हमें नहीं मिला। अवश्य ही भजन की समाप्ति पर गांधी जी की ओर दृष्टि जाते ही उनके प्रति आदरभाव प्रदर्शित करने के हेतु हम सब उठकर खड़े हो गये। फिर मैंने उनसे विनय की कि विद्यार्थियों को कुछ उपदेश दें। उत्तर में वे बोले, "जो कुछ मैं कहता वह सारा इस भजन में आ ही गया है।" और किसी अन्य महत्वपूर्ण काम से वे चले दिये।

गांधी जी विषयक एक अन्य देदीप्यमान स्मृति मधुर मातृप्रेम की भाँति आज तक मेरे जीवन को परिमलित करती रही है। यह उस समय की बात है जब कि पंजाब के क्षितिज पर, भय और नैराश्य से भरी प्रदीर्घ रात्रि के बाद, उषा उदित हो रही थी। वहाँ की राजा भीषण घटनाओं की जाच समाप्त कर उसकी रिपोर्ट तैयार करने में गांधी जी व्यस्त थे। इसी बीच एक दिन श्रीमती सरलादेवी चौधरानी के लाहौर स्थित मकानपर, जहाँ कि वे ठहरे थे, मैं उनसे मिलने गया। पहुँचने पर देखा कि उनके कमरे का दरवाजा भीतर से बंद है। अतः भक्तिशुक्त धीरता से उनकी प्रतीक्षा में बाहर ही ठहर गया। आखिर, कोई तीन घंटे बाद, द्वार खुलनेपर मैं भीतर दाखिल हो सका।

"क्या बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे?" प्यार के साथ उन्होंने मुझसे पूछा।

"कुछ कुछ।" एक नचल युवक की तरह किञ्चित् रक्षता से मैंने उत्तर दिया।

"मुझे संद है," प्रत्युत्तर स्वरूप एक सच्चे सत्पुरुष के समान अत्यंत गौजन्यतापूर्वक उन्होंने कहा। और पुनः बोले, "देखो भाई, मासाल छा के बग्न एक रास जगह पर एक दलविरोध द्वारा जोस-सरोस में आकर किये गये साठो सभयो मुत्तात के एक वाक्य की पूति करने के लिए उचित सन्न सांजने में मैं मग्न था।"

और एक गांधी-प्रसंग, जो कि अपने सीमित स्मृति-कोष में सुरक्षित है, वर्ण उपस्थित करने में मुझे बहुत ही प्रसन्नता होगी। १९४५ ई० की, बर्बई को घटना है। गांधी जी द्वारा तैयार किया हुआ एक वक्तव्य उनके वक्तव्य संपादकों की राय में आवश्यकता से अधिक लंबा था। उनमें से एक ने उक्त

वक्तव्य को उद्देश्य कर यहा तक कह डाला कि, "आपने जो इतना सारा लिखा है वह केवल चार पक्तियों मे आ सकता था।" इस पर गाधी जी बोले, "क्या ऐसी बात है ? तो कृपया आप ही इसे सक्षिप्त कर लवें, जिस पर मैं आख मूदकर हस्ताक्षर कर दूंगा।" सुन कर अबोध आलोचक सहसा स्तब्ध रह गया। तब सभी उपस्थित व्यक्तियों को किसी ज्ञानी पुरुष के वचन की याद दिलाते हुए गाधी जी बोले कि दूसरे के किसी भी कार्य की आलोचना करनेवाला व्यक्ति आलोच्य विषय की विधायक रूप से स्थानपूर्ति करनेके लिए भी सदैव तैयार रहे।

बबई,

६-१२-१९४५.

गांधी जी से मेरी मुलाक़ातें

सर सुस्तम मसानी

अप्रैल १८९३ में जब गांधी जी ने शुद्ध व्यावसायिक उद्देश्य से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की, तब बीस बरस बाद वे उक्त दूर देश से, वहा पर अपने ही चलाये हुए सत्याग्रह-आंदोलन के विजयी योद्धा के रूप में भारत लौटेंगे ऐसा किसने सोचा होगा ? और, दक्षिण अफ्रीका स्थित अपने देशवासियों को हिंसाका आश्रय लिये विना केवल आत्मिक बल के सहारे सत्य के पक्ष में विजय प्राप्त करने का रहस्य बताकर भारत लौटने के बाद शीघ्र ही वे स्वदेश के अनेक महान् सत्याग्रह-संग्रामों के अगुआ बनेंगे, ऐसा भी क्या किसी ने सपने में कभी सोचा होगा ? अवश्य ही ब्रीच का अल्प काल उन्होंने पक्षाभिनिविष्ट राजनीति से दूर रह कर एक समाज-सेवक के नाते बहुत शांति के साथ बिताया। अनिष्ट रिवाजों के दासत्व से स्त्री-पुरुषों की मुक्ति, अस्पृश्यता-निवारण, स्वदेशी के प्रचार द्वारा दरिद्रनारायण की सेवा, और विशेषत नैतिक सुधार सबधी अपने विचारों के प्रचार-प्रसार आदि सामाजिक कार्यों में ही वे व्यस्त रहे। अत जब बबई की धारासभाने भिक्षावृत्ति रोकने के हेतु एक समिति नियुक्त करने की बात सोची, तब गांधी जी को, जो कि सर्वश्रेष्ठ विद्यमान समाज-सेवक थे, उक्त समिति का सदस्य बनने के लिए निमन्त्रित किया। इसी समिति की बैठक में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हम दोनों पहले-पहल परस्पर से मिले।

एक कट्टर सहयोगी

शुभ्र अगरत्वा, 'परथडी', और काठियावाड़ी फेंटा पहनकर वे समिति के अध्यक्ष स्वर्गीय सर फ़ीरोज सेठना की दायी ओर बंठे थे। दुर्भाग्य की बात है कि एक अत्यंत कठिन और गहन समस्या मुलझाने के लिए जारी हमारी इस कोशिश के बीच ऐसी कई वारदातें हुईं कि जिनकी वजह से यह उत्साही सहयोगी विरक्त असहयोगी के रूप में बदल गया। ब्रिटेन की सकटपूर्ण स्थिति से भारत का लाभ उठाना अनुचित होगा ऐसा मान कर अहिंसा के इस अग्रदूत ने ब्रिटेन और मित्रराष्ट्रों की मदद करने के लिए बड़ी लगन के साथ सैन्य-भर्तिका कार्य उठाया। किंतु खेद की बात है कि खेडा के अकाल एव रोलट एक्ट के समय अधिकारियों की नृशंखता का परिचय पाकर इस देश के शासकों के प्रति गांधी जी की उपरोक्त सद्भावना को शीघ्र ही ठेस पहुंची, और उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि अब अपरिहार्य रूप से असहयोग और सविनय अवज्ञा-आंदोलन का धीगणेश करना ही पड़ेगा। इस तरह हमारी समिति ने एक कीमती मापी खो दिया और उसकी रिपोर्ट बिना उनके हस्ताक्षर के ही प्रकाशित हुई।

तत्कालीन नोबलशाही ने शायद ही यह महसूस किया होगा कि उसने अपनी वरजुत की वजह से ब्रिटिश सरकार के एक ऐसे उत्तम हितैषी का दृष्ट किया है जो कि राजनीतिक मुधारों सबधी सरकार की उपयुक्त योजनाओं में योग देने के साथ ही ब्रिटेन और भारत के बीच स्यायो सन्धय एव सहकारिता के नयदुग वा निर्माण करने के लिए उत्तुक था। विफलताओं और अस्याधी धिपदाओं के बावजूद अतन मत्याग्रह अपने ध्रुव-लक्ष्य की ओर अग्रसर होकर

चाहियों के प्रति वापरिजन द्वारा स्वीकृत निषेधात्मक प्रस्तावों के मन्वध में गवर्नर-महोदय में मेरी चर्चा चल रही थी। जैसी कि नीचे उल्लेखित होनेवाले लोगों की माधारणतया जादन होती है, गर्मागर्म बहग के बाद वह ठंडे पड गये। फिर बहुत ही स्नेहपूर्ण सभापण में उन्होंने ठंमे दो प्रमगों का उल्लेख किया जब कि वे, अपने सलाहकारों की परास्त मनोवृत्ति के बावजूद, गरत कदम उठाने का दावस दिग्ना सके थे। प्रथम था श्री हार्निमैन का देशनिकाला, और दूसरा, गाधी जी की गिरफ्तारी का। बोले, "सर इब्राहीम रहिमतुल्ला (गवर्नर की कार्याकारिणी के एक सदस्य) मेरे पास डबडबाई हुई आसों स आकर मानुनय रहने लगे कि गाधी जी की हाथ न लगाया जाय।"

इसी भाति जब जुलाई १९३१ में गाधी जी उस समय के वायसराय लार्ड विलिंग्डन ने मिलने दिमला गये तब भी मैं वही था, और वहा नौकरशाही के हठभरे वरभाव एव यूरोपियन समाज का, सास तीर में बगाल के यूरोपियन समाज का, सुला विरोध देख कर गाधी जी की विलायत-यात्रा कहा तक सफल होगी इस मन्वध में मुझे तीव्र रूप से आशका होने लगी थी। इतना ही नहीं वरकि गाधी जी लदन जायगे भी या नहीं इस में भी वाज दफे सदेह हुआ। और अधिकाश अधि-कारीगण तो आगरी घडी तक यही आशा वाधे हुए थे कि वे लदन जायगे ही नहीं।

• किनु इन दुरात्माओं को निराश बनाकर गाधी जी गोलमेज-परिपद् के लिए रवाना हुए। परिपद् के प्रति अपनी विरोधी भावना के कारण उग्र कांग्रेसियों ने भी कुछ ऐसा रुख अलिनयार किया कि जिससे गाधी जी के कार्य में बाधा पडुची। युद्धकालीन-सी उत्तेजना का भूत उनके सर पर सवार हुआ, और वे ऐसे ममय, जब कि उनका नेता परिपद् की कार्यवाही में सलग्न था, ब्रिटेन के ऋण एव व्यापारिक सन्धो को धता वता कर ब्रिटिश व्यापारी-वर्ग और भारत स्थित यूरोपियन समाज को भयभीत करने की गप हाकते रह। परिणाम यह हुआ कि उक्त वर्ग ने कांग्रेस के साथ स्नेहपूर्ण समझौता करने के लिए जारी सारी योजनाओं को उडा देने की ठान ली। अलावा इसके इसी समय ब्रिटिश मन्त्रिमंडल में जाकस्मिक रूप से

परिवर्तन होने के कारण कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख भी कड़ा होता गया । इस वक़्त में लंदन में ही था, और मुझे कुछ इस तरह की भनभनाहट सुनाई पड़ी कि कांग्रेस के इस नेताप्रणी के लंदन से भारत लौटते ही उस पर आपत्त का पहाड़ टूटनेवाला है ।

‘पिल्सना’ जहाज़ पर का वार्तालाप

उस साल के दिसंबर के मध्य में मैंने ‘पिल्सना’ जहाज़ से बर्कें लौटने का प्रबंध कर लिया था । सुखद सयोग की बात यह रही कि गांधी जी भी, मुसोलिनी में मुलाकात करने के बाद ब्रिटिसी में इसी जहाज़ पर सवार होनेवाले थे । उन दिनों मुसोलिनी की कितनी घड़ी हस्ती रही होगी डमकी आप ही कल्पना कीजिये । वह एक ऐसा सिंह-हृदय राजनीतिज्ञ था जो कि मसार का सर्वाधिक मेधावी और सफल अविनायक बना, और न केवल पास-पड़ोस के ही, अपितु भारत जैसे दूर देश के राजे-महाराजे भी उसे अपना भ्रुवतारा मानने लगे थे । अब हमारे ही जहाज़ से यात्रा करनेवाले स्वर्गीय सर अकबर हैदरी, उनके पुत्र सर अकबर, एव गोलमेज-परिषद् के लिए गये हुए हैदराबाद के अन्य प्रतिनिधियों को मुसोलिनी का जीवन-चरित्र पढ़ने में मशगूल देखकर मुझे जरा भी आश्चर्य नहीं लगा । ब्रिटिसी में गांधी जी आ गये । डेक का एक खास हिस्सा उनके एव उनके साथ के लोगों के लिए रिजर्व रखा गया था । शाम का वक़्त होने की वजह से मैंने उन्हें रिकॉर्ड करना ठीक नहीं समझा । दूसरे दिन प्रातः, भारत के भावी गन्तव्यरोध विषयक अपनी जासनाओं के समाधान के हेतु, मैं उनसे मिला । बोला, “ईश्वर के लिए अब देश को दुबारा सविनय अवज्ञा-आंदोलन की यातनाओं के गर्त में न देखें । अबरी सरपार आंदोलन की कृचल डालने पर तुल्यी हुई दिखाई देती है ।”

उत्तर में गांधी जी ने कहा कि हाल ही में जारी किये गये बंगाल-आर्डिनेंस के कारण अपनी स्थिति बहुत ही विषम बन गई है । बोले, “रोलट एक्ट के पान होने पर मैंने जो रण अग्निमार किया था यह तो आप जानते ही हैं । अतः जो जनता को गुलाम

वनाये रखने के लिए ही कायदे-कानून पास करते हैं उनसे किमी भी प्रकार का सहयोग नहीं लिया जा सकता।”

“लेकिन गांधी जी,” दलील करते हुए मैंने कहा, “जब जनता आप का उपदेश जनसुना कर हिंसा का आश्रय लेती है, इतना ही नहीं बल्कि अपना फर्ज अज्ञ करनेवाले मैजिस्ट्रेटों को भी जान से मार डालती है, तब उसी के कारण ऐसे आर्डिनेसों की मृष्टि होनी है इस नथ्य से हम कैसे आँब मुँद ले सकते हैं? यदि आप आर्डिनेस वापस लेने के लिए कहते हैं तो सरकार को इस शर्त पर मिलनेवाला आप का सहयोग, अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल करते हुए, बहुत ही महंगा मालूम पड़ेगा। हा, अगर आप यह कहते हो कि सहयोग-काल में आर्डिनेस का अत्यंत आपत्तिजनक अंश लागू न किया जायगा इस आशय का आश्वासन जब तक सरकार की ओर से नहीं मिलता तब तक सन-शीता कायम रहना असंभव है, तो हो सकता है कि इस गत्यवरोध का कोई न कोई मतोपप्रद हल निकल आवे।”

“मैं कोई अप्रतिष्ठापूर्ण शर्त रखता नहीं; बल्कि मैं तो इस बात के लिए सचेष्ट हूँ कि कोई सम्मानप्रद समाधान निकल आवे।”

इस जहाज-यात्रा के शेष चंद दिनों में उनसे कई बार बातचीत करने का सुअवसर मुझे मिला। यद्यपि मैंने पुनः उपरोक्त विषय नहीं छेड़ा, तो भी उसके सत्रध में भारत-मन्त्री से उनका पत्र-व्यवहार होता रहा है यह बात मुझे मालूम ही हुई। बवई पहुँचने पर हमसे कहा गया कि जहाज से सर्वप्रथम गांधी जी के उतरने का प्रबन्ध किया गया है। जब वे जहाज के गलियारे से जा रहे थे तब मैंने अपने पुत्र से, जो कि मुझे लेने आया था, कहा, “मीनू, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम गर्म मिजाजवाले नौजवान उन्हें सरकार के साथ जारी समझौते की अपनी बातचीत तोड़ने के लिए मजबूर न करोगे।”

“आप क्या कह रहे हैं?” बड़े चिल्लाकर बोला, “आन्दोलन कब का छिड़ चुका है। क्या आपने जवाहरलाल जी की गिरफ्तारी की खबर नहीं सुनी? अब शांति की बात करना बेकार है।”

“हमें जवाहरलाल की गिरफ्तारी की तो कुछ भी खबर नहीं मिली। फिर भी आंदोलन की बात करना बेवकूफी होगी। शांतिपूर्ण समझौते के सबधमें सोचने के लिए उन्हें वक्त दिया जाना चाहिये,” मैं बोला।

बीस दिसंबर की यह बात है। घर पहुंचते ही मैंने अपनी मेज पर बर्बर्ड के गवर्नर सर फ्रेडरिक साइक्स से प्राप्त एक त्रिसमस-कार्ड देखा। उनके साथ के अपने सारे सभापणों में मैंने यही अनुभव किया था कि देश के राजनीतिक गत्यवरोध का अंत करने के हेतु हर तरह के सुझावों पर सोचने के लिए वे सदैव उत्सुक रहते हैं। अतः यह अनुमान कर कि उन्हें बहुधा ऐसा कदम उठाने के लिए हिदायतें मिल चुकी होंगी जिससे कि और एक प्रबल संघर्ष का सूत्रपात हो सकता है, मैंने अपने प्रति प्रदर्शित की गई उनकी शुभेच्छाओं के उत्तर-स्वरूप लिखे हुए पत्र में निम्न बातें जोड़ना जरूरी समझा: “गांधी जी के सात्त्विक से हमारी समुद्रयाना बहुत ही सुखद रही। सरकार के साथ यथासंभव सहयोग बनाये रखने के लिए वे उत्सुक दिखाई पड़े, किंतु यहाँ पहुंचकर देखा है कि उनकी स्थिति बहुत ही अधिक जटिल बना दी गई है।”

के लिए तैयार हैं, उन से भेट की। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हुए गांधी जी ने हमें गवर्नर से यह बात सूचित करने का अधिकार दिया, और कहा कि शांतिपूर्ण समझौते की हार्दिक इच्छा के कारण ही वायसराय के सामने मुलाकात का प्रस्ताव रक्खा गया था। तब हम सीधे गवर्नर से मिलने गये। उनका गंभीर और म्लान मुख देख कर मुझे यह आशंका हुई कि गांधी जी को गिरफ्तार करने के सत्रय में उन्हें पहले ही हिदायते मिल चुकी हैं। एकेक कर क प्रति-निधि-मंडल के सभी सद-यो ने यही प्रतिपादन किया कि गांधी जी को वायसराय से मुलाकात करने का मौका दिया जाना चाहिये। जब अपनी वारी आयी तब मैं जहाज पर गांधी जी के साथ हुई बातचीत का जिक्र कर यही कहा कि मधुर्ष म वचने का उपाय खोजने में वे मन पूर्वक प्रयत्नशील रहे हैं। और यह भी जोड़ दिया कि केवल गांधी जी द्वारा भेट की अनुमति पाने के हेतु भेजे गये तार की भाषा ठीक न होने की वजह से वायसराय का उनसे मिलन से इन्कार करना एक अदृश्यक वान है।

सर फरेड्रिक साइक्स ने सब की बातें धीरज के साथ सुन ली। किंतु अंत में हमें उन ने यही सुनने मिला—“सज्जनो, यहां पधारन का जो कष्ट आपने किया है उस के लिए मैं आप सब का आभारी हू। मैं आप के मनोदय से बड़े लाट को अवगत करा दूंगा।”

इसके ठीक दूसरे ही दिन गांधी जी गिरफ्तार कर लिये गये। लगभग नौ मास तक आंदोलन पूरजोश चलता रहा। शुरू शुरू में तो उसने कांग्रेस के पीछे की ताकत का खासा परिचय दिया। किंतु आगे चलकर वह ठंडा पडता गया, यहां तक कि १९३३ ई० के प्रारंभ में समाप्त-प्राय दिखाई देने लगा। देश भी अब इससे ऊबने लगा था। खुद कारावास सहन कर अधिकारियों को अवसरवादिया के सहयोग से राजकाज चलाने का मौका देने की बात में अब कई कांग्रेसियों को भी कोई बुद्धिमानी नजर न आ रही थी। अवश्य ही उन में से किसी ने भी कौंसिल-प्रवेश द्वारासत्ता प्राप्त करने की बात प्रकट रूप से नहीं कही। कांग्रेस निनप्रभ हुई है ऐसा भी वे

मानते न थे; किसी भी प्रकार वह निष्प्रभ हो ही नहीं सकती थी। किंतु कुछ समय के लिए आंदोलन स्थगित कर अनुकूल परिस्थिति पैदा होते ही पुन जोरदार सयाम छेड़ने के लिए शक्तिसचय करना राजनीतिक दृष्टिकोण से उन्हें उचित जचा।

ऐतिहासिक उपवास

इसके बाद जो बीती वह हम सब की समझ से गांधी जी के जीवन की सर्वाधिक सकटपूर्ण घटना है। नये विधान में दलित जातियों के प्रतिनिधित्व का प्रश्न ब्रिटिश सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया था, जब कि इसका निवटारा हिंदू समाज के नेताओं द्वारा आनस में ही होना चाहिये था। गांधी जी को, जो कि उपेक्षित एवं उत्पीड़ित जातियों की अधिकार-रक्षा के सब से बड़े हिमायती हैं, ब्रिटिश सरकार का उक्त निर्णय शरारत-भरा नजर आया। गोलमेज-परिषद् में ही उन्होंने यह चेतावनी दे रखी थी कि यदि दलित जातियों के लिए पृथक् निर्वाचन-क्षेत्र का निर्णय किया गया तो वे अपने प्राणों की वाजी लगाकर उसका विरोध करेंगे, क्योंकि इस प्रकार का निर्णय न केवल दलितों के लिए अपितु समस्त हिंदू समाज के लिए ही हानिप्रद सिद्ध होगा। अतः हिंदुत्व एवं राष्ट्रीयत्व के उपर समान रूप से आघात करनेवाले इस सकट के प्रति देशवासियों को सजग करने के उद्देश्य में उन्होंने आमरण अनशन करने की टान ली।

इस भयावह निर्णय की घोषणा के दिन ही मैंने अपने बड़े दास्ता से, सयाम तोर से 'विल्फ्रेड आफ द्रिया लीग' के सदस्यो में, प्रस्तुत सकट का टालकार उसका देश के विभिन्न वर्गों में स्नेह और सद्भाव स्थापित करने की दृष्टि से निम्न प्रकार उपयोग किया जा सकता है यह पूछने के साथ ही कहा, कि वे मिली-जुली आवाज में गांधी जी की रिहाई की मांग कर जाड़नेम-राज और सत्याग्रह-आंदोलन एवं भारतीय मन्म तर दें। अपना शिभाग और तारत लगाकर यह खगल हठ करने की हमारी कोशिश चल ही रही थी, कि गांधी जी के इस आमरण-अनशन को सिर्फ एक राजनीतिक चाल मानने की

कुछ लोगों की वृत्ति देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। अतः हिंदू समाज रूपी ऐक्य-मंदिर की नींव सोखली बनानेवाले जिस भाईचारे की कमी के कारण गांधीजी को मनोव्यथा हो रही थी उसकी ओर इन आलोचकों का ध्यान आकृष्ट करना मैंने आवश्यक समझा। तदनुसार मैंने इस विषयक अपने एक लेख में उपरोक्त बातों का निम्न प्राक्कथन के रूप में उल्लेख किया :—

“पराई पीर कोई जान नहीं सकता। हम में से कोई भी उस व्यक्ति के भार का, जिस ने कि अपने क्षीण कंधोपर गोवर्धनधारी की भाँति एक विशाल उप-महाद्वीप उठाया है, कदापि अदाजा नहीं लगा सकता। फिर भी कतिपय वज्रमूर्ख इस गुस्तर भार को हलका करने का, जिसके नीचे कि महात्मा गांधी की आत्मा दब कर कराह रही है, दम भर रहे हैं। इनसे हमें केवल इतना ही कहना है —‘ओ नगे पैरोवाले लोगो, काटोपर मत चलो!’”

उक्त लेख ‘श्री प्रेस जर्नल’ के ता० २२ सितंबर १९३२ के अंक में ‘महात्मा गांधी की प्राणरक्षा के लिए क्या किया जाय?’ शीर्षक से ‘माली’ के एक व्यंगचित्र के साथ, जिममें कि अपने कंधो पर महाद्वीप उठाये हुए गांधी जी दिखाये गये थे, प्रकाशित हुआ था।

कौंसिल-प्रवेश की तरफ़दारी

जस्तु, उस दिव्य उपोषण की कहानी निवेदन करने का यहाँ प्रयोजन नहीं है। इतना ही कहना काफी होगा कि ‘पूना पैक्ट’ के बाद उपवास भंग कर दिया गया, किंतु शीघ्र ही उनका पुनः एक उपोषण शुरू हुआ, और तब उन्हें विला शर्त रिहा कर देना पड़ा। रिहाई के बाद जब वे पूना में लेडी ठाकरसी के मकान पर स्वास्थ्य-लाभ कर रहे थे, तब एक दिन शाम के वक़्त मैं उनसे जाकर मिला। मैंने उन्हें कई कांग्रेसियों और सर्वसाधारण लोगों की उस भावना से अवगत करा देना आवश्यक समझा जो कि सत्याग्रह-आंदोलन आगे जारी रखना निरर्थक मानने लगे थे। मैंने उनसे जर्ज की कि १९३२ ई० में जो कदम उठाया गया था उससे अब पीछे हटने के माने हार या शरणागति तो नहीं हो सकते; और इसे कांग्रेस की नीति का

परित्याग तो और भी कम माना जा सकता है। अनावश्यक आत्म-वल्श की रोकथाम यही इसका अर्थ है। विपम परिस्थिति पैदा होने पर एक सेतानी भी पीठ दिखाता है। किंतु इसक ये मान नहीं कि वह मोर्चे पर पुन आ कर डटेगा ही नहीं। "इसी भाँति," मैं बोला 'जगर आप सत्याग्रह-जादोलन स्थगित कर देते हैं ता उमका यही अर्थ होगा कि आप कुछ समय के लिए उस शस्त्र बा, जा कि इच्छित रूप स जपन बाम नहीं आ सका, म्यान करना चाहते हैं। अवश्य ही पुन कभी भी टच्छा होने पर आप इस ग्रहण कर सकगें।'

मुनकर गांधी जी हंस दिये, और बोले कि मेरी बात उनके विचारा से मेल नहीं खाती। उनकी जा राय रही, और जिसका मंसखन न कर सका, वह यही थी कि सत्याग्रह की तरह का आंदोलन एक-वार बंद कर देने से उसी के कारण लोग म पैरा हुई विद्रोह की भावना भी नष्ट हो जायगी, जिसे पुनर्जीवित करना आसान काम नहीं है।

इसके शीघ्र ही बाद गांधी जी न व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा कर दी। किंतु इससे खींचातानी दूर न हुई। उन्हां वायसराय क सामने दुवारा मुलाकात का प्रस्ताव रखा। लेकिन जब की बार भी इस सदन पर, कि आंदोलन पूरी तौर से बंद नहीं किया गया है, यह प्रस्ताव टुकरा दिया गया। चुनावे पुनश्च गांधी जी गिरफ्तार हुए, और उनके साथ की मेरी भेट-मुलाकातो का सिलसिला रूट गया, जो पाच साल बाद चलकर तब स्थापित हुआ जब कि मैं जुहू में उनके पुनर्दर्शन कर स्व-लिखित दादाभाई नौरोजी के जीवन-चरित्र के लिए उनस प्रार्थना-पूर्वक भूमिका मागी। वे व-सुशी तैयार हुए। मैंने कहा कि मैं इंग्लैंड जाकर वहा आवश्यक छानबीन क बाद अपनी पांडुलिपि पूरी करना चाहता हू, जिस की एक अग्रिम प्रति आपको भेज दगा। वे मुस्कराये, और बोले कि उस पर नजर डालने के लिए अपने को अवकाश मिलेगा भी या नहीं इसम मदेह है। मैं उन स कहा कि अपनी उक्त पुस्तक का दक्षिण अफ्रीका विषयक अध्याय लगभग पूरा ही आप क और दादाभाई के बीच हुए पत्र-व्यवहार पर आधारित है, और म उसकी ओर ही जानका ध्यान विशेष रूप म आकृष्ट करना चाहता हू।

गांधी जी की भूमिका

उक्त भूमिका मुझे यथासमय लदन म मिल गई। मालूम हाता था कि मेरी पांडुलिपि पढने के लिए गांधीजी समय न निकाल सक, किंतु अपन नाम प्राप्त उनके निम्न पत्र से मैं यह जान गया कि उन्होंने एक अन्य विषय पर की मेरी पुस्तक, जो कि उन्ह प्रिय है, पढने के लिए वक्त निकाल लिया है।

प्रिय मित्र,

वचनानुसार भूमिका भेज रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि वह समय के भीतर ही पहुँच रही है।

उत्तमनजई,

१९-१०-१९३८

आपका

मो. क. गांधी

पुनश्च

इस समय, अवकाश के क्षणों में आपके द्वारा कृपापूर्वक भेजी गई अपनी पुस्तक *The Religion of the Good Life* पढ़ रहा हूँ।

आप मेरा फोटो चाहते हैं। वित्तु आप को जानकर आश्चर्य होगा कि मैं अपने पास कोई फोटो नहीं रखता।

मो. क. गांधी

अनंतर महादेव देसाई से मझ ज्ञात हुआ कि *The Conference of the Birds* नामक मेरी दूसरी एक पुस्तक भी गांधी जी ने आदि से अत तक पढ़ डाली है। मृषी रूपक के ढग की इस पुस्तक में एक ऐसे दार्शनिक-राजनीतिज्ञ के जीवन-दर्शन विषयक आध्यात्मिक सिद्धान्तों का निरूपण किया गया है, कि जिसने १९३२ ई० में अपने उपवास के सभ्य में वायसराय के नाम भेजे गये पत्र में 'एक धार्मिक व्यक्ति' के रूप में स्वतः का उल्लेख किया था।

आशा और विश्वास प्रकट करते हुए मैंने कहा कि उचित अवसर दिया गया तो गांधी जी यह समस्या अवश्य सुलझा सकेंगे। किंतु यह आशा फलीभूत न हुई। कांग्रेस और सरकार के बीच की सधि १९४० ई० में सहसा समाप्त हो गई, और लोकप्रिय नेताओं ने पुनः एक वार अपने आप को लोह की शलाको के पीछे बंद पाया।

अस्तु, एक वार फिर गांधी जी रिहा कर दिये गये, और पुनश्च एक वार एक कृशाग्रबुद्धि एवं सच्ची सहानुभूति रखनेवाले वायसराय ने प्रसिद्ध शिमला-परिषद् के आयोजन द्वारा कलह का अंत करना चाहा। यद्यपि यह परिषद् भी अधूरी रही तथापि कांग्रेस के हार्ड-कमांड ने कौंसिल-प्रवेश के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की। तब मुझे यह इच्छा हुई कि मौका पा कर गांधी जी से मिलूँ और अपनी विनम्र राय से उन्हें अवगत कराते हुए कहूँ कि इस वार केवल कांग्रेस के शक्ति-प्रदर्शन के हेतु ही चुनाव न लडा जा कर, स्थायी रूप से अधिकार-ग्रहण करने का भी उसमें उद्देश्य रहे। अकस्मात् एक दिन ऐसा मौका मुझे मिल गया। जिस गांधी से मैं पूना से बर्बई जा रहा था उसी से गांधी जी भी यात्रा कर रहे थे। चुनौचै लोनावला पर मैं उनके डिब्बे में चला गया, और मैंने उनसे कहा कि जब तक कांग्रेसी राजद्रोही के रूप में देखे जाते रहे तब तक वे ठुकरा दिये गये, किंतु एक वार उनके पद-ग्रहण करते ही अधिकारीगण उनके आदेशों का पालन करने के लिए उत्सुक रहेंगे जैसा कि लोकप्रिय मन्त्रिमंडल के शासनकाल में वे पहले कर चुके हैं। मैंने और यह भी कह दिया कि इस स्थिति में ब्रिटिश सरकार भी अधिक तत्परतापूर्वक कांग्रेस के साथ समझौता कर लेगी। गांधी जी इसमें महमत हुए ऐसा तो मैं नहीं कह सकता। बल्कि उनका मौन-दिन था, वे कुछ भी नहीं बोले, किंतु जिस ढंग से उन्होंने अपना भाषा हिलाया उससे मालूम होता था कि मेरी बातों में उन्हें कोई उज्र नहीं है। अवश्य ही सरदार वल्लभभाई पटेल न, जो कि उमी गांधी से सत्कर कर रहे थे, दृढ़तापूर्वक यह कहा कि अब की वार पद-ग्रहण से इन्कार करने या वाद में पदत्याग करने का कतई विचार नहीं है।

अब पुन किस सुअवसर पर गांधी जी से अपनी भेट हो सकेगी यह मैं नहीं जानता। मैं इतनी ही आशा करता हूँ, और प्रार्थना भी, कि मुस्लिम लीग से समझौता करने में कामयाब होने, एव भारतीय राजनीतिक क्षेत्र के बृहस्पति के नाते विगत तीस वर्षों से जिस स्वाधीनता प्राप्ति के लिए वे लड़ते रहे हैं वह हासिल करने के उपलक्ष्य में उन्हें बधाई देने के लिए ही, मैं उनके पुनर्दर्शन कर सकूँ।

बयई,

१५-२-१९४६

पुनश्च—

उपरोक्त बात लिपिवद्ध करते समय मैंने स्वतः से ही पूछा, "क्या ऐसा सुअवसर मेरे लिए कभी उपलब्ध हो भी सकेगा?" जो भी हो, इमरु सप्ताहभर के भीतर ही ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई इस घोषणा के कारण, कि भारतीय वैधानिक गत्यवरोध का अंत करने के हेतु प्रमुख त्रि-मंत्रियों का एक प्रतिनिधि-मंडल भारत भेजने का निश्चय किया गया है, बड़ी आशाएं पैठी। इस घोषणा के दूसरे ही दिन मैं पूना पहुंचा, और चूंकि उम वकत गांधी जी भी वहां के प्राकृतिक-चिनिस्तालय में थे, उक्त सस्था में जाकर मैंने उन्हें बधाई दी। कुछ मोचकर उन्होंने २३ फरवरी के दिन प्रातःकाल ७ बजे पुन. मिलने के लिए मुझ से कहा। हेतु यही था कि वे अपनी मुद्रा की संर के वकत मुझसे ज्यादा देर बातचीत कर सों, जैसा कि अन्यथा संभव नहीं है। उनसे मिलकर बिदा होते समय मैंने त्रि-मंत्रियों की जागामी भारत-यात्रा का उल्लेख कर कहा कि भारतीय मनला हल करने के उपलक्ष्य में आपसे बधाई देने की अपनी इच्छा पूरी होने का अवसर इतना शीघ्र उपस्थित होगा ऐसी आशा नहीं थी। मैंने जोर यह भी यह दिया कि मंत्री-मिशन ने भारत को शीघ्राति-शीघ्र स्वाधीनता प्रदान करने का अभिवचन दिया है, जोर मुझे इस में कोई संदेह नहीं कि इस विषयक भावी विधायक कार्य में आप श्री जिन्ना का सहयोग बखूबी प्राप्त कर सोंगे। मुनकर गांधी जी इस तरह मुझसे उक्त मुझे विश्वास हो गया कि वे इसके लिए तैयार हैं।

५५ई,

आर. पी. एम.

१-३-१९४६

कुछ व्यक्तिगत संस्मरण

जी. वी. मावलंकर

सितंबर १९१७ के आसपास की बात है। तब मैं अहमदाबाद का एक युवा वकील था। उन दिनों अहमदाबाद में ऐसे बहुत ही कम पुराने वकील थे जिन्होंने कि धोती और साफ़ा पहनना अभी छोड़ा नहीं था। विपरीत इसके युवा वकीलों के लिए, वे सभ्य और चुस्त दिखाई पड़े इस हेतु, कोट व पतलून पहनना अनिवार्य था। अलवत्ता, साफ़ा अभी हटाया नहीं गया था। अच्छी अंग्रेजी में उचित ढंग से लिखे गये प्रार्थना-पत्र सरकार के पास भेजना यही उन दिनों सार्वजनिक सेवा का अर्थ था।

अतः मैं ही इस सर्वमान्य नियम के लिए कैसे अपवाद हो सकता था? लगभग दिसंबर १९१६ में मैं गुजरात-सभा का मंत्री चुना गया। गुजरात की आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक अभ्युन्नति के हेतु उक्त सभा स्थापित की गई थी, और वही कांग्रेस कमेटी के रूप में भी कार्य करती थी।

मोतीहारी स्थित बिहारी मजदूरों की शिकायतों की जांच के सबंध में मैजिस्ट्रेट द्वारा अपने ऊपर लगाये गये प्रतिबंध गांधी जी ने तोड़ लिये हैं ऐसी खबर मिलते ही गुजरात-सभा के कई प्रमुख सदस्यों में सनसनी फैली, और हम सब इस बात पर सहमत हुए कि यदि गुजरात की वास्तविक उन्नति करनी हो तो गांधी जी से मिलकर 'सभा' का अध्यक्ष-पद ग्रहण करने के लिए उनसे अनुरोध किया जाय।

'सभा' के मंत्री के नाते उपरोक्त उद्देश्य से मैं गांधी जी से मिला। उन्होंने हमारा अनुरोध मानने की कृपा दिखाई। गांधी जी के मार्गदर्शकत्व में मुझे गुजरात-सभा के मंत्रीपद पर रहते हुए, नये क्षेत्रों में कार्य करने की प्रेरणा मिली।

वस्तुतः भारत के राजनीतिक या आर्थिक प्रश्नों के प्रति गांधी जी के दृष्टिकोण से हम सर्वथा अनभिज्ञ थे। हम तो पुराने खयालातों के लोग थे, याने ब्रिटिश अंग्रेजी में लिखे हुए प्रातिनिधिक स्वरूप के आवेदन-पत्र सरकार के पास भेजने में ही हम सार्वजनिक सेवा विषयक अपने कर्तव्य की इतिथी मानते थे।

अतः गांधी जी द्वारा मोतीहारी में प्रदर्शित साहस के अलावा उनका बैरिस्टर होना, एव अंग्रेजी भाषा पर का उनका ऐसा असाधारण प्रभुत्व, कि जिसकी बराबरी करना किसी अंग्रेज के लिए भी मुश्किल मालूम पड़ता, हमारी सस्था के उस समय के दृष्टिकोण के अनुसार अलभ्य बातें थीं।

गांधी जी द्वारा अध्यक्ष-पद ग्रहण किया जाते ही 'सभा' के कार्य में नया जोश पैदा होने के साथ ही उसका क्षेत्र भी बढ़ा। मुझे 'सभा' के नाम के 'लेटर-पेपर्स' छपा लेने थे। ऐसे लेटर-पेपर्स के बायें सिरे पर सस्था के पदाधिकारियों के नाम तो छपे रहते ही हैं। सो सब से पहले अध्यक्ष जी का ही नाम दिया गया, जो इस प्रकार था —

‘मोहनदास के० गांधी, एस्क्वायर, वार-एट-ला’

सब के साथ, जिन में गांधी जी भी शामिल रहे, इन्हीं 'लेटर-पेपर्स' पर पत्र-व्यवहार किया जाता था।

उक्त 'लेटर-पेपर्स' छप जाने के बाद जब पहली ही बार में गांधी जी से मिला तब उन्होंने मुझ से पूछा, “मावलवर, तुमने 'वार-एट-ला' के रूप में मेरा उल्लेख क्यों किया है?” मैंने पूछा कि क्या वास्तव में आप बैरिस्टर नहीं हैं? उनके हाँ कहने पर स्वतः मैं वहाँ कुछ गलती तो नहीं हुई है ऐसा मुझे संदेह होने लगा। तब वे बोले, “मैं तो किसान और जुलाहा हूँ।” (जो अपने अज्ञान होने का भाव भी उन्होंने ध्वनित किया) गुन कर में स्थब्ध रह गया, किंतु साथ ही मुझे एक नई रासानी दियाई पड़ी। उपरोक्त दोनों शब्द गांधी जी की विचारधारा के मूलभूत सिद्धांतों के उत्तम निदर्शक थे। अवश्य ही मुझे यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उस समय उन शब्दों का वास्तविक अर्थ मैं जानना नहीं समझ पाया जितना कि आज उमे समझने का अधिनारी हूँ।

(२) साबरमती में जहाँ आजकल हरिजन-आश्रम बना हुआ है वह जगह उन दिनों नदी ही खरीदी गई थी, किंतु यहाँ आश्रमवासियों के लिए

पयेष्ठ वासस्थानों का प्रबन्ध नहीं था। इसलिए कुछ तबू तान दिये गये थे। एक दिन शाम के वक्त गुजरात सभा के काम के निमित्त मैं महात्मा जी से मिलने गया, और उस रात को मुझे आश्रम में ही रह जाना पड़ा। एक विस्तर देकर किसी तबू में रात बिताने के लिए मुझसे कहा गया। सवेरा होते ही मैंने विस्तर लपटा, और वह कहा रखना चाहिये यह न जानने के कारण पूछताछ के लिए सदर मकान की तरफ चल पड़ा। लौटती बेर मैंने देखा कि खुद गांधी जी विस्तर अपने कंधे पर उठाकर आ रहे हैं। यह दृश्य देख कर मैं इस कदर डग रह गया कि उनके कंधे पर का विस्तर उठा लेने का भी मुझे भान न रहा।

(३) १९२० के मार्च में मेरी प्रथम पत्नी का देहांत हुआ। उस समय मेरी अवस्था ३१ वर्ष की थी, और उस पत्नी से करीब दस मास की मेरी एक बच्ची थी। मेरे पुनर्विवाह क प्रश्न ने स्वाभाविक रूप से सबको वितातुर किया, और खास कर मेरी माता इसके लिए सब से अधिक उत्सुक थी। उसके मन को यह आशका बुरी तरह से घेरे हुए थी कि यदि शीघ्र ही मेरा पुनर्विवाह न हुआ तो मैं परिवार से दूर होकर कहीं पूर्णतया गांधी जी के चक्कर में फस न जाऊँ। उसकी यह आशका सरासर गलत थी ऐसा तो मैं नहीं कह सकता। किन्तु कम से कम सालभर तक विवाह के विषय में कुछ भी विचार मन में न आने का मैंने निश्चय कर रखा था। साथ ही मैं अपनी मा की भावनाओं को किसी भी प्रकार पीडा पहुँचाना न चाहता था। गरज कि मेरी हालत एक कमजोर आदमी की-सी हो गई थी।

अपने व्यक्तिगत विचारों के कारण ही मैंने यह वृत्ति धारण कर ली थी। अपनी प्रथम पत्नी की मृत्यु के दो ही मास बाद मैं पुनर्विवाह के लिए तैयार हुआ हूँ इस बात पर विश्वास न करना दोस्तों के लिए मुश्किल मालूम हो रहा था। और उनमें से कुछेक ने तो, जैसा कि बाद में मुझे मालूम हुआ, मेरे उपराक्त आचरण के लिए गांधी जी के पास खेद प्रकट किया। विवाह के समय की प्रतिज्ञाओं के कारण स्वतः पर आ पड़नेवाले कर्तव्यों के प्रति अपन मुहूर्त की कठोर व कृतघ्न वृत्ति देखकर यह मित्र-मडली स्वाभाविक रूप से दुखी थी। अवश्य ही उनमें से किसी में मुझ से इसकी चर्चा करने या इस सबध में स्पष्टीकरण माँगने की हिम्मत नहीं थी। जैसा कि साधारणतया होता है, मेरे सबध में एकतरफा

फैसला किया गया, और सारी बातें गांधी जी के कान में डाल दी गईं। उस वक़्त मैं बचई मया।

फलस्वरूप गांधी जी ने 'नवजीवन' में एक लेख लिख कर वैवाहिक जीवन विषयक कर्तव्यों और किसी भी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद पुनर्विवाह करने संबंधी बातों पर प्रकाश डाला। हा, इस लेख में कहीं भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में भी मेरा उल्लेख किया न गया था, फिर भी जिन हितैषियों ने मेरी वाकत गांधी जी के कान भरे ये वे उक्त लेख लिखने के लिए गांधी जी को प्रेरित करने वाली बातों से अवगत थे।

साथ ही गांधी जी ने मेरे नाम का एक व्यक्तिगत पत्र भेजते हुए लिखा कि एक सुहृद के नाते वे मेरे अनुचित आचरण के लिए मुझे उपदेश देना अपना कर्तव्य समझते हैं। जबाब में मैंने अपनी सारी स्थिति पर प्रकाश डालते हुए उन्हें एक लंबा पत्र भेजा। प्रत्युत्तर स्वरूप प्राप्त गांधी जी का पत्र वंशिष्टघपूर्ण रहा। लिखा था, "आप के दृष्टिकोण में मैं सर्वथा सहमत हूँ। आप अपनी अत-प्रेरणा के अनुसार ही चलें। एक सुहृद के नाते आप को सलाह देने के बाद मेरा कर्तव्य पूरा हो जाता है। विश्वास मानिये कि आपके द्वारा किसी भी मार्ग का अवलोकन किया जाने पर भी आप व प्रति मेरे व्यवहार या ध्यान में जग भी अंतर न पड़ेगा।"

कुछ दिन बाद सामूहिक सविनय अवज्ञा-आंदोलन स्वंगित कर उसके बदले व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा की गई। इससे मेरे सामने एक नई समस्या खड़ी हुई। यदि मैं व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेता तो मुझे अनिश्चित काल के लिए वह जारी रखना पड़ता। ऐसा करने के लिए तो मैं तैयार न था। तब अहमदाबाद एवं अन्य स्थानों के मेरे कतिपय दोस्तों ने कहा कि मैं आज्ञा भंग कर छ मास के भीतर, जो कि उनकी राय में ज्यादा से ज्यादा सजा मुझे हो सकती थी, अपनी स्थानवद्धता से छुटकारा पाऊँ। क्योंकि वह सोचते थे कि इससे एक पथ दो काज हो जायगे। याने जल्द जाने से एक तो मेरी शक्ति व साहस प्रगट हो जायगा, और दूसरे, अपनी स्थानवद्धता से भी मैं अपेक्षाकृत शीघ्र मुक्त हो सकूँगा।

सत्याग्रह के मूलभूत सिद्धांतों की ओर इन दोस्तों का ध्यान आकर्षित करते हुए मैंने कहा कि यदि मैं अपनी कमजोरी कबूल कर लूँगा तो इससे अतत मेरी ताकत बढ़ही जायगी, जब कि इसके विपरीत शक्ति-प्रदर्शन एवं कपटपूर्ण व्यवहार मेरा नैतिक पतन कर डालेगा।

चुनाचे मैं इस निर्णय पर पहुंचा कि कम से कम सालभर स्थानवद्ध रहने के बाद, सरकार द्वारा अपने अधिकारों के दुरुपयोग का प्रश्न उपस्थित कर, आज्ञा-भंग करने की बात सोची जाय।

यह तो सभी जानते ही हैं कि १ अगस्त १९३३ को गांधी जी सत्याग्रह करने वाले थे, हरिजन-आश्रम त्यागने का भी वे प्रण कर चुके थे। आंदोलन एवं राष्ट्र के भवितव्य विषयक महत्वपूर्ण प्रश्नोंपर विचार करना भी उनके लिए जरूरी था। फिर भी इन सब झड़टों के बीच उन्होंने, खुद के हाथ से, मुझे एक पोस्ट-कार्ड लिखने के लिए समय निकाल ही लिया। संक्षेप में उनका पत्र इस प्रकार रहा —

“कई दिनों से आप को लिखने की सोच रहा था, किंतु समय ही न निकाल सका। आज लिखने का सकल्प कर के ही बैठ गया, जिससे आप के पास यह पत्र पहुंच रहा है। देशसेवा के लिए अभी बहुत बड़ा कार्यक्षेत्र पड़ा हुआ है। अतः आप के लिए यही बेहतर होगा कि आप अनिवार्य रूप से प्राप्त इस विश्राम का अपने स्वास्थ्य-सुधार के लिए उपयोग कर लें, ताकि भविष्य में स्वतः पर आ पड़नेवाली और अधिक जिम्मेदारियों को उठाने की क्षमता आप में आ जाय।”

(५) १९२१ ई० की बात है। मैं गुजरात प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का मंत्री था, और साथ ही उस वर्ष अहमदाबाद में आयोजित कांग्रेस के ३६ वे अधिवेशन की स्वागत-समिति के प्रधान-मंत्री के नाते भी काम कर रहा था। स्वागत-समिति ने यह निश्चय किया था कि प्रतिनिधियों आदि के लिए बनने-वाले वासस्थान विशुद्ध खादी के ही हों। अतः मैं बड़ी भारी तादाद में खादी खरीदता था, जिस के लिए मुझे हर रोज दस से ले कर पंद्रह हजार रुपये तक की हुडिया छुडानी पड़ती थी। बवई कमेटी द्वारा आश्वासित १॥ लाख रुपये की मोटी रकम वा कई महीनों से मैं इतजार कर रहा था। इसकी याद दिलाते हुए मेरे द्वारा भेजे गये पत्र भी, मालूम होता है, बेकार साबित हुए थे। तब मेरे पास कुल जमा सिर्फ पंचाम हजार रुपया ही रह गया था। इस हालत में यदि बवई से तुरत रकम नहीं जाती है तो पाचवे दिन की हुडिया मैं कैसे छुडाता? चापू बवई जानेवाले थे। उन्हें सारी स्थिति समझाते हुए मैंने प्रार्थना की कि वे बवई पहुंचने पर तुरत मुझे इस आशय का तार दें कि बिल्कुल उसी दिन रुपया खाना कर दिया जायगा। इससे मेरी चिंता मिटेगी। उन्होंने यह स्वीकार कर लिया। उन दिनों तार देने में सिर्फ छ आने लगते थे। किन्तु दूसरे दिन तार नहीं मिला। इससे स्वाभाविक रूप से मुझे कुछ झुझलाहट हुई, और मैंने सोचा कि इसमें ज्यादा जरूरी कामों की गड़बड़ी में चापू मेरा यह छोटा सा काम भूल गये होंगे।

दूसरे दिन मुझे एक पत्र मिला, जिसके साथ तार का एक फार्म, जो कि गांधी जी ने अपने हस्ताक्षर सहित भरकर बवई के तार-घर में देने के लिए पिछो के मुपुर्द रिया था, नत्थी था। उक्त फार्म की पीठ पर गांधी जी द्वारा लिखा हुआ निम्नाशय का मजमून था.—

“प्रिय मावलकर, आप की चिंता को चौबीस घंटे के लिए मैंने बड़ा दिया है इसलिए तो मुझे ख्याल है। किन्तु आज छुट्टी का दिन होने के कारण तार देने में कुछ अधि रुकने लग जाते। चूंकि आप को निश्चित रूप से रुपये भेजे जाने-वाले हैं इसलिए मैंने, यह जानते हुए भी कि आप कुछ अधिक पेटों तक भिजित रहेंगे, तार-घर की बचत करना उचित समझा।”

सांख्यिक पत्र की बचत के प्रति सैंची मूकम सावधानी है! चापू के रुई मसोरे और लेस अपने नाम प्राप्त तारों या पत्रों की कोरी जगह पर लिखे हुए हों, यह बात संभवतः बड़ा काम लोग जानते होंगे।

(६) अहमदाबाद में आयोजित ३६ वे कांग्रेस-अधिवेशन की स्वागत-समिति ने यह तय किया था कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी कारण से काप्लिमेटरी टिकट न दिये जाय। एक दिन वापू के नाम से मेरे पास इस आशय का सदसा पहुँचा कि मैं, मंत्री के नाते, १८ काप्लिमेटरी टिकट भेज दू। न तो उन लोगो के नाम ही दिये गये थे जिनके लिए कि टिकट जारी करने थे, और न इनके जारी करने का कारण ही बताया गया था।

मैं वापू के पास जा पहुँचा, और उनके साथ मेरी कुछ खटपट हुई जो निम्न प्रकार है —

मैं—वापू, क्या वास्तव में आप ने इतने अधिक काप्लिमेटरी टिकट मागे हैं ?

वापू—जी।

मैं—क्या मैं उन सज्जनो के नाम, और किस सबब से उन्हें टिकट जारी किये जाय यह जान सकता हूँ ?

वापू—श्री उन लोगो के नाम जानते हैं। टिकट जारी करने का कारण यह है कि उन में से हरेक ने तिलक-स्वराज्य-फंड में पचीस हजार से अधिक रुपये प्रदान किये हैं। •

मैं—तो क्या स्वत द्वारा राष्ट्रीय कार्य के लिए दान-स्वरूप दी गई रकम पर कमिशन पाने का प्रयत्न यही इसका अर्थ नहीं होता ?

वापू—ना।

मैं—तो क्या मैं ऐसे लोगो के लिए भी काप्लिमेटरी टिकट जारी कर सकूँगा जिनके पास देने के लिए पैसा नहीं है किंतु जिन्होंने अपना खून और पसीना बहा कर बहुत कुछ अदा किया है ?

वापू—जरूर।

मैं—इसी भाँति अमुक अमुक सज्जन के लिए, जो कि दिन-रात हमारे साथ काम कर रहे हैं और जिनकी मदद के बिना हमारा प्रवच-कार्य कतई आगे नहीं बढ़ पाता, मेरे द्वारा काप्लिमेटरी टिकट जारी किया जाना क्या उचित माना जायगा ?

बापू—हा ।

मैं—फिर, इसी तर्क के अनुसार, मैं खुद अपने लिए भी एक टिकट क्यों नहीं ले सकता ?

इस पर अट्टहास करते हुए बापू बोले, “हा, ले तो आप सकते हैं । किंतु मैं आप को यह बताना चाहता हूँ कि यदि निमंत्रित सज्जनो में से कोई कांग्रेस-अधिवेशन में उपस्थित रहना चाहता होगा तो मैं उसे इतना अवश्य ही कह दूंगा कि स्वागत-समिति ने शिष्टाचार का परिचय दिया है; किंतु क्या आप कार्पोरेटरी टिकट लेने के बजाय उसका पैसा अदा करके ही अधिवेशन में शामिल होना पसंद न करेंगे ? ”

यह तर्कसंगत विचार-प्रणाली मुझपर अत्यधिक असर कर गई । क्योंकि दर्शक-टिकट की दर अधिक से अधिक पाच हजार रुपये थी, और मेरे पास फंड की बहुत कमी थी ।

किंतु स्वागत-समिति के पूर्वोक्त प्रस्ताव के रूप में मेरे मार्ग में पुनः बाधा उपस्थित हुई । तब मैं बोला, “टिकट तो मैं दे दूंगा, किंतु स्वागत-समिति के इस विषयक प्रस्ताव के कारण कुछ कठिनाई मालूम हो रही है । बहरहाल टिकट तो मैं दे ही दूंगा । ”

बापू—आप स्वागत-समिति के प्रस्ताव के विरुद्ध कैसे जा सकते हैं ?

मैं—उसकी ओर से ऑख मूंद लेंगे । क्योंकि मैं नहीं समझता कि उस प्रस्ताव अथ रद्द किया जा सकेगा ।

बापू—ना, आप स्वागत-समिति के प्रस्ताव के विरुद्ध कोई काम न करें ।

मैं—फिर और क्या करूँ ? स्वागत-समिति के साथ बहस कर उसे बायल करने में मैं कामयाब हूँगा ऐसा मैं नहीं समझता । अतः, यदि ये टिकट जारी करना लाजिमी हो तो, समिति को अप्रसन्न करने का धोखा मुझे उठाना ही पड़ेगा ।

बापू—ना, यह तो ठीक न होगा । आप स्वागत-समिति की एक विशेष बैठक बुलाकर प्रस्ताव रद्द कर लें ।

में—सो तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन इसी शर्त पर, कि आप उक्त बैठक में उपस्थित रहकर सदस्यों के साथ बहस करने के लिए तैयार हो।

यह कहने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं कि गांधी जी बैठक में उपस्थित रहे। मूल प्रस्ताव रद्द किया गया, और तभी 'काप्लिमेंटरी' टिकट जारी हुए। स्मरण रहे कि अवैधानिक तरीके से अपने उद्दिष्ट की पूर्ति करने के लिए मेरे तैयार हो जाने पर भी गांधी जी इससे सहमत नहीं हुए। "साध्य से ही साधन का औचित्य सिद्ध होता है" इस तर्कप्रणाली का उन्होंने अवलंब नहीं किया। क्योंकि साध्य के समान ही साधनों का भी शुद्ध और उच्च होना नितान्त आवश्यक था। यह छोटी-सी घटना गांधी जी को एक सच्चे प्रजातंत्रवादी के रूप में हमारे सामने उपस्थित करती है।

सासवने (बवई),

१-६-१९४६

गांधी जी से भेंट गगनविहारी मेहता

गांधी जी से मैं पहले पहल दिसंबर १९१५ में बवई में कांग्रेस-अधिवेशन के अवसर पर मिला। तब वे दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट कर यहाँ अपना आसन जमाने की कोशिश में थे। मैं पिता जी के साथ उनसे मिलने गया। पतलून पहनकर जाने के कारण फर्श पर विराजे हुए गांधी जी के साथ बैठने में मैंने कंसी कठिनाई अनुभव की यह बात आज भी मुझे याद है। अछूता के विषय में उन्होंने चर्चा की, और बोले कि अछूता के लिए प्रचलित "शूद्र" शब्द की अपेक्षा "पददलित" शब्द का प्रयोग करना उन्हें अधिक पसंद है। उनकी राय में तथाकथित उच्च वर्णिय लोग ही वास्तव में "शूद्र" कह जाने योग्य थे। उन्होंने और यह भी कह दिया कि उपरोक्त संज्ञा के आविष्कारक वे खुद नहीं हैं, बल्कि किसी सज्जन, अभयन श्री एड्मंड द्वारा उन्हें यह मुझाया गया है। उस समय मैं बहुत ही छाटा—याने केवल पंद्रह वर्ष की उम्र का—हाने के कारण उनकी महानता का आकलन करने में असमर्थ था। उनके सवध में, जैसा कि मुझे याद है, उस समय मैंने अपनापन अनुभव किया, और मुझे एसा लगा कि यह चम्स मामूली लोगों से मिल्लुल ही निराला है, याने, आप बुरा न मान तो कह दूँ—"सनकी"।

कांग्रेस के खुले अधिवेशन में गांधी जी द्वारा दिया गया भाषण, कम से कम मुझ जैसे युवा श्रोताओं के लिए, बड़ा ही निराशापूर्ण रहा। दक्षिण अफ्रीका के ऐतिहासिक आंदोलन में भाग ले कर हाल ही में लौटे हुए गांधी जी का जनता ने अतुलनीय उत्साह से स्वागत किया। किंतु वे धीमी आवाज़ में भावनाशून्य ढंग से बोले, अर्थात् उनके भाषण में अलंकारिक और आडंबरपूर्ण बातों को कोई स्थान ही नहीं रहा। सीधीसादी, साधारण बातचीत के ढंग की, धीमी आवाज़ में—स्मरण रहे कि उन दिनों ध्वनि-विस्तारक नहीं थे—दी गई उनकी वक्तृता, तत्कालीन सभा-सम्मेलनों के मंच पर अपनी धाक जमानेवाले सुरेन्द्रनाथ बनर्जी की आवेश और हावभाव से युक्त वक्तृत्वशैली के सर्वथा विपरीत थी। चुनौचे हम बोले, “ना, इन महाशय ने दक्षिण अफ्रीका स्थित गोरों के विरुद्ध भले ही किसी आंदोलन का नेतृत्व किया हो, किंतु ये वक्ता तो हैं ही नहीं। ये जनता को उत्तेजित नहीं कर सकते, और न इनमें अपार श्रोतृ-समुदाय को अपने वशवर्ती करने की ही क्षमता है।” अधिवक्ता के कारण उनके प्रति बना ली गई उक्त धारणा कौसी खेदजनक थी !

गांधी जी विषयक मेरा दूसरा सस्मरण गोध्रा में आयोजित गुजरात प्रांतीय राजनीतिक-परिषद् के समय का है, जब कि उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में पहलूपहल प्रवेश किया। अक्टूबर १९१७ की यह बात है। बंबई के शिक्षाधिकारियों ने एक विज्ञप्ति निषाल कर विद्यार्थियों को राजनीतिक सभाओं में भाग लेने की मनाही की थी। एनी बेज़ेंट के होम-रूल आंदोलन का यह परिणाम था। लेस्लिन अधिकाारियों का दृष्टम तोड़ने में भी कुछ बहादुरी है ऐसी गर्वीली भाषना से हम में से कुछ सभा-सम्मेलनों में बराबर भाग लेते ही रहे। गोध्रा जाने के लिए मैं उसी ट्रेन में सवार हुआ जिसमें कि श्री महादेव देसाई अपने आपसी गांधी जी के घरणों में अहित करने के लिए जा रहे थे। गांधी जी में जाकर मिलने में मैं हिचक रहा था, किंतु महादेव भाई ने आग्रह किया। चुनौचे मैं उनका सामने जा कर नमस्कार गडा हो गया। किसी ने—मेरा स्वार्थ है कि ये थी मणिमाल कोठारी से—गांधी जी में पता कि घूक में गस्वारों दृष्टम तोड़ कर राजनीति-परिषद् में उपस्थित रहने के लिए जाय है इय ई ए मूते भी एक सत्ताप्रही जोर यापू का अनुयायी माना जाय। गुन कर बापू हम रिये। गभना: हम प्रचानि-गत्र में ये गहमन नहीं थे।

परिपद् में गांधी जी द्वारा दिया गया भाषण, जिसमें लोगो के दैनंदिन जीवन से सबंधीत सडास-सफाई आदि बातों का ही उल्लेख किया गया था, इतना मामूली रहा कि सुनकर अधिकांश लोग भौचक्का रह गये और शेष थोड़े से लोगो को उससे चोट पहुँची। कुछ लोगो को उनके द्वारा किया गया अहिंसा सिद्धांत का प्रतिपादन जँचा नहीं, जब कि दूसरे कई लोग सरकार और ब्रिटिशो के प्रति आवेशयुक्त आलोचना से शून्य उनकी वक्तृता सुन कर निराश रह गये। और शेष कुछ लोगो को तो उनके द्वारा अछूतो का जोरदार पक्ष ले कर उसके बहाने हिंदुओ की कट्टरता के विरुद्ध बुलद की गई आवाज के कारण सदमा पहुँचा।

उसी समय की और एक घटना मुझे याद है। वे इस बात के लिए बड़े उत्सुक थे कि परिपद् की कार्यवाही ठीक वक्त पर शुरू हो। एक बार परिपद् में किसी प्रमुख नेता के पधारने में देर होने की वजह से कार्यवाही नियत समय के पौन घटा वाद शुरू हुई। वह शुरू करते हुए गांधी जी ने केवल इतना ही कहा - "मैं सोचता हू कि स्वराज्य भी पँतालीस मिनट देर से ही आयगा।"

इस के बाद कई वर्ष तक, सिवाय बीच में एक बार एक झलक पाने के, गांधी जी से भेट करने का मुझे कोई मौका ही नहीं मिला। मई १९२४ में अपने ऊपर की गई शस्त्रक्रिया के कारण जेल से रिहा होने के बाद वे स्व० सेट नरोत्तम मोरारजी के जुहू स्थित दरिया-किनारे के बगले में जाकर ठहरे हुए थे। मैं अपने पिता जी और भतीजे के साथ उनसे मिलने गया। मेरे छोटे भतीजे ने एक बगला राष्ट्र-गीत गाया, जो सुनकर गांधी जी को प्रसन्नता हुई।

पुनः कई वर्ष गुजर गये। बीच बीच में महादेव देसाई मुझ से बहते रहे कि मैं वापू से मिल कर अपनी दिक्कतों और एतराजों के बारे में उनमें चर्चा करूँ। किंतु मैं सकोच और लज्जा अनुभव करता रहा, और उनका कीमती वक्त बर्बाद करने में भी हिचकिचाहट मालूम हुई। एक बार की, संभवतः १९३४ की, बात है जब कि वे हरिजन-दोरे के सिलसिले में उड़ीसा से बंगाल की ओर जा रहे थे। तब मेरी धर्मपत्नी और मैं उन्हें अपनी श्रद्धालु अर्पित करने के हेतु, और खास तौर से इस लिए कि हमारे उच्चा ने कभी उनका दर्शन न किया था, कलकत्ते में लगभग ७० मील दूरी पर स्थित सडगपुर जा पहुँचे। वेटिंग रूम में बँट पर मूत बातने के साथ ही साथ वे स्वतः की घेर रखनेवाँ

लोगों द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तर उल्लसित वृत्ति से देते जा रहे थे। श्री सतीश दासगुप्ता के सुपुत्र ने उनसे पूछा, “बापू, आप मजे में तो हैं ?” इस पर गांधी जी ने नपेतूले शब्दों में धीरे से प्रतिप्रश्न किया, “आप का आशय शरीर से है या मन से ?” सुन कर सारी भीड़ खिलखिला उठी। किसी ने कहा कि स्टेशन-मास्टर आपसे मिलना चाहते हैं। “बुलावो उन्हें, वह कोई भी क्यों न हो, मेरे लिए तो सभी स्टेशन-मास्टर ही हैं।” उनका उत्तर रहा।

उपर्युक्त भेद के अवसर पर, और बाद में भी जब कभी हमने सेवाग्राम की यात्रा की है तब, जो एक बात विशेष रूप से अनुभव की वह यही है कि गांधी जी और कस्तूरबा अपने अतिथियों की सुख-सुविधा सबधी छोटी से छोटी बात का भी खुद न्याय रखते थे। अनेकविध कामों में फंसे रहने पर भी हमारा भोजन हुआ या नहीं, और खडगपुर स्टेशन पर या शहर में इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है इस बात की स्वयं गांधी जी ने ही पूछताछ की। चुनावों इन छोटी-छोटी बातों की ओर एक ऐसे व्यक्ति द्वारा ध्यान दिया जाना देख कर, जिसमें कि साधारणतया इसकी आशा नहीं की जा सकती, में वास्तव में दंग रह गया।

१९३७ ई० में जब गांधी जी कलकत्ते में श्री शरद्वद्र बोस के घर ठहरे हुए थे तब हमने कभी उन्हें कोई वस्तु नहीं दिया। उन्होंने हम लोगों को यह सरल, मुगद और स्पृहणीय वाम साँप रखा था कि हम हर रोज शाम के ब्रह्म महादेव भाई को अपने साथ घूमने ले जाया करें। इस से पहले महादेव भाई विसरे साथ घूमने जाते रहे यह उन्हें मालूम न था, किंतु सीधे ही उन्हें हमारा न्याय हो आया जिसमें उन्होंने यह काम हमें सौंपा। एक बार ऐसा हुआ कि महादेव भाई का बहुतसा काम करना अभी बाकी पड़ा था और वे काम भी बहुत गये थे। अतः उग दिन उन्होंने घूमने आने में अपनी असमर्थता प्रकट की।

ऐसे ही एक अन्य अवसर पर सौ साल तक जीवित रहने सबधी उनके विचार मुझे जानने मिले। एक दिन शाम के लगभग पाच बजे, जब कि मैं उनके पास बैठा हुआ था, कमरे के बाहर घटी बज उठी। सुन कर वे मुझ से पूछने लगे कि यह क्यों बजी है ऐसा तुम्हारा ख्याल है? मैं बोला कि शायद भोजन का वक्त हो जाने की सूचना देने के लिए बजी है। उन्होंने जवाब दिया कि यह खुद उन के लिए ही काम बंद कर देने की सूचना-स्वरूप बजायी गई है, और यह आश्रमवासियों की सूझ है। उन्होंने और यह भी कह दिया कि, एक ज्योतिषी ने उनके सौ साल तक जिन्दा रहने की भविष्यवाणी की है, और कुछ नहीं तो कम से कम उस ज्योतिषी को सच्चा साबित करने के लिए अपने को इस दिशा में उद्योग कर के शतायु होनाही पड़ेगा। सुन कर सभी हस पड़े।

* फरवरी-मार्च १९४३ ई० के उनके उपवास-काल में मैं उनसे मिलने के लिए पूना स्थित आगा खा महल में गया। उनकी आवाज धीमी हो जाने पर भी साफ सुनाई पड़ रही थी। जब मैंने दिल्ली में आयोजित सर्वदल-सम्मेलन का उनसे जिक्र किया तब वे, मानो यह व्यक्त करने के लिए कि अपने को इस बाबत सब कुछ मालूम है, मुस्करा दिये। और धीमे से बोले, “अब तक का तो यही अनुभव है कि उनके कानों पर जरा भी जू नहीं रेगनेकी। न मैं ही कोई जासाएँ बौध बैठा हूँ।”

उनके थरथराते हुए हाथों में अंग्रेजी कविता की एक पुस्तक देख कर मैं दग रह गया। मुझे बताया गया कि उक्त पुस्तक में संग्रहित थामसन की “हाउड आफ हेवन” रचना उस समय उनकी मनभाती कविता बन गई थी।

बावजूद इन सब बातों के वे शांत और प्रसन्नचित्त दिखाई पड़े। जब मैंने श्रीमती सरोजिनी नायडू से इसका जिक्र किया तब वे बोली : “किंतु यह उनके शारीरिक स्वास्थ्य का प्रमाण तो नहीं माना जा सकता। वैसे तो वे अतधडी तक प्रसन्न ही बने रहेंगे, और मौत का भी हँसमुखसे स्वागत करेंगे।”

मई १९४४ में अपनी रिहाई के बाद जब वे जुड़ रहने के लिए आये तब सयोगवश हमें भी उनके पड़ोस के ही घर में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ हमने उनकी अगवानी की, और जब वे जुड़ से पूना के लिए प्रस्थान कर रहे थे तब उन्हें बिदाई भी दी। महादेव भाई के देहावसान पर “हिदुम्यान

स्टैंडर्ड" में मेरे द्वारा एक लेख रूप में उनके प्रति अर्पित की गई श्रद्धाजली पढ़ कर वे प्रभावित हुए। उन्होंने मुझे एक सुंदर पत्र लिख कर, जिसे कि मैं अपना गौरव-धन मानता हूँ, यह आदेश दिया कि मैं महादेव भाई के सुपुत्र को कुछ पढ़ाया करूँ और उसकी शिक्षादीक्षा में रचि लूँ। जब हम उनसे (उनके महीने भर के मुकाम में सिर्फ एक ही बार) मिलने गये तब मैंने उन्हें कहा कि मैं आप को हँसाना चाहता हूँ। सुन कर वे बोले कि यह तो उत्तम बात है, क्योंकि बाकी सभी लोग तो अपना दुखड़ा रोने के लिए ही आते रहते हैं।

मेरी पुत्री उमा की अस्वस्थता के समाचार मिलते ही वे चिंतित हो उठे। वे प्रति दिन डा. सुशीलाबेन में उसके स्वास्थ्य के बारे में आस्थापूर्वक पूछताछ करते रहे, और एक दिन तो खुद ही उससे मिलने आये। उन दिनों उनका मौन-व्रत चल रहा था, अतः वे संकेत से एव दृभापियों के जरिये बातचीत का काम लेते रहे। फिर भी उन्होंने रोगिनीसहित सब को सिलखिलाकर हँसा दिया।

अपने अमेरिका से लौटने पर मैं उनसे मिलने के लिए सेवानाम गया। हेतु यही था कि वहाँके अपने अनुभव एव उनके नाम लाये हुए सदेस उन्हें सुना दूँ। उनका मौन चल रहा था। जो मधे से पहला सवाल उन्होंने मुझ में पूछा वह यही था "खुद आप ने तो पूरा लुप्त उठाया या नहीं?" सुन कर उनकी जगल-बगल बँटें हुए सभी लोग हस पड़े। उनके लिए लुई फिशर की जो एक पुस्तक में ले आया था उसका स्वीकार करते हुए वे बोले, "सक्षेप में यही कहना पड़ेगा कि अमेरिका और अन्य राष्ट्र तब तक हमारी सहायता करने के लिए तैयार नहीं हैं जब तक कि हम आप अपनी सहायता नहीं करते।"

गोधपुर में हमें दो बार उनका साथ तेज चाल में मँर करने का मुजबसर मिला, एक बार तो मुयह के बक्त जोर एक बार घाम को। मँर के समय फुटकर बात करना उन्हें बहुत भाना है, और जब हमने कुछ चिस्ती मुनाये तब ये मुन्गरा शिये। पंडित जवाहरलाल ने जिन कर्त्तव्यों के बोले, "तई बातों में ये मुत्तमं बाजी मार ले गये हैं।"

रत्नता,

२५-३-१९६६.

उनका दैनंदिन जीवन

मीराबेन

बापू के दीर्घ जीवन-काल के प्रसंगों में मेरे लिए सब से बढ करंकीमती और सर्वोत्कृष्ट प्रसंग है नित मथा जाने वाला उनका दैनंदिन जीवन। अवश्य ही इस से मेरा अभिप्राय उनके प्रातः ३॥ या ४ वजे जगने, दिन में दो बार प्रार्थना करने, सात्विक आहार लेने आदि से नहीं है। दूसरे भी कई लोग ये सब वाते करते हैं। किंतु हरेक काम करने का उनका अपना अलग ढंग है, जो कि उनकी विशेषता है। मैं जब भी कभी बापू के सन्निध होती हू तब प्रति दिन कुछ देर के लिए उनके पास चुपचाप बंठे रहना मुझे बहुत भाता है। सो भी ऐसे वक्त नहीं जब कि वे लोगो से भेंट-मुलाकाते और सलाह-मशविरा करने में मशगूल हों, बल्कि ऐसे वक्त जब कि वे अकेले रहते हैं। बापू के कर-स्पर्श से बढ कर कोमल स्पर्श मैंने कभी अनुभव नहीं किया, और लेखन-मग्न बापू को देखते देखते तो मैं कभी अघाती ही नहीं। उनके हाथों कोई चीज जरा भी जाया नहीं हो पाती, और न वे कोई वस्तु विनष्ट ही होने देते हैं। मैं देखती हू कि बापू विचार-मग्न हो गये हैं। फिर पत्र लिखने के लिए कागज का एक पुरजा धीरे से उठा लेते हैं। और, वह छोटा होने पर भी, अपने सक्षिप्त पत्र-व्यवहार के लिए उमें आवश्यकता से अधिक बडा समझ कर सावधानी के साथ मोड कर दो टुकड़ों में बाट देते हैं। जब लगभग ३ इंच चौड़े और ५ इंच लम्बे इस पुरजे पर वे जो कुछ चाहते हैं, लिखते जाते हैं। पश्चात् वे पुन कुछ ढूढ़ने लगते हैं। पास ही स्टेशनरी से भरा हुआ खादी का एक बक्स है। इमें वे धीरे से खोल कर उसके भीतर से एक लिफाफा निकाल लेते हैं। फिर उम पर पता लिख कर पूर्वाभिन पत्र उस में बढ कर केपाम की एक दूमरी टोकरी में, जो कि बाहर भेजी जाने वाली डाक रखने के लिए है, वह डालते हैं। इसके बाद लिखा जाने वाला पत्र और भी छोटा होने की वजह से वे पोस्ट-बार्ड काम में लाते हैं। उनके पाम लिखने के लिए फॉटनपेन नहीं हैं। दुर्भाग्यवश अपनी पिछला फॉटनपेन गुम हो जाने के बाद वे साधारण निब व हो डर वा ही वे उपयोग करने लगे हैं। और दायाल के तीर पर लठ के कुन्द में गडाई गई याम ही थोडा,

जिसके साथ कलम व पेन्सिलें भी रखी जा सकती हैं, वापू की छोटी सी 'पेटेट' चीजों में से एक है। इस कलम-दान का इस्तेमाल करते वक़्त वापू हर बार उसके भीतर की दावात पर का टिन का ढक्कन बड़ी सावधानी के साथ खोल कर काम हो जाने के बाद पुनः उसी भाँति लगा देते हैं। पोस्ट-कार्ड लिखना खत्म हो कर, डाकखाने में छोड़ी जानेवाली चिट्ठियाँ रखने के लिए जो टोकरी है उसमें डाला जाता है। अब पुनः वे स्टेशनरी से भरे हुए खादी के बक्स की ओर मुड़ते हैं। विभिन्न आकार-प्रकार के जो एकपीठे कागज चुनने में वे व्यस्त हैं उससे यह साफ़ झलकता है कि कोई लेख लिखने का उनका इरादा है। 'पुस्ती' के उनके ये कागज हर डाक से अपने नाम नित्य आते रहनेवाले अनगिनत पत्रों में से बड़ी सावधानी से छाटे गये एकपीठा पत्रों से बना लिये गये हैं। वापू लिखना शुरू कर देते हैं। ज्ञात होता है कि किसी गभीर विषय पर, संभवतः किसी वर्तमान ज्वलंत समस्या पर, लेख लिखा जा रहा है। क्योंकि उनके चेहरे पर से उनकी एकाग्र और दृढ़ निश्चयी वृत्ति जो व्यक्त हो रही है। किंतु लेख पूरा होने से पहले ही वे ऊपने लगते हैं। तब कलमदान में कलम रख दी जाती है, बाम की बोतल का ढक्कन लगा दिया जाता है। 'पुस्ती' के कागज भी सावधानी के साथ एक ओर रख दिये जाते हैं। फिर वापू मुड़ कर अपनी गद्दी पर लेट जाते हैं। वे अपना ऐनक उतार कर गिरहाने रख देते हैं, और फिर दो-एक मिनट के भीतर ही निद्रामग्न हो कर बच्चों की नाईं सहज ढंग से श्वासाच्छ्वास करने लगते हैं।

भे एक झूमाल उठा कर उनके गिरहाने वंठे वंठे मस्तिष्क उड़ाने लगती हैं।

ये क्षण मुझे ज़रूरत मूल्यवान् और नितांत मधुर प्रतीत होते हैं, क्योंकि ये क्षण अधिक शिक्षाप्रद हैं कि शब्दों द्वारा उनकी अभिव्यक्ति कदापि श्रमय नहीं।

“ मुझ तो अपना वह छोटा सा टुकड़ा ही चाहिये । ” इस पर किसी ने पेन्सिल का एक टुकड़ा ला दिया । देख कर वे पूछने लगे, “ क्या मैं दूसरे की पेन्सिल से सतुष्ट हो जाऊंगा ऐसी आप मुझ से आशा करते हैं ? मान लो कि आप का बच्चा खो गया है । ऐसी हालत में यदि कोई दूसरा बच्चा लाकर आप से कहने लगे कि ‘ उसके बदले यह लो ’, तो क्या आप उस से सतुष्ट हो जायगे ? ” इसके बाद तो बड़े जोर से खोजबीन की गई, आखिर पेन्सिल का वह छोटा सा टुकड़ा मिल ही गया, और जब विजयोल्लास के साथ वापू को वह ला दिया गया तब उन्होने प्रसन्न मुद्रा से उसका स्वीकार किया ।

विश्वभर में वास्तविक गांधी-आश्रम केवल एक ही है, और वह है कुछ वर्गफीट वह स्थान जहा कि वापू की गद्दी और लिखने का छोटा सा डेस्क लगा हुआ है ।

पश्लोक (यू. पी.)

२४-१-१९४८

गांधी जी मेरी नज़रों में

प्यारेलाल नय्यर

[निम्न स्मृतियाँ गांधी जी के देहात से कुछ ही दिन पूर्व, जब कि मैं उनके साथ था, लिपिवद्ध की गई थी । उनसे ये अंतिम बार सुघरवा कर इनके लिए उनकी स्वीकृति भी प्राप्त की जाने वाली थी । अपनी लिखी हुई इन छोटी छोटी घटनाओं और जीवन-प्रसंगों में से कतिपय मैं प्रति दिन उन्हें सुना देता था, जिससे वे काफ़ी मनोविनोद अनुभव करते रहे । मैं उनसे कहता था, “ वापू, यह सारी सामग्री आपके सामने रखी जाने वाली है । मेरे नोआखाली लौटने से पहले आप को इसे पढ़ जाना होगा । ” “ अवश्य, इसके लिए तो मैं तैयार ही बैठा हूँ, ” उनका उत्तर रहता था । किंतु, खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि, यह बात कभी पूरी होने वाली नहीं थी, अतः फिलहाल, जब तक कि प्रभु मुझे हम सब की कल्याण-कामना से हमारे बीच पधार कर अपनी पद-रज द्वारा यह भूमि पावन करने वाले उस पुरुष की जीवन-स्मृतियाँ एक वृहत् ग्रंथ के रूप में पाठकों की सेवा में उपस्थित करने के लिए सामर्थ्य और सुअवसर प्रदान नहीं करते, इन खंडित सस्मरणों से ही सतोष मान लेने के सिवा दूसरा कोई चारा दिखाई नहीं पड़ता ।]

मुझे सर्वप्रथम उस बेट की मार ने गांधी जी का भान करा दिया जो कि सामूहिक रूप से हम सब पर पड़ी। तब मैं हाईस्कूल का विद्यार्थी था। गोखले जी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से लौट आये थे, और गांधी जी द्वारा संचालित दक्षिण अफ्रीका स्थित भारतीयों के सत्याग्रह-आंदोलन में उनकी सहायता करने के लिए जनता से अपील करने के हेतु लाहौर के ब्रैडला हाल में भाषण देने-वाले थे। इस "राजनीतिक सभा" में छात्रावास के अधिकारियों से बिना "उचित रूप" में अनुमति प्राप्त किये उपस्थित रहने के कारण ही हमें बेट लगाये गये थे। मुझे माफी मागने के लिए मौका दिया गया, लेकिन मैंने इससे इन्कार कर दिया, इस प्रकार मैं अपनी इच्छा के विरुद्ध एक राजद्रोही के रूप में बदल गया, और बिना किसी प्रकार का विचार किये मैंने सत्याग्रह की दीक्षा ले ली। उस समय मैं इन बातों से, कि अपने द्वारा उठाया गया यह कदम भावी घटनाओं के शुभ-शकुन स्वरूप है, या जो कुछ मैं खुद आज कर रहा हूँ वही एक दिन सारा भारत गांधी जी से प्रेरणा पाकर करनेवाला है, बिल्कुल अनभिज्ञ था।

उक्त सभा बड़ी ही शानदार रही। लाला लाजपत राय सभापति थे और उन्होंने सदा की भांति बहुत ही भावनाप्रधान शैली में लोगों से अपील की, जो मुनकर हरेक की नस नस में खून दौड़ने लगा। किंतु मुझ पर सब से अधिक प्रभाव गोखले के भाषण में उल्लिखित उस वर्णन का पडा, जिस में कि उन्होंने गांधी जी के जेल चले जाने की बात कहने के साथ ही उन से प्रेरणा प्राप्त कर दक्षिण अफ्रीका स्थित अन्य हजारों भारतीय स्त्री-पुरुषों के संग, प्राचीन काल के शहीदों के समान साहसी और श्रद्धालु वृत्ति से जेल जाने वाली उनकी धर्मपत्नी और बच्चों के बारे में प्रकाश डाला था।

इसके छः साल बाद, १९१९ ई० के बड़े दिनों में, जमूतसर में मुझे पहली ही बार गांधी जी की एक झलक पाने का मौका मिला। तब मैं लाहौर के सरकारी कॉलेज में एम. ए. में पढ़ रहा था, और एक विद्यार्थी-दर्शक के नाते कांग्रेस-विधिवेशन में उपस्थित रहने के हेतु जमूतसर गया हुआ था। वह कड़क के जाड़े वाली मंझवा थी, और तिस पर उन दिन मूसलाधार पानी बरसने के कारण आड़ा और अधिक बढ़ गया था। मैं स्टेशन से, बीचड़ रोपता हुआ, अपने एक मित्र के घर चला आया। तिस पड़ी में मरान की गीड़िया चढ़ रहा था, एक जोर दल, त्रिचम स्वामी श्रद्धानंद जी, प. माऊधीय जी और गांधी जी थे, मेरे ठीक पीछे

आ पहुँचा। मैं सीढीपर के एक दरवाजे के पीछे छिप कर उक्त तीनों सज्जनों का सभापण, जो कि मेरी जीवन-यात्रा में घटी हुई एक विशेष बात है, सुनने लगा। तीनों सज्जन इस निर्णय पर पहुँचे कि जलियावाला बाग का स्थान राष्ट्र के लिए प्राप्त कर उसे उन अमर शहीदों का स्मारक-स्वरूप प्रदान किया जाय जो कि १३ अप्रैल १९१९ के दिन जनरल डायर द्वारा की गई कत्लेआम में मारे गये थे। और इस प्रस्तावित स्मारक के लिए धन-संग्रह करने के हेतु ही उक्त तीनों सज्जनों का प्रतिनिधि-मंडल अमृतसर पधारा था। इसकी चर्चा के समय मालवीय जी ने अपनी अपूर्व रूपसे चित्ताकर्षक शैली में धर्म, अर्थ-काम और मोक्ष के नाम पर धन के लिए लोगों से अपील की। किंतु अमृतसर के कठोर-हृदय व्यापारियों पर इसका जरा भी असर नहीं पडा। जब गांधी जी के बोलने की वारी आई तब उन्होंने सरल भाव से इतना ही कहा कि अपने सुनिश्चित लक्ष्यतक अब हमें पहुँचना ही होगा। और यदि इस में सफलता नहीं मिली तो वे अपना आश्रम बेच कर आवश्यक निधि की पूर्ति कर देंगे। किंतु किसी भी हालत में वे एक ऐसी राष्ट्रीय प्रतिज्ञा को, जिसमें कि खुद भी शामिल हैं, वट्टा न आने देंगे। अपने इस अनोखे वकील की पापाणवत् दृढता देख कर अमृतसर का व्यापारी जगं दग रह गया। इस प्रकार राष्ट्रीय प्रतिज्ञाके पारित्य विषयक पहला पाठ आज गांधी जी ने उन्हे पढाया था।

उपर्युक्त कांग्रेस-अधिवेशन में ही गार्डेन्स-चेम्सफोर्ड सुधार-योजना के संबंध में बड़े जोर का वाद-विवाद छिड गया। इस विषयक जिस प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी उसमें उक्त सुधारों को "अपर्याप्त, असतोषप्रद एवं निराशाजनक" कहा गया था। लोक-मान्य तिलक ने इन सुधारों को अपर्याप्त सिद्ध करने के हेतु उनकी स्वीकृति के पक्ष में अपनी राय दी। इसका स्पष्टीकरण करते हुए वे बोले, "इन सुधारों को हम कार्यरूप देना चाहते हैं अथवा नहीं यह बात इस प्रस्ताव में हेतुपुरस्सर टाल दी गई है। क्योंकि यह तो मानी हुई बात है कि पार्लमेंट द्वारा स्वीकृत प्रत्येक कानून का इस देश में पालन किया ही जायगा। यदि हम ब्रिटिश राष्ट्र की स्वामीभान प्रजा हैं तो पार्लमेंट द्वारा स्वीकृत हरएक कानून हमारे लिये बधनकारक है।" मूल प्रस्ताव सबधी इस सदिग्ध मध्यस्थता के प्रति गांधी जी ने

आपत्ति प्रकट की। वे इस विषय पर लोकमान्य से भिड़ पड़े। बोले, "मैं यही घोषित कर देता हूँ कि सम्राट् द्वारा जारी हरेक हुक्म और कानून मैं केवल उसी घड़ी तक मानूँगा जब तक कि मेरे दिल और दिमाग को वह मजूर है। किंतु जिस हुक्म या कानून का पालन करने के लिए मेरी आत्मा गवाही नहीं देती उस को मानने के लिए मैं कतई वधा हुआ नहीं हूँ। अवश्य ही ऐसे कानून तोड़ कर उस की सजा भोगने के लिये मैं तैयार रहूँगा।" आगे चल कर उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई बात निराशाजनक हो तो उसको पूर्णतया त्याग देना चाहिये। विपरीत इसके यदि ऐसी बात स्वीकार करनी ही हो तो हम उसके प्रति प्रामाणिक बने रहे।

खुले अधिवेशन में हिंदुस्तानी में किये गये अपने भाषण में उन्होंने उपर्युक्त कथन का और भी अधिक जोरदार भाषा में समर्थन किया। वे बोले, "यदि इस मामले में मुझे कोई चुनौती देगा तो उसे मैं स्वीकार कर लूँगा, और देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक दौरा निकाल कर इस बात का प्रचार करूँगा कि सहयोग का जो हाथ हमारे सामने बढ़ाया गया है उसका यदि हमने स्वागत नहीं किया तो अपनी सभ्यता के प्रति हम अप्रामाणिक सिद्ध होंगे और इससे हमारी स्थिति भी बिगड़ जायगी।"

* इस सारे प्रकरण का अंत नाटकीय रहा, क्योंकि विल्युल आखरी वक्त विरोधी दलों में समझौता हो गया। उनका सशोधन साररूप में मान लिया गया था। इसके सबंध में जो असाधारण बात रही वह यही थी कि उनकी सारी दलील का रख समझौते की ओर होने पर भी उसमें भरा हुआ भाव इतना अधिक विद्रोही और प्राति के स्वरूप का था कि जैसा इससे पूर्व किसी भी भारतीय ने व्यक्त न किया हो।

जनता के स्पष्ट आचरण सबंधी प्रस्ताव पर वा उनका भाषण मुझे और भी अधिक प्रभावशाली प्रतीत हुआ। उसमें नेपोलियन की भाँति हिम्मत और जोश भरा हुआ था। मुझे वह लगभग पूरा वा पूरा ही याद है। इसे "सभा के सामने खड़ा जानेवाला सर्वाधिक

महत्वपूर्ण प्रस्ताव वतलाते हुए वे बोले कि हृदय से इस प्रस्ताव के मान लेने एव उस में जो सत्य निहित है उस को समझ कर तदनुसार आचरण करने पर ही हमारी भावी सफलता निर्भर है। "किंतु", वे आगे बोले, "इस प्रस्ताव में निहित सनातन सत्य को समझने में हम जितने अंश में असमर्थ रहेंगे उतने अंश तक हमारा असफल रहना निश्चित ही है। इस सारी बौम्बलाहट के पीछे सरकार का हाथ रहता है यह बात तो मैं जानता हूँ। सरकार तो पागल हो ही गई थी, पर हमारे लोग भी पागल जो बन गये। मेरा तो इतना ही कहना है कि पागलपन का जबाब पागलपन से मत दो, बल्कि कुछ समझदारी के साथ दो जिससे सारी स्थिति आप के अनुकूल हो जाय।" उनकी वाणी इतनी अस्खलित, स्पष्ट और गुंजायमान रही कि उन दिनों ध्वनि-विस्तारके न होने पर भी सभा-स्थान के कोने कोने में वह सुनाई दी।

इसके दो मास बाद और एक प्रसंग देखने मिला। मैं एक दोस्त की मार्फत लाहौर स्थित गांधी जी के अस्थायी डेरे पर उनसे मिलने गया था। मार्शल-ला के अतर्गत दायर किये गये दावों का काम तब बड़े जोर से चल रहा था, और ऐसे मामलों में फसे हुए लोगों के मित्रों और रिश्तेदारों का तौता गांधी जी के डेरे पर हर घड़ी बँधा ही रहता था। मैं जिस वक्त उनके पास पहुँचा उस वक्त इसी प्रकार के लोगों के एक दल की उनसे बातचीत चल रही थी। उनका मामला सर्वथा निराशाजनक समझा गया, क्योंकि इसमें फसे हुए व्यक्ति के विरुद्ध हत्या का अभियोग लगाया गया था। अतः ऐसे व्यक्ति को माफी दिलाने के लिए सिफारिश करना, जिसके विरुद्ध राजनीतिक हत्या का अभियोग हो, कैसे संभव हो सकता है? वे लोग बड़े ही परेशान नज़र आ रहे थे। किंतु उन्हें धीरे-धीरे बँधाते हुए गांधी जी बोले, "इस मामले से संबंधित सारी बातें मुझे खोल कर बता दो, और अगर तुम्हारे रिश्तेदार का किसी भी प्रकार के अपराध में कोई अंग हो तो वह भी मुझे दिल से बचूल कर लो। मैं भयवर से भयकर हत्यारा तो भी पौनी के झूठे से बचाना

चाहता हूँ। मेरे आश्रम में इस किस्म के कई लोग हैं जो कि मेरे कीमती सहयोगी बन गये हैं। आज वे अहिंसा में पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं।”

राजनीतिक क्षेत्र में यह बात, कि एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति राजनीतिक समस्याओं को सर्वथा मानवीय दृष्टिकोण से हल करने की चेष्टा करे, बिल्कुल नई थी। उनकी वाणी, जिस में अविचल प्रतिष्ठा से युक्त दयालुता और राजसी सामर्थ्य भरा हुआ था, मेरे हृदय को बरबस छू गई। आज मैं अपने गुरुदेव को पा गया था, और उस दिन से मैं उन्हीं का हो रहा।

दो-एक दिन बाद मैं पुनः उनसे मिला, और यह तय रहा कि मैं सावरमती-आश्रम में भरती हो जाऊँ। “कितु”, वे बोले, “आप अभी से अपनी पढाई छोड़ बैठें ऐसा तो मैं नहीं चाहता। जो कुछ पढ़ना आप ने प्रारंभ किया है उसे पहले पूरा कर दीजिये।” इसी आशय के संस्कृत के एक श्लोक का यह चरण कि— ‘प्रारब्धमुत्तमजना न परित्यजन्ति’—कितनी ही बार उनके मुह से मुझे सुनने मिला है।

उस साल के शरदकाल में मैं अपनी पढाई छोड़ कर आश्रम में भरती हो गया। तब असहयोग आंदोलन पुरजोश चल रहा था। गांधी जी से मुलाकात होने पर वे बोले, “आप मुझे दो निबंध लिख कर दीजिये। एक तो अंग्रेजी में असहयोग विषय पर; और दूसरा, हिंदुस्तानी में किसी ऐसे विषय पर जो कि आप को पसंद हो,—उदाहरणार्थ, ‘मैं गांधी के पास क्यों आया?’ ये दोनों निबंध मुझे शाम के तीन बजे से पहले मिल जाने चाहिये।” मैं तुरत पहला निबंध लिखने बैठा। आध घंटे तक इसके लिए सिर सपाया, लिखा, फाड़ डाला, फिर लिखा; आखिर दोपहर के एक बजे मंने दोनों निबंध उनके हाथ में दिये। दूसरे दिन पुनः वे अपने नूपानी दोरे पर अनिश्चित बाल के लिए आश्रम से चल दिये, और मैं निबंध सबधी सारी बातें बिल्कुल भूल कर आश्रम के तानों में लग गया।

एक दिन दोपहर के समय, जब कि मैं अपनी चारपाई पर सुका हुआ-सा बैठा था, मुझे हिंदुस्तानी में लिखा हुआ उनका एक पत्र मिला। लिखा था कि मेरा निवध उन्होंने पढ लिया है, और वह उन्हे पसंद भी है। उक्त पत्र इस वाक्य के साथ पूरा किया गया था —“मैं आपकी लेखन-शक्ति का उपयोग कर लेना चाहता हूँ।” इसके दो ही दिन बाद उनका तार आया जिसमें लिखा हुआ था कि मैं तुरत रवाना होकर न. १ दरियागज, दिल्ली स्थित डा. अन्सारी के वासस्थान पर उनसे मिलूँ। तदनुसार जब दो दिन बाद उनके सामने जा कर मैं उपस्थित हो गया तब उन्होंने आश्रम-वासियों के सबध में, जो कि उनके लिए कुटुंबीय ही थे, सवालो की झडी-सी लगा दी। पश्चात् मुझसे कहा गया कि चूकि मैं लबी मुसाफिरी से आया हूँ इस लिए नहाअ-धोअू और कुछ देर आराम करूँ।

इसके बाद दिन में और एक वार मुझे बुलाया गया। मेरा निवध उनके सामने था। वे इसे ‘यंग इंडिया’ में प्रकाशित करना चाहते थे। पूछने लगे, “क्या तुमने थोरो का साहित्य पढा है?” मैं बोला, “जी नहीं। मुझे अंग्रेज ग्रथकारों से, खास तौर से कविया से, और टालस्टाय से लेखन-कार्य के लिए प्रेरणा प्राप्त हुई है। ग्रथाध्ययन की ओर मेरी कम प्रवृत्ति है। विचार करने में सहायता भर प्राप्त करने के हेतु ही मैं पढता हूँ। अन्यथा, कोई किताब शुरू से आखिर तक पढ जाना मुझे भारी मालूम होता है।” मुन कर वे बोले, “ठीक है।” और उन्होंने मेरा लेख इस टिप्पणी के साथ, कि “हाल ही में असहयोग करनेवाले एक पजाबी विद्यार्थी की सुयोग्य रचना,” ‘यंग इंडिया’ में प्रकाशनार्थ भेज दिया।

दूसरे दिन गांधी जी अपने दलबल सहित रोहतक के लिए रवाना हुए। मैं पीछे डेरे पर ही रह गया। गाम को रापस लौटने पर उन्होंने इसके लिए मुझे झिडका। स्पष्टीकरण—स्वरूप मने रहा कि किसी ने मुझे साथ चलने के लिए कहा नहीं इस लिए रुक गया। मुन कर उन्होंने भविष्य में मेरे साथ किस प्रकार व्यवहार किया जाय इसके सबध में अपने सहयोगियों को निश्चित सूचनायें

दे रखी। पश्चात् वे मुझे बोले कि दल के किसी व्यक्ति की असावधानी के कारण ऐसा हुआ है, फिर भी अपनी सतर्कता से उस व्यक्ति को इस प्रमाद का भागी होने से बचा लेना तुम्हारा फर्ज था। जब सकोच और विनय अपने कर्तव्य-मथ को अवरुद्ध करते हों तब वे मिय्या अहता के लक्षण मान कर उन पर विजय प्राप्त की जानी चाहिये।

अनंतर उन्होंने सेठ जमनालाल बजाज से इन शब्दों में मेरा परिचय कराया—“वही नौजवान यह है जिसका कि मैंने आप से जिक्र किया था।” सहृदय जमनालाल जी ने मुझे तुरत अपने बाहुपाश में ले लिया, और अपने स्नेहस्वरूप रोटी का एक टुकड़ा मुझे खाने के लिए दिया। उसे लेने में मेरे आनाकानी करने पर वे बोले, “खानेपीने के इन मामलों में तुम मेरा कहा माना करो, शेष सब बातें बापू की आज्ञानुसार कर सकते हो।”

उसी दिन शाम को महादेव भाई 'यग इडिया' के काम से अहमदाबाद चल दिये, और बापू की निगरानी में मेरी दीर्घ शिक्षा-दीक्षा का श्रीगणेश हो गया। किसी को भी पानी का गिलास देने से पहले उसके बाहर लगा हुआ पानी पोछ दिया जाय। खाना परोसने के हेतु हाथ धो लेने के बाद दरवाजा आदि खोलने जैसा काम उन्हीं हाथों से न किया जाय। किसी को प्याली में दूध देने से पहले वह चम्मच से अच्छी तरह हिला लिया जाय, ताकि उसकी तलहटी में कोई असाध्य पदार्थ हो तो वह ऊपर आ सके। अपनी पांडुलिपि को सुपाठ्य बनाने के लिए उसमें विरामचिन्ह, अनुस्वार आदि स्पष्ट लिखे जायें। विछोना कैंसे विछाया जाय, मल-मूत्र के घाम आनेवाले बर्तन वैसे साफ धिये जाय, आदि कुछ अन्य ऐसी छोटी-छोटी बातें थीं कि जो मुझे थोड़े ही दिनों के भीतर सीखनी पड़ी।

सूक्ष्म अध्ययन और निरीक्षण के बाद उनकी सादगी वंगी दुसाध्य यत्ना है इसका मुझे पता चल गया। एक बार किसी अवसर पर वे बोले, “सादगी ऐसी सहज साध्य नहीं है जैसा कि अधिभार लोग सोचते हैं।”

इसके बाद तो उनके सबध में मुझे और कई बातें देखने मिली । पहली तो यह, कि उनमें अपार कार्यक्षमता थी । प्रति दिन तीन या चार घंटे नींद लेकर, और बाज दफे तो बिना नींद लिये ही, लगातार कई दिन तक वे काम करते रहते थे । दूसरी बात, वे हर काम बड़ी सावधानी से करते थे । तीसरी बात है साफ-सफाई और सुव्यवस्था के प्रति उनकी सतर्कता, चाहे उसका सबध सोच-विचार, लेखन-कार्य, अपनी पोशाक, या दैनंदिन जीवन विषयक अन्य किसी भी कार्य से क्यों न हो । चौथी, फौजी ढंग का उनका अनुशासन और घड़ी की ओर ध्यान देकर ठीक वक्त पर हरेक काम करने के लिए उनका आग्रह । इन नियमों का वे स्वयं तो पालन करते ही थे, साथ ही दूसरों से भी वे इसकी आशा रखते थे । और पाचवीं बात है अपने सारे काम यथासंभव खुद ही करने की उनकी आदत । यदि उन्हें कामकाज के कोई कागज देखने होते, या पीकदान की जरूरत लगती तो वे खुद ही उठ कर ले आते थे, यहातक कि अपने वस्त्र भी आप ही मरम्मत करते थे । खुद बोल कर दूसरे से कुछ लिखवाने की अपेक्षा अपना लेखन-कार्य आप ही करना उन्हें अधिक पसंद था । एक दिन मैंने ऐसे ५६ पत्र देखे जो कि उन्होंने खुद के हाथ से लिखे, एव वे डाक में छोड़ने के लिए देने से पहले उनमें से प्रत्येक पर की तारीख से लेकर पता—ठिकाना तक सारी बातें पुनः पढ़ी ।

नई दिल्ली,

१३-४-१९४८

धूप-छाँह

सुशीला नय्यर

बहुतों का ऐसा ब्याल है कि गभीर एव धार्मिक मनोवृत्ति के लोग के जीवन के साथ हँसी-मजाक की बातें मेल नहीं खा सकती । इसी लिए जब वे यह सुनते हैं कि गांधी जी हँसी-मजाक का एक भी मोक़ा हाथ से नहीं जाने देते तब उन्हें उसमें सहदह होने लगता है । और अन्य कुछ लोग पूछते हैं, "अपने कृपा पर

महान् कार्यभार लेकर चलनेवाले गांधी जी हसी-मजाक की बातों में समभवतः कैसे सम्मिलित हो सकते हैं ? ” इसके जवाब में गांधी जी कहते हैं कि हर परिस्थिति में हास-परिहास करने की अपनी क्षमता के कारण ही बहुत सारे कामों का बोझ वे उठा पाते हैं । हाल ही में अपने एक मित्र से वे बोले, “यदि मुझे में परिहास वृत्ति नहीं होती तो जो आघात मुझे सहने पड़े हैं उनके कारण मेरे प्राण-पखेरू कभी के उड़ गये होते; किंतु ईश्वर में मेरी ज्वलत निष्ठा है, और जब तक प्रभु मेरा पथ-प्रदर्शन करते रहेंगे तब तक लोग अपने संबंध में क्या कहते हैं इसकी मुझे चिंता नहीं । उनके द्वारा की जानेवाली अपनी आलोचनाओं पर मैं ध्यान ही नहीं देता, और जो मेरी हसी उड़ाते हैं उनके साथ भी मैं हसी-मजाक कर सकता हूँ । इसी के बलपर तो अबतक जिंदा रह सका हूँ ! ”

अपने साथियों के सग बातचीत या हसी-मजाक करने का गांधी जी का ढंग देख कर मैं अक्सर दग रह गई हूँ । बच्चों के साथ वे बालकोचित तरीके से मनोविनोद करते हैं, युवकों के से युवको जैसा, और बड़े-बूढ़ा के सग वे भी बूढ़े बन जाते हैं । इसी भाँति वे राजनीतिज्ञ व्यक्तियों के साथ राजनीति विषयक विनोदपूर्ण बातें करते हैं, और गृहस्थों के साथ घरेलू जीवन से संबंधित हास-परिहास का मजा लेते हैं । किंतु उनके समस्त हास-परिहास की पृष्ठभूमि में गांधीय की जो अत सलिला बहती रहती है वह सूक्ष्म निरीक्षक की दृष्टि से कदापि नहीं छूट सकती । मजाक के तोर पर भी वे कभी निरुद्देश्य या निरर्थक बात नहीं करते ।

राजकोट-सत्याग्रह के समय की बात है । श्रीमती मणिबेन पटेल और मृदुला साराभाई की गिरफ्तारी के कारण उक्त सत्याग्रह-आंदोलन में जो सड़ पड़ रहा था उसकी पूर्ति के हेतु कस्तूरबा राजकोट जाने पर तुली हुई थी । इसमें कुछ ही दिन पहले उन्होंने रामदास गांधी के छोटे पुत्र की देखभाल का काम संभाला था, और वह लड़का अपनी दादी ने इतना हिलमिल गया था कि दणभर के लिए भी उनसे दूर रहने के लिए तैयार न था । चुनावे था के राजकोट थले थाने पर वह बंधित हुआ, और दिनभर ‘मोटी वा’ (‘दादी’)

का नाम लेकर रोताकल्पता रहता था। उसका सात्वत करना किसी के लिए भी समभव नहीं था, और गांधी जी उस समय अत्यधिक कार्यव्यस्त थे। किंतु आखिर उन्हें ही इस ओर ध्यान देना पड़ा। अपने नाती को बुलाकर वे बोले कि जल्द ही 'मोटी बा' आने वाली है। सुनकर उस लड़के की कली खिल गई। तब गांधीजी ने उसके हाथ में एक जपमाला थाम कर उसे बाल-ध्रुव की कथा सुनाई। बोले, कि तुम भी उसकी भांति बाल-साधु बनकर ध्यान-मग्न हो जाना। जब बच्चा बैठ गया तब गांधी जी ने उससे कहा, "माला का हरेक मनका फेरते समय 'मोटी बा' का नाम जपा करो। यदि तुम ध्यानावस्थ हो कर अखंड गति से जप करोगे तो अवश्य ही 'मोटी बा' तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जायगी।" चुनाचे छोटा कान्हा आँखें मूँद कर एव यथासंभव ध्यानावस्थ हो कर माला फेरने लगा। इससे घरवालों को सौंस लेने के लिए कुछ फुरसत मिली, और वे अपने कामकाज में लग गये। बीच बीच में बालक कान्हा आँखें खोल कर शिकायत करता "फिर भी मोटी बा अभी तक नहीं आई!" तब बनावटी गभीरता से उसे झिडक कर गांधी जी कहते—“चूँकि तुम बार बार ध्यान-भंग करते हो इसी लिए वह नहीं आती। तुम ऐसा ही करोगे तो वह बिल्कुल ही नहीं आवेगी।” इस तरह यह मजाक दो-तीन दिन चलता रहा। इस बीच गांधी जी ने बच्चे को उसकी मा के पास देहरादून भेजने का प्रबंध कर लिया।

हमसे अधिकार लोग तभी अपना हँस सकते हैं जब कि जीवनग्रम निरापद रीति से चलता हो; किंतु विपम और दुखदायी परिस्थिति में भी गांधी जी का हास्य उनसे विद्युत्ता नहीं। श्रीमती कस्तूरबा की दाह-क्रिया के दिन स्वतः से मिलने के लिए आनेवाले लोगों के साथ हास-परिहास करनेवाले गांधी जी को जिन्होंने देखा है उन्हें या का प्रयाण गांधी जी के लिए क्या अर्थ रखता है इसकी कुछ भी कल्पना नहीं होगी। वस्तुतः यह एक ऐसी रिपतता थी कि जिसकी पूर्ति होना असंभव था। जंसा कि स्वयं गांधी जी ने एक से अधिक बार कहा है बिना या के एकाकी जीवन बिताना उनके लिए कठिन था

फिर भी उन्होंने अपना दुख व्यक्त नहीं होने दिया। वे सुबह से ही, बिना खाये-पिये, धधकती चिता के पास बैठे रहे। शाम होने पर किसी ने उनसे कहा कि चल कर थोड़ा आराम और नाश्ता करे। सुन कर वे हँस दिये और बोले, “यदि बासठ साल के साहचर्य के बाद आज मैं यह दाह्निया अघूरी छोड़ कर चला जाऊँ तो बा मुझे कदापि क्षमा नहीं कर सकती।” किस तरह तो वा कभी कभी उन्हें झिड़क देती थी, और किस तरह वे स्वयं उनके और हरेक के प्रसन्न हास्य की सामग्री बन सके इस हेतु उदार वृत्ति से वा को एकाधिकार की अपनी इच्छा पूरी करने देते थे यह बात किसे याद न होगी? अत्यंत दुखदायी परिस्थिति में भी प्रसन्नचित्त बने रहने की उनकी क्षमता का रहस्य, जैसा कि कई बार स्वयं उन्होंने कहा है, ईश्वर की कृपालुता में उनके दृढ विश्वास पर आधारित है।

“गीतवत् कलकल वहने वाले जीवन में मुस्कराते रहना आसान है। किंतु पुरुषत्व तभी है जब कि मनुष्य सकटों के बीच भी मुस्कराता रहे!”

बीमारी में भी उनके चेहरे पर हसी छाई रहती है, और शिष्ट हँसी-मजाक का लुत्फ भी वे पूरा उठाते हैं। आगा या महल में जब वे बीमार पड़ गये तब उनकी स्वास्थ्य-परीक्षा के लिए बर्बई सरकार ने अपने सर्जन-जनरल को भेज दिया। गांधी जी ने अपनी स्वाभाविक सौजन्यशील वृत्ति के अनुसार उसका स्नेहपूर्ण मुस्कान से स्वागत किया। उसके साथ उन्होंने हँसी-मजाक की बातें की। फलतः उनके चेहरे पर जो क्षणिक प्रसन्नता झलक गई उससे डाक्टर को उनके बारे में भोखा हुआ। उसने लौट कर एक विज्ञप्ति द्वारा उनके पूर्णतया स्वस्थ होने की घोषणा की। किंतु इसके ४८ घंटे के भीतर ही गांधी जी की स्वास्थ्य-परीक्षा करने वाले एक अन्य चिकित्सक की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसे अपनी पूर्वोक्त विज्ञप्ति या मडन करना पड़ा। बाद में प्राप्त हुई उस रिपोर्ट में उनके बुरी तरह अस्वस्थ होने का पता चला, जिसमें सरकार को उन्हें अखिलबिना गर्त छोड़ देने का निर्णय करना पड़ा।

यहा मुझे एक होम्योपैथिक-चिकित्सक के साथ एक बार गाधी जी का जो वार्तालाप हुआ था उसकी याद आ रही है। उक्त चिकित्सक उनका रोग-निदान करना चाहता था। इस लिए सर्वप्रथम उसन उनके वंशेतिहास का प्रश्न उपस्थित किया। पूछा, "आप के पिता जी की कब और किस कारण मृत्यु हुई?" "वे कमजोर होते गये, फिर उन्हें नासूर हुआ, और ६२ वर्ष की अवस्था में चल बसे," गाधी जी का उत्तर रहा। इतने से काम न चला। चिकित्सक-महाशय का दूसरा सवाल था. "आप की माता की मृत्यु किस कारण से हुई?" गाधी जी: "बंधव्य के दुख से झुर झुर कर वे चल बसी।" यह उत्तर भी उसे असतोषप्रद मालूम हुआ। क्योंकि गाधी जी के रोग का निदान करने में इससे उसे कुछ भी मदद नहीं मिल रही थी। चुनौचे गाधी जी की मेज पर की मुरब्बे से भरी हुई बोतल को लक्ष्य कर वह बोला, "क्या आप को मीठी और स्वादु चीजें ज्यादा पसद है? आप को मिठाइया अच्छी लगती हैं ऐसा मेरा ब्याल है।" उत्तर मे गाधी जी ने कहा, "लेकिन मुझे भजिया जैसी चीजें भी चलती हैं।" सुन कर डाक्टर अदब से बोला, "अवश्य ही केवल मिठाइया ही खाना कोई पसद नहीं कर सकता।" उसे बीच में ही टोक कर गाधी जी बोले, "सो न कहिये। क्योंकि मैं ऐसे ब्राह्मणों को जानता हू जो कि बिना कोई नमकीन चीज खाये कई दर्जन बड़े बड़े लड्डू चट कर जाते हैं!"

डाक्टर व्यग्र हो उठा। क्योंकि होम्योपैथी चिकित्साप्रणाली के सिद्धातानुसार औपध-योजना रोग के लक्षणों पर निर्भर करती है। अतः वह बड़ी होशियारी के साथ गाधी जी से वाछित उत्तर प्राप्त करने के लिए सचेष्ट था। किंतु इस में उसे सफलता नहीं मिल रही थी। फिर भी वह हार मान कर चुप बंटने के लिए तैयार नहीं था। पूछने लगा, "आप की स्मरण-शक्ति कौसी है?" गाधी जी बोले, "इतनी सड़ी हुई, जितनी कि आप सोच सकते हैं। कोई भी बात विस्तार से याद रखने की मेरी शक्ति समाप्त हो गई है। मैं प्रायः अपने उन मित्रों से ईर्ष्या करना रहा हू जिन्हें कि कोई भी

कविता एक बार पढ़ने से कठस्थ हो जाती है। यदि आप मुझे ऐसा वरदान दे सकें तो मैं आप का अवैतनिक प्रचारक बन जाऊंगा।” डाक्टर बोला, “महात्मा जी, केवल भगवान् ही ऐसा वरदान दे सकते हैं। किंतु मैं इच्छा होते हुए भी आप की यह मांग पूरी कर ने में असमर्थ हूँ।” और फिर अकस्मात् वह पूछ बैठे, “क्या आप को कई वर्ष पहले का वह प्रसंग याद है जब कि मैं हरद्वार के अस्पताल का निरीक्षण कराने के लिए आप को अपने साथ ले गया था?” स्मरण रहे कि उक्त वाक्य के अंतिम हिस्से पर डाक्टर ने विशेष रूप से जोर दिया था। “हां, हरद्वार के अस्पताल के निरीक्षण की बात तो याद है,” गांधी जी बोले। सुन कर चिकित्सक-महोदय को बहुत ही प्रसन्नता हुई और वह झट बोल उठा, “तब तो आप की स्मरण-शक्ति विल्कुल ठीक है।” “ना”, “गांधी जी ने झट जवाब दिया, “मेरी याददाश्त बड़ी ही कमजोर है और उक्त अवसर पर अपने साथ आपके होने की बात मुझे विल्कुल याद नहीं आती!”

डाक्टर हैरान रह गया। गांधी जी की स्वास्थ्य-परीक्षा स्वरूप प्राप्त जानकारी वह संक्षेप में नोट करता जा रहा था। अब उसने अपने ये नोट गांधी जी के सामने, उनकी राय जानने के हेतु, रख दिये। लिखा था, “बहुत मेधावी, दार्शनिक और धार्मिक अध्ययन की ओर ज्यादा झुकाव...” पढ़ कर गांधी जी ने “बहुत मेधावी” शब्द के आगे एक बड़ासा प्रदन-चिन्ह लिख दिया। डाक्टर ने पूछा, “क्या यह सही नहीं है?” गांधी जी बोले, “मैं क्या जानूँ?” पास ही बैठे हुए डा. वी. सी. राय ने, जो कि गांधी जी के साथ भ्रमण करने का एक भी मौका चूकते न थे, सहसा कहा, “इसमें और एक बात जोड़ दें, और वह यही कि अपनी प्रशस्ति पर भी आपत्ति प्रकट करने की इनकी आदत है।” हेंग कर डाक्टर बोला, “यह तो इनकी विनयशीलता है।” गांधी जी ने जवाब दिया, “विनयशीलता वा दास तो मैं कभी नहीं बना।” मुन कर सारे उपस्थित लोग हँस पड़े।

वातपीड वा मिलसिला आगे जारी रखते हुए उक्त डाक्टर गांधी जी से बोला, “हर कोई कभी न कभी बीमार पड़ ही जाता है;

किन्तु अपनी बीमारी के लिए मनुष्य स्वयं कारणभूत नहीं होता। वह तो आनुवंशिक होती है।” “कमसे कम मुझे तो अतिसार आदि बीमारियों अपने माता-पिता से विरासत में नहीं मिली हैं,” गांधी जी ने कहा। डाक्टर निरुत्तर रह गया। फिर कुछ अधिक गभीरतापूर्वक गांधी जी बोले, “स्व० सी. आर. दास और प. मोतीलाल नेहरू की आदरभरी स्मृति-स्वरूप ही मैं होम्योपैथिक चिकित्सा-प्रणाली का अवलंबन कर रहा हूँ। वे हमेशा यह चाहते रहे कि एक बार मैं इस को भी आजमा कर देखूँ। अन्यथा, इसमें मेरा तो विश्वास नहीं है। मैं स्वयं सदैव प्राकृतिक चिकित्सा को तरजीह देता हूँ। चूँकि एलोपैथी में मेरा विश्वास नहीं है, और साथ ही भगवान् और पंच तत्वों के भरोसे चलने की क्षमता भी मैं अपने में नहीं पाता, इस लिए मैं आप से सहायता लेने आया हूँ।” अंत में डाक्टर और इतना कहा, “महात्मा जी, मैं नहीं समझता कि आप को किसी दवाईकी जरूरत है। आहार में नियमितता लाने भर से ही आप स्वास्थ्यलाभ कर सकते हैं।” और गांधी जी से आज्ञा लेने से पहले उस ने अपनी एक शिष्या का, जो कि उनसे मिलने के लिए अत्यधिक उत्सुक थी, उल्लेख किया। बोला, “महात्मा जी, वह एक मधुर गुजराती लड़की है, और यदि आप की अनुमति हो तो मैं उसे आपके पास ले आऊँगा।” “सभी गुजराती लड़कियाँ मधुर होती हैं,” गांधी जी ने जवाब दिया। “ना महात्मा जी, बल्कि ऐसा कहिये कि सभी लड़कियाँ मधुर होती हैं।” गांधी जी को दुःस्त करते हुए डाक्टर बोला, “ना-ना!” प्रत्युत्तर-स्वरूप गांधीजी बोले, “गुजराती लड़कियों की ही यह खासियत मानी जाती है। लेकिन स्याल रहे कि कहीं उस को ले कर भाग न जाना।” इस पर बेचारा डाक्टर सिहर कर बोला, “महात्मा जी, आप कह क्या रहे हैं? साठ साल की इस उम्र में मैं किसी को ले कर नहीं भाग सकता।” किन्तु गांधी जी उसे चिढ़ाने पर तुले हुए जो थे। बोले, “मैं एक ऐसे शस्त्र को जानता हूँ जो कि साठ साल की उम्र हो जाने पर भी एक पंच युवती को लेकर भाग गया था।” मुन कर हर किसी को खोर की हसी छूटी। हमी टकने पर गांधी जी बोले, “पट्टी हूँ रक्तचाप की अपनी निगाहन दूर कर लेने का मेरा तरीका!”

गांधी जी बहुत ही प्रत्युत्पन्नमति हैं। मैंने उन्हें हाजिरजवाबी में कभी हारते नहीं देखा।

दूसरी गोलमेज-परिपद में उपस्थित रहने के लिए 'राजपूताना' जहाज़ द्वारा गांधी जी इंग्लैंड जा रहे थे उस समय की बात है। उक्त जहाज़ पर के यात्रियों में, जिन में अधिकांश यूरोपियन थे, एक क्लब बना रखा था। इसका नाम "विल्लीगोट्स" रखा गया था, और उसकी ओर से "स्कैण्डल टाइम्स" के नाम से टाइप किया हुआ एक अख़बार निकाला जाता था। पत्र का उक्त शीर्षक ही उसके भीतर की सामग्री का उत्तम परिचायक था। एक दिन इसके सदस्यों ने इस पत्र में महात्मा जी के प्रति अपनी श्रद्धाजली अर्पित करने की सोची। चुनावें उनके प्रवक्ता ने, जो थोड़ी पिया हुआ था, "स्कैण्डल टाइम्स" का ताजा अंक क्लब के सदस्यों की शुभकामनाओं सहित गांधी जी को दे कर "वह ध्यानपूर्वक पढ़ कर उसके भीतर की सामग्री के बारे में अपनी राय देने" के लिए उनसे कहा। और शराब के नशे में ही वह आगे बोला, "मिस्टर गांधी, मैं अपनी कैबिन में बिस्की का दूसरा गिलास चढ़ाने के लिए जाने से पहले वह मुझे मिल जानी चाहिये।" गांधी जी ने अख़बार पर एक नज़र डाली, जिस क्लिप से उसके पन्ने नत्थी किये गये थे वह निकाल ली, और यह कहते हुए, कि "प्रस्तुत पत्र का सर्वोत्तम अंश मैंने रस लिया है," सातिपूर्वक उसे वह लौटा दिया। यह मज़ाक सुनते ही शराबी क्षेप कर नौ दो ग्यारह हो गया।

सावरमती-आश्रम के छोटे लड़के प्रति सप्ताह पत्र द्वारा उनके कुछ प्रश्न पूछा करते थे, और वे उनका उत्तर भी देते थे। गांधी जी के उत्तर इतने सक्षिप्त होते थे कि पढ़कर कभी कभी बालक झुल्ला जाते थे। एक बालक ने, जो औरों की अपेक्षा ज़रा अधिक डीठ था, अपने सापियों की ओरसे शिक्षायत पेश करते हुए कहा: "बापू जी आप हमेशा गीता के विषय में कुछ न कुछ मुनाते रहते हैं। गीता में अर्जुन प्रश्न-स्वरूप एकाप वाक्य पूछता है, जिस के उत्तर में भगवान् गृष्ण पूरा का पूरा अध्याय ही मुना डालते हैं। किन्तु आप तो

हमारे पूरे पृष्ठ के प्रश्न का उत्तर एक शब्द या वाक्य मे ही दे कर छुट्टी पा लेते है। क्या यह उचित है ? ” अविलव उत्तर मिला, “दिलो, भगवान् कृष्ण को तो एक ही अर्जुन से पाला पड़ा था, जब कि मेरे पास अर्जुनों का पूरा झुड ही है। क्या मैं दया का पात्र नहीं ? ” सुन कर छोटे अर्जुन खिलखिला पडे, और इस हसी-खुशी में उनकी शिकायत रफा-दफा हो गई।

गत मई में आगा खा महल से उनके रिहा होने पर पं. मालवीय जी ने उन्हें वधाई का तार भेजा। लिखा था, “पूर्ण आशा है कि, मातृभूमि और मानवता की सेवा के लिए प्रभु आप को सौ साल तक जीवित रखेंगे।” गाधी जी का जवाब बड़ा ही वैशिष्ट्यपूर्ण रहा। ८ अगस्त १९४२ को अ. भा. कांग्रेस कमेटी की बैठक के अवसर पर दिये गये भाषण मे गाधी जी ने अपने सवा सौ साल तक जीवित रहने की सभावना का विनोदपूर्वक उल्लेख किया था। उनके दोस्त भी प्रकट रूप से की गई इस प्रतिज्ञा का उन्हें स्मरण दिलाते रहते थे। अत मालवीयजी के तार के उत्तर में गाधीजी ने लिखा : “आप का तार मिला। कलम के एक ही फटकारे से आपने मेरे पच्चीस वर्ष काट लिये हैं। अपनी आयु में ये पच्चीस वर्ष जोड़ लीजिये !”

गाधी जी का विनोद इतना मर्मन्तिक होता था कि एक बार स्व० मौलाना अली ने इसके लिए उनसे शिकायत की। बोले, “महात्मा जी, आप हम लोगों के प्रति बड़ा अन्याय करते हैं, क्योंकि हम तो त्रोधाविष्ट हो कर आप से लड़ने के लिए आते हैं, जब कि आप हमें हंसने के लिए विवश कर सारी बातें उड़ा देते हैं। इससे हमारा गुस्ता ठड़ा हो जाता है, और आप सोचते हैं कि शिवायन रफा-दफा हो गई।” अपने श्म यथन के संमर्पन-स्वरूप उन्होंने गालिब का निम्न मशहूर शेर गुनाया :

उनके दीवार से चेहरे पे आ जाती है जो रौनक
ये समझते हैं कि धीमार का हाट अच्छा है।

बहुत से लोगो का ऐसा ख्याल है कि जब गांधी जी अपने साथियो से राजनीति सबधी चर्चा करते हैं तब वहा का वातावरण बहुत ही तग और गभीर बन जाता होगा ! किंतु वास्तविक बात यह होती है कि ऐसी बैठके प्रायः विनोद और हँसीमज़ाक के जलसे का रूप धारण कर लेती हैं । मसलन् राजाजी और गांधीजी के बीच गांधीजी द्वारा चर्चिल को भेजे गये पत्र सबधी हुई बातचीत ही लीजिये । गांधीजी के प्रति चर्चिल द्वारा प्रयुक्त 'नग्न फकीर' उद्गारो के विनम्र उत्तर—स्वरूप उक्त पत्र लिखा गया था ।

राजाजी—मुझे यही आशका होती है कि आप के पत्र से कही गलत-फदमी पैदा न हो जाय । उनका पत्र तो शरारत भरा ही था ।

गांधीजी—मैं नहीं ऐसा सोचता । मैंने तो उसका गभीर आशयही लिया है ।

राजाजी—आपने उनके पूर्वकथन का उल्लेख कर उन्हें मर्मस्पर्श किया है, जिसके लिए सभवत स्वयं वे भी अब विशेष गर्व अनुभव न करते होंगे ।

गांधीजी—उनके द्वारा अहेतुक प्रदर्शित अपनी इस प्रशस्ति को आत्म-सात् कर मैंने उसके भीतर का तीखापन हटा दिया है ।

राजाजी—आपने उचित ही किया है ऐसा मेरा ख्याल है ।

गांधीजी—संदेह है कि अपने प्रति प्रदर्शित इस प्रशस्ति को मैं अस्वीकार नहीं कर सकता ।

प्रतिपक्षी को पराम्न् करने वाले उनके उत्तर भी सद्भावपूर्ण होते हैं । दूसरी गॉलमेज-परिषद में अल्पसंख्यकों सबधी ममज्ञीते पर बोलों समय श्री रैम्स मैडोनाल्ड ने यह दृशील पेश की कि भारत की ४६ प्रतिशत जनता अल्पसंख्यक होने के कारण कांग्रेस का यह दावा, कि यह भाग्य का प्रतिनिधित्व करती है, लगभग आधी भारतीय जनता द्वारा झूठा माना जाता है । ऊसरी तीर पर देखने में यह तर्क युक्तिमूर्त प्रतीत हो रहा था । इसके जवाब में जब गांधीजी क्या कहा है यह सुनने के लिए सारा मना-भरन धर्यार हा उठा । गांधीजी बोले:

“आज आपने अपने अकशास्त्रीय अज्ञान का आश्चर्यप्रद रूपसे प्रदर्शन किया है।” फिर स्त्री-प्रतिनिधियों के भाषणों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, “आपने स्त्रियों को अपनी ओरसे स्पष्ट रूपसे यह कहते हुए सुना ही है कि वे अपने लिए विशेष प्रतिनिधित्व सबधी दावा पेश नहीं करना चाहती। अतः भारतकी आधी जनसंख्या स्त्रियों की होने के कारण ४६ प्रतिशत सत्या अवश्यही घट जाती है।”

नई दिल्ली,

जून १९४६

गांधीजी और महिलाएँ

रामेश्वरी नेहरू

सन १९२७ में गांधीजी से मेरा परिचय हुआ। दक्षिण अफ्रीका से उनके भारत लौट आने के बाद से उनके बारे में मैं बराबर सुनती-पढ़ती रही। ‘यंग इंडिया’ भी नियमपूर्वक पढ़ा करती थी। उनके उपदेशों और बोधप्रद वचनों का भी मुझपर गहरा प्रभाव पड़ा और मैं अनिवार्य रूपसे उनकी ओर आकृष्ट हुई। किंतु अब तक मैं उनसे मिल न पायी थी। सोचती थी कि उनका उत्तुंग व्यक्तित्व मुझ जैसे सर्वसाधारण की पहुँच के परे है।

सन २७-२८ में भारत सरकार द्वारा नियुक्त ‘एज आफ दि वन्सट कमिटी’ की एक सदस्या के नाते मैं कार्य करती रही। इसी तिलसिले में भ्रमण करते हुए जब मैं अहमदाबाद पहुँची तब गांधीजी अहमदाबाद के पान सावरमती आश्रम में निवास कर रहे थे। मैं उनसे भेंट कर उनका साथ वार्तालाप करने के लिए अत्यधिक उत्तुक थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि बालविवाह एवं सम्मतिआयु के सबंध में, जो कि हमारी कमिटी के सामने विचारणीय विषय थे, उनका अभिमत प्राप्त करूँ।

समय निश्चित हो कर मुलाकात के लिए मुझे चंद्र मिनट दिये गये। पूर्वान्ध या समय या और अपने अगल-अगल बँटे हुए आश्रम-वासियों के संग ये कुछ न कुछ काम करने में व्यस्त थे। न जाने

अकस्मात् मुझे क्या हो गया। मैं भावावेश से व्याकुल हुई और मेरी आँखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। मैं लज्जित हुई और मेरी गिगघी बँध गई। तब और एक मुलाकात होना तय हुआ और मैं दुबारा आश्रम आई। अब की बार प्रातःकालीन प्रार्थना में उपस्थित होने के हेतु मुझे आश्रम में ही रात बितानी थी। मेरी देखभाल का काम महादेव भाई को सौंपा गया था। मेरी आवश्यकताओं की ओर वे ही ध्यान देते रहे। उस रात को सोने के लिए जाने से पहले उनके साथ मेरी प्रास्तविक बातचीत हुई। दूसरे दिन तड़के सावरमती नदी के बालुकामय तट पर प्रातः-प्रार्थना हुई। इसके बाद आज पहली ही बार मैं गांधीजी के साथ सैर करने निकली। अपनी कमिटी के कार्यों से मैंने उन्हें भली भँति अवगत कराया। सारी बातें उन्होंने कृपापूर्वक एवं प्रसन्न चित्त से सुन ली। फिर भी कोई बात मुझे खटक रही थी। खैर, मुझे बिना हतोत्साहित किये, या जो कुछ मैं कर रही थी उसे बगैर नापसंद किये, अपनी ओर से स्पष्टीकरण स्वरूप उन्होंने इतना ही कहा कि यद्यपि बाल-विवाह की प्रथा बुरी है और उसका बंद होना भी आवश्यक है, फिर भी यह काम एक ऐसी विदेशी सरकार की मारफत न किया जाय जिसे कि वे दुराचारी मानकर उससे असहयोग करना जरूरी समझते हैं। उन्होंने मुझसे और यह भी कहा कि अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मैं तबतक बाल-विवाह की बुराइयों के विरुद्ध दैनंदिन प्रचार करती रहूँ जबतक कि लोग इस अनिष्ट प्रथा से विमुख नहीं हो जाते। मुलाकात का महत्वपूर्ण अंग समाप्त होनेपर दो युवतियों को सगुल लेकर वे रसोईघर में दाखिल हुए, और एक स्टूलपर बँटकर सामने के मेजपर की सन्जियाँ छीलने लगे। बीच बीचमें उक्त युवतियाँ से उनकी गपशप और हँसीमजाक चलता रहा। सन्जियाँ छीलनेका उनका काम पूरा होने के साथही मुलाकात के लिए मुझे दिया गया वक्त भी सत्तम हुआ, और ऊपर निर्दिष्ट जो जो बातें मैंने देरीं एवं अनुभव की थी उनका भवन करती हुई पुनः अपनी कमिटी के कामों में मैंने जुट गई।

मन ही मन मैंने कहा कि जनोंविषय कार्यों एवं कुरीतियों लोपा के भाग्य को बदल डालनेवाले महान् आन्दोलनों के नेतृत्व की जिम्मेवारीतः

वोझ सरपर होते हुए भी यह व्यक्ति कैसे तो सब्जियाँ छीलने जैसे तुच्छ काम के लिए समय निकाल लेता है, और कैसे उसे उन साधारण एव अननुभवी युवतियों से बातें करने में आनंद आता है? वे लडकियों तो मुश्किल से पढी-लिखी होगी। कालांतर में उनसे अधिक परिचय हो जाने पर इन दोनों प्रश्नों के उत्तर मैं पा गई।

वर्धा और सेवाग्राम की समय समय पर की हुई अपनी यात्राओं के अवसर पर मैंने उन्हें अपने रोजाना कामों में मशगुल पाया, और ऐसा अनुभव किया कि किसी कार्य या व्यक्ति के प्रति उनके मन में जरा भी ऊँच-नीच का भाव नहीं है। उनके लिए तो प्रत्येक कार्य सेवा-स्वरूप था, और सेवा भक्तिरूप। अतः इसमें ऊँच-नीच की भावना के लिए गुजाइश ही कैसे हो सकती है? मैंने उन्हें सुबह-शाम दोनों वक्त खुद के हाथों आश्रमवासियों को भोजन परोसते देखा है। इसी भाँति मैं उन्हें दत्त चित्तसे बीमारों की सेवाटहल करते हुए भी देख चुकी हूँ। अपने शिष्यों में होनेवाले आपसी तुच्छ झगडों का निपटारा करने के लिए वे ठीक वैसा ही कष्ट उठाते रहे जैसा कि किसी राजनीतिक समस्या को सुलझाने के लिए उनके द्वारा उठाया जाता है। स्वतः से प्रेरणा और पथप्रदर्शन प्राप्त कर चलनेवाली छोटी छोटी सस्थाओं की भी विवरण-पत्रिकाएँ वे बड़ी सावधानी से पढते हैं। स्मरण रहे कि इस प्रकार की अनगिनत सस्थाएँ देशभर में बिखरी हुई हैं। जो लोग अपने कौटुंबिक कलह लेकर उनके पास सलाह की याचना करते हुए आते हैं उनके लिए भी वे समय निकाल लेते हैं। दुखी एव हतोत्साहित जीवों की ओर ध्यान देकर उनकी सहायता करने और उन्हें धीरज बँधाने के गांधीजी के काम में कभी रुक नहीं पड़ता। इस वृद्धावस्थामें भी, जब कि एक ओर शारीरिक शक्ति क्षीण होती जा रही है और दूसरी ओर काम का बोझ बराबर बढ़ता ही जा रहा है, वे अपना सारा पथव्यवहार आप ही करते हैं। अनेक लोगों की दृष्टि में यह समय का अपव्यय हो सकता है। मैंने कई भद्र स्त्री-पुरुषों को ऐसा कहते सुना है कि यदि वे इन क्षुद्र नामों में अपने समय का अपव्यय न करने का निस्तन्देह अधिक अच्छे कामों के लिए उसका सदुपयोग हो जाता।

किंतु उक्त धारणा कैंसी गलत है यह मैं भली भँति जानती हूँ। बुद्ध और ईसा मसीह के प्रेम की तरह ही गांधीजी के अगाध प्रेम-स्रोत का आस्वाद सभी को बिना भेदभाव के मिलना नितांत आवश्यक है। लाखों लोगो पर के उनके प्रभाव का वास्तविक रहस्य उनके स्वाभाविक, स्वयस्फूर्त एव बुद्धिमत्तापूर्ण आचरण में निहित है। अपने निजी अनुभव से मैं यह बता सकती हूँ कि उनके हाथ की लिखी चद अस्पष्ट पक्तियों पढ कर मैं पुलकित हो गई हूँ। क्याही उत्कठा से मैं उनके इस पत्र की प्रतीक्षा करती रही। इन छोटी छोटी बातों को भी भावना का पुट देने की इस वृत्ति ने ही उन्हें अन्य सभी की अपेक्षा अधिक ऊँचा उठाया है, और इसी कारण उनकी योजनाओं में अपने लिए भी एक स्थान सुरक्षित है ऐसा निम्न श्रेणी के लोग तक मानते हैं। मानव मात्र के प्रति उनका जो आचरण रहा है उसके आधारपर मैं यह कह सकती हूँ कि उपलब्ध मानवी द्रव्य के भीतरसे आदर्श स्त्री-पुरुषों का निर्माण करनेवाले वे एक श्रेष्ठ शिल्पी हैं। अपनी कल्पना के अनुसार ही वे उन्हें गढ़ते और रंग-रूप देते हैं। अवश्य ही उनके द्वारा निर्मित इन आदर्शों का उत्कृष्ट होना न होना मूल द्रव्य के गुण-दोषों पर ही निर्भर करता है। इसी लिए उनके असह्य अनुयायियों में रंग-रूप आदि की दृष्टि से खासी विविधता दिखाई देती है। गांधीजी के उत्तुंग व्यक्तित्व की तुलना में उनके अनुयायी अति तुच्छ दिखाई देनेपर भी जो एक बात निस्सन्देह रूप से कही जा सकती है वह यही है कि उनके चमत्कारपूर्ण प्रभावमें आय हुए संफड़ों-हज़ारों लोग अपने मूल रंग-रूप की अपेक्षा अधिक अच्छी शयल में ढाले गये हैं।

वे एक नये सत्कार का निर्माण करने के लिए कटिवद्ध हैं,—एक ऐसा सत्कार जो कि आज की दुनिया के दुख, क्लेश और सघर्षों से मुक्त हो। वे इस पृथ्वीतल पर ऐसे राम-राज्य की स्थापना करना चाहते हैं कि जहाँ सहयोग और स्नेह का बोलचाल होकर मनुष्य के भीतर की गुणात्मनाएँ नष्ट हो जायें। इस प्रकार के विश्व की निर्मिति के लिए स्त्रियों ही मनुष्यज सामग्री प्रदान कर सवंगी ऐसा उनका विश्वास है। कई बार उन्होंने कहा भी है कि अपने अदृश्यक दल के संनिकों की स्थापना पुरा की

अपेक्षा स्त्रियों ही अधिक अच्छी तरह कर सकेगी। इसी लिए स्त्रियों के प्रति उनका इतना अधिक विश्वास है, और इसी कारण स्त्रियों भी उनकी ओर प्रबल रूप से आकृष्ट होती रहती है। वस्तुतः इन दयामयी छोटी बहनो के पास सिवाय सरलता, विनय, सत्यप्रेम और स्वयं गांधीजी द्वारा प्रेरित दृढ़ इच्छाशक्ति के और है ही क्या? फिर भी इन बहनो को उनके द्वारा ऐसे काम सौंपे जाते हुए मंने देखा है जो कि विद्वान् और कार्यक्षम पुरुषो के लिए भी भारी व उलझे हुए मालूम होते हैं। बहने भी उनके आदेशो को पूरा करने में जी जान से जुट जाती हैं। इस प्रकार आज अनेक बहने भारतके दूर दूर के कोनों में अपनी जीवन-ज्योति जलाकर आसपास के दीन-दुखियों को प्रकाश-दान कर रही हैं। भले ही उनके कार्यका विस्तार अधिक न हो, किंतु उसकी महत्ता उसके पावित्र्यमें समाई हुई है। क्योंकि यही पावित्र्य स्वतः के सपर्क में आनेवाले ससार को अदृश्य रूप से चैतन्य प्रदान कर रहा है।

उपदेश की भरमार की अपेक्षा तदनुसार अल्प आचरण को ही वे बहुमूल्य मानते हैं। इसी लिए उनकी दृष्टि में सारे सामाजिक नीति-नियमों और रीति-रिवाजों का केवल तबतक ही महत्व है जबतक कि वे नैतिक सिद्धांतों पर आधारित होकर वास्तविक जीवन के साथ मेल खाते हैं। कोरे सिद्धांतों का उद्घोष, फिर वह कितना ही विद्वत्तापूर्ण क्यों न हो, उन्हें मोतीरहित सीप के समान निरर्थक प्रतीत होता है। सत्यानुसार जीवन-यापन करने के लिए जो मर्यादाएँ उन्होंने बंध रखी हैं वे सर्वसाधारण के आकलन के परे हैं। इसका ताजा उदाहरण है इदुमति-तेडुलकर विवाह, जो कि गत वर्ष उन्हीं के आदेशानुसार सेवाग्राम में संपन्न हुआ। ऐसा प्रसंग उपस्थित होने पर वे परिणामों की पर्वाह नहीं करते।

उक्त विवाह के अवसर पर उन्होंने जिस पद्धति का अवलंब किया उसके कारण हिंदू विवाह विषयक सारे रूढ़ संस्कारों को व्यावहारिक स्वरूप प्राप्त हुआ। स्वतः द्वारा स्वीकार की गई इस पद्धति को देश के पानून का समर्थन प्राप्त न होने पर भी उन्होंने उसकी चिंता नहीं की। 'सप्तपदी' को भी उन्होंने एक नया रूप प्रदान किया। उनकी इस अभिनव

विवाह-विधि के अनुसार वर व वधू दोनों के लिए गीता-पठन, सूत-कताई गो-सेवा, कुएँ के पासकी तथा खेतों की जमीन की साफ-सफ़ाई आदि सप्त क्रियाएँ एक साथ पूरी करना लाजिमी था। पौरोहित्य करनेवाले महाशय की जाति हरिजन और धर्म ईसाई था। सारा कार्य हिंदुस्तानी में संपन्न हुआ। वर-वधू भ जिन प्रतिज्ञाओं का आदान-प्रदान हुआ उनकी सूची से पुराना अनावश्यक अंश निकाल दिया गया था। विवाह-विधि को उनके द्वारा प्रदत्त इस अभिनव स्वरूप का एकमात्र आधार था वे उच्च नीति-तत्व जो कि वर-वधू दोनों को समान रूप से स्वीकार थे। इस प्रकार एक साथ और एक ही कार्य द्वारा उन्होंने स्वतः द्वारा पुरस्कृत इतने सुधारों को जीवन के पट में बुन डाला।

इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण है मैंने सुपुत्र के विवाह का। वह उन्हीकी सलाह के अनुसार ही संपन्न हुआ। वधू विदेशीय और साथही विधर्मी होने के कारण उभय वर-वधू को विवाह-विषयक धार्मिक स्वातंत्र्य प्रदान करनेका प्रश्न उपस्थित हुआ। इस सवध में गांधीजी से प्राप्त पत्र का आवश्यक अंश में नीचे उद्धृत कर रही हूँ। उससे साफ झलकता है कि वे झूठी सामाजिक प्रतिष्ठा की बत्तई पर्वान्ह न कर केवल नैतिक मूल्यों को ही मानते हैं।

उन्होंने लिखा था.

“वस्तुतः ‘हिंदू’ शब्द आधुनिक है। यह ‘लिवुल’ दूसरों द्वारा हमपर चिपकाया गया है। हमारे धर्म का नाम है ‘मानव धर्म’, अर्थात् मनुष्यका धर्म। मनुस्मृति मनुष्य-धर्म की संहिता है। इन सब का उगम-स्थान वेद हैं। किन्तु कोई भी व्यक्ति सारे वेदोंका जानकार नहीं है। मनुष्य का धर्म सतत विकसित होता रहता है। ब्रिटिश-शासन की स्थापना में पूर्व समाजमें समय समय पर परिवर्तन होता रहा है। ब्रिटिश राज ने यह सब बदल डाला। जो परिवर्तनशील था वह पाषाणयुत् अचेतन बन गया। यदि कभी कोई परिवर्तन हो भी जाता तो वह प्रीव्ही कोन्सिल या ब्रिटिश धारा-समाजों द्वारा ही। इससे समाज को क्षति पहुँची, और समाज उन कानूनों की नाई, जो कि उसपर थोपे गये हैं, निर्जीव बन ग्या। इस परिस्थिति में मैं तो यहाँ सलाह दूँगा कि मानवधर्म प्रणित

नीति-नियमों के अनुसार ही विवाह-विधि संपन्न किये जायें। वधन की दृष्टि से इतना काफी है। हमें ऐसे कानूनों की ओर, जो कि सर्वोच्च नीति-नियमों से मेल नहीं खाते, ध्यान देनेकी जरूरत नहीं। हाँ, अगर ऐसा कदम उठाने में किसी किस्म का खतरा हो तो अलवत्ता उसके लिए हमें तैयार रहना ही चाहिये।”

अपने अमर्यादशील कार्यक्षेत्र में वे संपूर्ण मानव-जीवन को समा लेते हैं। उसके किसी भी अंग की उपेक्षा नहीं करते। व्यक्ति और समाज से संबंधित सारी समस्याएँ सुलझाने की वे चेष्टा करते रहे हैं। इन समस्याओं के समाधान का दृष्टिबिंदु यही रहा है कि इस भू-तल पर शांति एवं मानव मानव के बीच सद्भाव का प्रादुर्भाव करनेवाली संस्कृति स्थापित हो जाय।

नई दिल्ली,

४-३-१९४६

दांडी-कूच और पश्चात्

एम. एम. पकासा

सन् १९३० के दांडी-कूच में मैं सूरत जाकर शामिल हुआ। नमक-कानून तोड़ने के लिए निर्धारित दिन की पिछली संध्या को आयोजित प्रार्थना में उपस्थित था। उक्त संध्या समय समुद्रतट पर हुई प्रार्थना का प्रसंग गभीर और पवित्र था। उद्दिष्ट के औचित्य पर की अनन्यसाधारण श्रद्धा और ईश्वरी प्रेरणा के कारण उत्पन्न उत्साह से उसमें चार चौद लग गये थे। इस प्रकार का कोई अन्य अवसर मुझे याद नहीं पड़ता जो कि अपने जीवन में मैंने देखा हो। गांधीजी का प्रार्थना-प्रवचन सयम, आत्मविश्वास, और परमात्मा के प्रति पूर्ण श्रद्धा से भरा हुआ था। प्रार्थना के बाद उन्होंने दूसरे दिन तड़के नमक उठाने के लिए बनाई गई योजना के संबंध में स्थानीय कार्यकर्ताओं से पूछताछ की। विगुड नमक ठीक किम स्थान से आसानी से मिल सकेगा और इसके लिए क्या योजना बनाई गई है इसमें उन्हें जयगत कराया गया। सब कुछ मुन लेने के बाद मजराक में गांधीजी बाँके,

“यहां अपने सामने ही खादीधारी खुफिया पुलिस मौजूद हैं और मैं जासूसी कर रहे हैं यह बात क्या मैं नहीं जानता? अतः कार्यकर्तागण इनसे सचेत रहे। अगरेजी राज के इन स्वामिभक्त सेवकों ने यदि अपने अफसरो को खबर कर दी तो रात ही रात निर्दिष्ट स्थान से नमक की राशि हटा ली जाना, या किसी के लिए भी उसका उठाना असंभव कर देना उनके बाएँ हाथ का खेल है। इसलिए आप अन्यान्य स्थान भी ध्यान में रखें, ताकि किसी को यह उलहना देनेका मौक़ा न मिले कि इतने शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य में हमारे लिए चुटकी भर नमक भी नसीब न हो सका। अगर ऐसी बात हुई तो साम्राज्य की शान में बड़प्पा लग जायगा!” सुनकर खुफिया पानी पानी हो गये।

दूसरे दिन सुबह सारा कार्य पूर्वनिश्चित योजना के अनुसार ही पूरा हुआ। सदा की भौति तड़के ४ बजे गांधीजी जग गये, फिर प्रार्थना हुई और वे तैयार हो कर समुद्र-तट पर पहुँचे। समुद्र-स्नान के बाद उन्होंने पूर्वनिश्चित स्थान पर जाकर नमक उठाया। यह एक अनन्य-साधारण दृश्य था, जिसका न केवल भारत के जनमत पर अपितु विदेशों में भी गहरा प्रभाव पडा। यह सरल और उपद्रवशून्य कृति भारत के कोने कोने पर विद्युत् गतिसे अपना असर छोड़ गई। उसका मॉरे मनपर भी गहरा और चिरस्थायी प्रभाव पडा। अतः मैंने बापूके आदर्शों पर चल कर किसी रचनात्मक कार्य में लग जाने का निश्चय किया। उन दिनों श्रीमती मिठूबेन पेटिट सूरत जिले में शराव-वदी का कार्य कर रही थीं। चुनौचे हमने सूरत के समीपस्थ मरोली के ग्रामीणों, और खास तौर से आदिवासियों के बीच काम करने के हेतु, गांधीजी से पथ-प्रदर्शन प्राप्त कर एक आश्रम चलाने का निश्चय किया। तदनुसार आश्रम स्थापित किया गया, और उसका नाम रखा गया कस्तूरबा सेवा-श्रम। आश्रम के श्रीगणेश-स्वरूप सर्वप्रथम आदिवासी बालिकाओं के लिए एक पाठशाला-विभाग खोला गया, इसके साथ ही हमने एक औपचार्य भी चलाया। उक्त आश्रम आज भी चालू है।

गांधीजी के चरणों में

वी. पट्टाभी सीतारामय्या

मैंने श्री मो. क. गांधी को सर्वप्रथम १९०३ में मद्रास-कांग्रेस के अवसर पर देखा। बहुत ही धीमी आवाज में भाषण देने के कारण उनका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। उन दिनों मैं डाक्टरी का अभ्यास कर रहा था।

उनसे मेरा निकट परिचय १९१७ ई. में कलकत्ते में हुआ। वहाँ अ. भा. कांग्रेस कमिटी की बैठक हो रही थी, जिसके सामने अलग आधार प्रांतीय कांग्रेस कमिटी की स्थापना का प्रश्न एक विचारणीय विषय था। गांधीजी ने इस आधार पर, कि मोटफर्ड सुधार-योजना जारी होने के बाद यह प्रश्न सुलझ सकता है, उसका विरोध किया। किंतु लोकमान्य तिलक का समर्थन प्राप्त होने के कारण अ. भा. कांग्रेस कमिटी द्वारा इसे स्वीकृत कराने में मैं कामयाब रहा।

१९१९ के दिसंबर में, अमृतसर में, मुझे गांधीजी की संपूर्ण अहिंसक कार्यपद्धति का उसके यथार्थ रूप में दर्शन करने का सुअवसर मिला। १० अप्रैल को जनता ने स्थानीय नैशनल बैंक जला डाली थी, और इस अग्निकांड में तीन या चार गोरो की भी मृत्यु हुई थी। जब विषय-निर्वाचिनी समिति ने लोगों के उक्त हिंसक कार्य के प्रति निषेध प्रदर्शित करने से इन्कार किया तब गांधीजी ने भी उसकी कार्यवाही में भाग लेना अस्वीकार कर दिया, और समिति द्वारा अपने उक्त निर्णय में परिवर्तन किया जाने के बाद ही वे उसमें सम्मिलित हुए। लेकिन लोकमान्य द्वारा पेश किये गये एक अन्य प्रस्ताव के कारण गांधीजी की उनके साथ खासी चखचख हुई। वास्तव में उग्र प्रतीत होनेवाले उनके उक्त प्रस्ताव के शुरू के दो परिच्छेदों की तुलना में उसका अंतिम अंश, जिसका हल सहयोग की ओर था, कुछ असंगतपूर्ण मालूम हो रहा था। अतः मैंने एक सशोधन पेश करते हुए कहा कि तिलक के मसविदे का आखरी हिस्सा हटाकर वहाँ ये शब्द जोड़े जायें :- "अतः कांग्रेस मोटफर्ड-योजना नामजूर करती है।" "विलकुल ठीक", अकस्मात् खड़े होकर गांधीजी बोल उठे, "लोकमान्य, अगर आप आदमी हैं तो इसे मञ्जर करें।"

इसके कई वर्ष बाद, याने अप्रैल १९२९ की अपनी खादी-यात्रा के अवसर पर, मेरे घर से विदा होते वक़्त गांधीजी ने मुझसे पूछा: "निर्दोष जीवन व्यतीत करने के लिए प्रयत्नशील रहने की बात तो आप कहते हैं, लेकिन आपका लड़का अपनी पत्नी के साथ, जिसकी उम्र मुश्किल से १२ साल की होगी, रहता जो है।" जवाबमें मैं बोला, "यह झूठ है!" "तो क्या वह लड़की आप ही के घरमें नहीं रहती?" वे पूछने लगे। "जी, वह खुद और उसके माता-पिता, दादी, बहनें आदि सभी लोग हमारे यहाँ ही हैं। वे इसी शहरमें रहते हैं और उनका मकान फ़र्लिंग भर के फ़ासले पर ही है। आप को नज़दीक से देख सकें इस हेतु ये लोग यहाँ आकर टिके हुए हैं।" सुन कर वे बोले, "अहा, यह बात है!" उन्हें जो ग़लत ख़बर मिली थी उसके लिए मुझे दुख हुआ, फिर भी वह कहीं तक सच है यह जानने के हेतु उन्होंने जो पूछताछ की उसके लिए मैंने उन्हें धन्यवाद ही दिया। यही गांधीजी की विशेषता है। किसी के भी वारे में कोई अफवाह सुनते ही वे तुरत सवधित व्यक्ति से स्पष्टीकरण माँगते हैं, और उस स्पष्टीकरण को पूर्णतया सत्य मानकर ही चलते हैं।

१९२५ में पटना में गांधीजी ने कांग्रेस को दो दलों में बाँट दिया; अर्थात् एक था कौंसिल दल, और दूसरा, विधायक दल। अ. भा. कांग्रेस कमिटी की बैठक में इसका उल्लेख करते हुए वे बोले, "अब डा. पट्टाभी अपनी तीखी कलम पर अकृश लगा देंगे।" मैं इसका आशय ताड़ गया। उसी बैठक में एक अन्य अवसर पर मैंने स्वराज्य-दल के विरुद्ध विश्वास-भंग करने का अभियोग लगाया, जो सुनकर मोतीलाल और सत्यमूर्ति आपे से बाहर हो गये। मोतीलालजी तो चुटकी वजाकर गरज पड़े— "मुझे कांग्रेस की ज़रा भी पर्वाह नहीं है, मैं उससे अलग हो जाऊँगा।" गांधीजी उस वर्ष के राष्ट्रपति थे। उन्होंने यह कहकर कि, "मैं आप की वसतूता का प्रदर्शन नहीं चाहता," मुझे बाल्कनी से रोक दिया। चुनौचे उनके प्रति विनय प्रदर्शित कर मैंने अपना प्यान ग्रहण किया। इसके बाद कोई बीस मिनट तक गांधीजी मोतीलाल जी को उपदेश देते रहे, और बोले, "विद्वत्ता में आप भले ही श्रेष्ठ होंगे, किन्तु यदि आप विनय में काम लेने में चूके तो अपनी अहता के कारण अवश्य ही किसी ज्वाल में फँस जायेंगे।" मोतीलालजी से उन्होंने आग्रह किया कि

वै मुझ से और साथ ही कांग्रेस से क्षमा-याचना करे। वैसे ही उन्होंने किया, मैं भी चद शब्द बोला, और मामला शांत हो गया। दूसरे दिन प्रातः जब मैं गांधीजी से मिलने गया तब वे पूछने लगे, "मोतीलाल जी की क्षमा-प्रार्थना स्वीकार करते समय आप इतने उछल क्यों रहे थे?" सुन कर मैं निरुत्तर रह गया।

दिसंबर १९२५ में आयोजित कानपुर-कांग्रेसके समय की बात है। गांधीजी का मौन-दिन था। जब मैं आज्ञा लेने के निमित्त उनसे मिलने गया तब उन्होंने एक पुर्जे पर चद पक्तियाँ लिख कर वह मेरे हाथ में धामा। लिखा था, "सावरमती-आश्रम में महीना भर आ कर रहो।" असमर्थता प्रकट करते हुए मैंने कहा कि आश्रम में प्रविष्ट होकर उसे दूषित करने की अपेक्षा दूर रह कर ही उसकी प्रशंसा करना मुझे अधिक भाता है। सुन कर वे पूछने लगे, ऐसा क्यों? मैं बोला, "न तो तड़के ४ बजे जग कर मैं प्रार्थना में शामिल हो सकूंगा, और न मुझे अहमदाबाद का जाड़ा ही वर्दाश्त हो सकता है।" "प्रार्थना के बाद आप पुनः सो सकते हैं," उन्होंने लिखित उत्तर दिया। किंतु मुझे वह जैचा नहीं, और बात वही खत्म हुई।

अप्रैल १९२९ में गांधीजी ने आधर प्रात का दौरा निकाला और खादी-कार्य के लिए २,६३,००० रुपये इकट्ठा किये। इस दौरे के दरमियान, जब कि मसुलीपट्टण स्थित मेरे मकान पर वे टिके हुए थे, उन्होंने मेरे कार्यों के बारे में जिज्ञासा प्रकट की। मैंने उन्हें सब बातें विस्तार से बता दी। सुनकर उन्होंने यह इच्छा प्रकट की कि मैं आधर प्रात का खादी-कार्य सँभालू। मैंने उन्हें अपनी कठिनाइयोंसे अवगत कराया। पूछने लगे "क्या 'जन्मभूमि' तो आपके मार्ग में बाधक नहीं हो रही है?" मैंने कहा, "उसके लिए तो मैं सप्ताह में सिर्फ पाँच ही घंटे खर्च करता हूँ। और फिर भी हजारों रुपयों का जो घाटा मुझे उठाना पड़ रहा है उसके कारण उसे बंद करने की सोच रहा हूँ।" वे बोले, "ओह, यह तो आप अपने विज्ञापन पर खर्च कर रहे हैं!" स्वतः द्वारा उपरोक्त स्पष्टीकरण केवल चर्चित विषय के सदस्य-स्वरूप दिया जानेपर भी गांधीजी ने मेरे प्रति जो अन्धाय्य और अनुदार उद्गार प्रकट किये उनसे मुझे मर्यान्तक

घेदना हुई। आंतरिक दुःखका यह घूट चुपचाप पीकर मैं वहाँ से चल दिया, और मन ही मन यह कहकर, कि बड़े आदमियों से भी ग्लतियों होती हैं, मैंने आत्मसतोष कर लिया।

१९३५ में एक सत्याग्रही, जो कि जेल-यात्रा कर चुका था, मुझसे मिलने आया और वर्धा का आश्रम देखने के लिए परिचय-पत्र माँगने लगा। मैंने झट दे दिया। स्टेशन पर एक दोस्त को अपने साथ ले चलने की उसे इच्छा हुई, जिससे उस दोस्त का नाम भी अपने उक्त पत्र में मैंने जोड़ दिया। पत्र में उक्त उभय मित्रों को केवल वर्धा-आश्रम देखने देने की आज्ञा माँगी गई थी। किंतु इसकी प्रतिनिध्या स्वरूप जब कहर-क्रोध से भरा गांधीजी का पत्र आया तब मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। लिखा था:

प्रिय डॉ पट्टाभो,

बिना किसी पूर्व-सूचना और वर्तन विस्तारों के, दो नीजवानों को यहाँ भेज कर आपने मेरी परिस्थिति बहुत ही विपम बना दी है। अभी तो खुद हमारा ही यहाँ प्रबन्ध नहीं हुआ है। हमारे गुजर-बसर को इतजाम होना अभी बाकी है। क्या किसी भी सस्था पर इस प्रकार एकदम से बोझ डालना उचित है? मान लो कि दूसरे लोग भी आपका अनुकरण करने लगे, तो मेरी क्या हालत हो जायगी?

अध्ययन के हेतु यहाँ आनेवालों के लिए अभी किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं हुई है। सिखाने जैसा यहाँ कुछ है भी नहीं। मैंने उन मित्रों का रख लिया है और कह दिया है कि जिस तरह हम सब अपने अपने जिम्मेका काम पूरा कर मेहतर व मजदूरों के कामों में भी हाथ बँटाते हैं उसी तरह आपको भी करना होगा। दूषणा द्वारा आप ऐसा कोई कदम न उठावे।

यदि आप उनके घर में या मित्रों से कुछ रुपये ले सकते हों तो उनके प्राथमिक खर्च और चापसी सफ़र के लिए भेज दें। बाजबल आपका वक्त कंस रुठ रहा है?

वर्धा,
२०४-३५

आपका
भो. फ. गांधी

पढकर मैं दग रह गया। और इसके प्रायश्चित्त-स्वरूप मैंने तुरत मनीआर्डर द्वारा बीस रुपये खर्च कर किसी को आश्रम देखने के लिए, न कि वहाँ रहने के लिए, स्वतः द्वारा भेजे जाने के संबध में उनसे माफ़ी माग ली। साथ ही अपने जीवन में आज पहली ही बार उनकी उद्विग्नताके लिए कारणभूत हो जाने के संबध में भी मैंने खेद प्रदर्शित कर अपने पूर्वोक्त पत्र के वास्तविक उद्दिष्ट पर प्रकाश डाला। इसके कोई चार-पाँच दिन बाद मुझे तसल्ली देने के लिए उन्होंने लिखा :

प्रिय डॉ. पट्टाभी,

दोनों नवयुवक यहाँ से तब तक वापस लौटने का नाम नहीं लेना चाहते जब तक कि आश्रमीय जीवन से वे ऊबते नहीं। यहाँ का भोजन, और जलवायु भी, उनके लिए अपरिचित है। अतः यदि संभव हो तो उनके मित्र पैसे भेज दें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनके वापसी सफर और ओढ़ना-बिछौना खरीदने के काम आ जायें। वे मीराबेन की देखभाल में हैं।

वर्धा,

८-८-३५

आपका

मौ. क. गांधी

इस बीच मैं रुपये खर्च कर चुका था।

१९३६ में मैं अ. भा. प्रजा-परिषद् के कराची-अधिवेशन का अध्यक्षपद ग्रहण करने जा ही रहा था कि मुझे बंगलोर में गांधीजी और सरदार का बुलावा आया। अवश्य ही वह स्वीकार करना मेरे लिए असंभव था। उन दिनों मेरी पत्नी और पुत्र दोनों बंगलोर में ही थे। जब वे गांधीजी से मिलने गये तब उनकी माफ़त मुझे सँदिता भेज कर गांधीजी ने सूचित किया कि मैं बंगलोर आने से क्या घबराया इसको बंजह अपने को मालूम है। उनका विनोद पूरी तौर से समझ न सवने के कारण मैंने निम्न स्पष्टीकरण लिख भेजा : " मैं इस विचार का हूँ कि सालभर मैं कम से कम एक बार अपनी पत्नी और बच्चों को स्वच्छन्द विचरने देना चाहिये। पति और पिता के नाते निरतर मेरी देखभाल करने या जो भार उन्हें उठाना पडना है वह उनके लिए कितना ही प्रिय होने पर भी मुझे उनकी इस

स्थिति पर दया आती है। अतः सोचता हूँ कि इससे उन्हें कुछ काल के लिए छुटकारा मिल जाय तो अच्छा ही है। अवश्य ही इससे यह न समझ लेना चाहिये कि पति और पिता के नाते काम लेने में मैं कठोर हूँ; अपितु इसका केवल यही अर्थ है कि भले पति और पिता के लिए, इस साधारण नियम का पालन करना मेरे विचारानुसार उचित रहेगा। मेरा तो सदा से ही यह विचार रहा है कि स्त्रियों को आठों पहर पुरुषों की गुलामी का घोश न डोना चाहिये, और जब वे स्वतंत्र रूपसे विचार करने लगती हैं तब उन्हें इसके लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिये। अन्यथा, वे पुरुषों की पवाह न कर अपनी योजनाओं और निर्णयों का कार्यरूप में डालेगी, जो कि पुरुषों को मानने ही पड़ेगे। इसी लिए जब मेरी पत्नी और बच्चों ने बगलोर में गरमी विताने का खुद होकर निर्णय किया तब उस निर्णय के अनुसार चलने के लिए उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करना मुझे उचित जँचा।” इसके उत्तर—स्वरूप गांधीजीने केवल इतना ही लिखा:

प्रिय डॉ. पट्टाभाई,

आपका लडका है तो बहुत मेधावी, ठीक अपने पिताकी तरह; किंतु ऐसा लगता है कि मेरा पूरा मजाक आप तक पहुँचाने में बंद सफल नहीं रहा। बात यूँ हुई कि आपकी श्रीमतीजी को एड़ी से चोटी तक सजीवजी देखकर मैं बोल उठा, “अब मैं जान गया कि आपके पिता बगलोर आने से क्यों डरे। इसीलिए न कि इस ग्वारूपन का पाप माता की अपेक्षा पिताके कंधोपर अधिक है?” अब इस मजाक का आप चाहे जितना गंभीर अर्थ ले सकते हैं। आपकी विचारधारा से मैं पूर्णतया सहमत हूँ। स्त्रियों और वयस्क बच्चों को अपने पतिओ और पिताओ से छुटकारा तो मिलना ही चाहिये।

सर्गांव, धर्मा,

२२-६-३६

आपका

मो. क. गांधी

गांधी सेवा-संघ के धार्मिक अधिवेशन, उसके विमर्जन के पूर्वतक, भारत के भिन्न भिन्न स्थानों पर हर बरस होते रहे। संघ का सन् ३८ का अधिवेशन कटक के पास डेलींग में हुआ। मैं उसमें उपस्थित था और एक दिन गांधीजी से मिलने गया। उस समय जो चदरा मैंने ओढ़ रखा

था वह एक जगह फटा हुआ था। उनके दर्शन से लौटकर मैं अपना स्थान ग्रहण करने जा ही रहा था कि मुझे उनका एक पुर्जा मिला। लिखा था : "आपके चदरे में जो एक मोटासा छेद है उसकी मैं प्रशंसा नहीं कर सकता। यह तो पत्नी न होने, खराब पत्नी होने, या आलस्य का चिह्न मात्र है।" मैंने अविलंब उत्तर दिया, "मैं तो इस दुशाले को दो तौलियों में बाँटने की फिज़ में हूँ। सोचता हूँ कि फिर हरेक तौलिये में दो-दो तकियों के खोल, ययासमय उनसे दो-दो रुमाल, और आखिर उन रुमालों से वच्चो के वस्त्र बनवाकर ही दुशाले का पिंड छोड़ा जाय!"

१९३८ में हरिपुरा में गांधीजी ने रियासती प्रजा की समस्या पर विचार-विनिमय करने के हेतु मुझे निमंत्रित किया। आखिर इस सवध में समझौता होकर मैं पुनः कांग्रेस की कार्यकारिणी में शामिल कर लिया गया। १९३८ के दिसंबर में वाडॉली में कांग्रेस-कार्यकारिणी की एक बैठक हुई। उक्त बैठक में, जैसा कि बाद में मुझे मालूम हुआ, यह निर्णय किया गया कि त्रिपुरी-अधिवेशन का अध्यक्षपद ग्रहण करने के लिए मौलाना आजाद से प्रार्थना की जाय। तदनुसार वे इस से सहमत भी हुए। उनके वाडॉली से विदा हो जाने के बाद मैं गांधीजी से मिलने गया, और आद्य प्रातीय कांग्रेस के आवश्यक कार्यवश लौटने की इच्छा मैंने प्रकट की। उस व्रक्त में गांधीजी द्वारा वाडॉली में क्यों रोक रखा गया है इससे विलकुल अनभिज्ञ था। आखिर रात के कोई ८॥ बजे उन्होंने मुझे बुला भेजा और पूछा, "क्या सरदार की आपके साथ कुछ बातचीत हुई?" मेरे "ना" कहने पर वे बोले, "अगर मौलाना राजी न होते तो यह कौटो का ताज मैं आप के सर पर रखना चाहता था। लेकिन खुशकिस्मती से कल सुबह ही उन्होंने अपनी मजूरी दे दी है।" "यह कौटो का ताज आप भले ही किसीके सर पर रखें, लेकिन दरअसल वह है तो आप ही के सर पर," मैंने जवाब दिया, और वाडॉलीसे चल पड़ा। इसके बाद की कहानी बहुत दिलचस्प है। मौलाना ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली, और उसके लिए मुझसे आग्रह करने लगे। इसी हालत में, याने अपने सर पर चक्कर काटने वाले इस अनचाहे ताज के साथ, मैं अभी घर पहुँचा ही था कि मुझे वाडॉली लौटने सबधी तार मिला।

स्थिति पर दया आती है। अतः सोचता हूँ कि इससे उन्हें कुछ काल के लिए छुटकारा मिल जाय तो अच्छा ही है। अवश्य ही इससे यह न समझ लेना चाहिये कि पति और पिता के नाते काम लेने में मैं कठोर हूँ, अपितु इसका केवल यही अर्थ है कि भले पति और पिता के लिए, इस साधारण नियम का पालन करना मेरे विचारानुसार उचित रहेगा। मेरा तो सदा से ही यह विचार रहा है कि स्त्रियों को आठो पहर पुरुषों की गुलामी का घोर न डोना चाहिये, और जब वे स्वतंत्र रूपसे विचार करने लगती हैं तब उन्हें इसके लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिये। अन्यथा, वे पुरुषों की पर्वह न कर अपनी योजनाओं और निर्णयों को कार्यरूप में डालेगी, जो कि पुरुषों को मानने ही पडेगे। इसी लिए जब मेरी पत्नी और बच्चों ने बंगलोर में गरमी बिताने का खुद होकर निर्णय किया तब उस निर्णय के अनुसार चलने के लिए उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करना मुझे उचित जँचा।” इसके उत्तर-स्वरूप गांधीजीने केवल इतना ही लिखा।

प्रिय डॉ पट्टाभी,

आपका लडका है तो बहुत मेधावी, ठीक अपने पिताकी तरह; किन्तु ऐसा लगता है कि मेरा पूरा मजाक आप तक पहुँचाने में वह सफल नहीं रहा। बात यू हुई कि आपकी श्रीमतीजी को एडी से चोटी तक सजीवजी देखकर मैं बोल उठा, “अब मैं जान गया कि आपके पिता बंगलोर आने से क्यों डरे। इसीलिए न कि इस गवारूपन का पाप माता की अपेक्षा पिताके कंधोंपर अधिक है?” अब इस मजाक का आप चाहे जितना गंभीर अर्थ ले सकते हैं। आपकी विचारधारा से मैं पूर्णतया सहमत हूँ। स्त्रियों और वयस्क बच्चों को अपने पतिओ और पिताओ से छुटकारा तो मिलना ही चाहिये।

मंगोद, धर्मा,

२२-६-३६

आपका

भो. क. गांधी

गांधी सेवा-मंडल के वार्षिक अधिवेशन, उसके विसर्जन के पूर्वतक, भारत के भिन्न भिन्न स्थानों पर हर बरस होते रहे। सद्य का सन् ३८ का अधिवेशन कट्य के गाम डेलोंग में हुआ। मैं उसमें उपस्थित था और एक दिन गांधीजी से मिलने गया। उस समय जो चंदरा मने ओढ़ रखा

था वह एक जगह फटा हुआ था। उनके दर्शन से लौटकर मैं अपना स्थान ग्रहण करने जा ही रहा था कि मुझे उनका एक पुर्जा मिला। लिखा था : "आपके चदरे में जो एक मोटासा छेद है उसकी मैं प्रशंसा नहीं कर सकता। यह तो पत्नी न होने, खराब पत्नी होने, या आलस्य का चिह्न मात्र है।" मैंने अविलंब उत्तर दिया, "मैं तो इस दुशाले को दो तौलियों में बाँटने की फिर मे हूँ। सोचता हूँ कि फिर हरेक तौलिये से दो-दो तकियों के खोल, यथासमय उनसे दो-दो रुमाल, और आखिर उन रुमालों से बच्चों के वस्त्र बनवाकर ही दुशाले का पिंड छोड़ा जाय!"

१९३८ में हरिपुरा में गांधीजी ने रियासती प्रजा की समस्या पर विचार-विनिमय करने के हेतु मुझे निमंत्रित किया। आखिर इस अवधि में समझौता होकर मैं पुनः कांग्रेस की कार्यकारिणी में शामिल कर लिया गया। १९३८ के दिसंबर में बार्डोली में कांग्रेस-कार्यकारिणी की एक बैठक हुई। उक्त बैठक में, जैसा कि बाद में मुझे मालूम हुआ, यह निर्णय किया गया कि त्रिपुरी-अधिवेशन का अध्यक्षपद ग्रहण करने के लिए मौलाना आजाद से प्रार्थना की जाय। तदनुसार वे इस से सहमत भी हुए। उनके बार्डोली से विदा हो जाने के बाद मैं गांधीजी से मिलने गया, और आध्र प्रांतीय कांग्रेस के आवश्यक कार्यवश लौटने की इच्छा मैंने प्रकट की। उस वक्त मैं गांधीजी द्वारा बार्डोली में क्यों रोक रखा गया हूँ इससे बिलकुल अनभिज्ञ था। आखिर रात के कोई ८।। बजे उन्होंने मुझे बुला भेजा और पूछा, "क्या सरदार की आपके साथ कुछ बातचीत हुई?" मेरे "ना" कहने पर वे बोले, "अगर मौलाना राजी न होते तो यह कौटो का ताज मैं आपके सर पर रखना चाहता था। लेकिन सुरकिस्मती से कल सुबह ही उन्होंने अपनी मजूरी दे दी है।" "यह कौटो का ताज आप भले ही किसीके सर पर रखें, लेकिन दरअसल वह है तो आप ही के सर पर," मैंने जवाब दिया, और बार्डोलीसे चल पड़ा। इसके बाद की कहानी बहुत दिलचस्प है। मौलाना ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली, और उसके लिए मुझसे आग्रह करने लगे। इसी हालत में, याने अपने सर पर चक्कर काटने वाले इधर बनचाहे ताज के साथ, मैं अभी घर पहुँचा ही था कि मुझे बार्डोली लौटने सबधी तार मिला।

वहाँ पहुँचने पर मुझसे कहा गया कि मैं अपनी उम्मीदवारी के सबध में एक वक्तव्य तैयार कर लूँ। सो मैंने तैयार कर लिया। उक्त वक्तव्य में गांधीजी ने एक परिच्छेद जोड़ दिया, जिसमें कहा गया था कि, “यदि मैं चुन लिया गया तो यही समझूँगा कि रियासती प्रजा की स्वतः द्वारा हुई सेवा की जनता ने उचित कद्र की है।” इस सबध में मैं यहाँ केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि उक्त परिच्छेद के जोड़े जाने से मैंने अत्यधिक सतोष अनुभव किया। इसका एक सबल कारण यह था कि रियासतों की समस्याओं में हाथ डालते समय न तो मैंने किसी से सलाह ली थी, और न किसी ने मेरे इस प्रयास की सराहना ही की थी। रही बात ‘कॉटो के ताज’ की। इस विषय में ‘जन्मभूमि’ के ता. १२-१०-२९ के अंक में मैंने लिखा था. “इन चर्चाओं के समय यह ‘कॉटों का ताज’ वस्तुतः उन्हीं के (गांधीजी के) मस्तक पर था, और उसमें अक्षरशः कीले भी जड़ी जा चुकी थी।”

कांग्रेस-कार्यकारिणी की १४ जुलाई १९४२ की कुछ लम्बी और सघर्षपूर्ण बैठक समाप्त हुई थी। सफ़ट पार किया जा चुका था। जो निर्णय हुआ वह अत्यंत महत्वपूर्ण था। कार्यकारिणी के सदस्य गांधीजी से आज्ञा ले रहे थे। मैं भी उनसे आज्ञा लेने लगा। किंतु सभी सदस्यों की उपस्थिति में ही वे बोले, “आप भी जानना चाहते हैं? अभी तक तो हम परस्पर से मिलने भी न पाये हैं यह आप जानते हैं ना?” जवाब में मैं बोला, “अगर आप चाहते हो तो ठहर जाऊँगा।” सुनकर गांधीजी गुस्सा हुए और रूखेपन से बोले, “अगर आप खुद चाहें तो ही ठहर सकते हैं, वरना मैं तो आपको ठहरने के लिए नहीं कहता।” वैसे मैंने उन्हें कई बार कहर-शोध करते देखा या सुना है। किंतु आज का अवसर सब से बढ़कर था। यह कड़वी गोली मैं निगल गया, सफ़र का विचार छोड़ दिया, और अगले दिन उनसे भेंट करने के हेतु वर्धा ठहरा। अगले दिन जो कुछ हुआ वह राजनीति का एक अध्याय बन गया है, और वह इतना ताजा है कि इतिहास या सस्मरणों में उसे शुमार नहीं किया जा सकता।

ममुलीपट्टम,

१८-१०-१९४५

दक्षिण अफ्रीका के कुछ संस्मरण

हेन्री एस्. एल्. पोलैक

गांधीजी से मैं पहले-पहल १९०४ ई में जोहन्सवर्ग में मिला।

इससे कुछ ही दिन पूर्व मैंने 'ट्रान्सवाल क्रिटिक' क संपादकीय विभाग में कार्यभार ग्रहण किया था। उस समय तक मुझे दक्षिण अफ्रीका स्थित भारतीयों के अस्तित्व का, जो कि एक महत्वपूर्ण जमात थी, कुछ भी ज्ञान नहीं था। हमें परिवर्तनार्थ प्राप्त होनेवाले 'इंडियन ओपीनिअन' के पढ़नेसे यह ज्ञान मुझे मिला। इस पत्र का संपादन गांधीजी द्वारा न होने पर भी उसके संचालन में अधिकतर उन्हींका हाथ था। उक्त पत्र में भारतीय संस्कृति, इतिहास एवं राजनीतिक घटनाओं सबधी महत्वपूर्ण जानकारी रहती थी। साथ ही इसमें दक्षिण अफ्रीका स्थित भारतीयों की राजनीतिक शिकायतों की भी जोरदार चर्चा रहती थी। कुछ ही दिन बाद जोहन्सवर्ग के उस हिस्से में, जहाँ कि भारतीय बसे हुए थे, प्लेग का प्रकोप हो गया। उस समय जोहन्सवर्ग की जनता में भारतीयों के नेता के नाते प्रसिद्धि प्राप्त करनेवाले गांधीजी ने स्थानीय म्यूनिसिपैलिटी के स्वास्थ्य-अधिकारी को समाचार-पत्रों द्वारा खूब खरीखोटी सुना दी। उनका यही कहना रहा कि गोरे नागरिकों की भाँति भारतीयों से भी सभी प्रकार के टैक्स वसूल करने के बावजूद स्थानीय म्यूनिसिपैलिटी ने उन्हें मताधिकार से वंचित रखकर उनका जो बहिष्कार किया है उसी के दुष्परिणाम-स्वरूप प्लेग का प्रकोप हुआ है। यह दलील मुझे सयुक्तिक जैची। अतः एक सच्चे पत्रकार के नाते उनसे भेद कर स्थानीय भारतीय एवं उनकी आवश्यकताओं के बारे में मैंने अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहा।

इससे कुछ ही दिन पूर्व, निरामिष आहार विषयक टालस्टाय की विचारप्रणाली का अवलंब कर, मैंने शाकाहारी भोजनालय में जाना शुरू किया था। एक दिन एक दोस्त के संग उक्त भोजनालय में मेरे पहुँचते ही उसने मेरा ध्यान गांधीजी की ओर आकृष्ट किया। वे अकेले ही बंटे

थे, और प्रसन्नचित्त दिखाई पड़े। अपने पेशे के अनुरूप उनकी काली पगड़ी और सौंवली काया के अलावा उनमें कोई विशेष रूप से चित्ताकर्षक बात मुझे नजर न आई। अवश्य ही इस शाकाहारी भोजनालय में उन्हें देखकर उनसे भेंट करनेकी मेरी लालसा और अधिक बढ़ गई। किंतु यह व्यक्ति, जिसकी ओर कि मैं एकटक देख रहा हूँ, आगे चलकर अपने समय का सर्वप्रसिद्ध पीवात्य पुरुष बनेगा इसकी उस समय मुझे ज़रा भी कल्पना नहीं थी।

चंद दिन बाद मैंने एक दूसरे शाकाहारी भोजनालय की मालकिन से, जिसके यहाँ कि मैं अक्सर जाया-आया करता था, इस दिलचस्प व्यक्ति से भेंट करने की इच्छा प्रकट की। यह मेरे लिए सौभाग्य का दिन था। वह झट बोली, "यह तो सरल बात है। आप कल रात मेरे यहाँ चाय पीने आइये। वे रोज यहाँ आया करते हैं। मैं जरूर उनसे आपका परिचय करा दूँगी।" तदनुसार हम मिले, और इस मुलाकात ने हम दोनों के ही जीवन की धारा बदल दी। बाद में उनके निकट सपर्क में आने पर ज्ञात हुआ कि एक निष्ठावत शाकाहारी होने के कारण उक्त उभय भोजनालयों के संचालकों की उन्होंने काफी आर्थिक सहायता की थी, और फिर भी जब उनके बंद करने की नौबत आई तब उन्हें भारी घाटा उठाना पड़ा।

यह एक विचित्र बात है कि उनसे मेरा वास्तविक परिचय पत्रकार के रूप में न हो कर प्राकृतिक चिकित्सा के विद्यार्थी के नाते हुआ। उनसे मिलनेवाला मैं ही एक ऐसा व्यक्ति था कि जिसने एडाल्फ जस्ट नामक लेखक की 'रिटर्न टु नेचर' पुस्तक पढ़ ली थी। यह ज्ञात होने पर उन्होंने अपनी दोनों भुजाएँ फैलाकर मेरा स्वागत किया, और फिर इससे संबंधित अन्यान्य विषयों पर देर तक हमारी बातें होती रही। मेरा शाकाहारी होना उन्हें बहुत पसंद आया, और स्वयं अपनी ही तरह मैं भी टालस्टाय या अन्य प्रशंसक हूँ यह जानकर उन्हें अत्यधिक प्रसन्नता हुई। कहने लगे, "मेरे घर उनकी लिखी हुई पुस्तकों से एक पूरा दराज़ ही भरा पड़ा है। कभी आकर देख जाना।" इस हादिक निमंत्रण से लाभ उठाने के हेतु मैंने मुलाकात के लिए उनसे

वक्त मोंगा । भारत की समस्याओं के बारे में मैं उनसे अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहता था, और साथ ही उन्हें एक बात की, जो कि लंबे अर्में से अपने मस्तिष्क में चक्कर काट रही थी, सूचना देने की मेरी इच्छा थी ।

उन दिनों वे ट्रान्सवाल की हाईकोर्ट में एटर्नी के तौरपर प्रैक्टिस कर रहे थे । एक बैरिस्टर होनेपर भी उन्होंने कानूनी पेशे की एक ऐसी शाखा चुन ली थी कि जिससे गरीब मुक्किलों से अपना सीधा संपर्क स्थापित हो सके । उनके साथी-वकील और जज-महोदय उनका बहुत आदर करते थे । अपने किसी मुक्किल के विरुद्ध, फीस अदा न करने के अभियोग में, उन्होंने कभी कानूनी कार्यवाही नहीं की; और मुक्किल को वगैर यह पूर्वसूचना दिये, कि अगर उसके-केस में जरा भी झूठापन नजर आया तो खुद को उसकी पैरवी बंद कर देनी पड़ेगी, किसी मुकदमे में उन्होंने कभी हाथ नहीं डाला ।

एक ऐसे ही मौके पर मैंने उन्हें अदालत से क्षमा-याचना कर पैरवी का काम अधूरा छोड़ कर चले जाते देखा है । जब कोई मामला आपसी समझौते द्वारा तय होने की संभावना दिखाई पड़ती थी तब वे अपने मुक्किल से अनुरोध करते थे कि इसी मार्ग का अवलंब कर अदालती कार्यवाही में अनावश्यक रूप से होनेवाले व्यय से बचा जाय । उस आदमी का मामला भी, जिसके निमित्त वस्तुतः दक्षिण अफ्रीका में उनका जागमन हुआ था, उन्होंने इसी भौति तय किया । स्मरण रहे कि अनंतर उन्होंने वकालत छोड़ कर 'किसान' का पेशा अख्तियार किया । इसमें उनके दो उद्देश्य थे । एक तो यह, कि सार्वजनिक सेवा के लिए स्वतः को समर्पित करने के निमित्त 'सादा जीवन' विताने मिले; और दूसरा, अहिंसा विषयक अपनी श्रद्धा के प्रति पूर्णतया प्रामाणिक रहने के हेतु जीवन-निर्वाह के एक ऐसे साधन से नाता तोड़ लिया जाय कि जिसमें अतत अदालत की डिग्री लागू करने के लिए पुलिस याने पाशविक बल का सहारा लेना पड़ता है ।

जिस वक्त उनसे हमारी पहली मुलाकात हुई उस वक्त उनका परिवार भारत में होने के कारण वे अपने आफिस के पिछवाड़े में एक छोटेसे गा. जा. प्र. २८

कमरे में रहते थे। इसके कुछ ही दिन बाद वहाँ सपरिवार बस जानेपर उन्होंने अपने घर में मेरे रहने का भी प्रबंध कर लिया, जिससे उनके निकट संपर्क में आनेका सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ।

मुलाकात के लिए निश्चित किया हुआ दिन आनेपर अपने कार्यालय में उन्होंने मेरा स्वागत किया। वहाँ विराजते ही मैं अपने इस मेजबान के चहुँ ओर की परिस्थिति का काल्पनिक चित्र खींचने में मग्न हो गया। मैं उसके साथ इतना अधिक एकरूप हो गया कि आज भी मेरे स्मृतिपट पर वह ज्यो का त्यो अंकित है। उनकी मेज के ऊपर ईसा मसीह की एक सुंदर और प्रशस्त प्रतिमा दिखाई पड़ी। इससे उनकी सहानुभूति का स्रोत, अशतः ही क्यों न हो, किस दिशा में बह रहा है इसका मुझे तुरंत पता चल गया। वे हिंदू हैं यह बात पहलेसे ही ज्ञात होनेपर भी मैंने अद्विधव ऐसा अनुभव किया कि धर्म विषयक उनकी वृत्ति सहिष्णु है। दीवार पर एक ओर उनकी राजनीतिक प्रवृत्ति के प्रतीक-स्वरूप दादाभाई नौरोजी और रानडे की, एव दूसरी ओर उनके राजनीतिक गुरु गोखले की प्रतिमाएँ टँगी हुई थी। यदि अपनी स्मृति मुझे धोखा न देती हो तो मैं कहूँगा कि वहाँ टालस्टाय की भी एक सुंदर तस्वीर थी। उनकी कुर्सी के पास ही के छोटेसे किताब-खाने में मेरी परिचित पुस्तकों की कई जिल्दे थी, किंतु शेष कई मेरे लिए बिल्कुल नई थी। बाइबल, अर्नोल्ड की भगवद्गीता, एव टालस्टाय की रचनाएँ वहाँ सिलसिलेवार रखी हुई थी। अधिकांश पुस्तकें अहिंसा विषयक थी। प्रो० मैक्स मूडर की 'इंडिया वॉट कैन इट टीच अस?' नामक पुस्तक की भी एक प्रति वहाँ दिखाई दी, जो झट मैंने पढ़ने के लिए माँग ली।

भारतीय शिष्टाचार की परंपरा के अनुरूप ही गाधीजी ने मेरा स्वागत किया। उन्होंने बातचीत की शुरुआत शांत और सयत ढंग से की। किंतु दक्षिण अफ्रीका स्थित भारतीयों को जिन कठिनाइयों और असमर्थताओं से गुजरना पड़ रहा था उनका वर्णन करते समय वे आवेश में आ गये। किस तरह इन भाइयों ने लगभग आधी शताब्दी तक अत्यधिक परिश्रम एव मजदूरी सबधी अपमानजनक इकरार-नामों का पालन कर नंडाल को आर्थिक विनाश से बचाया है आदि बातें वे बताने

लगे। विशेष कर मज़दूरी संबंधी अपमानास्पद इकरार-नामे के कारण वे अत्यंत व्यथित दिखाई दिये। उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि इस प्रणाली की समाप्ति के लिए मैं यथासंभव अधिक से अधिक प्रयत्न करूँ। उनका उपदेश मेरे चित्त में गहरा पंठ गया। तब से लगातार दस साल, याने लार्ड हार्डिज के जमाने में उक्त प्रणाली का पूर्णतया अंत होने के दिन तक, गांधीजी के नेतृत्व में इस दिशा में मैं कार्य करता रहा।

उन शुरू के दिनों में शीघ्र गति से बोलते समय गांधीजी एक विचित्र प्रकार का सकोच अनुभव करते रहे। बातचीत के बीच जब वे उचित शब्द-योजना के लिए चेष्टा करते थे तब उनके मुँहसे हलकी सी सिसकार निकलती थी। बाद में उनसे अपनी घनिष्ठता होने पर मैंने इस त्रुटि की ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया। और उन्हें यह सलाह दी कि सार्वजनिक स्थान पर के अपने भाषणों में वे इसे अवश्य सुधार ले, ताकि श्रोताओं का ध्यान भाषण के मुख्य मुद्दों पर से विचलित न हो। उन्होंने तत्परता से यह सलाह मान ली और शीघ्र ही वे इस दोष से मुक्त हो गये।

हमारे आपसी वार्तालाप में कई एक भारत-विरोधी व्यक्तियों का उल्लेख होनेपर भी मैंने उन्हें कभी किसीपर व्यक्तिगत आक्षेप लगाते, या किसी के प्रति कहर-क्रोध करते नहीं देखा। शीघ्र ही मुझे पता चल गया कि प्रत्येक प्रकार की हानिप्रद कृति और नीति से उन्हें चीढ़ होने पर भी व्यक्तिद्वेष से वे सर्वथा मुक्त हैं। भारतीय मसला उनके लिए एक वैसी ही मानव-समस्या थी, जैसी कि अन्य अनेक समस्याएँ। अपने वर्ण और वंश के कारण उन्हें कई बार मानहानि सहनी पड़ी थी। फिर भी ऐसे अपमानास्पद अवसर पर, या वादमें भी कभी, उनके वचन या स्वर में मुझे ज़रा भी कटुता नज़र न आई। इसी लिए वे चंद यूरोपियन, जो कि एक व्यक्ति के नाते उन्हें भली भाँति जानते थे, उनकी आत्मसयमी वृत्ति की भूरि भूरि प्रशंसा करते थे। उनका स्वभाव इतना सरल, स्नेहपूर्ण एवं उपद्रवशून्य था कि उनसे निकट संपर्क स्थापित करने में कभी किसी को दिक्कत न मालूम होती थी। किंतु स्मरण रहे कि राजनीतिक चातुर्य और आध्यात्मिक सूक्ष्मता से युक्त उनकी बुद्धिमत्ता प्रायः उनके निकटतम सहयोगियों को भी चषकर में डाल देती थी।

यथासमय मंने उन्हें यह सूचित किया कि उनके द्वारा सपादित 'इंडियन ओपीनियन' पत्र पढते रहने के कारण भारत की राजनीतिक समस्याओं में मैं अधिकाधिक दिलचस्पी लेने लगा हूँ, और अपने खुद के पत्र की इस विषयक नीति से सहमत न होने की बात पत्र-सपादक को बताने पर उसने वश और वर्ण विषयक पत्र की नीति का समर्थन न करनेकी छूट उदारतापूर्वक मुझे दे रखी है। जैसे ही यह बातें मंने गांधीजी को बताई वे प्रसन्नता से फूल उठे, और मंने खुद होकर जो कदम उठाया था उसके लिए उन्होंने मुझे हार्दिक बधाई दी। मंने उन्हें यह भी बता दिया कि प्लेग के प्रकोप के सबध में मेडिकल अफसर के साथ समाचार-पत्रों द्वारा उनका जो वाद-विवाद हुआ था उसमें उनकी ओर से उपस्थित की गई बातों से मैं सहमत हूँ। फलतः उन्होंने इस विषयक ऐसी और कई बातें मुझे विस्तारपूर्वक बता दी जो कि समाचार-पत्रों में प्रकाशित नहीं हुई थी। किंतु इस समग्र वार्तालाप में उन्होंने भूल से एक शब्द भी उस खतरे के बारे में नहीं निकाला जो कि प्लेग-प्रस्तो की सेवा करने में उन्होंने उठाया था। वे सब बातें तो वाद में मुझे मालूम हुईं। अवश्य ही अपने देशवासियों द्वारा की गई सेवाओं और आत्मत्याग सबधी बहुतसारी बातों का उन्होंने उल्लेख किया।

अनंतर लेखक के नाते अपनी सेवाएँ उनके पत्रके लिए अर्पित करने की इच्छा मंने प्रकट की। इस प्रकार उनके पत्रके साथ मेरे सपादकीय सहयोग का श्रृंगणेश हुआ, जो कि लगभग बारह बरस याने दक्षिण अफ्रीकासे अपने विदा होनेके दिनतक कायम रहा।

इस सपादकीय सहकार्य के शुरु के दिनोंका एक मजेदार अनुभव याद आता है। दक्षिण अफ्रीकन रिपब्लिक के भूतपूर्व अध्यक्ष पाल श्रेगर का यूरोप में देहावसान हो गया था। हिटलर की भौति इन महाशय का भी यही कहना था कि वाले आदमियों की कीमत बुद्धिमान् बंदरों से अधिक न होनेके कारण उन्हें गोरो की बराबरी नहीं मिलनी चाहिये। उनके मृत अवसोप प्रिटोरिया में दफनाने के लिए दक्षिण अफ्रीका लाये गये थे। 'इंडियन ओपीनियन' के लिए उक्त शव-यात्रा की रिपोर्ट तैयार करनेका काम मुझे सौंपा गया था। अपने पत्र के मुद्रण-दोषों में

अवगत होने के कारण मैंने गाधीजी से विशेष रूपसे यह प्रार्थना कर रखी थी कि वे मेरी रिपोर्ट छपने से पहले उसके प्रूफ स्वयं दुहरा जावे। सो उन्होंने कबूल भी किया। उन दिनों अपनी 'शैली' का मुझे कुछ गर्व सा था। अपनी रिपोर्ट की शुरुआत मैंने इस तरह की थी—
 "He is dead and buried" अर्थात्—“ उनकी इहलीला समाप्त हुई है और वे कब्र में सदा के लिए सुला दिये गये हैं।” सोचता था कि यह प्रभावशाली रहेगा। किंतु जब अक छप कर हाथ में आया और पढ़ा— “He is dead and burned”—अर्थात् “ उनकी इहलीला समाप्त हुई है और उनका दाह-संस्कार कर दिया गया है,” तब मैं कैसे हक्का बक्का रह गया हूँगा इसकी आप ही कल्पना कीजिये। झट इसकी शिकायत करते हुए मैंने उन्हें लिखा कि आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। साथ ही मैंने इस ओर भी संकेत कर दिया कि यदि किसी कट्टर बोअर की इस रिपोर्ट पर नजर पड़ी तो वह नोध और द्वेष से आग बबूला हो जायगा, जो कि भारतीयों के हित की दृष्टि से ठीक न रहेगा। मैं नहीं समझता कि किसी बोअर ने उक्त रिपोर्ट पढ़ी होगी, किंतु गाधीजी की ओर से तुरंत सविनय क्षमा-प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ। स्पष्टीकरण-स्वरूप उन्होंने मुझे सूचित किया था कि वस्तुतः वचनानुसार सारा प्रूफ स्वयं पढ़ जानेपर भी उसमें उल्लिखित 'Burned' शब्द अपनेको, एक हिंदू होने के कारण, जरा भी अखरा नहीं और बिल्कुल स्वाभाविक जैसा।

उनके पत्रकार-व्यवसाय में उनसे अपनी घनिष्ठता स्थापित होने-पर स्वतः के उत्तरदायित्व के प्रति उनकी सतर्कता एवं वादविवाद के समय वस्तुस्थिति का विपर्यास न होने देने संबंधी उनकी सावधानी मुझे देखने मिली। मेरे लेखों, विशेष कर वशभेद के कारण भारतीयों को जो कष्ट सहने पड़ रहे थे उनके संबन्ध में की जानेवाली आलोचनाओं, की भाँसा, अपेक्षाकृत अधिक कटु और आवेशयुक्त होती थीं। ऐसे ही एक प्रसंग पर मुझे समझाते हुए वे बोले कि इस प्रकार की अत्युक्ति द्वारा सस्ती और दिखावटी पत्रकार-कला के वशीभूत होने की अपेक्षा मेरे लिए यह कहीं अधिक अच्छा होगा कि मैं लदन टाइम्स की सयत और वस्तु-

निष्ठ लेखन—पद्धति का अनुकरण करूँ। इससे आत्मानुशासन का, जिसकी कि इस क्षेत्रमें काम करनेवाले व्यक्ति के लिए आवश्यकता है, अभ्यास हो जायगा और परिणामतः वह हितप्रद रहेगा। तबसे मैंने उनकी इस उत्तम सलाह के अनुसार ही चलनेकी चेष्टा की है।

उन दिनों आज की तरह सजीव और सूत्रमय अगरेजी पर गांधीजीका प्रभुत्व नहीं था। अक्सर उन्हें जल्दवाजी में लिखना पड़ता था और इसमें भी कार्याधिक्य के कारण बाधा पहुँचती रहती थी। इससे कभी कभी उनके लेखों की भाषा मुझे असाहित्यिक प्रतीत होती थी। ऐसे ही एक प्रसंग पर सपादकीय गभीरताका स्वाँग भरते हुए मैंने उनसे कहा, “जबतक आप अपनी ‘कापी’ फिरसे नकल नहीं कर लेते तबतक मैं इसे छपानेके लिए नहीं दे सकता।” वे कर लाये,—झिलमिलाती हुई आँखों से और अदबके साथ। गजबके वे मजाकिया थे।

मैंने गांधीजी को सदैव इस बात पर जोर देते हुए पाया कि हरेक व्यक्ति को अपने दृढ विचारानुसार ही चलना चाहिये, फिर ये विचार चाहे आध्यात्मिक हों, या राजनीतिक। १९१०—११ में मेरे नाम भेजे गये एक पत्र में वे लिखते हैं “अपने विचार-स्तर को गिरने न दें; अन्य सब बातें यथासमय पूरी हो जाएँगी।” इसी प्रकार एक दिन दूसरे की स्वतंत्र मनोवृत्ति के प्रति उनकी सद्भावना की प्रचीति मिली। ट्रान्सवाल-निवासी भारतीयों की स्थिति संबंधी दक्षिण अफ्रीका के किसी पत्रकार का एक लेख एक विख्यात अगरेजी पत्र में प्रकाशित हुआ था, जो कि गभीर स्वरूप की असत्य उक्तिया से भरा हुआ था। पश्चात् ज्ञात हुआ कि वह हेतुपुरस्सर नहीं लिखा गया है। किंतु उस समय मुझे ऐसा लगा कि यदि इन असत्य बातों का अविलंब और अधिकृत रूप से सड़न नहीं किया जाता तो इससे ट्रान्सवाल-निवासी भारतीयों की समस्या के संबंध में इंग्लैंड में अनेक गलतफहमियाँ पैदा होकर, ट्रान्सवाल की शासन-व्यवस्था इंग्लैंड के ही नियंत्रण में होनेसे, अतत उक्त समस्याके समाधान में बड़ी भारी बाधा उपस्थित होगी। यह सारी बातें मैंने आग्रहपूर्वक गांधीजी से निवेदन कीं। किंतु मेरी दलीलों से वे अप्रभावित दिखाई दिये। फलतः अत्यंत निराश होकर मैंने सारा दिन गायान-नाति में बाटा। गांधीजी

चुपचाप यह सब देखते रहे। फिर मुझे बुलाकर पूछने लगे कि क्या माजरा है? कुछ रुखाई से मैंने जवाब दिया कि दरअसल यह सवाल आपही से संबध रखता है, अतः आप ही इसका निर्णय करें। सुनकर मुझे सलाह देने हुए सौम्य स्वर में वे बोले, “यदि उक्त लेख की वाते आपको इतनी अधिक चुभी हो तो यही उचित रहेगा कि स्वयं आप ही उनके खडनस्वरूप प्रतिलेख लिख कर भेज दें।” तदनुसार मैंने लेख भेज दिया, जो कि शीघ्र ही लदन में प्रकाशित हुआ। अनंतर वह भारत के समाचार-पत्रों में भी पुनर्मुद्रित हुआ। सर्वप्रथम इस लेख के कारण ही भारतीय जनता से मेरा सीधा सपर्क स्थापित हुआ। इतना ही नहीं बल्कि शीघ्र ही एक भारतीय समाचार-पत्र ने इस विषयक अन्य लेख की मुझसे माँग की।

लगभग इसी समय एक दिन गांधीजी ने अपने इस निर्णय की सूचना देकर, कि भविष्य में अधिक काल तक ‘इंडियन ओपीनियन’ पत्र विज्ञापन की आय पर अवलंबित नहीं रहना चाहिये, मुझे आश्चर्य में डाल दिया। स्पष्ट ही था कि इससे पत्र का प्रकाशन बंद कर देना पडता। वैसे ही मैंने उनसे पूछा भी। “कदापि नहीं,” वे बोले, “हम पत्र की ग्राहक-संख्या पर्याप्त रूप से बढ़ाने की कोशिश कर विज्ञापन लेना बंद करने के कारण होनेवाली क्षति की पूर्ति करनी चाहिये।” “तो कैसे किया जाय आप ही बतावे,” मैंने कहा। जवाब में वे बोले, “इसके निमित्त आप आसपास के प्रदेशों की यात्रा कर वहाँ के भारतीयों का परिचय प्राप्त करें, और उनमें से जो अधिकांश लोग अबतक इस पत्र के ग्राहक नहीं बने हैं उन्हें इस के महत्व से अवगत करावे। यदि आप इतना कर सकें तो वे लोग दूसरे भाइयों से भी इसके ग्राहक बनने के लिए आग्रह करेंगे। आप उन्हें यह भली भाँति समझा दें कि केवल लोकसेवा से प्रेरित होकर ही प्रस्तुत पत्र चलाया जा रहा है, और प्रेम-भावसे ही कुछ लोगों ने इसके संचालन का भार उठाया है। इसमें लोगों के निक्कट सपर्क में आप आ जाएँगे और उनकी रहन-सहन एवं समस्याएँ समझ लेने का भी आप को सुअवसर मिलेगा।” वस्तुतः उनकी वाते तथ्यपूर्ण थी। चुनौचे मैं भ्रमण के लिए निकल पडा। इस यात्रा में मैंने अनेक नये मित्र बनाये। उनकी मार्फत अनेकानेक भारतीयों से सीधा

संपर्क स्थापित करने एवं उनका आतिथ्य ग्रहण करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। इस प्रकार भारतीयों की रहन-सहन से परिचित होने के साथ ही साथ अपने पत्र की उस समय की विषम आर्थिक परिस्थिति में पत्र के लिए कई नये और उत्साही ग्राहक पैदा करने का मौका मुझे मिला।

इन्ही दिनों गांधीजी की मनोवृत्ति में गभीर एवं मौलिक स्वरूप का परिवर्तन हुआ। कुछ समय से शांतिपूर्वक इसकी तैयारी चल रही थी; किंतु अवतक वह स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया था। अवश्य ही इसे केवल सयोग की बात नहीं माना जा सकता। अफ्रीका-निवास के समय लिखे गये अपने लेखों में गांधीजी ने इसका उल्लेख किया है। अपने पत्र की उस समय की आर्थिक कठिनाई उनकी चिंता का कारण बन रही थी। पत्र के प्रकाशनार्थ उन्होंने पानी की नाई पैसा खर्च किया था। फिर भी वे उसकी आर्थिक क्षति की अपेक्षा उसके वद हो जाने से अफ्रीका स्थित भारतीय जनता के सेवा-कार्य की होनेवाली हानि से अधिक चिंतित थे। आखिरकार सकट की घड़ी आ पहुँची, जिससे उन्हें तुरत डरवन की ओर प्रस्थान करना पड़ा। फलतः पत्र की रक्षा के हेतु उन्होंने उसकी आर्थिक जिम्मेदारी एवं प्रवच पूर्णतया अपने अधिकार में रखने का निश्चय किया, और इस प्रकार उनकी दूर-दर्शिता के कारण अफ्रीका निवासी भारतीयों की एक सभाव्य सकट से जान बची।

जिस रातको वे डरवन के लिए रवाना हो रहे थे मैं जोहन्सबर्ग स्टेशन पर उन्हें विदा करने गया। सवर्ण लोगों के लिए सुरक्षित रखे गये डिब्बे में वे सवार हुए। यह सुप्रसिद्ध 'कुली वकील' पहले दर्जे के डिब्बे में जकेला ही बैठा हुआ था। सामाजिक और आर्थिक कार्यों के प्रति अपने उत्साह के जोर में हालही में पढ़कर समाप्त की हुई रस्किन की 'Unto This Last' किताब मेंने उन्हें पढ़ने के लिए दी। मैं निश्चित रूपसे जानता था कि उन्हें वह पगद आएगी। यही हुआ। उक्त पुस्तक के अध्ययन-स्वरूप अपने जीवन में और एक महान् परिवर्तन उपस्थित होने की बात स्वयं गांधीजी सुदृढ़ स्वीकार करते आये हैं। किस प्रकार तो इस पुस्तक ने अपने को मोहित कर लिया, और कंगे

वह एक सौसमें पढ़कर समाप्त की गई, इसका स्वयं उन्होंने ही वर्णन किया है। उनके डर्वन पहुँचने से पहले ही इस पुस्तक ने उनका दृष्टिकोण सदा के लिए बदल डाला। और उन्होंने 'सादा जीवन' एव उससे संबंधित बातों का पुरस्कार व प्रचार करनेका अविलंब निश्चय किया।

डरवन के उत्तर में बारह मील दूरी पर लगभग सौ एकड़ जमीन खरीद कर वहाँ उन्होंने एक प्रेस खोला। गन्ने की खेती और इमारती वृक्षों से युक्त इसी प्रदेश में उन्होंने अपनी इतिहास-प्रसिद्ध 'फिनिक्स' बस्ती की स्थापना की। जातीय भेदभावों से ऊपर उठकर टालस्टाय एव रस्किन के उपदेशानुसार सादा जीवन बिताने की इच्छा रखनेवाले भारतीयों और अंगरेजों की यह बस्ती थी। शहरी और औद्योगिक वातावरण से दूर रह कर स्वल्प मासिक वेतन में अपनी न्यूनतम आवश्यकताएँ पूरी करना इस बस्ती का मुख्य ध्येय था। इसी भाँति परस्पर की शोषणियाँ बनाने में सहयोग प्रदान करना, एव अपने हिस्से की दो एकड़ जमीन खुद जोत कर शाकाहार के योग्य खाद्यान्न पैदा करना वहाँ की योजना के प्रमुख अंग थे। इनके अतिरिक्त ये भाई अवैतनिक रूप से एक साप्ताहिक पत्र भी चलाना चाहते थे।

कुछ दिन बाद गांधीजी जोहन्सवर्ग की मध्यम वर्गीय बस्ती के भीतर का अपना घर छोड़कर यहाँ सपरिवार रहने आये। यही उन्होंने ने उन अतर्धर्मीय स्नेहपाठों का श्रीगणेश किया जो कि कालांतर में इतने सुप्रसिद्ध हुए। हर इतवार को इस बस्ती के सब वांशिदे स्थानीय गांधी-गृह में इकट्ठा हो कर न केवल हिंदू और मुस्लिम, अपितु ईसाई भजन भी गाया करते थे। गांधीजी ने सर्वप्रथम यही यत्र-उद्योग का अर्थ जाना एव उसकी विशेषता का परिचय प्राप्त किया। आइल-इंजन से चलने वाला हमारा प्रेस प्रायः नादुस्त हो जाया करता था। ऐसे प्रसंग पर, पत्र समय से निकल सके इस हतु, हम सब आधी रात तक जगकर अपने हाथ से प्रेस चलाते थे। उन दिनों गांधीजी अत्यधिक व्यस्त रहते थे। और डरवन में उनका रहना भी बहुत कम होता था। व्यावसायिक या सार्वजनिक काम के निमित्त बहुधा उन्हें ट्रान्सवाल जाना पड़ता था। फिर भी जब कभी वे डरवन पधारते थे तब उपरोक्त क्रिस्म की आकस्मिक कठिनाई उपस्थित होने पर हमारी

भौति ही उत्साह के साथ प्रेस के पहिये को अक्षरशः अपना कघा लगा देते थे ।

‘इंडियन ओपीनियन’ की अकाल मृत्यु से रक्षा करने के लिए गांधीजी ने जिस तत्परता और आत्मत्याग का परिचय दिया था वह शीघ्र ही सार्यक सिद्ध हुआ । प्लेग का प्रकोप होने के अठारह मास के भीतर ही जोहन्सवर्ग स्थित अधिकांश भारतीय सारे ट्रान्सवाल में बिखर गये, जिससे सर्वत्र यह सदेह पैदा हुआ कि भारतीयों का नियमविरुद्ध स्थलांतर बहुत बढ़ गया है । परिणाम-स्वरूप वहाँ की राजनीतिक परिस्थिति और अधिक उग्र बन गई । ऐसी अवस्था में भारतीय जनता को ऐक्य-मूत्र में बंध रखने में ‘इंडियन ओपीनियन’ने बड़ा भारी हिस्सा उठाया, जो कि आगामी आंदोलन के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ । लगभग आठ साल तक गांधीजी और जनरल स्मट्स परस्पर विरोधी दलों का नेतृत्व करते रहे । ‘इंडियन ओपीनियन’ ही एक ऐसा पत्र था कि जिसके द्वारा उक्त दीर्घ आंदोलन से संबंधित प्रमुख घटनाओं, उसमें भाग लेनेवाले स्त्री-पुरुषों की बलिदान गाथाओं, एवं उनके अजेय नेता के जीवन-सिद्धान्तों और व्यक्तित्व का भारत को और साथ ही सारे ससार को परिचय प्राप्त हुआ । गांधीजी ने, श्री गोखले के कथनानुसार, यह दिखा दिया कि उन्हें यह ईश्वरीय देन मिली हुई है कि जिसकी बदौलत वे मामूली मिट्टी के भीतर से बीर पुरुष निर्माण कर सकते हैं ।

और एक प्रसंग याद आ रहा है । उन्हें सजा मुनायी जा चुकी थी । एक जेल से दूसरी जेल में उनका तबादला होनेवाला था । हम कई लोग पार्क स्टेशन पर उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे । बहुतसे मद्रासी फेरीवाले भी इन प्रेक्षकों में शामिल रहे । सहसा एक नाटा, दुबला-भतला, सौयले रंग का व्यक्ति ट्रेन से फुरती के साथ नीचे उतरा । जॉर्ज उसकी दात था, और मुद्रा धीरोदात । जेल का बरदीघारी वार्डर उसके साथ था । वह खुद तटस्थ बंदी की बरदी पहने हुए था । अर्थात् सर पर फीजा ढग की टोपी (जो कि आगे चलकर गांधी टोपी में परिवर्तित हुई); बदन पर शार्के की नवरमुक्त डीलीडाली जाकट; पटने तक की इजार, जिगरा एक हिस्सा गहरा और दूसरा भूरा था; उसी

तरह के निशान लगे हुए भूरे रंग के ऊनी भोजे और चमड़े के जूते । जब वार्डर से कुछ आदेश पाने के हेतु वे मुझे तब हम सभी ने उन्हें सादर प्रणाम किया । कपड़े एव दूसरी चीजों से भरी हुई टाट की सफेद थैली, और किताबों से भरा हुआ एक बक्स वे लिये हुए थे । वार्डर के साथ उन्होंने कुछ विचार-विमर्श किया । मालूम होता था कि वार्डर अपनी ओर इस कैदी की परिस्थिति के बीच निर्माण हुई असंगति का आभास पा गया है । क्योंकि कैदी के साथ वह अदब से पेश आ रहा था । यह कोई-किसी व्यक्ति है और इसके प्रति विशेष रूप से नम्र व्यवहार करने वह समझ चुका था । उनके आपसी वार्ता-लाप गाधीजी जेल तक किराये की गाड़ी से जाना पसंद कर रहे हैं । यदि गाड़ीसे जाना वे पसंद करते हैं खुद की जेब से चुकाना, पड़ता । चुनौचे उन्होंने यह कर दिनदहाड़े कैदी के भेष में ही तीन-चौथाई प्र करनेका सोचा । थैला अपने कंधे से लटका कर द्र जिसका कि हमने भी अनुसरण किया,—किंतु सलज्ज और अपने बीच आदरसूचक दूरी रखकर । कुछ ही जेल के क्रूर सीखचों के पीछे वे अदृश्य हो गये । जेल में यह ध्येयवाक्य सुना हुआ था. 'संगठन प्र स्वयं गाधीजी का भी जनता के लिए ठीक यही क इसी को वे चिपके रहे ।

आ रहा है । उनके दुःखद देहावसान के ठीक 549 प्रात है । अपने ही देशवासियों द्वारा संगीन चोट में जा पहुँचे थे । बात यू हुई कि दक्षिण अफ्रीका 2000 हदुस्तानी के रजिस्ट्री करा कर प्रमाणपत्र लेनेके धीजी ने जो आन्दोलन छेड़ा था उसके सवध या गया कि यदि वे सरकार की प्रतिष्ठा रखने क लिए अपना आन्दोलन सींच लगे तो उक्त कानून रद्द कर दिया जायगा । फलतः उन्होंने लोगों को प्रमाणपत्र निकालने की गलाहरी दी । लोगोंको उनकी यह मलाह बहुत ही अगरी । तब सर्वप्रथम

खुदका ही नाम रजिस्टर करानेकी उन्होने सोची । किंतु रजिस्ट्री-कार्यालय में जाते समय लोगों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया और गांधी-स्मट्स समझौता भंग करने से उनके इन्कार करने पर उन्हें मार गिराया । यदि पूर्वनिश्चय के अनुसार मैं ठीक वक्त पर उनके कार्यालय में पहुँचा होता तो निस्सन्देह मेरी भी मिट्टी पलीद हो जाती । पश्चात् रेवरेड डोक के वासस्थान पर मैंने उनसे भेंट की । अपनी अनिच्छा के बावजूद अधिकारियों द्वारा हमलावारो पर दावा दायर किया जानेपर भी गांधीजी ने उनके विरुद्ध गवाही देना अस्वीकार किया । तब केवल उन यूरोपियनो की गवाहियों के आधार पर, जो कि गांधीजी के सहायतार्थ घटनास्थल पर दौड़ आये थे और जिन्होंने अपनी आँखों सारा कांड देख लिया था, अपराधियों को दंड दिया गया ।

जेल में गांधीजीके पास जो कित्तवें थी उनमें से कुछ तो स्वयं जनरल स्मट्स द्वारा भेजी गई थी । स्मरण रहे कि अपने इस भारतीय विरोधी को उन्हें कारावास का दंड देना पडा था । फिर भी गांधीजीके मन में स्मट्सके प्रति जरा भी व्यक्तिगत स्वरूप का वैरभाव नहीं था । इतना ही नहीं बल्कि छ वर्ष बाद दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते समय गांधीजी ने उन्हें, मेरी और कुमारी श्लेसिन की मार्फत, टालस्टाय-फार्म पर खुद के हाथों तैयार किया हुआ एक जोड़ी जूता गांधी-स्मट्स समझौते की स्मृति स्वरूप भेज दिया । स्वयं स्मट्स प्रिटोरिया के पास की निजी जमींदारी पर सादी रहन-सहन के प्रति अपने विश्वासानुसार जीवन बिता रहे थे । उन्त जूतों का उन्होंने पचीस वर्ष भली प्रकार उपयोग किया, और इसी के प्रमाण-स्वरूप फिर गांधीजी को वह लौटा दिया ।

मैं पहले ही इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि गांधीजी द्वारा तापसी जीवन के प्रयाग प्रारंभ किये जाने से पूर्व मैं एक पुट्टी के नाते उनका साथ रहता था । हमारे आपसी संबंध 'भाई' और 'छाटा भाई' की भाँति रहे । उन्हीं के आग्रह के कारण मेरी भावी धर्मपत्नी भी यहाँ आकर रहन लगी । हमारे विवाह-विधि के समय प्रमुख गवाह के नाते मैं ही उपस्थित रहे, और उन्होंने ही मंत्रिस्ट्रेट को इय काया, जिहम

उभय पति-पत्नी यूरोपियन हैं, विश्वास दिलाया। बात यू थी कि गाधीजी एक-उनकी विरादरी से निकट संपर्क रखने के कारण लोग मुझे भी भारतीय समझने लगे थे। और इस हालत में ट्रासवाल में हमारा विवाह गैरकानूनी करार दिया जाता।

उन दिनों में उनसे गुजराती पढ़ा करता था। उस वक्त काममें लाई गई नोटबुक पर हाल ही में मेरी नज़र पड़ी। रातको भोजनोपरांत हम गीता-पाठ करते थे। पुस्तक का नाम था 'Song Celestial'। गाधीजी की राय में यह गीता का सर्वोत्कृष्ट अंगरेजी संस्करण था। गाधीजी के इस आग्रह पर, कि गीता-बोध का वाच्यार्थ न लेकर उसे लाक्षणिक रूप में ही ग्रहण करना चाहिये, मैं आश्चर्यचकित रह गया। क्योंकि वोअर-युद्ध में, और पुनः जुलू-विद्रोह के समय, कर्तव्य के तौरपर उनका ब्रिटिश सार्जेंट-मेजर की वरदी पहनना मुझे याद आ गया। साथही, भगवान् श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया यह उपदेश पढ़कर, कि "सदोष स्वधर्म-पालन की अपेक्षा परधर्म का निर्दोष पालन भयप्रद होने के कारण तुझे, एक क्षत्रिय के नाते, स्वकर्तव्य में ही रत रहना चाहिये," मैं और अधिक आश्चर्यचकित हुआ। किंतु इस विषय की चर्चा में एक विशिष्ट मर्यादा के आगे बढ़ने में मैं असमर्थ था। क्योंकि एक तो स्वभावतया मैं शरीरबल का सहारा लेने के विरुद्ध था; और दूसरे, अपने गुरु एव हिंदू के नाते योग्यता में वे मुझमें श्रेष्ठ थे।

फिर भी यह तो सर्वप्रसिद्ध ही है कि प्रथम महायुद्ध के समय रगस्टो की भर्ती में उन्होंने सक्रिय भाग लिया। तब श्रीकृष्ण के उपदेश के आधार पर मैंने उन्हें इस कार्य से विमुख करने की प्रबल चेष्टा की। इसके उत्तर-स्वरूप उनसे मुझे निम्नाशय का पत्र मिला:—

"रगस्टो की भर्ती के हेतु जो आंदोलन सप्रति में कर रहा हूँ उसके संबन्ध में आप की क्या राय है? अहिंसा के पवित्र सिद्धान्त के लिए धर्माचरण-स्वरूप मैंने इसे उठाया है। मुझे इस बात का पता चल गया है कि भारत अपनी युद्ध-शक्ति को खो बैठा है। यह युद्ध-शक्ति, न कि युद्ध-प्रवृत्ति, उसे पुनः प्राप्त कर लेनी चाहिये। केवल उच्चो हालत में, यदि वह चाहे तो, पीड़ित मग़ारों में अहिंसा का

खुदका ही नाम रजिस्टर करानेकी उन्होने सोची। किंतु रजिस्ट्री-कार्यालय में जाते समय लोगों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया और गांधी-स्मट्स समझौता भंग करने से उनके इन्कार करने पर उन्हें मार गिराया। यदि पूर्वनिश्चय के अनुसार मैं ठीक वक्त पर उनके कार्यालय में पहुँचा होता तो निस्सन्देह मेरी भी मिट्टी पलीद हो जाती। पश्चात् रेवरेड डोक के वासस्थान पर मैंने उनसे भेंट की। अपनी अनिच्छा के बावजूद अधिकारियों द्वारा हमलावारो पर दावा दायर किया जानेपर भी गांधीजी ने उनके विरुद्ध गवाही देना अस्वीकार किया। तब केवल उन यूरोपियनो की गवाहियों के आधार पर, जो कि गांधीजी के सहायतार्थ घटनास्थल पर दौड़ आये थे और जिन्होंने अपनी आँखों सारा कांड देख लिया था, अपराधियों को दंड दिया गया।

जेल में गांधीजी के पास जो किताबें थी उनमें से कुछ तो स्वयं जनरल स्मट्स द्वारा भेजी गई थी। स्मरण रहे कि अपने इस भारतीय विरोधी को उन्हें कारावास का दंड देना पडा था। फिर भी गांधीजी के मन में स्मट्स के प्रति ज़रा भी व्यक्तिगत स्वरूप का वैरभाव नहीं था। इतना ही नहीं बल्कि छ वर्ष बाद दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते समय गांधीजी ने उन्हें, मेरी और पुमारी श्लेसिन की मार्फत, टालस्टाय-फार्म पर खुद के हाथों तंवार किया हुआ एक जोड़ी जूता गांधी-स्मट्स समझौते की स्मृति स्वरूप भेज दिया। स्वयं स्मट्स प्रिटोरिया के पास की निजी जमींदारी पर सादी रहन-सहन के प्रति अपने विश्वासानुसार जीवन बिता रहे थे। उक्त जूतों का उन्होंने पचीस वर्ष भली प्रकार उपयोग किया, और इसी के प्रमाण-स्वरूप फिर गांधीजी को वह लौटा दिया।

मैं पहले ही इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि गांधीजी द्वारा तापसी जीवन के प्रयोग प्रारंभ निये जाने से पूर्व मैं एक मुट्ठी के नात उनका साथ रहता था। हमारा आपसी संबंध 'भाई' और 'छाटा भाई' की भाँति रह। उन्हीं के जापह के कारण मेरी भावी धर्मपत्नी भी यहाँ आकर रहने लगी। हमारा विवाह-विधि के समय प्रमुख गवाह के नाते ये ही उपस्थित रहे, जोर उन्होंने ही मजिस्ट्रेट को इस बात का, कि हम

उभय पति-पत्नी यूरोपियन है, विश्वास दिलाया। बात यू थी कि गाधीजी एवं उनकी विरादरी से निकट संपर्क रखने के कारण लोग मुझे भी भारतीय समझने लगे थे। और इस हालत में ट्रासवाल मे हमारा विवाह गैरकानूनी करार दिया जाता।

उन दिनों मैं उनसे गुजराती पढा करता था। उस वक्त काममे लाई गई नोटबुक पर हाल ही में मेरी नजर पड़ी। रातको भोजनोपरात हम गीता-पाठ करते थे। पुस्तक का नाम था 'Song Celestial'। गाधीजी की राय मे यह गीता का सर्वोत्कृष्ट अंगरेजी सस्करण था। गाधीजी के इस आप्रह पर, कि गीता-बोध का वाच्यार्थ न लेकर उसे लाक्षणिक रूप में ही ग्रहण करना चाहिये, मैं आश्चर्यचकित रह गया। क्योंकि वोअर-युद्ध मे, और पुन. जुलू-विद्रोह के समय, कर्तव्य के तौरपर उनका ब्रिटिश सार्जेण्ट-मेजर की बरदी पहनना मुझे याद आ गया। साथही, भगवान् श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया यह उपदेश पढकर, कि "सदोष स्वधर्म-पालन की अपेक्षा परधर्म का निर्दोष पालन भयप्रद होने के कारण तुझे, एक क्षत्रिय के नाते, स्वकर्तव्य मे ही रत रहना चाहिये," मैं और अधिक आश्चर्यचकित हुआ। किंतु इस विषय की चर्चा में एक विशिष्ट मर्यादा के आगे बढ़ने मे मैं असमर्थ था। क्योंकि एक तो स्वभावतया मैं शरीरबल का सहारा लेने के विरुद्ध था; और दूसरे, अपने गुरु एव हिंदू के नाते योग्यता मे वे मुझमे श्रेष्ठ थे।

फिर भी यह तो सर्वप्रसिद्ध ही है कि प्रथम महायुद्ध के समय रगस्टो की भर्ती मे उन्होने सक्रिय भाग लिया। तब श्रीकृष्ण के उपदेश के आधार पर मैंने उन्हें इस कार्य से विमुक्त करने की प्रबल चेष्टा की। इसके उत्तर-स्वरूप उनसे मुझे निम्नाशय का पत्र मिला.—

"रगस्टो की भर्ती के हेतु जो आदोलन सप्रति में कर रहा हूँ उसके सबध मे आप की क्या राय है? अहिंसा के पवित्र सिद्धान्त के लिए धर्माचरण-स्वरूप मैंने इसे उठाया है। मुझे इस बात का पता चल गया है कि भारत अपनी युद्ध-शक्ति को खो बैठा है। यह युद्ध-शक्ति, न कि युद्ध-प्रवृत्ति, उसे पुनः प्राप्त कर लेनी चाहिये। केवल उसी हालत में, यदि वह चाह तो, पीड़ित ससार को अहिंसा या

संदेश दे सकेगा। उसे देना तो मुक्त-हस्त से है, किंतु अपने सामर्थ्य-भंडार के भीतर से, न कि दौर्बल्य द्वारा। इस दूसरे मार्गपर वह भूल से भी न बड़े। क्योंकि मेरी राय में वह उसके सर्वनाश का कारण बनेगा। इससे वह आत्मगौरव से वंचित हो कर अन्य राष्ट्रों की भाँति पाशवी शक्ति का उपासक बन बैठेगा। रंगरूटों की भर्ती का यह जो काम मंने उठाया है वह मेरे द्वारा आजतक शुरू किये गये कामों में सर्वाधिक कठिन है। हो सकता है कि रंगरूट प्राप्त करने में मैं असफल रह जाऊँ। फिर भी इसके द्वारा मैं जनता को राजनीति की सर्वोत्कृष्ट शिक्षा दे सका इतना तो सिद्ध ही रहेगा।”

विगत वर्षों की घटनाओं पर एक नज़र डालकर देखने से यह विश्वास करना, कि पिछले युद्ध में सम्मिलित सभी गैर-भारतीय राष्ट्रों को गांधीजी पाशवी शक्ति के उपासकों में शुमार करेगे, कठिन मालूम होता है।

१९१३ के लगभग उनसे यह पूछा गया कि क्या आप कांग्रेस के आगामी अधिवेशन के अध्यक्षपद के लिए अपना नाम पेश कर सकेगे? हमने इस अवधि में चर्चा की। मैं उनसे बोला, “यह तो एक निरर्थक सी बात है। क्योंकि आपके विचार भारतीयों की वर्तमान विचारधारा से कहीं आगे बढ़े हुए हैं। और खास कर दक्षिण अफ्रीका की वर्तमान परिस्थिति को नदेनज़र रखते हुए भारत में अधिक दिन रहना आपके लिए असम्भव है। इस हालत में आपके विचार आकलन न कर पाने के कारण उनके अवधि में लोगों के मन में ग़लतफहमी पैदा हो सकती है।” सोच कर उन्होंने निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। इसी तरह एक अन्य अवसर पर मेरे दृष्टिकोण से वे सहमत हुए। लार्ड हार्डिज द्वारा प्रदर्शित निषेध के बाद जनरल स्मट्स ने एक जाँच-कमीशन के सामने गवाही देने को कहा। किंतु मैंने इसमें आपत्ति प्रकट की। क्योंकि कमीशन एक-पक्षीय था। उमरकें तीन सदस्यों में से दो अपने भारत-द्वेष के लिए प्रसिद्ध थे, और भारत का प्रतिनिधित्व करनेवाला कोई न था। चुनौती काफ़ी बहस के बाद हम दृष्ट नतीजे पर पहुँचे कि जबतक कमीशन में, उसके अध्यक्ष के अलावा, स्वतंत्र विचार का कमरे कम एक और सदस्य सम्मिलित नहीं कर लिया जाता तब तक भारतीय जमात उसके सामने गवाही

देने से इन्कार करे। आखिरकार इस गत्यवरोध का अंत करने के हेतु लार्ड हार्डिज ने सर बेंजामिन रावर्टसन को भेज दिया जिन्होंने आवश्यक प्रतिनिधित्व किया।

अब इन सस्मरणों को समाप्त करने से पहले हम दोनों के जीवन से संबंधित एक ऐतिहासिक घटना में निवेदन कर देना चाहता हूँ। हम में स्पष्ट रूप से यह तथ्य हुआ था कि सत्याग्रह-आंदोलन समाप्त होने के बाद मैं अपनी मातृभूमि को लौटकर वहाँ वश और वर्णभेद से अलिप्त वातावरण में अपने बच्चों की शिक्षा-दीक्षा पूरी करूँ। लम्बे वार्तालाप के बाद १९१४ के गांधी स्मट्स समझौते पर आखिरकार हस्ताक्षर भी हो गये। अवश्य ही उक्त समझौता कार्यान्वित होना अभी शेष था। इसी बीच एक दिन गांधीजी आकर मुझ से आग्रह करने लगे कि मैं उनके बदले दक्षिण अफ्रीका में रहकर स्थानीय भारतीयों के सलाहकार के नाते कार्य करूँ। उनके जेल चले जाने पर, और इंग्लैंड-निवास के समय, यह काम मैं कर चुका था। अबकी वे उन समस्याओं के समाधान हेतु, जिन पर कि हम दोनों समय समय पर चर्चा कर चुके थे, भारत जाना चाहते थे। गत बारह वर्ष से वे भारत के बाहर थे। किंतु उनका उपर्युक्त प्रस्ताव सुनकर मेरे मन की जो अवस्था हुई होगी उसकी आप ही कल्पना कीजिये। समझौता कार्यान्वित करने के सबंध में सरकार पहले दो दफा घोखा दे चुकी थी। अतः उनका यह आग्रह, कि समझौता पूरी तौर से कार्यान्वित होने तक हममें से कोई एक दक्षिण अफ्रीका में रहे, उचित ही था। अब इसके लिए मैं क्या करता? हम दोनों ने मेरी धर्मपत्नी से इसका जिज्ञासा किया। वह बोली, “सारी परिस्थिति का विचार करते हुए मैं तो यही सलाह दूँगी कि, चाहे कितनी ही घोर निराशाओं का सामना करना पड़ता हो तो भी, आप गांधीजी को उनके महान् जीवनोद्देश्य के लिए छुट्टी प्रदान करें।” कौन कह सकता है कि यदि यही निर्णय विपरीत स्वरूप का होकर गांधीजी को दक्षिण अफ्रीका में अनिवार्यतः रूक जाना पड़ता तो भारत के राजनीतिक घटना-प्रवाह पर उत्पन्न क्या असर होता?

लंदन,

१०-३-१९४८

जहाज़ पर गांधीजी के साथ

एडमण्ड प्रिवेट

गांधीजी से हमारी पहली मुलाकात गोलमेज-परिषद् के लिए उनके यूरोप पधारने पर १९३१ के सितंबर में मासॉलिस में हुई। हम तडके रोमों रोलों की बहन के साथ फ्रांसीसी बंदरगाह पर पहुँचे, और मय चार्ली एड्रूज के हमने जहाज़ पर महात्माजी के सहवास में चढ़ घटे विताये।

यह एक असाधारण अनुभव रहा। विदा होते वक़्त मेरी पत्नी ने उनकी लदन-यात्रा के प्रति सफलता की कामना प्रकट की, जिसके जवाब में मुस्करा कर वे बोले, "सदाचार ही सफलता है!" उनके सारे नैतिक सिद्धान्तों को सार रूप में प्रकट करनेवाली यह उक्ति हम प्रायः उद्धृत करते रहे हैं।

गोलमेज-परिषद् की समाप्ति के बाद उन्हें स्विट्ज़र्लैण्ड ले जाने के हेतु हम पेरिस पहुँचे। यहाँ रोमों रोलों के वीलन्यव के पास के घर पर उन्होंने एक सप्ताह बिताया।

लोजेन और जिनेवा में हमने उनके व्याख्यानो का आयोजन किया। यहाँ एक वृद्ध ने उनसे पूछा, "क्या उम्र उपदेश को दोहराते समय, जो कि आज में दो हजार वर्ष पूर्व ईसा मसीह ससार को द गये एव जिमकी असफलता की साक्षी इतिहास दे रहा है, आप निराशा अनुभव नहीं करत?"

इमना जो जवाब गांधीजीने दिया वह जिन्दगी भर में भूल नहीं साना।

"कितने वर्ष गोलें आप?" अपनी स्वाभाविक मुस्कराहट में गांधीजीने पूछा।

“मैंने कहा कि विगत बीस शताब्दियों से व्यर्थ ही इन बातों का प्रचार किया जा रहा है।” वृद्धने, जो कि एक साम्यवादी था, जवाब दिया।

“तो क्या बुराई का बदला भलाई से चुकाने जैसी दुहह बात सीखने के लिए दो हजार वर्ष की अवधि आप को बहुत अधिक मालूम होती है?” गांधीजी का प्रत्युत्तर रहा।

मानवजाति के इतिहास में अकित गांधीजी के कार्यों द्वारा इतना तो अवश्य ही सिद्ध हो जायगा कि कम से कम एक राष्ट्र ने उनके उप-देशों एवं अपनी आध्यात्मिक परंपरा के पुण्य-प्रभाव के बलपर स्वदेश की स्वाधीनता प्राप्ति के लिए शांति का मार्ग ग्रहण किया। ऐसी घटना के वाद सप्ताह का क्रम कदापि पूर्ववत् बना नहीं रह सकता। यहाँतक कि नार्वे जैसे राष्ट्र ने भी अपने नाज़ी अधिकारियों का प्रतिकार करते समय गांधीजी से प्राप्त प्रेरणा का ही अवलंब किया।

स्विस-यात्रा के वाद अपने दल-बल सहित स्वदेश लौटने के हेतु गांधीजी त्रिण्डिसी पहुँचे। केवल दो घंटे पूर्व मिली हुई इस सूचना से लाभ उठा कर हमने इटली की सीमा तक उनका साथ दिया। इसी सफर में ट्रेन में वे सहसा हमसे पूछ बैठे, “आप भारत क्यों नहीं पधारते?” जवाब में हमने कहा कि यह बड़ा खर्चीला सफर है।

हंस कर वे बोले, “शायद आप पहले या दूसरे दर्जे के सफर की बात सोचते होंगे। लेकिन हम लोग तो सिर्फ दस पौंड ही जहाज-यात्रा के लिए खर्च करते हैं। एक बार वहाँ पहुँच जाने पर आप अनेक भारतीय मित्रों के घरों के द्वार अपने लिए खुले पाएँगे।”

हमने अपने पास के पैसे का जोड़ लगाकर इस सुअवसर से लाभ उठाने का निश्चय किया। हम उसी ट्रेन में उनके साथ रोम पहुँचे, और हमने अपने पासपोर्ट और टिकट का प्रबंध कर लिया। सियास टूथ-ब्रश और छाते के हमारे पास दूसरा कोई सामान नहीं था। अवश्य ही रोम में हमने विस्तर करीद लिये और तार द्वारा अपने भाषणा के कार्यक्रम रद कराये। इस प्रकार की साहसी-यात्रा ज़िन्दगी में एकाद बार ही नसीब होती है।

‘पिल्स्ना’ पर का सफ़र बड़ा ही मजेदार रहा। डेक पर हम सब कतार से सोते थे। सारे सफर में गांधीजी प्रसन्न बने रहे।

कहते हैं कि कोई भी महापुरुष अपने सेवकों से कभी सम्मान से पेश नहीं आता; और उससे निकट संपर्क स्थापित होनेपर तो उसके संबन्ध के रहेसहे भ्रम भी दूर हो जाते हैं। किंतु इस नियम के लिए गांधीजी अपवाद हैं। अर्हानिश्च उनके सहवास में रहनेपर तो वे और ही अधिक महान् दिखाई देते हैं। उनकी चुटकियाँ और दयालुता अविस्मरणीय हैं। तीन सप्ताह उनके निकट सहवास में हमने बिताये, और प्रति दिन के सभी छोटे-बड़े कामों में उनका हाथ हम बँटाते रहे। यहाँ-तक कि पहले दर्जे के मुसाफ़िरो के कुत्तों द्वारा समय असमय गद्दी की जानेवाली अपनी जगह भी हम साफ कर लिया करते थे। हर वार हमने महात्मा को महान् ही पाया।

अन्य महापुरुषों की नाई अपने व्यक्तित्व और प्रभाव के बोझ से वे कभी किसी को दबाते नहीं। स्वत की उपस्थिति और सत्य-प्रेम द्वारा वे आसपाम या वातावरण सर्वथा विमल और विशुद्ध बना देते हैं। अतः ऐसा कौन होगा जो कि इस प्रकार के मार्गदर्शक, मानव-सत्ता और मित्र की प्रतारणा कर सक ?

‘पिल्स्ना’ पर का तीन सप्ताह का उनका सहवास हमारे लिए एक दुष्प्राप्य सौभाग्य था, और इस प्रकार भारत का परिचय पाना एक अपूर्व बात। स्वजनों के प्रति गांधीजी के प्रेमभाव की कोई सीमा नहीं। किंतु यह प्रेम कदापि अंध नहीं होता। जनता को स्वाधीनता-प्राप्ति के आन्दोलन में युद्ध की अपेक्षा अधिक अच्छा मार्ग ग्रहण करनेका अभ्यस्त बनाना ही अपना जीवनादेश्य है यह बात गांधीजी अनेक बार झुर्रा चुके हैं। हिंद-स्वराज्य अंतिम साध्य नहीं; अपितु, उसकी प्राप्ति के हेतु चलाया गया अहिंसक आन्दोलन मानवी इतिहास का एक अभिनव प्रयोग एवं युद्ध का जत करने की दिशा में उठाया गया एक नूतन मात्र है।

एक विचारिणी द्वारा बंगाल-गव्हर्नर की हत्या करने की री गई चेष्टा सबधी समाचार रेडियोपर सुनते ही उन्होंने इन तरह लज्जा अनुभव की कि मानो अपनी गूदकी लड़की का ही इस षाड में हाथ रहा है और इससे लिए वे स्वयं जिम्मेदार हैं।

इस्लाम और मुसलमानों का जो वर्णन उन्होंने हमें सुनाया वह इससे पूर्व हमारे द्वारा सुने गये इस विषयक सभी वर्णनों से अधिक औदार्यपूर्ण था। उनकी यह हार्दिक इच्छा रही कि मुसलमानों के धर्म की महत्ता एवं प्रजातन्त्रीय ढंग की उनकी समता-वृत्ति से हम अच्छी तरह अवगत हो जायें।

बड़े दिनों के कुछ ही दिन बाद हम बंबई पहुँचे। वहाँ अपार जनसमूह उनके स्वागतार्थ उपस्थित था। भारत की राजनीतिक परिस्थिति ने बहुत ही उग्र रूप धारण किया था और वातावरण क्रांतिमय था। जवाहरलाल नेहरू हाल ही में गिरफ्तार किये जा चुके थे। लॉर्ड विलिंगडन ने इस प्रकार के विषयोपर गांधीजी से विचार-विनिमय करना अस्वीकार किया था। इसके निषेध-स्वरूप नये सिरे से सविनय अवज्ञा-आंदोलन छेड़ने की बात कांग्रेसी क्षेत्रों में सोची जा रही थी।

मैदान में आयोजित विराट सार्वजनिक सभा में हमने मन ही मन इस भारतीय नेता की सयमशील वाणी की यूरोप के राष्ट्रीय नेताओं की विद्वेष फैलानेवाली पाशवी वाणी से तुलना की। गांधीजी लोगों को अहिंसा-पालन सवधी प्रतिज्ञाओं की याद दिला रहे थे, और कह रहे थे, कि प्रत्येक भारतीय स्त्री-पुरुष अंगरेज अफसरों एवं उनके कुटुंबियों के जानमाल और आबरू की सतर्कतापूर्वक रक्षा करे, इतना ही नहीं बल्कि मौका आ पड़ने पर इसके निमित्त अपने प्राणतक होमने के लिए तैयार रहे। "हम उनके विरुद्ध नहीं लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं उस शासन-प्रणाली के विरुद्ध जो कि उनका उपयोग कर लेती है," वे बोले।

बंबई में उन्हीं के भेजवानों के यहाँ ठहरने के कारण अत्यंत विषम परिस्थिति में भी गांधीजी जिस सयम और शांति से काम लेते हैं वह देखने का सीभाग्य हमें प्राप्त हुआ। बड़े सवेरे एक आम चौक में प्रार्थना-सभा हुई। श्वेत वस्त्रधारी स्त्री-पुरुषों की निःशब्द भीड़ अपने इस प्रिय नेता को घेर कर खड़ी थी। गांधीजी ने चंद्र शब्दा में भय की भावना पर, जो कि हिंसाका प्रधान स्रोत है, प्रकाश डाला। बोले, "अपने धन या प्राणों की हानि के भय से मुक्त होते ही आप अपने विरोधी का धीरोदात्त वृत्ति से सामना कर सकेंगे, और ऐसा करते समय आप के मन में उसके प्रति प्रेमभाव ही रहेगा।"

दूसरे दिन तड़के हमने देखा कि गांधीजी अपने मेजवान के घर की छत पर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जा रहे हैं। उस समय सीढियों के दोनों तरफ खड़े दो भीमकाय अफसरों की आँखें डबडबा आयी थी। उक्त दृश्य हम कदापि भूल नहीं सकते। किन्तु इस प्रकार के प्रसंग पर भी हम औदार्यपूर्ण परिचय-पत्र लिख देने के लिए उन्होंने समय निकाल ही लिया। यह कीमती पुर्जा हमें अपने भारत-भ्रमण में पासपोर्ट की तरह काम आया। जहाँ भी हम गये वहाँ हमने अपने लिए द्वार खुला पाया। १९३२ के जाड़े में जब गांधीजी पूना में कैद थे तब हमने दक्षिणोत्तर सर्वत्र उनकी स्फूर्ति और प्रेरणा का सजीव रूप में दर्शन किया। खट्टर पहनने एवं तीसरे दर्जे में सफर करने के कारण रेल में हमने सैकड़ों मित्र बनाये।

दो अनुभवों का हम पर विप्रेषण रूप से प्रभाव पड़ा। एक सफेद वाली वाली वृद्धा यह कहते समय, कि वह खुद और उसकी तरह ही अनेक वृद्धों प्राचीन रूढ़ियाँ को लॉघ कर गांधीजी द्वारा मचालित आन्दोलन में भाग लेने के हेतु अपने घरों से बाहर क्यों निकल आयी, बोली—“हम यह निश्चित रूप से जानती थी कि वे हमें कदापि ऐसी बात करने के लिए न कहेंगे जो कि सत्य या स्नेह के विरुद्ध हो।”

इसी प्रकार जब कलकत्ते में हमने भारत के महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर से भेट की तब गांधीजी की सर्वश्रेष्ठ वार्यसिद्धि के सबध में अपने विचार व्यक्त करते हुए वे बोले, “उन्होंने हमारे देशवासियों को निर्भय बना कर द्वेष और दभस, जो कि एक साथ रहते हैं, मुक्त होन की शिक्षा दी है।”

ऐसा नेता चुनने, एवं उसकी भविष्यवादी दृष्टि का अनुसरण कर मानवजाति को युद्ध की विभीषिका से बाहर निकल आनेका मार्ग दिखाने के कारण सारा ससार भारत का अत्यधिक ऋणी है।

न्यूचैटेल (स्विट्जर्लैण्ड),

२५-३-१९६६

संस्मरण

सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास

दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह के कारण गांधीजी की कीर्ति समाचार-पत्रों द्वारा पहले ही सुन चुकने पर भी उनकी सुनिश्चित विचारधारा से मैं सर्वप्रथम तभी परिचित हुआ जब कि उनके स्वदेश लौटने पर उन्हीं की विरादरी के सनातनी मोढ़ वनियो में उन्हें जाति-बहिष्कृत करने के सबध में हलचल मची। जब गांधीजी से इस बात का जिक्र किया गया तब वे सरल भाव से इतना ही बोले, “मुझे जाति-बहिष्कृत करने के निमित्त प्रस्ताव पास करने का कष्ट क्यों उठाते हो? मैं खुद इससे निकल जाने को तैयार हूँ।” अपनी विरादरी के सनातनी महानुभवों के प्रति गांधीजी के इस समुचित व्यवहार की सर्वथा इष्ट प्रतिक्रिया हुई, और उन लोगों ने, जो यह सोचते थे कि उक्त प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने से गांधीजी की अप्रतिष्ठा होगी, चुप रहने में ही बुद्धिमानी मानी। अपनी इस मोढ़ वनिया विरादरी के प्रति गांधीजी का आचरण अततक सर्वथा शान्त और उपेक्षापूर्ण रहा। अवश्य ही इस में उन लोगों को उकसाने या जलील करने का जरा भी हेतु नहीं था। इसी के परिणाम-स्वरूप आज मोढ़ वनिया जाति उनपर गर्व करती है; और जातीय बंधन, पूर्णतया नष्ट न होने पर भी, शनैः शनैः किन्तु निश्चित रूप से समाप्त होते जा रहे हैं।

गांधीजी के साथ मेरा सर्वप्रथम सपर्क १९२० में तब स्थापित हुआ जब कि वे असहयोग-जादोलन का श्रीगणेश करने जा रहे थे। उन दिनों वे बंबई में स्व० रेवाशकर जगजीवन के ‘मणि-भवन’ में टहल कर रहे थे। स्व० रेवाशकर की ही मार्फत मैंने उनसे भेट की। देश एवं जनता की तत्कालीन परिस्थिति मद्देनजर रखते हुए असहयोग-जादोलन वहाँ तक सफल होगा यह उनसे जान लेने की मैं चेष्टा कर रहा था। जब अपने दृष्टिकोण से मैं उन्हें अवगत करा चुका तब वे बोले, “अपने ये प्रयोग मैं उन्हीं लोगों को साथ ले कर करूँगा जो कि मेरे अनुयायी बनना चाहेंगे। देश में दारिद्र्य उतने भनायक रूप से फैला हुआ

है कि यद्यपि मैं अपने लिए उच्च श्रेणी के भीतर से अनुयायी प्राप्त न कर सका तो भी निम्न श्रेणी के बहुतसे लोग आ कर मेरे इस कार्य में सम्मिलित हो जाएँगे।” गांधीजी से मुलाकात कर मैं विदा हो ही रहा था कि पंडित मोतीलाल नेहरू उनसे मिलने आये। पंडित जी से मिलने का मेरे लिए यह पहला ही मौका था। उन्होंने मेरे बारे में गांधीजी से पूछताछ की। गांधीजी ने उन्हें बतलाया कि मैं बर्बई का शेरिफ हूँ। तब कुछ मजाक के तौर पर पंडितजी बोले, “अब इन्हे यह सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा।” इस पर मुझे एक शब्द भी बोलने का मौका न देकर गांधीजी बोल उठे, “सो तो अन्य अनेक लोगो की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह ये कर सकेंगे, लेकिन केवल उसी हालत में जब इन्हें हमारे कार्य के औचित्य के प्रति पूर्ण विश्वास हो जायगा।” सीढीयो के दरवाजे पर ही रेवाशकर भाई ने मुझ से पूछा, इस भेंट से कुछ लाभ हुआ या नहीं? उत्तर-स्वरूप मैं मनपूर्वक बोला, “यह एक ऐसी गभीर घटना है जिसका कि मुझे हर घडी स्मरण रखना पड़ेगा।”

गांधीजी से मैं दुबारा १९२१ में तब मिला जब कि प्रिन्स आफ् वेल्स के बर्बई-आगमन पर उक्त शहर में अशांति फैलने के कारण उन्होंने अनशन आरंभ कर दिया था। यह निर्णय किया गया था कि जब गांधीजी अपना अनशन भंग करेगे तब चन्द दोस्त उनके पास उपस्थित रहे। इस निमित्त मैं विशेष रूप से निमन्त्रित किया गया था। गांधीजी से अनशन-समाप्ति का अनुरोध करते हुए जो भाषण दिये गये उनमें उन्हे यह विश्वास दिलाया गया कि सारा भारत आपके प्रति एकनिष्ठ बना रहेगा। इन भाषणों के अंत में उन्होंने मुझसे भी चंद शब्द बोलने के लिए कहा। इस अवसर में कोई पूर्वसूचना न मिलने के कारण मैं आश्चर्यचकित हुआ। किंतु उनके द्वारा आग्रह करने पर मैं बोला, और अपने भाषण में मैंने भारतीय जनता के उस, सार्वजनिक या व्यक्तिगत स्वरूप के, अनुशासनहीन जीवन का, जो कि मुझे अखर रहा था, उल्लेख किया। मेरा यह सक्षिप्त भाषण चाप्रेसी क्षेत्र के चंद दोस्ता को बहुत ही चुभा। किन्तु, जैसा कि बाद में मुझे मालूम हुआ, गांधीजी उनसे बोले, “पुरुषात्तमदान ने विल्युल मार्को की बात नहीं है, और उनके इसी अवसर पर उसे कहने ने मैं चुन हूँ।”

गाधीजी के पिता राजकोट के दीवान रह चुके थे। त्रिपुरी-कांग्रेस के कुछ ही दिन पहले उक्त रिथासत में जो आन्दोलन छिड़ा उसमें वा के बाद गाधीजी ने भी भाग लेने का निश्चय किया। इसकी खबर मिलते ही मैंने अपने दोस्तों को विशेष रूप से यह सूचना दे रखी कि बवई होते हुए राजकोट के लिए गाधीजी के प्रस्थान करने से पूर्व उनसे मेरी मुलाकात का वे प्रबन्ध करें। वह सोमवार याने उनका मौन-दिन था, और बवई में वे कुछ ही घंटे स्कनेवाले थे। किन्तु यह ज्ञात होते ही कि मैं उनसे मिलने के लिए उत्सुक हूँ, गाधीजी ने मेरे पास सँदिसा भेजते हुए कहलाया, कि जूह स्थित उनके मेजवान के घर पहुँच कर मैं उनसे मुलाकात कर सकूँ इस हेतु वे अपना मौन एक या दो घंटा देरसे शुरू करेंगे। इससे कृतज्ञतापूर्वक लाभ उठाकर मैंने जूह में लगभग आध घंटे तक उनसे वार्तालाप किया। मैंने उनसे यही कहा कि राजकोट की समस्या इतनी क्षुद्र है कि उसके समाधान हेतु वे स्वयं वहाँ न जायें। इसके जवाब में गाधीजी सिर्फ इतना ही बोले, "यह तो मैं जानता हूँ। फिर भी मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि अगर वहाँ पहुँचना मेरे लिए मुमकिन हो तो मुझे वह टालना नहीं चाहिये।" जब मैंने उन्हें निष्ठा द्विधा होकर मनोव्यथा पैदा होने की सभावना का स्मरण कराया तब वे बोले, "ठीक इसी वजह से तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। रिथासत की रिजाया गलती पर नहीं है। युवा ठाकुर पर दीवान का बड़ा रोवदाव है। सो सोचता हूँ कि जिस राज्य की अपने पिताजी के हाथों सेवा हुई उसकी नभवत. मेरे द्वारा भी कुछ सेवा हो सकेगी।" तब इस विश्वास के साथ, कि अपनी कार्यकुशलता और बुद्धिमानी के बलपर गाधीजी प्राप्त परिस्थिति में समस्या को अधिक से अधिक अच्छी तरह मुलज्ञा देगे, मैं विदा हुआ। नतीजा वही निकला।

अंतिम घटना, जो मैं निवेदन करने जा रहा हूँ, १९५५ ई० की मेरी बीमारी के समय की है। वे प्रायः नियमित रूप से ही मेरे स्वाम्य के भवध में पूछताछ करते रहे। और बवई पहुँचने पर उन्होंने अपने मेजवान श्री बिडला से कहा कि वे उसी दिन माध्य-प्रार्थना के बाद मुझ में मिश्रना चाहते हैं। श्री बिडला ने यह बहने पर, कि रात के

लगभग साढ़े आठ बजे उनसे मिलने में सभवतः मैं असमर्थ रहूँगा, गांधीजी बोले—“ यदि वे मुझे से नहीं मिल सकते तो मैं ही जाकर उनसे मिलूँगा ! ” और डा० सुशीला नथ्यर एव एक अन्य मित्र के साथ वे मेरे घर पधारे। इसके चढ़ ही मिनट पहले मेरी सुपुत्री और नाती वहाँसे रवाना हुए थे, और नर्स मेरे सोने की तैयारी करने जा रही थी। इतने में नौकर ने आकर गांधीजी के आगमन की सूचना दी। सुनकर मेरी पत्नी असमजस्य में पड़ गई। उनसे बोले भी तो क्या यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी उनका स्वागत करने के लिए वह झट नीचे चली गई। गांधीजी एकदम से उसे पूछ बैठे, “ क्या पुरुषोत्तमदास घर में है ? ” मेरी पत्नी ने जवाब दिया, ‘ वे नीचे आ सकेंगे या नहीं इसमें मुझे सदेह है, हालाँकि उनकी तबीअत ज़रूर कुछ सुधरी है। ’ हँस कर गांधीजी बोले, “ मैं खुद ऊपर जा सकता हूँ; और, अगर आप चाहेगी तो, अपने साथ आपको भी ले जा सकता हूँ, ताकि आपको यह विश्वास हो जाय कि कैसे आसानी से मैं सीढियों पर चढ़ सकता हूँ। ” और विना अधिक प्रतीक्षा किये वे सीढियों चढ़ने लगे, और मेरे कक्ष के प्रवेशद्वार पर पहुँचते ही उल्लसित स्वर में बोल उठे, “ आप जरा भी न हिले, मैं खुद आपके पास आकर बैठ जाऊँगा। ” और मेरी बीमारी के वारे में, शिष्टाचार के तौर पर भी, वगैर एक शब्द पूछे वे इस प्रकार सानन्द वार्तालाप करते रहे मानो मुझे स्वास्थ्य-लाभ करा रहे हो। बीस मिनट बाद वे वहाँसे विदा हुए। उस समय जो नर्स वहाँ उपस्थित थी, और जिसने अपने जीवन में आज पहली ही बार उन्हें देखा था, बोली. “ यदि बीमारपुरमी के लिए आनेवाले सभी लोग ऐसे ही रहे तो मैं यह निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि रोगी का स्वास्थ्य-लाभ कराने में डाक्टरों की अपेक्षा वे ही अधिक उपयोगी सिद्ध होंगे। ”

बम्बई,

जुलाई १९६६

जब से मैं पढ़ रहा था

टी. एस्. एस्. राजन्

अहंता मनुष्य-स्वभाव का एक अंग है। विशेष कर किसी वंशक या मडली में उपस्थित रहने पर हमें अपने बड़प्पन का प्रदर्शन करने की अनिवार्य इच्छा हो जाती है। किंतु वास्तविक महानता इस प्रकार अपना प्रदर्शन शायद ही करती हो। प्रभु का प्रिय पुरुष अपनी भलमनसाहत को व्यक्त करने के लिए कभी अवसर खोजा नहीं करता। वह उसका स्वभाव-धर्म होता है। यह एक पाठ था जो मुझे १९०९ के करीब लंदन में गांधीजी से पहली बार भेंट करने पर सीखने मिला। तब वे एक सर्वसाधारण व्यक्ति थे, न कि महात्मा, और मैं चिकित्सा-शास्त्र का एक मामूली विद्यार्थी,—उन अनेकानेक में से एक जो कि उन दिनों भी लंदन विश्वविद्यालय में भरे पड़े थे। अब तक श्री गांधी का परिचय प्राप्त करने, या उनसे मिलने का कोई अवसर मुझे नहीं मिला था। अन्य अनेक युवकों की भाँति मैं भी स्वतः के भीतर उत्कट देशभक्ति अनुभव कर रहा था। भारतीय स्वाधीनता-प्राप्ति की चर्चा मान करना ही उन दिनों एक महान् राष्ट्रकार्य माना जाता था। इसी लिए स्वदेश की स्वाधीनता-प्राप्ति के निमित्त प्रकट रूप से जाति की बाने करनेवालों के प्रति मेरे मन में आदरभाव था। चुनौचे लंदन-निवासी भारतीयों के क्षेत्र में हम मुट्ठीभर मित्र बहुत ही खोफनाक समझे जाने लगे। विभायक दामोदर सावरकर हम लोगों के प्रधान थे, और स्वर्गीय वी. वी. एस्. ऐय्यर उप-प्रधान। हमने ब्रिटेन भर में बिखरे हुए तमाम भारतीय छात्रों को एकत्रित कर उन्हें अपनी राष्ट्रीय एकता का भान कराने का निश्चय किया। इस समारोह में सम्मिलित होने एव उसका अध्यक्षपद ग्रहण करने का अनुरोध करने के निमित्त उस समय लंदन में जो प्रथम कोटि के भारतीय नेतागण उपस्थित थे उनमें संपर्क स्थापित किया गया। किंतु उनमें से हरेक इमने साफ इन्कार कर गया। जामिर श्री गांधी ने हमारा अनुरोध मानकर एक शर्तपर जाना स्वीकार किया।

समारोह के कार्यक्रम-स्वरूप भोज और उसके उपरांत भाषण का आयोजन किया गया था। सवा सौ से अधिक छात्रों ने चदा अदा कर भोज में सम्मिलित होना स्वीकार किया। तदनुसार लदन के किसी होटल में भोज का प्रबंध करने का निश्चय किया गया। किंतु इस समारोह के प्रमुख अतिथि श्री गांधी इससे सहमत नहीं हुए। उनका आग्रह रहा कि भोज में पूर्णतया भारतीय पद्धति के शाकाहार को ही स्थान दिया जाय। सो स्वीकार कर हमने किरायेपर एक हॉल लिया, जरूरी चीजें खरीदी गईं और भारतीय पाकशास्त्र के अनुसार विविध प्रकार के खाद्य-पदार्थ स्वयं ही पकाने का निश्चय हुआ। हममें से कुछ दोस्तों ने खाना पकाने का काम खुद होकर अपने जिम्मे लिया, और शाम के ठीक साढ़े सात बजे खाना परोसा जा सके इस हेतु हम सब काम में जुट गये। दोपहर के लगभग दो बजे एक प्रसन्नचित्त, फुरतीला, क्षीणकाय और नाटासा आदमी आकर हमें अपने काम में बड़ी मदद देने लगा। उसने खुद होकर थालियाँ मोजने और तरकारी छीलने का काम अपने जिम्मे लिया, और उसका उत्साह व खुशमिजाजी देखकर हमने भी उसे वह सौंपा। घंटे के बाद घंटा बीतता जा रहा था, किंतु उसके काम में खड़ नहीं पड़ा। अंत में जब संध्या समय श्री ऐय्यर रसोईघर में आये तब कही हमें यह पता चला कि दक्षिण अफ्रीका के प्रसिद्ध पुरुष एव आज के समारोह के अध्यक्ष स्वयं श्री गांधी ही अनाहूत सहायक के रूप में अबतक हमारे सग काम करते रहे! जिस महापुरुष के बारे में हमने इतना सुन रक्खा था उसकी यह असाधारण विनम्रता एव हमारे काम में हाथ बँटाने की स्वयस्फूर्त दृष्टि देख कर मैं दंग रह गया।

हमने उन्हें काम करनेसे रोकने की भरसक चेष्टा की। किन्तु उन्होंने हमारी एक न मुनी और वे अपने काम में लगे रहे, यहाँ तक कि थालियाँ लगाने और खाना परोसने के काम में भी उन्होंने हमारी मदद की। अपने सरल और मकोचपूर्ण भाषण के प्रारंभ में ही कमर बाँध कर काम में जुट जाने की हमारी तत्परता के लिए उन्होंने सन्तोष व्यक्त किया। बोले, "यह देख कर, कि आप लदन निवासी भारतीय विद्यार्थी, सम्पन्न माता-पिता की सतान होते हुए भी, अपने देशवासियों के लिए इस किस्म का हल्का काम करने में ओछापन अनुभव नहीं

करते, मुझे सानदाश्चर्य हुआ। मुझे इसमें स्वदेश का उज्वल भवितव्य नजर आ रहा है।" और भी बहुतसी बातें उन्होंने कही। किन्तु वे सब अब मैं भूल गया हूँ। जो एक ही तस्वीर इतने लम्बे अरसे के बाद मेरी आँखों के सामने साफ झलक रही है वह है लदन के रसोईघर में महात्माजी के साथ हुई अपनी पहली भेट के प्रसंग की। उसके बाद तो गांधीजी द्वारा संचालित सत्याग्रह-आंदोलन में भाग लेकर मैं कई बार जेल हो आया हूँ, और हर बार मैंने खुद होकर जेल के रसोईघर में ही काम किया है। अंतिम बार मेरे जेल पहुँचने पर एक दिन राजाजी ने सहज भावसे मुझसे पूछा, "राजन्, जब जब आप जेल पहुँचते हैं तब तब यहाँ के रसोईघर के डर्दगिर्द ही चक्कर काटते हुए कैसे नजर आते हैं?" सोचने लगा, वह आदर्श जो कि लदन के रसोईघर में गांधीजी ने उपस्थित किया था, मेरे रोम रोम में व्याप्त तो नहीं हुआ है? कहा नहीं जा सकता। किन्तु इतना अवश्य ही सही है कि इस भावि महात्मा के भीतर की महानता से ससार के परिचित होने से कई वर्ष पूर्व मैं उसके दर्शन कर चुका था।

(२) मेरी यह धारणा थी कि रुपये-पैसे के मामलों में महात्मा गांधी बेफिक्र रहते होंगे, और स्वतः से पैसे खो जाने पर उसका उन्हें दुःख भी न होता होगा। तामिल प्रान्त के चेन्नाइ नामक स्थान में आयोजित एक असाधारण रूप में विराट सभा के समय की बात है। स्वागत-समिति ने गांधीजी के स्वागतार्थ उत्तम प्रबंध कर रक्खा था। एक विस्तृत घुली जगह में सजासजाया मंडप खड़ा किया गया था, जहाँ कि हजारों लोग एकत्रित होकर अपने जितिये की आतुरतापूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। गांधीजी के विराजने के हेतु बनाये गये मंच के चहुँ ओर के आवर्पक स्थान अपने लिए सुरक्षित करने में स्वागत-समिति के सदस्य व्यस्त थे, कि इतने में, जैसा कि प्रायः हुआ करता है, हजारों लोगों की भीड़ ने मंडप के सामने की जगह घेर कर मंच की ओर आनेका रास्ता ही रोक डाला। गोधूली की बेल में गांधीजी सभास्थान पर पधारे। अभी वे मंडप से कुछ दूरी पर थे। मंडप में किस तरह पहुँचा जाय यह उनके लिए एक पहली चीज थी। गांधीजी को देखते ही मंडप में विराजे हुए स्वागत-समिति के सदस्यगण उठकर

खड़े हो गये और अपने दोनों हाथ हिलाकर उन्हें स्वागत-पडाल में पधारने के लिए सकेत करने लगे। किन्तु लोग अपनी अपनी जगह इस तरह डटे हुए थे कि गांधीजी की मोटर को रास्ता देने के निमित्त भी खिसकने के लिए कोई तैयार न था। थोड़ी देर इतजार कर एव निरुपाय देखकर गांधीजी बोले, "तब तो यहाँ पर खड़ी इस मोटर से ही सभा की कार्यवाही शुरू करना ठीक रहेगा।" और वे खड़े होकर उन थैलियों एव मानपत्रों का, जिनकी कि उनपर अक्षरशः बर्षा हो रही थी, स्वीकार करने लगे। ये सारी चीजें, जिनमें चादी की कई पिटारिया और एक स्वर्ण-मजूपा भी थी, मोटर के भीतर उनक पैरों के पास रखी हुई थी। सभा समाप्त होते होते रात हो गई। पागल हुई भीड़ के भीतर से मोटर बाहर निकालना मुश्किल मालूम हो रहा था। आखिर बड़ी कठिनाई से, बिना किसी के प्राण सकेत में डाले, हमने अपनी गाड़ी भीड़ से निकाल ली। डेरेपर पहुँचने पर थैलियाँ, मानपत्र आदि सब चीजें एकत्रित की गईं। तब भेंट-स्वरूप प्राप्त इन वस्तुओं में से ठीक स्वर्ण-मजूपा ही, जो कि सर्वाधिक मूल्यवान् थी, गायब है यह देखकर मुझे खेद हुआ। आधी रात बीतने पर अपना यह दुःख मुझे असह्य हुआ, और मैंने गांधीजीको इसकी इत्तला दी। सोचता था कि इसके लिए वे मुझपर नाराज होकर मुझे खरी खरी सुनावेंगे। किन्तु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मन पूर्वक हसकर वे इतना ही बोले, "अच्छा हुआ, बला टली। जब ऐसी कीमती चीजें मैं उठा या संभाल नहीं सकता तब उनकी मुझपर बर्षा करने से लाभ ही क्या? ऐसी चीजें सुरक्षित रखने के लिए महादेव एक बक्स चाहता था। अब वह इसकी इच्छा न करेगा। अपने असबाबके साथ मैं सोने और चादी की चीजोंस भरा हुआ बक्स नहीं ले जाना चाहता।" इस परिच्छेद के प्रारंभ में मैंने गांधीजी के सवध में जो धारणा व्यक्त की है वह १९२७ के प्रस्तुत प्रसंग के कारण ही बनी। कालान्तर में यह धारणा गलत साबित हुई यह दूसरी बात है।

(३) १९२४ ई. के अपने ऐतिहासिक उपवास के बाद निकाले गये हरिजन-दोरे के सिलसिले में गांधीजी तामिलनाडु पहुँचे। ङ्गल का भ्रमण समाप्त कर उन्होंने तिरुनेवेल्ली का दौरा शुरू किया। तिरुनेवेल्ली

स हम तडके रवाना हुए और मोटर द्वारा डेढ सौ से अधिक मील का सफर पूरा कर गोधूली के समय तूतिकोरिन पहुँचे। शहर से लगातार कई मील तक रास्ते के दोनों तरफ लोगो की ठसाठस भीड लगी होने के कारण मोटर के लिए धीरे धीरे रास्ता बनाकर सभास्थान तक पहुँचते पहुँचते रात हो गई। सभास्थान पर रग-विरगो विद्युत्-दीपको की रोपणाई की गई थी। विशेष कर मच पर की रोपणाई आँखो को चकाचौंध कर देनेवाली थी। मच पर गाधीजी के पधारते ही तालियो की कडकडाहट से उनका शानदार स्वागत किया गया। अपने स्थान पर विराजने के बाद उन्होंने मुझे बुला भेजा, और पूछा, "राजन्, यह रोपणाई किस लिए? इसका खर्चा कौन देता है? क्या हरिजन सेवक-सघ के लिए इकट्ठा की जानेवाली निधि से स्वागत-समिति यह खर्चा कर रही है? ब्याल रहे कि गरीब से गरीब आदमी के पास से भी मैं पाई-पैसा ले रहा हूँ। अतः हरिजनो के लिए एकत्रित की जानेवाली निधि का इस प्रकार अपव्यय हर्गिज नहीं होना चाहिये।" वस्तुस्थिति में अबगत होने के कारण मैंने उन्हें यह आश्वासन दिया कि इस सजावट के लिए हरिजन-फंड से एक पाई भी खर्च नहीं की गई है, और एक स्थानीय ठेकेदारने खुद होकर इसका सारा व्यय दिया है। किन्तु इतने से वे सन्तुष्ट नहीं हुए, और मेरा उक्त कथन कहाँ तक सच है इसकी बगैर पूरी तौरसे जाँच किये उन्होंने सभा की कार्यवाही प्रारंभ करनेसे इन्कार किया। चुनौचे में सभा के सचालको को बुला ले आया, जिन्होंने मेरे उक्त कथन की ताईद की। फिर भी गाधीजी असंतुष्ट ही रहे। पूछने लगे, "क्या ठेकेदार महाशय यहा उपस्थित है? तो कृपया उन्हें बुला लाइये।" सो ठेकेदार को उनके सामने लाकर हाजिर किया गया। गाधीजीने उससे कई सवाल किये और इस बात का विश्वास हो जाने पर ही, कि वास्तवमें ठेकेदारने स्वेच्छासे यह सब खर्चा उठाया है और इसके निमित्त निधि से एक पाई की भी अपेक्षा वह नहीं रखता, उन्होने सभा की कार्यवाही शुरू की। यह सारा मामला देखकर मैं दग रह गया। मन ही मन सोचने लगा कि यदि तामिलनाडु भर में गाधीजी के स्वागतार्थ वनी हुई सैकड़ों स्वागत-समितियो में से कुछेक ने अपनी निधि से इस प्रकार फज़ूल

खर्चा किया हो, और यदि उसका गांधीजी को पता चल गया तो अवश्य ही तुतिकोरिन-प्रकरण की पुनरावृत्ति हो सकती है। ऐसी स्थिति में गांधीजी एवं उन अनेकानेक समितियों के सदस्यों को एकसाथ किस प्रकार सन्तुष्ट किया जाय ? मैंने तुरत सभी समितियों के पास इस आशय की सूचनाएँ भेज दी कि गांधीजी के स्वागतार्थ हरिजन-फंड से एक पाई भी खर्च न की जाय, और जहाँ कहीं भी गांधीजी पहुँचेंगे वहाँ की निधि के आय-व्यय का हिसाब ठीक प्रकार से रखकर उनके वहाँ से विदा होने के पूर्व उन्हें वह ज़रूर दिखाया जाय। यह एक अत्यंत कठिन काम था। और इस दौरे के दरमियान मुझे उनके भीतर के 'बनिये' का इतने यथार्थ रूपमें दर्शन करने मिला कि जैसा इससे पूर्व कभी नहीं मिला था। इस दौरे की समाप्ति के पहले गांधीजी विषयक अपने कई विचार मुझे बदल देने पड़े। और खरियत यह हुई कि हिसाब-किताब ठीक से न रखने, या फजूल खर्ची का वजहसे अपनी जेबसे मुझे पैसे नहीं चुकाने पड़े।

तिरुवेगीमलाय

१०-५-१९४६

जब से वे चंपारन आये

राजेंद्र प्रसाद

अप्रैल १९१७ में मैं पहली बार गांधीजी से प्रत्यक्ष रूप से मिला। इससे पूर्व उनके जीवन, एवं दक्षिण अफ्रीका के उनके कार्य के संबंध में सुन-पढ़ चुका था। १९१५ में उनके स्वदेश लौटने पर कलकत्ता में आयोजित एक स्वागत-सभा में उन्हें दूर से देख लेने का भी मौका मुझे मिला। १९१६ की लखनऊ-कांग्रेस के अवसर पर मैंने दुबारा उनके दर्शन किये। लखनऊ के इसी कांग्रेस-अधिवेशन में चंपारन के कुछ लोगो ने वहाँ के नीलबागान के मालिको के विरुद्ध उनसे शिकायत की। गांधीजी ने उनकी विपदाओं की कहानियाँ सुन तो ली, किन्तु वे उनपर तब तक विश्वास करने के लिए तैयार न थे जब तक कि खुद इस संबंध में पूरी तहकीकात नहीं कर लेते। इस कार्य के निमित्त कुछ दिन चंपारन जा कर रहने का उन लोगो

को उन्होंने आश्वासन भी दिया। तदनुसार अ. भा. कांग्रेस कमिटी की कलकत्ते की बैठक के बाद श्री राजकुमार शुक्ल को साथ लेकर वे चंपारन के लिए चल पड़े। अ. भा. कांग्रेस कमिटी की उक्त बैठक में मैं भी उपस्थित था, और उन्हीं की बगल में बैठा हुआ था। किन्तु प्रत्यक्ष परिचय न होने के कारण उनसे मेरी कोई बातचीत ही नहीं हुई, और इसी लिए उनकी प्रस्तावित बिहार-यात्रा से मैं अनभिज्ञ रहा। कलकत्ते से मैं एक दिन के लिए पुरी चला गया, और इधर श्री राजकुमार शुक्ल उन्हें साथ लेकर पटना के मेरे मकान पर पहुँचे। एक नौकर को छोड़कर घर में और कोई नहीं था। उनसे अपरिचित होने एव यह भी कोई सुविकल होगा ऐसा सोचकर उसने उन्हें एक ऐसे कमरे में ठहराया जो कि प्रायः इसी प्रकार के आगन्तुको के लिए सुरक्षित था। वे कुछ ही घंटे वहाँ ठहरे। उनके आगमन की खबर पहुँचते ही स्व. मञ्जरूल हक़ आकर उन्हें अपने घर ले गये, जहाँ से उसी दिन शाम को वे चंपारन के लिए रवाना हुए। मार्ग में मुझपफरपुर पड़ता था, जहाँ के एक कालेज में आचार्य कृपलानी उस समय प्रोफेसर थे। आधी रात के समय ट्रेन मुझपफरपुर पहुँची। पूर्वसूचना मिलने के कारण आचार्य कृपलानी अपने विद्यार्थियों समेत गांधीजी के स्वागतार्थ स्टेडानपर उपस्थित थे। मुझपफरपुरके प्रो. मलकानी के यहाँ दो दिन गांधीजी का मुकाम रहा।

चंपारन की रय्यत का एक लम्बे असेंसे इतनी दूरी तरह छल जीर शोषण किया गया था कि नीलवागान के स्वामियों के विरुद्ध किसी मजिस्ट्रेट या अन्य सरकारी अफसर के पास शिकायत ले जाने में भी उन्हें भय लगता था। कहते हैं कि यदि मजिस्ट्रेट के पास पहुँचनेका दुस्ताहस कोई दिखाता तो नीलवागान के मालिकोंके आदमी भरी अदालतसे मजिस्ट्रेट को ओसों के सामने उसे रीचकर उसकी मिट्टी पलीद कर देते थे। इसी लिए रय्यत का चूचिपट्ट तक करने की ज़रा भी हिम्मत न पड़ती थी। किन्तु दक्षिण अफ्रीका में प्रसिद्धि प्राप्त करनेवाले कर्मवीर गांधी अपनी मदद करने जा रहे हैं ऐसी खबर मिलते ही इनमेंसे

अधिकांश लोगो में न जाने कैसे एक परिवर्तन नज़र आया। जब गांधीजी मोतीहारी पहुँचे तब स्टेशनपर उनके स्वागतार्थ जनता की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। अपने आगमन के एक दिन बाद वे एक देहात के दौरेपर निकल ही रहे थे, कि - न्हे उक्त गाँव में नीलवागान के मालिको के पिठ्ठुओ द्वारा आगजनी और लूटपाट मचाई जानेकी खबर मिली। इधर जिला-मजिस्ट्रेट ने भी उनपर यह हुक्म तामिल किया कि वे अवि-लव उक्त जिला छोडकर चले जायँ। अवश्य ही गांधीजीने यह हुक्म तोड़ दिया, जिसके लिए अगले दिन उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया। अपनी ओरसे सफ़ाई पेश करने के निमित्त जिस समय वे अदालत में आये उस समय अदालत के आसपास हजारो की भीड़ लगी हुई थी। चपारन की अदालती कार्यवाहियो के इतिहास में यह एक अभूतपूर्व दृश्य था। चपारन के किसानो की जिस समस्या के समाधान हेतु वे आये थे उसे यही छोडकर चला जाना उनके लिए अब संभव न था। विशेष कर जब जिलाधिकारियो की ओरसे उनपर यह प्रतिबन्ध लगा दिया गया कि वे इस सवध में किसी भी प्रकार की जाँच नहीं कर सकते तब वे और ही अधिक सशक्त हुए। सोचने लगे ज़रूर दालमें कुछ काला है, जो कि अधिकारीगण उनमें छिपाना चाहते हैं। फलतः उन्होंने आज्ञा भंग करनेका निश्चय किया। स्वतःपर नोटिस तामिल किया जाने एव उसे तोड़ चुकने के बाद उन्होंने मुझे तार देकर मोतीहारी बुलाया। श्री राजकुमार से, और संभवतः मुझपरपुर एव मोतीहारी स्थित मित्रो द्वारा मेरे वारे में वे सुन चुके थे। चपारन से मेरा परिचय नाममात्र का था। पहले में हाईकोर्टमें वकालत करता था, और उसी नाते मैंने हाईकोर्ट के कामसे आनेवाले कतिपय गरीब किसानो की समय समय पर सहायता की थी। स्व. बाबू त्रिजकिशोर एव स्व. बाबू धरणीधर की जिला अदालत में खूब प्रैक्टिस चलती थी। त्रिजकिशोर बाबू तो बड़ी धारासभा के भी सदस्य थे और वहाँ सवाल, प्रस्ताव एव अन्य कई प्रकार की बातें पेश कर चपारन के किसानो की यथासंभव सहायता करते रहते थे। उन के मुक-दमों की पंरवी भी वे ही करते थे, और मामला हाईकोर्ट में जाने पर पंरवी का काम मुझे सौंपते थे। इसी निमित्त राजकुमार गुबुल का मुझ

से परिचय हुआ, और इसी परिचय के बलपर वे महात्माजी को मेरी गैरहाजिरी में पटना के मेरे मकान पर ले आये।

तार मिलते ही त्रिजकिशोर बाबू एव हक साहब को साथ लेकर मैं मोतीहारी के लिए रवाना हुआ। दोपहर बाद लगभग तीन बजे हम वहाँ पहुँचे। मजिस्ट्रेट मुकदमे की कार्यवाही सवेरे ही शुरू कर चुका था। गाधीजी द्वारा यह वक्तव्य दिया जाने के बाद, कि हेतुपुरस्सर ही आज्ञा भंग की गई है और इसके लिए जो भी कठोर से कठोर दंड दिया जायगा वह भोगने की अपनी तैयारी है, उसने फौजला सुनाना चार-पाँच दिन के लिए स्थगित रखा। उसकी यह अपेक्षा थी कि सदा की भौति इस मुकदमे की कार्यवाही के समय भी कानूनी मुद्दे उपस्थित कर वाल की खाल निकालना, गवाहों से जिरह करना, वादी एव प्रतिवादी की ओर से दलीले पेश की जाना वगैरह सारी रस्म अदा होगी। मुकदमे की कार्यवाही यथानियम ही प्रारंभ हुई। किन्तु ज्योंही सरकारी वकील एक गवाह से जिरह करने लगा, गाधीजी उसे टोककर बोले, "इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आज्ञा भंग की जाने की बात स्वीकार करते हुए उक्त आराध का वक्तव्य भी मैंने तैयार कर लिया है।" गाधीजी द्वारा वह वक्तव्य पढ़कर सुनाया जाने ही मजिस्ट्रेट असमजस्य में पड़ गया। अपने अपराधी होने की बात बहुत ही थोड़े शब्दों में गाधीजी ने उक्त वक्तव्य में स्वीकार कर ली थी। उनके उन शानदार वक्तव्यों में, जिनसे कि बालान्तर में सारा देश चिर परिचित हुआ, यह भी एक रहा। किन्तु उन दिनों वह सर्वथा जसाधारण और अपूर्व था। वास्तविक बात यह थी कि मजिस्ट्रेट इस मुकदमे की कार्यवाही इतनी जल्द पूरी नहीं करना चाहता था, क्योंकि तत्क्षण सज़ा सुनाने का यह तैयार न था। किन्तु गाधीजी भी जब इस कार्यवाही को अग्निक दिन तक जारी रहने देने के लिए तैयार न थे। अतः वे बोले कि यदि मजिस्ट्रेट का आग्रह ही होगा तो साफ़ शर्तों में अपराध स्वीकार कर देने ही अपनी तैयारी है। तब निवार सज़ा सुना देने के मजिस्ट्रेट के लिए अन्य कोई चारा ही नहीं रहा। दो घंटे बाद प्रेमला सुनाया जायगा एसा तद्दर उसने गाधीजी ने जमानत माँगी। गाधीजीने जमानत देने में इन्कार

किया। आखिर लाचार होकर मजिस्ट्रेट ने उन्हें केवल इसी शर्तपर, कि जब भी जरूरत होगी वे हाजिर हो जायेंगे, रिहा किया। किन्तु गांधीजी वहीं रुके रहे। दो घंटे बीतने पर मजिस्ट्रेट बोला कि फ्रंसला और कुछ दिन बाद सुना दिया जायगा।

गांधीजी अदालत से अपने डेरे पर अभी लौटे ही थे कि हम वहाँ जा पहुँचे। अपने घर पर नौकर द्वारा उनके प्रति किया गया व्यवहार ज्ञात होने के कारण मैं स्वाभाविक रूप से लज्जित हुआ था। नवागतों में से एक के रूप में मेरे नाम का उनसे जिक्र किया जाने पर वे सिर्फ हँस दिये, और बोले, “आप की गैरहाजिरी में मैं पटना के आपके मकान पर हो आया हूँ।” फिर औपचारिक बातचीत के झझट में न पड़कर उन्होंने सीधे काम की बातें छोड़ी। अदालत की कार्यवाही से हमें अवगत कराते हुए वे बोले, “सब कुछ ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि मेरा अनुमान था। मजिस्ट्रेट जिला-मजिस्ट्रेट से, एव जिला-मजिस्ट्रेट प्रान्तीय सरकार से इस सबध में सलाह लेना चाहता है। महायुद्ध जारी होने की वजह से प्रान्तीय सरकार मुझे जेल भेज कर किसी किस्म का धोला उठाने के लिए तैयार नहीं। फिर भी जो कुछ सिरपर आ पड़ेगी सो सहने के लिए हमें तैयार रहना चाहिये।” इतना कहकर उन्होंने हम से पूछा, “अगर मैं गिरफ्तार कर लिया गया तो आप लोग क्या करेंगे?” उनकी कार्यप्रणाली से हम सर्वथा अनभिज्ञ थे और बगैर कुछ सोचे-समझे ही उनकी सेवा में हम उपस्थित हुए थे। और जहाँ ऐसा कोई कदम उठाने की, जिससे अपने रोजमर्रा के कामकाज में बाधा उपस्थित हो जाय, हमारी तैयारी नहीं थी, वहाँ जेल जानेका सवाल बेकारसा था। अतः यह जाने बिना, कि हम से वे किन किन बातों की अपेक्षा रखते हैं, उनके उक्त प्रश्न का उत्तर देने की परिस्थिति में हम नहीं थे। चपारन-निवासियों की बोली से परिचित न होने के कारण मुझपफर-पुर से उक्त भाषा जाननेवाले दो वकीलों को दुभाषियों के तौर पर अपने साथ वे ले आये थे। अवज्ञा करने के जुर्म में जब मजिस्ट्रेट ने गांधीजी को तलब किया तब उन दो वकीलों से भी उन्होंने वही सवाल पूछा। बाबू धरणीधर जी, जो कि उन उभय में ज्येष्ठ, और साथ ही अत्यंत प्राज्ञ, प्रामाणिक एव स्पष्ट वक्ता थे, बोले,—“हम तो दुभाषिये के

तौर पर यहाँ आये हुए हैं, और आपके जेल चले जाने पर, चूँकि अन्य किसी के लिए यह काम करने की जरूरत न रहेगी, अपने घर वापस लौट जाएँगे।” यह तो हुआ एक वकील का जवाब। किन्तु इससे वह स्वयं सतुष्ट नहीं थे। चित्त उनका परस्पर विरोधी विचारों से व्याप्त था। अतः मे, दूसरे दिन प्रातः, उन्होंने गांधीजी का अनुसरण एव उनकी हरेक आज्ञा का पालन करने का निश्चय किया। तब गांधीजी ने उन्हें यह सुझाव दिया कि अपने जेल चले जाने के बाद वे जाँच का काम आगे जारी रखें, और यदि इस सबध में उनपर प्रतिवध लगा दिया गया, एव वह तोड़ने की उनकी तैयारी न रही, तो वे किसी अन्य दल को उक्त काम सौंपें, जो कि इसी क्रम से आगे भी चलता रहे। सो उन्हें स्वीकार था। मन ही मन वे सोचने लगे कि गांधीजी इस प्रदेश के लिए सर्वथा अपरिचित होने पर भी किसानों की खातिर जेल चले जाने के लिए तैयार हैं; विपरीत इसके वह खुद पास ही के जिले के रहिवासी होकर, एव किसानों की सेवा करने का दम भरते रहने पर भी, अगर घर भागे तो निस्सन्देह वह शर्मनाक बात होगी। आखिर उन लोगों ने जेल जाने का फ़ैसला किया, और इसकी सूचना गांधीजी को ठीक उस घड़ी दे दी जब कि वे अदालत जाने के लिए निकल रहे थे। मुनकर गांधीजी बहुत दुःख हुए और तुरत बोले, “चपारन की लड़ाई जीत ली गई है।” जब हमसे भी वहीँ सबाल किया गया तब इन सारी बातों से अनभिज्ञ होने के कारण हमने इस सबध में उन दोस्तों से, जो कि पुरु से उनके साथ थे, सलाह-मसाला करने के लिए कुछ दफ्त मॉग लिया। उन दोस्तों ने वह सारा किस्ता, याने किम तरह वे जेल जाने के निर्णय पर पहुँचे, हमें कह सुनाया। चुनौते आपस में सलाह-मसाला करने के लिए हम सब इकट्ठा हुए, और उपर्युक्त निर्णयपर पहुँचने में हमें भी कुछ कठिनाई नहीं मान्छूम हुई। तदनुसार हमने उन्हें सूचित किया, जिसमें वे प्रसन्न हुए। दरअसल वे एक पक्का बनिधा थे। उन्होंने शट एक पेन्सिल नीर कागज़ या पुर्वा उठाया, और उसपर हम सब के नाम दर्ज कर लिये। फिर हममें से दो-दो की टुकड़ियाँ बनाकर कौनसी टुकड़ी तब आज्ञा भंग कर रखी भी एक नूची उन्होंने गिर-

सिलेवार बना ली। फ़ैसला सुनाया जाने में अभी कुछ दिन की देर थी। इस बीच जरूरी कामों से निपटने के लिए हम अपने अपने घर जाकर लौटने की अनुमति मिली। यह तय हुआ था कि फ़ैसले के दिन हक़ साहब एव ब्रजकिशोर बाबू की टुकड़ी तैयार रहे। इस प्रथम प्रसंग ने बिहार के सबंध में गांधीजी की बहुत ही अनुकूल राय बना दी, और इसी के परिणाम-स्वरूप बिहार के प्रति अपना विश्वास एव सन्तोष बारबार व्यक्त करते हुए वे कभी अघाये नहीं।

किसानों की शिकायतों की जाँच होने लगी, और कुछ ही दिन बाद लेफ़्टनन्ट-गवर्नर द्वारा उन्हें मुलाकात के लिए बुलाया गया। अवश्य ही इस बीच उन शिकायतों के समर्थन-स्वरूप बहुतसा सबूत-प्रमाण हम इकट्ठा कर चुके थे। कोई बीस-पच्चीस हजार गवाहों से हमने जिरह की होगी, जिनमें से लगभग दस हजार के वक्तव्य तो अक्षर-अक्षर और शेष के सार रूप में लिख लिये गये थे। हमने इस विषयक हजारों दस्तावेज भी इकट्ठा करके तैयारवाले छोट लिये थे। इसी भौति अपने जिले के सबंध में भी सूक्ष्म जानकारी प्राप्त कर ली गई थी। यह बहुत-सारी तैयारी देखकर जमींदार और अफसर दोनों घबरा गये, और उन्होंने लेफ़्टनन्ट-गवर्नर से झूठी-सच्ची बातों की रिपोर्ट की। गांधीजी को अदालत में सम्मन आने पर हम सभी ने यही अनुमान लगाया कि अब वे लौट न सकेगे। या तो वे स्थानबद्ध कर लिये जायेंगे, या उन्हें प्रान्त से निष्काशित किया जायगा। अतः गवर्नर से मिलने के हेतु रौंची के लिए उनके प्रस्थान करने से पूर्व हमने पुनः एक बार सत्याग्रहियों की सूची उसी क्रम से बना ली जिस क्रमसे कि वे जेल जानेवाले थे, और रौंची से प्राप्त होनेवाले उनके सँदेसों की हम प्रतीक्षा करने लगे। लेफ़्टनन्ट-गवर्नर के साथ हुई उनकी तीन-चार लंबी मुलाकातों का नतीजा यही निकला कि उसने किसानों की शिकायतों की जाँच करने के लिए एक कमीशन नियुक्त कर गांधीजी को उसका सदस्य बना दिया। स्मरण रहे कि इस कमीशन ने, जिसमें नीलवागान के स्वामियों, जमींदारों एव सरकारी अफसरों को छोड़कर किसानों के एकमात्र प्रतिनिधि के नाते केवल महात्मा गांधी ही सम्मिलित थे, अपनी सर्वसम्मति रिपोर्ट पेश की और चर्चा सुनाय दी, जो कि सरकार ने एक क़ानून बनाकर अमल में लाये।

इस सर्वसम्मत रिपोर्ट का भी एक इतिहास है। सारी शिकायतें यहाँ सविस्तार उद्धृत करने की कोई आवश्यकता नहीं। इतना ही कहना काफी है कि कमीशन ने एकमत से वह प्रथा, जिसके अनुसार नीलवागान के स्वामियों के लाभार्थ उनकी रय्यत को अनिवार्य रूप से काशत करनी पड़ती थी, एव जो सारी शिकायतों की जड़ थी, समाप्त कर देने की सिफारिश की थी। इन स्वामियों ने अपनी रय्यत से वसूल किया जानेवाला लगान बढ़ाकर बहुत-सा रुपया ऐंठा था, जो कि कानूनन गलत था। इस सबध में यह सुझाव दिया गया था कि बढ़ाये हुए लगान में लगभग पचीस प्रतिशत कमी कर उतनी ही रकम नगदी लौटाई जाय। इसपर गांधीजी ने यह सुझाव देकर, कि बढ़ाया हुआ लगान ७५ प्रतिशत तक कायम रखकर उसी अनुपात में नगदी रुपया लौटाया जाय, कमीशन के सदस्यों में एकमत निर्माण किया था। इस लाभ के लालच से सारे सदस्य समझौता करने के लिए सहमत हुए। मुझे याद है कि गांधीजी हम से बोले थे कि नीलवागान के ये स्वामी अपनी प्रतिष्ठा के बलपर ही रय्यत पर हुकूमत चलाते हैं। अतः उनकी इस प्रतिष्ठा का अंत नहीं तो कमसे कम उसे भंग करने की दृष्टि से यह एक ही बात, कि उन्हें लगान की दर अशत. घटाकर आंशिक नगदी रुपया भी लौटाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, काफी है। अतः हम इस बात का विश्वास रखें कि भविष्य में रय्यत अपने इन स्वामियों से कतई न दवेगी। गांधीजी साफ समझ चुके थे कि नीलवागान के इन स्वामियों के लिए गैरकानूनी तरीकों से रय्यत का शोषण करने वा रास्ता बंद होते, एव कानूनन जो उनका नहीं है वह उन्हें देने से इन्कार करने की जबल रय्यत में आते ही उनका सारा खेल अपने आप खत्म हो जायगा। अक्षरशः यही हुआ। समझौते के अनुसार यद्यपि रय्यत की ओर से अपनी मौज. ७५ प्रतिशत तक घटा दी गई थी, फिर भी गांधीजी की उपर्युक्त यात्रा के कुछ ही वर्ष बाद नीलवागान के ये स्वामी चपारन छोड़कर चले गये। उनकी आलीशान बाँडियों, अस्तबलों और वाग-वगीचों की जगह अब ग्रामीणा के घर लुभे हुए हैं, और जिन ज़मीना परबे कच्चा कर बँटे थे उनका एक गूँइ इत अथ रय्यत के अधिहार में है। १९२०-२१ के जमहयोग-आंदोलन में गांधीजी ने इसी नार्मप्रणाली का अवलंब किया। उस समय हममें ने ये लोग,

यह सब मामला हमारी समझ में नहीं आ रहा था। किन्तु वे इस विषयक हमारी भावना भौंप चुके थे। अतः वोले, "आप सब सोचते हैं कि चूक हम नीलवागान के अगरेज स्वामियों के विरुद्ध लड़ रहे हैं, और उनका अगरेज अफसरों एवं केन्द्रीय व प्रांतीय सरकारों पर और खुद इंग्लैंड में भी बड़ा भारी प्रभाव है, इसलिए प्रस्तुत विषय लड़ते में एक अगरेज का स्वपक्ष में होना लाभप्रद रहेगा। लेकिन इसमें आपके दिल की कमजोरी दिखाई देती है। हमारा कार्य न्याय्य है, और उसमें सफलता पाने के लिए हमें स्वतः पर ही अवलंबित रहना चाहिये। आपका दुराग्रह देखते ही आपके मन की उथल-पुथल मैं ताड़ गया, और मेरा यह दृढ़ मत बना कि एण्ड्र्यूजको हर हालत में खाना ही जाना चाहिये। उस मुताबिक कल सुबह वह चल देगे।" उन्होंने बात तो बिल्कुल हमारे मन की कही थी, जो सुनकर हम निश्चिंत रह गये। अगले दिन सुबह एण्ड्र्यूज खाना हुए, लेकिन जाने से पहले मजिस्ट्रेट से मिले। वहाँ उन्हें मालूम हुआ कि प्रांतीय सरकार ने मुकदमा उठा लेने, एवं जॉच का काम आगे जारी रहने देने का आदेश निकाला है। फिजी के लिए प्रस्थान करने से पूर्व यह समाचार उन्होंने हमें सुनाए, जिससे हम खुश हुए, और निश्चिंत भी। सारास, यह था गांधीजी का अपना ढंग जिससे कि उन्होंने हमें स्वावलम्बन का एक पाठ पढ़ा दिया।

और एक प्रसंग। जॉच का हमारा काम पुनः प्रारम्भ होते ही नीलवागान के स्वामियों में स्वामाधिक रूप से बड़ी खलबली मच गई। वे गांधीजी और ब्रिजकिशोर दावू के खिलाफ सरकार के पास झूठसच खरारे भेजने लगे। एक अगरेज आइ. सी. एम्. मजिस्ट्रेट भी, जो कि आगे चलकर-विस्ती प्रान्त का गवर्नर बना और जो गांधीजी के साथ दक्षिण अफ्रीका विषयक उनके अनुभवों, उनकी अहिंसा, एवं तत्संबंधी विषयों पर प्रेमपूर्वक वार्तालाप किया करता था, उनके विश्व सरकार के पास सन-सनीसेज समाचार भेजने लगा। इस प्रकार की अपनी एक रिपोर्ट में उसने सारी स्थिति को बहुत ही भयानक रूप में चित्रित किया था। लिखा था, कि गांधीजी की उपस्थिति के कारण सारा वातावरण ही बानून के प्रति अबना की वृत्ति में भर गया है, प्रातः के कुछ हिस्से में

ब्रिटिश शासन का लोप हुआ है, और जनता गांधीजी को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखने लगी है कि जिनके पास सरकार, मजिस्ट्रेट आदि के विरुद्ध शिकायत की जा सकती है। इसमें हेतु यही रहा कि सरकार इस दिशा में कदम उठाकर उन्हें स्थानांतरित करे। अवश्य ही उसने उक्त रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि गांधीजी के पास अभिप्रायार्थ भेजने की उदारता दिखाई थी, और उन्हें सूचित किया था कि आपकी सम्मति सहित ही सरकार के पास वह भेज दी जायगी। उसमें और यह भी जोड़ दिया गया था कि उक्त पत्र गुप्त समझा जाय। गांधीजी हम लोगों से कोई भी बात कभी छिपाते नहीं थे। अतः उन्हें यह पत्र भी हमसे छिपाना उचित नहीं लगा। इसके उत्तर में उन्होंने मजिस्ट्रेट को सूचित किया कि 'गुप्त' का वे यही अर्थ लगाते हैं कि इसे कहीं प्रकाशित न किया जाय। किंतु ऐसे सहयोगियों से, जिनकी सलाह और सहायता के बिना कुछ भी करना अपने लिए असम्भव है, वह छिपाया नहीं जा सकता। और यदि मजिस्ट्रेट कोई बात उनसे छिपाना ही चाहता हो तो फिर वह स्वतः को भी न बताई जाय। गांधीजी का यह लिखना हमें पसंद न आया। क्योंकि हमें ऐसा लगा कि यदि मजिस्ट्रेट गांधीजी की सूचनानुसार ही चलने लगा तो खुद उन्हें एक ऐसे साधन से हाथ धोना पड़ेगा, जिसके द्वारा कि स्थानीय अधिकारियों के बीच चलनेवाली गुप्तगू का अवतक पता लगता रहा; और इससे सम्भवतः हमारे कार्य में भी रुकावट पैदा हो जाती। इसलिए हमने उनसे कहा कि हम यह बहुतसारी बातें जान लेने के मोह से अपने आप को दूर रखेंगे, और सरकार की मनोवृत्ति के अध्ययन से गांधीजी जिस निर्णय पर पहुँचेंगे उसी में सतौष मान लेंगे। किंतु गांधीजी बोले कि यह उचित न होगा। वस्तुतः जब हम सब यह दस्तावेज पढ़ चुके हैं तब मजिस्ट्रेट को इस गलतफहमी में रखना, कि किसी की भी उसपर नज़र नहीं पड़ी है, अनुचित है। और आगे बोले, कि वे उसे अकेले ही पढ़ना नहीं चाहते। ऐसे मामलों में जिस सतर्कता से काम लेना चाहिये यह उन्होंने आज हमें सिखा दिया था।

एक अन्य उदाहरण द्वारा यही बात और अधिक स्पष्ट हो जायगी। गन्वारी नौकरों में से कई हमारे गुपरिचित थे। उनमें से बहुतसे ऐसा

सोचते थे कि हमारी सहायता करना अपना कर्तव्य ही है, और उन मेंसे कुछ तो सरकारी गुप्त दस्तावेज हमारे पास भेज भी देते थे। ये दस्तावेज हमारे काम की दृष्टि से बड़े कीमती होते थे। इस तरह का एक दस्तावेज एक बार हमारे हाथ लगा, जो हमने जाकर गांधीजी को दिया। किंतु उस विषयक ये सब बातें भालूम होते ही गांधीजी ने वह खोला ही नहीं, और बोले वे तब तक इसे देख नहीं सकते जब तक कि उन्हें यह विश्वास दिलाया नहीं जाता कि वह बंध उपायो से ही प्राप्त किया गया है। उन्होंने हमें भी अपना अनुसरण करने की सलाह दी। तबसे इस सिद्धान्त पर हम अटल रहे हैं।

और एक उदाहरण। उन दिनों होमरूल-आंदोलन पुरजोश चल रहा था। श्रीमती एनी बेसण्ट स्थानबद्ध कर ली गई थी, और प्रातभर में बड़े जोरशोर से आंदोलन चल रहा था। हम सब कांग्रेस के कामों में दिलचस्पी लेने लगे थे, और सोचते थे कि होमरूल का सदेश गाँव गाँव में पहुँचाने के लिए कुछ न कुछ करना चाहिये। गांधीजी ने, हमें इससे रोका। चुनौचे हममें से किसी ने भी, यहाँ तक कि स्वयं गांधीजी ने भी, चपारन जिले के अपने निवासकाल में कभी भूलसे भी राजनीति की प्रार्थना नहीं की। वे हमसे सदा यही कहते रहे कि चपारन में हमारे द्वारा सच्चे होमरूल-आंदोलन एवं स्वराज्य-स्थापना का कार्य हो रहा है। अवश्य ही उनके उक्त कथन का आशय उस समय हम पूरी तौर से समझ नहीं पाये। फिर भी हमने उनके आदेश का पालन किया। और यदि उन दिनों हम स्वतः द्वारा उठाय गये कार्य में लगनपूर्वक जुटे न रहकर होमरूल-आंदोलन की ही बातें करते रहते तो बिहार की परिस्थिति कदापि न सुधरती। वे हमसे यह भी कहते रहे कि इस तरह हम अपनी जो सारा जमा रहे हैं वह जागे चलकर बड़े काम की साविन होगी। सचाई से भरे हुए उनके इस कथन का अपने दैनंदिन जीवन में मैं तभी से बराबर अनुभव करना रहा हूँ।

बाद के दिनों की अन्य एक घटना अब निवेदन करना है। १९१८ में चम्पई में थी हमन इमाम की अध्यक्षता में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ। गांधीजी उस समय अहमदाबाद में सल वीमार पड़

वहाँ जी लगे भी तो कैसे ? अहमदाबाद के मिल-मजदूरो मे मने काम शुरू किया, लेकिन वह थोडा आगे बढ़ ही पाया था कि इसी बीच एक दूसरे काम मे हाथ डालना पडा। फिर आश्रम चलाने का विचार किया। उस विषयक व्यवस्था हो ही रही थी कि चपारन से बुलावा आया। सोचता था वहाँ का काम जल्द खत्म कर आश्रम के उद्घाटन के लिए ठीक समय पर लौट आ सकूंगा। किंतु वहाँ कई महीने रुकना पडा, जिससे यह इच्छा भी पूरी नहीं हुई। चपारन की रम्यता को राहत दिलाने मे कुछ कामयाबी तो जरूर मिली, लेकिन वह नाकाफी है। जिले को जनता से निकट सपर्क स्थापित कर जनता मे शिक्षा-प्रसार करने के हेतु पाठशालाएँ खोली, किन्तु बीच ही मे खेडा जाना पडा, जिससे इस काम के लिए वक्त नहीं दे सका। जहाँ तक चपारन की जनता को राहत दिलाने का प्रश्न था, योजना सफल हुई; किन्तु उसे शिक्षित करने का काम उठाने के पहले रगल्ट-भर्ती के काम मे हाथ डालना पडा। और अब तो बीमार ही पड गया। कह नहीं सकता कि इस बीमारी, से पिंड छूटेगा भी या नहीं, और अब कोई नया काम कहाँ तक उठा सकूँगा इसमे भी मुझे सदेह है। सारी उम्र नित नये नये काम उठाने एव वे अधूरे छोड़ देने में बीती, और अब कूच करने का वक्त आ गया। किन्तु यदि ईश्वर की यही इच्छा हो, तो फिर निरुपाय है ! " इतना कहकर वच्चे की नाई वे रोने लगे। उस समय हममे से जो चद लोग वहाँ उपस्थित थे उनके मुँह से सवेदना का एक शब्द भी नहीं फूटा। जल्द ही वे होश मे आये, और बोले, "इतने दिन मेरा दम घुटता रहा, लेकिन आज ढाले गय इन आँसुओ से कुछ सात्वता मिली।" और इसके बाद वे अन्यान्य बातों की चर्चा करने लगे।

विगत तीस वर्ष की दीर्घ कालावधि मे उनके निकट सपर्क मे रहकर काम करते समय ऐसे अनेकानेक प्रसंग उपस्थित हुए हैं जब कि उनकी कार्यप्रणाली के औचित्य एव निर्दोषिता के मवध में मेरा पूरी तोर से समाधान नहीं हो पाया, और अपना सकारण मने उनके सामने व्यक्त भी की। बादविवाद द्वारा मेरा समाधान करने की चप्टा वे करते रहे, किन्तु इसमें उन्हें सदा सफलता ही मिली हा सो बात नहीं। अवश्य ही उनकी सलाह के अनुसार ही मे चलता रहा, और हर बार जतन मने यहीं

अनुभव किया कि उन्हीं का दृष्टिकोण सही था, जब कि अपनी विचार-प्रणाली तर्कसंगत होनेपर भी व्यवहारतः सदोष थी। 'हमारे पारस्परिक संबंध के प्रारंभकाल से ही यह स्थिति बनी रही। आगे चलकर मैंने ऐसा अनुभव किया कि हो न हो अपनी विचारप्रणाली में ही कुछ दोष है। इस अनुभव के परिणाम-स्वरूप मैं उनका 'अध अनुयायी' बना ऐसा कहा जाय तो इसमें जरा भी अत्युक्ति न होगी।

अब और एक ही दृष्टांत दूंगा। १९३० का आंदोलन छोड़ा ही जानेवाला था, कि गांधीजी ने हमारे सामने नमक-कानून तोड़ने का सुझाव रक्खा। इससे ब्रिटिश सरकार को क्या क्षति पहुँचेगी यह बात हममें से बहुतों की समझ में नहीं आ रही थी। कई एक ने इस विषयक अपनी शिकायत व्यक्त की, जब कि शेष कई ने नमक-कानून तोड़कर स्वराज्य प्राप्त करने की बात का खुल्लखुल्ला मजाक उड़ाया। बिहार की परिस्थिति का, जहाँ दरिया-किनारा नहीं है, ख्याल करते हुए मुझे ऐसा लगा कि हम इस तरह का कोई कानून चुन लें जो कि जनता सहज ही में समझ कर तोड़ सके। हमारी तरफ एक चौकीदारी कर है। प्रायः प्रत्येक ग्रामीण को यह कर अदा करना पड़ता है, और अपने ऊपर यह एक प्रकार की ज़्यादती है ऐसी गरीब लोगों की भावना है। हमेशा ही इस कर के विरुद्ध लोगों में भारी असंतोष रहा है। इसलिए गांधीजी के साथ हुई अपनी बातचीत के दरमियान मैंने उनके सामने यह सुझाव रक्खा कि वे हम बिहारवासियों को नमक-कानून के बदले चौकीदारी कर तोड़ने की अनुमति दें। वे बोले, "अगर ऐसा किया गया तो शुरू में ही हमें मुँह की लानी पड़ेगी। हाँ, अगर नमक-कानून तोड़ने में हम कामयाब रहे तो जागे चौकीदारी-कर तोड़ने की दिशा में भी कदम उठाया जा सकता है। फिर भी उसमें हम वहाँ तक सफल रहेंगे इसमें संदेह है।" उनकी यह दलील मुझे तर्कहीन नहीं, किन्तु हमने उनका आदेश माना कि नमक-कानून तोड़कर शुरू किया। बिहार में उसे शनी अर्धरात्रि सपरान्त मिली कि प्रातःकाल में शायद ही ऐसा कोई सोना छूटा होगा जहाँ नमक-कानून खुल्लखुल्ला और बंधक तोड़ा न गया हो। दिन-भर में भी यही दृशा, और वास्तवः निरपद्रवी दिशाई पड़नेवाले इस

कार्यक्रम के भीतर कितनी प्रचंड जनशक्ति निर्माण करने का सामर्थ्य भेरा हुआ है इस संबंध में सारे सशयात्माओं की खातिरजमा हो चुकी। कुछ मास तक हमारे द्वारा नमक-सत्याग्रह जारी रखा जाने के बाद वर्षा ऋतु आयी, जिससे सत्याग्रह आगे जारी रखना निसर्गत अमभव हो गया। इसलिए मैंने विहार की जनता को चौकीदारी-कर देना बंद करने की सलाह दी। वैसे ही जनता ने किया। किन्तु सरकार ने इस कदर दमन-नीति से काम लिया कि कई जगह आंदोलन टूट गया; और यदि गांधी-इविन समझौता न हो जाता तो हम बुरे फँसते।

और भी बहुत से दृष्टांत दिये जा सकते हैं, किन्तु अब यही समाप्त करता हूँ।

वर्धा,

१२-४-१९४८.

बापू के पत्र

रेजिनाल्ड रेनाल्ड्स

गांधीजी की हत्या के एक या दो सप्ताह बाद मैंने उनके द्वारा समय समय पर अपने नाम भेजे गये पत्रों की पुरानी फाइल निकाली। कोई बहुत ज्यादा पत्र नहीं थे। क्योंकि रोज़ाना उन्हें कितनी बड़ी डारू देखनी पडती है यह मैं जानता था, और इसीलिए, जहाँतक मेरा ताल्लुक था, उनका यह बोझ अपनी ओर से मैं भरसक बढ़ने न देता था। इतना ही नहीं बल्कि हाल के वर्षों में उनके नाम भेजे गये अपने चद पत्रों में मैं अधिकांश में मैंने उन्हें यह स्पष्ट सूचित कर दिया था कि न तो आपसे उत्तर की अपेक्षा की जाती है, न इसकी कोई आवश्यकता ही है।

हैं तो ये इनेगिने ही पत्र, किंतु फिर भी इन्हें मैं अपना अमूल्य धन मानता हूँ। ये पत्र मुझे न कि एक महान् नेता की, अपितु महत्वपूर्ण कार्यों में अत्यधिक व्यस्त रहने पर भी अपने परिवार के अति तुच्छ सदस्य की साधारण से साधारण मोग पूरी करने के लिए समय निराकने वाले सुहृद की याद दिलाते हैं। मैं सोचता हूँ कि इसी कारण 'बापू'

के रूप में उनका स्मरण करना मुझे अधिकाधिक भाता है। वे हमारे पिताश्री थे, और पितृवत् चिंता एवं ममतायुक्त भाव से हमारी गलतियों के लिए हमारे कान ऐंठने का उन्हें पूरा हक था। यह हक वे किस प्रकार निस्सकोच अदा करते रहे इसका इन पत्रों से पता लग जायगा।

मेरे नाम बापू का सर्वप्रथम पत्र उनसे मेरी प्रत्यक्ष रूप से भेंट होने के पूर्व आया था। मैं सावरमती-आश्रम में गया हुआ था, और उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था। अवश्य ही इस सबध में पहले मेरी जोर से ही उन्हें पत्र भेजा गया होगा। क्योंकि उनके उक्त सर्व-प्रथम (ता. २८-१०-१९२९) पत्र में इसका उल्लेख मिलता है। उत्तर-स्वरूप प्राप्त इस पत्र में मुख्यतया मेरे स्वास्थ्य एवं पथ्य-परहेज सबधी सलाह दी गई है। और आगे लिखा है, "प्रार्थना के समय गाये जानेवाले भजनों और गीतों का आशय मालूम कर लिया जाय। दोनों शाम के भोजन की अपेक्षा दोनों शाम की प्रार्थना में अधिक महत्वपूर्ण मानता हूँ।" साथ ही उन्होंने मुझे सूचित किया था कि अपने सावरमती लौटने तक आश्रमिक जीवन विषयक स्वतः के विचार में उन्हें प्रति सप्ताह निस्सकोच लिखता रहूँ।

इसके बाद के और दो पत्र हैं। इनमें मैं दूसरा शहाजोपुर से ता ११-११-२९ का लिखा गया है। जब तक हम परस्पर स मिलने न पाये थे। तब अपने को एक जगह मन्दिर-प्रवेश की आज्ञा न मिलने के समाचार मने उन्हें पत्र द्वारा ही सूचित किये। इस घटना से मने अपमान अनुभव किया हो सो बात नहीं। बल्कि मैं तो खुश था कि मियों ही जूनी मियों के ही सिर पड़ी। उस अतीव मानहानि के विषय में, जो कि भारतीयों को अपने ही देश में, और बहुधा इंग्लैंड में भी, नहीं पड़ी थी, मने बहुत कुछ गुन-गढ़ रखा था, और इस लिए, खुद एक अंगरेज होने हुए भी, अंगरेजों या अपने पापता या फल घटना पड़ रहा या यह देना पर मुझे तादिक प्रसन्नता हुई।

चिन्तु इसी दुष्टिवाच से उक्त घटना ही और दटना गांधीजी के लिए तभय न था। मालूम होता था कि मेरी परिहासपूर्ण प्रेषणता से उन्होंने भूल से जोशय का आशय लिया है। तबकि इसके लिए मेरी

सराहना करते हुए उन्होंने लिखा था : "हम सभी के लिए यही नचित है कि हम परस्पर की ओर इसी दृष्टिकोण से देखें। किंतु इस विषयक भीषण सत्य यह है कि प्रस्तुत प्रतिवध अस्पष्टता के अभिशाप का ही एक अंग है।....." जेप पत्र में उन्होंने मुझे सावधान करते हुए लिखा था कि, "एक साथ बहुतेरे काम करने के लालच से बचा जाय। कम से कम कुछ काम तो भली भाँति पूरे किये जायँ।" आश्रम में सिखाई जानेवाली बातों से इसका सबध था।

इसके बाद के दो पत्र बगैर तारीख के हैं। इनमें से एक में उन उभय अमरीकी अतिथियों के स्वास्थ्य और सुख-सुविधा सबधी पूछताछ की गई है, जो कि एक-दो दिन के लिए सावरमती पधारे थे। और दूसरे पत्र में, जो मौन-दिन पर लिखा गया है, पुनः उन्हीं मेहमानों की सुख-सुविधा सबधी अपनी व्यग्रता व्यक्त करते हुए वे पूछते हैं, "क्या आप, इन मित्रों को उस अपरिचित जगह परयागन महसूस न हो इस हेतु, सीतलासहाय के सहयोग से उनका यथासभव आदरातिथ्य करने का कष्ट उठावेंगे?"

किस प्रकार अत्यधिक कार्यव्यस्त होते हुए भी गाधीजी ये चिट्ठी-पत्रियाँ लिखते रहे हैं यह बात जिन्हें मालूम है वे ही उनका, वास्तविक मूल्य आँक सकते हैं। आदरातिथ्य आदि में वे कतई कमी रहने नहीं दे सकते थे। हरेक आश्रमवासी बालक की ओर ध्यान देने के लिए उनके पास समय का कभी अभाव न रहता था। दूसरों की मामूली जरूरतों का भी वे कितना स्याल रखते थे इसका पूर्वोक्त पत्र से पता चल जायँगा। एक दिन बापू स्नान से लौटते समय मेरी बगल, से गुज़र रहे थे, कि उन्हें मेरी नाक से खून बहता हुआ दिखाई दिया। वह उनका मौन-दिन था। फिर भी उन्होंने एक पुत्रेपर चद पत्रियों लिख कर इमरा इलाज बताया।

इसके बाद का पत्र ता. २ फरवरी १९३० को आया। लाहौर-कांग्रेस के बाद रास्ते में कई जगह ठहरता हुआ, मैं बलकता और गान्धिनिकेतन की यात्रा पर निकल पड़ा था। धक्की वार अपने दीर्घ मौन

के लिए क्षमायाचना करते हुए वापू ने लिखा था—“अपने पत्रव्यवहार की ओर मेरा दुर्लक्ष्य हो रहा है। दरअसल इसको निवटाने की अब मुझमें हिम्मत ही नहीं रही है।” (इसकी अब मैं यथार्थ रूप में कल्पना कर सकता हूँ। क्योंकि बाद के वर्षों में, अपने जिम्मे इसके दसवें हिस्से कान न होते हुए भी, मैंने बहुधा यही दलील पेश की है।) पत्र के अंत में राजनीतिक बातों का उल्लेख किया गया है। मैंने उन्हें क्या लिखा था सो तो मुझे याद नहीं है। किंतु उत्तर-स्वरूप गांधीजी ने मुझे सूचित किया था—“गत तीन दिन से मैं आपके पत्रपर विचार कर रहा हूँ। का श्रीगणेश सभवतः मार्च से पहले न हो सकेगा।”

और पुनः लिखा था, “जब भी कभी सभव हो आप आ जाएँ। १५ फरवरी को आते तो बेहतर होता। लेकिन जो तजुर्वे आप हासिल कर रहे हैं उनमें मैं खगवट पैदा नहीं करना चाहता। आश्रम आपका ही है। जब भी इच्छा हो चले आएँ।”

गांधीजी के उपर्युक्त पत्र में ‘श्रीगणेश’ का उल्लेख, समझते सवधी वार्तालाप भंग होने की हालत में १९३० के प्रीम्प में छेड़े जानेवाले सविनय अवज्ञा-आंदोलन को उद्देश्य कर किया गया है। मैंने अपनी यात्रा आगे जारी रखी। तुरंत मेरे पास युक्त-प्रात एच बंगाल के मित्रों के नाम गांधीजी द्वारा लिखे गये परिचय-पत्र पहुँचे। उक्त पत्र यहाँ उद्धृत करने की भूष्टता मुझमें नहीं है, क्योंकि वे इतने अधिक स्नेह-पूर्ण और सद्भाव-युक्त हैं कि कोई विश्वास ही नहीं कर सकता। जब ये पत्रते समय मनमें मेरे विचार आया कि व्यक्तिनायक के भीतर की भक्तानुसाह पर सर्वथ धृष्टा रत्ननेवाले एक हृदय को मैंने अपने कारण

यथासमय में सावरमती लौट आया, और गांधीजी के सदेश-वाहक के नाते वायसराय के नाम लिखा हुआ उनका इतिहास-प्रसिद्ध पत्र नई दिल्ली ले जाने का काम मुझे सौंपा गया। नई दिल्ली से मैं सीधे आश्रम लौट आया। किंतु सत्याग्रह-आंदोलन शुरू होने पर नमक-कानून तोड़ने के लिए निकाले गये मोरचे में वापू का साथ देने की अनुमति अपने को नहीं मिली है यह देख कर मैं बहुत ही निराश हुआ। सावरमती स्थित चंद मर्दों और स्त्री-बच्चों के साथ मुझे पीछे रह जाना पड़ा। इससे मैं बेचैन हुआ। निस्संदेह मेरी यह बेचैनी गांधीजी के साथ हुए अपने पत्रव्यवहार में भी प्रतिबिंबित हुई। किंतु प्रतिदिन महत्वपूर्ण सत्याग्रही गिरफ्तार होने लगते ही ऐसा मालूम हुआ कि किसी उपयुक्त सेवा का सुअवसर मेरे लिए उपलब्ध होने में अब ज्यादा देर नहीं है। १३ मार्च के पत्र में 'यंग इंडिया' की सहायता करने सबधी उल्लेख है। और अप्रैल २४ के पत्र में पूछा गया है: "महादेव जेल में हैं; इस स्थिति में 'यंग इंडिया' के सबध में आप क्या सोचते हैं?"

१३ मार्च के पत्र में आश्रम को उद्देश्य कर वापू लिखते हैं. "मैं इस बात के लिए, कि वह शांति, शुचिता और शक्ति का वास-स्थान बन जाय, लालायित हूँ। और मानता हूँ कि यह कार्य अप्रसर हो इस हेतु ही आपके रूप में मुझे ईश्वरदत्त देन मिली हुई है।" तीन सप्ताह के भीतर ही (३१-३-१९३०) उन्हें इससे सर्वथा विपरीत लिखना पड़ा। उनके सबध के कतिपय असत्य वक्तव्यों एव उनके चारित्र्यपर की गई छीटाकशी के कारण मैं मर्माहत हुआ और आपमें बाहर होकर उनके एक आलोचक को मंने खूब खरीखोटी सुनाई। इस विषयक मेरा लेख 'वाम्बे त्रानिकल' में प्रकाशित हुआ था।

इसके सबध में अपने विचार व्यक्त करने हुए वापू लिखते हैं:- "त्रानिकल में प्रकाशित आपका लेख मुझे जँचा नहीं। यह तो जहिंसा नहीं है।..... अगीकृत कार्य उचित होने पर आप यदापि व्यक्तिगत रागद्वेष क बर्तानूत न हो जायँ।... आप समझ ही गये होंगे कि मैं केवल असभ्य आचरण पर ही जोर नहीं देना चाहता। मुझे व्यथित कर रहीं हैं वह हिंसक वृत्ति जो कि इसकी जड़ में छिपी हुई है। मेरे रहने गा. प्रो. २. २१

का आशय आप ठीक तरह से समझ गये न? अगर समझ गये हो तो मन ही मन प्रतिज्ञा करे कि जिसकी अहिंसा पर अपनी श्रद्धा है ऐसे व्यक्ति को दिखाये बिना आइन्दा इस किस्म की कोई चीज न लिखूंगा।" साथ ही उन्होंने सूचित किया था कि मैं उक्त व्यक्ति से क्षमा-याचना कहूँ जिसे कि मैंने खरी-खोटी सुनाई थी। उन दिनों उम्र मेरी सिर्फ २४ साल की, और मिजाज बड़ा ही गरम था। चुनौचे महात्माजी का उपदेश, या जिस क्वेकर संप्रदाय से मैंने दीक्षा ग्रहण की थी उसका जीवन विषयक दृष्टिकोण मेरे गले उतरने में कई साल लग गये। फिर भी उक्त घटना का आज पुनः स्मरण कर मुझे प्रसन्नता हो रही है।

वापू के प्रति अपने उत्कट प्यार के कारण ही मैंने लिखित रूप से क्षमा माँगी, जो कि सहृदयतापूर्वक स्वीकार भी कर ली गई। अवश्य ही, "केवल वापू के अनुरोध से ही प्रस्तुत क्षमायाचना के लिए मैं उद्यत हो रहा हूँ," इतना उसमें डेतुपुरस्सर जोड़ने से मैं नहीं चूका। इसमें मेरा उद्देश्य यही रहा कि वह व्यक्ति इस महात्मा की महानतासे, जिसके चारित्र्य के प्रति उसने सका प्रदर्शित की थी, परिचित हो जाय। निश्चय ही इस यथार्थता के प्रभाव से मेरी भाँति वह व्यक्ति भी अछूता नहीं रह सका।

१४ अप्रैल के अपने पत्र में वापू ने मेरी पूर्वोक्त क्षमायाचना के लिए पुनः सतोष व्यक्त करते हुए आगे लिखा है, "मेरा विश्वास पुनरपि जमाने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वह कभी भग ही नहीं हुआ था।" और पुनश्च—“अहिंसा आत्मसात् करने का मार्ग कभी कभी मचर और कष्टदायी होता है। आवश्यकता है मानसिक हिंसा से मुक्ति पाने की।” दो दिन बाद मैंने वह पत्र, जो अपनी क्षमा-याचना के उत्तर-स्वरूप प्राप्त हुआ था, उनके पास भेज दिया। उत्तरकर उन्हें खुशी हुई। लिखा था, “प्रभु आपकी अहितकर मार्ग से रक्षा करेंगे।”

लगभग दसों समय गांधीजी गिरफ्तार कर दरवाजा में बंदी रखे गये। निश्चय ही इसके बाद स, ता. २२-५-१९३० का उनका पत्र सरकार में आया। लिखा था, कि जाकर मिल जाना। उस समय मैं पेरिस एल्विन के अनिधि के नाते विश्व यथाशुभ के आश्रम में

ठहरा हुआ था। बापू के पत्रों की अपनी फाइल में मैंने जेल-सुपरिंटेंडेंट से प्राप्त संक्षिप्त नोट भी नक्की कर रखा है। नोट में इतना ही लिखा गया है—“श्री रेनाल्डस् को सूचित किया जाय कि भेट करने संबंधी उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा सकती।” इसके कोई दो मास बाद नाराणदास गांधी का पत्र आया। लिखा था, “आपके यरवदा जाने के बाद से बापू ने भेंट-मुलाकातें बंद कर रक्खी है।” इसका मैंने यही अर्थ लिया कि उनसे भेट करने संबंधी अपनी प्रार्थना की अस्वीकृति के निषेध-स्वरूप ही उन्होंने अन्य किसी से भी भेंट-मुलाकात करने से इन्कार कर दिया है। सुपरिंटेंडेंट की निर्दयता के लिए स्वतः को दंडित करने की यह रीत दुनिया से न्यारी थी।

इसके बाद अगले वर्ष के आरम्भ तक बापू की ओर से कोई पत्र नहीं आया। इस बीच मैं इंग्लैंड लौट आया था। अकस्मात् सत्याग्रह-आंदोलन स्थगित कर नये सिरेसे सरकार के साथ समझौते संबंधी वार्तालाप शुरू किया गया है यह सुनकर मैं असमजस्य में पड़ गया। साथ ही मनस्ताप भी कुछ कम नहीं हुआ। इसी मन-स्थिति में मैंने उन्हे पत्र लिखा। इसके जवाब में गांधीजी की ओर से (कैम्प दिल्ली, ता. २३ फरवरी १९३१) जो पत्र आया वह आज तक उनके द्वारा मेरे नाम लिखे गये अन्य पत्रों की अपेक्षा विशेष रूप से लवा है; और सदा की भौति वह उनके खुद के हाथ का लिखा न होकर उनके सेक्रेटरी द्वारा टाइप कर भेजा गया है। अपने ‘विस्तृत, स्पष्टीकृतपूर्ण एव निर्धारयुक्त’ पत्र के लिए मेरा अभिनंदन और मेरे प्रति स्नेहभाव प्रकट करने के बाद वे आगे लिखते हैं, कि मेरे विचारों से वे कतई सहमत नहीं हैं और तो इस इस कारण। वस्तुतः इस स्पष्टीकरण योग्य कोई बड़ा आदमी तो मैं था नहीं। किंतु जैसा कि वे अपने अन्यान्य आलोचकों के समाधान हेतु हर बार समय निकाल लेते थे, वैसा ही उन्होंने मेरे लिए भी निकाला। अपने उक्त पत्रमें उन्होंने अन्य बातों के साथ ही यह भी लिखा था—“स्मरण रहे कि सत्याग्रह एक ऐसा मार्ग है जो कि बुद्धि को परिपालित कर एवं मानव-माय के भीतर की संवेदनाशील तंत्रियों को छेड़कर उन्हे अपने विचारों का कायल बना देता है। व्यक्तिमात्र के भीतर के अन्तिम सदाचार पर वह समाश्रित रहता है।....”

“यदि इतने मे आपको सतोष न होता हो तो आप जरूर मुझसे लड़ते-झगड़ते रहें। ऐसा करने का आप को पूरा हक है।....” वापू ने आगे लिखा था। इसके बाद भारतीय स्वाधीनता प्राप्ति के लिए इंग्लैंड में मेरे द्वारा जारी कार्य के प्रति प्रशंसा और प्रोत्साहनपूर्ण कुछ पत्रिकाएँ हैं। और पुनः लिखा है, “प्रभु आप को आशीर्वाद और बल दे।” फिर भी मैं उनके विचारों का कायल न हो सका। उनकी परिवर्तित नीति की आलोचना करते हुए मैंने एक लंबा पत्र भेजा, जो ससम्मान, और वापू के उत्तरसहित, ‘यंग इंडिया’ में प्रकाशित हुआ। उक्त प्रकाशित पत्रव्यवहार की कोई प्रति अब मेरे पास नहीं है। जो भी हो, मुझे उनके अप्रकाशित पत्रव्यवहार से मतलब है। प्रकाशित सामग्री से तो जो चाहे लाभ उठा सकता है।

अप्रैल १९२९ सावरमती से भेजा हुआ उनका एक पत्र मेरे पास है, जिसमें उन्होंने मेरे द्वारा दुबारा लिखे गये आलोचनापूर्ण पत्र के प्रति अपने दृष्टिकोण की मुझे सूचना दी है। वस्तुतः उस समय मैं इतनी कच्ची उम्र का था कि मेरा सहारा उनके लिए नगण्य था। फिर भी वे लिखते हैं—“अतः आप न तो अपने कार्य से विमुख हो, और न मुझे ही छोड़ बैठें।” मैं सोचता हूँ कि प्रत्येक मानव-आत्मा के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा के कारण ही उन्होंने ऐसा लिखा था। आज उक्त शब्द पुनः पढ़ते समय मैं गद्गद हो रहा हूँ। उन दिनों मैं सकटावस्था में गुजर रहा था। अतः जरूर ही मैंने कुछ अडबड लिख दिया होगा। इसी बात को उद्देश्य कर वे आगे लिखते हैं, “आपके द्वारा की गई कटु आलोचना की अपेक्षा आपकी व्यक्तिगत बातों में मैं ज्यादा दिलचस्पी रखता हूँ।....यदि वहाँ आपको मनःशांति नहीं मिलती तो इस तरफ़ क्यों चले नहीं आते? आप जानते ही हैं कि आश्रम आपका प्रति-घर है।”

यदि उस समय भारत की यात्रा के लिए आवश्यक मार्ग-व्यय अपने पास होता तो उक्त हार्दिक निमंत्रण मैं अवश्य स्वीकार कर लेता। किन्तु यह न बदा था। फिर भी उस साल के आखिर में गॉलमेन्ड-परिषद् में भाग लेने के निमित्त वापू के इंग्लैंड पधारने पर हमारी पारस्परिक बैठक या सुयोग आनेवाला था। इसके बाद वा मेरे नाम का

उनका दूसरा पत्र परिपद के दिनों में ही लिखा गया है। उनके द्वारा प्रदत्त आर्थिक रिआयतो को मैं भूल से कमजोरी, याने दृढता के अभाव का चिन्ह समझ बैठा था। किंतु अपने उपर्युक्त पत्र में उन्होंने इस का स्पष्टीकरण देते हुए लिखा है कि ब्रिटेन-निवासियों, और खास तौर से लकाशायर के लोगो की कठिनाइयो के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करना ही इन रिआयतो का उद्देश्य है। अपने कार्यों और शब्दो का अपने विरोधियों द्वारा विपर्यस्त अर्थ लगाया जाने पर मनुष्य-मात्र को असीम वेदना होती है। फिर बापू को तो अपने मित्रो के कारण ही इस दुःख का भागो बनना पड रहा था। केवल सहानुभूतिवश ही, न कि अपनी कमजोरी के कारण, वे झुबने के लिए तैयार रहते हैं यह बात कितने लोग जानते होंगे? जोर उन्हे उग्र विचारक एव असतोष के जनक माननेवालो में से कितने लोग इस वस्तुस्थिति में, कि अपने अनुयायियो में स्वत. के विरोधियो के प्रति जरा भी गलतफहमी या कटुता नजर आते ही बापू उन्हें चुपचाप किंतु सतत जागरूक रह कर ठिकाने लाते हैं, परिचित होंगे?

प्रातःकाल का समय। सभवत जनवरी १९३२ की बात है। लदन से बापू विदा हो रहे थे। यद्यपि बापू के इंग्लैंड-आगमन पर प्रसंगोचित रीति से ही उनका स्वागत किया गया था, तथापि आज उनकी विदाई के अवसर पर केवल इनेगिने लोग ही उपस्थित थे। सनोप की बात है कि उन्हे विदा करनेवालो में से एक मैं भी रहा, क्योंकि इसके बाद पुनः कभी मुझे उनके दर्शन नहीं हुए। भारत लौटकर उन्होंने देखा कि अपने लदन से विदा होने के पहले ही देश में दमन-नीति का श्रोगणेश हो चुका है। शीघ्र ही वे भी दरबदा की जेल में पहुँचा दिये गये। वहाँ से उनके तीन पत्र आये। इनमें में तीसरा दिसबर १९३२ का है। वह उन्होंने महादेव भाई से लिखाया है। इसमें अधिकांश पारिवारिक समाचार है, याने कौन रिहा हुआ है आदि। सरकार के सांप्रदायिक निर्णय के निषेध-स्वरूप उनके द्वारा किया गया जनशन सफल हुआ था। मुझे यह याद कर सुग्री होती है कि सदा की भाँति इस अवसर पर भी उन्हीं के मत का पोषण कर, अपने लोगों और भाषणों द्वारा हरिजन-समस्या संघर्षी उनकी

मनोभूमिका पर प्रकाश डालता रहा। उनका पूर्वोक्त पत्र मानो एक पिता द्वारा अपने पुत्र के नाम लिखा गया है। लिखा है—“आपका पत्र पाकर मुझे इतनी अधिक प्रसन्नता होती है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते।” किसी की मिथ्या प्रशंसा करना उनके लिए कैंसा असंभव है यह बात जो जानते नहीं थे इस पर विश्वास ही नहीं कर सकते। दरबदा से १९३२ में लिखे गये पहले के उनके दो पत्र यहाँ उद्धृत करना मेरे लिए और भी असंभव है। क्योंकि वे व्यक्तिगत स्वरूप के होने के साथ ही इतने अधिक वात्सल्यपूर्ण और कृतज्ञतायुक्त हैं कि आज भी उन पत्रों को पढ़ते समय मैं गद्गद हो जाता हूँ।

इसके बाद बहुत दिनों तक हमारा पत्रव्यवहार बंद रहा। अवश्यही नाममात्र के लिए १९३५ में एक पोस्ट-कार्ड आया। लिखा था, “भारत-यात्रा के इच्छुक जिस अंगरेज़ मित्र की आपने सिफारिश की थी उसे मैंने पत्र लिख दिया है।” और पुनः—“किंतु आप स्वतः के सबंध में कुछ भी क्यों नहीं लिखते?” इसका वास्तविक कारण यही था कि उनकी विनयशील शिक्षा से मैं दूर होता गया था, और उनसे यह बात छिपाना चाहता था। १९३८ के आते आते उनकी विचारधारा से मैं और ज्यादा अलग पड़ गया। किंतु बापू के प्रति अपने आदर और प्यार के कारण मैंने सोचा कि अन्य किसी से उनको इसकी खबर मिलने की अपेक्षा मेरा खुदना ही यह देना अधिक उचित रहेगा। तदनुसार मैंने उन्हें पत्र भी लिख दिया। उक्त विषय की यहाँ चर्चा करना अनावश्यक है। अवश्य ही उत्तर-स्वरूप प्राप्त उनके (१४-४-१९३८ के) पत्र के प्रतिपक्ष पात्रों के लिए मैंने मगही मन उन्हें धन्यवाद दिया। पत्र की शुरूआत इस प्रकार की गई है—“मेरा हृदय बराबर आपकी ओर तिरा जा रहा है।” और फिर लिखा है, “यदि कुछ मुझे पर हमारी नहीं पड़ती तो दोगों क्या?” पत्र उनके खुद के हाथ का एक पत्रोत्तरेन में लिखा हुआ है, और अंत में “हम सबका प्यार” लिखकर, “बापू” बरके लुता और बिछ गये हैं। अस्तुतः विचार और उद्दिष्ट की दृष्टि में हम परस्पर से विशेष रूप से अभी दृष्ट ही नहीं थे, और फिर भी अनिजाना मोहाने एवं आत्म-न्यूनता उन अभिस्मरणीय शब्दों से लिख गये थे।

महायुद्ध के दिनों में मैंने वापू, या विदेशस्थ अपने मित्रों के नाम कोई पत्र नहीं भेजा। क्योंकि पत्र का महत्वपूर्ण भाग सेन्सर द्वारा काट दिया जाने, या उससे शत्रु के लाभ उठाने की संभावना रहती थी। अवश्य ही इस युद्ध-काल में मुझे अपने शांतिवाद पर पुनर्विचार करना पड़ा। शांति और युद्ध के लिए कारणभूत होनेवाले राजनीतिक एवं आर्थिक सत्यों का नुस्पष्ट 'विश्लेषण विगत कई वर्षों से मेरे मस्तिष्क में चक्कर काट रहा था। उसमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण, मनुष्य-स्वभाव परिचय, सहिष्णुता एवं औदार्य का अभाव रहा। अपने युग के सर्व-श्रेष्ठ पुरुष द्वारा इन बातों का ज्ञान प्राप्त करना मेरे लिए आवश्यक था। क्योंकि मैं वर्षों से युद्ध-विरोधी होने पर भी वास्तविक अर्थ में कतई शांतिवादी नहीं था।

आखिरकार महायुद्ध की समाप्ति पर मेरे इन विचारों ने पुनः किंचित् सिर उठाया। जागृति के इस क्षण में वापू को मेरा यह लिखना, कि मैं फिरसे एक बार उनके साथ हूँ एवं उनकी सेना में भर्ती होने की अपनी इच्छा है, स्वाभाविक ही था। मैं उन्हें एक नेता के रूप में आज कोई पहली ही बार नहीं देख रहा था। बल्कि आज से पंद्रह-सोलह वर्ष पूर्व, उन्हें पूरी तौर से जाने बिना ही, मैंने उनका अध्या-नुकरण आरम्भ कर दिया था। फिर भी उन दिनों जो शिक्षा मैंने उनसे ग्रहण की वह शनैः शनैः मेरी मानस-भूमि में अकुरित होकर पनप भी गई। १९४५ में अपने पूर्वजों के क्वेकर संप्रदाय में मेरे पुत्र प्रविष्ट होने पर वापू को पत्र द्वारा इसकी सूचना देते हुए मैंने लिखा कि आखिर मैं इसी वृत्ति से जीवन बिताने की चेष्टा कर रहा हूँ।

उनका उत्तर वैशिष्ट्यपूर्ण रहा। "प्रिय अगद" को संबोध कर वह लिखा गया था। भारत में रहते समय स्वतः द्वारा की गई गांधीजी की स्वल्प सेवा का स्मरण करानेवाले उक्त संबोधन को मैं अपना अमूल्य धन मानता हूँ। १९४६ के वर्षारम्भ-दिवस पर गांधीजी को मेरा पत्र प्राप्त हुआ। उसी शाम को उन्होंने इसका जवाब लिख दिया, जिसमें वे कहते हैं, "इस पत्र में आप मुझे वैसे ही दिखाई देते हैं जैसा कि मैंने आपको जाना है।" वे सदैव मनुष्य के वाह्य रूप की अपेक्षा उसके आत-

रिक्त सभाव्य गुणों की ओर ही अधिक ध्यान देते रहे। मनुष्य के भीतर के सुप्त सद्गुण को, जिसे हम क्वेकर पथी बधु "दैवी अश" कहा करते हैं, वे महत्व देते थे। जो भी हो, इतना सही है कि मेरे प्रति उनके मन में कभी भी किसी प्रकार का सदेह निर्माण नहीं हुआ। गांधीजी की हत्या के समाचार प्राप्त होने के क्षणतक मैं यही आशा लगाये बैठा था कि पुनः एक बार भारत की यात्रा कर सकूँगा। भारत की यात्रा मैं कर सकूँ या न कर सकूँ, इतना अवश्य ही जानता हूँ कि वापू के आशीर्वाद, मनुष्य-मात्र के भीतर के देवत्व को देख पानेवाले महात्मा का स्नेहभाव सदा अपने साथ रहेगा, और इन चर्म-चक्षुओं के लिए प्रभु-दर्शन द्भर हो जाने पर उनसे सबल मिल सकेगा।

इस पत्रब्यबहार के बारे में लिखते समय स्वतः सन्धी भी बहुत सी बातों का उल्लेख करना मेरे लिए अपरिहार्य हो गया। क्योंकि जिस परिस्थिति में इन पत्रों का आदान-प्रदान हुआ है उसके साथ मेरा व्यक्तिगत जीवन इतने दृढ़ रूप से जुड़ा हुआ है कि बिना उसपर प्रकाश डाले इन पत्रों को उद्धृत करना निरर्थक हो जाता। यह सही है कि मेरे जीवन की अत्यंत विपन्न घड़ी में क्वेकर-मतश्रेष्ठ जान बुलमन की रचनाओं ने उस धर्मनिष्ठा को, जिसपर कि आज तक मैं अटल रहा हूँ, एक सुनिश्चित आकार-प्रकारे प्रदान किया। किंतु इस धर्मनिष्ठा को कृतिरूप प्रदान करने का श्रेय, उद्यान में उगनेवाले अलक्षित सुमन सम उन मस्कारों को ही देना पड़ेगा, जिनका कि मेरी मानसभूमि में वापू ने बीजारोपण किया था। वापू द्वारा निवेदित, लिखित, एवं आचरित बातों ने ही मेरा मन जगाया। और उनकी विचारधारा से मैं अलग पड़ जाने पर भी उन्होंने मेरा हृदय हिला दिया। ईसाइयत की ओर मैं मुख्यतया एक हिंदू के कारण ही पुनः प्रवृत्त हुआ। केवल इम एक बात के लिए मैं मोहनदास गांधी की महान् आत्मा का आजीवन ऋणी रहूँगा। और यह ऋणभार वर्ष के बाद वर्ष व्यतीत होने के साथ बराबर बढ़ता ही जायगा। क्योंकि उनसे शिक्षा ग्रहण करने का मेरा कार्य अत्यंत गति से जारी है।

लदन,

४-६-१९४८.

उनके दक्षिण अफ्रीका के दिन

एल्. डब्ल्यु. रिच

गांधीजी से मैं पहले-पहल १८९५ ई में मिला। नैटाल-निवासी भारतीयों के हकों के हिमायती के नाते वे प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे। और मैंने गैर-यूरोपियन लोगों की हितकामना एव भारतीय दर्शनशास्त्र की जिज्ञासा से प्रेरित होकर उनसे पत्रव्यवहार शुरू कर दिया था। फल-स्वरूप उन्होंने डर्वन स्थित अपने मकान पर मुझे मिलने के हेतु बुलाया। अवश्य ही कुछ विलंब से मैं गया, किंतु इस प्रकार उनसे संपर्क स्थापित करने का जो सुअवसर मुझे मिला उसे मैं अपने जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना मानता हूँ।

आज भी वह कक्ष, जहाँ हम पहली बार परस्पर से मिले एव जहाँ के एक कोने में रखी हुई आरामकुर्सी पर बैठकर हमारे बद्ध भिन्न नाशर उस समय गहरा काला चिस्ट पी रहे थे, मेरी आँखों के सामने साफ झलक रहा है। उस समय हमारा जो वार्तालाप हुआ वह विस्तार से तो अब मुझे याद नहीं है, किंतु इतना अवश्य याद आता है कि मैं गीता एव तदनुपगिक दार्शनिक और धार्मिक विषयोपर चर्चा करने चाहता था, जब कि गांधीजी राजनीतिक-सघर्ष सबधी विचारों में लवलीन दिखाई दिये। नाशर दर्शन-शास्त्र के उत्कृष्ट ज्ञाता होने पर भी उस समय अस्वस्थ थे। हमारे वार्तालाप में वे कब और कैसे शामिल हुए यह तो अब याद नहीं, लेकिन इनना याद आता है कि वे गांधीजी की ओर मुड़कर उनसे बोले, "अब सत्रमुच में आप तर्कशास्त्र का अध्ययन आरभ कर दे।"

बोअर-युद्ध के बाद गांधीजी ने नैटाल छोड़कर ट्रांसवाल रहने जाना तय किया। तब मैंने पूर्व की ओरके एक उपनगर में उन्हें किराये का मकान दिलवाया। इस 'काले' किरायेदार के आगमन पर वहाँ थोड़ी गडबडी पैदा हो जाने की बात मुझे आज भी याद है।

लगभग इसी 'समय गांधीजी ने कुछ दिन के लिए किसी होटल में रहने की इच्छा प्रकट की। उन दिनों हीथ का होटल विशेष रूप से प्रसिद्ध होने के कारण मैं इस संबन्ध में उन से मिला। खूद हीय भला आदमी था, और गाहक भी उसके ऊँचे दर्जे के होते थे। चूनाँचे हमारे प्रस्ताव के कारण वह पशोपेक्ष में पड़ गया। जहाँ एक ओर अपने होटल में गांधीजी के रहने का प्रबन्ध करने की उसकी इच्छा थी, वहाँ दूसरी ओर इसके सभाव्य परिणामों से वह भय खा रहा था। सोचता था कि एक भारतीय को अपने होटल में स्थान देने से बड़े गाहक विगड़ खड़े होंगे। सोचकर हमने आपस में ही इसका निपटारा कर लिया। और वह यही कि गांधीजी होटल के सार्वजनिक भोजन कक्ष में भोजन न कर लावी में करे। सदा की भौति इस वार भी गांधीजी ने असाधारण समझदारी का परिचय दिया। हम दोनों ने साथ साथ भोजन किया, और इस प्रकार 'बड़े गाहक' हमारे साहचर्य के कारण होनेवाली अपनी मानहानि से बच गये।

व्यावसायिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि विविध कारणों से कई वर्षतक हमारा एक-दूसरे से संबन्ध बना रहा। उस समय के गांधीजी का यदि वर्णन करना हो तो मैं 'इन तीन शब्दों में वह कर्तुंगा-माधुर्य, ज्ञान और आनन्द। उनसे अधिक सत्रिय व्यक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती। किन्तु उनका सारा कामकाज, जैसा कि मैं जानता हूँ, सात्विक वृत्ति से प्रेरित होकर ही किया जाता था, जिससे उनके कट्टर विरोधियों पर भी उसका प्रभाव पड़ता रहा। अवश्य ही इसका यह अर्थ नहीं कि गांधीजी को कोई भी बेवकूफ बना सकता था। विपरीत इसके वे अपरिमित धमाशील जोर सहिष्णु वृत्ति के होने पर भी छत्र-कण्ठ, धोखापड़ी जोर हेतुभास उनकी दृष्टि से प्रायः छूट न पाता था।

दक्षिण अफ्रीका के 'कुरधोत्र' में हर घड़ी व्यस्त रहने पर भी मक्क-प्रस्ताओं को सलाह देने या उनकी सहायता करने के लिए उनके पास समय ही कभी कभी न रहती थी, हालाँकि बहुत में लोग इन बातों को मामूली नमन कर ज़रूर ही उड़ा देते। उनकी परिचित एक ऐसी महिला थी जो कि अपने परेडू जमा-सर्च में कभी मेल ही न बँटा पाती थी। तब गांधीजी ने उनके दूध सर्च में बटौती कर यह मेल बिटा दिया। किसी को कोई भी जावदस्ता उन्होंने अपने लगे कभी मामूली नहीं मानी।

हम दोनों का एक दोस्त हमेशा कहा करता था कि वह जब चाहे तब सिगरेट पीना छोड़ दे सकता है। एक दिन की बात है कि सिगरेटों का उसका पाकिट मेजपर पड़ा हुआ था, और पास ही हम तीनों साथी बैठे हुए थे। सहसा गांधीजी ने उससे पूछा, "क्या इसी क्षण से सिगरेट पीना छोड़ सकोगे?" "जहर!" उसका जवाब रहा। "तो यही सही," कह कर गांधीजी ने उक्त पाकिट उठा लेने के मिस अपना हाथ बढाना चाहा। लेकिन ब्याल रहे कि पाकिट की ओर पहले हमारे दोस्त का ही हाथ पहुँचा, न कि गांधीजी का। गांधीजी मुसकरा दिये।

मैंने गांधीजी को लोगों की लबी, मीठी और हेत्वाभासपूर्ण दलीले धैर्य के साथ सुनते हुए देख लिया है। वे न तो कभी उन्हें बीच में टोकते थे, और न उनकी बात पूरी हुए बिना खुद की बात छेड़ने की ही उनकी आदत थी। वे विपक्षी को बोलने का पूरा अवसर देते थे। और इसके बाद दो या तीन भाषिक प्रश्नों द्वारा विपक्षी की सारी दलीलों का खोखलापन सिद्ध कर देते थे।

सगीत विषयक गांधीजी की अभिरुचि अत्यंत अभिजात थी। सगीत के नामपर प्रचलित आजकल के अनेक वाद्यों को वे ज़रूर ही बेकार करार देते। एक दिन सध्या समय हमारे एक मित्र के घर गाने-बजाने का कार्यक्रम रखा गया था। इसके लिए चुने गये गीत थे तो अच्छे ही, किंतु उनमें कोई धार्मिक गीत नहीं था। गांधीजी को, जो कि इस समारोह के प्रमुख अतिथि थे, अपनी रुचि के अनुकूल कोई गीत चुनने के लिए कहा गया। उन्होंने 'Lead Kindly Light' चुना। तदनुसार वह गाया गया। किंतु ऐसा लगा कि उनकी इस अभिरुचि में अन्य उपस्थित महानुभाव सहभागी नहीं हो सके हैं।

सत्कार-समारोहों और अभिनदन-पत्रों की तो उनपर मानो वर्षा ही होती रहती थी। इनमें गांधीजी की सेवाओं के प्रति कृतज्ञता-प्रकाश का कितना अंश रहता होगा, और कितना तो स्थानीय नेताओं की जात्म-प्रसिद्धि की लालसा का, इसकी चर्चा न करना ही उचित है। ऐसे ही एक प्रसंग पर गांधीजी को एक बड़ी-सी सोने की घड़ी मय चैन के

भेंट-स्वरूप दी गई। उसका स्वीकार करते समय गांधीजी के चेहरे पर जो भाव दिखाई पड़ा था वह आज भी मुझे याद है। आज की भौति उन दिनों भी स्वर्ण-विभूषित गांधीजी कल्पना के सर्वथा परे थे। शोक के खातिर अपने लिए एकाध नया सूट सिलाने के लिए (और कई बार इसकी सख्त जरूरत होने पर भी) हम उन्हें कभी राजी न कर सके। मैं सोचता हूँ कि उन्हें उपहार-स्वरूप मिलनेवाली दूसरी चीजों की भौति ही उपरोक्त घड़ी भी सार्वजनिक निधि में जमा हुई होगी। फिनिक्स वस्ती, एव 'इंडियन ओपीनियन' पत्र और प्रेस जिस भवन में है उसकी स्थापना भी मुख्यतया गांधीजी की इसी निस्वार्थी वृत्ति के कारण हुई। धन के वास्तविक विनियोग का केवल एक ही मार्ग वे जानते थे, अर्थात् जनसेवा और जनोन्नति। अधिकतर अपनी इस आदर्श वृत्ति, न कि सुस्वभाव, के कारण ही उन्हें जनता द्वारा सार्वजनिक सेवाकार्य के निमित्त रुपया-पैसा मिलता रहा।

उनके सविनय अवज्ञा-आंदोलन का इतिहास इतना सुप्रसिद्ध है कि उसका पुनरुच्चारण करने की कोई आवश्यकता ही नहीं मालूम होती। नैटाल की कोयले की खानों से लेकर ट्रांसवाल तक निकलनेवाले हम लोगो के मोरचों में खुद के हाथा पावरोटियों बौटनेवाले गांधीजी की तस्वीर आज भी मेरी आँखों के आगे साफ झलक रही है। गजब की हम लोगो की सेना होती थी! इसके चंद वर्ष बाद पूर्वी अफ्रीका के जिन पजाबी हड़ताली रेल-मजदूरों का नेतृत्व करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ उनकी सेना भी बहुत कुछ ऐसी ही थी।

गांधीजी व्यायाम के शौकीन थे। "चलो! जरा घूम जायें," वे कहते थे, और हम द्रुत गति में उनके साथ घूमने के लिए निकल पड़ते थे। ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडियन कमिटी के कार्य के सिलसिले में उनका लंदन पधारने पर भी यह प्रेम भंग नहीं हुआ। गांधीजी व्यायाम का मानो भूने ही होते थे।

ग्लन देशभक्ति के आवेदा में आकर स्वतः पर हमला करनेवाले यूझे मीर जालम को उनके द्वारा धमा की जाने की बात, मैं समझता हूँ, लग मुन ही चुके हैं। जैसा कि मैं जानता हूँ, यह उन अनेक प्रसंगा

में से एक था, जब कि गांधीजी ने यह कहकर, कि “जाओ भाई, पुनः कभी ऐसा दुष्कृत्य न करना,” अपराधी को विदा किया है।

मैं सोचता हूँ कि इस अपूर्ण स्मृति-कथा की समाप्ति के पहले गांधीजी के एक विशिष्ट गुणपर प्रकाश डालना सर्वथा उचित रहेगा। यह गुण है उनकी सेवावृत्ति! वे सदा एक सेवक ही रहे।

प्रसिद्धि प्राप्त या भावी कार्यकर्ताओं और प्रमुख अभ्यागतों के सम्मान में समय समय पर आयोजित दावतों एवं स्वागत-समारोहों के अवसर पर गांधीजी ने अक्सर साधारण कामों में ही, जैसे रसोईघर के काम में मदद देना, अतिथियों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देना आदि,— हाथ बँटाया है। उन्होंने लोगों के सामने आने, या उनका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने की कभी चेष्टा नहीं की। उन दिनों भी वे दीनहीनों के साथ वैसे ही एकरूप हुए, जैसे कि इधर हरिजनों के साथ होते रहे हैं। यदि आज तक किसी व्यक्ति ने ‘सेवक’ शब्द की सही व्याख्या कर उसकी प्रतिष्ठा कायम रखी हो तो वह एकमात्र गांधीजी ही हैं। अतः अपने सभी परिचितों के वे सम्मान-भाजन बने हो तो उसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं।

मैं स्वयं गांधीजी का चिरऋणी हूँ। मुझ जैसे साधारण व्यक्तियों से उनका जो स्नेहसंबंध रहा उसका हर्मन कैलनवेक से बढ़कर अच्छा वर्णन अन्य किसी ने न किया होगा। वह गांधीजी को ‘Upper House’ कहा करते थे, और खुद को ‘Lower House.’

जोहन्सबर्ग,

२५-३-१९४६

गांधी-रोलॉ भेंट के कुछ संस्मरण

मादेलीन रोलॉ

सन् १९३१ ई में, लंदन की गोलमेज-परिषद् में भाग लेकर लौटती वर, गांधीजी ने मेरे भाई की जो मुलाकात ली, उसे मैं अपने जीवन की एक बहुमूल्य स्मृति मानती हूँ। उन दिनों हम विलन्येव के निकटस्थ लेमन झील के पूर्वी छोर पर के एक मकान में टिके हुए थे। विलन्येव स्विट्सर्लैंड में है। कई दिनों से हम इस भेंट की प्रतीक्षा में थे, और कई बार इस सबध में हमारी निराशा भी हो चुकी थी। इसीलिए यह तार मिलने पर, कि ६ दिसबर को गांधीजी विलन्येव पधार रहे हैं, हमारी खुशी का कोई ठिकाना न रहा।

विलन्येव से दस मिनट के फासले पर के दो मकान हमने किराये पर ले रखे थे। एक विशाल पार्क में स्थित इन दोनों मकानों को उनके इर्दगिर्द के दो छोटे छोटे बगीचों ने परस्परसे अलग कर रखा था। इनमें से उस मकान में, जो सड़क से अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर था, गांधीजी एव उनके दल के लोगो के रहने का प्रबध किया गया था। इसमें हेतु यही था कि वे किसी भी प्रकार के निर्वध से पूर्णतया मुक्त रहें।

रविवार, ता. ६ दिसबर को सध्योपरात पैरिस की ओर की ट्रेन से गांधीजी का आगमन हुआ। खॉसी की बीमारी से पीडित होने के कारण भाईसाहब अपने इस श्रद्धास्पद मित्र के स्वागतार्थ स्टेशनपर न जा सके। लेकिन वीला लापोनेट की देहलीपर वे उनकी बराबर बाट जोहते रहे, और अपने चद भारतीय एव यूरोपियन मित्रों समेत शुभ्र शाल ओढे हुए गांधीजी के पधारते ही दोनों भुजाएँ फैलाकर आगे बढ़े। तब गांधीजी ने अपना गाल उनके कंधे में गडाते हुए श्वातृभाव से उनका आर्लिगन किया। बड़ा ही मर्मस्पर्शी दृश्य था। पारस्परिक कुशलक्षेम पूछा जाने के बाद हम अपने इम जतिथि को दुमजिले पर के कमरे में ले गये। साजसामान से शून्यप्राय यह कमरा उन्ही के लिए सुरक्षित

रखा गया था। इसकी एक खिड़की से झील दिखाई देती थी, जब कि दूसरी दो खिड़कियों से सेवाय के सुंदर आल्पस्, एव 'देत दू मिदी' की हिमाच्छादित चट्टानों की पार्श्वभूमि पर खुलकर दिखाई पड़नेवाले हों के विस्तीर्ण दर्रे का दर्शन हो जाता था। ऐसा यह स्थान था जहाँ कि १ दिसंबर तक वे रहनेवाले थे। यही सुबह-शाम की उनकी प्रार्थनाएँ होने वाली थी, और यही चरवा चलानेवाले गांधीजी से भेंट करने के हेतु विभिन्न वशों व श्रेणियों के लोगों का तौता बंधनेवाला था। गांधीजी के सुपुत्र देवदास, शिष्य एव सेक्रेटरी-द्वय महादेव देसाई व प्यारेलाल, और भगतिन मीरा के, जो कि उनकी आवश्यकताओं की ओर ध्यान देते थे, रहने का प्रबंध अलग कमरे में किया गया था।

अब तो निश्चय ही खत-पत्र, तार व फोन, एव संदेशों का तौता बंधेगा। कभी तो लोझेन-निवासी उन्हें अपने आश्वासित व्याख्यानो की याद दिला रहे हैं, तो कभी जिनेवावासी उनके कार्यक्रम में स्वतः को दूसरा स्थान मिलने के कारण निराश होकर जिनेवा में आयोजित प्रचंड सभा में अविलंब उपस्थित होने का उनसे आग्रह कर रहे हैं। फिर सवाददाताओं की भीड़ लग जाती है। उनमें से अधिकांश इस महा-पुरुष के वास्तविक जीवन और शिक्षाओं से सर्वथा अनभिज्ञ हैं। अहिंसा के कतिपय कट्टर उपासक इन सबसे बढ़कर हैं। इनमें से कई तो केवल जिज्ञासावश ही आये हैं। वे गांधीजी से मुलाकात माँग रहे हैं। और उनकी सेवा करने के सबंध में भी इन महानुभावों की आपस में होड़ लगी हुई है। दो पादरियों ने अपनी मोटर गांधीजी के हवाले की है, ताकि वे अपने इस मुकाम में आवश्यकतानुसार उसका उपयोग कर सकें। एक युवा वादक प्रतिदिन प्रातःकाल उनकी खिड़कियों के नीचे बैठकर सारंगी बजाया करता है। एक जापानी चित्रकार उनके रेखाचित्र तैयार करने के हेतु पैरिस से दौड़ा दौड़ा चला आता है। पाठशाला के बालक उन्हें पुष्पगुच्छ अर्पित करते हैं। उनकी विदाई की पूर्व रात्रि को विलन्येव के गायकगण उन्हें उद्यान में लोकप्रिय गीत गाकर सुनाते हैं, जिनमें से एक सुप्रसिद्ध 'रा दे वाच' है। राष्ट्रभक्ति और अपने घर के प्रति आकर्षण से ओत-प्रोत यह गीत किसी भी स्विस् के लिए अपने राष्ट्रगीत से भी बढ़कर हृदयस्पर्शी है। और एक बात

भुलाई नहीं जा सकती। गाधीजी के आगमन के पहले ही लेमान स्थित म्वालो के एक सध ने हिंदुस्तान के इस 'वादशाह' के लिए दूध का प्रबंध करने की अपनी मनीषा फोन द्वारा व्यक्त की है।

इस सारी बाह्य गड़बड़ी के बीच भी गाधीजी शांत और प्रसन्नचित्त रहते हैं। हर एक कार्यक्रम में वे ठीक समय पर उपस्थित हो जाते हैं। और फिर भी रोज़ तड़के, या दिनभर में जब कभी फुरसत मिलती है तब, निष्ठावत मीरा के साथ खली जगह में दौड़ लगाने के लिए निकल पड़ते हैं। तब झाड़झखाड़ो में पहले से छिपकर बैठे हुए फोटोग्राफर्स उनका पीछा करने लगते हैं, जिनका कि ब्रिटिश एव स्विस पुलिस गाधीजी की रक्षा करने के बहाने साथ देती है। बुधवार को मध्याह्नोपरात वे किसी पहाड़ी गाँव में रहनेवाली एक बूढ़ा से मिलने के लिए मोटर द्वारा जाने की इच्छा प्रकट करते हैं। पूर्वाश्रम की मीरा, याने मादेलीन स्लेड, जब विलन्येव स्थित हमारे घर आया करती थी तब इस महिला के साथ उसका परिचय हुआ था। यह महिला वस्त्र-स्वावलंबी है, याने खुद कातती-बुनती है। इसीलिए उससे हाथ मिलाने, एव उसके करघे के पास बैठकर उसके साथ वार्तालाप करने में गाधीजी ने प्रसन्नता अनुभव की। यहाँ से वे लेजिन यूनिवर्सिटी सैनिटोरियम में पहुँचे, और उक्त सस्या के विद्यार्थियों को उद्देश्य कर उन्होंने सक्षिप्त भाषण किया।

लेकिन इन बहुतसारी बातों के बावजूद रोमों रोलों के साथ होनेवाली अपनी प्रतिदिन की मुलाकातों को वे प्राथमिकता देते हैं, और इसके निमित्त दो-तीन घंटे विशेष रूप से सुरक्षित रखते हैं। क्या एकमात्र रोलों के कारण ही इस ओर उनका आगमन नहीं हुआ है? इसीलिए कभी सवेरे, तो कभी शाम के वक़्त, मेरे भाई से भेट करने के हेतु वे अपने बगले का बगीचा लॉघ कर वील ओल्गा के फाटक के भीतर प्रविष्ट होते हैं। रोलों का स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से गाधीजी उन्हें सर्दी-पानी से बचाते रहते हैं। इसके बाद मेज़ के पास बैठे हुए रोलों और चौकीपर आसनबद्ध विराजमान् गाधीजी का वार्तालाप इस प्रकार शुरू हो जाता है कि माना उभय पुरुष एकातवास कर रहे हों। क्योंकि वहाँपर उपस्थित हम शेष सब, याने मीरा, महादेव, प्यारेलाल, मेरी भावी भोजाई

और मैं सुद, चुपचाप सिर्फ सुनने का ही काम करते हैं। वार्तालाप के नोट लेना एव बुलाया जानेपर दुभाषिये का काम करना इतना ही हमारे जिम्मे है। मेरे भाई गांधीजी को यूरोप की शोचनीय स्थिति का वर्णन सुनाते हैं। कहते हैं, तानाशाहों के पैरातले कुचले जानेवाले लोगों की दशा बड़ी ही दयनीय है। गुमनाम और वेरहम पूँजीवाद की जज़ीर तोड़ डालने के लिए सर्वाहारा वर्ग ने अपने प्राणा की बाजी लगा दी है, और न्याय एव स्वाधीनता की भावनाओं से प्रेरित इस वर्ग के लिए अब हिंसा और विद्रोह का सहारा लेने के अलावा अन्य कोई चारा ही नहीं रहा है। स्वभाव, शिक्षा-दीक्षा एव परंपरा आदि सभी दृष्टियों से पश्चिम की जनता अभी अहिंसा-धर्म आचरने योग्य नहीं बनी है।...” सुनकर गांधीजी विचारमग्न हो जाते हैं।

किंतु, उत्तर देते समय, अहिंसक शक्ति के प्रति अपनी अटल श्रद्धा का वे पुनरुच्चार करते हैं। फिर भी इतना तो वे जानते ही हैं कि यूरोप में विश्वास की भावना निर्माण करने के लिए अहिंसा के और एकाद सफल प्रयोग द्वारा प्रत्यक्ष प्रमाण देना होगा। क्या भारत इस प्रकार का प्रमाण उपस्थित कर सकेगा ? आशा तो वे ऐसी ही करते हैं। इस मंत्रीपूर्ण वार्तालाप के दरमियान कई ज्वलंत समस्याओं पर चर्चा होती है, और खुले दिल से होती है। इन समस्याओं के अंतिम निर्णय के सबंध में उनमें क्वचित् मतभेद हो जानेपर भी मानवता के प्रति प्रीतिभाव, पीड़ितों को कष्टमुक्त करने की लालसा, सत्य को उसके अनगिनत पहलुओं द्वारा देखने की उत्कट अभिलाषा आदि अपने समसमान गुणों के कारण इन उभय पुरुषों की हृदयत्रियों की पारस्परिक तन्मयता में कभी बाधा उपस्थित नहीं होती।

स्विस शांतिवादियों की ओर से मंगलवार, ता ८ और गुरुवार, ता १० को क्रमशः लोजेन एव जिनीवा में एडमंड प्रिवैंट और पियर सेरेज़ाल की अध्यक्षता में सार्वजनिक सभाएँ आयोजित की जाती हैं। इनके निमित्त ली गई मोटर का उपयोग न कर गांधीजी सदा की भौति रेल के तीसरे दर्जे में सवार होकर लोजेन पहुँचते हैं। उनका भाषण सुनने की उत्सुकता से अपार जनसमूह यहाँ उनकी प्रतीक्षा करता रहता है। सभास्थान पर

उपस्थित लोगों द्वारा पूछे गये विभिन्न प्रश्नों के गांधीजी जो उत्तर देते हैं उनका उत्साहपूर्वक स्वागत किया जाता है। क्योंकि कई दृष्टियों से वे असाधारण रूप से वैशिष्ट्यपूर्ण हैं। जैसे, सूत्रबद्ध, समयानुरूप, सरल और अत्यंत स्पष्टतापूर्ण। लेकिन लोजेन में आयोजित दो खानगी बैठकें इनसे भी अधिक आकर्षक होती हैं। इनमें से एक तो उनके निजी मित्रों के लिए है। इस बैठक में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सेवा-संघ के संस्थापक पियर सेरेझाल अहिंसा के आचरण संबंधी अपना दृष्टिकोण उपस्थित करते हैं। वे मानते हैं कि एक निष्ठावान् नागरिक के नाते मनुष्य के जो कर्तव्य हैं उनके साथ युद्ध एवं शस्त्रविरोधी संघर्ष का समन्वय स्थापित किया जा सकता है। कहते हैं, कि इन विनाशक और अहितकर शक्तियों का अवश्य ही विरोध किया जाना चाहिये। किंतु चूँकि राष्ट्र हमारी रक्षा करता है इसलिए हम कभी उसके उच्छ्रय नहीं हो सकते। इसीलिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आपत्तियों के शिकार बननेवाले लोगों के सहायताार्थ हमें प्रतिज्ञाबद्ध हो जाना चाहिये। इसी उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सेवा-संघ की स्थापना की गई है। विपरीत इसके शस्त्रवादी सरकार के विरुद्ध गांधीजी के पास केवल एक ही उपाय-योजना है;—अर्थात्, संपूर्ण असहयोग। इस प्रकार एक शुद्धात्मा को, अपनी अपरिमित नम्रता और निष्ठा के बावजूद, इस दुसह आंतरिक संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है।

दूसरी खानगी बैठक स्वित्सर्लैण्ड स्थित शांतिवादियों के प्रतिनिधियों के लिए आयोजित की जाती है। एक गिरजाघर में वह होती है। वातावरण वहाँ का धार्मिकता से व्याप्त है। गांधीजी द्वारा अपने अनुभवों, एवं 'ईश्वर ही प्रेम है' की व्याख्या से लेकर 'ईश्वर ही सत्य है', और अतः 'सत्य ही ईश्वर है' की व्याख्या तक अपने विचारों में समय समय पर हुए परिवर्तनों पर प्रकाश डाला जाने के साथ ही यह वातावरण अधिकाधिक धार्मिक बनता जाता है।

इस बीच लोजेन की सार्वजनिक सभा में उद्धोषित विचारों की प्रतिक्रियाएँ प्रकाश में आती रहती हैं। सारे स्वित्सर्लैण्ड में, और अन्यत्र भी, गांधीजी के भाषण की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। उनके कतिपय उद्गारों के कारण संकुचित मनोवृत्ति के सनातनियों में भय की भावना घर कर लेती है। इसी समय गांधीजी दो स्विस पत्रों के विरुद्ध, जिन्होंने कि उनके

कुछ उद्गारो एव तद्विषयक उद्देश्यो की विपर्यस्त व्याख्या की है, निषेध प्रकट करने का साहस दिखाते हैं। यह क्षम्य नहीं माना जाता। फलतः वे शेष चद पत्रकार भी, जो कि अवतक अधिकांशतः गांधीजी के अनुकूल रहे, रात ही रात में उनके प्रति अपना रुख बदल देते हैं। परिणाम-स्वरूप, जिनीवा में आयोजित सभा लोजेन की सभा के वातावरण से सर्वथा शून्य दिखाई पड़ती है। किन्तु गुरुवार, ता. १० दिसंबर को विक्टोरिया हॉल के विशाल एम्फी थियेटर में श्रोताओं की भारी भीड़ लग जाती है। स्पष्ट ही है कि परस्पर-विरोधी प्रवृत्तियों के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इनमें पूँजीवादी, शस्त्रवादी आदि वर्ग के जो लोग आये हैं वे गांधी-विरोधी हैं। समाजवादी सशक्त एव जिज्ञासू वृत्ति से उपस्थित हुए हैं, और चाहते हैं कि गांधीजी सामाजिक समस्याओं पर बोले। रहे कुछ शांतिवादी, जो कि गांधीजी के अनुयायी ही ठहरे। उपस्थित किये गये अधिकांश प्रश्न ऊपरी तौरपर सरल दिखाई पड़ने पर भी वस्तुतः गांधीजी को शब्दजाल में फँसने की बुद्धि से ही पूछे गये हैं। किसी ने स्वित्सर्लैण्ड जैसे तटस्थ राष्ट्र का उदाहरण पेश करते हुए पूछा, “स्वतंत्र परराष्ट्र द्वारा आक्रमण किया जानेपर वह कौनसी नीति बरते? क्या वह आत्मरक्षा न करे?” और अगर करनी हो तो, क्या इसके लिए सैन्यबल आवश्यक नहीं? निश्चल किंतु निश्चयी स्वर में गांधीजी बोले, “सैन्यबल निरर्थक है। यहाँ के सभी नागरिक, याने स्त्री-पुरुष, आवाल-वृद्ध आदि सभी, यदि शत्रु के विरुद्ध अपनी देह की दीवार खड़ी कर दें तो वह काफी है। और अगर आक्रमक राष्ट्र इतना बर्बर बन गया कि इन सबको मौत के घाट उतार दे, तो कम से कम इनकी मौत अवश्य ही सुफल देगा।”

दूसरा सवाल वर्ग विग्रह के सबध में था। इसके जवाब में गांधीजी बोले, “श्रमजीवी खुद ही अपनी ताकत से अनजान है। अगर उन्हें इसका भान होकर वे जग पड़े तो पूँजीवाद की इमारत ज़रूर ही ढह जायगी। क्योंकि ससार में एकमात्र श्रम ही शक्तिशील है।”

सुनकर उच्च वर्गीय श्रोताओं का जो जलने लगता है, हालांकि अधिकांश श्रोतागण तालियों बजाकर गांधीजी के उक्त उद्गारों के प्रति अपनी सम्मति ही प्रदर्शित कर देते हैं।

यदि इस प्रकार के वक्तव्य अधिकारी-वर्ग को आपत्तिजनक दिखाई दें, और समाचार-पत्र भी इनसे चिढ़कर उन्हें खरी-छोटी सुनावे तो इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं। अगर अगले ही दिन गांधीजी वहाँ से विदा न होते तो अवश्य ही उन्हें वहाँ से निष्कासित किया जाता।

अविश्रात परिश्रमी गांधीजी, तीसरे दर्जे के कड़े बेचपर कुछ मिनट नीद निकालकर, साध्य-प्रार्थना से पहले रोलों से पुन. भेंट करने के हेतु उसी दिन विलन्धेव लौट आये। रोलों की सुविधा के लिए इस वार की मुलाकात वीला ओला के निचले कमरे में ही हुई। प्रार्थना के समय गाये गये अतिम भजन द्वारा निर्मित निस्तब्धता के बीच मेरे भाई, गांधीजी, मीरा एव मं खुद रोलों के संगीतकक्ष में पहुँचे। वहाँ महात्माजी के अनुरोध पर रोलों ने पियानो पर वीथोवेन की 'गत', याने उस श्रेष्ठ संगीतज्ञ की धर्मनिष्ठ अतरात्मा की निशब्द प्रार्थना, हमें सुनाई। वीथोवेन के द्वारा ही मीरा का रोलों से परिचय हुआ है, और इस लिए वास्तवमें वीथोवेन के कारण ही मीरा जैमी निष्ठावान् शिष्या स्वतः को प्राप्त हो सकी, यह बात गांधीजी जानते थे। और इसी लिए उन्होंने उक्त अनुरोध किया।

दूसरे रोज, याने शुक्रवार ता. १० दिसबर को, कोई दो-तीन दिन अदृश्य रहने के बाद सूरज निकल आने से आसपास का सारा प्रदेश चमक उठा। फलतः आज पहली ही वार हमारे अतिथि को जगमगाती हुई झील एव हिमाच्छादित शैल-शिखरो का दर्शन हो सका। उस दिन प्रातःकाल इन उभय महापुरुषों की आखरी मुलाकात हुई। अबतक की सारी भेंट-मुलाकातों की अपेक्षा यह अधिक आत्मीयतापूर्ण रही। इसके बाद विदाई की तैयारियाँ होने लगी। सुसकिस्मती से उस दिन हवा ठीक होने के कारण भाई स्टेशनतक जा सके। हमारे निवास-स्थान के सामने के चौक में गांधीजी को विदा करने के हेतु कई जिज्ञासू एवं उनसे सहानुभूति रखनेवाले लोग, और साथ ही उनके इष्टमित्र भी इकट्ठा हुए थे। त्रिण्डिसी में जहाज पर सवार होने से पहले रोम में मुकाम करने की गांधीजी की इच्छा थी। भाई ने उन्हें फासिस्टो के दौबपेंच एव युक्तिप्रयुक्ति से फिसी को भी फौसने की नीति से सावधान करा दिया।

साय ही रोम स्थित अपने एक ऐसे मित्र द्वारा, जिसका आचरण सन्देश के सर्वथा परे एव चारित्र्यसंपन्न है, गांधीजी को निमंत्रण प्राप्त होने की व्यवस्था भी वह कर देते हैं।

और हम खड़े हो जाते हैं, इन मित्रों की बगल में, जो कि अब हमसे विदा होने ही वाले हैं। चित्त हमारा इस विचार से विपण्ण हो जाता है कि बहुधा इहलोक में एक-दूसरे से पुन कभी हम मिल न सकेगे। किंतु, दूसरे ही क्षण, विधाता को धन्यवाद देते हुए मन ही मन हमने कहा कि उसी की कृपा से तो उनके सहवास में चंद दिन बिताने, उनके उज्ज्वल साहचर्य की अनुभूति प्राप्त करने, एव महादेव, प्यारेलाल, देवदास सरीखे आत्मिक बधुओं के स्नेह से परितुष्ट होने का सौभाग्य हमें मिल सका.....

फिर गांधीजी मेरे भाई के निकट आते हैं, उनसे गले मिलते हैं, और अपने डिब्बे में सवार हो जाते हैं। डिब्बे के भीतर से हाथ हिलानेवाली मीरा की ओर हम देरतक ताकते रह जाते हैं। और ट्रेन चल देती है, हमारे इस सुहृद को लेकर उस भवितव्य की दिशा में, जो कि सासारिक अग्निपरीक्षाओं एव आत्मिक विजयों से भरा हुआ है।

पेरिस,

१४-२-१९४६

जब गांधीजी बंगाल पधारे

नलिनी रंजन सरकार

महात्मा गांधी से अपना निकट संपर्क स्थापित करनेका सर्वप्रथम सुअवसर १९२५ के मई-जून में मुझे मिला। तब वे बंगाल के दौरेपर निकले थे। बंगाल के विभिन्न जिलों का उनका भ्रमण अभी चल ही रहा था कि बंगाल एवं समूचे भारत पर आफ़त का पहाड़ टूट पड़ा। देशबधु दास सहसा चल बसे! यह दुःखद समाचार मिलते ही महात्माजी अविलंब कलकत्ते लौट आये, और दासबाबू के बगलेपर ही टिके। यह बंगला देशबधु ने एक ट्रस्ट द्वारा राष्ट्र के नाम अर्पित कर दिया था।

देशबधु के स्मारक-स्वरूप उक्त ट्रस्ट के लिए निधि-संग्रह करने, एव उनकी मृत्यु के कारण बंगाल के राजनीतिक जीवन में जो नई नई समस्याएँ पैदा हुई थी उनके निराकरण के काम में गांधीजी जुट गये। अपनी मृत्यु के समय देशबधु कलकत्ता कार्पोरेशन के मेयर, बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमिटी के सभापति, एव बंगाल की धारासभा में स्वराज्य-दल के नेता थे। इस त्रिविध कार्य का उत्तरदायित्व वहन करने के लिए गांधीजी ने स्वर्गीय जे. एम्. सेनगुप्त को चुना।

लगभग इन्हीं दिनों एक बार सहज भाव से गांधीजी ने मुझसे पूछा "सवेरे साधारणतया किस वक्त आप जग जाते हैं?" इस प्रश्न का कोई पूर्वापर सबध न होने के कारण मैंने सोचा कि वह निरुद्देश्य ही पूछा गया है। अतः बोला, "जल्दी ही सोकर उठने की मेरी आदत है।" इसपर उन्होंने कहा, "तो फिर कल भरसक जल्दी जग कर मेरे साथ घूमने चले आना।" और पुनः बोले, कि वे मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। उस समय उनके अधिक कुछ न कहने के कारण मैं असमजस्य में पड़ गया। यह बातचीत देशबधु के घर सवेरे के वक्त हुई थी। सयोग से उसी दिन शामको, जब कि महात्माजी श्रीमती वासुतीदेवी के घर से निकल रहे थे, सीढी के पास उनसे मेरी मुलाकात हुई। तुरत मुझसे वे बोले, कि जिस बात की मेरे साथ चर्चा करने का उनका इरादा रहा उसका निबटारा हो जाने की वजह से अब अगले दिन सवेरे मेरा आना जरूरी नहीं है। इसके बाद उन्होंने उस बात का मुझसे जिक्र भी किया। बात यूँ हुई कि बंगाल के एक ख्यातनाम व्यक्ति ने, जो कि उसी समय वायसराय की कार्यकारिणी का सदस्य नामजद किया गया था, अपने कतिपय दोस्तों के कहने-सुनने से, मेरे विरुद्ध गभीर स्वरूप के अभाव-अभियोग लगाते हुए गांधीजी से शिकायत की थी। जवाब में गांधीजी बोले कि केवल सुनी-मुनाई बातें सही मानने के लिए वे तैयार नहीं, इसके लिए सबल प्रमाण देना होगा। इस प्रकार का प्रमाण प्राप्त होनेपर मुझ से जवाब तलब करने के हेतु ही गांधीजी ने अगले दिन प्रातः मुझे मिलने के लिए बुलाया था। वित्तु इसके बाद उक्त महाशय पुनः गांधीजी से मिल कर बोले, कि चूंकि

अपने मित्र आरोप सिद्ध करने में अममर्थ है, इस लिए 'एक सभ्य पुरुष के नाते'—उनके प्रति ये शब्द गाधीजी द्वारा प्रयुक्त किये गये हैं—वह क्षमा-प्रार्थी है। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने मेरी भी क्षमा-याचना करने की इच्छा प्रकट की। इस पर गाधीजी उनसे बोले, "इस निमित्त मैं उन्हें ही आप के घर ले आनेवाला हूँ।" सुनकर हृदय मेरा भर आया। गाधीजी से मैं बोला, "ऐसी निंदा का अब मैं अभ्यस्त हो गया हूँ। अलावा इसके मैं ऐसा कोई बड़ा आदमी भी नहीं हूँ कि उक्त महाशय मुझ से क्षमायाचना करे।" फिर भी गाधीजी अपने सग उनके घर चलने के लिए मुझसे आग्रह करते रहे। किंतु मैंने कहा कि मैं खुद ही उनसे मिल लूँगा। और तदनुसार मैं मिला भी।

गाधीजी के इसी बग भ्रमण के समय बंगाल धारा सभा के एक स्वतंत्र दलीय प्रमुख सदस्य ने स्वराज्य-दल के विरुद्ध उनसे शिकायत करते हुए कहा कि उक्त दल बंगाल के मन्नि-मंडल को हूराने के हेतु मत खरीदने जैसे अनीतिप्रद मार्ग का अवलंब कर रहा है। अपने कलकत्ते लौटनेपर इस संबंध में देशबधु से तहकीकात करने का गाधीजी ने उन्हें आश्वासन दिया। किंतु दुर्भाग्य से इसी बीच देशबधु का देहावसान हो गया। कुछ दिन बाद, कलकत्ते के अपने मुकाम में गाधीजी ने मुझसे कहा कि मैं, स्वराज्य-दल के प्रतोद एव मंत्री के नाते, उक्त शिकायत करनेवाले सज्जन और उनके सहयोगियों से अपनी उपस्थिति में ही मिलकर उनके अभियोगों का उत्तर दूँ। तदनुसार हमारी बैठक हुई, जिसमें उन लोगों ने कौंसिल के दो या तीन मुस्लिम सदस्यों का नामोल्लेख कर कहा, कि हमने रूपया देकर उनपर अपना प्रभाव डाला है। उत्तर में मैं बोला कि उक्त उभय कौंसिलर्स स्वराज्य दल के सदस्य हैं, और चुनाव एव इसी प्रकार के अन्य प्रसंगों पर उन्हें जो कर्जा हो गया था वह चुकाने के लिए हमने समय समय पर उनकी आर्थिक सहायता की है। किंतु किमी भी विपक्षीय व्यक्ति को, उसका मत प्राप्त करने के हेतु, हमारे द्वारा कभी रूपया-पैसा नहीं दिया गया। तब गाधीजी ने अभियोग्ताओं से पूछा, कि क्या वे स्वराज्य-दल के बाहर के किसी ऐसे व्यक्ति का नाम पेश कर सकते हैं जिसे कि हमारे द्वारा पैसों के बलपर अपने बशवर्ती करने की कोशिश की गई हो? इस प्रकार

का प्रमाण उपस्थित करने में असमर्थ होने के कारण इन लोगों के लिए सिवाय चुपकी साधने के दूसरा कोई चारा ही नहीं रहा। तब गांधीजी ने यह कह कर, कि वास्तविक आवश्यकता के समय अपने सहयोगियों की सहायता करने में कुछ भी अनुचित नहीं है, मामला यही खत्म किया।

निम्न प्रसंग, जिसके बारे में मैं प्रत्यक्ष रूप से जानकारी रखता हूँ, सार्वजनिक धन के प्रति गांधीजी की मनोवृत्ति का उत्तम परिचायक है। देशबधु स्मारक-निधि के लिए धन-संग्रह के कार्य का संगठन करने में वे लगे हुए थे, और इस सिलसिले में उन्होंने कांग्रेस-कार्यकर्ताओं को आदेश दे रखा था कि वे घर घर जाकर चंदा प्राप्त करें। एक कार्यकर्ता ने स्वतः द्वारा एकत्रित निधि में से ६७ रुपये इस कार्य के निमित्त मार्ग-व्यय खाते नाम डाले। गांधीजी ने इसमें आपत्ति प्रकट करते हुए कहा, “स्वतः द्वारा एकत्रित चन्दे की रकम से मार्ग-व्यय का रुपया चुकाना कार्यकर्ता के अधिकार-क्षेत्र के बाहर की बात है। यदि इस प्रकार की हरकतों को छूट मिली तो सार्वजनिक निधि के पावित्र्य की कदापि रक्षा न हो सकेगी।” इस मामले में उन्होंने इतना कड़ा रख अख्तियार किया कि उक्त कार्यकर्ता को अपनी जेब से, या शायद दूसरे किसी उपाय से, वह रकम चुकानी पड़ी।

दास-स्मारक से संबंधित और एक छोटीसी घटना उल्लेखनीय है। किसी बैंक के मैनेजरने उक्त स्मारक-निधि के लिए चंदा एकत्रित करने की इच्छा प्रकट की, जो कि गांधीजी ने मान ली। आगे चलकर दासबाबू के पत्रव्यवहार पर नज़र डालते समय गांधीजी को यह पता चला कि दासबाबू की राय में आर्थिक मामलों में इस सज्जन का आचरण विशेष अच्छा नहीं था। तुरंत गांधीजी ने यह आदेश जारी किया कि इस सज्जन को, चूंकि दासबाबू की राय उसके विरुद्ध रही एव निधि उन्हीं के स्मरणार्थ स्थापित है, चंदा एकत्रित करने का काम न सौंपा जाय।

१९३० के अंत में, जब कि मैं बंगाल सरकार का एक मंत्री था, राज-वदियों की रिहाई के लिए जोरदार आंदोलन छिड़ा। गांधीजी भी इनकी रिहाई के लिए अत्यधिक उत्सुक थे। मैंने उन्हें सूचित किया कि यह प्रश्न गवर्नर के अधिकार-क्षेत्र में होने के कारण यदि इस संबंध में वे गवर्नर, प्रधान-

मनी एव गृह-मंत्री से मिलेंगे तो बेहतर होगा। गांधीजी मेरी राय से सहमत हुए। बंगाल के तत्कालीन गवर्नर सर जान एंडरसन उस समय दार्जिलिंग में थे। चुनौचे अपने कलकत्ते पहुँचनेपर गवर्नर एव मंत्रियों से मिलने के लिए दार्जिलिंग जाना गांधीजी ने स्वीकार किया। लेकिन डॉ. बी. सी. राय ने गांधीजी की स्वास्थ्य-परीक्षा कर फोन पर मुझे सूचित किया कि उनका स्वास्थ्य दार्जिलिंग जैसे पहाड़ी स्थान की यात्रा के अनुकूल न होने के कारण मं सिलीगुरी में गांधी-गवर्नर भेट का आयोजन करें। मैंने सर जान को इस सारी स्थिति से अवगत कराया। तब सर जान को यह बात, कि स्वास्थ्य ठीक न होने की हालत में गांधीजी को सिलीगुरी तक आनेका कष्ट दिया जाय, उचित नहीं लगी, और उन्होंने तय किया कि कलकत्ता स्थित बराकपुर गवर्मेंट-हाउस में ही यह भेट हो। तदनुसार एक पूर्वनिश्चित दिन पर एक पेड़तले दोनों की भेट हुई, और स्थानबद्धों की रिहाई के सबंध में दोनों में देरतक वार्तालाप हुआ। गांधीजी ने, जैसा कि बाद में मुझे मालूम हुआ, यह भी आश्वासन दिया था कि मुक्त राजवदी पुन. किसी भी प्रकार के आतंकवादी आंदोलन में भाग न लेंगे। इसी सिलसिले में प्रधान मंत्री श्री फजलूल हक एव गृहमंत्री सर नाजमुद्दीन से भी वे मिले। इन रिहाइयों के सबंध में बंगाल धारा-सभा के यूरोपियन गुट्ट, पुलिस-कमिश्नर और स्टेटसमैन पत्र ने विशेष रूप से आपत्ति प्रकट की। मैंने गांधीजी से कहा कि इन महानुभावों से भी उनका मिल लेना लाभप्रद रहेगा। तदनुसार इन भेट-मुलाकातों की भी व्यवस्था की गई। गांधीजी ने उन लोगों को आश्वासन दिया, जिससे वे न्यून-अधिक सतुष्ट भी हुए। इसके बाद की घटनाएँ अब इतिहास-रूप हो गई हैं। तीन हजार स्थानबद्ध तुरत रिहा कर दिये गये। सजायाफ्ता राजवदियों की रिहाई के सबंध में यह नीति निश्चित कर ली गई कि उनमें से हरेक के विषय में व्यक्तिगत रूप से पुन. विचार हो। इस आखरी मुद्दे से गांधीजी सहमत न हो सके। उन्होंने पुन. पुन. आग्रह के साथ यही कहा कि वे खुद इन बंदियों के लिए जामिन रहनेके लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें जरूर तुरत रिहा कर दिया जाय। किंतु दुर्भाग्य से सरकार अपनी बात पर अड़ी रही। इससे गांधीजी को इतना ज्यादा सदमा पहुँचा कि जिसे वे जल्दी भूल न सके।

प्रातीय स्वायत्त-शासन की स्थापना के वाद बगाल में जो पहला मंत्रिमंडल बना उसमें मैं भी था। बगाल के कांग्रेसी नेताओं ने इस मंत्रिमंडल को उखाड़ फेंकनेका बीड़ा उठाया, और मुझसे अनुरोध किया कि मैं भी अपना मंत्रीपद त्याग दूँ। मुझसे यह भी कहा गया कि मेरे पदत्याग कर देने से शेष मंत्रिमंडल को पदभ्रष्ट करनेका काम आसान हो जायगा। किंतु इस सारे उपद्रवचाप के पीछे कोई खास समस्या या सिद्धांत नजर न आनेसे पदत्याग करने सबधी उनका प्रस्ताव मुझे जँचा नहीं। तब कांग्रेसी नेताओं ने गांधीजी से भेट कर उनसे अनुरोध किया कि वे मंत्रीपद त्यागने के लिए मुझे मनावे। चुनौचे गांधीजी ने इस सिलसिले में स्वत से मिलने के लिए मुझे तार देकर वर्धा बुलाया। तदनुसार मैं उनसे मिला और इस विषयक अपने दृष्टिकोण से मैंने उन्हें अवगत कराया। सुन कर गांधीजी को पूरी तौर से यह विश्वास हो गया कि किलहाल मेरे मंत्रीपद त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है। तदनुसार उन्होंने श्री सुभाषचंद्र बोस के नाम एक पत्र लिखा, जो, उसकी प्रतिलिपि के आधार पर, नीचे उद्धृत किया जा रहा है।

“मैं प्रस्तुत पत्र हेतुपुरस्सर ही बोलकर लिखा रहा हूँ। यह लिखाते समय मौलाना साहब, नलिनी बाबू एव घनश्यामदास सुन रहे हैं। बगाल के मंत्रिमंडल के विषय में हमने विस्तारपूर्वक चर्चा की। परिणाम-स्वरूप मैं इसी निर्णयपर पहुँचा कि मंत्रिमंडल उखाड़ फेंकना ही हमारा उद्दिष्ट न बन जाय, जोर न वर्तमान मंत्रिमंडल में रहोवदल कर देने में हमारा कुछ लाभ होगा। बल्कि इस मंत्रिमंडल में कांग्रेसियों के सम्मिलित होनेसे संभवत हमारा नुकसान ही अधिक होगा। अत, मेरी रायमें, शासन-व्यवस्था विषयक एकमूर्धता एव पूर्वनिश्चित कार्यक्रम और नीति में समन्वय स्थापित करनेकी दृष्टि से, जो जो मुद्धार हम चाहते हैं वे वर्तमान मंत्रिमंडल द्वारा ही पूरे कराना ठीक रहेगा। अवश्य ही जब मंत्रिमंडल कोई दशहित विराधी कदम उठाने जा रहा हो तब वास्तविक कारण उपस्थित कर नलिनी बाबू पदत्याग कर सकते हैं, जिसके लिए मैं खुद तैयार भी हूँ। उम स्थिति में उनका त्यागपत्र सम्मानपूर्ण एव ममुचित माना जायगा। रही बात म्यूनििसिपल कानून विषयक उपसूचना की। जैसा कि मैं जानता हूँ हरिजनो के लिए स्वतंत्र मतदार-सभ की

जो मोंग की जाती रही वह अब छोड़ दी गई है। अलवता मुसलमानों के लिए स्वतंत्र मतदार-सभ की मोंग अब भी बराबर जारी है। इसका आत्यंतिक रूप से विरोध किया जाय या नहीं यह मैं नहीं जानता। यदि यह सत्य मुस्लिम जनता देश-विभाजन के पक्ष में हो ता, मेरी राय में, उस सतुष्ट करने में ही बुद्धिमानी है। मैं नहीं चाहता कि कांग्रेस-विरोध पर विजय प्राप्त कर मुसलमान अपनी उक्त मोंग पूरी करे। क्योंकि इसका तो यही अर्थ होगा कि कांग्रेस को इस प्रश्न पर हार माननी पडी।

“यदि मेरे उपरोक्त विचारों से आप सहमत हो सके तो स्थानबद्धों की रिहाई का सवाल आज की अपेक्षा कहीं अधिक आसान हो जायगा। अतः मेरे इन विचारों से आप सहमत हो तो आप इस नई नीति की घोषणा कर दें। इससे निश्चय ही बंगालभर में जो आतक छाया हुआ है वह कम होने में मदद मिलेगी। और इसके स्वाभाविक परिणाम-स्वरूप आज की उत्साहशून्य स्थिति से बंगाल को मुक्ति मिलेगी। मेरी इस राय से मौलाना साहब, और साथही नलिनी बाबू एव घनश्यामदास भी, पूर्णतया सहमत हैं।”

१९४१ में अपनी कार्यकारिणी का सदस्य बनने सबधी वायसराय का प्रस्ताव मेरे द्वारा स्वीकार कर लिया जानेपर गांधीजी बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। इस सबध में मेरे नाम भेजे गये अपने एक पत्र में वे लिखते हैं—“आपने यह पद स्वीकार कर लिया है यह जानकर मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। आपकी अभिलाषाएँ पूरी हो यही कामना। मेरा सलाह-मशविरा तो, जब भी आप चाहेगे तब, आपको मिल सकेगा।” उस समय की परिस्थिति में प्रस्तुत पत्र से मुझे काफी प्रोत्साहन मिला। दिल्ली में मुझपर जो मामली हमला हुआ उसकी खबर गांधीजी को अखबारों के जरिये मिल गई। चिंतित होकर उन्होंने तार भेजा। “आशा है कुछ विशेष नहीं हुआ होगा। तार से खबर दे।” इसके बाद कुछ आवश्यक कार्यवश महादेव भाई को जब दिल्ली जाना पडा तब गांधीजी ने उन्हें विशेष रूपसे यह सूचना दी कि मझसे मिलकर मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करे। जब मैं शिक्षा, स्वास्थ्य एव माल विभाग का सदस्य था तब गांधीजी सार्वजनिक स्वास्थ्य-सुधार, गोरक्षा आदि विभिन्न विषयोंपर समय समय पर पत्र द्वारा मुझे परामर्श देते रहे।

कलकत्ता,

७-१-१९४७

उनके कतिपय निर्णयों की पृष्ठभूमि

चंद्रशंकर शुक्ल

कांग्रेस के दिसंबर १९२५ के कानपुर-अधिवेशन के बाद गांधीजी ने, अपने मित्रों की सलाह से, आगामी वर्ष, या कमसे कम उसका अधिकांश, साबरमती आश्रम में बितानेका निश्चय किया। गत एक मास से उनके स्वास्थ्य में जो गड़बड़ी चल रही थी उसके कारण ही यह निश्चय किया गया था। उन्हें अधिकसे अधिक आराम पहुँच सके इस हेतु यह सुझाव दिया गया था कि वे अपना सारा अगरेजी पत्रव्यवहार स्टेनोग्राफर से टाइप करावे, एवं गुजराती के पत्र भी खुद न लिखे। तत्कालीन आश्रमीय विद्यालय के अध्यापकों में मैं ही सबसे कम उम्र का होने के कारण उनके गुजराती पत्र, एवं 'नवजीवन' के लिए समय समय पर लेख, टिप्पणियाँ आदि लिख लेनेका काम मुझे सौंपा गया। इसके लिए उनकी दुपहरी की अल्प निद्रा के बाद, याने एक से दो बजे तक का समय, निश्चित किया गया था। कभी-कभार इससे भी अधिक समय तक काम करना पड़ता था। "आपके लिए यह एक प्रकारसे मनबहलाव का ही साधन है," गांधीजी एक दिन मुझसे बोले। किंतु इस प्रकार उनके निकट सहवास में आनेका सुअवसर प्राप्त होना वस्तुतः कितने भाग्य की बात है यह मैं स्वयं भली भाँति जानता था।

उस वर्ष के ग्रीष्म में विश्व वायू. एम्. सी. ए. परिषद् फिनलैंड की राजधानी में होने जा रही थी और इसमें उपस्थित रहने के लिए गांधीजी को आग्रहपूर्वक आमंत्रित किया गया था। परिषद् के सचालकों ने गांधीजी की यात्रा का प्रवच करने का भार मद्रास के स्वर्गीय श्री के. टी. पाल को सौंपा था, जिन्होंने इस यात्रा में गांधीजी के साथ जहाज़ पर एक धकरी भी ले चलनेकी व्यवस्था कर इसकी उन्हें सूचना दी थी।

कभी कभी दापहर के एक बजे गांधीजी काम के लिए तैयार न मिलते थे। इस समय तक आराम न कर पाने के कारण वे लेटने के

लिए, या मुझे कुछ देर रुकने को कहकर 'लायेब्ररी' चले जाते थे। शौचगृह को उन्होंने 'लायेब्ररी' नाम दे रखा था। इसका मुख्य कारण था लायेब्ररी की भौति ही हरेक शौचगृह साफ-सुथरा रखने सबधी उनका आग्रह। और दूसरा, अपना अधिकांश पुस्तक-पठन वे वही करते थे। एक बार मैंने उन्हें 'सिलेक्शन्स फ्राम डिकन्स' नामक पुस्तक लेकर वहाँ जाते देखा है। लेकिन लोग इस बात में भी अपना अनुकरण करें यह उन्हें पसंद न था। अगस्त १९२७ की एक दुपहरी को चिड़ी-पत्रियों का एक पुलिंदा साथ लेकर वे बगलूर के कुमार पार्क की 'लायेब्ररी' में जा रहे थे। पास ही मैं खड़ा था। सो मेरी ओर मुड़कर व बोले, "लाचारी की हालत में ही मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। लेकिन लोग इसमें मेरा अनुकरण न करें।"

खैर, यह तो विषयांतर हुआ। अब मूल बातपर आवे। एक दिन दुपहर के समय उन्होंने इसी भौति 'लायेब्ररी' से अपने लौटने तक मुझे रुकने के लिए कहा। कोई आध घंटे बाद वे लौटे, और अकस्मात् महादेव भाई एव अपने अन्य सहयोगियों को उन्होंने बुला भेजा। कहने लगे, "अभी अभी 'लायेब्ररी' में मुझे अपनी अतरात्मा की पुकार सुनाई पड़ी, जिसने मुझे यही आदेश दिया कि देश में मेरे योग्य बहुतसा महत्वपूर्ण काम बाकी होने के कारण मैं फिलहाल विदेश-यात्रा न करूँ।" निश्चय ही अपनी अतरात्मा से आदेश पाकर किया गया उनका उक्त निर्णय अब बदला नहीं जा सकता था। न तो अब इसमें बहस के लिए कोई गुजाइश थी, और न बहस करने के फेर में कोई पड़ा भी। यथासमय और यथा-स्थान इस निर्णय की सूचना भेज दी गई। यूरोप-यात्रा का विचार रद्द हुआ।

इसके चंद दिन बाद, यह ज्ञात होनेपर कि गांधीजी यूरोप नहीं जा रहे हैं, प. मोतीलालजी ने उन्हें अपने साथ डलहीसी में रहने के लिए निमंत्रित किया। खुद पंडितजी पंजाब के इत पहाड़ी स्थानपर गरमी के कुछ महीने बिताने जा रहे थे। गांधीजी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, और उनका उधर जाना निश्चितसा दिखाई देने लगा। इसी बीच एक दिन श्री वल्लभभाई पटेल (इस समय तक वे 'सरदार' नहीं बने थे) गांधीजी से मिलने आये। उन दिनों वे कभी कभार गांधीजी से मिलने आकर हँसी-भजाक एव विनोदपूर्ण बातों द्वारा उनका जी बहला दिया

करते थे। अबकी बार वे अपने साथ डॉ. कानूगा को भी ले आये थे। डॉ. कानूगा ने गाधीजी की स्वास्थ्य-परीक्षा की और उन्हें पूर्णतया स्वस्थ पाया। तब विनयपूर्वक, किंतु विनोद के साथ, श्री वल्लभभाई गाधीजी से बोले कि अब उनके लिए पहाड़ी स्थानपर या अन्यत्र कहीं भी जानेकी जरूरत नहीं है, जहाँ है वही रहे। डॉक्टर ने भी उनकी इस बात की तारीफ की। आश्चर्य की बात है कि गाधीजी को आश्रम छोड़ने के विचार से विमुख करने के लिए सरदार के ये इनेगिने शब्द ही काफी हुए। डलहीसी की प्रस्तावित यात्रा बिना वाद-प्रतिवाद के रद्द कर दी गई। इस प्रकार बड़ी कठिनाई से मिलनेवाले इस थोड़ेसे आराम से भी हाथ धोना पड़ रहा है यह देखकर निरुत्साहित हुए महादेव भाई मुझेसे बोले, “देखा न आपने, कि हमारे मन कुछ और है, वल्लभभाई के मन कुछ और।” अवश्य ही वल्लभभाई ने कुछ विशेष कारणवश ही उपर्युक्त सुझाव गाधीजी के सामने रखा होगा। शायद उन्होंने सोचा होगा कि हिमालय प्रदेश के पहाड़ी स्थानपर की ठंडक की अपेक्षा आश्रमवासियों का सहवास, वहाँ के गर्म वायुमंडल के वावजूद, मानसिक दृष्टि से गाधीजी के लिए अधिक सुखकर रहेगा। वे आश्रम को गाधीजी की एक ‘सर्वोत्कृष्ट रचना’ मानते आये हैं, और आश्रम की स्थापना के वाद आज पहली ही बार गाधीजी एक लंबे अरसे के लिए आश्रम से दूर जाने का इरादा कर रहे थे। मुझे याद है कि मैंने गाधीजी को अपने तूफानी दौरों के दरमियान एक दिन ऐसा कहते सुना—

“जब जब दौरा करते वक्त अपने भीतर की बंटरी खत्म हो जाती है तब तब मैं आश्रम लौट आता हूँ, कुछ दिन वहाँ ठहरकर बंटरी भर लेता हूँ, और पुनः आगे के दौरेपर चल पड़ता हूँ।”

इन्हीं दिनों सावरमती पधारे हुए सेठ जमनालाल बजाज ने, गाधीजी शांति के साथ अपना काम कर सके एव समय असमय स्वतः से मिलने आनेवाले दर्शकों के उपद्रव से बचे रहे इस हेतु, आश्रम के अहाते में ही उनके लिए एक छोटासा एकतल्ला मकान बाँधने की इच्छा प्रकट की, और इसके लिए उनसे स्वीकृति भी प्राप्त की। अनेक लोगों ने इस योजना का स्वागत किया। किन्तु दूसरे ही दिन साध्य-प्रार्थना के वाद गाधीजी ने घोषित किया कि उक्त योजना के लिए असावधानी

वश अपनी सम्मति प्रदान की जाने के क्षण से वे बेचैनी अनुभव कर रहे हैं। बोले, "मैं तो धरती पर का जीव हूँ, धरतीपुत्र हूँ। अलावा इसके एक किसान और जुलाहा के लिए, जैसा कि अपने आप को मैं कहा करता हूँ, या एक लोक-सेवक के लिए भी, एकतल्ले पर जाकर रहना और इस प्रकार धरती-माता से अपना नाता तोड़ लेना नितात अशोभाप्रद है। फलतः अपना पूर्वोक्त निर्णय मैंने अब बदल दिया है। मैं तो आश्रम के उस छोटे से कमरे से, जिसका कि आजतक उपयोग करता रहा, सतुष्ट हूँ।"

८ मई १९३३ को, मध्याह्नोपरात, गांधीजी ने अपना इक्कीस दिन का उपवास, यरवदा में कैदी की हालत में ही, शुरू किया। उसी दिन शाम को वे रिहा कर दिये गये, और जेलो के इन्स्पेक्टर जनरल ने उन्हें खुद की मोटर द्वारा 'पर्णकुटी' पहुँचाया। 'पर्णकुटी' में, जहाँ कि वे अपने उपवास-काल में रहनेवाले थे, आवश्यक प्रबंध कर लिया गया था। गांधीजी के आगमन पर दो सवाददाताओं ने उनसे भेंट की, जिन्हें उन्होंने एक खासा लंबा वक्तव्य एक ही सौंस में 'डिक्टेट' किया। वह पुनः उन्हें पढ़कर सुनाया गया, जिसमें जरा भी रद्दोबदल करने की उन्हें जरूरत नहीं मालूम हुई। उक्त वक्तव्य श्रीमती सरोजिनी नायडू ने, जो कि उस समय वहाँपर उपस्थित थी, पढ़कर सुनाया था। किंतु वह श्री बापूजी अणे द्वारा पढ़कर स्वीकृत होनेपर ही प्रकाशनार्थ दिया जानेवाला था। चुनौचे श्री अणे को श्री तात्यासाहब केलकर के घर से बुला लाने के लिए भेजा गया। गांधीजी ने अपने वक्तव्य में यही सुझाव दिया था कि सत्याग्रह-आंदोलन छ. सप्ताह के लिए स्थगित रखा जाय। श्री अणे उस समय कांग्रेस के स्थानापन्न अध्यक्ष थे। अतः अपने वक्तव्य के लिए उनकी पूर्वस्वीकृति प्राप्त करना गांधीजी ने जरूरी समझा। श्री अणे आये, और अपने वक्तव्य द्वारा दी गई गांधीजी की सलाह से उन्होंने पूर्ण सहमति प्रकट की। तदनुसार उसी रात को वक्तव्य प्रकाशित हुआ। अनंतर एक दिन, सत्याग्रह स्थगित रखने संबंधी उपर्युक्त निर्णय का उल्लेख करते हुए, गांधीजी बोले, "यदि अपने को यकायक रिहा कर दिया गया तो उस हालत में क्या कदम उठाया जाय इस संबंध में मैंने कभी कुछ सोचा ही नहीं था। किंतु कारागार का फाटक खुलते

ही मेरे मन के किवाड भी खुल गये, और 'पर्णकुटी' में अपने पहुँचने के पहले ही मैंने छ सप्ताह के लिए सत्याग्रह स्थगित रखनेका निर्णय कर डाला।" कुछ मास बाद वर्धा के अपने एक सहयोगी से इसी विषय की चर्चा करते हुए गांधीजी बोले, "ऐसी स्थिति में, जब कि अपने जीवन-मरण का प्रश्न उपस्थित हुआ हो, सत्याग्रह आगे जारी रखने के लिए आवश्यक उत्साह जनता में न रहेगा यह देख कर ही मैंने उसे स्थगित रखने की सलाह दी। जेलसे अपने रिहा होते ही उक्त विचार विजली की कौंध की भाँति मेरे चित्त में चबकर लगा गया। चाहे तो आप इसे 'gesture' कह सकते हैं।"

इस उपवास के दूसरे ही दिन गांधीजी ने प मालवीय के नाम निम्न तार भेजा "आपके आशीर्वाद से बल मिला। आपके उपदेशानुसार ही चल रहा हूँ। बचपन से ही 'रामनाम' मेरा जीवन-मन रहा है। मैं स्वस्थ हूँ, और प्रसन्न भी। सकट-रक्षार्थ प्रार्थना करते रहे।"

और डा. अन्सारी को उन्होंने यह तार भेजा "सरोजिनी ने समाचार-पत्रों में प्रकाशित आपके वक्तव्य का उल्लेख किया। भय से आप नस्त हैं। किंतु यह आपके अधिकार और कर्तव्य का प्रश्न है। जब भी इच्छा हो चले आर्ये। आपके प्रति विश्वास की मेरी भावना से आप परिचित ही हैं। सबसे प्यार।" दूसरे ही दिन डाक्टर साहब ने दिल्ली से पूना के लिए प्रस्थान किया, और उपवास की समाप्ति तक वही रहे।

उपवास के तीसरे दिन गांधीजी ने सावरमती के एक आथमवासी के नाम निम्न पत्र भेजा "मैं देखता हूँ कि खुद लिखने की अपेक्षा बोलकर लिखाने में अधिक कष्ट होता है। अतः अब ज्यो ज्यो दिन बीतते जायेंगे त्यो त्यो खुद लिखने, या बोलकर लिखाने में भी, मैं असमर्थ रहूँगा। तब आप ऐसा अनुभव करेंगे कि मेरे विचार आपसे बोल रहे हैं।...कृपया उठाये हुए काम में ही अपना सारा ध्यान लगावे। याने आदर्शभूत आश्रमीय बनने की चेष्टा करे। द्वारे साथी क्या करते हैं यह देखने की जरूरत नहीं।"

इस उपवास-काल में देश-विदेश के कई प्रिय एवं निष्ठावान स्नेहियो और सहयोगियों से गांधीजी के नाम नित खत-पत्र आते रहे। इनमें

से बहुतेरे व्यक्ति या तो भारत के भिन्न भिन्न भागों में देशसेवा के काम में जुटे हुए थे, या उसीके निमित्त विभिन्न जेलों में सजा काट रहे थे। ता. २ मई को फ्रेंच में लिखे गये अपने पत्र के अंत में रोमों रोलों लिखते हैं: "संसार की रक्षा करने में क्रूस भले ही असमर्थ रहा हो; किन्तु, उसने ससारवासियों को आत्मरक्षा का मार्ग दिखा कर अपने प्रकाश से करोड़ों बदकिस्मतों की राने उजली बना दी है।

"किन्तु, ईश्वर करे, अब उसकी पुनरावृत्ति न हो। और अभी आप जीवित रहे, बहुत बहुत साल तक। निश्चय ही, हमारे बीच रहे ऐसा तो नहीं कह सकता। बीमार जो हूँ। इसीसे इस शरीर का अब कुछ भी भरोसा नहीं है। किन्तु भारत एव संसारभर के हमारे भाई-बहनों के बीच, इस आँधी-पानी के समय उनकी जीवन-नीका को पतवार थामने के लिए, आपकी उपस्थिति नितांत आवश्यक है।

"अपने आशीर्वाद दे,—बहन मादेलीन को, और मुझे भी। आपका ही,—रोमों रोलों।"

इस प्रसंग पर मादेलीन रोलों, प जवाहरलाल नेहरू, बेरियर एल्विन, माननीय श्रीनिवास शास्त्री, श्री जयरामदास दौलतराम, मीरावेन, दीनबधु एण्ड्रयूज आदि और भी कई लोगों के पत्र प्राप्त हुए थे, जो कि सभी अत्यंत हृदयस्पर्शी रहे।

उस साल की पहली अगस्त को गांधीजी ने दुवारा सत्याग्रह किया। चुनौचे उन्हें गिरफ्तार कर पहले तो साबरमती जेल में, और उसी दिन शामको मय महादेव भाई के, जो कि उन्हीं के साथ सत्याग्रह करते समय गिरफ्तार हुए थे, यरवदा जेल पहुँचा दिया गया।

पूना छोड़कर चले जाने का हुक्म तोड़ने के जुर्म में ता. ४ को दोनोपर मुकदमा चलाया जाकर उन्हें एक-एक साल सादी कैद की सजा दी गई। सरकारी परिभाषा के अनुसार अब वे 'सजायापता कैदी' थे, और उन्हें प्रथम श्रेणी में रखा गया था। ता. १६ से उन्होंने उपवास शुरू किया, जो तबतक जारी रहनेवाला था जब तक कि जेल के भीतर से हरिजन-कार्य करने की सहूलियत नहीं मिल जाती।

उक्त उपवास के कारणों पर अबतक कहीं भी प्रकाश नहीं डाला गया है, इसलिए मैं उस विषयक सारी बात यहाँ संक्षेप में निवेदन करूँगा।

सितंबर १९३२ में ब्रिटिश सरकार द्वारा घोषित हरिजनो सवधी करारनामों के विरुद्ध जब गांधीजी ने अनशन आरम्भ किया तब हर किसी को उनसे भेट-मुलाकात करनेकी पूरी इजाजत थी। किंतु पाँच दिन बाद अनशन भंग होते ही इन भेट-मुलाकातों पर अकस्मात् प्रतिबन्ध लगा दिया गया। इस सवध में जेल-सुपरिस्टेडेंट के नाम भेजे गये अपने पत्र में गांधीजी लिखते हैं: "देशभर में असाधारण रूप से जो जागृति पैदा हुई है, एव उपवास का जो नतीजा नजर आ रहा है उससे सरकार बेखबर तो न होगी। किन्तु, इस उपवास की मर्यादाएँ जनता भली प्रकार समझ न पायी हैं, और उत्साही युवक भी उसका अदाधुन अनुकरण कर रहे हैं। अतः अस्पश्यता के विषय में होनेवाली भेट मुलाकातों पर कतई रुकावट न रहना मैं जरूरी मानता हूँ। कहना न होगा कि यही नियम इस विषयक पत्रव्यवहार को भी लागू रहे।"

चंद दिन बाद उन्होंने बम्बई सरकार के गृहमंत्री के नाम भी एक पत्र भेजा, जिसमें वे लिखते हैं "निश्चय ही, अछूतोंद्वारा जैसा सुधार-कार्य सरकार और जनता दोनों की ही दृष्टि से एकसा महत्वपूर्ण माना जाना चाहिये।...आप जानते ही होंगे कि मैंने अपना उपवास सिर्फ मुत्तवी रखा है। और अगर हिन्दुआ द्वारा हरिजनो की समस्या का उचितोचित समाधान न किया गया तो वह फिरसे जारी किया जायगा। अतः यदि इस सुधार को पूरी तौर से कार्यान्वित करना हो तो, जनता के साथ मेरा संपर्क स्थापित कर दिया जाना अपरिहार्य है।"

उस समय सरकार द्वारा दी गई सहूलियतें गांधीजी को नाकाफी मालूम हुईं। ता २४ अक्टूबर १९३२ को इन्स्पेक्टर जनरल आफ प्रिजन्स के नाम भेजे गये अपने पत्र के आखिर में वे लिखते हैं "अतः आगामी पहली नवंबर तक, या इससे पहले, उपर उल्लिखित प्रतिबन्ध हटा न लिये गये तो, सत्याग्रह के नियमों के अनुसार सरकार के साथ का अपना सहकार्य यथामभव कम करनेके लिए मुझे बाध्य होना पडगा। और इसके श्रीगणेश-स्वरूप में, आहार विषयक जो सहूलियतें संप्रति

स्वतः को मिल रही हैं वे अस्वीकार कर, अपने व्रत की मर्यादा के भीतर रहते हुए, एव अपने शरीर की सहनशक्ति क अनुसार, 'क' श्रेणी का आहार ग्रहण करने लगगा। मुझे दृढ़ आशा है कि सरकार इससे धमकी का आशय न लेगी। वस्तुतः 'सरकार की मनोवृत्ति क स्वाभाविक परिणाम-स्वरूप ही यह कदम उठाने के लिए मुझे बाध्य होना पड़ रहा है। जिस कार्य के निमित्त मैंने अनशन आरंभ कर फिर स्थगित किया है वह वे-रोकटोक न कर सकने की हालत में अपना जीवन मेरे लिए नीरस बन जायगा। हाँ, इतना याद रहे कि यदि इन नैतिक एव धार्मिक, सुधारों का सविनय-अवज्ञा से जरा भी सबध होता तो इस विषय में मैं जरूर ही चुपकी साध लेता।”

ता. ३१ को जेल-सुपरिटेण्डेंट के नाम भेजे गये पत्र में वे लिखते हैं “अपने लिए मिलनेवाला विशेष आहार लेना मैं कल से बंद कर दूँगा।”

उर्ध्व मुताविक ता १ नवंबर को गांधीजी ने 'क' वर्ग का आहार लिया। उसी दिन रातके ९॥ बजे भारत सरकार का निम्न संदेश उन्हें पहुँचा दिया गया। “श्री गांधी को सूचित किया जाय कि उनका ता. २४ अक्टूबर का पत्र भारत सरकार को ता ३१ अक्टूबर को प्राप्त हुआ। उसमें उल्लिखित बातें अभी सरकार के विचाराधीन हैं, और उसे जाना है कि दो-तीन दिन में अपने निर्णय से वह आप को सूचित करेंगी। इस बीच सरकार की यही सलाह है कि श्री गांधी स्वतः पर आहार विषयक प्रतिबंध लगा लेने से पहले अपनी प्रार्थना पर पूर्ण विचार करने का अवसर सरकार को प्रदान कर।”

अगले दिन प्रातः ७ बजे गांधीजी ने भारत सरकार के होम सेक्रेटरी के पास पहुँचा देने के लिए एक पत्र, इस अनुरोध के साथ कि वह जरूरी तार की तरह भेजा जाय, जेल-सुपरिटेण्डेंट के सुपुर्द किया। अपने नाम प्रेषित सरकार के संदेशों की पहुँच देते हुए उक्त पत्र में गांधीजी लिखते हैं “मुझे यह ज्ञात कर, कि ता २४ का अपना पत्र सरकार को ता ३१ को मिला, संखेद आश्चर्य हुआ। उपवास का प्रश्न बड़े ही महत्त्व का है, और सरकार द्वारा स्वीकृत मर्यादा-संकट के भीतर से पैदा हुआ है। फिर भी मेरा पत्र आपको पहुँचने में जो संदेहजनक

विलव हुआ है उसके, एव आपके संदेशों में उल्लिखित सूचनाओं के कारण, मैं आहार विषयक वे बंधन, जो कि कल से मैंने स्वतः पर लाद लिये हैं, फिलहाल स्थगित रख रहा हूँ। विश्वास है कि ता ३१ अक्टूबर को यरवदा मेट्रल प्रिजन के सुपरिटेण्डेंट के नाम भेजा गया मेरा पत्र आपके भी देखने में आया होगा। उक्त पत्र का आशय जान लेने के हेतु जब वह मुझसे मिले तब मैंने उन्हें समझाते हुए कहा कि अगर अगले मास की चार तारीख तक मेरी माँग पूरी न की गई तो मुझे, दूसरी बातों के साथ ही, अपनी खुराक भी बढ़ कर देनी पड़ेगी। इसका उल्लेख करने का कारण केवल यही है कि मेरी उत्कट भावनाओं से सरकार कुछ तो अवगत हो जाय। अस्पृश्यता के विषय में सुधारकों एव सनातनियों द्वारा लिखे गये खत-पत्र प्रायः रोज ही मेरे पास आ रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि मेरी ओर से इनका तुरत जवाब मिले, ताकि वह प्रकाशित किया जा सके। अतः लाखों लोगों को प्रभावित करनेवाले इस प्रकार के विषय की चर्चा, ऐसे खानगी पत्र-व्यवहार द्वारा, जिसके प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, नहीं की जा सकती। हाल ही में स्थापित अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की ओर से भी मेरे नाम कई पत्र और तार आये हैं, जिनमें कार्यप्रणाली संबंधी सलाह और मार्गदर्शन की माँग की गई है। कालिकत के कतिपय 'अछूत' मित्रों की ओर से भी पत्र आये हैं, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वे चाहते हैं कि लौटती डाक से उन्हें मुझसे मुलाकात करने की इजाजत मिल जाय। यह बहुतसारी बातें एव अछूतोंद्वारा के कार्य के लिए मैंने अपने प्राणों की जो बाजी लगा दी है वह जानते हुए, पत्रद्वारा मैंने जिन अनिबंध सहूलियतों की माँग की है वे प्रदान करना सरकार के लिए यदि संभव न हो तो, कमसे कम इस कार्य के निमित्त अपने प्राण होमने की मेरी अभिलाषा एव तत्परता की वह अवश्य ही बर्त करेगी ऐसी आशा है। क्योंकि एक कैदी के सामने, इस प्रकार की असह्य और अपनी आत्मा का हनन करनेवाली स्थिति से मुक्ति पाने के लिए, इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं रहता।"

इसके उत्तर-स्वरूप प्राप्त सरकार के आदेश की सूचना गांधीजी को ता ३ नवंबर १९३२ को दी गई। यही सूचित किया गया था कि

गाधीजी द्वारा अपने पत्र में उल्लिखित सभी कारणों से सरकार सहमत है। और आखिर में गाधीजी के ही ये शब्द, कि "जब भी जखूरत होगी तब इन भेंट-मुलाकातों और पत्रव्यवहार की निगरानी करने का सरकार को अधिकार होगा," उद्धृत किये गये थे।

गाधीजी द्वारा इन मर्यादाओं का किस प्रकार पूर्णतया पालन किया गया यह बात हर कोई देख ले सकता है। उनके द्वारा सत्याग्रह शुरू किया जाने, याने ता. १ अगस्त १९३३ के एक दिन पहले, सरकार-पक्षीय समाचारपत्रों ने यह घोषित किया कि अबकी बार उन्हें पहले की भाँति जेल के भीतर से पत्रव्यवहार करने की सहूलियत नहीं दी जायगी। ३० जुलाई को अहमदाबाद में उनसे अपनी भेंट होनेपर मैंने इसका जिक्र किया। सुनकर वे सविनय किंतु दृढनिश्चयी स्वर में बोले, "आप इसकी चिंता न करे। इस कार्य के निमित्त जेल का फाटक खुलकर ही रहेगा।"

स्मरण रहे कि अपनी गिरफ्तारी के दिन से ही इस विषय पर सरकार के साथ उनका पत्र-व्यवहार चल रहा था।

बम्बई सरकार के होम-सेक्रेटरी के नाम प्रेषित ता. ४, ८ और १४^१ के अपने पत्रों में उन कारणों का पुनरुच्चार करते हुए, जो कि पहले ही उनके द्वारा सरकार को सूचित किये जाने पर स्वीकृत हो चुके थे, वे आगे लिखते हैं कि "कृपाभाव से नहीं, अपितु धरवदा-पैक्ट के अनु-मार न्यायत, ये सहूलियतें प्रदान करने के लिए सरकार बँधी हुई है।"

किन्तु सरकार ये सहूलियत इतने अधिक प्रतिबंधों के साथ देने जा रही थी कि अपने कार्य की दृष्टि से गाधीजी को वे बेकारसी मालूम हुईं। चूँकि उन्होंने दुबारा सरकार के सामने अपनी न्यूनतम माँगें उपस्थित की, और दूसरे दिन उनके उत्तर-स्वरूप कुछ भी सूचना प्राप्त न होनेपर, ता. १६ की दुपहर बाद, १२ से १७ तक के गीताध्यायो एव 'उठ जाग मुसाफिर भोर भई' भजन का पाठ कर, उपवास शुरू किया।

उपर्युक्त होम-सेक्रेटरी के नाम ता. १९ को गाधीजी ने निम्नाशय का पत्र भेजा — "श्री एण्ड्रयूज से ज्ञात हुआ कि चूँकि अब मैं 'स्टेट प्रिजनर' गां. जा प्र. - १

से 'कन्विक्टेड प्रिजनर' बन गया हूँ, इसलिए मुझे सहूलियतें प्रदान करने सबधी भारत सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों का पालन करने में कठिनाई पैदा हुई है। लेकिन यह समझ सकने में, कि जो बातें एक बार अपने लिए आवश्यक समझकर स्वीकृत की गईं वे ही अब सिर्फ इसी कारणवश कम आवश्यक कैसे मानी जाती हैं, मैं असमर्थ हूँ। जब 'कन्विक्ट' होने की हालत में भी मेरी शारीरिक आवश्यकताएँ सरकार द्वारा स्वीकृत हो चुकी हैं, तब अस्पृश्यता विषयक मेरी आध्यात्मिक आवश्यकताएँ तो निश्चय ही स्वीकृत की जानी चाहियें।"

गांधीजी को, उनका स्वास्थ्य बहुत अधिक गिर जानेके कारण, ता. २० को मध्याह्नोपरात तीन बजे पूना के ससून अस्पताल में पहुँचाया गया, और अबतक उनके साथ रहनेवाले श्री महादेव देसाई को उनसे अलग कर उनका बेलगाव की जेल में तबादला कर दिया गया। वा को, जो कि साबरमती जेल में थी, उसी दिन बरबदा लाया गया। और ता २१ की दुपहर को गृह-मंत्री ने दम्बई की धारा-सभा के पूना-अधिवेशन में घोषित किया कि—“श्रीमती गांधी की सजा वेमुदत मुलतवी रखी गई है।” इसके बाद वे रिहा कर दी गईं, और उसी दिन शामको उन्होंने उपर्युक्त अस्पताल में गांधीजी के दर्शन किये। वस्तुतः १६ से उनका भी उपोषण ही चल रहा था, जिससे वह काफी कमजोर दिखाई दी। उन्हें रातके बत अस्पताल में रहने की इजाजत नहीं मिली। इन दिनों श्री एण्ड्र्यूज पूना में होम-मेनेट्री से अक्सर मिलते रहे, और बायसराय के साथ भी उनका गव्यवहार चलता रहा। 'टाइम्स आफ इंडिया' के ता. २१ के सपादकीय से अधिकारियों की इस समय की मनोवृत्ति का आभास मिलता है। 'टाइम्स' लिखता है: “यदि श्री गांधीने उपोषण करने की ही ठानी तो उनका स्वास्थ्य चिन्ताजनक बननेपर ही सरकार उन्हें रिहा कर सकती है।”

ता. २४ को गांधीजी की हालत इतनी खराब हुई कि वे काफी माना में पानी लेने में भी असमर्थ थे। किन्तु, देह उनकी जीवन-मरण के बीच झूलती रहनेपर भी, आत्मा पूर्णतया शांत रही। मृत्यु का सहर्ष स्वागत करने के लिए वे तैयार हो बैठे थे। वा को उद्देश्य कर वे बोले,

“तुम भयाकुल न हा जाना। जब सरकार मुझे मरने देना चाहती है, तब साहस के साथ ही मृत्यु का सामना क्यों न किया जाय? हरिजन-सेवा के निमित्त अपने प्राण न्योछावर करने से बढकर गौरवास्पद बात मेरे लिए दूसरी क्या हो सकती है? पहले भी तो कई अनशनकारियों को सरकार ने मरने दिया है। फिर इसके लिए मैं ही अपवाद-स्वरूप माना जाऊँ ऐसी दुराशा हम उससे कैसे कर सकते हैं? बल्कि उसने तो इस घटना के बाद पंदा होनेवाली स्थिति का मुकाबिला करने की भी तैयारी कर ली है।”

किंतु उसी दिन दुपहर के ३ और ४ बजे के बीच वे रिहा कर दिये गये। सतरे का रस प्राशन कर उन्होंने अपना अनशन भंग किया। फिर वा और श्री एण्ड्रयूज के साथ, बहुत ही कमजोरी की हालत में, वे ‘पर्णकुटी’ लाये गये।

अब उनके सामने बड़ा भारी सवाल यही था कि आगे क्या किया जाय? महादेव भाई पास न होने से उनकी कमी भी उन्हें बेहद खटक रही थी। किन्तु सदा की भौति इस बार भी उन्होंने ईश्वर के प्रति आने अटल विश्वास का पुनरुच्चार करते हुए उससे यथासमय एव यथोचित मार्गदर्शन प्राप्त होने की आशा व्यक्त की। उपवास की समाप्ति क बाद उनके द्वारा श्री सतीशचंद्र दासगुप्ता, देशबधु दास की बहन श्रीमती उमिला देवी, जनाब अब्बास तय्यबजी, लाहौर के लाला गिर-धारीलाल आदि के नाम भेजे गये पत्रों में उनकी इस मन-स्थिति का स्पष्ट दर्शन होता है। इसी अवधि में ‘टाइम्स आफ इंडिया’ क पूना स्थित सवाददाता द्वारा उक्त पत्र के लिए भेजी गई यह रिपोर्ट पढकर, कि “पर्णकुटी सरीखे सग-भरभर के महल में गाधीजी राजसी ठाट-बाट से रह रहे हैं, और उनके लिए लेडी ठाकरसी का १९ हजार रुपया खर्च हुआ है,” गाधीजी को काफी चोट पहुँची।

आखिर ता ९ सितंबर को उन्होंने घोषित किया कि आगामी अगस्त की ४ तारीख तक वे अपने आपको एक कैदी मानकर चलेंगे, और इस मुद्दत में अपना सारा समय हरिजन-कार्य में ही लगाये रखेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वे स्वेच्छा से अपनी हलचलो

पर प्रतिबन्ध लगा देगे, लेकिन विचारोपर हृगिज नहीं। इसके यही माने थे कि कांग्रेस-कार्यकर्ताओं के सामने भाषण देने एवं उनका यथासम्भव पथप्रदर्शन करने के लिए उन्होंने अपने आपको मुक्त रखा था। ता. २३ सितंबर को एक कांग्रेस-कार्यकर्ता के नाम भेजे गये पत्र में इसी सिलसिले में वे लिखते हैं:—“ मैं अपना सारा ध्यान आन्दोलन को अहिंसक एवं हर प्रकार से निर्दोष रखनेकी ओर ही लगा दूंगा।”

जनवरी १९३४ के द्वितीय सप्ताह में गांधीजी हरिजन दौरे के सिलसिले में गुरवायुर पहुँचे। वहाँ श्री राधवन् नामक एक युवक ने, जो पहले सावरमती आश्रम में रह चुका था, और उस समय त्रिचुर के खादी भंडार में सपत्निक कार्य कर रहा था, गांधीजी से पूर्व अनुमति प्राप्त कर एक दिन प्रातः ४ बजे उनसे भेंट की। उसके साथ हुई अपनी बातचीत से गांधीजी को आज पहली ही बार यह मालूम हुआ कि केवल खादी-कार्य के भरोसे किसी की जीविका चल नहीं सकती। चुनौचे उन्होंने खादी को मुख्य याने सूर्य ग्रह मान कर उसके इर्दगिर्द घरेलू उद्योग-धंधो रूपी उप-ग्रहों की माला निर्माण करने की सोची। अ. भा. चरखा सघ के अवैतनिक मंत्री श्री शंकरलाल वैकर तत्समय उसी प्रदेश का दौरा कर रहे थे। उपर्युक्त विषयपर विचार-विनिमय करने के हेतु गांधीजी ने उन्हें कालिकत में मिलने के लिए बुला भेजा। तभी से गांधीजी ग्रामीण उद्योग-धंधो के पुनरुद्धार की बराबर चर्चा करते रहे। और हरिजन-दौरे की समाप्ति के बाद वर्षों में अपने बस जानेपर उन्होंने अखिल भारतीय ग्राम-उद्योग सघ की स्थापना की। इस सस्था ने विगत वर्षों में बढ़ते बढ़ते विशाल वृक्षका-सा रूप धारण कर लिया है, और आज देशभर में उसकी शाखा-प्रशाखाएँ फैली हुई हैं। किंतु, स्मरण रहे कि, जनवरी १९३४ के पूर्वाह्न प्रातःकाल के समय हुए वार्तालाप के दरमियान ही इसका बीजारोपण किया गया था।

१९३४ के मई के अंतिम सप्ताह में गांधीजी ने पैदल ही हरिजन-यात्रा करने का निश्चय किया। यह विचार, उन्हें पहले-पहल तब मूसा जब कि इसी यात्रा में उनकी मोटर के नीचे चार-पाँच फालतू कुत्ते दबकर मर गये। इसके कारण उन्हें इतनी अधिक व्यथा हुई कि

उन्होंने इस दौरे में एक स्थान से दूसरे स्थानतक मोटर से जाने के बजाय पैदल ही पहुँचना तय किया। किंतु एक अन्य घटना भी इसके लिए इतनी ही कारणभूत हुई है। बिहार के जसिदीह नामक स्थानपर सनातनियों द्वारा अपने ऊपर किये गये हमले के बाद उनका उपर्युक्त विचार और अधिक दृढ़ हो गया। इस पैदल-यात्रा में उन्हें असाधारण रूप से सफलता प्राप्त हुई।

इसी हरिजन-यात्रा के दरमियान लालनाथ प्रकरण एव उसके कारण गांधीजी के सात दिन के उपोषण का प्रादुर्भाव हुआ। लालनाथ सनातनियों के एक गुट का अगुआ था, और एनकेन प्रकारेण गांधीजी की यात्रा में विघ्न उपस्थित कर उसे भग कर देनेपर तुला हुआ था। गांधीजी की इस यात्रा को "सत्याग्रह का अपलाप" संबोधित कर वह बोला, "आप के स्वयंसेवकों या पुलिस के हाथों हम घायल होना चाहते हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ कि ऐसी दुर्घटना के बाद ही आप अपनी यह यात्रा भग कर देंगे।" ५ जुलाई को अजमेर में आयोजित एक विशाल सार्वजनिक सभा के अवसरपर लालनाथ की यह इच्छा पूरी हुई। सभा में गांधीजी के पहुँचने से पहले ही किसीने लालनाथ की गजी खोपड़ी पर प्रहार किया, जिससे उसके माथे में मगीन चोट आयी। इस वारदात की खबर मिलते ही गांधीजी ने लालनाथ को अपने सरक्षण में ले लिया, एव अपने भाषण में भी इसका सखेद उल्लेख करने से वे नहीं चूके। इतना ही नहीं बल्कि इसके लिए निकट भविष्य में ही प्रायश्चित्त करने के अपने निश्चय की भी उन्होंने सभा-स्थानपर ही घोषणा कर दी। इस घोषणा से नारा दश चिंतित हो उठा। क्योंकि सभी जानते थे कि प्रायश्चित्त का अर्थ उपोषण है। ता. ९ जुलाई को गांधीजी ने कराची से श्री घनश्यामदास विडला के नाम निम्न तार भेजा— "५ या ६ अगस्त, याने अपन वर्या पहुँच जाने के बाद, लालनाथ पर हुए हमले के प्रायश्चित्त-स्वरूप सात दिन का उपवास करने का इरादा रखता हूँ। मेरी राय में यह निहायत जरूरी है। अब इसकी घोषणा कर देनेका समय आ गया है। तार में मम्मति दें।" श्री घनश्यामदास विडला, श्री के. नटराजन, श्री मथुरादास त्रिवेदी, श्री महादेव दसाई, मौलाना आजाद आदि ने उन्हें अपने उक्त निर्णय से विमुख करने की भरसक चेष्टा की। किंतु व्यर्थ! उपवास हो कर ही रहा।

१९३४ के सितंबर में गांधीजी ने कांग्रेस से अलग हो जानेका निर्णय किया। इन दिनों कांग्रेस-क्षेत्र में दलबंदी, अधिकार-ग्रहण करने की लालसा, विधायक कार्य की ओर दुर्लक्ष्य आदि दुर्गुणों का जो बोलबोला हो गया था उससे ऊबकर ही गांधीजी इस निर्णयपर पहुँचे थे। कांग्रेसियों की इस प्रवृत्ति को उन्होंने प्रकारांतर से अपने नेतृत्व के प्रति उनकी अविश्वास की भावना का द्योतक ही माना। सोचते थे कि इससे कांग्रेस की प्रगति का मार्ग अवरुद्ध हो जायगा। चुनावों के लिए कांग्रेस के वम्बई-अवि-वेशन के तुरंत बाद वे उससे अलग हो गये। फिर भी बादके वर्षों में, विशेषकर प्रांतीय धारा-सभाओं के १९३७ के चुनावों के समय, और अनंतर कांग्रेसियों द्वारा पदग्रहण करने न करने का प्रश्न पैदा होनेपर, सिद्धान्ततः कांग्रेस से अलग रहते हुए भी, गांधीजी ने उसका जो अबूक मार्गदर्शन किया वह अब हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गया है।

बडोदा,

२१-९-१९४८

मतपरिवर्तन करानेका उनका मार्ग

पी. सुब्बारायन

मेरे सबसे छोटे पुत्र का नाम मोहन है। बापू के प्रति अपने प्यार और आदर के कारण ही मैंने उसका यह नामकरण किया था। इसीलिए उसके साम्यवादी बन जानेपर मुझे झुझलाहट हुई, और मैंने पत्र द्वारा बापू से पूछा कि क्या करना चाहिये? उत्तर में बापूने मुझे व्यासजी के इस वचन का, कि "प्राप्तुं पौडशे वर्षे पुत्रं मिन वदाचरेत्", स्मरण दिलाया। यह उपदेश मुझे बहुत ही जँचा, और अपने सभी वच्चा के साथ, खास तौरसे उनके बड़ी उम्र के हो जानेपर, इस उपदेश के अनुसार ही चलने की मैं बराबर चेष्टा करता रहा हूँ।

इंग्लैंड से अपने लौटनेपर मोहन साम्यवादी दलके कामों में सक्रिय भाग लेने लगा। कुछ दिन तक वह गुप्त भी रहा। आखिर पकड़ा जाकर एक साम्यवादी पत्र में भाग लेने के अभियोग में उसपर मुकदमा चला। मैंने बापू को एक पत्र भेजकर पूछा कि क्या आपने अदालतको सामने मोहन द्वारा दिया गया वक्तव्य पढ़ लिया है? मैं इस विषयक,

उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहता था। उत्तर में बापू ने मुझे यह सूचित करते हुए, कि संक्षिप्त रूप में उक्त वक्तव्य अपनेको पढ़ने मिला है, लिखा कि यदि मैं संपूर्ण वक्तव्य उनके पास भेज सका तो वे पुनः उसे ध्यानपूर्वक पढ़कर अपनी राय से मुझे अवगत करावेंगे। पढ़कर मैं गदगद हो गया। क्योंकि उस समय अत्यधिक कार्य-व्यस्त होते हुए भी जिस तत्परता के साथ यह लंबा वक्तव्य साद्यत पढ़ने के लिए वे तैयार हुए थे उससे हमारे परिवार के प्रति उनके प्रेम-भाव का मुझे पता चल गया। मैंने 'हिंदू' से उक्त वक्तव्य की कतरन निकालकर उनके पास भेज दी। कोई सप्ताहभर बाद उन्होंने मुझे सूचित किया कि यह वक्तव्य तो भारत के एक साहसी सुपुत्र के सर्वथा योग्य ही है, और, उसकी विचारधारा से अपने खुदके सहमत न होनेपर भी, वे यही राय देगे कि उसे अपने विचारानुसार देशकी सेवा करने दी जाय।

पश्चात्, मार्च १९४० में, रामगढ़ काँग्रेस के अवसरपर, मोहन को सग लेकर मैं बापू से मिलने गया, और उन्हींके पाम उसे छोड़ आया। जब मैं दुवारा बापू से मिला तब वे बोले, "मोहन से बातें तो मैंने खूब की, किंतु मैं उसका मतपरिवर्तन कर सका हूँ ऐसा मुझे नहीं लगता। युवकोपर अपने विचार हमें हार्गिज थोपने नहीं चाहिए। बल्कि हम उन्हें प्यार के साथ अपने विचारानुकूल बनाने की कोशिश करते रहें।" तभी से उनके साथ मोहन का सपर्क बराबर बना रहा, और अपने दल के काम से कई दफा वह उनसे मिला भी। मोहन के बारे में बापू का जाखरी खत १९४५ में आया, जो कि उन उभय की किसी खास विषयपर चर्चा हो जाने के बाद लिखा गया था। अपने उक्त पत्र में बापू लिखते हैं: "मोहन मिलने आया था। मैं उसका मतपरिवर्तन करने के फेर में नहीं पड़ा, उसके प्रति अपने प्यार का मैंने उसे भान भर करा दिया।"

विरोधी को अपने विचारों का फायल बनाने की उनमें कौसी अपार क्षमता थी इसका उस पत्र से, जो कि लार्ड रिलिंगडन के नाम में द्वारा भेजे गये पत्र के उत्तर-स्वरूप प्राप्त हुआ था, पता चल जायगा। मैंने लार्ड रिलिंगडन को यही लिखा था कि महात्मा गांधी द्वारा, १९३१ की

गोलमेज-परिषद् से अपने लौटते ही, खान अब्दुल गफ्फार खा एव प. जवाहरलाल नेहरू की कमरा. सरहद और युक्त-प्रात मे हुई गिरफ्तारियों के सिलसिले में आपसे भेंट करने की इच्छा प्रकट की जानेपर, आपने जिस सकोच का परिचय दिया उससे यह साफ झलकता है कि, ब्रिटिश सरकार मे, जिसका कि आप प्रतिनिधित्व करते है, राजनीतिज्ञता का अभाव हो गया । है । इस दोपारोपण का स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हुए लार्ड विंलिगडन ने निम्नाशय का उत्तर भेजा—“ वास्तव में मैं उनसे मिलने मे हिचक रहा था, और सो इसी आशका से कि कही वे मुझे अपने विचारो का कायल न बना दें । साथ ही ब्रिटिश सरकार के इस निश्चय के कारण, कि काँग्रेस से आगे कोई वार्तालाप न किया जाय, मे स्वय इस दिशा में कदम उठाने की मन स्थिति में नही था । ” जब मैंने गांधीजी को इसकी सूचना दी तब उन्होने आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछा, “ किसी भी व्यक्ति को मुझसे मिलने मे, जब कि मैं अपना दृष्टिकोण सर्वथा विशुद्ध भावसे उपस्थित करता हूँ, हिचकिचाहट क्यों मालूम हो ? ”

मद्रास,

१६-३-१९४८

गांधीजी और औषधि

जी. आर. तलवलकर

लगभग १९१८ के मध्य में मैं पहले-बहुल प्रत्यक्ष रूप से गांधीजी से मिला । उस समय उन्हें ओव हो जाने के कारण उनका स्वास्थ्य बहुत अधिक गिर गया था । अहमदाबाद के डा. बी. एन्. कानूगा उनका इलाज कर रहे थे । उनके सामने यह बड़ी भारी उलझन पैदा हुई थी कि गांधीजी को एव खास इजेक्शन लेने के लिए, जो कि इस बीमारी की एकमात्र दवा थी, कैसे राजी कर लिया जाय ? क्योंकि गांधीजी किसी भी प्रकार की औषधि का टीका लगा लेने के लिए तैयार न थे, और चाहते थे कि अपने लिए प्राकृतिक चिकित्सा वा प्रबंध—किया जाय । किंतु यह स्वीकार करने के साथ, कि हम डाक्टरों ने प्राकृतिक चिकित्सा

को आजतक कभी वैसा आजमा कर नहीं दखा है जैसा कि महात्माजी चाहते रहे, मैं यह भी कहने के लिए वाध्य हूँ कि आँव से पिंड छुड़ाने के लिए 'हैड्रोक्लोराइड एमिटाइन' की कुछ सूइयों लगा लेने के सिवाय दूसरा कोई अच्छा इलाज है ही नहीं। लेकिन इसके लिए महात्माजी को राजी कराने के सबध में हम प्रायः निराश हो चुके थे। सहसा मुझे यह सुझा कि यदि उनके सामने बस्ती का प्रयोग रखा गया तो उसके लिए वे सहर्ष अपनी अनुमति प्रदान कर सकते हैं। वैसा ही हमने किया। वे तुरत इसके लिए राजी हुए। तब हमने बस्ती के पानी में बमन की औषधि और अफीम का सत्व घोल दिया। इस छोटेसे प्रयोग ने चौबीस घंटे के भीतर अपना इतना उत्तम प्रभाव दिखाया कि रोगी ने लगातार पाँच दिन उसकी पुनरावृत्ति करने के लिए कहा। परिणाम-स्वरूप हृत्पत-भरमें ही उनकी आँव की शिकायत दूर होकर वे नदियाद से अहमदाबाद तक का सफर भी कर सके। और उन्होंने अपना स्वास्थ्य, बिना किसी सदेह के, मेरे हवाले कर दिया।

शीघ्र ही मुझे पता चला कि वे अन्न या दूध भी ग्रहण नहीं करते। उनकी ऐसी धारणा थी कि दर्जन-दो दर्जन सतरे ला लेने से पोष्टिक आहार की कमी की सहज पूर्ति हो सकती है। मैं उनके इस विचार से सहमत नहीं हो सका। तब वे बोल कि अपनी उक्त धारणा में गलत साबित कर दिखाऊँ। चुनौचे एक सुप्रसिद्ध जाहार-शास्त्रज्ञ को इस विषयक विचारों के आधारपर मैंने उन्हें बताया कि अगर कोई शख्स सिर्फ सतरे खाकर ही जीना चाहे तो पुष्टिकर आहार की दृष्टि में उसे दिनभर में ५० से ७५ सतर अपने पेट में जरूर ही डबेलने पड़ेंगे। लेकिन इससे उस आदमी के अतिसार का शिकार बन जानेका जवदमन्त अवेदना है। महात्माजी मेरी इस रायसे तुरत सहमत हुए, और उस दिन से भात-रोटी खाने लगे। लेकिन अभी वे दूध पीने के तैयार जान तो नहीं थे। हम डाक्टरों की राय में एक दामाहारी हिन्दू के लिए स्वास्थ्यवर्धक अन्न की दृष्टि से दूध पीना निहायत जरूरी है। इस लिए गांधीजी को मनाने की मैंने बंधू चण्डा की। जिनु व चिमो भी प्रकार इन मूत्रपर शुक्ने के लिए तैयार न थे। जागिर कुछ मास बाद मन्बई

के सर्जन स्वर्गीय ए. के. दलाल ने, वा के सहयोग से, गांधीजी को बकरी का दूध पीने के लिए राजी कर लिया। अपनी 'आत्मकथा' में गांधीजी ने इस घटना पर प्रकाश डाला ही है।

भात-रोटी खाने लग जाने के बाद भी गांधीजी की सेहत में कोई सतोपजनक सुधार नज़र नहीं आया। तब डा. केलकर नामक एक प्राकृतिक-चिकित्सक ने उन्हें यह सुझाव दिया कि पीठपर बरफ रगड़ने से शरीर की सुस्ती दूर भाग सकती है। पहले तो कुछ आश्रमवासियों ने इस भलेमानस की उक्त सलाह का मजाक उड़ाया, और गांधीजी भी इस उपचार का प्रयोग करने के लिए राजी न थे। किन्तु जब डा. केलकर की बरफ-चिकित्सा की मैंने तहेदिल से ताईद की तब वे इसके लिए तैयार हुए। पखवाडे के भीतर ही उनकी सेहत इस क़दर सुधर गई कि मैंने उसका आधा श्रेय डा. केलकर को ही सहर्ष प्रदान किया।

१९३५ में गांधीजी को रक्तचोप की शिकायत हुई, जिससे उनके डाक्टर चिंता में पड़ गये। तब किसी ने इसके उपचार-स्वरूप लहसून के प्रयोग का सुझाव दिया। मैंने भी लहसून के औषधि गुणों की प्रशंसा करते हुए 'हरिजन' में एक लेख लिखा। क्योंकि मैंने बहुत पहले यह सुन रखा था कि दक्षिणी इटली के गरीब लोग क्षयरोग-निवारण के लिए लहसून का उपयोग करते हैं। इसी भौति आयर्लैण्ड के एक डाक्टर ने भी लहसून के उक्त गुणों की बड़ी तारीफ़ कर रखी थी। खुद मैं अपने शयी रोगियोंपर लहसून के अर्क का सफल प्रयोग करता रहा हूँ। गांधीजी ने भी अपने प्रतिदिन के आहार में इसका प्रयोग अविलंब शुरू कर दिया। और, मेरा ऐसा विश्वास है कि, रक्तचोप की शिकायत हट जाने के बाद भी वर्षोंतक उनका स्वास्थ्य, डाक्टरों की चिंता के बावजूद, मुख्यतया लहसून के नियमित प्रयोग के कारण ही नीरोग बना रहा। सारादा, खुले दिल से हर किसी के विचार सुन लेने, एव वे जँच जानेपर तदनुसार आचरण करने के लिए गांधीजी सदैव तैयार रहते थे।

बम्बई,

हमारी पहली मुलाक़ात

तान युन-शान

मैं गाधीजी से सर्वप्रथम अप्रैल १९३१ में वार्डोली में मिला। अवश्यही, इससे तीन वर्ष पूर्व, याने १९२८ की कलकत्ता-कॉंग्रेस के अवसर पर, दूर से मैं उनका दर्शन कर चुका था। उक्त कॉंग्रेस-अधिवेशन में उपस्थित रहने के हेतु कलकत्ते के लिए प्रस्थान करने से पहले मैं गुरुदेव टागोर की सेवा में पहुँचा। गुरुदेव ने कलकत्ते में गाधीजी से मिलने की मुझे सलाह दी। मैंने पूछा, "क्या आप मुझे छोटासा परिचय-पत्र नहीं दे सकते?" कवि बोले कि इसकी कोई जरूरत नहीं। उन दिनों कलकत्ता मेरे लिए बिल्कुल अतोखी जगह होने की वजह से गाधीजी का पता-ठिकाना खोज निकालने में मुझे दिक्कत मालूम हुई। अलावा इसके, यह सोचकर कि कांग्रेस के कार्यों में वे अत्यधिक व्यस्त होंगे, उनका कीमती वक्त बर्बाद करना भी मुझे कुछ ठीक न लगा। चूनाँचे मैंने उस समय उनसे मिलने का विचार स्थगित रखकर, कॉंग्रेस-अधिवेशन के उद्घाटन के अवसर पर दूरीसे ही उनके दर्शनभर कर लिये। पडाल में गाधीजी के पधारते ही लाखों लोगों ने तुमुल ध्वनि से उनका स्वागत किया, और भाषण देने के लिए उनके खड़े होते ही सर्वत्र शांति स्थापित हुई। उस समय दूरीपर से हुए उनके इस दर्शन में मतापमान कर मैं शांतिनिकेतन लौट आया।

अनंतर समय समय पर शांतिनिकेतन पधारे हुए गाधीजी के कई मित्रों से मेरा मिलना-जुलना हुआ। उन सभीने मुझसे यही कहा कि मैं कुछ दिन के लिए उनके पास जाकर रहूँ। तब इस विषयक अपनी दीर्घ प्रत्याशा का उनसे उल्लेख करते हुए मैंने कहा कि वे मेरे जनैकानेरु नादर प्रणिपात और प्रणसाभाव गाधीजी तक पहुँचा दे। यन्तुत मैंने भारत में अपने पहुँचने के पहले ही, गुरु के कुछ वर्ष शांतिनिकेतन में गुरुद्व के पास प्रिताकर फिर दो-तीन वर्ष, और यदि नभव हुआ ता जीवन भर, सावरमती क सन्ध्याप्रहाश्रम में गाधीजी क सहजान में रहने का निश्चय

कर लिया था। किंतु शातिनिकेतन में दो वर्ष विताने के बाद मुझे अकस्मात् तिब्बत जाना पड़ा, और वहाँ से लौटने पर कौटुंबिक कारणवश मैं स्वदेश लौट गया। इस प्रकार मेरा मूल विचार कार्यान्वित नहीं हो सका। फिर भी गांधीजी से मिले बिना मैं भारत से विदा न हो सकता था।

तिब्बत के अपने निवास-काल में मैंने दलाई लामा से गुरुदेव एव गांधीजी के कार्यों का जिक्र किया। खास कर गांधीजी की रहन-सहन और उनके सत्याग्रह-आंदोलन सबधी बातें लामा ने दिलचस्पी के साथ सुनी। और मुझसे कहा कि तिब्बत से अपने भारत लौटनेपर मैं उनका सँदेसा गांधीजी तक पहुँचा दूँ। इस नई जिम्मेदारी के कारण गांधीजी से मिलने की मेरी उत्कठा और अधिक बढ़ गई।

भ्रमासा से शातिनिकेतन लौटने के तुरत बाद मैंने गांधीजी को पत्र द्वारा इसकी सूचना दी। उत्तर-स्वरूप उन्होंने मुझे नई दिल्ली में मिलने के लिए बुलाया, दिल्ली जाते समय मार्ग-में पडनेवाले बौद्ध तीर्थस्थानों की यात्रा करने का मुझे मोह हो गया। फलतः मैं दिल्ली देरसे पहुँचा, और तबतक वे दिल्लीसे सावरमती लौट गये थे। सोचा, सावरमती का सत्याग्रहाश्रम देखने का पहलेसे ही अपना विचार था, अतः अब वही सही। किंतु आश्रम पहुँचनेपर ज्ञात हुआ कि कुछ आवश्यक और महत्वपूर्ण बैठकों के कामसे गांधीजी बाडौली गये हुए हैं। आश्रम के मंत्री श्री नारायणदास गांधी ने मेरा उत्तम प्रकार से स्वागत कर गांधीजी को मेरे आगमन की तार द्वारा सूचना दी। तुरत उनकी ओरसे जवाब आया। लिखा था कि अभी और कुछ दिनोतक बाडौली रहने का अपना इरादा है, अतः मैं भी वही चला आऊँ। चुनौचे-उनके पीछे पीछे मैं भी बाडौली जा पहुँचा।

रास्ते में एक ऐसे सज्जन से भेंट हुई, जो दस मालतक जमेरिका में रहने के बाद हाल ही में स्वदेश लौटे थे और गांधीजी से ही मिलने जा रहे थे। रेल में उन्होंने अपनी विलायती वेपभूषा को धता बता कर धोनी-तुर्ता पहन लिया। बोले, "इसी प्रसंग के लिए मैंने विशेष रूप से यह खरीदी है।" और मेरे सरपर की गांधी टोपी देखकर

पुन कहने लगे, "मालूम होता है आपने भी इसी निमित्त यह खरीद ली है।" जवाब में वे बोले, "जी नहीं, यह तो मुझे विल्कुल कल ही सावरमती-सत्याग्रहाश्रम के मंत्री द्वारा भेट में मिली है। लेकिन मेरे पास धोती-कुर्ता जो नहीं है।" सुनकर वे हँस दिये, और साथ ही मैं भी। इस तरह वार्डोली तक का हमारा वक्त मजेमें कटा।

वार्डोली के आश्रम में पहुँचने पर गांधीजी के कनिष्ठ सुपुत्र देवदास ने हम दोनों का स्वागत कर मेरे मित्र से पूछा कि कितने दिन तक वार्डोली ठहरनेका उनका इरादा है। वे बोले कि यदि महात्माजी से अपनी मुलाकात तुरत हो सकी तो वे उसी दिन दोपहर बाद, या अगले दिन सुबह, कुछ जल्दी फामसे बम्बई के लिए रवाना हो जाना चाहते हैं। उनसे कहा गया कि बापू अभी बैठक की कार्यवाही में भाग लेने के लिए गये हुए हैं, और अगर मुमकिन हुआ तो आज शामको ही उनसे आपकी मुलाकात करा दी जायगी। फिर मेरी ओर मुड़कर देवदास ने पूछा, "और महाशयजी, आपका क्या कार्यक्रम है? पिछले कई दिनों से बापू आपका इतजार कर रहे हैं। क्या आप कुछ दिन तक यहाँ ठहर नहीं सकते?" मेरे 'हाँ' कहते ही वे खुश होकर चल दिये, और कोई आध घंटे बाद लौटकर बोले कि बापू उक्त प्रथम सज्जन से उसी दिन शामको, और मुझसे अगले दिन सुबह मिलनेका इरादा रखते हैं।

दूसरे दिन, याने २७ अप्रैल १९३१ को, प्रातः साढ़े दस बजे देवदास आकर मुझे गांधीजी के पास ले गये। गांधीजी ने मेरा हादिक स्वागत किया। मैंने भी उन्हें मादर अभिवादन किया। फिर वे बोले कि दिल्ली और सावरमती में वे मेरी प्रतीक्षा करते रहे, एव मेरे यहाँ न पहुँचने के कारण चिंतित थे। मैंने कहा, "बौद्ध तीर्थ-स्थानों की यात्रापर जाने के कारण मैं समय पर आपकी सेवा में उपस्थित न हो सका। जाया है आप इसके लिए मुझे क्षमा कर देंगे।" वे बोले, "आप इसका कोई खेद न मानें।" फिर पूछने लगे "कितने दिन तक यहाँ रहने का आपका इरादा है?" बोले, "जीवनभर।" मुनकर कहने लगे, "आपसे इतनी अधिक अरेशा तो मैं नहीं रखता। जबतक यहाँ मेरा मुकाम है तभी तक आप भी रहें।" सो मैंने स्वीकार कर लिया। पश्चात् कुशलक्षेम विषयक बातें हुईं। अनंतर मैंने दलाई

लामा द्वारा उनके नाम लिखा गया पत्र निकालकर उन्हें दिया, और लामा के साथ हुए अपने वार्तालाप से भी उन्हें अवगत कराया। पत्र पाकर उन्हें प्रसन्नता हुई। लेकिन वह कैसे पढ़ा जाय यह एक सवाल था। पूछने लगे, "क्या वह तिब्बती भाषा में लिखा गया है?" मैं बोला, "मालूम नहीं, उसे खोलकर पढ़ना मुझे उचित नहीं लगा।" "अच्छा, अब आप खोलकर पढ़ सकते हैं," वे बोले। खोलकर देखने पर मालूम हुआ कि दरअसल वह तिब्बती भाषा में ही लिखा गया है। लेकिन मुझे तिब्बती भाषा का अक्षरज्ञान भर होने से गांधीजी के लिए मैं वह पढ़ न सका। फिर भी वह पाकर वे प्रसन्न हुए। मैंने उनसे पूछा, "क्या आप उन्हें इसका जवाब नहीं भेज सकते?"

बोले, "क्यों नहीं? लेकिन उसे जवाब कैसे कहा जा सकता है? उनका लिखा हुआ पत्र तो हम पढ़ ही नहीं पाये। और चूंकि मुझे तिब्बती भाषा नहीं आती इस लिए मैं गुजराती में उन्हें पत्र भेजूंगा, जिससे वे बेसीही प्रसन्नता अनुभव करेंगे जैसी कि उनका पत्र पाकर मैंने अनुभव की।"

भगवान् बुद्ध के एक वचन की उन्हें याद दिलाते हुए मैं बोला, "आप दोनों परस्पर की भाषासे सर्वथा अनभिज्ञ होते हुए भी एक-दूसरे की विचारधारा से भली भौति परिचित हैं। क्या आप ऐसा नहीं सोचते?"

वे मुस्कराकर मेरी ओर देखने लगे।

इसके बाद चीन और भारत के धार्मिक एवं सांस्कृतिक सबबों-पर हमारा वार्तालाप हुआ। मैंने उनसे कहा कि चीनी जनता उनके दर्शन के लिए उत्कृष्ट है। उन्होंने भी ऐसी ही उत्कृष्ट प्रदर्शित करते हुए कहा, "जबतक भारत स्वाधीन नहीं हो जाता तब तक देश छोड़कर वही भी जानेंगे मैं असमर्थ हूँ। फिर भी आशा तो ऐसी ही है कि जीवन में कभी न कभी एक बार जापान देश की यात्रा करने का अवसर अवश्य मिल जायगा।"

अनंतर एक दिन राध्या समय पास ही के एक देहात में आयोजित सभा से लौटते समय चीन के रीत-रिवाजों के सबब में हमारा वार्तालाप हुआ।

वे बोले, " चीनी जनता कलाप्रेमी है। अपना दैनंदिन जीवन भी वह कलापूर्ण रीतिसे विताती है। किंतु बहुत अधिक प्रमाण में उसका मौस खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। "

जवाब में मैंने उनसे कहा, " आपकी उक्त धारणा गलत है। क्योंकि, अधिकांश चीनी जनता मौस विशेष प्रमाण में नहीं खाती। खास कर चीन की ग्रामीण जनता बहुत कुछ शुद्ध शाकाहारी ही है। तिब्बत-त्योहारपर लोग मौस खा लिया करते हैं। गो-बध पर भी प्रायः बंदीसी ही है। मालूम होता है कि कलकत्ता-बवई जैसे भारत के बड़े गहरो में वैसे हुए चीनी लोगो की रहन-सहन देखकर ही आपने उक्त धारणा बना ली है। "

फिर, यह मालूम होनेपर, कि मैं शाकाहारी नहीं हूँ, उन्होंने शाकाहारी बनने की प्रतिज्ञा मुझसे कराई। वैसे ही मैंने किया और बड़ी खुशीके साथ। बोला, " मैं इस प्रतिज्ञा को हम दोनों की सुखद भेंट के स्मृति-स्वरूप मानता रहूँगा। "

दूसरे दिन उनका मौन था। मैंने चीनी विद्यार्थियों के नाम सदेश देने की उनसे प्रार्थना की। उन्होंने लिखकर बताया कि वे वाद म यह सदेश एव दलाई लामा के लिए अपना पत्र भेज देंगे। और उन्होंने कलकत्ते का मेरा ठिकाना नोट कर लिया।

हम दोनों वार्डोली से सूरत तक साथ ही आये। सूरत से वे अहमदाबाद गये, और मैंने बवई की ओर प्रस्थान किया। बवई और मद्रास की अपनी यात्रा से मैं ता ६ मई १९३१ को कलकत्ते लौटा। चीनी विद्यार्थियों के नाम गाधीजी का आश्वासित सदेश एव दलाई लामा के नाम लिखा गया उनका पत्र पहले ही वहाँ पहुँच गया था पत्र गुजराती में लिखा गया था, और सदेश अंग्रेजी में। चीन के लिए दिया गया गाधीजी का यही सर्वप्रथम सदेश था।

शांतिनिकेतन,

१४-५-१९४८

मुद्रक : श्रीरुनाई दलाल, धी एसोसिएटेड एडव्हर्टायजर्स एण्ड प्रिंटर्स
लिमिटेड, ५०५, आर्थर रोड, ताडदेव, बम्बई ७

प्रकाशक : एम्. के. बोरा, फॉर बोरा एण्ड कम्पनी पब्लिशर्स लिमिटेड,
३, राउण्ड बिल्डिंग, कालवादेवी रोड, बम्बई २